



61^{वीं} वार्षिक रिपोर्ट

61st Annual Report

2013-2014



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation
भारत/India

विषयसूची

अध्याय	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय – 1	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	
	• ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य	1
	• समाविष्ट उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण	3
	• कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं	7
	• केन्द्रीय न्यासी बोर्ड	11
	• कार्यकारी समिति	13
	• क्षेत्रीय समितियां	15
अध्याय – 2	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाएं	
	• अधिनियम को लागू करना	17
	• उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची	19
	• क.भ.नि.योजना, 1952 की सदस्यता के लिए पात्रता	19
	• कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	23
	• योजना के लाभ	23
	• पात्रता	25
	• पेंशन का संवितरण	25
	• पेंशन के संवितरण के लिए नई पहल	27
	• पेंशन लाभार्थी	29
	• पेंशन निधि का मूल्यांकन	29
	• कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना	30
	• लागू होना तथा कवरेज	30
	• योजना के अंतर्गत लाभ	30
अध्याय – 3	क.भ.नि.सं. में निष्पादन प्रबंधन	
	• सेवा क्षेत्र	31
	• वित्तीय क्षेत्र	31
	• अनुपालन क्षेत्र	31
	• नागरिक चार्टर	33
	• रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेंट	35

Annual Report- 2013-14

CONTENTS

CHAPTER	TITLE	PAGE NO.
CHAPTER – 1	EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION	
	• Historical Perspective	2
	• Statement of Objects and Reasons	4
	• Schemes framed under the EPF & MP Act, 1952	8
	• Central Board	10
	• Executive Committees	12
	• Regional Committees	14
CHAPTER – 2	EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS & MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952 AND SCHEMES FRAMED THEREUNDER	
	• Application of the act	18
	• Schedule of industries/classes of establishments	18
	• Eligibility for membership Employees' Provident Funds Scheme, 1952	20
	• Employees' Pension Scheme, 1995	22
	• Scheme Benefits	22
	• Eligibility	24
	• Disbursement of Pension	24
	• New initiative for Pension Disbursement	24
	• Pension Beneficiaries	26
	• Valuation of Pension Fund	28
	• Employees' Deposit Linked Insurance Scheme	28
	• Application and Coverage	28
	• Benefits under the Scheme	28
CHAPTER – 3	PERFORMANCE MANAGEMENT IN EPFO	
	• Service Area	32
	• Financial Area	32
	• Compliance Area	32
	• Citizen's Charter	34
	• Results Framework Documents (RFD)	34

अध्याय – 4	अंशदान एवं निवेश	
	• अंशदान की दर	37
	• भविष्य निधि में प्राप्त अंशदान	41
	• पेंशन निधि में प्राप्त अंशदान	41
	• बीमा निधि में प्राप्त अंशदान	41
	• प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार	43
	• आय एवं व्यय लेखा	45
	• संगठन का राजस्व	45
	• निवेश पद्धति	47
	• पेंशन निधि का निवेश	49
	• बीमा निधि का निवेश	51
	• पोर्टफोलियो प्रबंधन	51
	• पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दु	53
	• परिसंपत्ति निर्धारण	53
	• भविष्य निधि के निवेश (छूट प्राप्त क्षेत्र)	55
	• सदस्यों को ब्याज दर	57
अध्याय – 5	अनुपालन प्रबंधन	
	• अनुपालन की कार्यप्रणाली	59
	• चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई	59
	• चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर उपाय	61
	• बकाया की वसूली	61
	• भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता	63
	• वर्ष के दौरान अनुपालन की स्थिति पर नोट - बकाया प्रबंधन	63
	• बकाया प्रबंधन (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	63
	• बकाया का विभाजन – सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएं	65
	• अन्य बकाया (प्रशासनिक लेखे) सभी योजनाएं	67
	• बकाया की वसूली हेतु क.भ.नि.सं. द्वारा की गई अन्य कार्रवाईयां	69
	• छूट प्राप्त	71
	• छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य	71
	• स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संकेन्द्रण	71
	• अंशदान	71
	• निरीक्षण प्रभार	71

CHAPTER – 4	CONTRIBUTIONS AND INVESTMENTS	
	• Rate of contribution	38
	• Contribution received Provident Fund	40
	• Contribution received Pension Fund	42
	• Contribution received Insurance Fund	42
	• Administrative and Inspection Charges	42
	• Income and Expenditure Account	44
	• Revenue of the Organisation	46
	• Pattern of Investment	46
	• Investment of Pension Fund	50
	• Investment of Insurance Fund	50
	• Portfolio Management	50
	• Salient points on performance of the Portfolio Managers	52
	• Asset Allocation	52
	• Investments of Provident Fund (Exempted Sector)	54
	• Rate of Interest to members	56
CHAPTER – 5	COMPLIANCE MANAGEMENT IN EPFO	
	• Role of Compliance	60
	• Action Against Defaulters	60
	• Coercive actions against defaulters	62
	• Recovery of Arrears	62
	• Priority of Provident Fund dues	64
	• Status note on Compliance during the year- Arrears Management	64
	• Arrear management (Un-exempted Sector)	64
	• Bifurcation of Arrears – Public and Private Sector Establishments	64
	• Other Arrears (Administration Accounts)All Schemes	66
	• Action Taken Arrears the Default	66
	• Other action taken by EPFO for Recovery of Arrears	68
	• Exemption	68
	• Exempted Establishment and Members	70
	• State wise concentration of Establishment and Members	70
	• Contributions	70
	• Inspection Charges	70

	• ब्याज दर	73
	• क.पै.यो., 1995 के अंतर्गत छूट प्राप्त	73
	• क.नि.स.बी.यो., 1976 से छूट प्राप्त	73
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया प्रबंधन	75
	• सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाओं के बकाया का विभाजन	75
	• बकाया की स्थिति	75
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में अनिवेशित निधि	77
	• छूट प्राप्त क्षेत्र में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई	77
अध्याय – 6	न्यायिक मामले	
	• माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत के समक्ष लंबित अपील	79
	• अन्य न्यायिक मामले	79
	• कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण	79
अध्याय – 7	अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए उपबंध	
	• अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध	83
	• सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.)	87
	• कवरेज प्रमाण पत्र	89
अध्याय – 8	बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी	
	• स्वतः वार्षिक ब्याज जमा	91
	• कवरेज प्रमाणपत्र	91
	• खातों का ऑनलाइन अंतरण	91
	• छूट प्राप्त स्थापनाओं की ऑनलाइन रिटर्न	91
	• प्रक्रिया	93
	• जनशक्ति	93
	• प्रौद्योगिकी	93
अध्याय – 9	मानव संसाधन प्रबंधन	
	• कर्मचारियों की संख्या	95
	• आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन	97
	• मानव संसाधन विकास	99
	• परीक्षा अनुभाग	99
	• हिंदी का प्रगामी प्रयोग	103
	• क.भ.नि. स्टाफ पेंशनभोक्ता	105

	• Rate of Interest	70
	• Exemption under EPS,1995	72
	• Exemption from the Employees' Deposit linked Insurance Scheme,1976	72
	• Arrear Management in the Exempted Sector	72
	• Bifurcation of Arrears- Public and Private Sector Establishments	72
	• Status of Arrears	74
	• Un-Invested funds in the Exempted Sector	74
	• Action taken against defaulters in the Exempted Sector	74
CHAPTER – 6	COURT CASES	
	• Appeals pending before Hon'ble Supreme Court of India	80
	• Other Courts Cases	80
	• EPF Appellate Tribunal	80
CHAPTER – 7	PROVISION FOR INTERNATIONAL WORKERS	
	• Special Provisions in respect of International Worker	84
	• Social Security Agreement(SSA)	86
	• Certificate of Coverage	88
CHAPTER – 8	INFORMATION TECHNOLOGY FOR BETTER SERVICE DELIVERY	
	• Auto annual Interest crediting	92
	• Certificate of Coverage	92
	• Online Transfers of Accounts	92
	• Online return of Exempted establishments	92
	• Process	92
	• Manpower	94
	• Technology	94
CHAPTER - 9	HUMAN RESOURCE MANAGEMENT	
	• Staff Strength	96
	• Implementation of Reservation Policies	98
	• Human Resources Development	98
	• Examination Section	100
	• Progressive use of Hindi	102
	• EPF Staff Pensioners	104
	• Staff Welfare Activities	104
	• Sports Activities	104

	• स्टाफ कल्याण गतिविधियां	105
	• खेलकूद गतिविधियां	105
	• खेलकूद के क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां	107
	• स्टाफ कल्याण	107
	• क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि समितियों से वित्तीय सहायता	109
	• प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बाढ़ राहत के क्षेत्र में वित्तीय सहायता	109
	• कार्यालय आवास	109
अध्याय - 10	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी	
	• प्रशिक्षण के उद्देश्य	111
	• प्रशिक्षण के प्रकार	111
	• रणनीति	113
	• क.भ.नि.सं. में प्रशिक्षण संरचना	113
	• नाटर्स के लिए लक्ष्य समूह	115
	• प्रशिक्षण संस्थानों में लक्ष्य समूह	115
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण	115
	• प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां	117
	• नाटर्स में भौतिक ढांचा तथा सुविधाएं	117
	• होस्टल ब्लॉक	117
	• मेस	117
	• खेलकूद	117
	• आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में भौतिक सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचा	119
अध्याय – 11	ग्राहक सेवा	
	• शिकायतें कम करने के लिए किए गए प्रयास	121
	• भविष्य निधि अदालतें	125
	• शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा	125
	• शिकायत किस प्रकार फाईल करें	127
	• डाक / ई-मेल द्वारा	127
	• व्यक्तिगत रूप से / फोन द्वारा	129
	• कार्यालय में जन शिकायतों के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश	129
	• समीक्षा तंत्र	129
	• नई पहल	129

	• Other achievements in the field of Sports	104
	• Staff Welfare	104
	• Financial assistance out of Staff Welfare Fund Committees.	106
	• Financial assistance under natural Disaster Management Flood Relief	106
	• Office Accommodation	106
CHAPTER – 10	NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY	
	• Objective of Training	112
	• Types of Training	112
	• Strategy	112
	• Training Architecture in EPFO	114
	• Target Group for NATRSS	114
	• Target Group for ZTIs	116
	• Training in ZIT's	116
	• Training Activities in ZTIs	116
	• Physical Infrastructure and Facilities at NATRSS	116
	• Hostel Block	116
	• Mess	116
	• Sports	118
	• Physical Facilities & Infrastructure at ZTIs	118
CHAPTER – 11	CUSTOMER SERVICE	
	• Efforts taken to minimize grievances	122
	• Bhavishya Nidhi Adalats	124
	• Facility of online registration of grievances and redressal	126
	• How to file or lodge grievances	126
	• By Post/ E-mail	126
	• In person/by phone	128
	• Guidelines prescribed for handling of Public Grievances in EPFO Offices	128
	• Review Mechanisms	128
	• New Initiatives	128
	• Important instructions issued concerning grievances	130
	• Publicity	130
	• Main Objective	130

	• शिकायतों के संबंध में जारी महत्वपूर्ण अनुदेश	131
	• प्रचार	131
	• मुख्य लक्ष्य	131
	• वर्ष 2013-14 के दौरान हुई गतिविधियां	133
	• प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार	133
	• कैलेंडरों के माध्यम से प्रचार	134
	• सूचना का अधिकार	134
अध्याय – 12	सांविधिक लेखा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	
	• सांविधिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा	135
	• लेखा परीक्षा विंग का संगठनात्मक चार्ट	135
अध्याय - 13	सतर्कता	
	• सतर्कता व्यवस्था	141
	• वर्ष 2013-2014 के दौरान निष्पादन	141
	• अनुशासनात्मक मामले	141
	• निवारक सतर्कता / लेखा परीक्षा पार्टी के साथ औचक / संयुक्त निरीक्षण	143
	• निलंबन मामले	143
	• आपराधिक मामले	143
	• मामले जिनमें अभियोजन की स्वीकृति मांगी गई तथा प्रदान की गई	143
	• अन्य गतिविधियां	145

	• Activities carried out during the year 2013-14	130
	• Publicity through Print Media	130
	• Publicity through Calendars	132
	• Right to Information	132
CHAPTER - 12	STATUTORY AND INTERNAL AUDIT	
	• Statutory Audit and Internal Audit	136
	• Organisational Chart of Audit Wing	136
CHAPTER - 13	VIGILANCE	
	• Vigilance Setup	142
	• Performance during the year 2013-14	142
	• Disciplinary Cases	142
	• Preventive Vigilance/Surprise/Joint inspection with Audit Party	144
	• Suspension Cases	144
	• Criminal Cases	144
	• Status of prosecution sanctions sought for and accorded	144
	• Other Activities	144



परिशिष्ट		
परिशिष्ट ए-1	सांख्यिकीय सार (2013-14)	149
परिशिष्ट ए -2	31.03.2014 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य	161
परिशिष्ट ए -3	31.03.2014 को कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य	167
परिशिष्ट ए-4 (i)	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि दावों का निपटान (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	169
परिशिष्ट ए -4 (ii)	योजना के अंतर्गत प्रदत्त आंशिक प्रत्याहरण (अछूट प्राप्त)	171
परिशिष्ट ए-4 (iii)	योजना के अंतर्गत अंतरण दावों का निपटान (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	173
परिशिष्ट ए -4 (iv)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत मासिक पेंशन दावों का निपटान (अछूट प्राप्त क्षेत्र)	175
परिशिष्ट ए-4 (v)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सभी दावे (मासिक पेंशन दावों को छोड़कर) (अछूट प्राप्त)	177
परिशिष्ट ए -4(vi)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के दावों का निपटान (अछूट प्राप्त)	179
परिशिष्ट ए -4 (vii)	31.03.2014 को सभी दावों के निपटान की स्थिति	181
परिशिष्ट ए -5 (i)	क.पें.यो., 1995 के संबंध में किए गए मूल्यांकनों का सारांश	183
परिशिष्ट ए -5 (ii)	मूल्यांकनों की सिफारिशें	187
परिशिष्ट ए -5 (iii)	दो समीक्षाओं की सिफारिशें तथा परिणाम	191
परिशिष्ट ए - 6	क्षेत्रीय समितियों, कर्मचारी भविष्य निधि की स्थिति	193
परिशिष्ट ए -7	31.03.2014 को क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा सेवा केन्द्रों की सूची	197
परिशिष्ट ए -8 (i)	नाटरस द्वारा वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम	205
परिशिष्ट ए -8 (ii)	वर्ष 2013-14 के दौरान आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	209
परिशिष्ट ए -9 (i)	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य	211
परिशिष्ट ए -9 (ii)	अंचलवार (क्षेत्रवार) सदस्यों एवं स्थापनाओं का संकेन्द्रण - 31.03.2014 की स्थिति	221
परिशिष्ट ए -9(iii)	स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण (राज्यवार) - 31.03.2014 की स्थिति	223
परिशिष्ट ए -9(iv)	सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण - 31.03.2014	225
परिशिष्ट ए -10 (i)	31.03.2014 तक क.पें.यो. -1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण एजेंसियों की सूची	227
परिशिष्ट ए -10 (ii)	पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण - 31.03.2014	231
परिशिष्ट ए - 11 (i)	अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण - छूट प्राप्त स्थापनाएं	233
परिशिष्ट ए - 11 (ii)	स्थापनाओं एवं सदस्यों का छूट प्राप्त क्षेत्र में संकेन्द्रण - 31.03.2014	235
परिशिष्ट ए - 12 (i)	सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2013-14)	237

APPENDICES		
Appendix A-1	Summary of Statistical Abstract (2013-14)	150
Appendix A-2	Members of Central Board of Trustees (EPF) as on 31.03.2014	162
Appendix A-3	Members of Executive Committee, CBT(EPF) as on 31.03.2014	168
Appendix A-4(i)	Claims – Provident Fund	170
AppendixA-4(ii)	Claims – Partial Withdrawal	172
AppendixA-4(iii)	Claims -Transfer Cases	174
Appendix A-4(iv)	Claims – EPS'95 Monthly Pension	176
Appendix A-4 (v)	Claims – EPS'95 (Other than monthly pension claims)	178
Appendix A-4(vi)	Claims – EDLI' 1976	180
AppendixA-4(vii)	All Claims	182
Appendix A-5(i)	Gist of the Valuation Exercises of EPS,1995	184
AppendixA-5(ii)	Recommendation of the Valuers	188
AppendixA-5(iii)	Result and the recommendations of the two reviews	192
Appendix A-6	Status of Regional Committees, Employees Provident Fund	194
Appendix A-7	List of Regional Offices, Sub-Regional Offices, District Offices and Service Centers as on 31.03.2014	198
Appendix A-8 (i)	Training conducted by NATRSS 2013-14	206
Appendix A-8 (ii)	Details of the training programmes conducted by the ZTIs and sub-ZTI during 2013-14	210
Appendix A- 9(i)	Industry- wise Establishment and Members as on 31.03.2014	212
Appendix A-9(ii)	Zone-wise (Region-wise) position and concentration of establishments as on 31.03.2014	222
Appendix A-9(iii)	Concentration of Members – State-wise	224
Appendix A-9(iv)	Concentration of Members – Industry-wise	226
Appendix A–10(i)	List of Pension disbursing agencies under Employees' Pension Scheme, 1995	228
Appendix A-10(ii)	Classification of Pensioners as on 31.03.2014	232
Appendix A-11(i)	Zone wise (Region wise) position and concentration – Exempted Establishments	234
Appendix A-11(ii)	Concentration of Establishments and Members in Exempted Sector as on 31.03.2014	236
Appendix A-12 (i)	Contribution and Payment of all three Schemes (2013-14)	238
Appendix A-12 (ii)	Contribution and Payment of all three Schemes (2012-13)	240

परिशिष्ट ए - 12 (ii)	सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2012-13)	239
परिशिष्ट ए 12 (iii)	सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2011-12)	241
परिशिष्ट ए - 13	वर्ष 1952 से क.भ.नि. शेष के मासिक चालू शेष पर ब्याज की दर	243
परिशिष्ट ए 14 (i)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.भ.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2014 की स्थिति	245
परिशिष्ट ए 14 (ii)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.पं.योजना' 95 के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2014 की स्थिति	247
परिशिष्ट ए 14 (iii)	अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.नि.स.बी. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया 31.03.2014 की स्थिति	249
परिशिष्ट ए 14 (iv)	सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन(अछूट प्राप्त) (सभी योजनाएं) 31.03.2014 की स्थिति	251
परिशिष्ट ए 15 (i)	₹ 50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014	253
परिशिष्ट ए 15 (ii)	₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014	256
परिशिष्ट ए 16 (i)	वर्ष 2013-14 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण मामलों का प्रारंभ एवं निपटान	289
परिशिष्ट ए 16 (ii)	लंबित 7ए मामलों की आवधिकता	291
परिशिष्ट ए 17	अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज - 31.03.2014 की स्थिति	293
परिशिष्ट ए 18	तीनों योजनाओं के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी (अछूट प्राप्त क्षेत्र) 31.03.2014 की स्थिति	295
परिशिष्ट ए 19 (i)	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क.भ.नि.देयों हेतु (खाता संख्या 1) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति	297
परिशिष्ट ए 19 (ii)	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत (खाता संख्या 10) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2014 की स्थिति	299
परिशिष्ट ए 19 (iii)	कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत (खाता संख्या 21) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2014 की स्थिति	301
परिशिष्ट ए 20 (i)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (क.भ.नि. योजना)	303
परिशिष्ट ए 20 (ii)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (पेंशन योजना)	305
परिशिष्ट ए 20 (iii)	अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (क.नि.स.बी. योजना)	307
परिशिष्ट ए 21 (i)	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति	309
परिशिष्ट ए 21 (ii)	भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति	311

Appendix A-12 (iii)	Contribution and Payment of all three Schemes (2011-12)	242
Appendix A-13	Rate of Interest on EPF balances on monthly running balance since 1952 onwards	244
Appendix A-14 (i)	Assessed Arrears under EPF Scheme in Un-exempted Sector	246
Appendix A-14 (ii)	Assessed Arrears under EPS Scheme in Un-exempted Sector	248
Appendix A-14 (iii)	Assessed arrears under EDLI Scheme in Un-exempted Sector	250
Appendix A-14 (iv)	Bifurcation of demand in Public, Private and Co-operative Sector (All Schemes)	252
Appendix A-15 (i)	Summary of Defaulting Establishments – ₹ 50 Lac and above (Un-exempted Sector)	254
Appendix A -15 (ii)	List of defaulting Establishments above ₹ 1 cr. (Un- exempted Sector)	256
Appendix A-16(i)	Initiation and Disposal of Assessment cases under section 7A of the Act during 2013-14	290
Appendix A-16(ii)	Periodicity of the pending 7A cases	292
Appendix A-17	Interest Accrued on dues under section 7Q of the Act	294
Appendix A-18	Levy of damages under all three schemes (Un- exempted Sector)	296
Appendix A-19 (i)	Recovery Certificates in respect of A/c-1 under EPF Scheme, 1952 (Un – exempted Sector)	298
Appendix A-19 (ii)	Recovery Certificates in respect of A/c-10 under EP Scheme, 1995 (Un – exempted Sector)	300
Appendix A-19 (iii)	Recovery Certificates in respect of A/c-21 under EDLI Scheme, 1976 (Un –exempted Sector)	302
Appendix A-20 (i)	Prosecution cases u/s 14 of the Act (Un-exempted Sector), EPF Scheme	304
Appendix A-20 (ii)	Prosecution cases u/s 14 of the Act (Un-exempted Sector), EP Scheme	306
Appendix A-20 (iii)	Prosecution cases u/s 14 of the Act (Un-exempted Sector), EDLI Scheme	308
Appendix A-21 (i)	Cases before the Police Authorities u/s 406/409 of IPC (Un-exempted Sector)	310
Appendix A-21 (ii)	Cases before various Courts u/s 406/409 of IPC (Un-exempted Sector)	312
Appendix A-22	Status of attachment of property/ arrest of defaulters – Un-exempted Sector	314
Appendix A-23 (i)	Total Arrears in Exempted Sector	316
Appendix A-23 (ii)	Major Arrears in Exempted Sector	318
Appendix A-24	Bifurcation of Arrears in Public and Private Sectors	320
Appendix A-25 (i)	Summary of Defaulting Establishments ₹ 50 Lac (Exempted Sector)	322

परिशिष्ट ए 22	संपत्ति का अटैचमेंट / चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति - अछूट प्राप्त क्षेत्र	313
परिशिष्ट ए 23 (i)	छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया - 31.03.2014 की स्थिति	315
परिशिष्ट ए 23 (ii)	छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया का बड़ा भाग - 31.03.2014 की स्थिति	317
परिशिष्ट ए 24	सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन - 31.03.2014 की स्थिति	319
परिशिष्ट ए 25 (i)	चूकदार स्थापनाओं का विवरण - ₹ 50 लाख या उससे अधिक - 31.03.2014 की स्थिति	321
परिशिष्ट ए 25 (ii)	₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति	323
परिशिष्ट ए 26	अनिवेशित राशि (छूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति	331
परिशिष्ट ए 27 (i)	उच्च न्यायालयों के मामलों की स्थिति	333
परिशिष्ट ए 27 (ii)	जिला न्यायालयों के मामलों की स्थिति	335
परिशिष्ट ए 27 (iii)	राष्ट्रीय आयोग के मामलों की स्थिति	337
परिशिष्ट ए 27 (iv)	राज्य आयोग के मामलों की स्थिति	339
परिशिष्ट ए 27 (v)	जिला उपभोक्ता फोरम के मामलों की स्थिति	341
परिशिष्ट ए 27 (vi)	कैट के मामलों की स्थिति	343
परिशिष्ट ए 28 (i)	31.03.2014 को ग्रुप 'ए' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	345
परिशिष्ट ए 28 (ii)	31.03.2014 को ग्रुप 'बी' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	347
परिशिष्ट ए 28 (iii)	31.03.2014 को ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या	349
परिशिष्ट ए 28 (iv)	31.03.2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ पेंशनभोक्ताओं तथा परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या	351
परिशिष्ट ए 29	वर्ष 2012-2013 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस	353
परिशिष्ट ए 30	जन सूचना	355
परिशिष्ट ए 31 (i)	सांविधिक लेखा परीक्षकों (ए.जी.) के लेखापरीक्षा पैरा का विवरण - 31.03.2014 की स्थिति	357
परिशिष्ट ए 31 (ii)	आंतरिक लेखापरीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण -31.03.2014 की स्थिति	359
परिशिष्ट ए 32 (i)	31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.भ.नि. (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या - 5	361
परिशिष्ट ए 32 (ii)	31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.पें.यो (कर्मचारी पेंशन योजना) लेखा संख्या - 11	363
परिशिष्ट ए 32 (iii)	31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.सह.नि.बी.यो (कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना) लेखा संख्या - 25	365

Appendix A-25 (ii)	List of Defaulting Establishments above ₹ 1 cr. (Exempted Sector)	324
Appendix A-26	Amount remaining un-invested (Exempted Sector) as on 31.03.2014	332
Appendix A-27(i)	Status of High Court Cases	334
Appendix A-27(ii)	Status of District Court Cases	336
Appendix A-27(iii)	Status of National Commission Cases	338
Appendix A-27(iv)	Status of State Commission Cases	340
Appendix A-27(v)	Status of District Consumer Forum Cases	342
Appendix A-27(vi)	Status of CAT Cases	344
Appendix A-28 (i)	Sanctioned and in position strength of Group 'A' Officers as on 31.03.2014	346
Appendix A-28 (ii)	Sanctioned and in position strength of Group 'B' Officers as on 31.03.2014	348
Appendix A-28 (iii)	Sanctioned and in position strength of Group 'C' & 'D' Officials as on 31.03.2014	350
Appendix A-28 (iv)	Staff Pensioners and Family Pensioners of EPFO as on 31.03.2014	352
Appendix A-29	Productivity Linked Bonus for the year 2012-13	354
Appendix A-30	Public Information	356
Appendix A-31 (i)	Details of Audit Observations made by the Statutory Audit (AG) as on 31.03.2014	358
Appendix A-31 (ii)	Details of outstanding Audit Paras of Internal Audit Parties (IAP) as on 31.03.2014	360
Appendix A-32 (i)	Category-wise Investment at Face Value and Interest earning EPF (Employees Provident Fund) A/C No. -5 as on 31.03.2014	362
Appendix A-32 (ii)	Category-wise Investment at Face Value and Interest earning EPS (Employees Pension Scheme) A/C No.-11 as on 31.03.2014	364
Appendix A-32 (iii)	Category- wise Investment at Face Value and Interest earning EDLI (Employees Deposit Linked Insurance Scheme) A/C No. -25 as on 31.03.2014	366

संक्षिप्त रूप

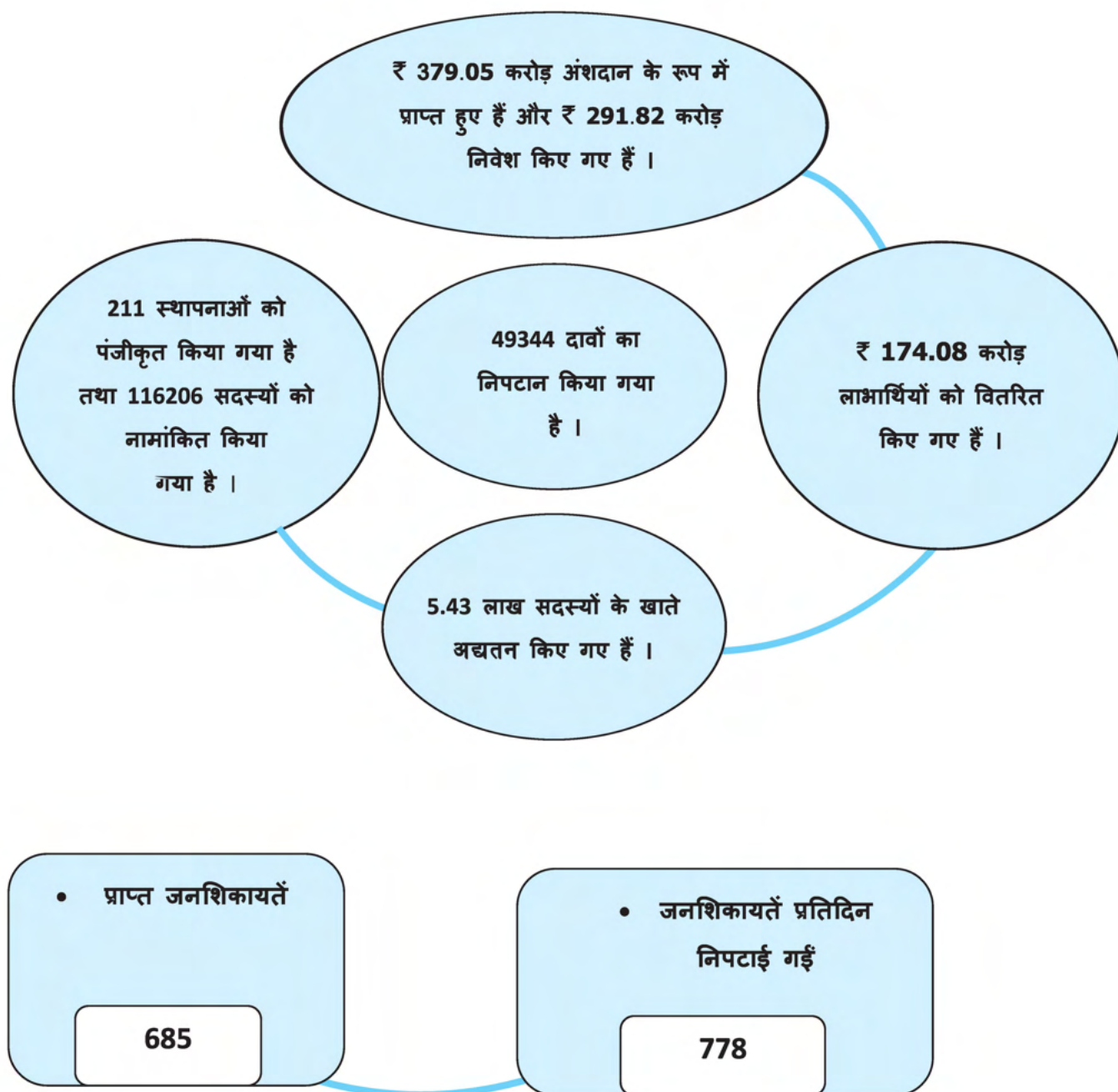
संक्षिप्त रूप	शब्द
अधिनियम	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952
अ.के.भ.नि.आ.	अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
स.नि.	सहायक निदेशक
स.भ.नि.आ.	सहायक भविष्य निधि आयुक्त
के.सरकार	केन्द्रीय सरकार
बोर्ड	केन्द्रीय न्यासी बोर्ड
के.भ.नि.आ.	केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त
करोड़.	करोड़
ग्रा.से.प्र.	ग्राहक सेवा प्रभाग
सी.ई.सी.ए.	व्यापक आर्थिक सहकारी करार
डी.ई.	चूककर्ता स्थापना
डी.ए.	महंगाई भत्ता
उ.नि.	उप निदेशक
क.भ.नि.सं.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क.भ.नि.अपी.अधि.	कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण
छूट	छूट
वि. एवं ले.	वित्त एवं लेखा
वि.ले. एवं मु.ले.अधि.	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी
परिवार पेंशन योजना	कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971
भा.स.	भारत सरकार
मुख्या.	मुख्यालय
आई.एम.सी.	निवेश की निगरानी प्रकोष्ठ
बीमा निधि	कर्मचारी सहबद्ध बीमा निधि
बीमा योजना	कर्मचारी सहबद्ध बीमा योजना, 1976
आई.आर.	तत्काल वसूलनीय
आई.डब्ल्यू.	अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक
ला.	लाख
श्र. एवं. रो.मंत्रा.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नाटरस	राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अकादमी
एन.आई.आर.	तत्काल अवसूलनीय
लो.शि.	लोक शिकायत
पेंशन निधि	कर्मचारी पेंशन निधि
पेंशन योजना	कर्मचारी पेंशन योजना, 1995
ज.स.अधि.	जनसंपर्क अधिकारी
भविष्य निधि	कर्मचारी भविष्य निधि
पी.एस.एफ.आई.	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान
आर.एफ.डी.	परिणाम रूपरेखा दस्तावेज
क्षे.का.	क्षेत्रीय कार्यालय
क्षे.भ.नि.आ.-I/ क्षे.भ.नि.आ.-II	क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
आर.आर.सी.	राजस्व वसूली प्रमाण पत्र
एस.सी.	अनुसूचित जातियों
योजना	कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
एस.डी.एस.	विशेष जमा योजना
उ.क्षे.का.	उप क्षेत्रीय कार्यालय
सा.सु.स.	सामाजिक सुरक्षा सहायक
अछूट	अछूट प्राप्त
यू./एस.	धारा के अंतर्गत
सत.	सतर्कता
आं.का.	आंचलिक कार्यालय
आं.प्र.सं.	आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

ABBREVIATIONS

Abbreviations	Words
Act	Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952
Addl CPFC	Additional Central Provident Fund Commissioner
AD	Assistant Director
APFC	Assistant Provident Fund Commissioner
AVS	Administrative Vigilance Section
CG	Central Government
Board	Central Board of Trustees
BIFR	Board for Industrial and Financial Reconstruction
CPFC	Central Provident Fund Commissioner
CR	Crore
CSD	Customer Service Division
CECA	Comprehensive Economic Co-operative Agreement
DE	Defaulting Establishments
DA	Dearness Allowance
Dir (Vig.)	Director (Vigilance)
DD	Deputy Director
Asstt. Dir (Vig.)	Assistant Director (Vigilance)
EPFO	Employees' Provident Fund Organisation
EPFAT	Employees' Provident Fund Appellate Tribunal
EX	Exempted
F & A	Finance and Accounts
FA & CAO	Financial Advisor & Chief Accounts Officer
Family Pension Scheme	Employees' Family Pension Scheme, 1971
GOI	Government of India
HO	Head Office
IMC	Investment Monitoring Cell
Insurance Fund	Employees' Deposit Linked Insurance Fund
Insurance Scheme	Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976
IR	Immediately Realisable
IW	International Workers
LAC	Lakh
MoL&E	Ministry of Labour & Employment
NATRSS	National Academy for Training and Research in Social Security
NIR	Not Immediately Realisable
PG	Public Grievances
Pension Fund	Employees' Pension Fund
Pension Scheme	Employees' Pension Scheme, 1995
PRO	Public Relations Officer
Provident Fund	Employees' Provident Fund
PSFI	Public Sector Financial Institutions
RFD	Results- Framework Document
RO	Regional Office
RPFC-I	Regional Provident Fund Commissioner, Grade-I
RPFC-II	Regional Provident Fund Commissioner, Grade-II
RRC	Revenue Recovery Certificate
SC	Scheduled Castes
Scheme	Employees' Provident Fund Scheme, 1952
SDS	Special Deposit Scheme
SRO	Sub- Regional Office
SSA	Social Security Assistant
UN-EX	Unexempted
U/S	Under Section
VIG	Vigilance
ZO	Zonal Office
ZTI	Zonal Training Institute

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक दिन *

{* वर्ष 2013-14 के आंकड़ों पर आधारित एक दिन का औसत - (250 कार्य दिवस)}

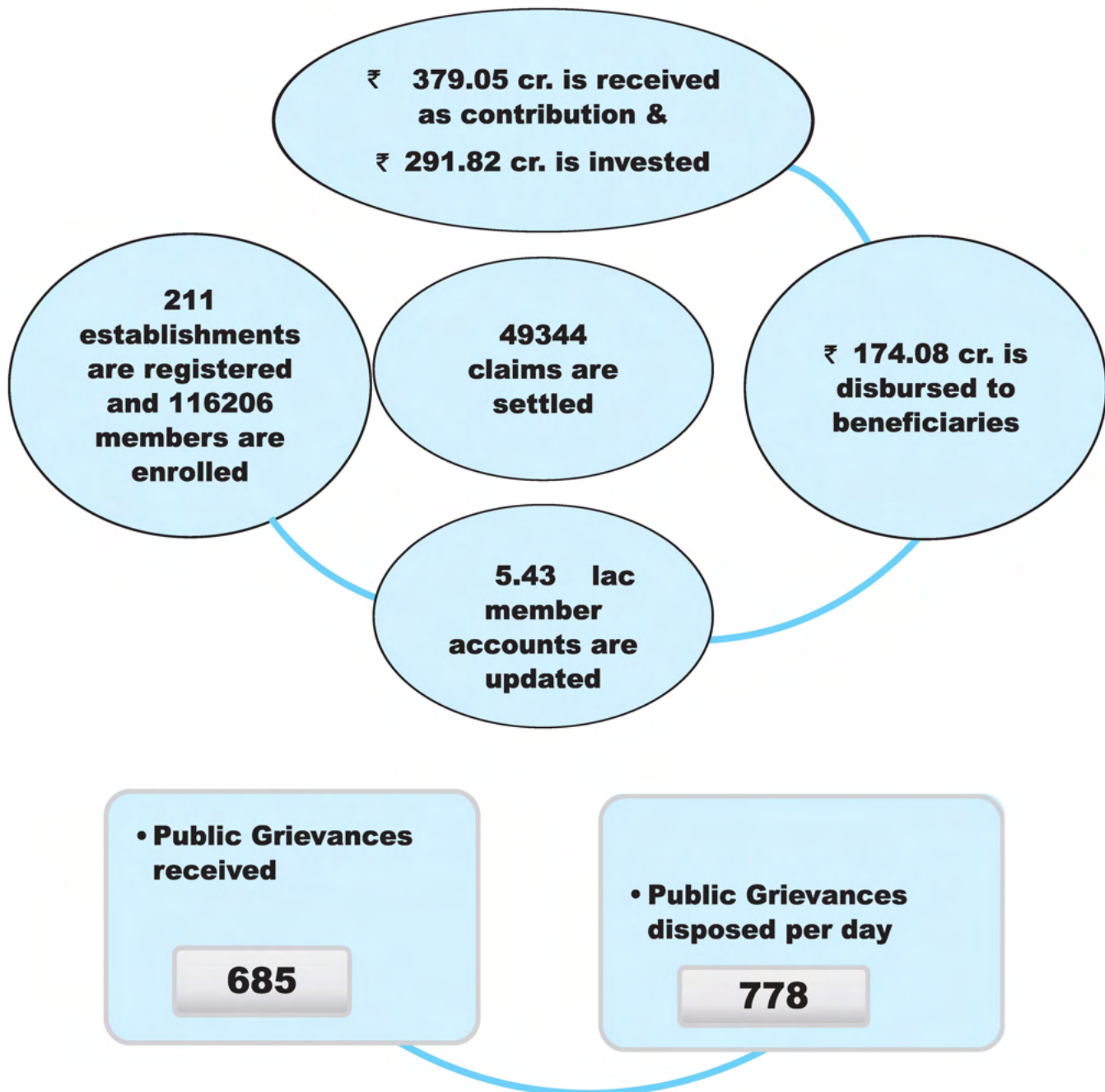


*वर्ष के दौरान

• पिछले वर्ष की लंबित शिकायतों के अंत शेष सहित ।

AN AVERAGE DAY IN EPFO*

{* One day average based on the figures for the year 2013-14 - (250 working days)}



*During the year

• including Closing Balance of pending grievance of previous year

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

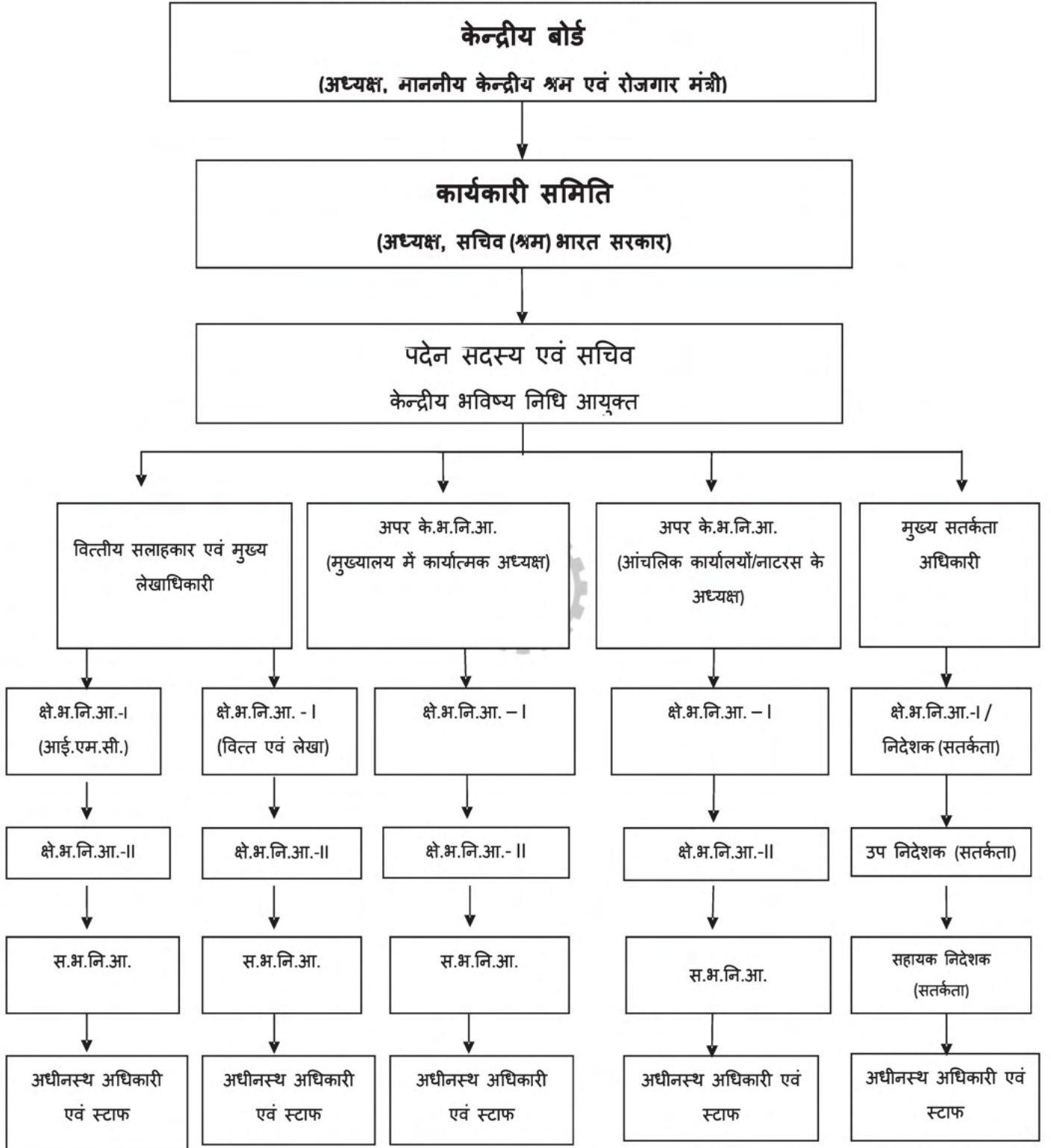
- ❖ कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 का प्रशासन करता है।
- ❖ क.भ.नि.सं. विश्व के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा प्रदानकर्त्ताओं में से एक है।
- ❖ अधिनियम उन परिभाषित उद्योगों पर लागू है, जिनमें 20 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हैं।
- ❖ क.भ.नि.सं. द्वारा चलाई जा रही तीन योजनाएं भविष्य निधि, पेंशन एवं बीमा हैं।
- ❖ स्थापनाओं को वैधानिक रूप से उन सभी कर्मचारियों के संबंध में अनुपालन करना होता है, जो 6500/- रु. प्रतिमाह तक वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
- ❖ भविष्य निधि एक परिभाषित अंशदान योजना है, जिसमें नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों अनिवार्यतः अपना-अपना अंशदान करते हैं।
- ❖ “परिभाषित अंशदान” एवं “परिभाषित लाभ” से पेंशन योजना बनी है। कर्मचारियों को इस योजना में अंशदान नहीं देना होता है।
- ❖ बीमा एक निक्षेप सहबद्ध योजना है, जो कर्मचारियों को बिना किसी अंशदान के 1,30,000/- रु. तक के लाभ प्रदान करती है।

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

- ❖ **Administers the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952**
- ❖ **EPFO is one of the world's largest social security providers.**
- ❖ **The Act applies to defined class of industries employing 20 or more employees**
- ❖ **Three Schemes run by EPFO are related to Provident Fund, Pension, and Insurance.**
- ❖ **The establishments are required to statutorily comply in respect of all their employees drawing wages upto Rs. 6500 per month**
- ❖ **Provident Fund is based on a defined contribution scheme where both the employees and the employers contribute their mandated share.**
- ❖ **A mix of "defined contribution" and "defined benefit" forms the Pension Scheme. The employees do not have to contribute to this scheme.**
- ❖ **Insurance Scheme is a deposit linked Scheme that provides for benefits up to Rs. 1,30,000/- without any contribution from employees.**

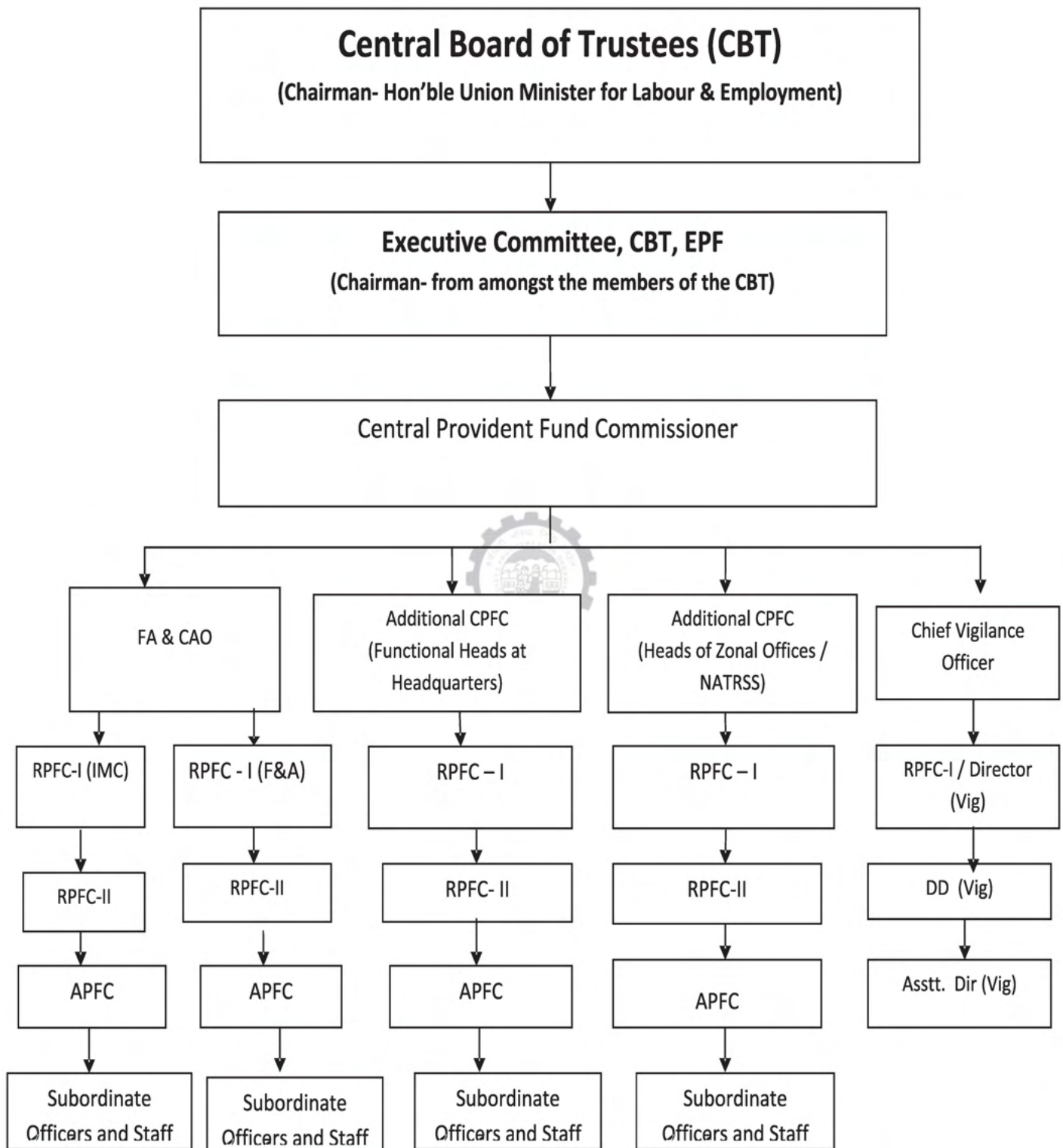
संगठन चार्ट

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन



EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

ORGANISATION CHART



अध्याय 1

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

1.1 औद्योगिक कामगारों को उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् भविष्य के लिए अथवा उनकी असामयिक मृत्यु होने की स्थिति में उनके आश्रितों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार प्रयासरत रही है। कुछ निजी कंपनियों के भविष्य निधि को विनियमित करने के लिए वर्ष 1925 में पारित किया गया प्रथम भविष्य निधि अधिनियम का कार्यक्षेत्र सीमित था। वर्ष 1929 में, श्रम मामलों पर रॉयल कमीशन द्वारा औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। 13 वर्षों के उपरांत, इस विषय पर श्रम मंत्रियों के तीसरे सम्मेलन में चर्चा की गई जहां इस मामले पर पुनर्विचार किया गया। तथा इस प्रस्ताव को सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया। यह सिफारिश की गई कि इस प्रकार की निधि को स्वैच्छिक आधार पर स्थापित किया जाए। बाद में केन्द्र सरकार से यह सिफारिश की गई कि वह इसके प्रबंध के लिए मॉडल नियम बनाए तथा नियोक्ता इन्हें अपनाकर भविष्य निधि स्थापित करें। ये मॉडल नियम औद्योगिक स्थापनाओं में नियोक्ताओं में 1945 में परिचालित किए गए। कुछ प्रगतिशील नियोक्ताओं ने आगे बढ़कर तीन लाख कामगारों के लाभ हेतु स्वैच्छिक भविष्य निधियां स्थापित कीं, जबकि सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया निराशाजनक रही।

1.2 वर्ष 1947 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन में इस मामले की समीक्षा की गई। यह दोहराया गया कि भारत में वित्तीय एवं प्रशासनिक परिस्थितियों को देखते हुए, पेंशन योजना अथवा ग्रेच्युटी भुगतान जैसा कि औद्योगिक रूप से उन्नत देशों में वृद्धावस्था पेंशन योजना अपनाई गई थी जो कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, भारत में प्रारंभ करना संभव नहीं था, के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि योजना अपनाई जा सकती है। ग्रेच्युटी योजना में प्रमुख कठिनाई यह महसूस की गई कि इसमें कामगार अथवा आश्रितों को दी जाने वाली बहुत कम राशि देखते हुए, सबसे उचित हल अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि को स्थापित करना माना गया, जिसमें कामगार तथा नियोक्ता दोनों अंशदान करेंगे। इस प्रकार की योजना के अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित लाभ होंगे :-

- i) इससे कामगारों में बचत की भावना उत्पन्न होगी।
- ii) इससे श्रम शक्ति के स्थिरीकरण में मदद मिलेगी।

1.3 एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की सिफारिश के अनुसार मामले पर वर्ष 1948 में संपन्न भारतीय श्रम सम्मेलन के 10 वें सत्र में विचार-विमर्श किया गया। सामान्य रूप में इस पर सहमति बनी कि औद्योगिक कामगारों के लिए एक सांविधिक भविष्य निधि योजना को आरंभ किया जाए।

Chapter 1

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND

ORGANISATION

HISTORICAL PERSPECTIVE

1.1 It has been endeavour of Central Government to provide Social Security to the industrial workers after their superannuation or to their dependents in the event of their pre-mature death. The first Provident Fund Act passed in 1925 to regulate the Provident Fund of some private concerns was limited in its scope. In 1929 the Royal Commission of Labour stressed the need for formulating Scheme to establish to Provident Fund for industrial workers. Thirteen years later in the Third Conference of labour ministers, the issue was considered again. The proposal to establish Provident Funds was generally accepted. It was recommended that such fund should be established on the basis of voluntary participation. It was further recommended that the Central Government may frame a model set of rules for management of Provident Fund which may in turn be adopted by the employers for establishing Provident Fund. The model rules were circulated to employers in 1945 for adoption in industrial concerns. Some progressive employers took the initiative to establish voluntary Provident Funds for the benefit of about 3 lac workers but the general response was not encouraging.

1.2 In 1947 the question was reviewed at the Asian Regional Conference of the International Labour Organisation. It was reiterated that in view of the financial and administrative conditions in India, a contributory provident fund scheme was preferable to a scheme of pension or gratuity payments as it would not be possible to introduce the same in India, as adopted in the other industrially advanced countries. The main difficulty felt in a gratuity scheme was that the amount paid to a worker or his dependents would be small as the worker would not himself be making any contribution to the fund. Taking into account the various difficulties, financial and administrative, the most appropriate course considered to be adopted was the institution of compulsory contributory provident fund, in which both workers and employers would contribute. Such a Scheme would have *inter-alia* the following benefits:-

- i) It would inculcate a spirit of thrift among workers
- ii) It would help in stabilisation of the labour force.

1.3 In accordance with the recommendation of the Asian Regional Conference, the matter was discussed at the 10th session of the Indian Labour Conference held in 1948. It was generally agreed that the introduction of a statutory provident fund scheme for industrial workers must be undertaken.

1.4 To test such a scheme in a restricted field, the Coal Mines Provident Fund Scheme was launched in 1948. The success of this Scheme led to the demand for its expansion to other industries was well. In 1949, when a non-official Bill for setting up of provident funds for other industrial workers was introduced in the Central Legislature, the then Union Labour Minister gave an undertaking that a comprehensive Bill on the subject would be placed before the House. The subject was exhaustively discussed at the meeting of the Standing Labour Committee held in November, 1950, where there was general agreement, particularly among the representatives of the State Governments, that a Legislation should be undertaken for instituting provident funds in industrial undertakings. This view was endorsed by the conference of Labour Ministers held in January, 1951.

1.4 सीमित क्षेत्र में इस प्रकार की योजना का परीक्षण करने के लिए वर्ष 1948 में कोयला खान भविष्य निधि योजना प्रारंभ की गई। इस योजना की सफलता से इसे अन्य उद्योगों में विस्तारित किए जाने की मांग की गई। वर्ष 1949 में जब अन्य औद्योगिक कामगारों के लिए भविष्य निधि स्थापित करने के लिए एक गैर आधिकारिक विधेयक केन्द्रीय विधानसभा में प्रस्तुत किया गया, तो तत्कालीन केन्द्रीय श्रम मंत्री ने एक शपथपत्र दिया कि इस विषय पर सदन में एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा। नवम्बर, 1950, में श्रम मामलों की स्थायी समिति में इस विषय पर गहन चर्चा हुई जहां विशेषतः राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के मध्य, सामान्य रूप से यह सहमति थी, कि औद्योगिक निकायों में भविष्य निधि की स्थापना हेतु एक विधान लाया जाए। इस विचार का जनवरी, 1951 में श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में भी समर्थन किया गया।

1.5 इसके कारण, फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं के लिए भविष्य निधियों का संस्थापन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 नवम्बर, 1951 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा क.भ.नि. अध्यादेश लाया गया जो कि तत्काल प्रभाव में आ गया। यह अध्यादेश जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू है।

1.6 कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 में यथा समाविष्ट उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

- फैक्ट्रियों तथा अन्य स्थापनाओं में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधियों की स्थापना का प्रावधान करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 (1952 का विधेयक संख्या 15) भारतीय संसद में पेश किया गया तथा उसके द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (इसके पश्चात् अधिनियम) का निर्माण किया गया। उक्त अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था। औद्योगिक कर्मचारी के सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् उसके अथवा उसकी अकाल मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके आश्रितों के भविष्य के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने का प्रश्न काफी समय से विचाराधीन था। आदर्श तरीका वृद्धावस्था पेंशन अथवा उत्तरजीवी पेंशन के माध्यम से व्यवस्था करना होता, जैसा कि औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में किया गया था। परंतु भारत में वर्तमान दशा में पेंशन योजना की स्थापना की कल्पना निकट भविष्य में नहीं की जा सकती। एक और विकल्प निर्धारित सेवावधि के पश्चात् ग्रेच्युटी का प्रावधान हो सकता है तथापि, ग्रेच्युटी योजना की मुख्य खामी कर्मचारी अथवा उसके आश्रितों को छोटी सी राशि मिलना है, क्योंकि कर्मचारी स्वयं तो निधि में कोई अंशदान नहीं कर रहा होगा। विभिन्न वित्तीय एवं प्रशासकीय कठिनाईयों पर विचार करते हुए सबसे अधिक उपयुक्त मार्ग अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधियों की स्थापना प्रतीत होता है, जिसमें कर्मचारी व नियोक्ता दोनों ही अंशदान करेंगे। अन्य फायदों के अतिरिक्त, कर्मचारियों के बीच नियमित रूप से कुछ बचाने की भावना विकसित करना सुस्पष्ट है। इस प्रकार की भविष्य निधि की स्थापना से औद्योगिक केन्द्रों में स्थिर श्रम शक्ति के सुदृढ़ होने को बढ़ावा मिलेगा।
- औद्योगिक उपक्रमों में अनिवार्य अंशदायी भविष्य निधि की स्थापना के लिए कानून निर्माण के विषय पर कई बार त्रिपक्षीय बैठकों में चर्चा हुई, जिनमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों के तथा नियोक्ताओं व कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बात पर व्यापक सहमति बनी कि ऐसा कानून होना चाहिए। आगे, इस विषय पर एक गैर सरकारी विधेयक 1948 में केन्द्रीय विधानमंडल में पेश किया गया, जिसे इस आश्वासन पर वापस ले लिया गया कि सरकार स्वयं

1.5 This led to the promulgation of the Employees' Provident Funds Ordinance, 1951 by the President of India on the 15th November, 1951 with a view to provide for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments. The ordinance Which came to force at once, was to extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

1.6 THE STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS AS CONTAINED ARE VERBATIM IN THE EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS BILL, 1952:

- *The Employees' Provident Funds Bill, 1952 (Bill No. 15 of 1952) was introduced in Parliament of India to provide for the institution of provident funds for employees in factories and other establishments and thereby the Employees' Provident Fund Act, 1952 (Act, hereinafter) was enacted. The extent of the said Act was whole of India except the State of Jammu and Kashmir. The question of making some provisions for the future of industrial worker after he retires or for his dependents, in case of his early death had been under consideration for some years. The ideal way would have been provision through old age and survivors pensions as had been done in the industrially advanced countries. But in the prevailing condition in India, the institution of a pension scheme cannot be visualised in the near future. Another alternative may be for provision of gratuities after a prescribed period of service. The main defect of the gratuity scheme, however, is that the amount paid to a worker or his dependents would be small, as the worker would not himself be making any contribution to the fund. Taking into account the various difficulties, financial and administrative, the most appropriate course appears to be the institution of compulsory contributory provident funds in which both worker and the employer would contribute. Apart from other advantages, there is the obvious one of cultivating among the workers a spirit of saving something regularly. The institution of a provident fund of this type would also encourage the stabilization of a steady labour force in industrial centres.*
- *The subject of legislation for institution of compulsorily contributory provident funds in industrial undertakings was discussed several times at tripartite meetings in which representatives of the Central and State Governments and of employers and workers took part. A large measure of agreement was reached that there should be such legislation. Further, a non-official Bill on this subject was introduced in the Central Legislature in 1948 and was withdrawn only on an assurance given that Government itself would soon consider the introduction of a comprehensive Bill. The view that the proposed legislation should be under taken was lastly endorsed by the Conference of Provincial Labour Minister held in January, 1951. It may be added that a statutory Contributory Provident Fund already exists for workers in coal mines, covering about 8,00,000 persons. This has been in operation for about five years and is working very satisfactorily.*
- *The Bill provides for institution, in the first instance, of contributory provident funds in the six major organised industries named in Schedule I of the Act, except undertakings owned by the Central or a State Government or by a local authority. There is also a provision empowering the Central Government to add, by notification, other industries to the Schedule or to apply the Act to industrial undertakings employing less than fifty persons.*
- *To avoid any hardship to new establishments, a provision has been made for exempting them for a period of three years and similar exemptions are given to other establishments which are less than three years old till they have been in operation for period of three years in all. The rate of contribution will be 6 ¼ per cent of the total emoluments of the worker, the worker and the employer each contributing these amounts. Further, the scheme would empower payment of a higher contribution by the workers at their option.*

एक व्यापक विधेयक पेश करने पर जल्दी ही विचार करेगी। इस मत का, कि प्रस्तावित कानून बनाया जाना चाहिए, समर्थन अंत में जनवरी, 1951 में संपन्न प्रांतीय श्रम मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा कर दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय होगा कि कोयला खदानों के कर्मचारियों के लिए, जिनमें 8,00,000 व्यक्ति सम्मिलित हैं एक सांविधिक अंशदायी भविष्य निधि पहले से ही अस्तित्व में है। यह लगभग पांच वर्षों से लागू है तथा संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है।

- विधेयक में पहले तो अधिनियम की अनुसूची में वर्णित छः प्रमुख संगठित उद्योगों में, जिनमें केन्द्र अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय अधिकरण के स्वामित्व वाले उपक्रम शामिल नहीं हैं, अंशदायी भविष्य निधियों की स्थापना का प्रावधान है। इस बात का भी प्रावधान है जिससे केन्द्र सरकार को अधिसूचना द्वारा इस अनुसूची में अन्य उद्योगों को शामिल करने का तथा पचास से कम कर्मचारियों वाले औद्योगिक उपक्रमों पर इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार प्राप्त है।
- नई स्थापनाओं को कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करने का उपबंध बनाया गया तथा यही छूट तीन वर्ष से कम पुरानी अन्य स्थापनाओं को भी प्रदान की गई जब तक कि उनके प्रचालन को तीन वर्ष न हो जाएं। अंशदान की दर श्रमिक की कुल परिलब्धियों का 6 1/4 प्रतिशत होगी। श्रमिक तथा नियोक्ता दोनों इस राशि का अंशदान करेंगे। आगे, योजना में श्रमिकों को, उनके मतानुसार अधिक अंशदान के भुगतान के लिए समर्थ किया गया।
- जहां निजी उद्योगों में भविष्य निधि वर्तमान था वहां प्रायः मूल वेतन का कुछ प्रतिशत अंशदान किया जाता था। सरकारी विभागों को देखते हुए निजी उद्योगों में वेतन इतने नहीं है तथापि समझदारी से देखा जाए तो एक ही उद्योग की अलग-अलग यूनिटों में भी मूल वेतन के स्तर में भारी अंतर है। यदि अंशदान की गिनती केवल मूल वेतन के आधार पर की जाती तो प्राप्त लाभ की मात्रा में भारी अंतर देखने को मिलता। यह श्रमिकों के साथ विश्वासघात होता तथा उनके नियोक्ताओं के लिए भी सजा होता जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप मूल वेतन दे रहे हैं। सरकार ने माना कि डी.ए. परिवर्तनीय कारक है जो रहन-सहन की लागत पर निर्भर करता है। इन बताए गए कारणों के बावजूद, सरकार संतुष्ट है कि भविष्य निधि में मूल वेतन जमा डी.ए. के आधार पर अंशदान किया जाए। इससे किसी भी रूप में यह नहीं माना जाना चाहिए कि वर्तमान दरों पर दिया जा रहा डी.ए. स्थायी उपाय के रूप में जाना जाए।
- निधि से संबंधित ज्यादातर विवरण योजना के अनुरूप निपटाए जाएंगे जिनका केन्द्र सरकार द्वारा एकरूपता की दृष्टि से निधिकरण किया जाएगा। इनका प्रशासन, विशाल मात्रा को देखते हुए राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने वाले उपक्रमों के संबंध में विकेन्द्रित किया जाएगा।
- जहां भविष्य निधि एक समान अथवा ज्यादा लाभदायी है, वहां कामगारों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ सुरक्षा उपाय के उपबंध किए गए हैं।
- यह विधेयक जब 15 नवम्बर, 1951 को उसी रीति से अध्यादेश के रूप में प्रवर्तित किया जाएगा तब इसे निरस्त करके पुनः बनाया जाएगा।

- ***Where provident funds exist in private industry, contributions are usually a percentage of the basic wage. Unlike Government Departments, wages in the private industry have not, however, been rationalised and there are very great variations in the level of basic wages in private industry even in different units in the same industry. If contributions are reckoned on the basis of basic wages only, there will, therefore, be wide changes in the degree of benefits received. This will be unfair to the workers and may also penalise those employers who have brought the level of basic wages in accord with current requirements. Government appreciates that DA is a variable factor depending on the cost of living. Nevertheless, for the reasons explained, Government is satisfied that contributions to the Provident Fund should be on the basis of basic wages plus DA. This should not be construed as in any way implying that DAs on the existing rates are to be recognised as a permanent measure.***
- ***Most of the details relating to the Fund will be settled in accordance with a Scheme which, in the interest of uniformity, will be funded by the Central Government. The administration will, to a large extent, be decentralised in regard to undertakings falling within the sphere of State Governments.***
- ***Where provident funds offering equal or more advantageous terms are operating efficiently, provision has been made for them to continue subject to certain safeguards in the interest of works.***
- ***This Bill, when enacted, will repeal and re-enact an Ordinance promulgated on the same lines on the 15th November, 1951.***

1.7 The Ordinance promulgated on the 15th November, 1951 was replaced by the EPF Act, on 4th March 1952. The Scheme framed under section 5 of the Act was brought into force by stages and was enforced in its entirety by the 1st November, 1952. The working of the Scheme brought out certain defects in the Act such as:-

- i) lack of provision for inspection of exempted factories,
- ii) recovery of dues from such factories,
- iii) payment of damages etc.

In order to rectify these defects an amendment Bill was introduced in the Council of States on 14th September, 1952. As some of the amendments necessitated urgent implementation and since the EPF (Amendment) Bill could not be passed during that session of Parliament, an amending Ordinance was promulgated, which was subsequently replaced by the EPF (Amendment) Act, 1953 which received the assent of the President on 12th December, 1953.

1.8 The Act has undergone a number of changes over the years in view of the changing industrial environment and requirements. The following Amendment Acts have been enacted over the years:-

1. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1953 (37 of 1953).
2. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1956 (94 of 1956).
3. The Repealing and Amending Act, 1957 (36 of 1957).
4. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1958 (22 of 1958).
5. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1960 (46 of 1960).
6. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1963 (28 of 1963).
7. The Employees' Provident Funds (Amendment) Act, 1965 (22 of 1965).
8. The Labour Provident Fund Laws (Amendment) Act, 1971 (16 of 1971).
9. The Employees' Provident Funds and Family Pension Fund (Amendment) Act, 1973 (Act 40 of 1973).
10. The Labour Provident Fund Laws (Amendment) Act, 1976 (Act 99 of 1976).
11. The Delegated Legislation Provisions (Amendment) Act, 1985 (Act 4 of 1986).

1.7 15 नवम्बर, 1951 को लागू हुए अध्यादेश के स्थान पर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 लागू हुआ। अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत निर्मित योजना कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के विभिन्न चरणों में लाई गई तथा इसे संपूर्ण रूप में 1 नवम्बर, 1952 को लागू किया गया। योजना के निर्माण से अधिनियम की कई कमियां सामने आईं जैसे कि :-

- i) छूट प्राप्त स्थापनाओं के निरीक्षण के प्रावधान का अभाव,
- ii) इस प्रकार की स्थापनाओं से देयों की वसूली,
- iii) नुकसानी का भुगतान आदि।

इनमें सुधार हेतु, 14 सितम्बर, 1952 को राज्यों की परिषद में संशोधी बिल प्रस्तुत किया गया। चूंकि कुछ संशोधनों को तुरंत क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता थी और क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) बिल संसद के उस सत्र के दौरान पारित नहीं किया जा सका, एक संशोधी अध्यादेश लागू किया गया जिसके स्थान पर बाद में कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 लाया गया जिसे 12 दिसम्बर, 1953 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई।

1.8 औद्योगिक वातावरण तथा आवश्यकताओं में हुए परिवर्तनों को देखते हुए, इस अधिनियम में कई परिवर्तन किए गए। विभिन्न वर्षों के दौरान निम्नलिखित संशोधन अधिनियम बनाए गए हैं :-

1. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1953 (1953 का 37 वां)
2. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1956 (1956 का 94 वां)
3. निरस्तीकरण एवं संशोधी अधिनियम, 1957 (1957 का 36 वां)
4. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1958 (1958 का 22 वां)
5. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1960 (1960 का 46 वां)
6. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1963 (1963 का 28 वां)
7. कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) अधिनियम, 1965 (1965 का 22 वां)
8. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 16 वां)
9. कर्मचारी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि (संशोधन) अधिनियम, 1973 (1973 का 40 वां अधिनियम)
10. श्रम भविष्य निधि कानून (संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का 99 वां)
11. प्रदत्त विधायी उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1985 (1986 का चौथा अधिनियम)
12. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 33 वां अधिनियम)
13. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 (1996 का 25 वां)
14. कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1998 (1998 का 10 वां)
15. निरस्तीकरण एवं संशोधन अधिनियम, 2001 (2001 का 30 वां)

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत निर्मित योजनाएं

1.9 अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित तीन योजनाओं का निर्माण किया गया है :-

- (i) कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 (क.भ.नि.) – (1 नवम्बर, 1952 से)

12. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1988 (Act 33 of 1988).
13. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1996 (25 of 1996).
14. The Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions (Amendment) Act, 1998 (10 of 1998).
15. The Repealing and Amendment Act, 2001 (30 of 2001).

SCHEMES FRAMED UNDER THE EPF & MP ACT 1952

1.9 Following three Schemes have been framed under the Act:-

- (i) The Employees' Provident Funds Scheme 1952 (EPF) – (w.e.f 1st November, 1952)
- (ii) The Employees' Pension Scheme 1995 (EPS) (w.e.f 16th November, 1995) {*replacing the Employees' Family Pension Scheme 1971*}
- (iii) The Employees' Deposit Linked Insurance Scheme 1976 (EDLI) – (w.e.f. 1st August, 1976)

1.10 The Employees' Provident Fund Organisation, an autonomous body under the MoL&E, Government of India, administers the Act and the Schemes framed thereunder.

1.11 The benefits admissible under each of the three schemes are indicated in the table below:

Provident Fund Scheme	Pension Scheme	Insurance Scheme
• <i>Accumulation plus interest upon retirement, resignation, death.</i> • <i>Partial withdrawals allowed for specific expenses such as house construction, higher education, marriage, illness etc</i>	• <i>Monthly pension for members on superannuation/retirement, disability.</i> • <i>Monthly pension for dependants of deceased member viz. widow(er), children, parent/nominee.</i> • <i>Past service benefit to participants of erstwhile Family Pension Scheme, 1971.</i>	• <i>The benefit provided in case of death of an employee who was member of the scheme at the time of the death.</i> • <i>The family will get an amount linked to either the average balance in PF account during preceding 12 months or 20 times of the average wages of ₹ 6500/- of the last 12 months of the member subject to a maximum of ₹ 1,30,000/-, whichever is higher</i>

(ii) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (क.पें.यो.) (16 नवम्बर, 1995 से) {परिवार पेंशन योजना, 1971 के स्थान पर}

(iii) कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 (क.नि.स.बी.यो.) – (1 अगस्त, 1976 से)

1.10 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, जो कि अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं का प्रशासन करता है।

1.11 तीनों योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों को नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है :

भविष्य निधि योजना	पेंशन योजना	बीमा योजना
- सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु पर संचय के साथ ब्याज । - विनिर्दिष्ट खर्चों, जैसे गृह निर्माण, उच्च शिक्षा, विवाह, बीमारी पर आंशिक निकासी की अनुमति ।	- अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति, विकलांगता, पर मासिक पेंशन । - मृतक सदस्य पर आश्रित यथा विधवा/विधुर, बच्चों, माता-पिता/नामिति को मासिक पेंशन । - पूर्व की परिवार पेंशन योजना, 1971 के भागीदारों को पूर्व सेवा लाभ ।	- किसी ऐसे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, को प्रदान किए गए - लाभों में परिवार को पूर्ववर्ती 12 महीनों के दौरान भविष्य निधि खाते के औसत शेष से संबद्ध राशि अथवा सदस्य के अंतिम 12 महीने के ₹ 6500/- रु. के औसत वेतन का 20 गुणा अथवा अधिकतम ₹ 1,30,000/-, जो भी अधिक हो दिया जाता है।

1.12 क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अंतर्गत लाभों के वित्त पोषण तथा प्रशासन के लिए अंशदान की दर (वेतन का %) नीचे दी गई है :-

	अंशदायी लेखे			प्रशासन लेखे		कुल
	क.भ.नि.	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
केन्द्रीय सरकार	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

1.13 अतः नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों ही अंशदान खाते में वेतन के 12% की दर से अंशदान करते हैं। पुनः नियोक्ता अधिनियम के अंतर्गत योजना के प्रशासन के लिए भी अंशदान करते हैं ।

1.12 The contribution rates (% of wages) for financing and administering the benefits under the EPF & MP Act, 1952 are given below:-

	CONTRIBUTION ACCOUNTS			ADMINISTRATION ACCOUNTS		TOTAL
	EPF	EPS	EDLI	EPF	EDLI	
EMPLOYER	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
EMPLOYEE	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
CENTRAL GOVERNMENT	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
TOTAL	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

1.13 The employers and employees both contribute @ 12% of wages to the contributory accounts. Further, the employers also contribute towards administration of the Schemes under the Act.

The rate of contribution for certain category of establishments is 10%. These are:-

- Any establishment in which less than 20 employees' are employed.
- Any sick industrial company and which has been declared as such by the Board for Industrial and Financial Reconstruction.
- Any establishment which, at the end of any financial year, has accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth and
- Any establishment in following industries:-
(a) Jute (b) Beedi (c) Brick (d) Coir and (e) Guar gum.

CENTRAL BOARD OF TRUSTEES (CBT)

CONSTITUTION

1.14 The Central Board of Trustees, EPF is a statutory body constituted by the Central Government under the provisions of Section 5A of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act 1952 (Act 19 of 1952). It is a tripartite body administering the three Schemes framed under the Act. At present, Hon'ble Minister of Labour & Employment, Government of India is the Chairman of the Board. The tenure of the Board is five years. The constitution of the Board as per section 5A of the Act is as under-

- Chairman
- Vice Chairman
- Central Provident Fund Commissioner - Member Secretary (ex-officio)
- Central Government representatives - 05
- State Governments representatives - 15
- Employers' representatives - 10
- Employees' representatives - 10

1.15 The present Board was constituted by the Central Government, Ministry of Labour & Employment, New Delhi vide Gazette Notification No. V- 20012/1/2013-SS-II Dated 23.05.2013 (Part -II-Section 3- Sub-section (ii) - Extraordinary) under issue no. 1176.

1.16 During the year some amendments were made at Sl. No. 6 & 42 in the Central Board of Trustees (EPF) vide Gazette Notification No. V.20012/1/2008-SS.II Dated 23.07.2013 and 26.09.2013 (Part -II-Section 3- Sub-section (ii) - Extraordinary) under issues no. 1720 & 2247 respectively.

कुछ श्रेणी की स्थापनाओं के लिए अंशदान की दर 10% है। ये हैं :-

- कोई भी ऐसी स्थापना, जिसमें 20 से कम कर्मचारी कार्यरत हों।
- कोई बीमार औद्योगिक कंपनी जिसे औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिमाण बोर्ड द्वारा बीमार घोषित किया गया हो ।
- कोई स्थापना जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो।
- निम्नलिखित उद्योगों में कोई स्थापना :-
(क) जूट (ख) बीड़ी (ग) ईट (घ) कोयर तथा (ड.) गौर-गम

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.)

गठन

1.14 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि., कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (वर्ष 1952 का अधिनियम 19) की धारा 5ए के उपबंधों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है । यह अधिनियम के तहत रचित तीन योजनाओं को प्रशासित करने वाला त्रिपक्षीय निकाय है । वर्तमान में, माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, भारत सरकार बोर्ड के अध्यक्ष हैं । बोर्ड का कार्यकाल 5 वर्ष हैं । अधिनियम की धारा 5ए के अनुसार बोर्ड का गठन निम्नानुसार है ।

• अध्यक्ष	
• उपाध्यक्ष	
• केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त	- सदस्य सचिव (पदेन)
• केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	- 5
• राज्य सरकार के प्रतिनिधि	- 15
• नियोक्ता के प्रतिनिधि	- 10
• कर्मचारियों के प्रतिनिधि	- 10

1.15 वर्तमान बोर्ड का गठन केन्द्र सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गजट अधिसूचना वी.-संख्या 20012/1/2013-एस.एस-II दिनांक 23.05.2013 (भाग-II-धारा 3-उप धारा (ii) – असाधारण) क्रमांक 1176 के अंतर्गत किया गया है ।

1.16 वर्ष के दौरान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. में क्रम सं. 6 तथा 42 में गजट अधिसूचना संख्या V.20012/1/2008-एस.एस.II दिनांक 23.07.2013 तथा 26.09.2013 (भाग-II-धारा 3-उप धारा (ii) – असाधारण) द्वारा अधिसूचना क्रमशः सं. 1720 तथा 2247 में संशोधन द्वारा परिवर्तन किया गया है ।

1.17 31.3.2014 तक बोर्ड के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट ए-2** पर दी गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान बोर्ड की 03 (तीन) बैठकें हुईं ।

1.18 केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के मुख्य कार्य हैं :

- बोर्ड के साथ सृजित एवं निहित निधियों का प्रशासन तथा उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक कार्यों का निष्पादन करना ।

1.17 The list of members of the Board as on 31.3.2014 is given in **Appendix A-2**. During the year 2013-14, three (3) meetings of the Board were held.

1.18 The Main functions of the Central Board of Trustees are:

- Administration of the funds created and vested with the Board and other works incidental thereto.
- Delegation of Administrative & Financial powers as it may deem necessary for efficient administration of the Schemes.
- Appointment of officers and staff.
- Maintenance of accounts of Income & Expenditure in a prescribed form and manner.
- Submission of Audited Accounts (with comments of CAG) and Annual Report on performance of the Organisation to the Government.

EXECUTIVE COMMITTEE,CBT

1.19 The Executive Committee is a statutory Committee, which is constituted from amongst the members of the Central Board of Trustees by the Central Government under Section 5AA of the Act. Its purpose is to assist the Central Board of Trustees, EPF in the discharge of its functions relating to administrative matters. The term of the Executive Committee is of two year & six months. At present, Secretary to the Govt. of India Ministry of Labour & Employment is the Chairman of Executive Committee. As per Section 5AA, the constitution of the Executive Committee CBT is as under:-

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| • Chairman | |
| • Central Provident Fund Commissioner | - Member Secretary (ex-officio) |
| • Central Government representatives | - 2 |
| • State Governments representatives | - 3 |
| • Employees' representatives | - 3 |
| • Employers' representatives | - 3 |

1.20 The present Executive Committee CBT (EPF) was constituted under Section 5AA of the EPF & MP Act, 1952 by the Central Government vide Gazette Notification No. V-22012/1/2006-SS.II Dated 13.05.2011(Part – II- Section 3 – Sub- section (ii) Extraordinary) under Issue No. 848. The list of members of Executive Committee CBT (EPF) is given in the **Appendix A-3**. During the year 2013-14, two (2) meetings of the Executive Committee, CBT (EPF) were held

1.21 The Main functions of the Executive Committee are:

- Opening of Sub-Regional Offices/Sub-Accounts Offices.
- Approval of the purchase of land and estimates for constructing Office buildings and Staff quarters.
- Creation of Group 'A' posts.
- Creation of new regions/up-gradation of existing regions.
- Hiring of office buildings on monthly rent exceeding Rs.50,000/-.

- योजनाओं के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ।
- अधिकारियों एवं स्टाफ की नियुक्ति ।
- निर्धारित फार्म एवं पद्धति में आय एवं व्यय के लेखों का रखरखाव ।
- संगठन के कार्यपालन पर सरकार को (सी.ए.जी. की टिप्पणियों सहित) लेखा परीक्षित लेखा और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.)

1.19 कार्यकारी समिति, अधिनियम की धारा 5ए के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों में से गठित एक सांविधिक समिति है । इसका उद्देश्य प्रशासनिक मामलों से संबंधित कार्यों के निर्वाहण में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. की सहायता करना है । समिति का कार्यकाल 2 वर्ष तथा 6 महीने है । वर्तमान में, सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, कार्यकारी समिति, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, (क.भ.नि.) के अध्यक्ष हैं । 5ए धारा के अंतर्गत समिति का गठन निम्नप्रकार है :

- | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|
| • अध्यक्ष | | |
| • केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त | - | सदस्य सचिव (पदेन) |
| • केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि | - | 2 |
| • राज्य सरकार के प्रतिनिधि | - | 3 |
| • नियोक्ता के प्रतिनिधि | - | 3 |
| • कर्मचारियों के प्रतिनिधि | - | 3 |



1.20 वर्तमान कार्यकारी समिति का गठन गजट अधिसूचना संख्या V-22012/1/2006-एस.एस.II दिनांक 13.05.2011 (भाग – II- धारा 3 – उप धारा (ii) असाधारण) द्वारा क्रमांक 848 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 की धारा 5ए के अंतर्गत किया गया है। कार्यकारी समिति के.न्या.बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्यों की सूची **परिशिष्ट-ए-3** पर दी गई है। वर्ष 2013-14 के दौरान, कार्यकारी समिति के.न्या.बोर्ड (क.भ.नि.) की दो (02) बैठकें हुईं।

1.21 कार्यकारी समिति के मुख्य कार्य हैं :

- उप क्षेत्रीय कार्यालय / उप-लेखा कार्यालय खोलना ।
- कार्यालय भवन तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए भूमि की खरीद, प्राक्कलनों का अनुमोदन करना ।
- ग्रुप 'ए' पदों का सृजन ।
- नए क्षेत्रों का सृजन / वर्तमान क्षेत्रों को अद्यतन करना ।
- 50,000/- रु. से अधिक मासिक किराए पर कार्यालय भवनों को किराए पर लेना ।

- Consideration of the investment policy and making appropriate recommendations to the CBT on liberalization of investment pattern.
- Specifying work norms for Staff and Officers of the Organisation.
- Framing/amending the rules relating to method of recruitment, pay and allowances and other conditions of service of the Officers and Staff of the EPFO.

Regional Committees for the States/Union Territory.

1.22 Regional Committees for the States /Union Territories are constituted under the provisions of Para 4 of Employees' Provident Fund Scheme - 1952. The Chairman, Central Board of Trustees, EPF is the competent authority to constitute/reconstitute the Regional Committees for the states. The Regional Committees are constituted for advising the Central Board in efficient delivery of services to members. In accordance with Para 5 of the EPF Scheme 1952, a member of the Regional Committee shall continue to hold office on the expiry of the term of office until the appointment of the successor is notified in the official Gazette.

1.23 During the year 2013-14, the status of various Regional Committees is shown in **Appendix A-6.**



- निवेश नीति पर विचार करना तथा बोर्ड को निवेश पैटर्न के उदारीकरण पर समुचित सिफारिशें प्रस्तुत करना ।
- संगठन के स्टाफ और अधिकारियों के लिए कार्य मानदंडों को विनिर्दिष्ट करना ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ एवं अधिकारियों की भर्ती की पद्धति, वेतन एवं भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित नियमों की रचना / संशोधन करना ।

राज्य तथा संघ राज्यों के लिए क्षेत्रीय समितियां, क.भ.नि.

1.22 कर्मचारी भविष्य निधि योजना – 1952 के पैरा 4 के उपबंधों के अंतर्गत राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाता है। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) राज्यों की क्षेत्रीय समिति का गठन/पुनर्गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। सदस्यों को प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए केन्द्रीय बोर्ड को परामर्श देने के उद्देश्य से क्षेत्रीय समितियों का गठन किया जाता है । कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 5 के अनुसार क्षेत्रीय समिति के सदस्य कार्यकाल समाप्त होने पर तब तक पद पर बने रहते हैं, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित न कर दिया जाए।

1.23 वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय समितियों की क्षेत्र-वार स्थिति परिशिष्ट ए -6 पर दी गई है ।





अध्याय 2

कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 और उसके अंतर्गत रचित योजनाएं

अधिनियम को लागू करना

अनिवार्य कवरेज

2.1 अधिनियम, जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू होता है। वर्तमान में अधिनियम निम्न स्थानपाओं पर लागू है :

- (क) प्रत्येक ऐसी स्थापना जो अधिनियम की अनुसूची -I में विनिर्दिष्ट उद्योगों में से एक फैक्ट्री हो, जिसमें बीस अथवा अधिक व्यक्ति कार्यरत हों।
- (ख) एवं ऐसी कोई स्थापना अथवा स्थापना वर्ग जिसमें बीस अथवा उससे अधिक व्यक्ति कार्यरत हों तथा जिसे केन्द्र सरकार ने सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया हो।

सिने - कामगारों के मामले में अधिनियम के अंतर्गत कवर करने के उद्देश्य से कर्मचारियों की संख्या पांच होनी चाहिए ।

कवरेज से छूट

2.2 यह अधिनियम निम्नलिखित पर लागू नहीं होता :

- (क) ऐसी किसी स्थापना पर जो सहकारी संस्था अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अंतर्गत अथवा ऐसे किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत हो, जो किसी ऐसे राज्य में लागू हो जिससे सहकारी संस्था संबंधित हो और उसमें 50 से कम व्यक्ति कार्यरत हों तथा बिजली की सहायता के बिना कार्य करते हों;
- (ख) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो केन्द्र अथवा राज्य सरकार से संबंधित हो अथवा उनके नियंत्रणाधीन हो तथा जिसके कर्मचारी केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम अथवा किसी योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों; अथवा
- (ग) ऐसी किसी अन्य स्थापना पर जो केन्द्रीय, प्रांतीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित हो तथा जिसके कर्मचारी उक्त अधिनियम के अंतर्गत गठित नियम अथवा अन्य योजना के अनुसार अंशदायी भविष्य निधि अथवा वृद्धावस्था पेंशन के लाभ के पात्र हों ।

Chapter 2

EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS & MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1952 AND SCHEMES FRAMED THEREUNDER

APPLICATION OF THE ACT

COMPULSORY COVERAGE

2.1 The Act extends to whole of India, except the State of Jammu and Kashmir. The Act is at present applicable:

- (a) to every establishment, which is a factory engaged in any industry specified in Schedule -I to the Act in which twenty or more persons are employed; and
- (b) to any other establishment employing twenty or more persons or class of such establishment, the Central Government notifies in the Official Gazette.

In case of Cine-Workers, the required employees strength for the purpose of coverage under the Act is five.

EXCLUSION FROM COVERAGE

2.2 The Act does not apply to :

- (a) any establishment registered under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912), or under any other law for the time being in force in any State relating to Co-operative Societies employing less than 50 persons and working without the aid of power;
- (b) any other establishment belonging to or under the control of the Central Government or a State Government and whose employees are entitled to the benefit of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed by the Central Government or the State Government governing such benefits; or
- (c) any other establishment set up under any Central, Provincial or State Act and whose employees are entitled to the benefits of contributory provident fund or old age pension in accordance with any scheme or rule framed under that Act governing such benefits.

VOLUNTARY COVERAGE

2.3 An establishment which is not otherwise coverable under the Act can be covered voluntarily where the employer and the majority of its employees have agreed that the provisions of the Act should be made applicable to their establishment under section 1(4) of the Act from the date of agreement or from any subsequent date specified in such agreement. As on 31st March 2014, the number of such voluntarily covered establishments was **25,843** it being **3.24%** of total establishments. During the year 2013-14, additional **160** establishments were notified for voluntary coverage under the Act as against **39** establishments notified during the year 2012-13.

SCHEDULE OF INDUSTRIES / CLASSES OF ESTABLISHMENTS

2.4 Presently, there exists notification for **187** Industries / Classes of establishments to which the Act is applicable. These include factories/ establishments engaged in Trading and Commercial activities and Service Sector of the economy.

स्वैच्छिक कवरेज

2.3 ऐसी स्थापनाओं को, जो अधिनियम के कार्यक्षेत्र के अधीन नहीं आती हैं उन्हें स्वेच्छा के आधार पर कवर किया जा सकता है, जबकि नियोक्ता तथा अधिकांश कर्मचारी इस बात से सहमत हों कि उनकी स्थापना पर समझौते की तिथि अथवा ऐसे समझौते में उल्लिखित बाद की अन्य किसी तिथि से अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत उपबंधों को लागू कर दिया जाए। 31 मार्च, 2014 को ऐसी स्वैच्छिक रूप से कवर्ड स्थापनाओं की संख्या **25,843** – थी, जो कुल स्थापनाओं का **24%** था। वर्ष 2013-14 के दौरान **160** अतिरिक्त स्थापनाओं को अधिनियम के अंतर्गत स्वैच्छिक कवरेज के लिए अधिसूचित किया गया, जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान **39** स्थापनाओं को अधिसूचित किया गया था।

उद्योगों / स्थापना वर्गों की अनुसूची

2.4 वर्तमान में अधिसूचना के अनुसार **187** उद्योगों / स्थापनाओं पर अधिनियम, लागू है। इनमें अर्थव्यवस्था की व्यापारिक, वाणिज्य तथा सेवा क्षेत्रों की फैक्ट्रियां/स्थापनाएं शामिल हैं।

2.5 31.03.2014 तक जिन उद्योगों पर अधिनियम लागू है, उनकी सूची स्थापनाओं तथा प्रत्येक वर्ग में सदस्यों की संख्या सहित **परिशिष्ट ए-9 (i)** में दी गई है तथा स्थापनाओं और सदस्यों की अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण **परिशिष्ट ए-9 (ii)** पर दर्शाई गई है।

2.6 महाराष्ट्र राज्य तथा इसके बाद तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे अधिक सदस्य संख्या है। यह भी देखा जा सकता है कि **64.84 %** सदस्य 5 क्षेत्रों नामतः महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली तथा आंध्र प्रदेश में संकेन्द्रित हैं। सदस्यों के संकेन्द्रण से संबंधित क्षेत्रों की सूची **परिशिष्ट ए-9(iii)** पर दी गई है।

2.7 जिन **187** अनुसूचित उद्योगों/स्थापना वर्गों पर अधिनियम लागू होता है, उनमें से आठ अनुसूचित उद्योगों में सदस्यों के संकेन्द्रण का प्रतिशत अधिकतम है, जो कि 31.03.2014 तक **परिशिष्ट ए-9(iv)** में दर्शाई गई कुल सदस्यता का **62.61%** है तथा कुल स्थापनाओं का **54.28%** है। 31.03.2014 तक 18 उद्योग / स्थापना वर्गों में 10 लाख अथवा अधिक सदस्य थे।

क.भ.नि.योजना, 1952 की सदस्यता के लिए पात्रता

2.8 योजना के प्रारंभ में, कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत निधि की सदस्यता के लिए वह कर्मचारी पात्र था, जिसका वेतन 300/- रुपये प्रतिमाह तक था तथा जिसने एक वर्ष तक की सेवा पूरी कर ली थी।

2.5 The Schedule of industries to which the Act applies as on 31.03.2014 along with establishments and member accounts in each category is given in **Appendix A-9 (i)** & zone-wise (Region-wise) position and concentration of Establishments and Members is at **Appendix A-9 (ii)**.

2.6 Maharashtra State followed by Tamilnadu has the largest number of members. It may also be noted that **64.84 %** of the members are concentrated in five states namely Maharashtra, Tamilnadu, Karnataka, Delhi and Andhra Pradesh. The list of the states in terms of concentration of members is at **Appendix A-9 (iii)**.

2.7 Out of the **187** Schedule of Industries/Classes of establishments, to which the Act applies, maximum percentage of members are concentrated in eight categories indicated in **Appendix A-9 (iv)** which account for **54.28 %** of the total establishments with **62.61 %** of the total membership as on 31.03.2014. As on 31.03.2014, there were eighteen categories of industries/classes of establishments which have 10 lac or more members.

ELIGIBILITY FOR MEMBERSHIP OF EMPLOYEES' PROVIDENT FUNDS SCHEME, 1952

2.8 At the time of inception of the Scheme, an employee who was in receipt of pay upto 300/- p.m. and who worked for one year was eligible for membership of the Fund. Chronological order of the change of wage ceiling and qualifying period for enrolment as member under the Scheme is given below:

CHRONOLOGICAL ORDER OF THE CHANGE OF WAGE CEILING {PARA 2(f) OF EPF SCHEME 1952}	
Period	Wage limit per month
01.11.1952 to 31.05.1957	₹ 300/-
01.06.1957 to 30.12.1962	₹ 500/-
31.12.1962 to 10.12.1976	₹ 1,000/-
11.12.1976 to 31.08.1985	₹ 1,600/-
01.09.1985 to 31.10.1990	₹ 2,500/-
01.11.1990 to 30.09.1994	₹ 3,500/-
01.10.1994 to 31.05.2001	₹ 5,000/-
01-06-2001 onwards	₹ 6,500/-

QUALIFYING PERIOD OF SERVICE FOR ENROLMENT AN EMPLOYEE (Para 26 of the E.P.F.SCHEME, 1952)	
From the inception of the EPF Scheme, in 1952 till 2nd Dec. 1971	Completion of one year's continuous service or has actually not less than 240 working days within a period of one year or less, whichever is earlier.
From 03.12.1971 to 09.08.1974	Completion of one year's continuous service or has actually not less than 240 working days within a period of one year or less or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 10.08.1974 to 30.01.1981	Completion of six months continuous service or has actually worked for not less than 120 days within a period of six months or less or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 31.01.1981 to 31.10.1990	Completion of three months continuous service or has actually worked for not less than 60 days within a period of three months or has been declared permanent in any such factory or other establishment, whichever is the earliest.
From 01.11.1990 onwards	From the date of joining the factory/ establishment

योजना के अंतर्गत वेतन सीमा तथा अर्हक सेवा अवधि के संबंध में सदस्यता हेतु कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में किये गये कालानुक्रमिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं :

{कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 2(एफ) के अंतर्गत वेतनसीमा में कालानुक्रमिक परिवर्तन}	
अवधि	प्रतिमाह वेतन सीमा
01.11.1952 से 31.05.1957	₹ 300/-
01.06.1957 से 30.12.1962	₹ 500/-
31.12.1962 से 10.12.1976	₹ 1,000/-
11.12.1976 से 31.08.1985	₹ 1,600/-
01.09.1985 से 31.10.1990	₹ 2,500/-
01.11.1990 से 30.09.1994	₹ 3,500/-
01.10.1994 से 31.05.2001	₹ 5,000/-
01-06-2001 से आगे	₹ 6,500/-

नामांकन के लिए अर्हक सेवा अवधि (क.भ.नि. योजना 1952 का पैरा 26)	
1952 में क.भ.नि. योजना के प्रारंभ से 2 दिसंबर, 1971 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम अवधि में न्यूनतम 240 दिन का वास्तव में कार्य किया हो, जो भी पहले हो।
03.12.1971 से 09.08.1974 तक	एक वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या एक वर्ष या उससे कम समय में कम से कम 240 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
10.08.1974 से 30.01.1981 तक	6 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 6 माह या कम समय में न्यूनतम 120 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
31.01.1981 से 31.10.1990 तक	3 माह की लगातार सेवा पूर्ण करने पर या 3 माह में न्यूनतम 60 दिन वास्तविक कार्य किया हो या किसी ऐसी फैक्ट्री या अन्य स्थापना में स्थायी घोषित किया गया हो, जो भी पहले हो।
01.11.1990 से व इसके बाद	फैक्ट्री/स्थापना में कार्यभार संभालने की तिथि से।

EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

2.9 Employees' Pension Scheme, (EPS), 1995 came into effect on 16th November, 1995. On introduction of the Employees' Pension Scheme, 1995, the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 (EFPS) ceased to operate and all the assets and liabilities of the old scheme were transferred and merged with the Employees' Pension Fund. The EPS, 1995 has been designed on the principles of a "Defined Contribution - Defined Benefit Social Insurance Scheme" and formulated following "actuarial principles" for ensuring long term financial viability. The Scheme aims at providing economic sustenance during old age and survivorship coverage to the member and his family. The Employees' Pension Scheme, 1995 derives its financial funding by partial diversion from the monthly Employer's share of Provident Fund contributions as well as a contribution from the Central Government. While 8.33 % of the monthly wages from and out of the Employer's share of Provident Fund Contributions is diverted to EPS, the Central Government contribution is @ 1.16% of the monthly wages to the EPS. The benefits and entitlements of the beneficiaries under the old scheme (EFPS) are protected and continued under the new EPS, 1995.

2.10 The EPS, 1995 at its inception applied compulsorily to all the existing members of the Employees Provident Fund who were contributing to the Employees' Family Pension Scheme, 1971. The new entrants as members of Provident Fund from 16.11.95 onwards also acquired membership of the Scheme on compulsory basis. The existing members of the Employees Provident Fund as on 15.11.1995 who did not opt for joining the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 had the option to join the EPS, 1995 as per its provisions.

2.11 The EPS, 1995 though effective from 16.11.95 has a provision for optional retrospective application from 1.4.93 for outgoing members of the ceased Employees' Family Pension Scheme, 1971 and its beneficiaries during the period between 1.4.93 to 15.11.95. Members of the old scheme who died between 1.4.93 and 16.11.95 are deemed to have joined the new scheme and their beneficiaries are entitled for pensionary benefits under EPS, 1995.

SCHEME BENEFITS

2.12 The EPS, 1995 provides a comprehensive set of pension benefits which covers a broad spectrum of contingencies so as to ensure social security protection in the old age of the members and their families. The different categories of pension that are available under EPS is as under:

- (i) Member Pension upon superannuation/retirement
- (ii) Disability Pension/ Member Pension on permanent and total disablement during the service.
- (iii) Widow/Widower Pension on death of member or Pensioner
- (iv) Children Pension for 2 children at a time till the age of 25 years on death of the member
- (v) Orphan Pension paid to maximum 2 orphans at a time till the age of 25 years on death of member when there is no spouse or on death of spouse.
- (vi) Disabled Children/Orphan Pension paid for entire life of the disabled child/Orphan.
- (vii) Nominee Pension paid on death of member and paid for life to a duly nominated person by the member in case there is no valid family in respect of member.
- (viii) Pension to dependent father/mother paid upon death of member provided eligible service has been rendered by member and there is no family or nominee of the member.
- (ix) Withdrawal benefit paid on exit from service or on superannuation provided member has not rendered service eligible for Pension.

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995

2.9 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (क.पें.यो.) दिनांक 16 नवंबर, 1995 से लागू की गई। कर्मचारी पेंशन योजना के लागू होने पर पुरानी कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 समाप्त हो गई तथा पुरानी योजना की सभी परिसंपत्तियां तथा देयताएं कर्मचारी पेंशन निधि में अंतरित व शामिल कर दी गई। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को दीर्घावधि वित्तीय व्यावहारिकता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित बीमांकक सिद्धांतों के आधार पर "सुनिश्चित लाभ सुनिश्चित बीमा योजना" के रूप में डिज़ाइन किया गया है। योजना का उद्देश्य सदस्य तथा उसके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान आर्थिक सहायता तथा उत्तरजीवी लाभ देना है। कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में नियोक्ता के भाग के भविष्य निधि अंशदान से अंशतः राशि परिवर्तित करके इसका वित्तीय पोषण किया जाता है। भविष्य निधि अंशदान के नियोक्ता के भाग का 8.33 % कर्मचारी पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाता है जबकि केन्द्र सरकार प्रतिमाह तक परिवार पेंशन की तरह 1.16% की दर से अंशदान दे रही है। सदस्यों को पुरानी योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ तथा पात्रता नई पेंशन योजना के अंतर्गत भी जारी रहेंगे।

2.10 प्रारंभ में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 उन सभी वर्तमान भविष्य निधि सदस्यों पर अनिवार्य रूप से लागू हुई, जो पूर्व की कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 में अंशदान कर रहे थे। 16.11.1995 और उसके पश्चात् भविष्य निधि की नई सदस्यता लेने वालों ने भी अनिवार्य रूप से इस योजना में सदस्यता ग्रहण की। भविष्य निधि के 15.11.1995 तक के वर्तमान सदस्य जिन्होंने पूर्व परिवार पेंशन योजना, 1971 में शामिल होने का विकल्प नहीं दिया था, उन्हें इसके उपबंधों के अनुसार नई कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में शामिल होने का विकल्प है।

2.11 यद्यपि दिनांक 16.11.1995 से लागू पेंशन योजना में प्रावधान है कि बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना से बाहर जा चुके सदस्यों व उसके लाभार्थियों के दिनांक 01.04.1993 से 15.11.1995 के बीच की अवधि के दौरान चुनिंदा मामलों में दिनांक 01.04.1993 से पूर्व व्याप्ति आवेदन स्वीकृत होंगे। पुरानी योजना के सदस्यों, जिनकी मृत्यु दिनांक 01.04.1993 से 16.11.1995 के बीच हुई है, को नई योजना में शामिल माना जाए तथा उनके लाभार्थी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन लाभ के हकदार होंगे।

योजना के लाभ

2.12 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 व्यापक पेंशन लाभों को प्रदान करती हैं जिसमें बहुत-सी आकस्मिकताओं को कवर किया गया है जिससे कि सदस्यों तथा उनके परिवार को वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित किया जा सके। कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत उपलब्ध पेंशन की विभिन्न श्रेणियां इस प्रकार हैं

क) अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति पर सदस्य पेंशन

ख) सेवा के दौरान स्थायी एवं पूर्ण अशक्तता होने पर अशक्तता पेंशन/सदस्य पेंशन

ग) सदस्य अथवा पेंशनभोक्ता की मृत्यु होने पर विधवा / विधुर पेंशन

घ) सदस्य की मृत्यु होने पर दो बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक संतान पेंशन

ड) सदस्य की मृत्यु होने पर जब कोई पति / पत्नी नहीं हैं अथवा पति / पत्नी की मृत्यु होने पर 2 बच्चों को 25 वर्ष की आयु तक अनाथ पेंशन

2.13 On the contrary under, under the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971, only Widow/Widower pension was payable, in case of death while in reckonable service and prior to completion of 60 yrs of age. In the absence of Widow or on cessation of Widow Pension, pension was payable to the eldest child up to the age of 25 years and then it was to pass on to the younger children, one at a time, subject to the age limit of 25 years. There was no provision for pension to members on superannuation/retirement or disablement, and the employee was entitled to withdrawal benefit only.

ELIGIBILITY

Superannuation/early pension under the EPS, 1995 is payable on fulfilling:

- (i) Minimum 10 years of eligible service; and
- (ii) Attaining age of 58/50 years.

2.14 On cessation of employment before completing 58 years a member can opt for early pension. Such early pension can be availed only after completing 50 years of age and it will be subject to discounting factor at the rate of 4% (w.e.f. 26.9.2008) for every year falling short of 58 years. No member pension is payable before attaining the age of 50 years. However, no such age or minimum eligibility service criteria shall apply for pension entitlement in case of disablement or death of the member. Membership with one-month contribution will suffice in such cases.

2.15 The quantum of pension payable to a member on superannuation and/or exit from service on attaining the age of 58/50 years shall correspond to the period of pensionable service rendered by the member and his pensionable salary i.e. the last twelve months' average pay drawn at the time of exit.

2.16 Those member having service prior to 16-11-1995, shall have the added benefit of past service pension for the period of their membership under the erstwhile Employees' Family Pension Scheme, 1971 as per values in the table provided in Paragraph 12 (3) of the EPS,1995 and Table B of the EPS,1995.

DISBURSEMENT OF PENSION

2.17 The disbursement of monthly pension benefits is carried out through the network of branches of banks with which agreement has been made. The Regional Offices have entered into arrangements with Nationalized Commercial Banks for this purpose. Centralized pension disbursement arrangement agreements have also been made with HDFC Bank, ICICI Bank, Axis Bank and Post offices to disburse pension and other benefits all over India.

2.18 The region-wise list of banks with which agreements/arrangements have been made by various Regional Offices is given in **Appendix A-10 (i)**.

NEW INITIATIVE FOR PENSION DISBURSEMENT

2.19 In order to improve the efficiency of the pension delivery mechanism and to bring about a perceptible change in the image of the organization an initiative of disbursing the pension electronically using the Core Banking System (CBS) platform of the Banks was undertaken. The result of this initiative has been markedly encouraging and as a result the mechanism of credit of monthly pension payment to pensioner's bank account has become smooth, timely and transparent.

च) अशक्त संतान/अनाथ को जीवन पर्यंत अशक्त संतान/अनाथ पेंशन

छ) सदस्य की मृत्यु होने पर कानूनी रूप से यदि उसका कोई परिवार नहीं है तो सदस्य द्वारा भली-भांति नामित व्यक्ति को नामिति पेंशन

ज) सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित माता/पिता को पेंशन बशर्ते कि सदस्य द्वारा पात्रता सेवा पूर्ण की गई हो तथा सदस्य का कोई परिवार अथवा नामिति न हो ।

झ) सेवा छोड़ने अथवा अधिवर्षिता पर दिया जाने वाला प्रत्याहरण लाभ बशर्ते कि सदस्य ने पेंशन के लिए पात्रता सेवा पूर्ण नहीं की है ।

2.13 इसके विपरीत बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत गणनीय सेवा में होते हुए 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व मृत्यु हो जाने पर ही विधवा/विधुर को पेंशन दी जाती थी। विधवा की अनुपस्थिति में अथवा विधवा पेंशन की समाप्ति पर पेंशन 25 वर्ष की आयु तक के बड़े बालक को देय होती थी। इसके बाद उससे छोटे बालक को देय होती थी, एक समय में एक को ही, जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त न करे, दी जाती थी। सदस्य के लिए अधिवर्षिता / सेवानिवृत्ति पर पेंशन अथवा अशक्तता पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। सेवा छोड़ने पर कर्मचारी केवल प्रत्याहरण लाभ का ही पात्र था।

पात्रता

पेंशन योजना के अंतर्गत अधिवर्षिता/समय पूर्व पेंशन निम्नलिखित शर्तों के पूर्ण होने पर देय होती है :

- (i) पात्र सेवा के न्यूनतम 10 वर्ष , और
- (ii) 58/50 वर्ष की आयु होने पर

2.14 58 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सेवा की समाप्ति पर सदस्य, समय पूर्व पेंशन का विकल्प दे सकता है। इस प्रकार की समय पूर्व पेंशन 50 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् ही प्राप्त की जा सकती है। 58 वर्ष से जितने वर्ष उम्र कम होगी, प्रतिवर्ष 4% की दर से (26.9.2008 से) उतनी पेंशन घटा दी जाएगी। 50 वर्ष की आयु पूरी होने से पूर्व सदस्य पेंशन देय नहीं होगी। तथापि सदस्य की मृत्यु अथवा अशक्तता के मामले में पेंशन की पात्रता के लिए ऐसी कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्र सेवा का आधार लागू नहीं होगा। ऐसे मामलों में एक माह के अंशदान की सदस्यता ही पर्याप्त है।

2.15 सदस्य की अधिवर्षिता पर और/अथवा 58/50 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवा से निकासी होने पर सदस्य को देय पेंशन की मात्रा, सदस्य द्वारा की गई पेंशन योग्य सेवा की अवधि और निकासी के समय उसके पेंशन योग्य वेतन अर्थात् सदस्य द्वारा लिए गए पिछले 12 माह के औसत वेतन पर आधारित होगी।

2.16 जो सदस्य 16.11.1995 से पूर्व सेवा में थे, उन्हें पेंशन योजना, 1995 के पैरा 12 (3) में दी गई तालिका तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की तालिका- बी के आधार पर परिवार पेंशन योजना में सदस्यता की अवधि का भी अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा ।

पेंशन का संवितरण

2.17 मासिक पेंशन लाभों का संवितरण उन बैंकों की शाखाओं के माध्यम से किया जाता है जिनके साथ अनुबंध किया गया है, क्षेत्रीय कार्यालयों ने राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों आदि के साथ संवितरण की व्यवस्था की है । पेंशन और अन्य लाभों के संवितरण हेतु पूरे भारत में एच.डी.एफ.सी. बैंक, आई.सी.आई.सी. बैंक, एक्सिस बैंक और डाकघरों में केन्द्रीकृत व्यवस्था की गई है ।

2.20 The initiative for pension disbursement through CBS was aimed to revamp the prevailing system where monthly pension payment lists were printed for Banks and sent along with payments in the form of cheque to pension disbursement banks. The process was time consuming, required huge quantities of paper printout every month and there were delays in cheque clearances and reconciliation resulting in delayed pension credits and large pendency in un-reconciled/un-disbursed amounts.

2.21 The first step towards implementing the pension CBS disbursement was collection and updation of CBS account numbers of the pensioners' bank accounts. A special drive was undertaken for collecting the CBS account numbers from pensioners and the respective bank branches by the field office under close monitoring of the Head Quarter. The account numbers collected were also updated in the application software through a sustained and focussed effort by the field offices.

2.22 After updation of the CBS accounts, the monthly pension payment list is sent in softcopy format to the banks for releasing payments credit to pensioners account using CBS platform. The total amount of pension was also credited to pension payment Bank accounts using NEFT/RTGS. The information of non credit is received back immediately and the same is used for pension reconciliation. At the end of the year under report, pension of 93% beneficiaries i.e. more than 40 lakh pension beneficiaries was being released through CBS.

PENSION BENEFICIARIES

2.23 The classification of the beneficiaries under Employees' Pension Scheme, 1995 as on 31.3.2014 is as under:

PENSION BENEFICIARIES		
i) Members Pension		
(a)	Early Pension (50-57 years)	17,54,972
(b)	Superannuation Pension	15,18,480
(c)	Disablement Pension	1,938
Sub-Total		32,75,390
ii) Widow/Widower Pension		
(a)	Death while in Service	6,86,432
(b)	Death away from Service	1,17,217
Sub-Total		8,03,649
iii) Nominee Pension		9,169
iv) Parent Pension		16,743
v) Orphan Pension		20,275
vi) Children Pension		5,65,443
Sub Total		6,11,630
Grand Total		46,90,669

2.24 The aforesaid figures include Widow/Widower Pensioners and Children Pensioners drawing pension under the erstwhile Family Pension Scheme.

2.25 The Region-wise classification of beneficiaries under Pension Scheme as on 31.03.2014 is given at **Appendix A-10 (ii)**.

2.18 विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जिन बैंकों के साथ अनुबंध / व्यवस्थाएं की गई हैं, उनकी क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट ए-10(i) पर की गई है ।

पेंशन संवितरण के लिए नई पहल

2.19 पेंशन प्रदान करने संबंधी तंत्र की कार्यकुशलता में सुधार करने तथा संगठन की छवि में प्रत्यक्ष परिवर्तन लाने के लिए, बैंकों के कोर बैंकिंग सिस्टम (सी.बी.एस.) प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए पेंशन के इलेक्ट्रॉनिक संवितरण की पहल की गई । इस पहल का परिणाम उत्साहजनक रहा है और इसके परिणामस्वरूप, पेंशनभोक्ताओं के बैंक खाते में मासिक पेंशन भुगतान के क्रेडिट तंत्र सहज, समयबद्ध तथा पारदर्शी हो गया है ।

2.20 सी.बी.एस. के द्वारा पेंशन संवितरण की पहल का उद्देश्य वर्तमान तंत्र जहां बैंकों के लिए भुगतान सूची को प्रिंट किया जाता था तथा इन्हें पेंशन संवितरण बैंकों को चेक के प्रारूप में भुगतान के साथ प्रेषित किया जाता था को पुनरुद्धार करना था । यह प्रक्रिया अधिक समय लेती थी जिसमें प्रत्येक माह बड़ी मात्रा में पेपर पर प्रिंट की आवश्यकता पड़ती थी और बैंकों को क्लियर करने तथा समाधान में देरी होती थी जिससे पेंशन क्रेडिट में देरी होती थी और असमाशोधित / असंवितरित राशियों की बड़ी मात्रा लंबित रहती थी ।

2.21 कोर बैंकिंग सिस्टम द्वारा पेंशन संवितरण को लागू करने की ओर पहला कदम पेंशनभोक्ताओं के बैंक खातों के सी.बी.एस. खाता संख्या को एकत्र करना तथा उन्हें अद्यतन करना था । फील्ड कार्यालयों द्वारा मुख्यालय की सूक्ष्म मॉनीटरिंग के अंतर्गत पेंशनभोक्ताओं तथा संबंधित बैंक शाखाओं से सी.बी.एस. खाता संख्या एकत्र करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया । एकत्र की गई खाता संख्याओं को फील्ड कार्यालयों के सतत तथा केन्द्रित प्रयासों से एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में भी अद्यतन किया गया ।

2.22 सी.बी.एस. खातों को अद्यतन करने के पश्चात्, मासिक पेंशन भुगतान सूची सॉफ्टकापी प्रारूप में बैंकों को सी.बी.एस. प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए भुगतान जारी करके पेंशनभोक्ताओं के खातों में क्रेडिट करने के लिए भेजी जाती है । पेंशन की कुल राशि भी एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. का प्रयोग करते हुए पेंशन भुगतान बैंक खातों में क्रेडिट की गई । क्रेडिट न होने संबंधी सूचना भी तुरंत प्राप्त हो जाती है और इसे पेंशन समाधान के लिए प्रयोग किया जाता है । समीक्षाधीन वर्ष के अंत में 93% लाभार्थियों अर्थात् 40 लाख से अधिक पेंशन लाभार्थियों की पेंशन सी.बी.एस. के द्वारा जारी की जा रही थी ।

VALUATION OF PENSION FUND AS PER PARA 32 OF EMPLOYEES' PENSION SCHEME, 1995

2.26 The Employees' Pension Scheme, 1995 under provisions of Para 32 provides for an annual valuation of Employees' Pension Fund by a Valuer appointed by the Central Government to check the viability and sustainability of EPS, 95 and to assess the projected position of assets and liability under EPS, 95. Based on such valuation and the capacity of the Fund, additional reliefs on the pension amounts are considered by the Central Government.

2.27 The quality of analysis and recommendations as well as the authenticity of projections in valuation exercise depend upon the quantity and completeness of the base data/sample size on which the report has been prepared. One of the principal drawback on the earlier valuation exercises had been the non-availability of a reasonably representative sample size and the completeness and correctness of the data. It was a common and repeated refrain of Valuers in earlier valuation reports that the data sample size was meager and of inferior quality in as much as the important details relating to members i.e. date of birth, date of joining and family details were missing in the data provided for the valuation exercise.

2.28 Therefore, for ensuring meaningful valuation results, a special drive for collection of members' data was launched. Data of approximately 2 crore members which was almost 58% of the active members, alongwith full pensioners data and data of inoperative accounts was made available to the Actuary for the last valuation exercise. The progress of collection of missing members' details and updation of member master was achieved through a web facility which was provided to the Employers to upload the data relating to their employees. A dashboard in the official website of EPFO was also provided to monitor the progress made by the field offices in collection of members' details. As on 31.03.2014, the data of approximately 84% of active contributing members has been updated. The quantitative and qualitative improvements in the base data for valuation exercise has had a significant impact on the analysis and results of the last valuation exercise conducted and would have continuing effect in future exercises as well.

2.29 The gist of the valuation exercises, their results and recommendations that have been conducted since 1995 in respect of the EPS, 1995 is given in **Appendix A-5(i)**. Recommendations of the Valuers is given in **Appendix A-5(ii)** and Result and the recommendations of the two reviews is given in **Appendix A-5(iii)**.

EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME

2.30 Insurance Scheme came into force on 1st August, 1976. This scheme is supported by a nominal contribution by the employers. No contribution is payable by the employee for availing the insurance cover.

APPLICATION AND COVERAGE

2.31 Insurance Scheme is applicable to all factories/establishments to which the Act applies. All the employees who are members of the provident fund members of this Scheme.

BENEFITS UNDER THE SCHEME

2.32 The benefits under the Insurance scheme were revised during the year 2010-11. Under the revised scheme, the benefit provided, in case of death of an employee who was member of the scheme at the time of the death, is that the family will get 20 times of the average wages of the last 12 months of the member. According to the revised scheme, maximum benefits under the scheme will now be ₹ **1,30,000/-**, as the wage ceiling up to which contribution can be paid under the scheme is ₹ **6,500/-**.

पेंशन लाभार्थी

2.23 31.3.2014 को पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का वर्गीकरण नीचे दिया गया है :

पेंशन लाभार्थी	
I) सदस्य पेंशन	
(क) समयपूर्व पेंशन (50-57 वर्ष)	1754972
(ख) अधिवर्षिता पेंशन	1518480
(ग) अशक्तता पेंशन	1938
उप योग	3275390
II) विधवा/विधुर पेंशन	
(क) सेवा काल में मृत्यु	686432
(ख) सेवा काल में न रहते हुए मृत्यु	117217
उप योग	803649
III) नामिति पेंशन	9169
IV) माता-पिता पेंशन	16743
V) अनाथ पेंशन	20275
VI) बाल पेंशन	565443
उप योग	611630
कुल योग	4690669

2.24 उपर्युक्त आंकड़ों में बंद की जा चुकी परिवार पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे विधवा/विधुर पेंशनभोगी और बाल पेंशनभोगी शामिल हैं।

2.25 31.03.2014 को पेंशन योजना, के अंतर्गत लाभार्थियों का क्षेत्रवार वर्गीकरण परिशिष्ट ए -10(ii) पर दिया गया है ।

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के अनुसार पेंशन निधि का मूल्यांकन

2.26 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की व्यावहारिकता तथा इसे बनाए रखने और योजना के अंतर्गत परिसंपत्तियों एवं देयताओं की अनुमानित स्थिति के मूल्यांकन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन निधि के वार्षिक मूल्यांकन का प्रावधान है । इस प्रकार के मूल्यांकन तथा निधि की क्षमता के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन राशि पर अतिरिक्त राहत देने पर विचार किया जाता है ।

2.27 विश्लेषण तथा सिफारिशों की गुणवत्ता के साथ-साथ मूल्यांकन कार्य में अनुमानों की प्रमाणिकता उन आधारभूत डाटा / सैंपल साइज की मात्रा तथा संपूर्णतः पर निर्भर करती है जिनके आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई है । पहले की मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रमुख कमी पर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले सैंपल साइज की अनुपलब्धता तथा डाटा की संपूर्णतः तथा सटीकता का न होना है । पहले की मूल्यांकन रिपोर्टों में मूल्यांकनकर्त्ताओं द्वारा सामान्यतः तथा बार-बार कहा जाता था कि डाटा का सैंपल साइज अत्यंत छोटा था तथा इसकी गुणवत्ता भी इतनी निम्नकोटि की थी कि मूल्यांकन कार्य के लिए उपलब्ध करवाए गए डाटा में सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण विवरण अर्थात् जन्म तिथि, कार्यग्रहण की तिथि तथा परिवार का विवरण भी उपलब्ध नहीं था ।

2.28 अतः अर्थपूर्ण मूल्यांकन परिणाम सुनिश्चित करने के लिए, सदस्यों का डाटा एकत्र करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया। पिछले मूल्यांकन के लिए मूल्यांकक को संपूर्ण पेंशनभोक्ता डाटा तथा निष्क्रिय खातों संबंधी डाटा सहित लगभग 2 करोड़ सदस्यों का डाटा जो कि सक्रिय सदस्यों का लगभग 58% था, उपलब्ध करवाया गया। गुम हुए सदस्यों के विवरण एकत्र करने तथा सदस्य मास्टर को अद्यतन करने में हुई प्रगति को एक वेब सुविधा द्वारा प्राप्त किया गया जो कि नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों संबंधी डाटा अपलोड करने के लिए उपलब्ध करवाई गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट में फील्ड कार्यालयों द्वारा सदस्यों का विवरण एकत्र करने के संबंध में की गई प्रगति को मॉनीटर करने के लिए एक डैशबोर्ड भी उपलब्ध करवाया गया। दिनांक 31.03.2014 को लगभग 84% सक्रिय अंशदायी सदस्यों का डाटा अद्यतन कर लिया गया है। आधार भूत डाटा में हुए परिमाणात्मक तथा गुणवत्तात्मक सुधारों का पिछले मूल्यांकन कार्य के विश्लेषण तथा परिणामों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है तथा यह प्रभाव भविष्य में होने वाले मूल्यांकन कार्यों पर भी जारी रहेगा।

2.29 कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के संबंध में 1995 से किए गए मूल्यांकन कार्यों का सारांश, उनके परिणाम तथा सिफारिशें परिशिष्ट ए-5 (i) में दी गई हैं। मूल्यांककों की सिफारिशों परिशिष्ट ए-5 (ii) तथा दोनों समीक्षाओं के परिणाम तथा सिफारिशें परिशिष्ट ए -5 (iii) में दी गई हैं।

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना

2.30 बीमा योजना, 1 अगस्त, 1976 को लागू हुई। इस योजना में नियोक्ता को मामूली अंशदान करना होता है। इस बीमा सुरक्षा को प्राप्त करने हेतु कर्मचारी द्वारा कोई अंशदान नहीं दिया जाता है।

लागू होना तथा कवरेज

2.31 बीमा योजना, 1976 उन सभी फैक्ट्रियों/स्थापनाओं पर लागू होती है जिन पर अधिनियम लागू होता है। वे सभी कर्मचारी जो भविष्य निधि के सदस्य हैं, इस योजना के सदस्य हैं।

योजना के अंतर्गत लाभ

2.32 कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के अंतर्गत लाभों को वर्ष 2010-11 के दौरान परिशोधित किया गया था। परिशोधित योजना के अंतर्गत ऐसे सदस्य की मृत्यु के मामले में, जो मृत्यु के समय योजना का सदस्य था, के परिवार के सदस्य को पिछले 12 माह के वेतन के औसत का 20 गुणा धनराशि मिलेगी। परिशोधित योजना के अनुसार, योजना के अंतर्गत अधिकतम लाभ अब ₹ 1,30,000/- होगा, क्योंकि योजना के अनुसार अंशदान हेतु वेतन सीमा ₹ 6,500/- रुपए है।

अध्याय 3

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में निष्पादन प्रबंधन 2013-14

3.1 वर्ष के दौरान सेवा, वित्तीय एवं अनुपालन के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की उपलब्धियां निम्न प्रकार रही :-

सेवा क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान **52,782** स्थापनाओं को भविष्य निधि कोड दिया गया जिससे 31 मार्च, 2014 तक कुल संख्या **7.96 लाख** तक हो गई है।
- ❖ वर्ष 2013-2014 के दौरान औसतन **3.45 लाख** स्थापनाओं ने **3.26 करोड़** सदस्यों के संबंध में देय राशि को जमा किया है।
- ❖ वर्ष के दौरान **2.90 लाख** नए पेंशनभोक्ताओं को शामिल किया गया जिससे 31 मार्च, 2014 तक ऐसे पेंशनभोक्ताओं की संख्या **46.91 लाख** हो गई जिन्हें मासिक पेंशन का भुगतान किया जाता है।

वित्तीय क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान प्राप्त किया गया अंशदान **₹ 94,762.09 करोड़**
- ❖ वर्ष के दौरान दिया गया लाभ **₹ 43,519.88 करोड़**
- ❖ वर्ष के दौरान **123.36 लाख** दावों का निपटान किया गया

अनुपालन क्षेत्र

- ❖ वर्ष के दौरान **56,317** जांचें पूरी की गई :- अधिनियम की धारा 7 ए के अंतर्गत **18,062** तथा अधिनियम की धारा 14 बी के अंतर्गत **38,255** जांच की गई।
- ❖ 31 मार्च 2014, तक **67,236** जांच निपटान हेतु लंबित थीं :- अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत **17,138** तथा अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत **50,098** जांच लंबित थी।
- ❖ वर्ष के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं से **₹ 2240.29** करोड़ रुपये की देय राशि का निर्धारण किया गया।
- ❖ वर्ष के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं से **₹ 1722.30** करोड़ रुपये की वसूली की गई।
- ❖ वर्ष के अंत में अछूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली योग्य लंबित देय की राशि **₹ 3929.35** करोड़ रुपये थी। इसमें से **₹ 1651.36** करोड़ रुपये शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज से संबंधित थे।
- ❖ वर्ष के अंत में छूट प्राप्त स्थापनाओं से वसूली हेतु **₹ 550.41** करोड़ रुपये की राशि लंबित थी।
- ❖ इस प्रकार 31 मार्च, 2014 तक **₹ 4479.76** करोड़ रुपये की वसूली राशि योग्य लंबित थी।

CHAPTER 3

PERFORMANCE MANAGEMENT IN EPFO

2013-14

3.1 During the year the achievements of the Employees Provident Fund Organisation in the functional areas of Service, Financial and Compliance were as under:-

SERVICE AREA

- ❖ **52,782** additional establishments were given PF codes during the year taking the cumulative total to **7.96 lac** on 31st March, 2014.
- ❖ **3.45 lac** establishments remitted dues in respect of **3.26 crore** members.
- ❖ **2.90 lac** new pensioners were added taking the cumulative total number of pensioners paid monthly pension to **46.91 lac** on 31st March, 2014.

FINANCIAL AREA

- ❖ Contribution received during the year was ₹ **94,762.09 cr.**
- ❖ Benefits paid during the year amounting to ₹ **43,519.88 cr.**
- ❖ During the year **123.36 lac.** claims were settled.

COMPLIANCE AREA

- ❖ **56,317** Enquiries were concluded :-
18,062 under Section 7A of the Act and 38,255 under Section 14B of the Act.
- ❖ **67,236** Enquiries were pending as on 31.03.2014 :-
17,138 under Section 7 A of the Act and 50,098 under Section 14B of the Act.
- ❖ ₹ **2240.29 cr.** assessed as amount due from defaulting establishments.
- ❖ ₹ **1722.30 cr.** recovered from defaulting establishments.
- ❖ ₹ **3929.35 cr.** remained outstanding to be recovered from unexempted establishments.
(₹ **1651.36 cr.** being Penal Damages and Interest).
- ❖ ₹ **550.41 cr.** remained pending for recovery from exempted establishment.
- ❖ Total Amount of ₹ **4479.76 cr.** is pending for recovery as on 31st March, 2014.
- ❖ ₹ **1959 cr. (74.60%)** arrears remained unrecoverable due to court's stay orders
(Unexempted sector).
- ❖ ₹ **335 cr. (12.78%)** still unrecoverable due to liquidation proceedings and ₹ **98.03 cr. (3.73%)** is unrecoverable due to BIFR proceedings (unexempted sector) ₹ **72.02 cr. (2.74%)** is locked up due to grant of Installment facility.

- ❖ न्यायालयों द्वारा स्टे के कारण ₹ 1959 करोड़ रुपये (74.60%) का बकाया वसूल नहीं किया जा सका (अछूत प्राप्त क्षेत्र) ।
- ❖ समापन कार्यवाही में ₹ 335 करोड़ रुपये (12.78%) तथा बी.आई.एफ.आर. कार्यवाही (अछूत प्राप्त क्षेत्र) के अंतर्गत ₹ 98.03 करोड़ रुपये (3.75%) की राशि वसूली नहीं जा सकती। किश्त की सुविधा प्रदान करने के कारण ₹ 72.02 करोड़ रुपये (2.74%) की राशि रूकी हुई है।

3.2 सांख्यिकीय सार (2013-14) का सारांश **परिशिष्ट ए-1** में दिया गया है

नागरिक चार्टर

3.3 नागरिक चार्टर किसी सरकारी विभाग का वह लिखित घोषणापत्र है जो अपने उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के मानकों, उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध विकल्प, शिकायत निवारण के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों तथा अन्य संबंधित सूचना पर प्रकाश डालता है । दूसरे शब्दों में, किसी विभाग द्वारा प्रदान किए जाने वाले सेवा के मानदंडों के संबंध में विभाग द्वारा की जानेवाली प्रतिबद्धताओं का समुच्चय है ।

3.4 हालांकि इसके पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है पर नागरिक चार्टर का उद्देश्य नागरिकों एवं ग्राहकों को सशक्त बनाना है ताकि वे सेवा प्रदाता संगठनों द्वारा गैर अनुपालन के मामले में सेवा के लिए प्रतिबद्ध मानकों की मांग कर सकें तथा उपचार प्राप्त कर सकें । नागरिक चार्टर बुनयादी रूप से इस बात पर जोर देता है कि नागरिक केन्द्रित सार्वजनिक सेवाएं आपूर्ति की बजाय मांग पर आधारित हों ।

3.5 "सर्वोत्तम" (उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना) के कार्यान्वयन हेतु कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चयन किए गए नौ विभागों / संगठनों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भी एक है । इसके कार्यान्वयन में नागरिक चार्टर का विकास, नागरिक चार्टर के माध्यम से घोषित सेवा मानकों के संबंध में वितरण क्षमताओं का विकास एवं मॉनीटरिंग करना तथा लोक शिकायतों का निवारण समाविष्ट है ।

3.6 नागरिक चार्टर के कार्यान्वयन के लिए स्टैक होल्डरों की उम्मीदों को पूरा करने की आवश्यकता है । सभी दावों के निपटान के संबंध में सेवा मानक पहले से ही तीनों योजनाओं, नामतः क.भ.नि. योजना, पेंशन योजना तथा बीमा योजना में जिस प्रकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें पूर्णतः भरे गए दावे की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों की समयावधि प्रदान की गई है, उसी प्रकार नागरिक चार्टर में भी दिया गया है । इसके अतिरिक्त, चार्टर में सदस्यों से संबंधित एक और सेवा को भी जोड़ा गया है । वह है, लेखों की वार्षिकी विवरणी को जारी करना, जिसके लिए लेखा वर्ष के आगे की 30 सितम्बर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है, और इसे पहले से ही "आपके अधिकार" शीर्ष के तहत प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के अनुमोदन के माध्यम से केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है ।

3.7 दिनांक 23 दिसम्बर, 2011 को आयोजित बोर्ड की 197वीं बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए नागरिक चार्टर का अनुमोदन किया गया है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर यह चार्टर उपलब्ध है ।

3.2 The summary of Statistical Abstract (2013-14) is given in **Appendix A- 1**.

Citizen's Charter

3.3 The Citizen's Charter is a written declaration by a Government department that highlights the standards of service delivery that it subscribes to, availability of choice for consumers, avenues for grievance redressal and other related information. In other words, it is a set of commitments made by a department regarding the standards of service which it delivers.

3.4 Though not enforceable in court of law, the Citizen's Charter is intended to empower citizen's and clients so that they can demand committed standards of service and avail remedies in case of non-compliance by service provider Organisations. The basic thrust of the Citizen's Charter is to render public services citizen centric by making them demand driven rather than supply driven.

3.5 EPF Organisation was chosen as one of the nine Departments/ Organisations by the Department of Administrative Reforms and Public Grievances Ministry of Personal, Public Grievances and Pensions for implementation of SEVOTTAM (Service delivery excellence). Its implementation included development of a Citizen's Charter, 'development and monitoring of delivery capabilities in respect of the service standards declared through the Citizen's Charter and handling of the Public Grievances.

3.6 Implementation of the Citizen's Charter requires taking into account the service level expectation of stakeholders from the EPFO. So far as service bench marks for settlement of claims in EPFO are concerned, the schemes framed under the Act specify that claims complete in all respects are to be settled within 30 days. Further updation and issue of Annual Accounts containing therein the PF account statement of individual members is to be mandatorily completed by 30th September of the year following the accounting year to which the said accounts relates. These form part of Citizen's Charter of EPFO.

3.7 The Citizens Charter for EPFO was approved by the Board in its 197th meeting held on 23th December, 2011. The Charter has been hosted on EPFO website www.epfindia.gov.in.

RESULTS FRAMEWORK DOCUMENTS (RFD)

3.8 The Results Framework Documents (RFD) for a year provides for each department/organization, the action points for it during the year, also specifying therein performance benchmark for each of the so identified action points. EPFO as a responsibility centre of the Ministry of Labour & Employment has been assigned actionable points for "providing social security for organized sector workers". The Success Indicators for this activity, the specified bench marks and the achievements by EPFO during the year are given in the table below:-

3.9 The details of achieved target mention in Results Framework Document (RFD) upto the month of March, 2014 is given below:-

Success Indicator	Target Value	Achievement
Settlement of Pension claims within 30 days.	95%	96.83%
Settlement of PF Claims within 30 days.	95%	98.27%
Settlement of EDLI Claims (Insurance benefit) within 30 days	95%	96.43%
Settlement of Public Grievances claims within 30 days.	100%	99.54%

रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आर.एफ.डी.)

3.8 प्रत्येक विभाग / संगठन के लिए एक वर्ष का रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आर.एफ.डी.) वर्ष के दौरान कार्य परक बिंदु प्रदान करता है। साथ ही, प्रत्येक निश्चित कार्रवाई बिंदु के लिए निष्पादन का बेंच मार्क भी विनिर्दिष्ट करता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जिम्मेदारी केन्द्र के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को संगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्रवाई परक बिंदु सौंपे गए हैं। इस गतिविधि के लिए वर्ष के दौरान सफलता संकेतक के रूप में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के विनिर्दिष्ट बेंच मार्क तथा उपलब्धियां जो हैं वह निम्न तालिका में दिया गया है।

3.9 मार्च, 2014 तक रिजल्ट फ्रेमवर्क दस्तावेज (आर.एफ.डी.) में उल्लिखित प्राप्त लक्ष्यों का विवरण नीचे दिया गया है :-

कार्रवाई	सफलता संकेतक	उपलब्धि
कर्मचारी भविष्य निधि (क.भ.नि.) लाभार्थियों के लिए लाभ प्रदान करना	30 दिनों के भीतर पेंशन दावों का निपटान	96.83%
	30 दिनों के भीतर भविष्य निधि दावों का निपटान	98.27%
	30 दिनों के भीतर कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा दावों (बीमा लाभ) का निपटान	96.43%
	30 दिनों के भीतर लोक शिकायत दावों का निपटान	99.54%



अध्याय 4

अंशदान एवं निवेश

अंशदान की दर

4.1 अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों द्वारा अदा किए जाने वाले भविष्य निधि अंशदान की दर समय-समय पर संशोधित होती रही है। विभिन्न योजनाओं के वित्त - पोषण हेतु वेतन की प्रतिशतता के रूप में अंशदान की वर्तमान दर प्रशासनिक प्रभार के साथ नीचे दी गई है :

	अंशदान लेखे (अंशदान की दर)			प्रशासन लेखे (अंशदान की दर)		कुल
	क.भ.नि	क.पें.यो.	क.नि.स.बी.यो.	क.भ.नि.	क.नि.स.बी.यो.	
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
कर्मचारी	12.00	-	-	-	-	12.00
केन्द्र सरकार	-	1.16	-	-	-	1.16
कुल	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

4.2 नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वर्तमान में वेतन का 12% है, जिसमें प्रशासनिक प्रभार सम्मिलित नहीं है। नियोक्ता समग्र प्रशासनिक प्रभार अर्थात् भ.नि. वेतन का 1.11% वहन करता है। क.पें.यो. में भारत सरकार वेतन के 1.16% की दर से अंशदान देती है। केवल निम्नलिखित स्थापना-वर्गों हेतु नियोक्ता तथा कर्मचारी दोनों के लिए अंशदान दर वेतन का 10% है :

क) 20 से कम कर्मचारियों वाली स्थापनाएं

ख) कोई रूग्ण औद्योगिक कंपनी, जिसे रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का अधिनियम 1) की धारा 3 की उपधारा (I) के खंड (o) में परिभाषित किया गया है तथा जिसे अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत स्थापित औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड में संदर्भ के पंजीकरण की तिथि पर अथवा तिथि से प्रारम्भ होने की अवधि तथा उस तिथि पर समाप्त जब से अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (2) के अंतर्गत पारित आदेशों से उक्त स्थापना का शुद्ध मूल्य सकारात्मक हो जाता है अथवा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन की अंतिम तिथि से उक्त बोर्ड द्वारा रूग्ण घोषित किया गया हो;

Chapter 4

CONTRIBUTIONS AND INVESTMENTS

RATE OF CONTRIBUTION

4.1 The rate of contribution payable to the Provident Fund by the employees and the employers under the Act has been revised from time to time. The current rate of contribution as percentage of wages for funding the various schemes along with its administrative charges are given below:

	CONTRIBUTION ACCOUNTS (Rate of contribution)			ADMINISTRATION ACCOUNTS (Rate of contribution)		TOTAL
	EPF	EPS	EDLI	EPF	EDLI	
Employer	3.67	8.33	0.5	1.10	0.01	13.61
Employee	12.00	-	-	-	-	12.00
Central Government	-	1.16	-	-	-	1.16
TOTAL	15.67	9.49	0.5	1.10	0.01	26.77

4.2 The rate of contribution excluding the administrative charges is presently 12% on the wages both for employer as well as employee. The employer bears the entire administrative charges i.e. 1.11% of the PF wages. The Government of India contributes @1.16% of wages to the EPS. Only for following categories of establishment, the rate of contribution both for employer and employee is 10% of wages.

- a) Establishments having less than twenty employee
- b) Sick industrial company as defined in clause (O) of sub-section (I) of Section 3 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (Act 1 of 1986) and which has been declared as such by the Board for Industrial and Financial Re-construction established under section 4 of that Act for the period commencing on and from the date of registration of the reference in the Board and ending either on the date by which the net worth of the said company becomes positive in terms of the orders passed under sub-Section (2) of Section 17 of that Act or on the last date of implementation of the Scheme sanctioned under section 18 of the Act;
- c) Establishment which has at the end of any financial year accumulated losses equal to or exceeding its entire net worth, that is the sum total of paid up capital and free reserves, and has also suffered cash losses in such financial year and the financial year immediately preceding such financial year. Explanation – for the purposes of clause (3) "Cash loss" means loss as computed without providing for depreciation;
- d) Any establishment in the (a) Jute Industry (b) Beedi Industry (c) Brick Industry (d) Coir Industry other than the spinning sector and (e) Guar gum factories;

ग) कोई स्थापना, जिसने किसी वित्तीय वर्ष के अंत में अपने संपूर्ण शुद्ध मूल्य अर्थात् अदा की गई पूंजी की कुल राशि एवं फ्री रिजर्व के बराबर अथवा उससे अधिक घाटा उठाया हो तथा जिसने ऐसे वित्तीय वर्ष में तथा ऐसे वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि भी उठाई हो। स्पष्टीकरण – खण्ड (3) के उद्देश्य के लिए "रोकड़ हानि" का तात्पर्य मूल्यहास में कुछ भी दिए बिना परिणत रूप में हानि से है;

घ) (क) जूट उद्योग (ख) बीड़ी उद्योग (ग) ईट उद्योग (घ) बुनाई क्षेत्र के अतिरिक्त क्वायर उद्योग (ड.) गौर-गम फैक्ट्रियों में कोई स्थापना ;

4.3 निम्नलिखित सारणी में अधिनियम के प्रारंभ से कॉलम 1 में दी गई अवधि हेतु नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों दोनों के लिए भिन्न-भिन्न अंशदान दरों का उल्लेख है ।

वर्ष 1952 से अब तक अंशदान की दर	
अवधि	अंशदान की दर
01.11.1952 से 31.03.1956	नियोक्ता एवं कर्मचारी दोनों द्वारा मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट के प्रत्येक रूपए पर एक आना ।
01.04.1956 से 31.03.1971	कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का $6\frac{1}{4}\%$ । नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी।
01.04.1971 से 31.07.1988	कर्मचारी द्वारा कुल मूल वेतन, मंहगाई भत्ता एवं भोजन पर छूट की धनराशि का $6\frac{1}{4}\%$ । नियोक्ता द्वारा बराबर की राशि अदा की जाती थी। 31 मार्च, 1972 को 8% की बढ़ी हुई दर (नियोक्ता व कर्मचारी दोनों के लिए) ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 अथवा 50 से अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
01.08.1988 से 31.05.1990	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का $8\frac{1}{3}\%$
01.06.1990 से 08.04.1997	प्रत्येक कर्मचारी, जो 1 अगस्त, 1988 से अंशदाता हैं, को देय मूल वेतन, मंहगाई भत्ता (भोजन में छूट की राशि सहित) एवं प्रतिधारण भत्ता (यदि कोई है) का 8% 31 मार्च, 1991 को 10% की बढ़ी हुई दर ऐसी स्थापनाओं पर लागू की गई, जिनमें 50 अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित थे।
09.04.1997 से 21.09.1997	भविष्य निधि अंशदान की दर 8.33% से 10% तक बढ़ाते हुए अधिसूचना दिनांक 9 अप्रैल, 1997 को जारी की गई थी। इसके साथ 177 अधिसूचित श्रेणियों में से 172 श्रेणियों के उद्योगों/स्थापनाओं को 01.05.1997 से 10% की दर से भविष्य निधि अंशदान का भुगतान करना था।
22.09.1997 से अब तक	क) स्थापनाएं 8.33% से 10% की दर पर अंशदान कर रही हैं। ख) स्थापनाएं 10% से 12% की दर पर अंशदान कर रही हैं।

4.3 The following table indicates the different rates of contribution both for employers and employees for the period indicated in column 1 from the date of inception of the Act.

RATE OF CONTRIBUTION SINCE 1952 ONWARDS	
Period	Contribution Rate
01.11.1952 to 31.03.1956	One anna per rupee of total basic wages, DA and food concession by both Employers & Employee
01.04.1956 to 31.03.1971	6. per cent of the total of basic wages, DA and cash value of food concession by employee. An equal amount was paid by the employer.
01.04.1971 to 31.07.1988	6. per cent of the total of basic wages, DA and cash value of food concession by employee. An equal amount was paid by the employer. As on 31st March 1972, the enhanced rate of 8 per cent was made (for employer and employee both) applicable to the establishments employing 50 or more persons.
01.08.1988 to 31.05.1990	8% of the basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber, with effect from 1st August, 1988.
01.06.1990 to 08.04.1997	8% of the basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance (if any) payable to each employee who is a subscriber, with effect from 1st August, 1988. As on 31 st March 1991, the enhanced rate of 10 per cent was made applicable to the establishments employing 50 or more persons.
09.04.1997 to 21.09.1997	Notification dated 9th April, 1997 was issued enhancing Provident Fund contribution rate from 8.33% to 10%. With this 172 categories of industries/establishments out of 177 categories notified were to pay Provident Fund contribution @ 10% w.e.f. 01.05.1997.
22.09.1997 onwards	a) Establishment paying contribution @ 8.33% to 10% b) Establishment paying contribution @10% to 12%

CONTRIBUTIONS RECEIVED

PROVIDENT FUND

4.4 The contribution received in Provident Fund in the last three years is as under:-

PROVIDENT FUND CONTRIBUTIONS RECEIVED (₹ in cr.)						
Year	Exempted Sector	Year-wise variation in %	Un-exempted Sector	Year-wise variation in %	Total Contribution	Year-wise variation in %
2013-14	23,523.08	62.69	52,179.50	13.93	75,702.58	25.63
2012-13	14,458.41	-10.33%	45,798.39	16.15%	60,256.80	8.46%
2011-12	16,123.50	9.05%	39,431.44	21.35%	55,554.94	17.50%

प्राप्त अंशदान

भविष्य निधि

4.4 पिछले 03 वर्ष के दौरान प्राप्त भविष्य निधि अंशदान का विवरण नीचे दिया गया है :-

प्राप्त भविष्य निधि अंशदान (₹ करोड़ों में)						
वर्ष	छूट प्राप्त क्षेत्र	% में वर्षवार भिन्नता	अछूट प्राप्त क्षेत्र	% में वर्षवार भिन्नता	कुल अंशदान	% में वर्षवार भिन्नता
2013-14	23,523.08	62.69	52,179.50	13.93	75,702.58	25.63
2012-13	14,458.41	-10.33%	45,798.39	16.15%	60,256.80	8.46%
2011-12	16,123.50	9.05%	39,431.44	21.35%	55,554.94	17.50%

पेंशन निधि

4.5 भूतपूर्व कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की परिवार पेंशन निधि में कर्मचारी के वेतन का 1.16% नियोक्ता से तथा उतना ही कर्मचारी का अंशदान जमा किया जाना अनिवार्य था। केन्द्र सरकार भी सदस्यों के वेतन का 1.16% पेंशन निधि में अंशदान करती है। वर्तमान पेंशन योजना वर्ष 1995 में आरंभ हुई। बंद हो चुकी परिवार पेंशन निधि के संचय पेंशन योजना के कॉर्पस का भाग हैं।

4.6 पेंशन योजना का वित्तपोषण सदस्यों के वेतन के 8.33% की दर पर नियोक्ता के अंशदान से किया जाता है। इसके अतिरिक्त केन्द्र सरकार सदस्यों के वेतन के 1.16% की दर से अंशदान करती है।

4.7 निम्नलिखित सारणी में गत तीन वर्षों में पेंशन निधि में प्राप्त अंशदान दर्शाया गया है :

वर्ष	नियोक्ता का अंशदान (₹ करोड़ों में)	केन्द्र सरकार का अंशदान (₹ करोड़ों में)	% में वर्षवार भिन्नता (दोनों अंशदान)
2013-14	16,417.74	1,943.99	13.88
2012-13	14,724.01	1,400.00	9.18
2011-12	13,417.47	1,350.00	14.58

बीमा निधि

4.8 नियोक्ताओं को बीमा निधि में कर्मचारी के वेतन के 0.5% की दर से (अधिकतम ₹ 6500/- प्रतिमाह) अंशदान करना होता है। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 620.13 करोड़ की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ 697.78 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है।

4.9 वर्ष 2013-14, 2012-13, एवं 2011-12 हेतु सभी तीनों योजनाओं के अंशदान लेखों में भुगतान एवं अंशदान का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट ए-12(i) से (iii) पर रखा गया है।

PENSION FUND

4.5 The erstwhile Family Pension Scheme, 1971 mandated contribution of 1.16% of wages each from employers and employees to Family Pension Fund contribution. The Central Government also contributed 1.16% of the wages of the members to the Pension Fund. The present Pension Scheme was introduced in 1995. The accumulations in the erstwhile Family Pension Fund formed part of the corpus of Pension Scheme.

4.6 The Pension Scheme is financed by employer contribution at the rate of 8.33% of the wages of the members. In addition, the Central Government contributes at the rate of 1.16% of wages of the member.

4.7 The following table shows the contribution, received in the Pension Fund in last three years.

Year	Employer's share (₹ in cr.)	Central Govt. share (₹ in cr.)	Year-wise variation in % (both share)
2013-14	16,417.76	1,943.99	13.88
2012-13	14,724.01	1,400.00	9.18
2011-12	13,417.47	1,350.00	14.58

INSURANCE FUND

4.8 The employers are required to contribute to the Insurance Fund at the rate of 0.5% of wages of the employee (subject to Maximum of ₹ 6500/-per month). During the year 2013-14, a sum of ₹ 697.76 cr. was received as against ₹ 620.13 cr. in the year 2012-13.

4.9 The Region-wise receipts and payments in the contribution accounts of all the three Schemes for the years 2013-14, 2012-13 & 2011-12 is placed at **Appendix A-12 (i) to (iii)**.

ADMINISTRATIVE AND INSPECTION CHARGES

4.10 The expenditure incurred in administering the Employees' Provident Fund, is met from the Administrative and Inspection charges collected from the employers of un-exempted and exempted establishments respectively. Paras 38 and 39 of the Scheme mandates collection of Administrative Charges on monthly basis from un-exempted establishments. Section 17(3) of the Act mandates collection of Inspection charges from the exempted establishments on monthly basis.

4.11 The rates of Administrative charges applicable are given in the table below: -

MONTHLY ADMINISTRATIVE CHARGES PAYABLE BY THE EMPLOYERS OF UN-EXEMPTED ESTABLISHMENTS		
Period	Rate	Charged on
01.11.1952 to 31.12.1962	3%	Total employers' and employees' contributions.
01.01.1963 to 30.09.1964	3%	Total employer's and employees' contributions payable @ 6.25%.
	2.4%	Total employer's and employees' contributions payable @ 8%.
01.10.1964 to 30.11.1978	0.37%	Total wages on which contributions are payable.
01.12.78 to 30.09.1986	0.37%	Total wages on which contributions are payable subject to a minimum of ₹ 5/- per month.

प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रभार

4.10 कर्मचारी भविष्य निधि को प्रशासित करने का व्यय अछूट प्राप्त एवं छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं से उगाहे गए क्रमशः प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार से किया जाता है। योजना के पैरा 38 एवं 39 में अछूट प्राप्त स्थापनाओं से मासिक आधार पर प्रशासनिक प्रभार की उगाही का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 17(3) में छूट प्राप्त स्थापनाओं से मासिक आधार पर निरीक्षण प्रभार की उगाही का प्रावधान है।

4.11 प्रशासकीय प्रभार की दरें नीचे तालिका में दी गई हैं :-

अछूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय मासिक प्रशासकीय प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की
01.11.1952 से 31.12.1962	3%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के कुल अंशदान की दर ।
01.01.1963 से 30.09.1964	3%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर ।
	2.4%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 8% की दर से देय कुल अंशदान पर ।
01.10.1964 से 30.11.1978	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं ।
01.12.78 से 30.09.1986	0.37%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है परन्तु यह ₹ 5/- प्रतिमाह से कम न हो ।
01.10.1986 से 31.07.1998	0.65%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है परन्तु यह ₹ 5/- प्रतिमाह से कम न हो ।
01.08.1998 से आगे	1.10%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय है परन्तु यह ₹ 5/- प्रतिमाह से कम न हो ।

4.12 निर्धारित निरीक्षण प्रभार की दरें नीचे तालिका में दी गई हैं :-

छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं द्वारा देय मासिक निरीक्षण प्रभार		
अवधि	दर	जिस पर गणना की
01.11.1952 से 31.12.1962	0.75%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर ।
01.01.1963 से 30.09.1964	0.75%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 6.25% की दर से देय कुल अंशदान पर ।
	0.60%	नियोक्ताओं एवं कर्मचारियों के 8% की दर से देय कुल अंशदान पर ।
01.10.1964 से 31.07.98	0.09%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं ।
01.08.1998 से आगे	0.18%	कुल वेतन जिस पर अंशदान देय हैं ।

4.13 वर्ष 2012-13 के दौरान प्राप्त ₹ **2,766.13** करोड़ के स्थान पर वर्ष 2013-14 के दौरान ₹ **3,138.66** करोड़ प्रशासनिक/ निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए। योजना के प्रशासन लेखे

01.10.1986 to 31.07.1998	0.65%	Total wages on which contributions are payable subject to a minimum of ₹ 5/- per month.
01.08.1998 onwards	1.10%	Total wages which contributions are payable subject to a minimum of ₹ 5/- per month.

4.12 The rates of Inspection Charges applicable are given in the table below:

MONTHLY INSPECTION CHARGES PAYABLE BY THE EMPLOYERS OF EXEMPTED ESTABLISHMENTS		
Period	Rate	Charged on
01.11.1952 to 31.12.1962	0.75%	Total employees' and employer's contributions payable @ 6.25%.
01.01.1963 to 30.09.1964	0.75%	Total employees' and employer's contributions payable @ 6.25%.
	0.60%	Total employees' and employer's contributions payable @ 8%.
01.10.1964 to 31.07.98	0.09%	Total wages on which contributions are payable.
01.08.1998 onwards	0.18%	Total wages on which contributions are payable.

4.13 During the year 2013-14, ₹ **3,138.66 cr.** has been collected as Administrative/Inspection Charges, Damages and Interest charged as against ₹ **2,766.13 cr.** collected during 2012-13. The Receipt and Expenditure of Administration Account of the Scheme for the year 2013-14 is given in the table below:

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT (2013-14)		(₹ in cr.)
INCOME:		
A	Administrative, Inspection Charges, Damages and interest charged	3,138.66
B	Interest on Investments	892.55
C	Receipts from other accounts	12.83
D	Miscellaneous receipts	18.01
	TOTAL	4062.05
EXPENDITURE:		
A	Revenue Expenditure	1639.00
B	Capital Expenditure Appropriation	0.00
C	Building Maintenance Expenditure Appropriation	0.00
D	Payments to other Accounts	16.55
	TOTAL	1655.55
Excess of Income over Expenditure		2406.50

की वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्त एवं व्यय नीचे सारणी में दिया गया है :

आय-व्यय लेखा (2013-14)		(₹ करोड़ों में)
आय :		
क	प्रशासनिक, निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा लगाया गया ब्याज	3,138.66
ख	निवेश पर ब्याज	892.55
ग	अन्य लेखों से प्राप्तियां	12.83
घ	विविध प्राप्तियां	18.01
	कुल	4062.05
व्यय :		
क	राजस्व व्यय	1639.00
ख	पूंजीगत व्यय विनियोग	0.00
ग	भवन रख-रखाव व्यय विनियोग	0.00
घ	अन्य लेखों में भुगतान	16.55
	कुल	1655.55
व्यय पर आय की अधिकता		2406.50

4.14 सभी कवर्ड स्थापनाओं के नियोक्ताओं को बीमा योजना पर आए खर्चों की भरपाई हेतु इस योजना के प्रशासनिक प्रभार का भुगतान करना होता है। प्रशासनिक प्रभार की दर वेतन का 0.01% है परंतु यह ₹ 2/- प्रतिमाह से कम न हो। बीमा योजना के अंतर्गत छूट प्राप्त स्थापनाओं को निरीक्षण प्रभार का भुगतान वेतन के 0.005% की दर से करना होता है, जो ₹ 1/- प्रतिमाह से कम न हो। वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ **21.84 करोड़** की राशि की तुलना में वर्ष 2013-14 के दौरान अछूट प्राप्त/छूट प्राप्त स्थापनाओं से ₹ **22.93 करोड़** प्रशासनिक/निरीक्षण प्रभार, नुकसानी तथा लगाए गए ब्याज के रूप में प्राप्त किए गए। इसमें से वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान व्यय ₹ **16.55 करोड़** तथा वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ **14.87 करोड़** था।

संगठन का राजस्व

4.15 वर्ष 2013-14 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का राजस्व नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

स्थापनाओं से प्राप्त प्रशासकीय/निरीक्षण प्रभार एवं शास्तिक नुकसानी				(₹ करोड़ों में)
	योजना	क.भ.नि.योजना	क.नि.सह.बी.यो.	कुल
1	प्रशासकीय प्रभार	3,071.38	21.90	3,093.28
2	निरीक्षण प्रभार	46.50	0.70	47.20
3	नुकसानी एवं ब्याज	20.78	0.33	21.11
	कुल	3,138.66	22.93	3,161.99

4.14 The employers of all covered establishments are required to pay administrative charges to the Insurance Scheme for meeting the expenses incurred on the Scheme. The rate of administrative charges is 0.01% of wages subject to a minimum of ₹ 2/- per month. The establishments granted exemption under the Insurance Scheme, are required to pay the inspection charges @ 0.005% of wages subject to a minimum of ₹ 1 per month. During the year 2013-14, ₹ 22.93 cr. has been received as administrative/inspection charges, damages and interest charged from the un-exempted/exempted establishments as against a sum of ₹ 21.84 cr. during the year 2012-13. Out of which the expenditure in the financial year 2013-14 was ₹ 16.55 cr. and in the financial year 2012-13 was ₹ 14.87 cr.

REVENUE OF THE ORGANISATION

4.15 During the year 2013-14, the revenue of the Organisation is as per the table below:

ADMINISTRATIVE , INSPECTION CHARGES AND PENAL DAMAGES RECEIVED FROM THE ESTABLISHMENTS (₹ in cr.)				
	SCHEME	EPF SCHEME	EDLI SCHEME	TOTAL
1	Administrative Charges	3,071.38	21.90	3,093.28
2	Inspection Charges	46.50	0.70	47.20
3	Damages and interest charged	20.78	0.33	21.11
	TOTAL	3,138.66	22.93	3,161.99

PATTERN OF INVESTMENT

4.16 The funds invested by CBT.EPF during the year comprise the net contributions received after adjusting the payments on account of advances, loans, withdrawals and final settlements. The funds administered by the CBT (EPF) are invested as per the pattern of investment prescribed by the Central Government under para 52 of the EPF Scheme, 1952.

निवेश का पैटर्न

4.16 वर्ष के दौरान अग्रिम, उधार, निकासी एवं अंतिम निपटान के लिए किए गए भुगतान को समायोजित करने के पश्चात् प्राप्त हुआ निवल अंशदान केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा निवेशित निधि में शामिल होता है। केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, क.भ.नि. द्वारा प्रशासित निधियों का निवेश केन्द्र सरकार द्वारा क.भ.नि. योजना, 1952 के पैरा 52 के अंतर्गत निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार किया जाता है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा दिनांक 21.11.2013 की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित मौजूदा निवेश पद्धति नीचे दी गई है :-

	निवेश पद्धति	निवेश की जाने वाली राशि का %
(i)	क) सरकारी प्रतिभूतियां ¹ (ख) अन्य प्रतिभूतियां ² जिसके मूल एवं जिन पर ब्याज के संबंध में केन्द्र अथवा राज्य सरकार ने पूर्णतः तथा बिना किसी शर्त के गारंटी ले रखी है, सिवाय उनके जो निम्न (ii) (क) के अंतर्गत आते हैं। (ग) ऐसे म्युचुअल फंडों की यूनिट जिनका गठन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए समर्पित निधि के रूप में किया गया है तथा जिनका विनियमन प्रतिभूतियां तथा भारतीय विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है। बशर्ते कि कभी भी कुल पोर्टफोलियों का 5% से अधिक म्युचुअल फंड में निवेश नहीं किया जाएगा।	55% तक
(ii)	(क) बैंकों तथा लोक वित्त संस्थानों ³ सहित निकायों कापॉरिट द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि तीन वर्ष से कम न हो बशर्ते कि इस श्रेणी में कम से कम 75% निवेश ऐसे माध्यमों में किया जाए जिनके पास कम से कम एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की एक निवेश ग्रेड रेटिंग हो। ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जारी सावधि जमा रसीदें जो एक वर्ष से कम अवधि की न हों। बशर्ते कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक निम्नलिखित शर्तें पूरी करें (i) पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ में चल रहे हों। (ii) जोखिमपूर्ण परिसंपत्तियों के अनुपात की 9% न्यूनतम पूंजी का अनुरक्षण करते हों। (iii) अनर्जक परिसंपत्तियां निवल अग्रिमों के 2% से अधिक न हों। (iv) न्यूनतम निवल मूल्य 200 करोड़ रुपये से कम नहीं हो। (ग) पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त कापॉरेशन एवं एशियन विकास बैंक के संस्थानों द्वारा जारी रुपया बॉण्ड्स, कम से कम तीन वर्ष की बकाया परिपक्वता वाले।	55% तक
(iii)	पूंजी बाजार माध्यम जिनमें पूंजी बाजार म्युचुअल फंड सम्मिलित हैं।	5% तक

The extant investment pattern notified by the Ministry of Labour & Employment vide notification dated 21.11.2013 is produced below:-

	INVESTMENT PATTERN	% amount to be invested
(i)	(a) Government securities.¹ (b) Other securities² the principal whereof and interest whereon is fully and unconditionally guaranteed by the Central Government or any State Government except those covered under (ii) (a) below. (c) units of mutual funds set up as dedicated funds for investment in Government securities and regulated by the Securities and Exchange Board of India; Provided that the exposure to a mutual fund shall not be more than 5% of the total portfolio at any point of time.	upto 55%
(ii)	(a) Debt securities with maturity of not less than three years tenure issued by Bodies Corporate including banks and public financial institutions³; Provided that at least 75% of the investment in this category is made in instruments having an investment grade rating from at least one credit rating agency. (b) Term Deposit Receipts of not less than one year duration issued by scheduled commercial banks. Provided that the scheduled commercial banks must meet conditions of (i) continuous profitability for immediately preceding three years; (ii) maintaining a minimum Capital to Risk Weighted Assets Ratio of 9%; (iii) having net non-performing assets of not more than 2% of the net advances; (iv) having a minimum net worth of not less than Rs. 200 crores. (c) Rupee Bonds having an outstanding maturity of at least 3 years issued by institutions of the International Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation and the Asian Development Bank.	upto 55%
(iii)	Money market instruments including units of money market mutual funds.	upto 5
(iv)	Shares of companies on which derivatives are available in Bombay Stock Exchange or National Stock Exchange or equity linked schemes of mutual funds regulated by the Securities and Exchange Board of India.	Nil

4.17 Any moneys received on the maturity of earlier investments reduced by obligatory outgoing shall be invested in accordance with this investment pattern.

4.18 Turnover Ratio (the value of securities traded in the year /average value of the portfolio at the beginning of the year and the end of the year) should not exceed 2.

4.19 If any of the instruments mentioned above are rated and their rating falls below investment grade as confirmed by one credit rating agency then the option of exit can be exercised.

(iv)	कंपनियों के शेयर जिन पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अथवा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरीवेटिव उपलब्ध हों / अथवा प्रतिभूतियों तथा भारतीय विनियम बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फंडों की इक्विटी लिंक्ड योजनाएं	शून्य
------	---	-------

4.17 पूर्व में किए गए निवेशों की परिपक्वता पर प्राप्त तथा बाध्यकर व्यय के कारण घटी किसी भी धनराशि को इस अधिसूचना में निर्धारित निवेश पद्धति के अनुसार निवेश किया जाए ।

4.18 टर्नओवर अनुपात (वर्ष में खरीदी गई प्रतिभूतियों का मूल्य / वर्ष के आरंभ में तथा अंत में पोर्टफोलियो का औसत मूल्य) 2 से अधिक नहीं होगा ।

4.19 उपर्युक्त प्रपत्रों की रेटिंग किए जाने तथा उनकी रेटिंग के निवेश ग्रेड से नीचे गिर जाने की स्थिति में तथा यदि इसी रेटिंग की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा पुष्टि कर दी जाए तो निवेश से बाहर आने के विकल्प का उपयोग किया जा सकता है।

4.20 निवेश पद्धति को वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर लिया जाए । यह आशा है कि वर्ष के दौरान निवेश उपर्युक्त पद्धति के अनुसार होगा परंतु, कभी भी किसी श्रेणी में निवेश निर्धारित सीमा से 10% से ज्यादा नहीं होगा ।

4.21 परंतु यह ध्यान रखा जाए कि न्यास की निधि का निवेश न्यासियों की न्यासीय जिम्मेदारी है एवं इसे उचित सावधानी से प्रयोग में लाया जाए । अतः इस प्रकार उपर्युक्त निवेश पद्धति के अनुसार किए गए निवेश निर्णयों के लिए न्यासी पूर्णतः जिम्मेदार हैं ।

पेंशन निधि का निवेश

4.22 (पेंशन योजना के पैरा 26 के अनुसार) पेंशन निधि के निवेश हेतु योजना में निम्नलिखित पद्धति का उपबंध है :-

- दिनांक 15.11.1995 तक की परिवार पेंशन निधि, 1971 की समग्र राशि तथा 16.11.1995 से केन्द्रीय सरकार का अंशदान भारत सरकार के लोक लेखे में निवेशित किया जाएगा।
- पेंशन निधि में होने वाली अभिवृद्धि केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित पद्धति के अनुसार निवेशित की जाएगी।
- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013 में अधिसूचित निवेश पद्धति भी कर्मचारी पेंशन योजना पर लागू है।

4.20 The investment pattern may be achieved by the end of the financial year. It is expected that throughout the year the investments are in conformity with the above pattern; however, at no time investments in any category should exceed by more than 10% of the limit prescribed.

4.21 It may be noted, however, that the investment of the Funds of a Trust is the fiduciary responsibility of the Trustees and needs to be exercised with appropriate due diligence. Therefore, as such, the trustees are solely responsible for the investment decisions taken in accordance with the pattern of investment specified above.

INVESTMENT OF PENSION FUND

4.22 The Scheme provides for investment of the Pension Fund in the following manner (Para 26 of the Pension Scheme).

- (i) The balance corpus of Family Pension Scheme 1971 as on 15.11.1995 and the Central Government contribution from 16.11.1995 onwards is invested in the Public Account of the Government of India.
- (ii) Other accretions to the Pension Fund are invested as per pattern prescribed by the Central Government from time to time.
- (iii) The pattern of investment notified by the Ministry of Labour & Employment in 2013 is also applicable to the Employees' Pension Fund.

INVESTMENT OF INSURANCE FUND

4.23 The contributions received in the "Insurance Fund" were kept in the Public Account upto the financial year 1996-97. The contribution received after making adjustments, due on account of benefits are transferred to the investment account. The corpus invested in the Public Account continues to be invested in Public Account. From 1997-98 onwards net accretions are being invested as per prescribed investment pattern.

PORTFOLIO MANAGEMENT

4.24 The Investment of funds is managed by portfolio managers. The fund managers follow the pattern of investment as notified by the Ministry of Labour & Employment and guidelines as prescribed by the Board from time to time. The Performance of the portfolio managers of EPFO is measured against a Performance Benchmark developed by CRISIL in consultation with Investment Monitoring Cell of EPFO.

4.25 This performance benchmark is dynamic in nature and captures the daily yields of securities in which investment of EPFO money is permissible as per existing investment pattern and Investment guidelines. It is a very important tool with which we are able to compare the performance of our portfolio managers. It also serves as a reference point for both EPFO as well as for the portfolio managers, giving as indicative minimum yield which could have been generated by investing in the prevailing market in the asset classes permissible as per extant Investment pattern and Investment Guidelines.

4.26 The Board in its 195th meeting held on 14.07.2011 approved the appointment of four Portfolio Managers namely 1. State Bank of India, 2. HSBC Asset Management India Pvt. Ltd. 3. Reliance Capital Asset Management Limited, 4. ICICI Securities Primary Dealership Ltd for a period of three years. The appointed Portfolio Manager started managing Employees Provident Fund Organisation corpus from 01.11.2011.

बीमा निधि का निवेश

4.23 वित्तीय वर्ष 1996-97 तक "बीमा निधि" में प्राप्त अंशदान लोक लेखे में रखा जाता था। लाभ स्वरूप देय समायोजन करने के पश्चात् प्राप्त अंशदान को निवेश खाते में अंतरित किया जाता है। लोक लेखे में निवेशित समग्र राशि का लोक लेखे में ही निवेश किया जाना जारी रखा गया है। 1997-98 से निवल अभिवृद्धि को निवेश की निर्धारित पद्धति के अनुरूप निवेश किया जा रहा है।

पोर्टफोलियो प्रबंधन

4.24 निधि के निवेश का प्रबंधन पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। निधि प्रबंधक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश पद्धति एवं समय-समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन का मूल्यांकन क्रिसिल (सी.आर.आई.एस.आई.एल.) द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निवेश मॉनीटरिंग अनुभाग के परामर्श से विकसित निष्पादन मानकों के आधार पर किया जाता है।

4.25 निष्पादन मानक सक्रिय प्रकृति के हैं और यह ऐसी प्रतिभूतियों, जिनमें वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार क.भ.नि. के धन के निवेश की अनुमति है, के दैनिक लाभ की जानकारी प्राप्त करता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है जिससे हम पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन की तुलना कर पाते हैं। यह क.भ.नि. संगठन के साथ-साथ पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए भी संदर्भ बिन्दु का कार्य करता है तथा वर्तमान निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमत परिसंपत्तियों के वर्ग में वर्तमान बाजार में निवेश से अर्जित किए जा सकने वाले सांकेतिक न्यूनतम लाभ की सूचना प्रदान करता है।

4.26 बोर्ड ने दिनांक 14.07.2011 को संपन्न अपनी 195 वीं बैठक में 1. भारतीय स्टेट बैंक, 2. एच.एस.बी.सी. एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 3. रितायस कैपिटल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, 4. आई.सी.आई.सी.आई. सिक्योरिटीज़ प्राइमरी डीलरशिप लिमिटेड नाम के चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों की नियुक्ति का अनुमोदन किया। नियुक्त हुए पोर्टफोलियो प्रबंधकों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की समग्र राशि का प्रबंधन करना दिनांक 01.11.2011 से शुरू कर दिया।

4.27 नियुक्त पोर्टफोलियो प्रबंधकों का कार्य निष्पादन दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक की अवधि के दौरान निम्नानुसार था :

वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन (2013-14)

पोर्टफोलियो प्रबंधक	मानक	लाभ
भारतीय स्टेट बैंक	8.82%	9.25%
रितायस सी.ए.एम.एल.	8.82%	9.22%
एच.एस.बी.सी. ए.एम.एल.	8.82%	9.24%
आई.सी.आई.सी.आई. सि.पी.डी.लि.	8.82%	9.19%

4.27 The Performance of appointed Portfolio Managers during the period 01st April, 2013 to 31st March, 2014 is as under:

FINANCIAL YEAR PERFORMANCE (2013-14)

Portfolio Managers	Benchmark	Yield
SBI	8.82%	9.25%
Reliance CAML	8.82%	9.24%
HSBC AML	8.82%	9.22%
ICICI Sec. PD Ltd	8.82%	9.19%

SALIENT POINTS ON PERFORMANCE OF THE PORTFOLIO MANAGERS

- The Portfolio Managers during the Year generated the Yield by investing in the market under regulated environments of Investment pattern and Investment guidelines.
- The return on investment is subject to variation in market yields and thus cannot be strictly compared with the yields generated in the past years. Therefore the true comparison can be done only amongst the four portfolio managers who are investing in the same market following same regulations.
- The competition among the Fund Managers has mitigated the risk of underperformance by one single portfolio manager, affecting the yield of entire portfolio. Along with competition, creation of dynamic benchmark, works as a reference for all the four portfolio managers, who make their best efforts to not only meet the benchmark but also to outperform it.
- This competition in turns generates better returns on investment for EPFO.

ASSET ALLOCATION

Asset Allocation in r/o incremental accretion (i.e. fresh contributions & interest received during the year including transfer of past accumulations on cancellation of exemption) made during the year in all three schemes is given below (₹ in cr.)

Sl. No.	Category	Provident Fund	Pension Fund	Insurance Fund	TOTAL**	%
1	Central Govt Securities	15,608.48	5,637.31	344.68	21,590.47	29.59
2	State Govt. Securities	11,251.04	4,640.24	273.83	16,165.11	22.16
3	Govt. guaranteed Securities	4,785.38	1,458.30	109.70	6,353.38	8.71
4	SDS	81.73	0.00	0.00	81.73	0.11
5	PSFI*/ Corporate Bonds	15,328.63	4818.22	349.60	20,496.45	28.10
6	Public Account	0.00	7,726.17	542.35	8,268.52	11.33
	Total	47,055.26	24,280.24	1,620.16	72,955.66	100%

** includes Private Sector*

*** excludes maturity proceeds for the year 2013-14 that was re-invested.*

पोर्टफोलियो प्रबंधकों के निष्पादन के संबंध में मुख्य बिन्दु

- वर्ष के दौरान पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा आय का अर्जन बाजार में निवेश पद्धति एवं निवेश दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया था ।
- चूंकि लाभ बाजार आय के उतार-चढ़ाव से जुड़ा है और अतः गत वर्षों में अर्जित आय से इसकी तुलना कड़ाई से नहीं की जा सकती। अतः वास्तविक तुलना केवल चार पोर्टफोलियो प्रबंधकों के बीच की जा सकती है, जो एक ही बाजार में एक जैसे नियमों के तहत निवेश कर रहे हैं।
- निधि प्रबंधकों में प्रतिस्पर्धा से एक अकेले पोर्टफोलियो प्रबंधक के खराब प्रदर्शन का, जिससे पूरे पोर्टफोलियो की आय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जोखिम कम हुआ है । प्रतिस्पर्धा के साथ, सक्रिय मानक का सृजन सभी चारों पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए संदर्भ का कार्य करता है, जो न केवल मानक पूरे करने के लिए बल्कि मानक से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं।
- इस प्रतिस्पर्धा से फिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए निवेश पर बेहतर आय अर्जित होती है ।

परिसंपत्ति निर्धारण

वर्ष के दौरान सभी तीनों योजनाओं में परिसंपत्ति निर्धारण के क्षेत्र में उतरोत्तर वृद्धि (अर्थात् वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान तथा ब्याज जिसमें छूट निरस्त होने के कारण पिछले संचयों का अंतरण शामिल है ।) नीचे दिया गया है

क्र.सं.	श्रेणी	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल	%
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	15,608.48	5,637.31	344.68	21,590.47	29.59
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	11,251.04	4,640.24	273.83	16,165.11	22.16
3	सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	4,785.38	1,458.30	109.70	6,353.38	8.71
4	एस.डी.एस.	81.73	0.00	0.00	81.73	0.11
5	पी.एस.एफ.आई.* / कारपोरेट बांड्स	15,328.63	4818.22	349.60	20,496.45	28.10
6	लोक लेखा	0.00	7,726.17	542.35	8,268.52	11.33
	कुल	47,055.26	24,280.24	1,620.16	72,955.66	100%

* निजी क्षेत्र सम्मिलित है

** वर्ष 2013-14 के लिए प्राप्त परिपक्वता राशि जिसे पुनः निवेशित किया गया था, को छोड़कर

4.28 The total corpus invested under the three schemes and the percentage distribution of amounts invested in different asset classes is as given below:-

Consolidated statement on category wise investment of corpus under different schemes at face value as on 31.03.2014.						
	Category	Schemes (₹ in cr.)				%
		Provident Fund	Pension Fund	Insurance Fund	TOTAL	
1	Central Govt. Securities	86,542.30	49,112.59	2,238.19	1,37,893.08	25.25%
2	State Government Securities	57,692.99	26,331.16	1,450.78	85,474.93	15.65%
3	Government Guaranteed Securities	12,761.19	6,181.90	322.80	19,265.89	3.53%
4	Special Deposit Scheme	52,811.82	1,400.52	2.50	54,214.84	9.93%
5	Public Sector Financial Institutions /Bonds	1,14,896.35	53,339.82	2,773.79	1,71,009.96	31.31%
6	Public Account	0.00	71,319.61	6,922.94	78,242.55	14.33%
	Total	3,24,704.65	2,07,685.60	13,711.00	5,46,101.25	100%

4.29 The details of category-wise investments (un-exempted sector) for the Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund as on 31st March 2014 are at **Appendix A-32 (i) to (iii)** respectively.

INVESTMENTS OF PROVIDENT FUND (EXEMPTED SECTOR)

4.30 The exempted establishments are also generally required to follow the same pattern of investment as prescribed for the investment of the funds of un-exempted establishments being done by EPFO. However, as on 31st March, 2014, while EPFO followed New Pattern of Investment 2013, the exempted establishments continued to follow 2003 Pattern. The total investment of the Provident Fund accumulations in respect of exempted establishments as on 31.03.2014 amounted to ₹ **2,36,080 cr.** The net investment during the year is ₹ **33,965.68 cr.** as against ₹ **22,692.57 cr.** during the previous year. Investment made during the year is given below:

INVESTMENTS MADE BY EXEMPTED ESTABLISHMENTS DURING 2013-14	
Category of Investment	Amount Invested (₹ in cr.)
Central Government Securities	9,065.98
Government Securities created and issued by any State Government and guaranteed securities	5,083.72
Bonds/ Securities of Public Financial Institutions and Certificate of deposits issued by a Public Sector Bank/SDS	24,663.13
TOTAL GROSS INVESTMENT	38,812.83
LESS: Redemption	4,847.15
TOTAL NET INVESTMENT	33,965.68

4.28 तीनों योजनाओं के अंतर्गत निवेशित कुल समग्र राशि तथा विभिन्न परिसंपत्ति श्रेणी में निवेशित राशियों का प्रतिशत में वितरण निम्नानुसार है :-

दिनांक 31.03.2014 को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अंकित मूल्य पर समग्र राशि के श्रेणीवार निवेश की समेकित विवरणी						
	श्रेणी	योजनाएं (₹ करोड़ों में)				
		भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल	%
1	केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	86,542.30	49,112.59	2,238.19	1,37,893.08	25.25%
2	राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	57,692.99	26,331.16	1,450.78	85,474.93	15.65%
3	सरकार द्वारा गारंटीशुदा प्रतिभूतियां	12,761.19	6,181.90	322.80	19,265.89	3.53%
4	विशेष जमा योजना	52,811.82	1,400.52	2.50	54,214.84	9.93%
5	सार्वजनिक क्षेत्र के वित्तीय संस्थान / बांड्स	1,14,896.35	53,339.82	2,773.79	1,71,009.96	31.31%
6	लोक लेखा	0.00	71,319.61	6,922.94	78,242.55	14.33%
	कुल	3,24,704.65	2,07,685.60	13,711.00	5,46,101.25	100%

4.29 दिनांक 31 मार्च, 2014 तक भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा बीमा निधि के लिए श्रेणीवार निवेशों (अछूट प्राप्त क्षेत्र) के ब्यौरे क्रमशः परिशिष्ट ए-32 (i) से (iii) में दिए गए हैं।

भविष्य निधि के निवेश (छूट प्राप्त क्षेत्र)

4.30 छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए भी यह अपेक्षित है कि वे उसी पद्धति से निवेश करें जैसा क.भ.नि.सं की अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए निर्धारित किया गया है । हालांकि, 31.03.2014 को स्थिति के अनुसार जहां कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2013 की नई निवेश पद्धति का पालन किया, छूट प्राप्त स्थापनाओं ने 2003 की पद्धति का अनुसरण जारी रखा । 31.03.2014 तक छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा भविष्य निधि की कुल ₹ 2, 36,080 करोड़ की राशि का निवेश किया गया। पिछले वर्ष ₹ 22,692.57 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 33,965.68 करोड़ का निवल निवेश किया गया।

RATE OF INTEREST TO MEMBERS

4.31 As per the provisions of Paragraph 60(1) of EPF Scheme, EPFO is required to credit interest on the balance available in the accounts of the EPF members at such rate as may be determined by the Central Government in consultation with the CBT. During the year 2013-14, on the recommendation of the CBT, the Central Government has declared the rate of interest of 8.75 % per annum on monthly running balances to be credited to the member's accounts. The interest rate on EPF deposits declared since 1952 onwards is given in **Appendix A-13**.



वर्ष के दौरान किया गया निवेश नीचे दिया गया है :

वर्ष 2013-14 के दौरान छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा किया गया निवेश	
निवेश की श्रेणी	निवेशित राशि (₹ करोड़ों में)
केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	9,065.98
राज्य सरकार द्वारा सृजित तथा जारी सरकारी प्रतिभूतियां तथा गारंटीड प्रतिभूतियां	5,083.72
सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के बॉण्ड/प्रतिभूतियां तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी जमा के प्रमाणपत्र/विशेष जमा योजना	24,663.13
कुल सकल निवेश	38,812.83
घटाई : छुड़ाई गई निधियां	4,847.15
कुल निवल निवेश	33,965.68

सदस्यों को ब्याज दर

4.31 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 60(1) में निहित उपबंधों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के साथ परामर्श के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर पर कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के खातों में उपलब्ध बकाया पर ब्याज प्रदान करना अपेक्षित है। वर्ष 2012-13 के दौरान, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश पर केन्द्र सरकार ने सदस्यों के मासिक चालू बकाया पर ब्याज प्रदान करने के लिए 8.75 % प्रतिवर्ष की ब्याज दर घोषित की है। 1952 से क.भ.नि. जमा पर घोषित ब्याज की दर **परिशिष्ट ए-13** में दी गई है।



अध्याय 5

अनुपालन प्रबंधन

5.1 यह अधिनियम एक सामाजिक सुरक्षा विधान है, जिसे उन उद्योगों, कारखानों तथा स्थापना-श्रेणी में काम कर रहे देश के संगठित कार्यबल को भविष्य निधि, पेंशन निधि तथा बीमा निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है, जिन पर यह कानून लागू होता है।

अनुपालन की कार्यप्रणाली

5.2(i) अनुपालन की कार्यप्रणाली अधिनियम की धारा 1(3)(ए), 1(3)(बी), धारा 1(4) तथा धारा 2ए के अंतर्गत स्थापनाओं की कवरेज से आरंभ होती है। कवरेज के पश्चात्, स्थापनाओं के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को निधि का सदस्य बनाकर, उनके वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटकर तथा उसे अपने समतुल्य अंशदान के साथ निधि में जमा कराकर अधिनियम तथा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं में बनाए गए उपबंधों का अनुपालन करना होता है। नियोक्ताओं को क.नि.स.बी. योजना के लिए अपना अंशदान तथा अधिनियम के अंतर्गत निर्मित तीनों योजनाओं के लिए प्रशासनिक प्रभार जमा कराने होते हैं।

(ii) नियोक्ता निम्नलिखित प्रकार से इसका अनुपालन नहीं करते हैं :

- क) अधिनियम के लागू होने पर विवाद
- ख) भविष्य निधि तथा संबद्ध देयों का भुगतान नहीं करना ; तथा
- ग) सभी पात्र कर्मचारियों को सदस्य नहीं बनाना।

चूककर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई

5.3 अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में निम्नलिखित कार्रवाईयां दी गई हैं :-

- (i) धारा 7 ए के अंतर्गत कार्रवाई - किसी भी व्यक्ति को उपस्थिति के लिए बाध्य करने, अथवा शपथ दिलाकर उसके बयान लेने के लिए, दस्तावेजों की खोजबीन तथा उन्हें प्रस्तुत करने के आदेश देने के लिए, शपथ पत्र पर गवाही लेने के लिए तथा गवाहों के बयान लेने के लिए क्वासी-जुडिशल प्रकृति की जांच-पड़ताल करके विवादों की स्थिति में अधिनियम के लागू होने पर निर्णय करना तथा यथास्थिति इस अधिनियम के या योजना के या पेंशन योजना के या बीमा योजना के किसी भी उपबंध के अंतर्गत किसी भी नियोक्ता द्वारा देय राशियों का निर्धारण करना।
- (ii) धारा 14 बी के अंतर्गत कार्रवाई - किसी भी नियोक्ता द्वारा देय अंशदानों को देरी से जमा कराने के लिए, धारा 15 की उपधारा (2) अथवा धारा 17 की उपधारा (5) के अंतर्गत उसके स्थानांतरित करने योग्य जमा राशियों के अंतरण में चूक के लिए अथवा इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत निर्मित योजनाओं के किसी भी अन्य उपबंध के अंतर्गत देय किन्हीं प्रभारों के भुगतान में चूक के लिए, नियोक्ता को सुने जाने का पर्याप्त अवसर देते हुए, उस पर जुर्माने के रूप में उस दर पर, जो योजना में विनिर्दिष्ट हो, नुकसानी लगाना।

Chapter 5

COMPLIANCE MANAGEMENT

5.1 The Act is a Social Welfare Legislation enacted with a view to extend social security benefits in the form of Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund to the organised work force of the country engaged in the industries, factories and class of establishments to which the statute applies.

ROLE OF COMPLIANCE

5.2(i) The role of compliance begins with coverage of establishments under section 1(3) (a), 1(3)(b), Section 1(4) and under section 2A of the Act. After coverage, the employers of the establishments are required to comply the provisions envisaged under the Act and Schemes framed thereunder in enrolling their employees as members of the fund, deduct provident fund contributions from their salaries and deposit the same to the fund along with their matching contribution. The employers are also required to deposit their contribution towards the EDLI Scheme and Administrative Charges for all the three Schemes framed under the Act.

(ii) There have been the following types of non-compliance on the part of the employers:

- a) Disputes on the applicability of the Act;
- b) Non- payment of provident fund and allied dues; and
- c) Non- enrollment of all eligible members.

ACTIONS AGAINST DEFAULTERS

5.3 The following actions are provided in the Act that can be taken against defaulters to ensure compliance under the Act:

- (i) **Action under section 7A** – Deciding applicability of the Act in case of disputes and determination of amounts due from any employer under any provisions of this Act, the Scheme or the Pension Scheme or the Insurance Scheme, as the case may be, by inquiries, quasi-judicial in nature, for enforcing attendance, requiring attendance of any person or examining him on oath, requiring the discovery and production of documents, receiving evidence on affidavit and issuing commissions for examination of witnesses.
- (ii) **Action under section 14B**– Levy of damages, as penalty, for belated remittance of contributions due from any employer or transfer of accumulations required to be transferred by him under sub-section (2) of Section 15 or sub-section (5) of Section 17 or in the payment of any charges payable under any other provisions of this Act or the Schemes framed thereunder by giving reasonable opportunity of being heard, at such rate as specified in the Scheme.
- (iii) **Action under section 7Q** –Levy of simple interest at the rate of twelve percent per annum or at such higher rate as may be specified in the Scheme on any amount due from the employer under this Act from the date on which the amount has become so due till the date of its actual payment.

- (iii) धारा 7 क्यू के अंतर्गत कार्रवाई - इस अधिनियम के अंतर्गत नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि पर उस तारीख से, जिस पर वह देय होती है, उसके वास्तविक भुगतान की तारीख तक बारह प्रतिशत वार्षिक की दर या ऐसी उच्चतर दर पर, जिसे योजना में विनिर्दिष्ट किया जाए, साधारण ब्याज लगाना ।

5.4 चूककर्ताओं के विरुद्ध कठोर उपाय

- (i) धारा 8 एफ के अंतर्गत कार्रवाई - डाकघरों, बैंकों, बीमाकर्ताओं, इत्यादि सहित तीसरे पक्ष को चूककर्ताओं को देय किसी भी राशि को रोककर इसे भविष्य निधि देयों में विनियोजन हेतु निधि में जमा करने के लिए निषेधाज्ञा जारी करना ।
- (ii) धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई - देयों के भुगतान में टालमटोल करने, सांविधिक विवरणियां प्रस्तुत नहीं करने, मिथ्या विवरण अथवा अभ्यावेदन देने अथवा दिलवाने, जिस शर्त पर छूट प्रदान की गई थी, उसका उल्लंघन करने तथा एक ही अपराध को बार-बार करने के लिए समुचित न्यायालय में चूककर्ता नियोक्ता के विरुद्ध अभियोजन मामले दायर करना ।
- (iii) भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत अभियोजन - अपने कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि अंशदान काटने के पश्चात् उसे भविष्य निधि में जमा नहीं कराने के लिए, जो कि आपराधिक विश्वास भंग की कोटि में आता है, तथा जो कि संज्ञेय अपराध है ऐसा करने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस में मामले दर्ज करना ।
- (iv) अपराध दंड संहिता की धारा 110 के अंतर्गत कार्रवाई - जो नियोक्ता भविष्य निधि तथा संबंधित देयों के भुगतान न करने के आदी हैं अथवा ऐसा न करने की कोशिश करते हैं, उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष अच्छे व्यवहार के लिए जमानत सहित बाँड भरने के आदेश दिए जाते हैं ।

बकाया की वसूली

5.5 नियोक्ता द्वारा देय धनराशियों की वसूली हेतु कर्मचारी भविष्य निधि अध्यादेश, 1951, कर्मचारी भविष्य निधि विधेयक, 1952 तथा अधिनियम में उपबंध अंतर्निहित थे । वसूली के लिए बनाए गए तरीकों के अनुसार, इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि के प्रशासन की लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली समुचित सरकार द्वारा उसी तरह से की जाए, जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया की वसूली की जाती है । इस अधिनियम के अंतर्गत देय किसी अंशदान अथवा किसी भी योजना के अंतर्गत निधि के प्रशासन-लागत के संबंध में नियोक्ता द्वारा देय किसी भी धनराशि की वसूली के लिए संबंधित राज्य सरकारों के प्रमाणपत्र अधिकारियों / राजस्व अधिकारियों को मांगपत्र भेजे जाते थे । राज्य सरकारों पर कोई नियंत्रण न होने के कारण, वसूली की गति बहुत धीमी थी । संगठन के भीतर स्वतंत्र वसूली तंत्र विकसित करने पर विचार किया गया । तदनुसार, मूल अधिनियम की धारा 8 में क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम 1988 (1988 का 33) द्वारा संशोधन किया गया तथा मूल अधिनियम में “ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे उनके द्वारा अधिकृत किया जाए, इस संबंध में सरकारी गजट में अधिसूचना के द्वारा, उसी तरह से जिस तरह से भू-राजस्व के बकाया ” शब्दों के स्थान पर “ धारा 8 बी से 8 जी में विनिर्दिष्ट रीति से ” शब्द, अंक व वर्ण रखे गए । वसूली अधिकारी की परिभाषा व भूमिका अधिनियम में दिनांक 1 अगस्त 1988 से प्रभावी वर्ष 1988 के उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किए गए । इसके परिणामस्वरूप, स्वतंत्र वसूली तंत्र दिनांक 1 जुलाई, 1990 से अस्तित्व में आ गया तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को नाम से वसूली अधिकारियों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया । दिनांक 4 मार्च 1997 से विभिन्न राज्यों में स्थित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संगठन के मुख्यालय में कार्यरत सभी

COERCIVE ACTIONS AGAINST DEFAULTERS

5.4. (i) **Action under section 8F** –Issue of prohibitory orders to 3rd parties including post offices, bankers, insurers etc. to withhold any payment due to the defaulting employers and to remit the same to the Fund for appropriation against Provident Fund dues.

(ii) **Action under section 14**– Filing of prosecution cases against the defaulting employers before the appropriate courts of law for avoiding payment of dues, non-submission of statutory returns, making or causing to make false statement or representation, contravening any condition subject to which exemption was granted and committing same offence repeatedly.

(iii) **Prosecution under section 406/409 IPC** – Filing cases with Police Authorities against the employers who fail to remit the employees' contribution to Provident Fund after deducting the same from their employees which amount to 'criminal breach of trust' and which is a cognizable offence.

(iv) **Action under section 110 Cr.PC** – Requiring the employers who habitually fail or attempt to fail in making payment of provident fund and allied dues to execute bond, with sureties, for 'good behaviour' with the Executive Magistrate.

RECOVERY OF ARREARS

5.5 Provisions for recovery of amount due from employers were inbuilt in the the Employees' Provident Funds Ordinance, 1951, the Employees' Provident Funds Bill, 1952 and the Act. As per the modes of recovery provided, any amount due from an employer in respect of any contribution payable under this Act or towards the cost of administering the Fund payable by him under any Scheme may be recovered by the appropriate Government in the same manner as an arrears of land revenue. Requisitions were used to be sent to the Certificate Officers/Revenue Officers of the respective State Governments for recovery of any money due from an employer in respect of any contribution payable under this Act or towards the cost of administering the Fund payable by him under any Scheme. The pace of recovery was very slow as there was no control over the State Governments. However, evolving an institution of independent recovery machinery within the Organisation was thought of. Accordingly, Section 8 of the principal Act was amended by the EPF & MP (Amendment) Act, 1988 (33 of 1988) and in the principal Act, for the words by the Central Provident Fund Commissioner or such other officer as may be authorized by him, by notification in the Official Gazette, in this behalf, in the same manner as an arrear of land revenue", the words, figures and letters "in the manner specified in Sections 8B to 8G" were substituted. Definition and role of 'Recovery Officer' were inserted in the Act by the said amendment of 1988 effective from 1st August, 1988. As a result, independent recovery machinery was put in place from 1st July, 1990 and RPFs were notified as Recovery Officers by name. From 4th March, 1997, all the RPFs and APFCs working in the Regional/SROs located at different States and in Head Office of the Organisation have been notified to act as Recovery Officers. Notification No. S.O. 796 dated the 4th March, 1997 was published in the Official Gazette on 22nd March, 1997 to that effect.

5.6 For augmenting the recovery, a 'Directorate of Recovery' has been created at the Head Office level which is directly monitoring the performance of the field formations in the area of recovery. Following recovery actions are provided in the statute against the defaulters:

- (i) attachment and sale of movable or immovable property of the establishment or, as the case may be, of the employer;
- (ii) arrest of the employer and his detention in prison ; and
- (iii) appointing receiver for the management of the movable or immovable properties of the establishment or, as the case may be, the employer.

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्तों तथा सहायक भ.नि. आयुक्तों को वसूली अधिकारियों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित कर दिया गया है। इस आशय की अधिसूचना सं.एस.ओ. 796 दिनांक 4 मार्च, 1997 सरकारी गजट में दिनांक 22 मार्च 1997 को प्रकाशित कर दी गई।

5.6 वसूली बढ़ाने के लिए, मुख्यालय स्तर पर 'वसूली निदेशालय' का सृजन किया गया है, जो वसूली के क्षेत्र में फील्ड कार्यालयों के कार्य निष्पादन की सीधे मॉनीटरिंग करता है। चूककर्ताओं के विरुद्ध अधिनियम में निम्नलिखित वसूली कार्रवाईयां दी गई हैं :

- स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति की अटैचमेंट तथा बिक्री;
- नियोक्ता की गिरफ्तारी तथा उसे जेल में कैद रखना ; तथा
- स्थापना अथवा स्थिति के अनुसार, नियोक्ता की चल अथवा अचल सम्पत्ति के प्रबंधन हेतु प्रापक (रिसीवर) की नियुक्ति करना।

भविष्य निधि देयों की प्राथमिकता

5.7 अधिनियम की धारा 11(2) में उपबंध है कि यदि नियोक्ता द्वारा देय कोई भी राशि, चाहे वह (कर्मचारी के वेतन से काटा गया) कर्मचारी का अंशदान अथवा नियोक्ता का अंशदान हो, इस प्रकार देय राशि की स्थापना की परिसम्पत्तियों पर प्रथम वरीयता मानी जाएगी तथा फिलहाल लागू किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी, अन्य ऋणों पर वरीयता देते हुए उसका भुगतान किया जाएगा।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक बनाम भविष्य निधि आयुक्त [2009(10)एस.सी.सी.123:2009(123)एफ.एल.आर.,653:2009(2)एस.सी.सी., (एल.एंड एस)743(एस.सी. - 3M)]** मामले में निर्णय दिया कि भविष्य निधि देयों के भुगतान किसी कंपनी के अन्य सभी देयों तथा ऋण पर वरीयता देते हुए किए जाएंगे।

परिसमापन के मामलों में भी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का **कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त बनाम ओ.एल.एफ. एस्के फार्मास्यूटिकल - 2011(5)एल.एल.एन.1:2012(1)एल.एल.जे.1:2012(132) एफ.एल.आर.98(एस.सी.-2एम.)** मामले में निर्णय है कि क.भ.नि. देयों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर करना है।

वर्ष के दौरान अनुपालन की स्थिति पर नोट

अछूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया प्रबंधन

5.8 वर्ष के दौरान योजनावार निर्धारित बकाया, वसूल की गई राशि तथा अंत शेष (₹ करोड़ों में) नीचे तालिका में दिया गया है :-

निधि प्रकार	कार्यभार	वसूल किया गया	अंत शेष
भविष्य निधि	3,692.89	1,177.64	2,515.25
पेंशन निधि	1,798.78	501.25	1,297.53
बीमा निधि	159.97	43.40	116.57
कुल	5,651.64	1,722.29	3,929.35

PRIORITY OF PROVIDENT FUND DUES

5.7 Section 11(2) of the Act provides that, if any amount is due from an employer, whether in respect of employees' contribution (deducted from the wages of employees) or the employers' contribution, the amount so due shall be deemed to be the first charge on the assets of the establishment, and shall notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, be paid in priority to all other debts.

The Hon'ble Supreme Court in *Maharashtra State Co-operative Bank Vs. Provident Fund Commissioner [2009(10)SCC.123:2009(123)FLR, 653:2009(2)SCC, (L&S) 743(S.C. – 3M)]* has held that the provident fund dues shall be paid in priority to all other dues and debt of a company.

Even in cases of liquidation, the Hon'ble Supreme Court has held that the EPF dues are to be paid in priority in *Employees' Provident Fund Commissioner Vs. O.L. of Esskay Pharmaceuticals Limited – 2011(5)LLN.1:2012(1)LLJ.1:2012(132)FLR.98(S.C.-2M)]*

STATUS NOTE ON COMPLIANCE DURING THE YEAR

ARREAR MANAGEMENT IN UN-EXEMPTED SECTOR

5.8 During the year the scheme wise details of Assessed Arrears, Amounts Recovered and the closing balance is given in the table below. The details of the arrears under the Provident Fund, Pension Fund and Insurance Fund during the period 2013-14 are given in **Appendix A-14 (i), (ii) & (iii)** respectively.

Type of Fund	Total Arrears	Recovered	Closing Balance (₹ in cr.)
Provident Fund	3,692.89	1,177.64	2,515.25
Pension Fund	1,798.78	501.25	1,297.53
Insurance Fund	159.97	43.40	116.57
Total	5,651.64	1,722.29	3,929.35

BIFURCATION OF ARREARS OF CONTRIBUTION (ALL SCHEMES)

5.9 Out of the total arrears of ₹ **3,929.35 cr.** an amount of ₹ **2625.58 cr.** falls under NIR category and ₹ **1303.77 cr.** are realizable through recovery proceedings. The arrears falling under NIR category could not be recovered over the years due to various reasons such as:

- Amount disputed in Courts/Tribunal.
- Establishments having gone into liquidation.
- Recovery action barred by the Acts of Central/State Governments/Grant of Installments.
- Establishments in respect of which Rehabilitation Scheme had been sanctioned by the BIFR.

5.10 NIR amount accounts for 71% of the arrears demand. The break-up indicating the reason and category of the default falling under NIR category is given below:-

Status of NIR arrears	Number of cases	Amount involved (₹ in cr.)	% of Total
Stay by Courts	5,425	1,958.76	74.60
Under Liquidation	1,337	335.46	12.78
BIFR	465	98.03	3.73
Others	3,721	233.33	8.89
TOTAL	10,948	2,625.58	100%

वर्ष 2013-14 के दौरान भविष्य निधि, पेंशन निधि एवं बीमा निधि के बकाया का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट ए-14 (i), (ii) एवं (iii)** में दिया गया है।

अंशदान के बकाया का विभाजन (सभी योजनाएँ)

5.9 ₹ 3,929.35 करोड़ के कुल बकाया में से ₹ 2625.58 करोड़ तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी में आते हैं और ₹ 1303.77 करोड़ रुपये की राशि वसूली कार्यवाही के माध्यम से वसूली योग्य है। तत्काल न वसूलने योग्य श्रेणी के अंतर्गत वर्षों से बकाया की वसूली निम्नलिखित कारणों से नहीं की जा सकी है :-

- न्यायालय / अधिकरण में विवादित राशि
- समापनाधीन स्थापनाएँ
- केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियमों के कारण वसूली कार्रवाई / किश्तों की मंजूरी बाधित है।
- वे स्थापनाएँ, जिनको पुनर्स्थापना के लिए बी.आई.एफ.आर. द्वारा मंजूरी दी गई है।

5.10 बकाया मांग की तत्काल न वसूली जाने वाली राशि का 71% है। फील्ड कार्यालय नियमित रूप से वसूली की मॉनीटरिंग कर रहे हैं। तत्काल न वसूली योग्य श्रेणी में आने वाली चूक की श्रेणी और कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल न वसूलने योग्य बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ों में)	कुल का %
कोर्ट द्वारा रोक	5,425	1,958.76	74.60
समापनाधीन	1,337	335.46	12.78
बी.आई.एफ.आर.	465	98.03	3.73
अन्य	3,721	233.33	8.89
कुल	10,948	2,625.58	100%

5.11 चूककर्ता स्थापनाओं की क्षेत्र-वार स्थिति निम्नानुसार है

क्षेत्र	स्थापनाओं की संख्या	चूक की राशि (₹ करोड़ों में)
निजी	71,239	3,096.14
सार्वजनिक	1,04,044	694.25
सहकारी	1,979	138.95
कुल	74,262	3,929.34

5.12 31.03.2014 को सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र से संबंधित तीनों योजनाओं के बकाया का ब्यौरा **परिशिष्ट ए-14 (iv)** में दिया गया है।

5.11 Sector-wise status of defaulting establishment is as under:-

Sector	No. of Establishment	Amount in defaulting (₹ in cr.)
Private	71,239	3,096.14
Public	1,044	694.25
Co-operative	1,979	138.95
Total	74,262	3,929.34

5.12 Region-wise bifurcation of arrears for all schemes as on 31.03.2014 with reference to Public, Private and Cooperative Sector is given in **Appendix A-14 (iv)**.

5.13 The summary of Unexempted establishments which were in default of Provident Fund dues of ₹ **50 lac** and above as on 31.03.2014 is given at **Appendix A-15(i)**. A list of unexempted establishments in default of ₹ **1 cr.** or more is given in **Appendix A-15 (ii)**.

OTHER ARREARS (ADMINISTRATION ACCOUNTS) ALL SCHEMES

5.14 The total arrears include an amount of ₹ **197.31 cr.** on account of administration and inspection charges (exclusive of Penal Damages and Interest levied on it) and ₹ **1,651.36 cr.** on account of Penal damages levy and interest.

ACTION TAKEN TO ARREST THE DEFAULT

5.15 The following actions were taken by the organisation against the Defaulting Establishment for recovery of dues:

(a) *Assessment of dues under section 7A of the Act:* The status of initiation and disposal of assessment cases, zone-wise, is given in **Appendix A-16(i)** and the details of the periodicity of the Pending Section 7A cases are given in **Appendix A-16(ii)**.

(b) *Assessment of Interest under section 7Q of the Act:* The total workload during 2013-14 was ₹ **867.84 cr.** out of which ₹ **274.19 cr.** it being **31.59%** of the total workload was recovered. As on 31st March 2014 ₹ **593.65 cr.** was outstanding for recovery. The Zone/Region wise details are given in **Appendix A-17**.

(c) *Levy of Damages under section 14 B of the Act for belated remittances:* Total amount due for realization during the year 2013-14 was ₹ **1,243.84 cr..** Out of this ₹ **186.13 cr.** were recovered. Region-wise details of penal damages imposed collected and outstanding at the end of the year are given in **Appendix A- 18**.

(d) (i) *Action taken under section 8 of the EPF Scheme, 1952 read with Section 14 of the Act:* The action taken status report during the year 2013-14 is given in the table below:-

Type of Fund	Total Arrears		Recovered		Closing Balance	
	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)	No. of RRCs	Amount (₹ in cr.)
Provident Fund	66,011	2,436.62	14,341	206.55	51,670	2,230.06
Pension Fund	54,643	1,214.54	11,662	99.91	42,981	1,114.63
Insurance Fund	52,683	91.18	11,353	8.66	41,330	82.52
TOTAL	1,73,337	3,742.34	37,356	315.12	1,35,981	3,427.21

5.13 31.03.2014 को भविष्य निधि के ₹ 50 लाख तथा इससे अधिक चूक वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए -15 (i) पर दिया गया है। ₹ 1 करोड़ से अधिक चूक वाली अछूट प्राप्त स्थापनाओं का ब्यौरा परिशिष्ट ए -15 (ii) पर दिया गया है।

अन्य बकाया (प्रशासनिक लेखे) सभी योजनाएँ

5.14 कुल बकाया में प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार के रूप में ₹ 197.31 करोड़ की राशि (शास्तिक नुकसानी तथा उस पर लगाए ब्याज को छोड़कर) शामिल है और ₹ 1,651.36 करोड़ शास्तिक नुकसानी तथा ब्याज की बकाया राशि के रूप में हैं।

चूक रोकने हेतु कृत कार्रवाई

5.15 देयों की वसूली हेतु संगठन द्वारा चूककर्ता स्थापनाओं के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई :

(क) अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत देयों का निर्धारण : निर्धारण मामलों का प्रारंभ तथा निपटान का अंचलवार ब्यौरा परिशिष्ट ए-16 में दिया गया है एवं 7ए के लंबित मामलों के आवर्तन (Periodicity) के ब्यौरे परिशिष्ट ए-16 (ii) में दिए गए हैं :-

(ख) अधिनियम की धारा 7क्यू के अंतर्गत ब्याज का निर्धारण : वर्ष 2013-14 के दौरान कुल कार्यभार ₹ 867.84 करोड़ था, इसमें से ₹ 274.19 करोड़, जो कुल कार्यभार का 31.59% था, की वसूली की गई। 31 मार्च 2014 को ₹ 593.65 करोड़ वसूली हेतु बकाया थे। अंचलवार / क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट ए-17 पर दिया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 14बी के अंतर्गत नुकसानी लगाना: वर्ष 2013-14 के दौरान वसूली की कुल बकाया राशि ₹ 1,243.84 करोड़ थी। इसमें से ₹ 186.13 करोड़ की वसूली की गई। लगाई गई, एकत्रित व वर्ष के अंत में शेष शास्तिक नुकसानी का क्षेत्रवार ब्यौरा परिशिष्ट ए- 18 में दिया गया है।

(घ) (i) अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित क.भ.नि. योजना, 1952 की धारा 8 के अंतर्गत की गई कार्रवाई : वर्ष 2013-14 के दौरान कृत कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट नीचे तालिका में दी गई है :-

निधि प्रकार	कार्यभार		वसूले गए		अंत शेष	
	आर.आर. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	आर.आर. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)	आर.आर. सी. की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
भविष्य निधि	66,011	2,436.62	14,341	206.55	51,670	2,230.06
पेंशन निधि	54,643	1,214.54	11,662	99.91	42,981	1,114.63
बीमा निधि	52,683	91.18	11,353	8.66	41,330	82.52
कुल	1,73,337	3,742.34	37,356	315.12	1,35,981	3,427.21

- (ii) **Attachment PF Property:** During the year 2013-14, a sum of ₹ **206.43 cr.** was recovered by invoking the provision of Section 8B for attachment and sale of properties of Defaulting Establishment. The status of attachment of property/Arrest of defaulters, Un-Ex sector is given in **Appendix A-22.**

5.16 The Region-wise data of certificates issued, executed and pending at the end of the year in respect of EPF, EPS and EDLI are given at **Appendix A-19(i), (ii) & (iii)** respectively.

(e) **Action taken under section 14 of the Act: 67,084** Prosecution cases were filed in the Criminal Courts under the provisions of Section 14 of the Act against Defaulting Establishment and employers. Region-wise status of EPF, EPS and EDLI cases are given in **Appendix A-20 (i) to (iii)** respectively.

(f) **Action taken under section 406/409 of IPC: 158** FIRs were filed with the police authorities U/S 406/409 of Indian Penal Code (IPC) against the employers for non-remittance of the Employees' share of Provident Fund contributions deducted from their wages / salary. Region-wise data of the cases filed before the Police, the details of challans filed by the Police in Courts and Complaints directly filed in Courts and details of their disposal with pendency of IPC cases are given at **Appendix A-21 (i) & (ii).**

OTHER ACTIONS TAKEN BY EPFO FOR RECOVERY OF ARREARS

5.17 Apart from the above actions, instructions have also been issued to all RPFs to take the following steps for recovery:

- To seek the help of the State Government for recovery of arrears.
- To display the names of 10 biggest defaulters of the region / sub-region in the front area of the office at a prominent place.
- To seek full co-operation of the State Police for attachment of movable and immovable properties of the defaulting employers.
- To have the jails notified as civil prisons by the appropriate authorities.
- Flash the names of major defaulters on the EPFO's website.

5.18 Legal action under section 14 of the Act has been initiated against the Establishments in order to collect the realizable dues. Action under section 406/409 of IPC has also been initiated for non-payment of employees' share. The names of the Defaulting Establishment in excess of ₹ **1 cr.** is given in **Appendix A-15(ii)** (Un-exempted dues) and **Appendix A-25(ii)** (Exempted dues).

EXEMPTION

5.19 The Act provides that the appropriate Government may, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be notified in the notification, exempt any establishment brought under the ambit of the Act from the operation of this Act or of any Scheme which could formulate independent Schemes conferring benefits not less favorable than those provided under the Statutory Schemes, to their employees under section 17 of the Act, if the majority of the employees are in favour of such an exemption. This provision is by and large availed by establishments to obtain exemption from the operations of the Scheme and Insurance Scheme. Such independent Provident Fund Schemes could also be operated for a class of employees under the provisions of Paragraph 27A of the Scheme. Exemption under Paragraph 27A of the Scheme is not granted by notification but by order of the appropriate Government. The conditions governing exemption are stipulated in Appendix 'A' to Paragraph 27AA of the Scheme. (*"Appropriate Government" means, the Central Government in relation to an establishment belonging to, or under the control of the Central Government or in relation to an establishment connected with a railway company, a major port, a mine or an oil-field or a controlled industry or in relation to an establishment having departments or branches in more than one State and in relation to any other establishment under the*

(ii) **भ.नि. सम्पत्ति का अटैचमेंट** : वर्ष 2013-14 के दौरान चूककर्ता स्थापनाओं की संपत्ति की बिक्री और अटैचमेंट के लिए धारा 8बी के प्रावधानों का प्रयोग करके ₹ **206.43 करोड़** वसूल किए गए । अछूटप्राप्त स्थापनाओं के चूककर्ताओं की सम्पत्ति का अटैचमेंट करने / गिरफ्तारी की स्थिति **परिशिष्ट ए-22** में दी गई है ।

5.16 कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के संबंध में जारी, निष्पादित एवं वर्ष के अंत में लंबित प्रमाण पत्रों का क्षेत्रवार ब्यौरा क्रमशः **परिशिष्ट ए-19 (i), (ii) एवं (iii)** पर दिया गया है ।

(इ) **अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कृत कार्रवाई** : 67,084 चूककर्ता स्थापनाओं और नियोक्ताओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 में निहित उपबंधों के अनुसार आपराधिक न्यायालयों में अभियोजन के मामले दायर किए गए । कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी पेंशन योजना, कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के मामलों की क्षेत्रवार स्थिति क्रमशः **परिशिष्ट ए-20 (i) से (iii)** में दी गई है ।

(च) **भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत कृत कार्रवाई** : कर्मचारियों के वेतन से काटे गए भविष्य निधि अंशदान जमा न कराने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत **158** एफ.आई.आर. दर्ज की गई । पुलिस के समक्ष दायर मामलों का क्षेत्रवार विवरण, पुलिस द्वारा न्यायालय में दायर किए गए चालान और न्यायालय में सीधे दर्ज की गई शिकायतों का विवरण तथा भारतीय दंड संहिता मामलों के निपटान एवं बकाया का विवरण **परिशिष्ट ए-21(i) एवं (ii)** में दिया गया है ।

बकाया की वसूली के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा की गई अन्य कार्यवाहियां

5.17 उपर्युक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, वसूली की निम्नलिखित कार्रवाई के लिए सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्तों को निदेश भी जारी किए गए हैं :

- बकाया की वसूली के लिए राज्य सरकार की सहायता लेना ।
- क्षेत्र / उप क्षेत्र के 10 सबसे बड़े चूककर्ताओं के नाम कार्यालय के अग्रभाग में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित करना ।
- चूककर्ता नियोक्ताओं की चल और अचल सम्पत्ति के अटैचमेंट हेतु राज्य पुलिस से पूरा सहयोग लेना ।
- समुचित प्राधिकारियों द्वारा बंदिगृहों को नागरिक कारागार के रूप में अधिसूचित करना ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर प्रमुख चूककर्ताओं के नाम दर्शाना ।

5.18 वसूली योग्य देयों की उगाही के लिए स्थापनाओं के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की गई । कर्मचारियों के भाग की अदायगी न करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अधीन भी कार्रवाई प्रारंभ की गई । ₹ **1 करोड़** से अधिक की चूक वाली स्थापनाओं के नाम **परिशिष्ट ए-15(ii)** (अछूट प्राप्त देयताएं) तथा **परिशिष्ट ए-25(ii)** (छूट प्राप्त देयताएं) में दिए गए हैं ।

छूट

5.19 अधिनियम के अंतर्गत समुचित सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा राजपत्र में अधिसूचित शर्तों के अधीन, अधिनियम के अंतर्गत आने वाली स्थापनाओं को छूट प्रदान कर सकती है जिसमें ऐसी स्थापनाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी है, जिसमें स्थापना अपने कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र योजनाएं बना सकती हैं,

State Government).

5.20 In addition, individual employees may also seek exemption under Paragraph 27 of the Scheme for enjoying the benefits of enrollment under the excluded Scheme administered by the establishment.

5.21 The grant of such exemption enables the employees to continue to enjoy better benefits available to them under the private Provident Fund Scheme. Any such exemption granted to an establishment is liable to be cancelled for contravention of any of the conditions governing exemption as stipulated in **Appendix 'A' to Paragraph 27AA** of the Scheme.

EXEMPTED ESTABLISHMENTS AND MEMBERS

5.22 **3621** establishments are enjoying exemption as on 31.03.2014. **62,15,844** members are serviced by these exempted establishments as against **56, 48,143** members during the previous year. Region-wise coverage of members is given in **Appendix A-11 (i)**.

STATE WISE CONCENTRATION OF ESTABLISHMENTS AND MEMBERS

5.23 Exempted Establishments and members are concentrated mainly in five states namely Maharashtra, Karnataka, Delhi, West Bengal and Andhra Pradesh. These five States constitute **55.10 %** of the total exempted establishments and **71.70 %** of the total membership of the exempted sector as stated in **Appendix A- 11 (ii)**.

CONTRIBUTIONS

5.24 An amount of **23,523.08 cr.** were collected and transferred to the Private Trust by the employers of exempted establishments as contributions during the year as against **₹ 14,458.41 cr.** during the previous year.

INSPECTION CHARGES

5.25 The employers of exempted establishments are required to pay the inspection charges @ 0.18% of the basic wages and DA including cash value of food concession and retaining allowance if any, to the EPFO.

RATE OF INTEREST

5.26 Declaration of rate of interest payable to the members at the rate not lower than the interest rate declared for the members of the Statutory Fund is one of the conditions for grant of exemption. Out of the total **3621** exempted establishments **1175** establishments did not declare the rate of interest. The broad pattern of interest rate declared by the remaining **2420** establishments is given in the table below:-

RATE OF INTEREST ALLOWED TO MEMBERS - EXEMPTED ESTABLISHMENTS		
	Establishments	Members
Higher than the Statutory Rate	117	2,48,586
Equal to the Statutory rate of 8.5%	2301	52,63,494
Less than the Statutory rate	2	3,600
Total	2420	55,15,680

जिसमें उन्हें दिये जाने वाले लाभ सांविधिक योजनाओं से कम नहीं हो। ऐसी स्थापनाएं अधिनियम की धारा 17 से छूट प्राप्त कर सकती हैं, यदि अधिकांश कर्मचारी इस छूट के पक्ष में हों। कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के परिचालन से छूट प्राप्त करने के लिए स्थापनाओं द्वारा इस उपबंध का उपयोग किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 ए के उपबंधों के अंतर्गत कर्मचारियों के एक वर्ग के लिए ऐसी स्वतंत्र भविष्य निधि योजनाएं चलाई जा सकती हैं। योजना के पैरा 27 ए के अंतर्गत छूट अधिसूचना द्वारा नहीं परंतु समुचित सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। छूट संबंधी शर्तों को योजना के पैरा 27ए के परिशिष्ट 'ए' में निर्धारित किया गया है। *("समुचित सरकार" से तात्पर्य है - केन्द्रीय सरकार तथा केन्द्र सरकार से संबंधित या नियंत्रण के अधीन संस्थान के संबंध में, या रेल कंपनी, बड़ा बंदरगाह, खान या शिला - तेल क्षेत्र (ऑयल फील्ड) या नियंत्रित उद्योग (या वह संस्थान, जिसके विभाग या शाखा एक से अधिक राज्य में हों, के संबंध में) तथा अन्य किसी भी संस्थान के संबंध में राज्य सरकार) ।*

5.20 इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि योजना के पैरा 27 के अंतर्गत स्थापना द्वारा प्रशासित अपवर्जित (एक्सक्लूडेड) योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से कोई भी कर्मचारी छूट प्राप्त कर सकता है।

5.21 इस प्रकार छूट प्राप्त करने से कर्मचारी निजी भविष्य निधि योजना के उपबंध के अंतर्गत अधिक लाभ प्राप्त कर सकता है। किसी स्थापना को दी गयी इस प्रकार की छूट को निरस्त किया जा सकता है, यदि उसने योजना के पैरा 27ए के परिशिष्ट ए में दी गयी छूट की किसी शर्त का उल्लंघन किया हो।

छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य

5.22 31.03.2014 तक छूट प्राप्त श्रेणी में **3621** स्थापनाएं थीं। इन छूट प्राप्त स्थापनाओं में पिछले वर्ष के **56, 48,143** सदस्यों के स्थान पर **62, 15,844** सदस्य कार्यरत थे। क्षेत्रवार सदस्यों का कवरेज विवरण परिशिष्ट ए -11 (i) में दर्शाया गया है।

स्थापनाओं एवं सदस्यों का राज्यवार संक्रेन्द्रण

5.23 छूट प्राप्त स्थापनाएं एवं सदस्य मुख्यतः पांच राज्यों नामतः महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश में संक्रेन्द्रित हैं। ये पांच राज्य छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल प्राप्त स्थापनाओं का **55.10 %** तथा कुल सदस्यता के **71.70 %** भाग का निर्माण करते हैं जैसा कि परिशिष्ट ए- 11(ii) में दर्शाया गया है।

अंशदान

5.24 गत वर्ष के ₹ **14,458.41** करोड़ की तुलना में इस वर्ष नियोक्ताओं द्वारा अंशदान के रूप में ₹ **23,523.08** करोड़ की राशि एकत्रित की गयी।

निरीक्षण प्रभार

5.25 छूट प्राप्त स्थापनाओं के नियोक्ताओं को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता जिसमें भोजन रियायत का नकद मूल्य एवं प्रतिधारण भत्ता यदि कोई है तो, उसके 0.18% की दर से निरीक्षण प्रभार देना होता है।

Exemption under EPS, 1995.

5.27 The details of exempted pension fund trusts as on 31.03.2014 are as under:

S.No	Name of Pension Fund Trust	No. of Pension Fund Member	Total corpus (₹ in cr.)
1.	M/s. Oil India Ltd (AS/328)	7792	819.72 Crores
2.	M/s. Malaysia Airlines (TN/8785)		(The establishment has submitted application for surrender of EPS Exemption)
3.	M/s. Tata Motors (MH/30276, JH/05)	1,17,455	644.76 Crores (Including RO, Thane and Jamsedpur)
	UP/20366	4431	23.37 Crores

EXEMPTION FROM THE EMPLOYEES' DEPOSIT LINKED INSURANCE SCHEME, 1976

5.28 On the request of the employer, the CPFC may, if requested so to do by the employer, by notification in the Official Gazette, and subject to such conditions as may be specified in the notification, exempt, any establishment from the operation of all or any of the provisions of the Insurance Scheme, if he is satisfied that the employees of such establishment are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits in the nature of life insurance, whether linked to their deposits in provident fund or not, and such benefits are more favourable to such employees than the benefits as admissible under the Insurance Scheme under section 17 (2A) of the Act. The Insurance Scheme may provide for the exemption of any person or class of persons employed in any establishment and covered by that scheme from the operation of all or any of the provisions thereof, if the benefits in the nature of life insurance admissible to such person or class of persons are more favourable than the benefits under the Insurance Scheme. As on date, **69** establishments have been granted exemption from the Scheme during this year as compared to **93** establishments during the previous year.

ARREAR MANAGEMENT IN THE EXEMPTED SECTOR

5.29 Out of an arrear of ₹ **617.60 cr.**, an amount of ₹ **67.19 cr.** was recovered leaving a balance of ₹ **550.41 cr.** The details are given in **Appendix A -23 (i).**

5.30 The major portion of arrears of exempted establishments is in the State of West Bengal amounting to ₹ **150.81 cr.** followed by the State of Ranchi amounting to ₹ **116.31 cr.**, Rajasthan amounting to ₹ **64.37 cr.**, Karnataka amounting to ₹ **61.35 cr.** and Maharashtra amounting to ₹ **34.00 cr.** together representing **77.55%** of the total arrears as depicted in **Appendix A-23 (ii).**

BIFURCATION OF ARREARS – PUBLIC AND PRIVATE SECTOR ESTABLISHMENTS

5.31 Out of the total **411** Defaulting Establishment under the exempted sector, **305** establishments belong to the Private Sector and **106** establishments fall under the Public Sector. In terms of amount, out of the total default of ₹ **550.37 cr.**, Private Sector amount for ₹ **186.95 cr.** and public sector ₹ **363.42 cr.** The Region-wise default position of exempted establishments both in Public and Private Sector is given in **Appendix A- 24.**

ब्याज दर

5.26 छूट प्रदान करने की शर्तों में से एक है कि सदस्यों के जमा पर सांविधिक निधि के सदस्यों के लिए घोषित ब्याज दर से कम ब्याज घोषित नहीं किया जाएगा। कुल **3621** छूट प्राप्त स्थापनाओं में से **1175** स्थापनाओं ने ब्याज दर घोषित नहीं की है। शेष **2420** स्थापनाओं द्वारा घोषित ब्याज दर की व्यापक पद्धति का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :-

सदस्यों को स्वीकृत ब्याज दर – छूट प्राप्त स्थापनाएं		
	स्थापनाएं	सदस्य
सांविधिक दर से अधिक	117	2,48,586
8.5% की सांविधिक दर के बराबर	2301	52,63,494
सांविधिक दर से कम	2	3600
कुल	2420	55,15,680

पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत छूट

5.27 दिनांक **31.03.2014** को छूट प्राप्त पेंशन निधि न्यासों का विवरण इस प्रकार है :

पेंशन निधि न्यास का नाम	पेंशन निधि के सदस्यों की संख्या	कुल संचय (₹ करोड़ों में)
मैसर्स ऑयल इंडिया लिमिटेड (ए.एस./328)	7792	819.72 करोड़
मैसर्स मलेशिया एयरलाइन्स (टी.एन./8785)		(स्थापना द्वारा कर्मचारी पेंशन योजना से छूट को रद्द करने के लिए आवेदन किया गया है)
मैसर्स टाटा मोटर्स लिमिटेड (एम.एच./30276, जेएच/05) यू.पी./20366	1,17,455 4431	644.76 करोड़ (क्षेत्रीय कार्यालय थाणे एवं जमशेदपुर सहित) 23.37 करोड़

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 से छूट

5.28 नियोक्ता के अनुरोध पर, यदि के.भ.नि.आ. चाहें तो, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा तथा अधिसूचना में उल्लिखित शर्तों के अधीन, किसी स्थापना को बीमा योजना के सभी उपबंधों अथवा किसी भी उपबंध के प्रचालन से छूट दे सकते हैं, यदि वे आश्वस्त हों कि ऐसी स्थापना के कर्मचारी बिना कोई पृथक अंशदान अथवा किश्त की अदायगी के, अधिनियम की धारा 17 (2ए) के अंतर्गत बीमा निधि की प्रकृति के लाभ प्राप्त कर रहे हैं, चाहे उनके निक्षेप भविष्य निधि से संबद्ध हैं अथवा नहीं और इन कर्मचारियों को मिलने वाले लाभ अधिनियम की धारा 17 (2ए) के अंतर्गत बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले स्वीकार्य लाभों से बेहतर हैं। बीमा निधि के अंतर्गत योजना के अंतर्गत कवर्ड किसी स्थापना में कार्यरत व्यक्ति अथवा व्यक्ति वर्गों को सभी अथवा किसी उपबंध के प्रचालन में छूट उपलब्ध है यदि बीमा निधि के अंतर्गत उपलब्ध लाभों से ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्ति वर्गों को मिलने वाले यह जीवन बीमा लाभ बेहतर हों। पिछले वर्ष के दौरान, आज तक 69 स्थापनाओं को योजना से छूट प्रदान की गई, जबकि पिछले वर्ष 93 स्थापनाओं को छूट दी गई थी।

STATUS OF ARREARS

5.32 Out of the total default of ₹ **550.41 cr.**, an amount of ₹ **403.14 cr.** fall under NIR category leaving a balance of ₹ **147.27 cr.** realisable through recovery and penal actions under the Act. The arrears falling under the NIR category could not be recovered over the years due to various reasons, such as:

- Amount disputed in Courts,
- Factories having gone into Liquidation,
- Recovery barred by the Acts of Central/State Governments,
- Factories declared Sick by the Board of Industrial & Financial Reconstruction or factories in respect of which a Rehabilitation Scheme had been sanctioned by or is under formulation/consideration of the BIFR.

5.33 NIR amount accounts for 73.24% of the arrears demand. Break-up indicating the reason and category of default falling in NIR category is given below:-

Status of NIR arrears	No. of cases	Amount involved (₹ in cr.)	% of total
a) Stay by Courts	163	289.58	71.83
b) Under Liquidation	48	22.29	5.53
c) Others	60	91.27	22.64
TOTAL	271	403.14	100%

5.34 A summary of exempted establishments, which are in default of ₹ **50 lac** and above and a list of exempted establishments which are in default of ₹ **1 cr.** or more as on 31.03.2014 in the matter of transferring of provident fund contributions to their respective Board of Trustees and other dues to EPFO is given at **Appendix A-25 (i)** and **Appendix A-25 (ii)** respectively.

UN-INVESTED FUNDS IN THE EXEMPTED SECTOR

5.35 The Board of Trustees of Exempted Trust are required to make investment of funds within a period of two weeks from the date of receipt of money into the trust account u/s 17(1) of the Act and paragraph 27 of the EPF Scheme 1952. At the end of the year, there were **1185** exempted trusts, which had an amount of ₹ **3227.19 cr.** with them as remaining un-invested. The Region-wise details on the amounts lying with the Boards of Trustees of the exempted establishments un-invested as on 31.03.2014 is given in **Appendix A-26**.

ACTION TAKEN AGAINST DEFAULTERS IN THE EXEMPTED SECTOR

5.36 During the year 3 complaints were filed for offences punishable under section 406/409 of I.P.C. against the defaulting employers who failed to remit the Provident Fund contributions deducted from the wages of their employees.

छूट प्राप्त क्षेत्र में बकाया का प्रबंधन

5.29 बकाया **617.60 करोड़** में **₹ 550.41 करोड़** शेष को छोड़कर **₹ 67.19 करोड़** की वसूली की गई। विवरण परिशिष्ट ए-23 (i) में दिया गया है।

5.30 छूट प्राप्त स्थापनाओं में बकाया का बड़ा भाग **₹ 150.81 करोड़** पश्चिम बंगाल राज्य का है, जिसके पश्चात् **₹ 116.31 करोड़** रांची राज्य के और राजस्थान के **₹ 64.37 करोड़** कर्नाटक के **₹ 61.35 करोड़** तथा महाराष्ट्र के, **₹ 34.00 करोड़** आंध्र प्रदेश के हैं, जो कुल बकाया का **77.55%** है जिसे परिशिष्ट ए-23 (ii) में दिया गया है।

बकाया का विभाजन – सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्थापनाएं

5.31 छूट प्राप्त क्षेत्र की कुल **411** चूककर्ता स्थापनाओं में से **305** स्थापनाएं निजी क्षेत्र और **106** स्थापनाएं सार्वजनिक क्षेत्र की हैं। राशि की दृष्टि से **₹ 550.41 करोड़** की कुल चूक में से **₹ 186.95 करोड़** निजी क्षेत्र के हैं और **₹ 363.95 करोड़** सार्वजनिक क्षेत्र के हैं। निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों की छूट प्राप्त स्थापनाओं की क्षेत्रवार चूक की स्थिति परिशिष्ट ए-24 में दी गई है।

बकाया की स्थिति

5.32 **₹ 550.41 करोड़** की कुल चूक में से **₹ 403.41 करोड़** तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी में आते हैं, जिससे अधिनियम के अंतर्गत वसूली एवं दांडिक कार्रवाईयों के माध्यम से वसूली योग्य **₹ 147.27 करोड़** की राशि शेष रह जाती है। वर्षों से तत्काल न-वसूलनीय श्रेणी के अंतर्गत बकाया की वसूली विभिन्न कारणों से नहीं की

जा सकी, जैसे कि :

- राशि न्यायालय में विवादित है।
- फैक्ट्रियां समापनधीन हैं।
- केन्द्र / राज्य सरकार के अधिनियमों के कारण वसूली बाधित है।
- औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा कारखानों को रूग्ण घोषित किया गया है अथवा जिनके लिए पुनः स्थापना योजना की बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृति दी गई है / बी.आई.एफ.आर. के विचाराधीन है।

5.33 तत्काल वसूल न की जा सकने वाली राशि बकाया मांग का **73.24%** है। तत्काल वसूल न की जा सकने वाली श्रेणी में आने वाली चूककर्ता श्रेणी और चूक के कारणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

तत्काल वसूल न किए जा सकने वाले बकाया की स्थिति	मामलों की संख्या	निहित राशि (₹ करोड़ों में)	कुल का %
क) न्यायालय द्वारा रोक	163	289.58	71.83
ख) समापनधीन	48	22.29	5.53
ग) अन्य	60	91.27	22.64
कुल	271	403.14	100%

5.37 During the year 2013-14, a sum of ₹ **2.10 cr.** was recovered through various modes from defaulters in exempted sector as given below:

STATUS OF ARREST & ATTACHMENT OF PROPERTY ON ACCOUNT OF DEFAULT– EXEMPTED SECTOR			
Sl. No.	Mode of Action	No. of Cases	Amount Recovered (₹ in cr.)
1	Bank Accounts Attached	49	2.06
2	Movable Property Attached	2	0.04
3	Immovable Property Attached	1	0.00
4	Arrest of Defaulters	0	0.00
	TOTAL	52	2.10



5.34 31.03.2014 तक भविष्य निधि अंशदान को अपने संबंधित न्यासी बोर्ड और अन्य देयों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को अंतरित करने के मामले में छूट प्राप्त स्थापनाओं का संक्षिप्त विवरण, जिनकी चूक की राशि ₹ 50 लाख अथवा अधिक है और ऐसी स्थापनाओं की सूची, जिनकी चूक की राशि ₹ 1 करोड़ अथवा अधिक है, क्रमशः परिशिष्ट ए-25(i) और परिशिष्ट ए-25 (ii) पर दिए गए हैं।

छूट प्राप्त क्षेत्र अनिवेशित निधि

5.35 न्यासी बोर्ड द्वारा न्यास के खाते में धनराशि की प्राप्ति की तिथि से दो सप्ताह की अवधि के भीतर निधियों का निवेश अपेक्षित है। वर्ष के अंत में 1185 छूट प्राप्त ट्रस्ट थे, जिनके पास ₹ 3227.19 करोड़ की राशि अनिवेशित राशि के रूप में बकाया पड़ी थी। 31.03.2014 को छूट प्राप्त स्थापनाओं के न्यासी बोर्डों के पास अनिवेशित राशि के क्षेत्रवार आंकड़े परिशिष्ट ए-26 में दिए गए हैं।

छूट प्राप्त क्षेत्र में चूककर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई

5.36 वर्ष के दौरान ऐसे चूककर्ता नियोक्ताओं, जिन्होंने भविष्य निधि अंशदान की राशि अपने कर्मचारियों के वेतन से काटकर जमा नहीं करायी थी, के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए 3 शिकायतें दर्ज करायी गयीं।

5.37 वर्ष 2013-14 के दौरान छूट प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत चूककर्ताओं से विभिन्न माध्यमों से ₹ 2.10 करोड़ की राशि वसूल की गयी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

बकाया में चूक के कारण सम्पत्ति के अटैचमेंट एवं गिरफ्तारी की स्थिति- छूट प्राप्त क्षेत्र			
क्र.सं.	कार्रवाई का तरीका	मामलों की संख्या	वसूल की गयी राशि (₹ करोड़ों में)
1	बैंक खातों का अटैचमेंट	49	2.06
2	चल संपत्ति का अटैचमेंट	2	0.04
3	अचल संपत्ति का अटैचमेंट	1	0.00
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	0	0.00
	कुल	52	2.10



अध्याय 6

न्यायालयों के मामले

माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित अपील

6.1 वर्ष 2013-14 के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास **212** मामलों के कुल कार्यभार में से **43** मामलों में निर्णय दिया गया, जिससे 31.03.2014 तक **169** मामले लंबित रह गए थे।

अन्य न्यायालयों के मामले

6.2 वर्ष 2013-14 में विभिन्न उच्च न्यायालयों एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है :-

न्यायालय / आयोग का नाम	वर्ष के दौरान कार्यभार	निपटाए गए	लंबित
उच्च न्यायालय	11,327	2,229	9,098
जिला न्यायालय	19,048,	832	18,216
एन.सी.डी.आर.सी.	642	258	384
राज्य आयोग	2,163	804	1,359
जिला उपभोक्ता फोरम	4,923	1,439	3,484
कुल*	38,103	5,562	32,541

* उपर्युक्त न्यायालयों / आयोगों का राज्य-वार विवरण परिशिष्ट ए-27(i) से (vi) तक दिया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण

6.3 अधिनियम को लागू करने पर होने वाले विवादों के न्यायनिर्णय हेतु अधिनियम की धारा 7डी में अपीलीय अधिकरण की स्थापना की व्यवस्था है। हालांकि अपीलीय अधिकरण गठित करने की व्यवस्था अधिनियम के 01.08.1988 से प्रभावी 33 वें संशोधन में की गई थी तथापि केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रथम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण 1 जुलाई, 1997 से गठित किया गया।

Chapter 6

COURT CASES

APPEALS PENDING BEFORE HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA

6.1 The workload before the Hon'ble Supreme Court for the year 2013-14 was **212** cases out of which **43** cases were decided leaving a pendency of **169** cases as on 31.03.2014.

OTHER COURT CASES

6.2 The status of pending cases before various High Courts and other Courts for the year 2013-14 is appended below:-

Name of the Court/Commission	Workload during the year	Settled	Pendency
High Courts	11,327	2,229	9,098
District Courts	19,048	832	18,216
NCDRC	642	258	384
State Commissions	2,163	804	1,359
District Consumer Forums	4,923	1,439	3,484
CAT	218	71	147
TOTAL*	38,321	5,633	32,688

*The Region-wise details of the above Courts/Commissions are given in **Appendix A-27 (i) to (vi)**

EPF APPELLATE TRIBUNAL

6.3 Section 7D of the Act provides for setting up of an Appellate Tribunal for adjudicating the disputes arising out of the implementation of the Act & the Scheme. Though the provision to constitute Appellate Tribunal was incorporated by 33rd amendment of the Act effective from 01.08.1988, the first Employees' Provident Funds Appellate Tribunal was constituted by the Central Government w.e.f. 1st July, 1997.

6.4 At present, the Tribunal consists of one bench located at Delhi. The Central Govt. is the competent authority to appoint Presiding Officer of the EPF Appellate Tribunal. The term of office of the presiding officer is for a period of 5 years from the date of entering office or until he/she attains the age of 62 years, whichever is earlier.

6.4 वर्तमान में, अधिकरण में दिल्ली में स्थित एक बेंच है। केन्द्र सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। पीठासीन अधिकारी का कार्यकाल कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष तक अथवा 62 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, है।

6.5 अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (3) के परन्तुक या उप-धारा (4) या धारा 3 या धारा 7 ए की उप-धारा (1) या धारा 7 बी के अंतर्गत (पुनरावलोकन के आवेदन पत्र को रद्द किए जाने के अतिरिक्त) अथवा धारा 7 सी अथवा धारा 14 बी के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी किसी अधिसूचना या केन्द्र सरकार या अन्य अधिकारी द्वारा पारित किए गए आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति अधिनियम की धारा 7 I (1) के उपबंधों के अंतर्गत अधिकरण के समक्ष ऐसे विरोधी आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के अंदर अपील कर सकता है। अधिकरण यदि संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता पर्याप्त कारणों से निर्धारित अवधि में अपील प्रस्तुत नहीं कर सका है, तो अधिकरण अपील दायर करने में हुई देरी को माफ कर सकता है।

6.6 वर्ष 2013-14 के दौरान 3303 मामलों के कुल कार्यभार में से 494 मामलों का निर्णय दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अंत में 2809 मामले लंबित थे।



6.5 Any person aggrieved by the notification issued by the Central Government or an order passed by the Central Government or any authority under the proviso to sub-section (3) or sub section (4) of section 1 or section 3 or sub-section (1) of Section 7A or Section 7B (except an order rejecting an application for review) or Section 7C or Section 14B of the Act may prefer an appeal before the Tribunal within 60 days from the date of issue of the impugned order under the provisions of Section 7 I (1) of the Act. The Tribunal may condone the delay in filing, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal within prescribed period.

6.6 During the year 2013-14, out of the total workload of **3303** cases, **494** cases were decided. Thus **2809** cases were pending at the end of the year.



अध्याय 7

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए उपबंध

7.1 आर्थिक उदारीकरण, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती हुई वृद्धि, पाश्चात्य जगत में बढ़ती जनसंख्या तथा कुछ देशों में युवा एवं तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त व्यक्तियों के बड़े पूल के चलते विश्वभर में पेशेवरों का प्रवास हुआ है। चूंकि आई.टी., स्वास्थ्य तथा प्रबंधन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त जनशक्ति के अपने विशाल भंडार के कारण भारत प्रवासी पेशेवरों का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए हाल के वर्षों में विभिन्न देशों में भारतीय पेशेवरों का आना-जाना रहा है। विभिन्न देशों में कार्यरत भारतीय पेशेवरों को विदेश में अपने प्रवास के दौरान अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान करना होता है। तैनाती के देशों में कम से कम अर्हक अवधि की समाप्ति से पूर्व लाभ देय नहीं होने के कारण तथा स्वदेश लौट जाने की स्थिति में तो लाभ उपलब्ध ही नहीं होने के कारण, प्रवास के दौरान उस देश में (भारतीय) पेशेवरों द्वारा किए गए अंशदान बेकार चले गए।

7.2 प्रवासी कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, भारत सरकार ने द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.) करने का निर्णय लिया ताकि भारतीय कामगारों को अपने तैनाती के देश में अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान करने से छूट मिल सके तथा विदेश में किए गए अंशदान, राशिकरण के रूप में मिल जाए तथा भुगतान भारत में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार, बाधाओं पर पार पाने तथा लाभार्थियों को लाभ प्रदान करना सुगम बनाने के उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा करार दो करारकर्ता देशों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में समन्वयन करता है।

7.3 उपर्युक्त के संदर्भ में, द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से योजना में पैरा 83 तथा पेंशन योजना में पैरा 43 ए अंतर्वेशित कर योजना तथा पेंशन योजना में अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के लिए विधायी उपबंध डाले गए तथा 1 अक्टूबर, 2008 से प्रभावी किए गए। समयावधि के दौरान उत्पन्न अपेक्षाओं को देखते हुए बाद में इन विशेष उपबंधों में संशोधन किए गए।

7.4 द्विपक्षीय आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार पर वार्ता शुरू करने के लिए समुद्रपार कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नोडल मंत्रालय है। इसके अतिरिक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की भी वार्ता-प्रक्रिया में भूमिका होती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को सामाजिक सुरक्षा करारों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के लिए तथा अधिनियम के अंतर्गत कवर की गई स्थापनाओं के कर्मचारियों को तथा सीमैन भविष्य निधि, बैंकों इत्यादि जैसे अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदाताओं के कर्मचारियों को तब कवरेज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नामोदिष्ट किया गया है, जब उनकी तैनाती विदेश में किसी उस देश में होती है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार हो।

अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में विशेष उपबंध :-

7.5 ऊपर पैरा 7.3 में यथा उल्लिखित विशेष उपबंधों में किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगारों के संबंध में पहचान, अपवर्जन, सदस्यता तथा लाभों का प्रावधान है।

Chapter 7

PROVISION FOR INTERNATIONAL WORKERS

7.1 Economic liberalisation, rapid growth in developing economies, ageing population in western world and large pool of young and technically qualified person in certain countries have witnessed migration of professionals across the world. As India is a major source of migrant professionals due to its vast reservoir of technically qualified manpower in sectors like IT, health, and management etc. movement of Indian professionals in various countries was witnessed over the period. The Indian professionals working in various countries were required to make the mandatory social security contributions in the countries of their working. The contributions made by the professionals during their stay in the country of their posting were lost as the benefits are not payable before expiry of a minimum qualifying period and not even available in case of return to the home country.

7.2 With a view to protect the rights of migrant workers, Government of India decided to go for bilateral Social Security Agreements (SSAs) so that the Indian workers are exempted from mandatory social security contribution in the country of their posting and the benefits of contribution made abroad are received by way of totalisation and the payment is received in India. Thus an SSA coordinates the social security schemes of two contracting states in order to overcome the barriers and facilitate extension of benefits to beneficiaries.

7.3 In the context of above and in order to implement the provisions of bilateral SSAs, enabling provisions for International Worker (IW) were introduced in the EPF Scheme and Employees Pension Scheme by inserting Para 83 of Scheme and Para 43-A of Pension Scheme and given effect from 1st October, 2008. The special provisions have been amended subsequently keeping in view the requirements arising out over the period of time.

7.4 The Ministry of Overseas Indian Affairs, Govt. of India, is the nodal ministry for initiating negotiations for SSA on bilateral basis. Besides, the MoL&E, the Ministry of Commerce and EPFO are also involved in the process of negotiations. EPFO has been designated as the Liaison Agency to operate the provisions of the SSAs and for issuing Certificates of Coverage (COC) to the employees of establishments covered under the Act as well as the employees of other social security providers like the Seamen's Provident Fund, Banks etc., when they are posted abroad in a country having SSA with India

SPECIAL PROVISIONS IN RESPECT OF INTERNATIONAL WORKER

7.5 The special provisions as mentioned in Para 4.3 above provide for identification, exclusion, membership and benefits in respect of an IW.

THE DEFINITION OF INTERNATIONAL WORKER:

- i) an Indian employee having worked or going to work in a foreign country with which India has entered into a social security agreement and being eligible to avail the benefits under social security programme of that country, by virtue of the eligibility gained or going to gain, under the said agreement;
- ii) an employee other than an Indian employee, holding other than an Indian Passport, working for an establishment in India to which the EPF & MP Act, 1952 applies;

अंतर्राष्ट्रीय कामगार की परिभाषा :-

- i) वह भारतीय कर्मचारी, जो विदेश में उस देश में काम कर चुका है या करने जा रहा है, जिसके साथ भारत का सामाजिक सुरक्षा करार है तथा जो उक्त करार के अंतर्गत प्राप्त हुई अथवा प्राप्त होने वाली पात्रता की बदौलत उस देश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है ;
- ii) भारत में किसी स्थापना में, जिस पर क.भ.नि. एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 लागू है, कार्यरत किसी भारतीय कर्मचारी से भिन्न वह कर्मचारी, जिसके पास भारत से भिन्न किसी अन्य देश का पासपोर्ट है ;

अपवर्जित कर्मचारी

- (i) वह अंतर्राष्ट्रीय कामगार, जो नागरिक या निवासी के रूप में अपने मूल देश के, जिसके साथ भारत का परस्पर आधार पर सामाजिक सुरक्षा करार है, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में अंशदान कर रहा हो तथा जिसे ऐसे किसी करार में यथा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए तथा शर्तों पर असंबद्ध कामगार का दर्जा प्राप्त हो : अथवा
- (ii) वह अंतर्राष्ट्रीय कामगार, जो नागरिक या निवासी के रूप में अपने मूल देश के, जिसके साथ 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व भारत का द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक करार है, जिस में सामाजिक सुरक्षा पर कोई खंड हो, जिसकी बदौलत किसी भी देश के नैसर्गिक व्यक्तियों को मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान करने से विशिष्ट छूट होती है ।

इस प्रकार, कोई अपवर्जित कर्मचारी विदेशी होता है, जो कवरेज प्रमाणपत्र के साथ भारत में किसी स्थापना में तैनात होता है तथा स्वदेश के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम में अंशदान करता है तथा जिसे किसी सामाजिक सुरक्षा करार अथवा किसी द्विपक्षीय करार, जैसे 1 अक्टूबर, 2008 से पूर्व भारत के साथ हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक सहकारी करार, की दृष्टि से भारतीय सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों से छूट प्राप्त होती है । (उदाहरण के लिए, भारत तथा सिंगापुर के मध्य सी.ई.सी.ए. के अनुच्छेद 9.3 के पैरा 4 में प्रावधान है कि " किसी भी देश के नैसर्गिक व्यक्तियों से, जिन्हें दूसरे पक्ष के क्षेत्र में अस्थायी प्रवेश मिला हो, मेजबान देश की सामाजिक सुरक्षा निधि में अंशदान करना अपेक्षित नहीं होगा ।

सदस्यता

7.6 किसी 'अपवर्जित कर्मचारी' से भिन्न प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय कामगार को दिनांक 1 नवम्बर, 2008 से अथवा नौकरी में प्रवेश करने की तिथि से, जो भी बाद में हों, सदस्य बनाया जाना अपेक्षित है । किसी अपवर्जित कर्मचारी को भी उस तिथि से निधि का सदस्य बनाया जाएगा, जिस तिथि से वह अपवर्जित कर्मचारी नहीं रह जाता है ।

अंशदान

7.7 दिनांक 01.11.2008 से किसी अंतर्राष्ट्रीय कामगार के संबंध में भविष्य निधि अंशदान पूर्ण वेतन अर्थात् मूल वेतन, महंगाई भत्ता (खाद्य रियायत के नकद मूल्य सहित) तथा सदस्य को देय प्रतिधारण भत्ते, यदि कोई हो, पर देय होता है । जहां तक पेंशन निधि अंशदान का संबंध है, यह भी दिनांक 11.09.2010 से पूर्ण वेतन पर देय होता है ।

EXCLUDED EMPLOYEE

- (i) an IW, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered into a social security agreement on reciprocal basis and enjoying the status of detached worker for the period and terms, as specified in such an agreement; or
- (ii) an IW, who is contributing to a social security programme of his country of origin, either as a citizen or resident, with whom India has entered in to a bilateral comprehensive economic agreement containing a clause on social security prior to 1st October, 2008, which specifically exempts natural persons of either country to contribute to the social security fund of the host country.

Thus an excluded employee is a foreigner, who is posted in an establishment in India with Certificate of Coverage and contributing to the social security programme of his home country and exempted from the provisions of the Indian social security in terms of a Social Security Agreement or a bilateral agreement e.g. Comprehensive Economic Agreement signed with India prior to 1st October, 2008 (e.g. para 4 of Article 9.3 of CECA between India and Singapore provides that "Natural persons of either Party who are granted temporary entry into the territory of the other Party shall not be required to make contributions to social security funds in the host country").

MEMBERSHIP

7.6 Every IW, other than an 'excluded employee' is required to be enroled as a member of the Fund from 1st November, 2008 or from the date of joining, whichever is later. An excluded employee shall be enroled as a member of the Fund from the date he ceases to be excluded employee.

CONTRIBUTION

7.7 From 01.11.2008 contribution in respect of an IW towards Provident Fund is payable on full pay i.e. basic wages, DA (including the cash value of any food concession) and retaining allowance, if any, payable to the employee. As far as the contribution towards the Pension Fund is concerned, the same is payable on full pay from 11.09.2010 onwards.

SOCIAL SECURITY AGREEMENT (SSA)

7.8 A Social Security Agreement is a bilateral instrument to protect the interests of workers. An SSA generally covers three important provisions namely, 'detachment', 'totalisation' and 'portability'. However, SSA with some countries do not provide for 'totalisation':

- (i) **Detachment** – Indian employees working in countries with which India has Social Security Agreements are exempted from contributing to their Social Security System, provided they are complying with the Indian Social Security System. This exemption is available for a specified period stipulated in the agreement.
- (ii) **Totalization of benefits** – The period of service rendered in another country is counted for determining eligibility for pension. The actual pensionary benefits, however, are payable only for the period of contributory service on pro-rata basis.
- (iii) **Portability of Pension** – Pension benefits are payable without reduction, direct to the beneficiaries choosing to reside in the home country or in any other country.

सामाजिक सुरक्षा करार (एस.एस.ए.)

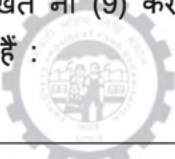
7.8 सामाजिक सुरक्षा करार कामगारों के हितों की रक्षा के लिए एक द्विपक्षीय दस्तावेज होता है। किसी सामाजिक सुरक्षा करार में तीन महत्वपूर्ण उपबंध अर्थात् "वियोजन", "राशिकरण" तथा "सुवाह्यता" सम्मिलित होते हैं। तथापि, कुछ देशों के साथ हुए सामाजिक सुरक्षा करारों में "राशिकरण" का उपबंध नहीं होता है। इन शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है :

वियोजन – उन देशों में, जिनके साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा करार हैं, कार्यरत भारतीय कर्मचारियों को उन देशों की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में अंशदान करने से छूट प्राप्त होती है, बशर्ते कि वे भारतीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अनुपालन कर रहे हों। यह छूट करार में उपबंधित निर्दिष्ट अवधि के लिए उपलब्ध होती है।

लाभों का राशिकरण – पेंशन हेतु पात्रता का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य देश में की गई सेवा की अवधि की गणना की जाती है। तथापि, वास्तविक पेंशन संबंधी लाभ यथानुपात आधार पर अंशदायी सेवा-अवधि ही के लिए देय होते हैं।

पेंशन की सुवाह्यता – पेंशन लाभ बगैर किसी कटौती के सीधे स्वदेश अथवा किसी भी अन्य देश में निवास करने का निश्चय करने वाले लाभार्थियों को देय होते हैं।

7.9 मार्च, 2014 माह के अंत तक निम्नलिखित नौ (9) करारों को प्रभावी किया जा चुका है। इसके अंतर्गत लाभों के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में उल्लिखित हैं :



देश (से प्रभावी)	वियोजन	राशिकरण	सुवाह्यता
बेल्जियम (01.09.2009)	5 वर्ष	✓	✓
जर्मनी (01.10.2009)	4 वर्ष	×	×
स्विट्जरलैंड (29.01.2011)	6 वर्ष	×	✓
डेनमार्क (01.05.2011)	5 वर्ष (भारतीयों के लिए) 3 वर्ष (डेनमार्कवासियों के लिए)	✓	✓
लक्जमबर्ग (01.06.2011)	5 वर्ष	✓	✓
फ्रांस (01.07.2011)	5 वर्ष	✓	✓
दक्षिण कोरिया (01.11.2011)	5 वर्ष	✓	✓
नीदरलैंड्स (01.12.2011)	5 वर्ष	×	✓
हंगरी (01.04.2013)	5 वर्ष	✓	✓

7.9 The following nine (9) agreements have been made effective till the end of March, 2014. The details of benefits available under them are mentioned in the table below:-

Country (effective from)	Detachment	Totalisation	Portability
Belgium (01.09.2009)	5 years	✓	✓
Germany (01.10.2009)	4 years	×	×
Switzerland (29.01.2011)	6 years	×	✓
Denmark (01.05.2011)	5 years (for Indians) 3 years (for Danish)	✓	✓
Luxembourg (01.06.2011)	5 years	✓	✓
France (01.07.2011)	5 years	✓	✓
South Korea (01.11.2011)	5 years	✓	✓
Netherlands (01.12.2011)	5 years	×	✓
Hungary (01.04.2013)	5 years	✓	✓

7.10 Besides the SSAs with the countries indicated in the preceding table, agreements have also been signed with following countries on the dates mentioned against each of them. These SSAs would be implemented on completion of other formalities like signing of administrative arrangement and finalisation of forms etc.

Sl. No.	Country	Date of signing
1	Norway	29.10.2010
2	Czech Republic	09.06.2010
3	Finland	12.06.2012
4	Canada	06.11.2012
5	Japan	16.11.2012
6	Sweden	26.11.2012
7	Austria	04.02.2013
8	Portugal	04.03.2013

7.11 In addition to above, negotiations are in progress with Australia, Quebec (Province of Canada), Spain, Russia, Sri Lanka, Thailand, USA and UK for signing SSAs.

CERTIFICATE OF COVERAGE (COC)

7.12 **Certificate of Coverage (COC):** Indian employees posted abroad to a country having SSA with India are exempted from making contribution in the country of their posting in terms of detachment provisions. However, for claiming such exemption, they are required to produce a Certificate of Coverage issued by EPFO. For purpose, application form, available on official website, needs to be filled by the employee and the employer and submitted to the concerned office. The COCs were being issued by Head Office till 14.08.2013. The work of issue of COCs has been decentralized from 15.08.2013 onwards and RPFs of respective regions are the competent authority for issuance of COCs. Till the end of March, 2014, around 30152 COCs have been issued to the Indian employees posted in the countries covered under SSA, i.e. Belgium, Germany,

7.10 इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित देशों के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर भी उनमें से प्रत्येक देश के समक्ष उल्लिखित तिथियों को हस्ताक्षर हो गए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था तथा प्रपत्रों को अंतिम रूप देने इत्यादि जैसी अन्य औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर इन सामाजिक सुरक्षा करारों को कार्यान्वित किया जाएगा।

क्र.सं.	देश	हस्ताक्षर करने की तारीख
1	नॉर्वे	29.10.2010
2	चैक गणराज्य	09.06.2010
3	फिनलैंड	12.06.2012
4	कनाडा	06.11.2012
5	जापान	16.11.2012
6	स्वीडन	26.11.2012
7	ऑस्ट्रिया	04.02.2013
8	पुर्तगाल	04.03.2013

7.11 इसके अतिरिक्त ऑस्ट्रेलिया, क्यूबेक (प्रोविन्स ऑफ कनाडा), स्पेन, रूस, श्रीलंका, थाईलैंड, यू.एस.ए. तथा यू.के. के साथ सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर करने के लिए इन देशों से वार्ताएं हो चुकी हैं।

कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.)

7.12 **कवरेज प्रमाणपत्र (सी.ओ.सी.)** : विदेश में किसी ऐसे देश में, जिसके साथ भारत के सामाजिक सुरक्षा करार हैं, तैनात भारतीय कर्मचारियों को वियोजन प्रावधानों के अनुसार उस देश में अंशदान करने से छूट प्राप्त है। तथापि ऐसी छूट का लाभ उठाने के लिए उनसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जारी कवरेज प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है। इस प्रयोजनार्थ, आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदनपत्र कर्मचारी तथा नियोक्ता द्वारा भर कर संबंधित कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है। दिनांक 14.08.2013 तक मुख्यालय द्वारा सी.ओ.सी. जारी किए जा रहे थे। सी.ओ.सी. जारी किये जाने का कार्य दिनांक 15.08.2013 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है और संबंधित क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सी.ओ.सी. जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं। मार्च, 2014 के अंत तक सामाजिक सुरक्षा समझौते के अंतर्गत कवर्ड देशों अर्थात् बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, डेनमार्क, लक्ज़मबर्ग, फ्रांस, दक्षिण कोरिया तथा नीदरलैंड्स में तैनात भारतीय कर्मचारियों को लगभग 30152 सी.ओ.सी. जारी किए जा चुके हैं। जारी किए गए सी.ओ.सी. का देशवार विवरण इस प्रकार है :-

कुल सी.ओ.सी. का देशवार विवरण

क्र.सं.	देश	जारी किए गए सी.ओ.सी.
1.	बेल्जियम	6334
2.	डेनमार्क	725
3.	फ्रांस	1300
4.	जर्मनी	14340
5.	हंगरी	84
6.	लक्ज़मबर्ग	104
7.	नीदरलैंड्स	3500
8.	कोरिया गणराज्य	275
9.	स्विट्ज़रलैंड	3490
कुल		30152

Switzerland, Denmark, Luxembourg, France, South Korea and Netherlands and Hungary. Country wise break-up of COCs issued is as hereunder:-

Country wise breakup of Total COCs

Sl. No.	Country	COCs issued
1.	Belgium	6334
2.	Denmark	725
3.	France	1300
4.	Germany	14340
5.	Hungary	84
6.	Luxemburg	104
7.	Netherland	3500
8.	Republic of korea	275
9.	Switzerland	3490
Total		30152



अध्याय 8

बेहतर सेवा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी

8.1 अपने स्टैकहोल्डरों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लगातार प्रयासों के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपनी व्यापार गतिविधियों में सूचना एवं संचार तकनीक क्षमताओं का बेहतर प्रयोग करते हुए बहुत सी पहलें की हैं। इसका फोकस केवल आंतरिक व्यापार प्रचालन में सुधार पर ही नहीं रहा है बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र में जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाना भी इसका ध्येय रहा है।

8.2 कंप्यूटरीकरण के वर्तमान चरण में, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सभी फील्ड कार्यालयों के डाटा बेसों को मानकीकृत कर लिया है। कार्य प्रक्रिया का भी मानकीकरण हो चुका है। मूल सेवाओं जैसे कि दावों का निपटान, प्राप्ति एवं भुगतान लेखा आदि के लिए विकसित किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को प्रयोग में लाया जा रहा है तथा इसे काफी सीमा तक पूर्ण कर लिया गया है।

8.3 वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, सूचना सेवा प्रभाग द्वारा लाभार्थियों तथा नियोक्ताओं को बेहतर सेवा देने के लिए बहुत से नई पहलें की गई हैं।

- i. **वार्षिक ब्याज स्वतः खाते में जमा :** ई.सी.आर प्रणाली लागू होने के पश्चात् वित्त वर्ष के अंत में भुगतान के दौरान प्रस्तुत की गई मासिक रिटर्नों के आधार पर सदस्यों के खातों में वार्षिक ब्याज स्वतः जमा करना संभव हो गया है। यह सुविधा वित्त वर्ष 2013-2014 के दौरान उपलब्ध कराई गई है।
- ii. **कवरेज का प्रमाणपत्र :** वे देश जिनके साथ भारत सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा करार किए गए हैं उनमें जाने वाले प्रवासी कर्मचारी भविष्य निधि सदस्यों के लिए 'कवरेज का प्रमाणपत्र' बनाने के लिए केन्द्रीकृत सॉफ्टवेयर अगस्त 2013 में आरंभ किया गया है।
- iii. **खातों का ऑनलाइन स्थानांतरण :** खातों के अंतरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है जिसमें सदस्य अपने दावे ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं, यदि उनके नियोक्ता द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पास अपने डिजिटल हस्ताक्षर पंजीकृत करवाए गए हैं। इस सुविधा से भविष्य निधि सदस्य के भविष्य निधि संचयन को एक भविष्य निधि खाते से दूसरे भविष्य निधि खाते में अंतरण में लगने वाले समय में कटौती हुई है। इससे संगठन के कार्यालयों में पेपरों की आवाजाही शून्य हो गई है तथा अंतरण सही होना सुनिश्चित हुआ है।
- iv. **छूट प्राप्त स्थापनाओं की ऑनलाइन रिटर्न :** कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से नियमित 2700 निजी भविष्य निधि न्यासों की सूचना सेवा आधारित मॉनीटरिंग लागू करने के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा ऑनलाइन मासिक रिटर्न फाईल करने हेतु एक सॉफ्टवेयर जारी किया है। इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य छूट प्राप्त स्थापनाओं द्वारा मासिक रिटर्न प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को सरल बनाना, संबंधित डाटा एंट्री को न्यूनतम करना एवं सामान्य मानव त्रुटियों को कम करना है।

Chapter 8

INFORMATION TECHNOLOGY FOR BETTER SERVICE DELIVERY

8.1 As a part of its continuous endeavour to improve the service delivery to its stakeholders, EPFO has taken a number of initiatives by using the potential of Information and Communication Technology in its business activities. The focus has not only been to improve the internal business operations but also to bring accountability and transparency in the public sphere.

8.2 At its present level of computerisation, EPFO has achieved the standardisation of the data bases in all of its field offices. The work procedures have also been standardised. The application software developed to handle basic service areas like claim settlement, receipt and payment accounting has been put in place and is stabilized to a large extent.

8.3 In the financial year 2013-14, several new initiatives have been taken by IS Division to provide better services to the beneficiaries and also to the employers:-

- i) **Auto annual interest crediting:** After the launch of ECR system it has now become possible to auto credit the annual interest at the end of financial year into the members account on the basis of monthly returns submitted during the payment. The said facility has been provided during the financial year 2013-14.
- ii) **Certificate of Coverage:** Centralised software for generation of "Certificate of Coverage" to the EPF members migrating to countries having Social Security Agreement (SSA) with India has been launched in August, 2013.
- iii) **Online Transfers of Account:** To smoothen the process of transfer of accounts, a facility has been provided wherein the members can file their claims online if their employer has registered his digital signatures with EPFO. This facility has reduced the time taken to transfer PF accumulation of a member from one PF account to another PF account. This has resulted in Zero paper movement between the offices of the Organisation, and has also ensured accuracy in transfers.
- iv) **Online return of Exempted establishments:** To effect an IT driven monitoring mechanism for the over 2,700 Private Provident Fund Trusts regulated by it so as to improve the delivery of services, EPFO launched software to enable the exempted establishments to file an online monthly return. The objective of this software is to make the process of submitting the monthly return by exempted establishment less tedious, minimizing the data entry of repetitive nature and minimizing common human errors.

8.4 While these initiatives have contributed a lot in addressing the issues in service areas of the Organisation, the aspect of sustainability has been a focal point in terms of three principal perspectives:

- i) **Process:** The process of filing of returns and remittance of dues is backed by the Act, Scheme and Manual provisions and as such, the facility would continue to remain in force till it encounters any legal amendment leading to a fundamental change in the Act which redefine the basic role of the stake holders.

8.4 जहां एक ओर इन पहलों ने संगठन में सेवा क्षेत्र में कठिनाइयों को खत्म करने में योगदान दिया है, वहीं इन्हें बनाए रखने के लिए तीन मूल दृष्टिकोण अपनाने पर फोकस किया जा रहा है :-

(क) प्रक्रिया : विवरणियां दायर करने तथा देय राशियां जमा कराने की प्रक्रिया अधिनियम, योजना तथा मैनुअल उपबंधों द्वारा समर्थित है तथा इसलिए यह सुविधा तब तक लागू रहेगी जब तक कि उसमें कोई विधि संबंधी संशोधन न हो जाए, जिसके कारण अधिनियम में वह मूलभूत परिवर्तन आ जाए, जिससे हितधारियों की आधारभूत भूमिका पुनः परिभाषित करनी पड़े ।

(ख) जनशक्ति : सक्षम एवं तकनीकी रूप से अर्हता- प्राप्त जनशक्ति की सतत् उपलब्धता विभाग के तकनीकी कार्मिकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाकर सुनिश्चित की जाती है । मुक्त बाजार से अर्हताप्राप्त एवं पेशेवर जनशक्ति को किराए पर लेने से भी संगठन के अपने तकनीकी स्टाफ में अत्यावश्यक तकनीकी कुशलता आई है । एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के गैर-तकनीकी प्रयोक्ताओं को भी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में व्यापक “ट्रेन द ट्रेनर्स” प्रशिक्षण दिलाया गया है, जिससे प्रशिक्षण की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है । आवधिक प्रशिक्षण प्रदान करने में संगठन के आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं ।

(ग) प्रौद्योगिकी : इस पहल के लिए उपयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी ओपन-एन्डिड तथा मजबूत है । प्रारंभिक विकास के चरण से ही, यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा गया है कि विभिन्न एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर गैर -एकाधिकारिक रहें तथा विभिन्न प्लेटफार्मों के आर- पार परस्पर संगति सुनिश्चित करने के लिए ओपन- एन्डिड रहें ।

- ii) **Manpower:** Continued availability of competent and technically qualified manpower is ensured by way of undertaking extensive training programmes to the in-house technical personnel. Hiring of qualified and professional manpower from the open market also has brought in the much needed technical depth to the Organisation's own technical staff. The non-technical users of the application software have also been made to undergo extensive 'Train the trainers' mode of training programmes which has ensured a continued process of training. The Organization's zonal training institutes also play an active role in extending periodic training.
- iii) **Technology:** The technology used for this initiative is open ended and robust. Right from the stage of initial development, care has been taken to ensure that the various application software remain non-monopolistic and remain open ended to ensure cross compatibility across various platforms.



अध्याय 9

मानव संसाधन प्रबंधन

9.1 संगठन के व्यापक ढांचे और स्टाफ के कार्यों एवं श्रेणियों में विविधता को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने 18,901 समर्पित कार्यदल की सहायता से 40 क्षेत्रीय एवं 82 उप क्षेत्रीय कार्यालयों तथा 121 जिला कार्यालय / सेवा केन्द्रों के माध्यम से देशभर में फैले 4 करोड़ से अधिक सदस्यों की सेवा करता है। संगठनात्मक ढांचे और कार्यात्मक जिम्मेदारियों के लिए जनशक्ति का प्रावधान करने के लिए बहु आयामी दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने जनशक्ति संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए तथा बड़ी संख्या में सदस्यों एवं उनके परिवार को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की ओर उसका सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी विभिन्न नीतिगत दिशा-निर्देशों का अनुसरण करता है। अतः सेवाएं प्रदान करने तथा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनने हेतु मानवशक्ति का प्रावधान करना प्रत्येक संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

कर्मचारियों की संख्या

9.2 दिनांक 31.3.2014 तक ग्रुप डी को ग्रुप सी में पुनः वर्गीकृत करने तथा सरेंडर किए गए पदों का समाशोधन करने के पश्चात् कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 24,659 है और उपलब्ध वर्तमान कुल स्टाफ संख्या 18,901 है।

9.3 दिनांक 31.03.2014 तक विभिन्न कैडर के बीच कुल स्टाफ का वितरण निम्न प्रकार है :-

ग्रुप 'ए' अधिकारी		ग्रुप 'बी' अधिकारी		ग्रुप 'सी' कर्मचारी (पूर्व के ग्रुप 'डी' कर्मचारियों सहित)	
स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति
1132	883	6361	4670	17166	13348

9.4 दिनांक 31.3.2014 तक ग्रुप ए, ग्रुप बी एवं ग्रुप सी के लिए विस्तृत पद-वार स्वीकृत स्टाफ संख्या एवं वर्तमान संख्या क्रमशः परिशिष्ट-28 (i), (ii) एवं (iii) में दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्र-वार कुल स्टाफ पेंशनभोक्ताओं एवं परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या परिशिष्ट ए-28(iv) पर दी गई है।

Chapter 9

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT

9.1 Human resources management is an important function in the EPFO keeping in view the large set up of the Organization and diversity in line and staff functions. The Employees' Provident Fund Organization serves over four (4) crores members spreading all over the country through its 40 Regional & 82 Sub-Regional Offices and 121 District Offices/Service Centers with the help of the dedicated work force of 18,901. The organizational structure and job responsibilities require a very dynamic approach for provisioning of manpower. The EPFO follows various policy guidelines issued by the Department of Personnel & Training, Government of India to manage its manpower resources and its optimum utilization towards delivery of the social security benefits to a large number of members and their families. Thus, adequate manpower provisioning has been very critical for the Organization to enable it to deliver services and achieve its defined objectives.

STAFF STRENGTH

9.2 The total strength of the Employees' Provident Fund Organization Officers and Staff after reclassification of Group D as Group C and re-conciliation of surrendered posts in position as on 31.3.2014 stood at 18,901 as against the total sanctioned staff strength of 24,659.

9.3 The distribution of total staff among various cadres as on 31.03.2014 is as follows:-

Group A officers		Group B officers		Group C officers (including erstwhile Group D)	
Sanctioned	In-position	Sanctioned	In-position	Sanctioned	In-position
1132	883	6361	4670	17166	13348

9.4 The detailed post-wise sanctioned strength and in position strength for **Group A, Group B and Group C** staff as on 31.03.2014 is provided at **Appendix-28 (i) to (iii)** respectively. The total no. of staff pensioners & family pensioners of EPFO region-wise is provided at **Appendix A-28 (iv)**.

9.5 The results of Social Security Assistants (Direct Recruitment) Examination were also declared and recruitment procedure for 1157 Social Security Assistants was initiated.

9.6 The result of Enforcement Officer/ Account Officer departmental examination was declared for appointment against recruitment for 195 vacancies of the EO/AO.

9.5 सामाजिक सुरक्षा सहायक (एस.एस.ए.), सीधी भर्ती परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया है तथा 1157 सामाजिक सुरक्षा सहायकों की भर्ती प्रक्रिया आरंभ की गई है ।

9.6 प्रवर्तन अधिकारी / लेखा अधिकारी पदों की 195 रिक्तियों के अंतर्गत नियुक्ति के लिए प्रवर्तन अधिकारी (प्र.अ.) / लेखा अधिकारी (ले.अ.) की विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है ।

आरक्षण नीतियों का कार्यान्वयन

9.7 अनु.जाति / अनु.जनजाति के लिए समय-समय पर जारी आरक्षण के आदेशों का विधिवत् अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय में एक विशेष इकाई / सेल की स्थापना की गई है ताकि इन वर्गों के कर्मचारियों की शिकायतों का तत्काल निपटान तथा संबद्ध सांख्यिकीय डाटा की जांच एवं उसे समेकित करना सुनिश्चित किया जा सके । इसी तरह के विशेष सेल क्षेत्रीय कार्यालयों में भी स्थापित किए गए हैं । मुख्यालय के विशेष सेल में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-। मुख्य संपर्क अधिकारी के रूप में अध्यक्षता करते हैं और उन्हीं के अनुसरण में सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में संपर्क अधिकारी होते हैं । क्षेत्रों के संपर्क अधिकारी आवधिक रिपोर्ट / रिटर्न प्रस्तुत करते हैं जिन्हें मुख्यालय में संकलित किया जाता है । अनु.जाति / अनु.जनजाति कर्मचारियों के आरक्षण मामले देखने के लिए नामांकित संपर्क अधिकारी अशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण मामलों की भी देख-रेख करते हैं ।

9.8 उपर्युक्त के अतिरिक्त, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन संख्या 42011/18/96-स्थापना (आरक्षण) दिनांक 06.03.1997 के अनुसार मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रों में भी अलग से संपर्क अधिकारी नियुक्त हुए थे । चेन्नै में दिनांक 11.11.2013 को अन्य पिछड़ा वर्ग पर संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी । पदों को भरने के लिए वांछित कार्रवाई की जा रही है ।

9.9 मुख्यालय के विशेष सेल का मुख्य कार्य व्यक्तिगत कर्मचारियों, अनु.जाति / अनु.जनजाति कर्मचारियों के संघ से आरक्षण, पदोन्नति तथा अनु.जाति / अनु.जनजाति कर्मचारियों से संबंधित अन्य सेवा मामलों पर प्राप्त विभिन्न शिकायतों को मॉनीटर करना है । इस संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मुख्यालय को निर्धारित प्रोफार्मा में रिटर्न एवं वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किए जा रहे हैं ताकि भारत सरकार, श्रम मंत्रालय को इन्हें प्रेषित किया जा सके ।

9.10 ये रिटर्न क्षेत्रों से संबंधित स्टाफ की स्थिति, कमी / अतिरिक्त स्टाफ, बैकलॉग रिक्तियों की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । इन रिटर्न को मुख्यालय के विशेष सेल द्वारा समेकित किया जाता है तथा अंततः श्रम मंत्रालय, भारत सरकार को अग्रेषित किया जाता है ।

9.11 मुख्य संपर्क अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में उनके द्वारा बनाए रखे जाने वाले आरक्षण रॉस्टर रजिस्ट्रों के निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों के दौरे भी करते हैं तथा अनु.जाति/ अनु.जनजाति कर्मचारियों की शिकायतों पर भी ध्यान देते हैं । रॉस्टर के रखरखाव के संबंध पाई गई चूक, की गई टिप्पणियों के अनुपालन / परिहार हेतु संबद्ध क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के ध्यान में लाया जाता है । वित्तीय वर्ष 2013-2014 में विशेष सेल ने अनु.जाति/ अनु.जनजाति कर्मचारियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग,

IMPLEMENTATION OF RESERVATION POLICIES

9.7 A Special Cell has been formed at the Head Office of the EPF Organization to ensure due compliance of the orders of the reservation issued from time to time in favour of SCs and STs, to ensure prompt disposal of grievances of the employees of these classes and to scrutinize and consolidate the statistical data relevant. Similar Special Cell has also been established in all the Regional Offices. The Special Cell of the Head Office is headed by a RPFC-I as Chief Liaison Officer followed by Liaison Officers at all the Regional Offices. The Liaison Officers of the Regions are submitting periodical reports/returns which are compiled at Head Office. The Liaison Officers nominated to look after the reservation matter of SC/ST employees are also looking after the reservation matter for persons with disabilities and Ex-servicemen.

9.8 Apart from the above, for OBC, separate Liaison Officers were appointed in Head Quarters as well as in the regions in terms of DoP&T OM No. 42011/18/96-Estt (res) dated 06.03.1997. A meeting of Parliamentary Committee on OBC was held on 11.11.2013 at Chennai. The desired actions being taken to fill up the post are being carried out.

9.9 The main function of Special Cell at Head Office is to monitor various grievances received from individual employees, the Association of SC/ST employees on reservation promotion and other service matters concerning SC/ST employees. All Regional Commissioners are submitting returns and annual statements in the prescribed proforma to the Head Office for onwards submission to Govt. of India, Ministry of Labour.

9.10 These returns reflect the status of staff in position, short fall/excess staff and backlog vacancies in respect of the Regions. The returns are consolidated by the Special Cell in the Head Office and finally forwarded to Ministry of Labour, Govt. of India.

9.11 Chief Liaison Officer also undertakes visits to the Regional Offices to inspect the Reservation Roster Registers maintained by these Regions and attends to the grievances of the SC/ST employees. The lapses/observations made in respect of maintenance of Rosters are brought to the notice of the concerned Regional Commissioner for compliance/rectification. Special Cell for the financial year 2013-2014 received 371 grievances from SC-ST employees, National Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, All India EPF SC/ST Staff Federation, VIPs, MOL, Parliamentary Committee for Welfare of SC, MPs etc. Out of these 356 were appropriately replied or redressed. While remaining 15 grievances were pursued with respective field offices for early redressal/disposal.

HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

9.12 During the financial year 2013-14, many career development opportunities were created to upkeep the morale of existing officers and officials. Following are the key highlights:-

- A total of 254 posts in various cadres were created. 72 posts in the Group A, 122 in Group B and 60 posts in Group C were created.
- The 76th EC held on 25.02.2013 approved the recruitment rules for the posts of Additional Central Provident Fund commissioners-I and Additional Central Provident Fund Commissioners-II. The gazette notification formalising this was issued on 19.12.2013.
- The 78th EC held on 05.3.2014, created 15 posts of Private Secretary, 30 posts of Personal Assistants and 30 posts of Stenographers

अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि अनु.जाति/ अनु.जनजाति स्टाफ संघ / फेडरेशन, वी.आई.पी., श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, अनु.जाति कल्याण हेतु संसदीय समिति, सांसदों आदि से 371 शिकायतें प्राप्त कीं। इनमें से 356 का समुचित रूप से उत्तर दिया गया या समाधान किया गया है। जबकि शेष 15 शिकायतों के शीघ्र निवारण / निपटान के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ संपर्क किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास :-

9.12 वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान वर्तमान अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए कैरियर विकास के कई अवसर सृजित किए गए थे। मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :

- विभिन्न संवर्गों में कुल 254 पद सृजित किए गए हैं। ग्रुप ए में 72 पद, ग्रुप बी में 122 पद तथा ग्रुप सी स्तर में 60 पद सृजित किए गए थे।
- दिनांक 25.02.2013 को आयोजित 76वीं कार्यकारी समिति की बैठक में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त -I तथा अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II पदों के लिए भर्ती नियमों को अनुमोदित किया गया है। इसकी औपचारिक अधिसूचना दिनांक 19.12.2013 को गजट में जारी की गई थी।
- दिनांक 05.03.2014 को आयोजित 78वीं कार्यकारी समिति की बैठक में निजी सचिव के 15 पद, निजी सहायक के 30 पद तथा आशुलिपिक के 30 पद सृजित किए गए।

परीक्षा अनुभाग

9.13 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय में परीक्षा अनुभाग विभिन्न संवर्गों के भर्ती नियमों में निर्धारित परीक्षा कोटा के अंतर्गत रिक्तियों को भरने के लिए उन संवर्गों के संबंध में पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का आयोजन करता है। परीक्षा अनुभाग सीधी भर्ती में आए सहायक भविष्य निधि आयुक्त तथा प्रवर्तन अधिकारी/ लेखा अधिकारी के लिए परिवीक्षा परीक्षा भी आयोजित करता है।

9.14 परीक्षा अनुभाग, सामाजिक सुरक्षा सहायक (एस.एस.ए.) पद के लिए सीधी भर्ती करने के कार्य के लिए बाहर की एजेंसी जिन्हें परीक्षा का आयोजन का कार्य सौंपा गया है के साथ भी समन्वय करता है।

EXAMINATION SECTION

9.13 The Examination Section in EPFO, HQ conducts the Departmental Examination for promotion in respect of various cadres for filling up vacancies against the examination quota as laid down in the Recruitment Rules of such cadres. The Examination Section also conducts the Probationary Examination for Direct Recruits in the posts of Assistant Provident Fund Commissioner and Enforcement Officer/ Accounts Officer.

9.14 Examination Section also co-ordinates the work of Direct Recruitment to the post of Social Assistant (SSA) with an outside agency to whom conduct of examination work has been entrusted.

EXAMS HELD/ FOLLOW – UP ACTION TAKEN DURING THE YEAR 2013-14

Sl No.	Name of Exam	Vacancies	Date of Exam	No.of candidates Applied	No.of candidates Appeared	Date of Result	No.of candidate declared successful
1.	Enforcement officer / Accounts officer Limited Departmental Competitive Examination	195(Revised Vacancy except 2 States)	8th to 12th October, 2012	3288	2769	28.1.14	181 (except 2 States)
2.	Hindi Translator (Gr-II) Departmental Competitive Examination	46	18th to 19th July 2013	68	59	9.10.13	19

9.15 The preparatory action for conduct of Departmental Examination for the posts of Section Supervisor and Lower Division Clerk as well as examination for Assistant Provident Fund Commissioner (Probationers) was initiated. Several new examination Schemes for various cadres were under preparation SSC and UPSC were also consulted to conduct various examination.

9.16 In addition to above, the result of written examination held on 13.05.2012 for Direct Recruitment of SSA was declared on 06.05.2013, wherein 8538 candidates were shortlisted for the second stage of the recruitment i. e Data Entry Skill Test. Out of this, 1157 candidates were declared successful ultimately against 1201 vacancies. The court cases arising out of the direct recruitments/departmental examinations were dealt with effectively.

9.17 The Datas entry skill test was conducted on 30th and 31st July, 2013 in 15 venues in 14 cities. The vacancies for Social Security Assistant under Direct Recruitment Quota have been revised from 1974 to 1201. The final result of Social Security Assistant Direct Recruitment Examination was declared on 07.01.2014 wherein as total 1157 candidates were declared successful provisionally. The dossiers of the successful candidates were forwarded to the respective ACC (Zones) for taking necessary action.

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित परीक्षा / की गई अनुवर्ती कार्रवाई

क्र.सं	परीक्षाओं के नाम	रिक्तियां	परीक्षा की तिथि	आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या	परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या	परिणाम की तिथि	सफल उम्मीदवारों की संख्या
1	प्रवर्तन अधिकारी/लेखा अधिकारी सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	195	08 से 12 जनवरी, 2012	3288	2769	28.1.14	181 (2 राज्यों को छोड़कर)
2	हिंदी अनुवादक (ग्रेड. II) विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	46	18-19 जुलाई, 2013	68	59	9.10.13	19

9.15 अनुभाग पर्यवेक्षक तथा अवर श्रेणी लिपिक के पदों के लिए विभागीय परीक्षा के साथ-साथ सहायक भविष्य निधि आयुक्त (परिवीक्षाधीन) के लिए परिवीक्षा परीक्षा के आयोजन हेतु प्रारंभिक कार्रवाई आरंभ की गई है। विभिन्न कैडर के लिए कई नई परीक्षा योजनाओं की तैयारी चल रही है। विभिन्न परीक्षाएं संचालित करने के लिए कर्मचारी चयन आयोग (एस.एस.सी.) तथा संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) से भी परामर्श किया गया है।

9.16 उपर्युक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.05.2012 को आयोजित एस.एस.ए. की सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम दिनांक 06.05.2013 को घोषित किया गया था जिसमें भर्ती के दूसरे चरण यानी कि डाटा प्रविष्टि कौशल परीक्षा के लिए 8538 अभ्यर्थी चुने गए हैं। 1201 रिक्तियों के अंतर्गत इनमें से 1157 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। सीधी भर्ती / विभागीय परीक्षाओं के मामले में दायर किए गए मुकद्दमे प्रभावी ढंग से निपटाए गए हैं।

9.17 डाटा प्रविष्टि कौशल परीक्षा 30 एवं 31 जुलाई, 2013 को 14 शहरों एवं 15 स्थानों में आयोजित की गई थी। सीधी भर्ती कोटा के तहत सामाजिक सुरक्षा सहायक पद के लिए रिक्तियां 1974 से 1201 तक संशोधित की गई हैं। सीधी भर्ती परीक्षा कोटा के तहत आयोजित सामाजिक सुरक्षा सहायक के अंतिम परिणाम दिनांक 07.01.2014 को घोषित किए गए थे जिसमें कि कुल 1157 अभ्यर्थियों को अनंतिम रूप से सफल घोषित किया गया था। मुख्यालय के मा.सं.प्र. अनुभाग के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सफल अभ्यर्थियों के डोसियर संबंधित अ.के.आ. (अंचल) को अग्रेषित किए गए थे।

PROGRESSIVE USE OF HINDI

9.18 EPFO is committed towards ensuring propagation and expansion of the official language i.e. Hindi and its increasing use at various levels. The year under reference has also witnessed an overall increase in the progressive use of the official language (Hindi), as is evident from the following:-

- The Regional Official Language Implementation Committees have been set up in each office of the organization. 249 quarterly meetings of the Committees were conducted in these offices. The Committee at HO also conducted two half yearly meetings under the Chairmanship of CPFC.
- During the year, the HO reviewed **208** quarterly progress reports received from ROs and awarded grading to them on the basis of quality of work as '**Excellent**', '**Very Good**', '**Satisfactory**' and '**Regrettable**'.
- During the year **266** Hindi workshops were conducted in different offices to impart training to promote use of Hindi. **3023** officers and staff members got the opportunity to improve their knowledge and skills in the practical use of Hindi in their official work in these workshops.
- '**Hindi fortnight**' was observed **from 16th September to 30th September 2013** in all the offices in EPFO. Various competitive events were organized during the '**Hindi fortnight**' and a large number of Officers and Staff took part in them. **2674** meritorious officers and staff members won awards in the form of cash prizes along with certificates. An amount of ₹ **23,13,261/-** was spent in organizing the competitive events.
- Under a departmental scheme named '**Vibhagiya Hindi Prayog Nakad Puraskar Protsahan Yojana**' which is in force in each office of 'B' and 'C' Region, a cash reward of ₹ **1000/-** was given to officers and staff members who performed 75% (in B Region) and **50%** of the official work (in C Region) in Hindi.
- In-house magazines were published by different ROs in which officers and staff gave their write-ups. Cash awards were given to the writers (officers/staff) for original write ups. During the year under review **32** ROs published in- house magazines.
- **92** Offices of EPFO were been notified under Rule 10 (4) of the Official Language Rules - 1976.
- All the employees who were eligible to get training in Hindi Language were imparted trainings for Hindi Prabodh, Praveen, Pragya and Hindi Typing/Stenography under the Hindi teaching scheme.
- The Parliamentary Committee on Official Language visited **06** offices of EPFO for Inspections at - RO, Raipur (on **16.04.2013**), SRO, Bareilly (on **25.06.2013**), RO, Mangalore (on **04.07.2013**), SRO, Kohlapur (on **21.09.2013**), **Head office** (on **18.10.2013**), and RO, Vadodara (on **24.01.2014**). Follow-up action on the assurances given to the committee was ensured.
- Concentrated efforts were made towards bilingualization of the EPFO Website. Certain portions of the Application Software relating to the settlement of claims have been bilingualized so as to increase the percentage of correspondence in Hindi.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

9.18 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन राजभाषा हिंदी का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने तथा विभिन्न स्तरों पर इसका प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। समीक्षाधीन वर्ष में भी राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में संपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है, जैसा कि निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट है :

- संगठन के प्रत्येक कार्यालय में क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। इन कार्यालयों में समितियों की 249 तिमाही बैठकों का आयोजन किया गया। मुख्यालय में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अध्यक्षता में समिति की दो छमाही बैठकों का आयोजन किया गया।
- वर्ष के दौरान, मुख्यालय द्वारा क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त 208 तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की गई तथा कार्य की गुणवत्ता के आधार पर ' सर्वश्रेष्ठ ' 'बहुत अच्छा' 'संतोषजनक' तथा 'शोचनीय' ग्रेडिंग प्रदान की गई।
- वर्ष के दौरान, विभिन्न कार्यालयों में हिंदी के प्रसार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 266 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 3023 अधिकारियों एवं स्टाफ सदस्यों को अपने कार्यालयीन कार्य में हिंदी का व्यावहारिक प्रयोग करने के लिए अपने ज्ञान तथा कौशल में सुधार का अवसर प्राप्त हुआ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में दिनांक 16 सितंबर से 30 सितंबर, 2013 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा बहुत से अधिकारियों एवं स्टाफ ने इसमें भाग लिया कुल 2674 प्रतिभाशाली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नकद पुरस्कार के रूप में पुरस्कार तथा प्रमाण पत्र प्राप्त किए। प्रतियोगिताओं के आयोजन में 23,13,261/- रु. की राशि खर्च की गई।
- 'विभागीय हिंदी प्रयोग नकद पुरस्कार प्रोत्साहन योजना' नामक विभागीय योजना के अंतर्गत जो कि 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में लागू है, उन कर्मचारियों एवं स्टाफ सदस्यों को 1000/- रु. का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया जिन्होंने अपने कार्यालयीन कार्य का 75% (ख क्षेत्र में) तथा 50% (ग क्षेत्र) कार्य हिंदी में किया है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभागीय पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही हैं जिनमें अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी रचनाएं देते हैं। मूल रचनाओं के लिए लेखकों (अधिकारियों/स्टाफ) को नकद पुरस्कार दिए जाते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 32 क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभागीय पत्रिकाओं का प्रकाशन किया गया।
- राजभाषा नियमावली 1976 के नियम 10 (4) के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 92 कार्यालयों को अधिसूचित किया गया है।

EPF STAFF PENSIONERS

9.19 The total number of pensioners of EPFO as on 31.03.2014 is 8813. Out of this, 6592 are retired pensioners and 2221 are family pensioners. EPFO takes good care of its retired employees and the families of the deceased employees. An all-India circular was issued for designating Nodal Officers for redressing the grievances of the pensioners.

STAFF WELFARE ACTIVITIES

9.20 EPFO values its human resource and believes that only a satisfied workforce can achieve the organizational mission. In line with this philosophy, EPFO has introduced a number of welfare activities for its employees. Some of the important welfare measures included sports activities, welfare recreation centre, holiday home, death relief, scholarships and financial assistance for prolonged illness etc. as detailed in below mentioned passages.

SPORTS ACTIVITIES

9.21 The Sports calendar for the year 2013-14 was approved by the Central Provident Fund Commissioner and President, Central Sports Promotion Board and was circulated to all the Offices for implementation on 10-05-2013.

9.22 Out of the approved sports Calendars for the year 2013-14, all the scheduled sports activities were conducted and completed in time. The following sports activities took place during the year 2013-14.

Event	Host	Winner	Runner up
Athletics and Indoor Event	Gujarat	Maharashtra	Karnataka
Football	Bhatinda	Tamilnadu	West Bengal
Volley Ball	Karnataka	Goa	Tamilnadu
Basket Ball	Karnataka	Tamilnadu	Gujarat
Cricket	Chennai	Maharashtra	Karnataka

9.23 For the year 2013-14, an amount of ₹ **1.50 cr.** was provided to EPF Central Sports Promotion Board for the Sports Activities. As per requirement an amount of ₹ **1.25 cr.** was withdrawn. A sum of ₹ **1, 22, 04,750/-** was distributed to the all Regional Sports Promotion Boards to conduct the various sports activities and to participate in Zonal and Final events. All scheduled sports events have been conducted during the year 2013-14 in a successful manner.

Other Achievements in the field of Sports

9.24 The EPFO has been affiliated to All India Public Sector Sports Promotion Board Since 2005. The All India EPF Football Team participated in the Tournament organized by the All India Public Sector Sports Promotion Board w.e.f. 06.01.2014 to 12.01.2014.

STAFF WELFARE

9.25 The CBT in its 121st meeting held on 29.12.1989 approved the setting up of EPF Staff Welfare Fund with an objective to provide security-cum-welfare cover to all the staff members of the EPFO. The total budget for the year 2013-14 for welfare activities was ₹ **9.50 cr.** Out of this an amount of ₹ **9, 17, 11,600** was allotted to different Regional Staff Welfare Committees for the following activities for the year 2013-14.

- वे सभी कर्मचारी जो हिंदी भाषा में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पात्र थे उन्हें हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण/ आशुलिपि के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- राजभाषा संसदीय समिति द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 06 कार्यालयों का निरीक्षण किया गया क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर (16.04.2013 को), उ.क्षे.का. बरेली (25.06.2013 को), क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलौर (04.07.2013 को) उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोल्हापुर (21.09.2013 को), मुख्यालय (18.10.2013 को), क्षेत्रीय कार्यालय, वडोदरा (24.01.2014 को) । समिति को दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित की गई है ।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने के लिए गहन प्रयास किए गए थे । दावों के निपटान से संबंधित एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ भागों को द्विभाषी बनाया गया ताकि हिंदी में पत्राचार की प्रतिशतता में वृद्धि कर सके हो ।

क.भ.नि. स्टाफ पेंशनभोक्ता

9.19 दिनांक 31.03.2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कुल पेंशनभोक्ताओं की संख्या 8813 हैं । इनमें से 6592 सेवानिवृत्त पेंशनभोक्ता हैं तथा 2221 परिवार पेंशनभोक्ता है । कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों का तथा मृतक कर्मचारियों के परिवारों का विशेष ध्यान रखता है । पेंशनभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु नोडल अधिकारियों को नामित करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर एक परिपत्र जारी किया गया था ।

स्टाफ कल्याण गतिविधियां

9.20 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने मानव संसाधन को मूल्यवान मानता है तथा यह विश्वास करता है कि केवल एक संतुष्ट कार्यशक्ति ही संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है । इसी दर्शन के अनुरूप ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए बहुत सी कल्याण गतिविधियों की शुरुआत की गई है । जैसे कि निम्न सूचित अनुच्छेदों में ब्यौरा दिया गया है, खेलकूद गतिविधियां, मनोरंजन कल्याण केन्द्र, हाली डे होम, मृत्यु राहत, छात्रवृत्ति तथा दीर्घकालिक बीमारी के लिए वित्तीय सहायता आदि ।

खेलकूद की गतिविधियां

9.21 वर्ष 2013-14 के लिए केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय खेल संवर्द्धन बोर्ड द्वारा खेल कैलेंडर अनुमोदित किया गया तथा दिनांक 10.05.2013 को सभी कार्यालयों में क्रियान्वयन हेतु परिचालित किया गया ।

9.22 वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित खेल के कैलेंडर में निर्धारित सभी खेलकूद गतिविधियां समय पर आयोजित एवं पूरी की गई । वर्ष 2013-14 के दौरान निम्नलिखित खेलकूद गतिविधियों का आयोजन किया गया।

- **Staff Recreation Club :** During the year 2013-14, an amount of ₹ **14,90,000/-** was spent on Staff Recreation Club for purchase of Equipments/ furniture /library books/ excursion trips and also for setting up of recreation club in newly opened Offices.
- **Canteen:** An expenditure of ₹ **48,15,000/-** was incurred under the Canteen Head in various Regional and Sub-Regional Offices. The expenditure is based on the category of Canteen, classified as Category A,B,C and D, depending on the staff strength of the Regional Offices.
- **Scholarship & Book Award:** Scholarship was given to the tune of ₹ **1,01,96,600/-** to the ward of employees for the continuance of their studies who secured 80% marks in Class XII @ ₹ **7,200/- per year**. Further, the Book Award @ ₹ **1,800/-** were also given to the wards of the employees who secure more than 80% marks in class X and XII.
- **Holiday Home/Guest House :** A sum of ₹ **25,00,000/-** was spent to meet the expenditure on maintaining the holiday home at Shimla (Himachal Pradesh), Puri (Orissa), Panaji (Goa) and Kanyakumari (Tamilnadu).
- **Other Activities :** A sum of ₹ **3,65,10,000/-** was spent for providing assistance to staff suffering from prolonged illness, financial assistance to the family member in accidental/natural calamities cases, relief to handicapped persons, crèches, cultural meets, holiday camps and any other item of common interest to the employees.
- **Death Relief Fund :** Death Relief Fund is being released to the family members of employees of EPFO @ ₹ **2.50 Lakh** in the event of natural death and ₹ **3.00 lakh** in case of accidents/cancer/heart attack and brain hemorrhage death. An amount of ₹ **3.62 cr.** was given to the Regional Staff Welfare Committees towards Death Relief Fund in the year 2013-14.

Financial Assistance out of Staff Welfare Fund Committees.

- a. Farewell grant to the retiring Officials has been fixed at ₹ **10,000/-** per retiring employee.
- b. Medical Health check up facilities which can be availed by the employees and spouse twice in the age group between 50-55 years and every year 55-60 years with a maximum ceiling of ₹ **2000/-** per male employee and ₹ **2200/-** for female employee and vice-versa.

Finacial Assistance Under Natural Disaster Management Flood Relief

9.26 The Central Staff Welfare Committee stood for the natural cause and rendered immediate help of about ₹ **1.03 cr.** collected through at least one day's salary of the staff and Officers of EPFO from all over the country and deposited the same in the Chief Minister's Relief Fund, Uttara khand. Apart from this individuals contribution in cash and kind as relief material was also sent to the District Magistrate, Dehradun for the flood victims.

OFFICE ACCOMMODATION

9.27 The HO, 36 ROs and 40 SROs .NATRSS and all the 4 ZTIs, are functioning from their own premises. 04 ROs, 43 SROs and 01 Sub ZTI, are functioning from rented premises. Construction work of office building is in progress at Rohtak. Expansion of office building at SRO Kochi, SRO Udaipur is also under progress. Action for selection of construction agency for construction of own buildings at Rajahmundry, Kukatpally, Berhampur, Keonjhar, Vatwa, Bareilly, Ranchi, Jamshedpur, Raichur, Kolkata ZTI, Salem, Bangalore, Naroda, Jalandhar, Construction of additional Staff Quartrs at Chennai & expansion of office buildings at Guntur, Goa, Bhatinda is under active consideration.

वर्ष 2013-14 के दौरान आयोजित खेलकूद गतिविधियों के परिणाम निम्न प्रकार रहे :

इवेंट	आयोजक	विजेता	उप विजेता
एथलेटिक्स तथा इंडोर इवेन्ट	गुजरात	महाराष्ट्र	कर्नाटक
फुटबाल	भटिंडा	तमिलनाडु	पश्चिम बंगाल
वॉलीबाल	कर्नाटक	गोवा	तमिलनाडु
बास्केट बाल	कर्नाटक	तमिलनाडु	गुजरात
क्रिकेट	चेन्नै	महाराष्ट्र	कर्नाटक

9.23 वर्ष 2013-14 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि केन्द्रीय खेल संवर्द्धन बोर्ड को खेलकूद गतिविधियों के लिए 150 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई गई थी । आवश्यकतानुसार 1.25 करोड़ रुपये (एक करोड़ तथा पच्चीस लाख रुपये मात्र) की निकासी की गई तथा सभी क्षेत्रीय खेल संवर्द्धन बोर्डों को खेलकूद गतिविधियां आयोजित करने तथा आंचलिक स्तर पर अंतिम इवेंट में प्रतिभागिता हेतु 1,22,04,750/- रुपये की राशि वितरित की गई । वर्ष 2013-14 के दौरान सभी निर्धारित खेल इवेन्ट्स सफलतापूर्वक आयोजित किए गए ।

खेल के क्षेत्र में अन्य उपलब्धियां

9.24 वर्ष 2005 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल संवर्द्धन बोर्ड से संबद्ध है । अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र खेल प्रमोशन बोर्ड द्वारा दिनांक 06.01.2014 से 12.01.2014 तक आयोजित टूर्नामेंट में अखिल भारतीय कर्मचारी भविष्य निधि फुटबाल टीम ने भाग लिया ।

स्टाफ कल्याण

9.25 दिनांक 29.12.1989 को आयोजित अपनी 121 वीं बैठक में, केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ सदस्यों को सुरक्षा-सह-कल्याण कवर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से क.भ.नि. स्टाफ कल्याण निधि के गठन को स्वीकृति प्रदान की । वर्ष 2013-14 के लिए कल्याण गतिविधियों के लिए कुल बजट 9.50 करोड़ रु. है । इनमें से वर्ष 2013-14 के लिए निम्नलिखित गतिविधियों के लिए 9,17,11,600/- रु. की राशि विभिन्न क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को आबंटित की गई ।

- **स्टाफ मनोरंजन क्लब :** वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न कार्यालयों के स्टाफ मनोरंजन क्लबों को साज-सामान, फर्नीचर , लाइब्रेरी पुस्तकों की खरीद, भ्रमण तथा नए कार्यालयों में मनोरंजन क्लब स्थापित करने हेतु 14,90,000/- रु. की राशि वितरित की गई ।
- **कैंटीन :** विभिन्न क्षेत्रीय तथा उप क्षेत्रीय कार्यालयों में कैंटीन शीर्ष के अंतर्गत 48,15,000/-रु. की राशि वितरित की गई । यह खर्च क्षेत्रीय कार्यालयों की स्टाफ संख्या के आधार पर कैंटीन की श्रेणी अर्थात 'क' 'ख', 'ग' तथा 'घ' श्रेणी पर आधारित है ।

9.28 The revised budget outlay for the year 2013-14 including the amount kept in Central Pool at EPF HO was ₹ **449.95 cr.** Budget Estimate for the year 2014-15 is ₹ **384.68 cr.** Physical Facilities Division provides technical assistance for petty works and maintenance of E.P.F.O. office buildings / staff quarters.



- छात्रवृत्ति एवं बुक अवार्ड - कर्मचारियों के बारहवीं कक्षा में 80% अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को पढ़ाई जारी रखने पर 7200/- रु. प्रतिवर्ष की दर से 1,01,96,600/- रु. की छात्रवृत्ति प्रदान की गई। तथापि, कर्मचारियों के दसवीं व बारहवीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 1800/- रु. की दर पर बुक अवार्ड प्रदान किए गए।
- हॉलीडे होम / गेस्ट हाउस - शिमला (हिमाचल प्रदेश), पुरी (उड़ीसा), पणजी (गोवा) तथा कन्याकुमारी (तमिलनाडु) स्थित हॉलीडे होम के रखरखाव के लिए 25,00,000/- रु. की राशि खर्च की गई।
- अन्य गतिविधियां : लंबी बीमारी से ग्रस्त स्टाफ की सहायता, दुर्घटना/ प्राकृतिक आपदाओं में परिवार के सदस्यों की सहायता, विकलांग व्यक्तियों की सहायता, क्रैच, सांस्कृतिक सम्मेलन, होलीडे कैम्प तथा कर्मचारी के अन्य सामान्य हितों के लिए 3,65,10,000/-रु. खर्च किए गए।
- मृत्यु राहत निधि : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के संबंध में सहज मृत्यु की स्थिति में 2.50 लाख रु. और दुर्घटना / कैंसर / दिल का दौरा तथा मस्तिष्क रक्त स्राव के कारण मृत्यु होती है तो उनके परिवार के सदस्यों को मृत्यु राहत निधि के रूप में 3.00 लाख रु. दिए गए। क्षेत्रीय स्टाफ कल्याण समितियों को मृत्यु राहत निधि के रूप में वर्ष 2013-2014 में 3.62 करोड़ रु. दिए गए हैं।

स्टाफ कल्याण निधि समितियों द्वारा वित्तीय सहायता

- क. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए विदाई अनुदान प्रति सेवानिवृत्त कर्मचारी 10,000/- रु. निर्धारित किया गया है।
- ख. कर्मचारियों तथा उनके पति/पत्नी द्वारा 2000/- रु. प्रति पुरुष कर्मचारी तथा 2200/- रु. प्रति स्त्री कर्मचारी इसके विपरीत के लिए अधिकतम सीमा के साथ 50-55 वर्ष के बीच आयुवर्ग में वर्ष में दो बार 55-60 वर्ष के बीच आयुवर्ग में वर्ष में एक बार चिकित्सा जांच की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं।

प्राकृतिक आपदा प्रबंधन बाढ़ राहत के क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां

9.26 केन्द्रीय स्टाफ कल्याण समिति प्राकृतिक आपदा के लिए सदैव तैयार रहती है तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देशभर के अधिकारियों एवं स्टाफ के कम से कम एक दिन वेतन के माध्यम से एकत्रित लगभग 1.03 करोड़ रुपये तत्काल सहायता के रूप में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री राहत निधि में जमा किए। इसके अतिरिक्त बाढ़ पीड़ितों के लिए जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून को राहत सामग्री के रूप में नकद एवं वस्तुओं का व्यक्तिगत योगदान भी भेजा गया है।

कार्यालय आवास

9.27 मुख्यालय, 36 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 40 उप क्षेत्रीय कार्यालय, नाटर्स, 04 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान अपने स्वयं के भवन में कार्य कर रहे हैं। 04 क्षेत्रीय कार्यालय, 43 उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा 01 उप आंचलिक

प्रशिक्षण संस्थान किराये के भवन में कार्य कर रहे हैं। रोहतक में कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उप क्षेत्रीय कार्यालय कोची, उप क्षेत्रीय कार्यालय, उदयपुर में कार्यालय भवन के विस्तार का कार्य प्रगति पर है। राजामंद्री, कुक्कटपल्ली, बेरहामपुर, क्यौंझर, वटवा, बरेली, रांची, जमशेदपुर, रायचूर, कोलकाता आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान, सेलम, बंगलौर, नरोड़ा, जालंधर में स्व भवनों के निर्माण के लिए निर्माण एजेंसी के चयन पर कार्रवाई की जा रही है। चेन्नै में अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण, गुंटूर, गोवा, भटिंडा में कार्यालय भवनों का विस्तार सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

9.28 वर्ष 2013-14 के संशोधित बजट परिव्यय / लागत जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि मुख्यालय में केन्द्रीय पूल की राशि भी शामिल है, **449.95 करोड़ रु.** थी। वर्ष 2014-15 के लिए बजट आकलन **384.68 करोड़ रु.** है। भौतिक सुविधा प्रभाग कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय भवनों / स्टाफ क्वार्टरों के लिए छोटे-मोटे निर्माण तथा रख-रखाव के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।



अध्याय - 10

राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रशिक्षण एवं अनुसंधान अकादमी

10.1 नाटर्स की परिकल्पना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक प्रमुख प्रशिक्षण एवं विकास स्क्व के रूप में की गई थी जिसके पास सामाजिक सुरक्षा में अनुसंधान की डिजाइनिंग तथा प्रशासक की सहवर्ती जिम्मेदारी थी ।

10.2 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रशासनिक मशीनरी विकास की गति के प्रति संवेदनशील हो तथा अपने नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक आकांक्षाओं के प्रति प्रतिक्रियाशील हो । सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन के पास उपलब्ध मानव संसाधनों के विकास के लिए सचेतन नीति विकसित की गई है । कार्मिकों के निष्पादन बढ़ोतरी के साथ ही ज्ञान तथा कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण एक प्रभावी तथा जांचा हुआ साधन है । सांगठनिक प्रेरणा एवं मनोबल, जैसा कि आचार विचारों तथा प्रशासनिक संस्कृति से अभिव्यक्त होता है, उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्रासंगिकता प्रदान की जाती है तथा उन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है । उभरते हुए राजनैतिक तथा सामाजिक सरोकारों के प्रति संवेदनशीलता, सोच में आधुनिकता तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के पुनर्विन्यास के लिए विशेष रूप से केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी जिससे कि संगठनात्मक ढांचे तथा प्रक्रियाओं में उनका प्रसार किया जा सके ।

प्रशिक्षण के उद्देश्य

10.3 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है :-

- (i) संगठनों तथा व्यक्तियों के बेहतर निष्पादन के लिए आवश्यक अद्यतन तथा बढ़ता हुआ व्यावसायिक ज्ञान तथा कौशल रखना ;
- (ii) व्यावसायिक आवश्यकताओं की बेहतर समझ का प्रसार करने के साथ - साथ व्यावसायिक, सामाजिक-आर्थिक तथा राजनैतिक वातावरण जिसमें कार्य किया जाता है की ओर सुग्राहीकरण ;
- (iii) सही व्यवहार की ओर उन्मुखीकरण ।

प्रशिक्षण के प्रकार

- इंटरैक्शन प्रशिक्षण / किसी भी पद पर नए आने वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स
- रिक्रेशर कोर्स/सेवा में रहते हुए कौशल विकास कोर्स.
- प्रबंधन विकास प्रशिक्षण.
- तकनीकी प्रशिक्षण.
- विशिष्ट मामलों के लिए विशेष प्रशिक्षण.

Chapter 10

NATIONAL ACADEMY FOR TRAINING & RESEARCH IN SOCIAL SECURITY

10.1 The NATRSS was conceived to be the premier training and development wing of the EPFO with an attendant responsibility for designing and executing research in social security.

10.2 EPFO needs to ensure that the administrative machinery is sensitive to the dynamics of development and responsive to the socio-economic aspirations of its citizens. A conscious policy for the development of human resource available to the Organisation has been fostered for meeting the challenges of the changes – social, economic and political. Training is one of the effective and tested tools for performance enhancement, as well as upgradation of knowledge and skills of the personnel. Organisational motivation and morale, as reflected in the attitudes and administrative culture, are rendered relevant and sharply focused through effective training programmes. Sensitivity to emerging political and social concerns, modernity in thinking and reorientation of administrative systems would require specifically focused training programmes to enable their diffusion throughout the Organisational structure and processes.

OBJECTIVE OF TRAINING

10.3 Training in the EPF Organisation strives to achieve the following objectives:-

- (i) Keeping up-to-date and enhancing professional knowledge and skills needed for better performance of individuals and Organisation;
- (ii) Promoting better understanding of professional requirements as well as sensitization to professional, social-economic and political environment in which work is done;
- (iii) Bringing about right attitudinal orientation.

TYPES OF TRAINING

- Induction Training/Foundation Course for new entrants to any post.
- Refresher course/in-service skill development course.
- Management development training.
- Technical training.
- Special training for specific issues
- Special training for specific category of officials.
- Awareness programmes for Employers' and Members.

STRATEGY

TRAINING FOR ALL

10.4 Training is imparted to all rungs of the Organisation starting from the lowest and cutting-edge to the highest in policy making.

- कर्मिकों की विशिष्ट श्रेणी हेतु विशेष प्रशिक्षण.
- नियोक्ता एवं सदस्यों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

रणनीति

सभी के लिए प्रशिक्षण

10.4 संगठन के सभी स्तरों सबसे नीचे तथा अत्याधुनिक से लेकर नीति निर्माण में उच्चतम स्तर तक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

10.5 समुचित प्रशिक्षण डिजाइन के उद्देश्य से, संगठनात्मक सेवा को निम्नलिखित दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है:-

➤ निचले स्तर पर कार्य करने वाले, अर्थात् जो कि अधिकांशतः ग्रुप 'सी' सेवा के सदस्य होते हैं ।

ग्रुप 'बी' की सेवाएं जिनमें 'सी' कर्मचारियों के पर्यवेक्षक होते हैं ।

➤ ग्रुप 'ए' सेवाएं जिनमें प्रशासन/प्रबंधन स्तर शामिल हैं ।

10.6 निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार डिजाइन किए जाते हैं जिनमें कार्यात्मक क्षमता तथा व्यवहार उन्मुखीकरण पर पर्याप्त बल दिया जाता है । पर्यवेक्षक स्तर पर, प्रशिक्षण व्यावसायिक ज्ञान में वृद्धि, समझ तथा कौशल में बढ़ोतरी में करता है जिससे कि भविष्य के कार्यों और उत्तरदायित्वों के लिए तैयार किया जा सके । द्वितीय स्तर के लिए, प्रशिक्षण मानसिक क्षितिज के विस्तार तथा व्यावसायिक श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है । प्रशिक्षण बहुआयामी कड़ियों यथा वित्त, प्रवर्तन सामान्य प्रबंधन तथा व्यावहारिक हस्तक्षेपों, नीति निर्माण के संबंध में प्रत्यक्ष ज्ञान को बढ़ाता है । प्रशिक्षण का उद्देश्य सतत आचारिक तथा व्यावहारिक हस्तक्षेप अभिमुखीकरण से संगठन के परिवेश में परिवर्तन करना है जिससे कि क.भ.नि. पदाधिकारी लोकतांत्रिक समाज के अवश्यकरणीय महत्व को समझ सकें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रशिक्षण संरचना

10.7 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अपनी 20 हजार से अधिक कार्यशक्ति के प्रशिक्षण एवं विकास हेतु एक द्विस्तरीय प्रशिक्षण ढांचा सृजित किया गया है । इसके शीर्ष स्तर पर नाटर्स है जोकि ग्रुप ए अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं का प्रबंध करती है तथा ग्रुप बी एवं सी स्टाफ के लिए, निम्नानुसार पांच आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान (जैड.टी.आई.) हैं :

1. फरीदाबाद स्थित उत्तरी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
2. चैन्नई स्थित दक्षिण अंचल प्रशिक्षण संस्थान
3. कोलकाता स्थित पूर्वी अंचल प्रशिक्षण संस्थान
4. उज्जैन स्थित पश्चिमी अंचल प्रशिक्षण संस्थान एवं शिलांग स्थित उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान

10.5 For the purpose of appropriate training design, the Organisational service is divided into the following two levels:

- i. (a) The lowest level functionaries, that is operative at the cutting edge, who are mostly members of the Group 'C' services.
(b) The Group 'B' services who are supervisors to Group 'C' officials.
- ii. Group 'A' level services comprising the administration/management level.

10.6 Training programme for the functionaries at the cutting edge level are designed to put considerable emphasis on functional skill and attitudinal orientation. For supervisory level, training contributes to enhancement to professional knowledge, understanding and skill so as to prepare for future tasks and responsibilities. For the second level, training offers stimuli for expansion of the mental horizon and attainment of professional excellence. Training shall also sharpen perception in relating to multi-dimensional linkage in Finance, Enforcement, General Management and Behavioural interventions and Policy formulations. Training is aimed at continuous attitudinal and behavioural re-orientation in changing Organisation ambience so as to help the EPF functionaries appreciate the imperatives of a democratic society.

TRAINING ARCHITECTURE IN EPFO

10.7 In order to train and develop its more than twenty thousand work force, EPFO has created a **two-tier training structure**. At the apex level lies the NATRSS which caters to the training needs of Group 'A' officers and for training Group B and C staff, there are four Zonal Training Institutes (ZTIs) and one Sub ZTI as under:

- i. **North Zone** Training Institute at Faridabad
- ii. **South Zone** Training Institute at Chennai
- iii. **East Zone** Training Institute at Kolkata
- iv. **West Zone** Training Institute at Ujjain & **Sub Zonal** Training Institute at Shillong

10.8 Being a premier training institution in Social Security, the Academy also invites participants from other Social Security organizations

10.9 At present, a Director, who is in the rank Addl. CPFC, heads the NATRSS. The CPFC is the ex-officio Dean of the Academy.

TARGET GROUP FOR NATRSS

10.10 The target group for NATRSS is Group 'A' officers includes the following posts:

- i. Additional CPFC's
- ii. R.P.F.C. – I
- iii. R.P.F.C. - II
- iv. A.P.F.C.
- v. DD/AD (Vig.)
- vi. DD/AD(OL)
- vii. DD/AD(IS)
- viii. AE/JE
- ix. DD/AD(Audit)

10.8 सामाजिक सुरक्षा में शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान होने के कारण, अकादमी अन्य सामाजिक सुरक्षा संगठनों से भी प्रतिभागियों को आमंत्रित करती है।

10.9 वर्तमान में, अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त स्तर का एक निदेशक नाटरस का प्रभारी होता है। केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अकादमी के पदेन अध्यक्ष हैं।

नाटरस के लिए लक्ष्य समूह

10.10 नाटरस के लिए लक्ष्य समूह ग्रुप 'ए' अधिकारी हैं जिनमें निम्नलिखित पद शामिल हैं :

1. अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त
2. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I
3. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II
4. सहायक भविष्य निधि आयुक्त
5. उप निदेशक / सहायक निदेशक (सतर्कता)
6. उप निदेशक / सहायक निदेशक (राजभाषा)
7. उप निदेशक / सहायक निदेशक (सूचना सेवा)
8. सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
9. उप निदेशक / सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा)

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए लक्ष्य समूह

10.11 आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के लक्ष्य समूह में उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले फील्ड कार्यालयों के सभी ग्रुप बी एवं सी स्टाफ सदस्य आते हैं।

10.12 अकादमी को चलाने के लिए निदेशक, नाटरस, उनके अधीनस्थ अधिकारी तथा पांच आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख उन्हें प्रत्यायोजित प्रशासकीय एवं वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं।

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण

10.13 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पर्यवेक्षक तथा कार्यात्मक स्तर पर कार्य कर रहे कर्मिकों के लिए एक समान आधार पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की डिजाइनिंग तथा उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रीय अकादमी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करती है। यह अभिप्राय है कि सभी कर्मिकों को फील्ड कार्यालयों तथा मुख्यालय में अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए अपने व्यावसायिक कौशल को उन्नत बनाने के लिए समुचित समय पर इंडक्शन कोर्सों, सेवा रत कोर्सों तथा विशिष्ट कोर्सों /कार्यशालाओं के माध्यम से आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।

TARGET GROUP FOR ZTIs

10.11 The target group of ZTIs comprises of all Groups B & C staff members in the field offices lying in their respective jurisdiction.

10.12 The Director, NATRSS, its subordinate officers and heads of ZTIs exercise the administrative and financial powers delegated to them in running the Academy.

TRAININGS IN ZTIs

10.13 The National Academy co-ordinates with the Zonal Training Institutes for designing and implementing training courses on a uniform basis for personnel working in the supervisory and operative levels in the EPFO. It is intended that all personnel, at appropriate points of time, should be given necessary training exposure through Induction Courses, in-service courses and specialized courses / workshops, in order to upgrade their professional skills for discharging their functions in the field formations and at the Head Office.

TRAINING ACTIVITIES IN ZTIs

- i. Induction course for newly appointed/promoted SSAs, SS and EOs/Aos
- ii. Refresher courses for Group B and C officials in functional areas
- iii. Specialized programmes on Customer Services, HRM, RTI & Women's empowerment
- iv. Workshop for Employer/Employees

10.14 During the year **2013-2014**, **47** training *programmes* were organised by NATRSS in which **1211** *participants had* participated and **275** training programmes were organized by the four ZTIs and the Sub-ZTI, in which **4877** participants had participated. The details of the programmes conducted by the NATRSS, ZTIs and the Sub-ZTI during **2013-2014** is at **Appendix A-6 (i) & (ii)**.

PHYSICAL INFRASTRUCTURE AND FACILITIES AT NATRSS

10.15 With its impressive infrastructure and the all India presence, the Academy alongwith its Zonal outfits has the potential to simultaneously conduct 5 programmes viz., training courses/seminars/workshops. The Academy offers stimulating ambience for learning and pursuing academic and research work. It has three lecture halls. Each hall is air conditioned and equipped with modern learning equipments. It has an elegantly designed modern Auditorium equipped with latest audiovisual facilities, internet connectivity, dimmer lighting system etc. The Auditorium is having a seating capacity for 118 persons.

HOSTEL BLOCK

10.16 It comprises rooms of single as well as double occupancy. In all, there are 48 rooms and altogether 96 participants can be accommodated.

MESS

10.17 The Academy Mess is air-conditioned and equipped with modular facilities. The mess has a capacity to cater the participants.

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण गतिविधियां

- (i) नव नियुक्त/ पदोन्नत सामाजिक सुरक्षा सहायकों, अनुभाग पर्यवेक्षकों तथा प्रवर्तन अधिकारियों / लेखा अधिकारियों के लिए इंडक्शन कोर्स
- (ii) कार्यात्मक क्षेत्रों में ग्रुप बी एवं सी कर्मचारियों के लिए रिफ्रेशर कोर्स
- (iii) ग्राहक सेवाओं, मानव संसाधन प्रबंधन, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा महिला सशक्तीकरण पर विशिष्ट कार्यक्रम
- (iv) नियोक्ता /कर्मचारियों के लिए कार्यशाला

10.14 वर्ष 2013-2014, में नाटर्स द्वारा 47 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिसमें 1211 प्रतिभागियों ने भाग लिया तथा आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा 275 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें 4877 प्रतिभागियों ने भाग लिया। वर्ष 2013-14 के दौरान नाटर्स, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण **परिशिष्ट -ए-6(i) एवं (ii)** पर दिया गया है।

नाटर्स का भौतिक ढांचा तथा सुविधाएं

10.15 अपने प्रभावी ढांचे तथा अखिल भारतीय उपस्थिति के साथ, अकादमी अपने आंचलिक संस्थानों सहित एक साथ 5 कार्यक्रम यथा प्रशिक्षण कोर्स/गोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करने की क्षमता रखती है। अकादमी सीखने तथा अकादमिक और अनुसंधान कार्य को जारी रखने के लिए प्रेरक वातावरण प्रदान करती है। इसके तीन लेक्चर हॉल हैं। प्रत्येक हॉल वातानुकूलित है तथा आधुनिक अधिगम उपकरणों से सुसज्जित है। इसके पास सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन किया गया ऑडिटोरियम है जो कि नवीनतम दृश्य श्रव्य सुविधाओं, इंटरनेट कनेक्टिविटी, मन्दकर प्रकाश व्यवस्था आदि से सुसज्जित है। इस ऑडिटोरियम में 118 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है।

होस्टल ब्लॉक

10.16 इसमें एक व्यक्ति तथा दो व्यक्तियों के रहने की क्षमता वाले कमरे हैं। कुल मिलाकर 48 कमरे हैं तथा 96 प्रतिभागी इनमें ठहर सकते हैं।

मेस

10.17 अकादमी की मेस वातानुकूलित है तथा आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। मेस में प्रतिभागियों के खान-पान की व्यवस्था करने की क्षमता है।

खेलकूद

10.18 बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स तथा अन्य इंडोर खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध है। होस्टल ब्लॉक में एक व्यायामशाला (जिमनेजियम) भी है।

10.19 निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पावर बैकअप तंत्र की व्यवस्था की गई है। यह परिसर में रहने वालों को दिन-रात बिजली एवं पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करती है।

SPORTS

10.18 Facilities are available for playing badminton, table tennis, billiards and other indoor games. There is also a Gymnasium in the Hostel block

10.19 To ensure uninterrupted power supply, a power back up system has been installed as a standby. It provides the residents of the campus access to power and water supply round the clock.

10.20 NATRSS has a Library with more than 8000 volumes. The library also subscribes to various Indian and foreign journals.

PHYSICAL FACILITIES & INFRASTRUCTURE AT ZTIs

10.21 All ZTIs except Sub-ZTI Shillong are housed in own buildings and are equipped with necessary training infrastructure in terms of training halls, computer lab, conference facilities, library and hostel with dining facility.



10.20 नाटर्स में 8000 खंडों से भी अधिक वाला पुस्तकालय है । पुस्तकालय में विभिन्न भारतीय तथा विदेशी जर्नल्स भी उपलब्ध हैं ।

आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों में भौतिक सुविधाएं तथा आधारभूत ढांचा

10.21 उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान शिलांग को छोड़कर सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान अपने भवन में कार्यरत हैं तथा प्रशिक्षण हॉल, कम्प्यूटर लैब, सम्मेलन सुविधाओं, पुस्तकालय तथा खाने की सुविधा सहित हॉस्टल आदि आवश्यक प्रशिक्षण ढांचे से सुसज्जित हैं ।





अध्याय -11

ग्राहक सेवा

शिकायतें कम करने के लिए किए गए प्रयास

11.1 अपने सदस्यों को सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, नई दिल्ली स्थित मुख्यालय तथा देशभर के सभी 123 फील्ड कार्यालयों में सुविधा केंद्र, जन संपर्क अधिकारी तथा सहायक स्टाफ मौजूद हैं। यहां संपर्क करके आप संबंधित जानकारी प्राप्त करने के साथ-साथ अपनी शिकायत, यदि कोई हो, का निपटान करवा सकते हैं। दावों के निपटान, लेखा विवरणियां जारी करने, अनुपालन न करने के कारण सामने आने वाले मामलों आदि से संबंधित विभिन्न स्रोतों द्वारा सदस्यों से प्राप्त शिकायतों का फील्ड कार्यालयों द्वारा निपटान किया जाना आवश्यक है।

11.2 सभी निर्धारित फार्मों को हमारे सभी कार्यालयों के सुविधा केन्द्रों से सभी कार्यदिवसों के दौरान मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। लेखाधिकारी स्तर के एक अधिकारी को सुविधा केन्द्र में शिकायतों की देखरेख हेतु जन संपर्क अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है।



11.3 सभी सुविधा केन्द्रों पर, दावों / याचिकाओं के निपटान की समय सीमा, वरिष्ठ आधिकारियों से मिलने के समय को डिसप्ले बोर्ड के माध्यम से दर्शाया गया है तथा हमारे कार्यालयों में आने वाले सभी आंगतुकों की सुविधा के लिए बैठने के स्थान, पीने के पानी आदि जैसी भौतिक सुविधाओं उपलब्ध कराई गई है।

11.4 आने वाले सदस्यों की शिकायतों को निपटान के लिए स्वागत काउंटरों पर जन संपर्क अधिकारी सभी कार्य दिवसों पर उपलब्ध है। साथ ही, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रशासित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभ लेने हेतु जमा किए गए दावों तथा / अथवा अपने लेखों के विषय में कोई जानकारी लेने में सहायता करने हेतु सदस्यों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्यालय में जन संपर्क अधिकारी उपलब्ध हैं।

11.5 अपने ग्राहकों की अनगिनत आवश्यकताओं को पूरा करने के महत्व को समझते हुए, संगठन में आज दो स्तरीय ग्राहक सेवा प्रभाग है जो मुख्यालय के साथ-साथ सभी फील्ड कार्यालयों में विशेष रूप से जन शिकायतों के निपटान का कार्य करता है।

11.6 मुख्यालय स्तर पर, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस प्रभाग के मुखिया है तथा क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, सहायक भविष्य निधि आयुक्त एवं जन संपर्क अधिकारी इनकी सहायता करते हैं जो विभिन्न कार्यालयों में सदस्यों से ऑनलाइन अथवा डाक, ई-मेल, फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त शिकायतों की लगातार मॉनीटरिंग करते रहते हैं।

Chapter 11

CUSTOMER SERVICE

EFFORTS TAKEN TO MINIMISE GRIEVANCES

11.1 With an aim to provide service to our members, the Head Office at New Delhi and all field offices comprising of 123 offices across the country are equipped with full-fledged Facilitation Centers, PROs and supporting staff. One can obtain relevant information as well as get one's grievance, if any redressed by approaching them. The grievances received from the members through various sources relating to the settlement of claims, issue of account slips, matter arising out of non compliance etc. are required to be redressed by the field offices at the earliest.

11.2 All the prescribed forms can be availed free of cost during working hours at the Facilitation Centers in all EPFO Offices. An Officer of the level of Accounts Officer is designated as PRO to attend to the grievances at the facilitation centre.

11.3 At all the facilitation centers, time limits for settlement of claims/petitions and other important information has been notified through display boards and physical facilities have been provided including sitting space, drinking water etc for the convenience of all those who visit our offices.

11.4 The PROs at the Reception Counters are available on all working days to redress the grievances of the visiting members. At the same time, PROs are also available in each office to assist the members seeking any information regarding their accounts and/or claims submitted by them for benefits accruing to them under the social security schemes being administered by EPFO.

11.5 Realizing the importance of addressing the myriad needs of our customers, the Organization today has a separate two tiered Customer Service Division exclusively looking after the task of handling and redressal of public grievances both at Head Office level as well as in all field offices.

11.6 At the Head Office level, this division is headed by Additional Central Provident Fund Commissioner and assisted by Regional Provident Fund Commissioners, Assistant Provident Fund Commissioners and Public Relation Officer who are constantly monitoring grievances received at various Offices from members on-line or through post, email, phone calls and even personal visits.

11.7 The Regional Provident Fund Commissioner of the Regional Offices and Officer-in-Charge of Sub-Regional Offices head the Customer Service Division in their respective offices and they are available for redressal of the grievance of the members on all working days. Recently Nodal Officers have been designated in each field office to closely monitor the receipt and disposal of grievances with an aim to redress the grievances promptly in our offices and to improve service to our customers. This nodal officer is responsible for ensuring that grievances pertaining to that office are redressed immediately so that the overall grievances are minimized. He/she sends his daily report in this regard to RPFC (In-charge) of the Office. He/she is also personally held responsible for any inordinate delays in redressal of grievances in his/her respective office.

11.8 Apart from this, all Additional Central Provident Fund Commissioners in ten Zones in the country monitor the grievance handling system and attend grievances in their respective zones.

11.9 At Head Office the RPFCs in CSD ensure redressal of the grievances of the members of the fund in person on all working days during office hours. If the member does not feel satisfied, she/he can see the Addl. CPFC (CSD) or the CPFC. All grievances received by the HO in the CSD are

11.7 क्षेत्रों के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त तथा उप क्षेत्रीय कार्यालय के प्रभारी अधिकारी अपने संबंधित कार्यालयों में ग्राहक सेवा प्रभाग के अध्यक्ष होते हैं तथा वे सभी कार्यदिवसों पर सदस्यों की शिकायतों के निपटान के लिए उपलब्ध होते हैं। हमारे कार्यालयों में शिकायतों के तत्काल निपटान तथा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा में सुधार के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए शिकायतों की प्राप्ति तथा निपटान को गंभीरतापूर्वक मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक फील्ड कार्यालय में हाल ही में नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है। इस नोडल अधिकारी का दायित्व यह सुनिश्चित करना होता है कि उस कार्यालय से संबंधित शिकायतों का तत्काल निपटान हो जिससे कि समग्र शिकायतों को कम किया जा सके। वह इस संबंध में अपनी दैनिक रिपोर्ट कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्रभारी अधिकारी) को भेजते / भेजती हैं। अपने संबंधित कार्यालय में शिकायतों के निपटान में होने वाली अत्यधिक देरी के लिए भी उसे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाता है।

11.8 इसके अलावा, देशभर के दस अंचलों के सभी अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपने संबंधित अंचल में शिकायत निपटान प्रणाली को मॉनीटर करते हैं तथा उन पर कार्रवाई करते हैं।

11.9 मुख्यालय में, ग्राहक सेवा प्रभाग के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त सभी कार्यदिवसों पर कार्यालय अवधि के दौरान निधि के सदस्यों की शिकायतों का निपटान सुनिश्चित करते हैं। यदि सदस्य संतुष्ट नहीं होता, तो वह अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रा.से.प्र.) अथवा केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त से मिल सकता / सकती है। मुख्यालय के ग्राहक सेवा प्रभाग द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों को इंटरनेट आधारित कंप्यूटीकृत सहायक प्रणाली सहित नियमित रूप से मॉनीटर किया जाता है तथा एस.एम.एस./ ई-मेल द्वारा सदस्य को पावती भेजी जाती है। मुख्यालय के जन संपर्क अधिकारी प्रतिदिन सदस्यों की शिकायतों का जायज़ा लेते हैं तथा उनका निपटान करते हैं। फील्ड कार्यालयों द्वारा ऐसी सभी शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में सदस्यों को तत्काल सूचित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त एवं निपटाई गई शिकायतों का विवरण निम्नलिखित है :

	2013-14	2012-13	2011-12
वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतें	27853	28,752	18,880
वर्ष के दौरान प्राप्त	171224	2,48,072	2,56,096
कुल	199077	2,76,824	2,74,976
वर्ष के दौरान निपटान	194490	2,48,971	2,46,224
वर्ष के अंत में बकाया	4587	27,853	28,752
निपटान का प्रतिशत	97.69	89.94	89.54

monitored regularly with internet based computerized system support and acknowledgement is sent to the member by SMS/e-mail. PRO in the HO attends to the grievances of the members every day and redresses their grievances. Action taken on all such grievances, as obtained from field offices is promptly communicated to the members . The details of grievances received and redressed during the last three years are given below:

	2013-14	2012-13	2011-12
Grievances pending at the beginning of the year	27853	28,752	18,880
Received during the year	171224	2,48,072	2,56,096
Total	199077	2,76,824	2,74,976
Disposed off during the year	194490	2,48,971	2,46,224
Balance at the end of the year	4587	27,853	28,752
Percentage of disposal	97.69	89.94	89.54

BHAVISHYA NIDHI ADALATS

11.10 All Field Offices conduct "Bhavishya Nidhi Adalats" for redressal of complex nature of grievances of members of the fund which the facilitation centres are not able to resolve in normal course. The "BhavishyaNidhiAdalats" are held on 10th of every month and if 10th happens to be a holiday Bhavishya Nidhi Adalats" are conducted on the next working day. Adequate publicity in local newspapers is carried out regularly to invite the grievances from the public in the Adalat. The activities of the "Bhavishya Nidhi Adalats" are being monitored and deliberated upon by the regional committee members during their review meetings.

11.11 The number of complaints filed before the "Bhavishya Nidhi Adalats" and cases decided on the spot during last three years is as under:

	2013-14	2012-13	2011-12
Number of Bhavishya Nidhi Adalats organized	1, 391	1,523	1,410
Number of grievances registered before Bhavishya Nidhi Adalats	4,843	4,426	5,203
Number of grievances disposed off by Bhavishya Nidhi Adalats	4,805	4,396	5,128

भविष्य निधि अदालतें

11.10 निधि के सदस्यों की जटिल प्रकृति की जिन शिकायतों का निपटान करने में सुविधा केन्द्र सामान्य रूप से असमर्थ होते हैं, उनके निपटान के लिए सभी फील्ड कार्यालयों द्वारा “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन किया जाता है। “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन हर माह की 10 तारीख को किया जाता है तथा यदि 10 तारीख को अवकाश होता है तो अगले कार्य दिवस पर “भविष्य निधि अदालतों” का आयोजन किया जाता है। अदालत के लिए जनता से शिकायतें मांगने हेतु नियमित रूप से सार्वजनिक समाचार पत्रों में पर्याप्त प्रचार किया जाता है। भविष्य निधि अदालतों की गतिविधियों को क्षेत्रीय समिति सदस्यों द्वारा अपनी समीक्षा बैठक में मॉनीटर किया जाता है तथा उन पर चर्चा की जाती है।

11.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान “भविष्य निधि अदालतों” के समक्ष दायर शिकायतों की संख्या तथा मौके पर ही निर्णीत मामलों का विवरण निम्नलिखित है :-

	2013-14	2012-13	2011-12
आयोजित भविष्य निधि अदालतों की संख्या	1, 391	1,523	1,410
भविष्य निधि अदालतों के समक्ष पंजीकृत शिकायतों की संख्या	4,843	4,426	5,203
भविष्य निधि अदालतों द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या	4,805	4,396	5,128

शिकायतों के ऑनलाइन पंजीकरण एवं निपटान की सुविधा

(i) भारत सरकार के जन शिकायत पोर्टल में केन्द्रीकृत जन शिकायत निपटान एवं मॉनीटरिंग प्रणाली (सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस) का प्रयोग करना

11.12 सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ,भारत सरकार के अंतर्गत प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत विभाग द्वारा विकसित एवं कार्यान्वित कार्यक्रम है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा चुका है। सभी कार्यालय नियमित रूप से सी.पी.जी.आर.ए.एम.एस मामलों की मॉनीटरिंग एवं निपटान कर रहे हैं।

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल में क.भ.नि. इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) का प्रयोग करना

11.13 ग्राहक सेवा प्रभाग ने वर्ष 2010 में ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. की शुरुआत की जो कि एक इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे संगठन की आवश्यकताओं के अनुरूप एन.आइ.सी. के सहयोग से विकसित किया गया है। ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. का विकास एक सिंगल विंडो प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जोकि शिकायतों के अंतिम निपटान तक उनका रिकार्ड , पावती तथा ट्रेक /मॉनीटर करने में सक्षम हो।

FACILITY OF ONLINE REGISTRATION OF GRIEVANCES AND REDRESSAL

i) Using the Centralized Public Grievance Redressal and Monitoring System (CPGRAMS) in PG portal of Govt of India.

11.12 CPGRAMS a program developed and executed by the Department of Administrative Reforms & PG (DARPG) under Ministry of Personnel, PG & Pension, Government of India, has been successfully implemented in the Organisation. All the offices are regularly using CPGRAMS to monitor & redress the grievances.

ii) Using the EPF Internet Grievance Management System (EPFiGMS) in portal available on EPFO website.

11.13 CSD had launched EPFiGMS in 2010 which is an internet based grievance management system that has been developed by CSD in collaboration with the NIC, which is customised to the needs of the Organisation. The EPFiGMS has been developed with a view to provide a single window platform that is able to record, acknowledge and track/monitor grievances till its final redressal.

11.14 The system has not only afforded convenience to subscribers to register their grievances/queries without any spatial or temporal restrictions but has also proved to be of immense value to field offices in managing grievances. Subscribers can now access the system from anywhere according to their convenience.

HOW TO FILE OR LODGE GRIEVANCES

Using the EPF Internet Grievance Management System (EPFiGMS) portal available on EPFO website.

11.15 EPFO had launched EPFiGMS which is an internet based grievance management system which is customised to the needs of the stakeholders. The EPFiGMS has been developed with a view to provide a single window platform that is able to record, acknowledge and track/monitor grievances till its final redressal.

11.16 The system has not only afforded convenience to subscribers to register their grievances/queries without any spatial or temporal restrictions but has also proved to be of immense value to field offices in managing grievances. Subscribers can now access the system from anywhere according to their convenience.

11.17 EPFiGMS is loaded with several advanced features; most important being that movement of registered grievances guided by database which tracks the registered grievance to any of the offices to which it might be related. Once a grievance is registered, system generates a unique registration number and auto generates acknowledgement letter directly to the subscribers email(if provided)

11.18 Grievances can be filed online on the internet based grievance redressal system, i.e. EPFiGMS, through the portal on EPFO's website www.epfindia.gov.in

By Post/E-mail

11.19 Grievances can also be sent by post or email to the concerned office of EPFO or our Head office. (Addresses are given in our directory- Hyper link to epfo website).

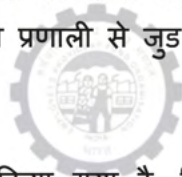
11.14 इस प्रणाली से न केवल अंशदाताओं को स्थान अथवा समय के प्रतिबंधों के बिना अपनी शिकायतों/ संदेहों का पंजीकरण कराने में सुविधा मिली है बल्कि फील्ड कार्यालयों को शिकायतों का प्रबंधन करने में भी यह काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। अंशदाता अब कहीं से भी प्रणाली से जुड़ सकते हैं तथा सभी दस्तावेजी शिकायतों का भी प्रणाली में पंजीकरण किया जाता है।

शिकायत किस प्रकार फाईल करें।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध पोर्टल में क.भ.नि. इन्टरनेट शिकायत प्रबंधन प्रणाली (ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस.) का प्रयोग करना।

11.15 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. की शुरुआत की जो कि एक इंटरनेट आधारित शिकायत निवारण प्रणाली है, जिसे स्टैकहोल्डरों की आवश्यकताओं के अनुरूप एन.आइ.सी. के सहयोग से विकसित किया गया है। ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. का विकास एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है, जोकि शिकायतों के अंतिम निपटान तक उनका रिकार्ड, पावती तथा ट्रेक /मॉनीटर करने में सक्षम हो।

11.16 इस प्रणाली से न केवल अंशदाताओं को स्थान अथवा समय के प्रतिबंधों के बिना अपनी शिकायतों/ संदेहों का पंजीकरण कराने में सुविधा मिली है बल्कि फील्ड कार्यालयों को शिकायतों का प्रबंधन करने में भी यह काफी लाभकारी सिद्ध हुआ है। अंशदाता अब कहीं से भी प्रणाली से जुड़ सकते हैं तथा सभी दस्तावेजी शिकायतों का भी प्रणाली में पंजीकरण किया जाता है।



11.17 इसमें कई विकसित विशेषताओं को लोड किया गया है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है- डाटाबेस द्वारा निर्देशित पंजीकृत शिकायतों का संचलन जिसमें पंजीकृत शिकायतों को ट्रेक करके उससे संबंधित कार्यालयों का पता लगा लिया जाता है। शिकायत के पंजीकृत हो जाने के पश्चात् प्रणाली द्वारा विशिष्ट पहचान संख्या सृजित की जाती है तथा तत्पश्चात् स्वतः ही अंशदाता के ई-मेल (यदि उपलब्ध कराया गया हो) में पावती पत्र भेज दिया जाता है।

11.18 आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर पोर्टल के माध्यम से इंटरनेट आधारित शिकायत निपटान प्रणाली अर्थात् ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. पर अपनी शिकायत को ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं

डाक / ई-मेल द्वारा

11.19 आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संबंधित कार्यालय अथवा हमारे मुख्यालय में डाक अथवा ई-मेल द्वारा अपनी शिकायत भेज सकते हैं (हमारी निर्देशिका में पते दिए गए हैं - कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट का हाइपर लिंक)

In person /by phone

11.20 The PRO in the Facilitation Centre of any office of EPFO can also be approached personally or by telephone. At the Facilitation Centre one can:

- Procure information regarding Schemes and procedures through brochures, booklets etc.
- Obtain information regarding status of claims/complaints.
- Obtain acknowledgments on claims/ complaints submitted.

GUIDELINES PRESCRIBED FOR HANDLING OF PUBLIC GRIEVANCES IN EPFO OFFICES

- Every complaint/grievance is required to be registered and acknowledged.
- Also, any grievance received, by whatever mode (post, e-mail, telephone, personal visit etc.) is to be necessarily entered in the EPFIGMS.
- Information required regarding payment of Provident Fund/Pension cases/EDLI cases/Status of complaints to be provided across the counter/over phone.
- Monitoring of the grievance and its qualitative disposal with the help of online internet based grievance handling systems viz. EPFIGMS and CPGRAMS.

REVIEW MECHANISMS

11.21 In order to further strengthen the process of monitoring of the grievance handling machinery in EPFO, it has been decided that Regional Committees shall henceforth during its meetings, invariably review all issues related to handling of grievances pertaining to respective regions. Data pertaining to grievances is also provided to the Regional Committee for review during meetings. Regional Committee of the stat is headed by State Labour Secretary with members from Industry, Trade Unions and state Govt. Representatives.

11.22 National Level Committee on Grievances in EPFO under chairmanship of ACC (CSD) is also in place to review grievance handling mechanism and suggest improvements in existing systems and introduction of new mechanisms for further quantitative and qualitative improvements in the grievance handling in the Organization.

NEW INITIATIVES

11.23 Of late many new initiatives have been taken which have a bearing in minimizing the grievances by improving the functioning. Some of these initiatives are given as follows:-

- Launch of Online Batch Processing Software facilitating prompt updation of Accounts of members.
- Online Transfer claim Portal (OTCP)
- Online Registration of Establishments (ORLE) Portal
- Allotment of Universal Account Number (UAN) for members
- More facilities in the Electronic Challan cum Return (ECR) Portal
- Pension Process Re-engineering
- Release of monthly pension through CBS network of banks.
- Release of PF money through NEFT mode.
- "Know your Claim Status" has been incorporated for members in our website.
- Seminars are arranged to educate employers, employees and various representatives

व्यक्तिगत रूप से / फोन द्वारा

11.20 आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के किसी भी कार्यालय के सुविधा केन्द्र में जन संपर्क अधिकारी के साथ व्यक्तिगत रूप से अथवा फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं। सुविधा केन्द्र में आप :

- विवरणिका, पुस्तिकाओं आदि के माध्यम से योजनाओं एवं प्रक्रियाओं के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
- दावों / शिकायतों की स्थिति के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
- आपके द्वारा प्रस्तुत दावों / शिकायतों की पावती ले सकते हैं।

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय में जन शिकायतों के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देश :

- हर शिकायत का पंजीकरण करना एवं पावती भेजना आवश्यक है।
- यही नहीं, किसी भी माध्यम (डाक, ई-मेल, टेलिफोन, व्यक्तिगत रूप से जाकर आदि) से प्राप्त हर शिकायत की ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. में प्रविष्टि आवश्यक है।
- भविष्य निधि / पेंशन मामले / कर्मचारी पेंशन निधि सहबद्ध बीमा मामले / शिकायतों का भुगतान की स्थिति से संबंधित सूचना काउंटर / फोन पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
- शिकायत की मॉनीटरिंग तथा ऑनलाइन इंटरनेट आधारित शिकायत निपटान प्रणाली जैसे ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. की सहायता से उनका गुणात्मक निपटान।

समीक्षा तंत्र

11.21 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के शिकायत निपटान तंत्र की मॉनीटरिंग की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए, यह निर्णय लिया गया कि क्षेत्रीय समितियां अब से संबंधित क्षेत्रों की शिकायतों से संबंधित सभी मामलों की अपनी बैठकों में समीक्षा करेंगे। बैठकों के दौरान समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय समिति को शिकायतों से संबंधित डाटा भी उपलब्ध कराया गया है। राज्य की क्षेत्रीय समिति की अध्यक्षता राज्य श्रम सचिव द्वारा की जाती है तथा उसमें उद्योग, ट्रेड यूनियनों एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

11.22 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (ग्रा.से.प्र.) की अध्यक्षता वाली एक राष्ट्रीय स्तर की शिकायत समिति भी है जो शिकायत निपटान तंत्र को मॉनीटर करती है तथा संगठन में शिकायत निपटान में प्रमात्रा तथा गुणात्मक संबंधी और सुधार के लिए नए तंत्र की शुरुआत के लिए सुझाव देती है।

नई पहल

11.23 कार्य प्रणाली में सुधार के द्वारा शिकायतों को कम करने के लिए हाल ही में कई नई पहल की गई हैं।

IMPORTANT INSTRUCTIONS ISSUED CONCERNING GRIEVANCES

- Responsibility Mapping and Streamlining the Grievance Redressal Mechanism HO No. CSD-I/EPFiGMS/2014/2952 date 5-5-2014 (SI No : 80/2014-2015/(C))
- Issues related to Customer Service HO No. CSD-/Visit Note/RO, Delhi-SRO, Rohtak/2014/6183 dated 9-6-2014 (Sl. No : 182/2014-2015/(C)
- Efforts needed to improve monitoring of grievances in field offices of EPFO HO No. CSD-I/EPFiGMS/Action Plan/2014-15/7144 dated 24-6-2014 (SL. No : 214/2014-2015/ (C)
- Conduct of Bhavishyanidhi Adalat HO No. Publicity/VI(17)/2014/9721 dated 18/07/2014(Sl. No : 279/2014-2015/(C)

PUBLICITY

11.24 The Publicity Division at Head Office undertakes publicity campaigns, releases press notes and other publicity related matters for and on behalf of the organization. The Division formulates and develops programmes and materials to promote awareness amongst workers, employers and other stakeholders about their rights, benefits, duties and responsibilities at regular interval.

MAIN OBJECTIVE

11.25 Endeavour is made to harness all modes of communication to ensure maximum benefit to the stakeholder. The principal objective of the Division is to facilitate dissemination of knowledge regarding the Act and Schemes and latest developments which are of interest to the employers and subscribers.

ACTIVITIES CARRIED OUT DURING THE YEAR 2013-14

- Print media was utilized as a mode of publicity to create awareness amongst the subscribers, employers and workers about the new initiatives undertaken by the organization. Newspapers, magazines and chronicles being used to secure the possible coverage of the intended spirit and benefits of the products and services under EPF Act & Schemes countrywide. Following significant initiatives have been taken during the year 2013-14 by the Publicity Wing of EPFO

PUBLICITY THROUGH PRINT MEDIA

- EPFO introduced electronic-Challan-cum-Return (ECR) from April, 2012 for depositing contributions by all employers with a view to provide greater transparency, better quality of service to employees and greater convenience and ease to employer. To avail the facility, employers were informed to register themselves on EPFO website for their user ID and Password for filing the Electronic-Challan-Cum-Return. Stakeholders were also informed about its advantages viz.

For exempted establishments covered under EPF

- Pension claim settlement becomes faster as no need of giving details of monthly contribution on pension, DOB, DOJ, last wages and NCP period while submitting the pension claims.
- No need to file returns form 3(PS), 1(IF), 4(PS), 5(PS), 2(IF), 3(IF), 7(PS), 8(PS) and 4(IF) by the employers of PF exempted establishment.

इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :-

- सदस्यों के खातों को तत्काल अपडेट करने की सुविधा वाले ऑनलाइन बैच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की शुरुआत
- ऑनलाइन दावा अंतरण पोर्टल (ओ.टी.सी.पी.) ।
- स्थापनाओं का ऑनलाइन पंजीकरण (ओ.आर.एल.ई.) पोर्टल ।
- सदस्यों को यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (यू.ए.एन.) का आबंटन ।
- इलेक्ट्रॉनिक चालान सह रिटर्न (ई.सी.आर) पोर्टल में अधिक सुविधाएं ।
- पेंशन प्रक्रिया की पुनर्संरचना ।
- बैंकों की कै.सी.बी.एस. नेटवर्क द्वारा मासिक पेंशन जारी करना ।
- एन.ई.एफ.टी. मोड द्वारा भविष्य निधि राशि जारी करना ।
- हमारी वेबसाइट में सदस्यों के लिए “अपने दावे की स्थिति जानें” को शामिल किया गया है ।
- नियोक्ताओं, कर्मचारियों एवं विभिन्न प्रतिनिधियों को शिक्षित करने के लिए सेमिनार का आयोजन ।

शिकायतों के संबंध में जारी महत्वपूर्ण अनुदेश

- दायित्व निर्धारण एवं शिकायत निपटान तंत्र को सुप्रवाही बनाना मुख्यालय संख्या सी.एस.डी.-। / ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. / 2014 / 2952 दिनांक 05.05.2014 (क्र.सं. 80/2014-2015/(सी))
- ग्राहक सेवा से संबंधित मामले मुख्यालय संख्या सी.एस.डी.-। / विजिट नोट / क्षेत्र.का., दिल्ली -उ.क्षे.का. रोहतक / 2014 / 6183 दिनांक 09.06.2014 (क्र.सं. 182/2014-2015/(सी))
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों में शिकायतों की मॉनीटरिंग में सुधार हेतु आवश्यक प्रयास मुख्यालय संख्या सी.एस.डी.-। / ई.पी.एफ.आई.जी.एम.एस. / एक्शन प्लैन / 2014-15 / 7144 दिनांक 24.06.2014 (क्र.सं. 214 /2014-2015/(सी))
- भविष्य निधि अदालत का आयोजन मुख्यालय संख्या प्रचार / VI (17) /2014 / 9721 दिनांक 18.07.2014 (क्र.सं. 279 /2014-2015/(सी))

प्रचार

11.24 मुख्यालय का प्रचार प्रभाग संगठन के लिए तथा उसकी ओर से प्रचार अभियान करता है, जैसे नोट जारी करता है एवं अन्य प्रचार संबंधी कार्य करता है । यह विभाग कामगारों, नियोक्ताओं एवं अन्य स्टैकहोल्डरों को उनके अधिकार, लाभ, कार्य एवं दायित्वों के विषय में समय-समय पर जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों एवं सामग्री का निर्माण एवं विकास करता है ।

मुख्य लक्ष्य

11.25 स्टैकहोल्डर को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए संचार के सभी माध्यमों का उपयोग करने का प्रयास किया जाता है । प्रभाग का प्रमुख दायित्व अधिनियम एवं योजनाओं तथा ऐसी नवीनतम गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करना है जो नियोक्ताओं एवं अभिदाताओं के हित में हो ।

For Unexempted establishments covered under EPF

- Automatic updation of accounts on receipt of contribution by EPFO;
- Online viewing facility of individual's statement of account with all credits and debits;
- No need to file returns in Form 3A, 5, 10 and 6A by the employer;
- No need for annual updation of accounts.
- Annual accounts slips for the year 2011-12 and prior will be e-mailed to all the employers.

11.26 To create awareness about the implementation of ECR from April 2012, advertisements was published on 1.05.2013 in Hindi and English newspaper.

11.27 Also, advertisement on incentive scheme for employer for providing employment to persons with disabilities was also published in 180 newspapers in Hindi, English and Regional language throughout the country 13.12.2013.

11.28 The matter on ECR was also publicized through release of advertisements in souvenirs, industry journals so that the message directly reaches the employees and the employers who are the main beneficiaries.

11.29 Also, EPF advertisement on Inoperative Account, recent initiatives, milestone achieved and on technological innovation were released in the journal of Social Security Association of India, All India Trade Union Congress and Employers' Federation of India.

11.30 Further, with a view to create awareness amongst the EPF stakeholders and general public, press releases were issued at regular intervals highlighting the ongoing activities, achievements, new initiatives, technological innovations of the organization through PIB, media houses and field offices of EPFO.



PUBLICITY THROUGH CALENDARS

11.31 EPF calendars for the year 2014 were printed for distribution amongst field offices of EPFO including Head Office, CBT Members, Ministry of Labour & Employment.

RIGHT TO INFORMATION

11.32 The EPFO has designated Central Public Information Officers (CPIOs), Central Assistant Public Information Officers (CAPIOs) and Appellate Authorities for each field offices as well as each Division of HO to discharge the responsibilities under the Act. The list of these officials is available on the EPFO's website: www.epfindia.gov.in.

11.33 The disposal of information requests for the financial year 2013-14 is given in **Appendix A- 30**.

वर्ष 2013-14 के दौरान हुई गतिविधियां

- संगठन द्वारा की गई नई पहल के बारे में अभिदातों, नियोक्ताओं एवं कामगारों को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया का प्रचार माध्यम के रूप में प्रयोग किया गया। देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम एवं योजनाओं के अंतर्गत सेवाओं के लाभों का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और क्रॉनिकल का प्रयोग किया गया।

वर्ष 2013-2014 के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रचार विंग द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं।

प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार

- अधिक पारदर्शिता, कर्मचारियों को बेहतर सेवा तथा नियोक्ताओं को अधिक सुविधा देने के उद्देश्य से सभी नियोक्ताओं द्वारा अंशदान जमा कराने के लिए अप्रैल, 2012 से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इलेक्ट्रॉनिक-चालान-सह-रिटर्न (ई.सी.आर.) की शुरुआत की। इस सुविधा का उपयोग करने के लिए, नियोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक-चालान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर अपने यूजर आई.डी. और पासवर्ड के लिए पंजीकृत करने की सूचना दे दी गई है। स्टैकहोल्डरों को भी इसके फायदों के बारे में सूचित कर दिया गया है, जैसे :

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कवर्ड छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए

- पेंशन दावे के निपटान में तेजी आ गई है क्योंकि पेंशन दावा जमा करते समय पेंशन पर मासिक अंशदान, जन्म तिथि, कार्यग्रहण की तिथि, अंतिम वेतन तथा एन.सी.पी. अवधि से संबंधित विवरण देने की आवश्यकता नहीं है।
- भविष्य निधि से छूट प्राप्त स्थापना के नियोक्ताओं द्वारा 3 (पी.एस.), 1 (आई.एफ.), 4 (पी.एस.), 5 (पी.एस.), 2 (आई.एफ.), 3 (आई.एफ.), 7 (पी.एस.), 8 (पी.एस.) तथा 4 (आई.एफ.) रिटर्न फार्म जमा कराना आवश्यक नहीं है।

कर्मचारी भविष्य निधि के अंतर्गत कवर्ड अछूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए :

- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा अंशदान प्राप्त करने पर खातों का स्वचालित अपडेशन ;
- सभी क्रेडिट एवं डेबिट सहित सदस्य के लेखा विवरण को ऑनलाइन देखने की सुविधा ;
- नियोक्ता द्वारा फार्म 3ए, 5, 10 तथा 6ए में रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं ;
- लेखों को वार्षिक अद्यतन करने की आवश्यकता नहीं।
- सभी नियोक्ताओं को वर्ष 2011-2012 तथा उसमें पहले की वार्षिक लेखा पर्चियां ई-मेल द्वारा भेज दी जाएंगी।

11.26 अप्रैल 2012 से ई.सी.आर. के लागू होने के संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए 01.05.2013 को हिंदी एवं अंग्रेजी समाचारपत्रों में विज्ञापन जारी किए गए ।

11.27 साथ ही, अशक्त व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु नियोक्ता के लिए प्रोत्साहन योजना के संबंध में देशभर में 13.12.2013 को हिंदी, अंग्रेजी एवं प्रादेशिक भाषा के 180 समाचारपत्रों में विज्ञापन भी दिया गया ।

11.28 ई.सी.आर. पर सामग्री का स्मारिकाओं, औद्योगिक जरनल में विज्ञापन जारी करके प्रचार किया गया जिसमें कि यह संदेश सीधे कर्मचारियों और नियोक्ताओं तक पहुंचे, जो मुख्य लाभार्थी हैं ।

11.29 साथ ही, भारतीय सामाजिक सुरक्षा एसोसिएशन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस तथा भारतीय नियोक्ता फेडरेशन के जरनल में निष्क्रिय खाते, नवीनतम पहल, प्राप्त की गई उपलब्धियों तथा तकनीकी परिवर्तनों पर कर्मचारी भविष्य निधि विज्ञापन जारी किया गया ।

11.30 यही नहीं, स्टैकहोल्डर्स तथा आम जनता को जागरूक करने के लिए सूचना ब्यूरो, मीडिया हाउस तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों द्वारा संगठन की वर्तमान गतिविधियों, उपलब्धियों, नई पहल, तकनीकी परिवर्तनों के विषय में समय-समय पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करता रहता है ।

कैलेंडरों के माध्यम से प्रचार

11.31 मुख्यालय, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के सदस्यों, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय सहित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फील्ड कार्यालयों के मध्य वितरित करने के लिए वर्ष 2014 के कर्मचारी भविष्य निधि कैलेंडरों को प्रिंट करवाया गया ।

सूचना का अधिकार

11.32 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अधिनियम के अंतर्गत दायित्वों के निर्वाह के लिए प्रत्येक फील्ड कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय के प्रत्येक अनुभाग के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों (के.ज.सू.अ.), केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारियों (के.स.ज.सू.अ.) तथा अपीलीय प्राधिकारी नामित किए हैं । इन अधिकारियों की सूची कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट : www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है ।

11.33 वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए सूचना आवेदनों के निपटान विवरण **परिशिष्ट ए-30** पर दिया गया है ।

अध्याय -12

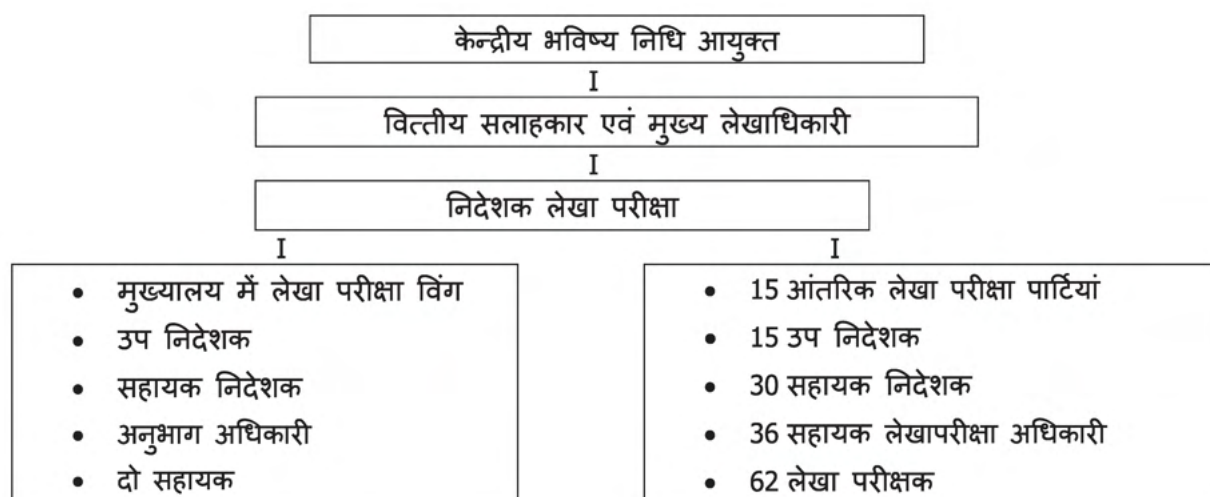
सांविधिक एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

सांविधिक लेखापरीक्षा एवं आंतरिक लेखापरीक्षा

12.1 कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के पैरा 56, कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के पैरा 30 तथा कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के पैरा 20 के उपबंधों के अनुसार, प्रशासनिक लेखे तथा योजनाओं को चलाने में हुए व्यय सहित निधि के लेखों की लेखा परीक्षा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से परामर्श के पश्चात् जारी अनुदेशों के अनुसार की जाएगी।

12.2 लेखा प्रक्रिया मैनुअल भाग-I के अनुसार, लेखा परीक्षा विंग वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के अधीन कार्य करता है। साथ ही, लेखापरीक्षा गतिविधियों की उचित मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक लेखा परीक्षा पार्टी के मुख्यालय में उप निदेशक (लेखा परीक्षा) का एक पद स्वीकृत किया गया है। लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या 15 है जिसमें 30 सहायक निदेशक (लेखा परीक्षा) 36 सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी तथा 62 लेखा परीक्षक हैं। इन रिक्तियों को एन-कैंडर तथा अन्य विभागों के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों, (मुख्यालय में निदेशक (लेखा परीक्षा) तथा सहायक निदेशक) द्वारा भी भरा जा सकता है। लेखा परीक्षा विंग का संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है

लेखा परीक्षा विंग का संगठनात्मक चार्ट



Chapter 12

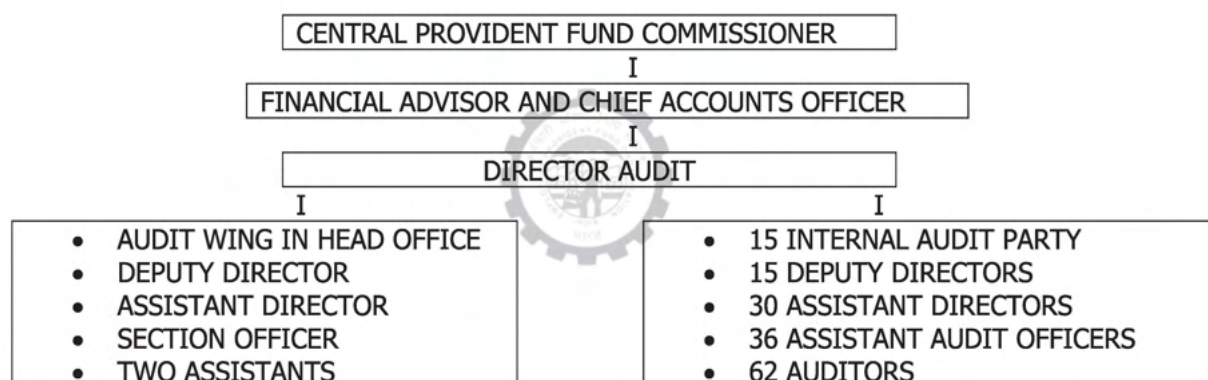
STATUTORY AND INTERNAL AUDIT

STATUTORY AUDIT AND INTERNAL AUDIT

12.1 As per the provisions of Para 56 of the EPF Scheme, 1952, Para 30 of the EPS, 1995 and Para 20 of the EDLI Scheme, 1976, the Accounts of the Fund, including the Administration Accounts and expenses incurred in running the Schemes shall be Audited in accordance with the instruction issued by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

12.2 As per the Manual of Accounting Procedure Part I, the Audit Wing functions under the F.A. & CAO. He is assisted by a Director (Audit). Further, one post of Deputy Director (Audit) in the Headquarters of each Internal Audit Party is sanctioned for close monitoring of the audit activities. There are 15 Audit Party consists of 30 Assistant Directors (Audit), 36 Assistant Audit Officers and 62 Auditors. The vacancies can be filled by both en-cadre officers and officials on deputation from other departments, (apart from Director (Audit) and one Assistant Director in Head Office). Organisational chart of Audit Wing is as follows:

ORGANISATIONAL CHART OF AUDIT WING



12.3 The details of jurisdiction of the Internal Audit Parties is given below:-

AUDIT PARTIES					
S.No	Regional Offices	S.No	Regional Offices	S.No	Regional Offices
1.	DELHI	6.	BANGALORE	11.	AHMEDABAD
2.	JAIPUR	7.	CHENNAI	12.	INDORE
3.	KANPUR	8.	THIRUVANTHAPURAM	13.	MUMBAI
4.	CHANDIGARH	9.	JALPAIGURI	14.	RANCHI
5.	HYDERABAD	10.	KOLKATA	15.	GOA

12.4 The Audit Wing in the Head Office monitors the Internal Audit of Regional Offices & Sub Regional Offices and other offices.

12.5 In terms of performance, the year 2013- 2014 was a turnaround year for the Audit Wing in the Organisation. During the year 2013-14 the Audit in Regional Offices/ Sub- Regional Offices was conducted on task bound basis and no specific time frame was given and eight core issues were given to the audit parties, viz

- Reconciliation of cash book (Bank) of all accounts.
- Collection of interest on belated credit from SBI.

12.3 आंतरिक लेखा परीक्षा पाटियों के क्षेत्र का विवरण नीचे दिया गया है :-

लेखा परीक्षा पाटियां					
क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय	क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय
1.	दिल्ली	6.	बंगलौर	11.	अहमदाबाद
2.	जयपुर	7.	चेन्नै	12.	इंदौर
3.	कानपुर	8.	तिरुवनंतपुरम	13.	मुंबई
4.	चंडीगढ़	9.	जलपाईगुड़ी	14.	राची
5.	हैदराबाद	10.	कोलकाता	15.	गोवा

12.4 मुख्यालय का लेखापरीक्षा विंग क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों की आंतरिक लेखापरीक्षा को मॉनीटर करता है ।

12.5 निष्पादन की दृष्टि से, संगठन के लेखापरीक्षा विंग के लिए वर्ष 2013-14 महत्वपूर्ण रहा है । वर्ष 2013-14 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय / उप क्षेत्रीय कार्यालय में लक्ष्य केंद्रित लेखापरीक्षा की गई तथा कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी गई तथा लेखापरीक्षा पाटियों को आठ मुख्य मामले दिए गए, यथा

- सभी लेखों की रोकड़ बही (बैंक) का समेकन
- भारतीय स्टेट बैंक से देर से किए गए जमा पर ब्याज एकत्रित करना ।
- डमी लेखों में जमा राशि
- पेंशन भुगतानों का समेकन
- बैंक को कमीशन / सेवा प्रभार का भुगतान
- समयबद्ध चैकों को रद्द करना
- सदस्य लेखों में नकारात्मक शेष
- पिछले लेखा परीक्षा पैरों का अनुपालन

12.6 चूंकि, लेखा परीक्षा लक्ष्य केन्द्रित थी तथा वह क्षेत्र समय लेने वाले थे, इसलिए सभी यूनिटों में लेखा परीक्षा नहीं की जा सकी । जिन कार्यालयों में लेखा परीक्षा नहीं हो सकी, उनकी वर्ष 2014-15 में प्राथमिकता के आधार पर लेखा परीक्षा की जाएगी । यही नहीं, लेखा परीक्षा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि लेखा परीक्षा कर्मियों के प्रयासों से एक बड़ी राशि की वसूली की गई, हालांकि लेखा परीक्षा कर्मियों की संख्या काफी कम यानी 143 में से 36 थी ।

12.7 तदनुसार, मुख्यालय का लेखा परीक्षा प्रभाग प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा अन्य कार्यालयों की संबंधित राज्यों के महा लेखाकारों द्वारा की जानी वाली नियमित लेखा परीक्षा को ध्यानपूर्वक मॉनीटर करता है । संगठन के लेखों एवं कार्रवाई की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के मार्ग दर्शन में महानिदेशक, लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षा की जाती है । लेखा परीक्षा पार्टी विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में राज्य के महालेखा परीक्षक तथा भारत के नियंत्रक

- Amounts credited in dummy accounts.
- Reconciliation of pension payments.
- Payment of commission/ service charges to the bank.
- Cancellation of time barred cheques.
- Negative balance in member accounts.
- Compliance of previous audit paras.

12.6 Since, the Audit was task bound and the areas were time consuming, Audit could not be conducted in all the Units. The offices which were left out for Audit would be taken up for Audit on priority during the year 2014-15. Further, one of the major achievements of the Audit was that a huge amount was recovered with the efforts of Audit Personnel's although, the member of the Audit Personnel is very thin to be precise 36 out of 143.

12.7 Accordingly, the Audit Wing in the Head Office closely monitors the regular Audit of each of the RO/SROs and other offices by the respective Accountants General of the States, The Accounts and transactions of the Head Office of the Organization is regularly audited by the Director General of Audit, under guidance of CAG of India. The Audit Party monitors closely the outstanding audit paras raised by the State AG in respect of different Regional Offices and Sub Regional Offices and the paras raised by the Comptroller and Auditor General of India. The Audit Wing plays a very vital role in ensuring the implementation of rules/ regulations. Position of Audit Paras during the year 2013-2014 related to Statutory Audit (AG) and Internal Audit party (IAP) are given at **Appendix A-31 (i) and (ii)**.

12.8 During the year 2013-14, **3849** outstanding paras were dropped based on the replies received from the Regional offices / Sub Regional offices.

No. of Internal Audit Parties.	No. of offices due for Audit during the year 2013-2014 for Audit of 2012-13	No. of office Audited upto 2012-2013 during the year 2013-14	No. of offices yet to be audited
12 (Functional)	130	88	42

एवं महालेखा परीक्षक द्वारा उठाए गए बकाया लेखा परीक्षा पैरों को भी ध्यानपूर्वक मॉनीटर करता है । नियमों / विनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में लेखा परीक्षा विंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । सांविधिक लेखा परीक्षा (ए.जी.) तथा आंतरिक लेखा परीक्षा (आई.ए.पी.) के संबंधित वर्ष 2013-2014 के दौरान लेखा परीक्षा पैरों की स्थिति **परिशिष्ट ए-31 (i) तथा (ii)** में दी गई है ।

12.8 वर्ष 2013-2014 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त उत्तर के आधार पर 3849 लंबित पैरों को छोड़ दिया गया है

आंतरिक लेखापरीक्षा पार्टियों की संख्या	2012-13 की लेखापरीक्षा के लिए वर्ष 2013-2014 के दौरान नियत कार्यालयों की संख्या	वर्ष 2013-2014 के दौरान उन कार्यालयों की संख्या जिनकी 2012-13 तक लेखापरीक्षा की गई	उन कार्यालयों की संख्या जिनकी लेखापरीक्षा की जानी है
12 (कार्य कर रही हैं)	130	88	42





अध्याय -13

सतर्कता

सतर्कता व्यवस्था

13.1 प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु, संगठन द्वारा सामान्य तौर पर तथा सतर्कता प्रभाग द्वारा विशेष रूप से भ्रष्टाचार को रोकने, नियंत्रित करने के लिए तथा अंशदाता सदस्यों को शीघ्र, प्रभावी और परेशानी मुक्त सेवा सुनिश्चित करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है।

13.2 सतर्कता विंग का गठन केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की दिनांक 31.01.1976 को हुई 68वीं बैठक में लिए गए निर्णय के बाद किया गया। धीरे-धीरे, संगठन के विकास तथा कार्य एवं दायित्वों की बढ़ती हुई प्रमात्रा को देखते हुए, मुख्यालय में संयुक्त सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा विभिन्न आंचलिक सतर्कता निदेशालयों में उप निदेशक (सतर्कता), जो कि मुख्य सतर्कता अधिकारी के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं, की नियुक्ति करके सतर्कता विंग को सुदृढ़ बनाया गया है।

वर्ष 2013-2014 के दौरान निष्पादन

शिकायतें

13.3 पिछले वर्ष (2012-13) के दौरान प्राप्त 138 शिकायतों के आदि शेष के साथ, वर्तमान वर्ष (2013-14) के दौरान 146 शिकायतें प्राप्त हुई। कुल 284 शिकायतों (138 + 146) में से 71 शिकायतों का निपटान किया गया, जिसके बाद 213 शिकायतों का अंतः शेष रह गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों का पालन करते हुए, गुमनाम तथा नकली नाम से की गई शिकायतों को पंजीकृत नहीं किया गया। जिन 71 शिकायतों की जांच की गई, उनमें से 16 मामलों में दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दांडिक कार्रवाई की सिफारिश की गई तथा 18 मामलों में, कठोर उपाय /प्रशासनिक कार्रवाई का सुझाव दिया गया। शेष 37 मामलों में बिना किसी कार्रवाई के बंद करने की सिफारिश की गई।

13.4 उपर्युक्त शिकायतों के अतिरिक्त, सतर्कता प्रभाग में बहुत सी शिकायतों के मामले भी प्राप्त हुए जिन पर संबंधित कार्यालयों के साथ संपर्क किया गया। जिन शिकायतों पर सतर्कता हस्तक्षेप की जरूरत थी, उनकी सीधे जांच की गई।

अनुशासनात्मक मामले

13.5 केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार लंबित अनुशासनात्मक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए सत्यनिष्ठा से तथा सतत प्रयास किए गए। अनुशासनात्मक कार्यवाहियों में सभी स्तरों पर विलंब को कम करते हुए लम्बन को कम करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति तैयार की गई जिसमें विभिन्न स्तरों पर अनुशासनात्मक प्राधिकारियों को सक्रिय रूप से शामिल करने की रणनीति तैयार की गई। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष 2013-14 के दौरान 185 अनुशासनात्मक कार्रवाईयों को अंतिम रूप दिया गया। इन मामलों में की गई कार्रवाई निम्न तालिका के अनुसार है:

Chapter 13

VIGILANCE

VIGILANCE SETUP

13.1 To ensure transparency in administration, the Organization in general and the Vigilance Wing in particular, have adopted a multi pronged strategy to contain, control and curb corruption in order to ensure prompt, effective and hassle free service to the subscriber members.

13.2 The Vigilance Wing was put in place by a decision in the 68th meeting of the CBT held on 31.01.1976. Gradually, as the Organisation has grown and to cope with the increased quantum of work and responsibilities, Vigilance Wing has been strengthened by positioning of a Joint Secretary level Chief Vigilance Officer at the Head Quarters and creating several Zonal Vigilance Directorates headed by Deputy Directors (Vigilance) who are working directly under the control of Chief Vigilance Officer.

PERFORMANCE DURING THE YEAR 2013-2014

COMPLAINTS

13.3 With an opening balance of 138 complaints of the previous year (2012-13), 146 new complaints were received during the current year (2013-14). Out of the total 284 complaints (138 + 146), 71 complaints were disposed off leaving behind a closing balance of 213 complaints. In pursuance of the instructions of the Central Vigilance Commission, the anonymous & pseudonymous complaints were not registered. Out of 71 complaints investigated, in 16 cases penal action against the erring officials have been recommended and in 18 cases, corrective measures/administrative actions have been suggested. The remaining 37 cases were recommended for closure without any further action.

13.4 Apart from the above complaints, vigilance division also received a number of public grievance cases which were taken up with the concerned offices for redressal. Grievances warranting vigilance intervention have also been taken up directly for investigation.

DISCIPLINARY CASES

13.5 Sincere and sustained efforts have been made for expeditious finalisation of pending disciplinary cases in accordance with the guidelines of the Central Vigilance Commission. To reduce the pendency of Disciplinary Proceedings, a multi pronged strategy was worked out for reducing delay at all stages which included seeking active involvement of Disciplinary Authorities at various levels. As a result, 185 Disciplinary Proceedings were finalized during the year 2013-14. The breakup of action taken in these cases is given below:

Major Penalty cases	
Dismissal/Removal/Compulsory Retirement/Cut in pension	17
Other major penalties	13
Minor Penalty Cases	119
Cases dropped /exonerated	36
Total	185

मुख्य शास्ति मामले	
पदच्युत करना/ हटाना/ अनिवार्य सेवानिवृत्ति/पेंशन में कटौती आदि	17
अन्य मुख्य शास्तियां	13
लघु शास्ति मामले	119
समाप्त किए गए /वापस लिए गए/ दोषमुक्त किए गए मामले	36
कुल	185

13.6 यह देखा गया कि निपटाए गए 80.5 % मामलों अर्थात् 149 मामलों में शास्ति लगाई गई । वर्ष (2013-14) के दौरान 133 नए अनुशासनात्मक मामले शुरू किए गए जिसमें लंबित शिकायतों की संख्या वर्ष के अंत में 476 हो गई । अनुशासनात्मक कार्यवाही के लंबित 476 मामलों में से 403 मामले मुख्य शास्ति से तथा शेष 73 लघु शास्ति से संबंधित हैं ।

निवारक सतर्कता / लेखा परीक्षा पार्टी के साथ औचक / संयुक्त निरीक्षण

13.7 भ्रष्टाचार का मुकाबला करने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए किए जाने वाले निवारक उपायों में, विशेष रूप से लेखा एवं प्रवर्तन मामलों के क्षेत्र में 03 निवारक सतर्कता निरीक्षण तथा एक औचक निरीक्षण शामिल है । निवारक सतर्कता निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों/ अनियमितताओं को समुचित सुधारक/निवारक उपाय के लिए अथवा दंडात्मक कार्रवाई आरंभ करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के ध्यान में लाया गया । निवारक सतर्कता निरीक्षण की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर भी सतत मॉनीटरिंग द्वारा बल दिया गया ।

निलंबन मामले

13.8 वर्ष 2012-13 से लंबित 45 लंबन मामलों तथा 2013-14 में 16 नए लंबन आदेशों सहित वर्तमान वर्ष (2013-14) में कुल लंबन मामले 61 तक पहुंच गए । इनमें से, 09 मामले वापस लिए गए जबकि 31.03.2014 तक 52 मामलों में लंबन जारी है जिसमें से अधिकांश केन्द्रीय आसूचना आयोग / भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के ट्रैप मामले हैं ।

आपराधिक मामले

13.9 वर्ष 2013-14 के दौरान, 13 नए मामलों में आपराधिक जांच शुरू की गई । वर्तमान में चल रहे 159 मामलों के साथ, वर्ष के दौरान आपराधिक मामलों की कुल संख्या 172 थी, इनमें से 12 मामले समाप्त किए गए गए तथा 160 मामले लंबित थे ।

मुकद्दमा चलाने हेतु मांगी गई स्वीकृति एवं प्राप्त स्वीकृति की स्थिति

13.10 ऐसे 4 मामले थे जिनमें मुकद्दमा चलाने की स्वीकृति मांगी गई (2 मामले वर्ष 2012-13 के हैं तथा 2 मामले वर्ष 2013-14 के हैं) सभी 4 मामलों में मुकद्दमे की स्वीकृति दी गई तथा कोई लंबितता नहीं है ।

13.6 It may be noted that in 80.5% of the 185 cases disposed i.e. in 149 cases penalty has been imposed. With 133 new disciplinary cases initiated during the year (2013-14) the total pendency increased to 476 cases. Out of 476 cases of departmental proceedings pending, 403 relate to major penalty and the remaining 73 relates to minor penalty.

PREVENTIVE VIGILANCE/ SURPRISE/JOINT INSPECTION WITH AUDIT PARTY

13.7 Preventive measures taken for combating and controlling corruption include 03 Preventive Vigilance Inspections, particularly in the field of accounts & enforcement matters and one Surprise Inspection. Shortcomings/irregularities detected during PVI's were brought to the notice of the concerned Regional PF Commissioners for taking appropriate corrective/preventive measures and initiating punitive action, as warranted. Emphasis has been laid on the follow up of Preventive Vigilance Inspections by constant monitoring.

SUSPENSION CASES

13.8 With 45 Suspension cases pending from 2012-13 and 16 new suspension orders made in 2013-14 the total suspension cases went up to 61 in the current year (2013-14). Out of these, 09 cases have been revoked while suspension is continuing in 52 cases as on 31.03.2014 which are mostly trap cases of the CBI/ACB.

CRIMINAL CASES

13.9 During the year 2013-14, 13 new cases were instituted for criminal investigation. Along with 159 ongoing cases, the total no. of criminal cases during the year was 172. Out of these cases 12 have been concluded and 160 cases are pending.

STATUS OF PROSECUTION SANCTIONS SOUGHT FOR AND ACCORDED

13.10 There were 4 cases where Prosecution Sanction was sought (2 cases pertained to the year 2012-13 and 2 to 2013-14). Prosecution Sanction was accorded in all 4 cases and there is no pendency.

OTHER ACTIVITIES

13.11 In addition to above, some important activities organised by the Vigilance Wing during the year under report are as under:

- i) Special Training Programmes have been conducted at NATRSS for Vigilance Functionaries and other officials functioning as Inquiry Officer/Presenting Officer.
- ii) Vigilance Awareness Week was observed in all offices of Employees' Provident Fund Organisation during 28.10.2013 to 02.11.2013. Seminars, Symposia, Competitions etc were held in various offices countrywide to create an awareness about the need for purity and probity in Public Life.

अन्य गतिविधियां

13.11 उपर्युक्त के साथ, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सतर्कता विंग द्वारा आयोजित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित हैं :-

- i) सतर्कता अधिकारियों तथा जांच अधिकारी / प्रजेंटिंग अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले अन्य कर्मचारियों के लिए नाटरस में विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।
- ii) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सभी कार्यालयों में दिनांक 28.10.2013 से 02.11.2013 के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया । सार्वजनिक जीवन में शुद्धता एवं सत्यनिष्ठा की आवश्यकता के संबंध में जागरूकता लाने के लिए देश भर के विभिन्न कार्यालयों में सेमीनार, संगोष्ठी, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित किए गए ।





परिशिष्ट

APPENDICES

सांख्यिकीय सार (2013-14)

क. सेवा क्षेत्र

सभी दावे			(लाखों में)		
			2013-14	2012-13	2011-12
भविष्य निधि दावे	अंतिम निपटान	निवल कार्यभार	58.86	52.37	44.44
		निपटाए गए दावे	57.90	51.20	42.12
		लंबित दावे	0.97	1.17	2.32
	आंशिक प्रत्याहरण	निवल कार्यभार	3.89	3.19	2.71
		निपटाए गए दावे	3.84	3.13	2.60
		लंबित दावे	0.06	0.06	0.11
	अंतरण दावे	निवल कार्यभार	7.28	8.70	6.32
		निपटाए गए दावे	7.08	8.46	5.60
		लंबित दावे	0.20	0.24	0.73
	कुल	निवल कार्यभार	70.03	64.26	53.47
		निपटाए गए दावे	68.82	62.79	50.32
		लंबित दावे	1.21	1.47	3.16
पेंशन दावे	मासिक पेंशन	निवल कार्यभार	4.04	3.96	4.01
		निपटाए गए दावे	3.88	3.76	3.62
		लंबित दावे	0.16	0.20	0.39
	मासिक पेंशन के अतिरिक्त	निवल कार्यभार	51.32	45.67	38.64
		निपटाए गए दावे	50.38	44.61	36.35
		लंबित दावे	0.94	1.06	2.29
	कुल	निवल कार्यभार	55.36	49.63	42.65
		निपटाए गए दावे	54.26	48.37	39.97
		लंबित दावे	1.10	1.26	2.68
बीमा दावे		निवल कार्यभार	0.29	0.27	0.21
		निपटाए गए दावे	0.28	0.26	0.02
		लंबित दावे	0.01	0.01	0.02
कुल जोड़		निवल कार्यभार	125.68	114.16	96.36
		निपटाए गए दावे	123.36	111.42	90.50
		लंबित दावे	2.32	2.74	5.86

कुल दावों पर सेवा निवृत्ति दावों का प्रतिशत

वर्ष →	2013-14	2012-13	2011-12
भविष्य निधि दावे (अंतिम भुगतान)	0.52%	1.52%	1.95%
पेंशन दावे	6.96 %	8.89%	8.21%

Summary of Statistical Abstract (2013-14)

A. SERVICE AREA					
ALL CLAIMS			(in lac)		
			2013-14	2012-13	2011-12
PROVIDENT FUND CLAIMS	FINAL SETTLEMENT	NET WORKLOAD	58.86	52.37	44.44
		CLAIMS SETTLED	57.90	51.20	42.12
		CLAIMS PENDING	0.97	1.17	2.32
	PARTIAL WITHDRAWAL	NET WORKLOAD	3.89	3.19	2.71
		CLAIMS SETTLED	3.84	3.13	2.60
		CLAIMS PENDING	0.06	0.06	0.11
	TRANSFER CASES	NET WORKLOAD	7.28	8.70	6.32
		CLAIMS SETTLED	7.08	8.46	5.60
		CLAIMS PENDING	0.20	0.24	0.73
	TOTAL	NET WORKLOAD	70.03	64.26	53.47
		CLAIMS SETTLED	68.82	62.79	50.32
		CLAIMS PENDING	1.21	1.47	3.16
PENSION CLAIMS	MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	4.04	3.96	4.01
		CLAIMS SETTLED	3.88	3.76	3.62
		CLAIMS PENDING	0.16	0.20	0.39
	OTHER THAN MONTHLY PENSION	NET WORKLOAD	51.32	45.67	38.64
		CLAIMS SETTLED	50.38	44.61	36.35
		CLAIMS PENDING	0.94	1.06	2.29
	TOTAL	NET WORKLOAD	55.36	49.63	42.65
		CLAIMS SETTLED	54.26	48.37	39.97
		CLAIMS PENDING	1.10	1.26	2.68
INSURANCE CLAIMS		NET WORKLOAD	0.29	0.27	0.21
		CLAIMS SETTLED	0.28	0.26	0.02
		CLAIMS PENDING	0.01	0.01	0.02
GRAND TOTAL		NET WORKLOAD	125.68	114.16	96.36
		CLAIMS SETTLED	123.36	111.42	90.50
		CLAIMS PENDING	2.32	2.74	5.86

PERCENTAGE OF SUPERANNUATION CLAIMS OVER TOTAL CLAIMS			
YEAR	2013-14	2012-13	2011-12
PF CLAIMS (Final Settlement)	0.52%	1.52%	1.95%
PENSION CLAIMS	6.96 %	8.89%	8.21%

ANNUAL STATEMENT OF ACCOUNTS (in lac)

YEAR	UPDATED DURING THE YEAR	PENDING AT THE END OF YEAR
2013-14	1356.98	75.56
2012-13	1290.91	28.30
2011-12	1662.01	38.81

लेखों की वार्षिक विवरणी

(लाखों में)

वर्ष	वर्ष के दौरान अद्यतन किए गए	वर्ष के अंत में लंबित
2013-14	1356.98	75.56
2012-13	1290.91	28.30
2011-12	1662.01	38.81

जन शिकायतों का निपटान

विवरण	2013-14	2012-13	2011-12
आदि शेष	27,853	28,752	18,880
वर्ष के दौरान प्राप्त	1,71,224	2,48,072	2,56,096
कुल शिकायतें	1,99,077	2,76,824	2,74,976
वर्ष के दौरान निपटाए गए	1,94,490	2,48,971	2,46,224
वर्ष के अंत में शेष	4,587	27,853	28,752
निपटान का प्रतिशत	97.69	89.94	89.54

नामांकन

नामांकन (संचयी)			वर्ष दर वर्ष वृद्धि (%)	
वर्ष	स्थापनाएं	सदस्य (लाख)	स्थापनाएं	सदस्य (लाख)
2013-14	7,95,827	1,178.13	7.10	32.73
2012-13	7,43,045	887.62	7.49	3.77
2011-12	6,91,237	855.40	4.64	38.88

ख. राजस्व विवरणियां

एकत्रित अंशदान (वर्ष के दौरान)

योजना	2013-14	2012-13	2011-12
(₹ करोड़ों में)			
भविष्य निधि			
छूट प्राप्त	23,523.08	14,458.41	16,123.50
अछूट प्राप्त	52,179.50	45,798.39	39,431.44
कुल	75,702.58	60,256.80	55,554.94

DISPOSAL OF PUBLIC GRIEVANCES

PARTICULARS	2013-14	2012-13	2011-12
Opening Balance	27,853	28,752	18,880
Received during the year	1,71,224	2,48,072	2,56,096
Total Grievances	1,99,077	2,76,824	2,74,976
Disposed off during the year	1,94,490	2,48,971	2,46,224
Balance at the end of year	4,587	27,853	28,752
Percentage of disposal	97.69	89.94	89.54

ENROLMENTS

ENROLMENTS (CUMULATIVE)			YEAR ON YEAR GROWTH (%)	
YEAR	ESTABLISHMENTS	MEMBERS (lac)	ESTABLISHMENTS	MEMBERS (lac)
2013-14	7,95,827	1,178.13	7.10	32.73
2012-13	7,43,045	887.62	7.49	3.77
2011-12	6,91,237	855.40	4.64	38.88

B. REVENUE STATEMENTS

CONTRIBUTION COLLECTED (During the year)

SCHEME	2013-14	2012-13	2011-12
	(₹ in cr.)		
Provident Fund			
Exempted	23,523.08	14,458.41	16,123.50
Unexempted	52,179.50	45,798.39	39,431.44
Total	75,702.58	60,256.80	55,554.94
Pension Fund			
Employee's / Employer's Share	16,417.74	14,724.01	13,417.47
Government's Share	1,943.99	1,400.00	1,350.00
Total	18,361.73	16,124.01	14,767.47
Insurance Fund			
Employer's Share	697.78	620.13	566.40
Total	697.78	620.13	566.40
Grand Total	94,762.09	77,000.94	70,888.81

पेंशन निधि			
कर्मचारी/नियोक्ता का भाग	16,417.74	14,724.01	13,417.47
सरकार का भाग	1,943.99	1,400.00	1,350.00
कुल	18,361.73	16,124.01	14,767.47
बीमा निधि			
नियोक्ता का भाग	697.78	620.13	566.40
कुल	697.78	620.13	566.40
कुल जोड़	94,762.09	77,000.94	70,888.81

योजना	2013-14	2012-13	2011-12
किया गया भुगतान (वर्ष के दौरान) (₹ करोड़ों में)			
भविष्य निधि (केवल अछूट प्राप्त)	32,466.91	25,956.38	30,328.00
पेंशन निधि	10,900.34	9,038.52	7,858.85
बीमा निधि	152.63	123.88	93.66
कुल	43,519.88	35,118.78	38,280.51

प्रशासनिक लेखा (क.भ.नि. योजना)			(₹ करोड़ों में)
वर्ष	आय	व्यय	शेष
2013-14	4,062.05	1,655.55	2,406.50
2012-13	3,508.92	1,477.14	2,031.78
2011-12	3,081.50	1,298.84	1,782.66

निवेश (वर्ष-वार) (₹ करोड़ों में)					
वर्ष	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल जोड़	वृद्धि (%)
2013-14	*81,021.26 (33,966)	24,280.24	1,620.16	1,06,921.66	24.22
2012-13	*63,018.76 (22,693)	21,625.28	1,433.25	86,077.29	7.99
2011-12	*58,662.28 (22,403)	19,729.26	1,319.93	79,711.47	21.06

- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े छूट प्राप्त स्थापनाओं से संबंधित हैं ।
- * (वर्ष के दौरान किए गए निवेश में प्राप्तियां, निवल भुगतान, ब्याज एवं मैच्यूरिटी शामिल हैं)

SCHEME	2013-14	2012-13	2011-12
PAYMENTS MADE (During the year) (₹ in cr.)			
Provident Fund (Un-exempted only)	32,466.91	25,956.38	30,328.00
Pension Fund	10,900.34	9,038.52	7,858.85
Insurance Fund	152.63	123.88	93.66
Total	43,519.88	35,118.78	38,280.51

ADMINISTRATION ACCOUNT (EPF SCHEME)			(₹ in cr.)
YEAR	INCOME	EXPENDITURE	BALANCE
2013-14	4,062.05	1,655.55	2,406.50
2012-13	3,508.92	1,477.14	2,031.78
2011-12	3,081.50	1,298.84	1,782.66

INVESTMENTS (YEAR-WISE)					(₹ in cr.)
YEAR	PROVIDENT FUND	PENSION FUND	INSURANCE FUND	GRAND TOTAL	GROWTH (%)
2013-14	*81,021.26 (33,966)	24,280.24	1,620.16	1,06,921.66	24.22
2012-13	*63,018.76 (22,693)	21,625.28	1,433.25	86,077.29	7.99
2011-12	*58,662.28 (22,403)	19,729.26	1,319.93	79,711.47	21.06

- Figures in brackets pertain to exempt establishments

* (Investments during the year includes receipts, net of payment and interest and maturity proceeds)

INVESTMENTS (CORPUS)					(₹ in cr.)
YEAR	PROVIDENT FUND	PENSION FUND	INSURANCE FUND	GRAND TOTAL	GROWTH (%)
2013-14	517,684.65 (1,92,980)	2,07,685.60	13,711.00	7,39,081.25	16.91
2012-13	4,36,662.90 (1,59,014)	1,83,405.36	12,090.84	6,32,159.10	15.76
2011-12	3,73,644.57 (1,36,321)	1,61,780.08	10,657.59	5,46,082.24	17.09

- Figures in brackets pertain to exempt establishments

निवेश (निधिसंग्रह)					(₹ करोड़ों में)
वर्ष	भविष्य निधि	पेंशन निधि	बीमा निधि	कुल जोड़	वृद्धि (%)
2013-14	517,684.65 (1,92,980)	2,07,685.60	13,711.00	7,39,081.25	16.91
2012-13	4,36,662.90 (1,59,014)	1,83,405.36	12,090.84	6,32,159.10	15.76
2011-12	3,73,644.57 (1,36,321)	1,61,780.08	10,657.59	5,46,082.24	17.09

- कोष्ठक में दिखाए गए आंकड़े छूट प्राप्त स्थापनाओं से संबंधित हैं ।

ग. अनुपालन कार्रवाई

वर्ष के दौरान निर्धारण									
विवरण	2013-14			2012-13			2011-12		
	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल	धारा 7ए के अंतर्गत	धारा 14बी के अंतर्गत	कुल
कार्यभार	35200	88353	123553	35879	44770	80649	40914	39139	80053
निपटाए गए	18062	38255	56317	18732	35402	54134	22661	32583	55244
लंबित	17138	50098	67236	17147	9368	26515	18253	6556	24809



C. COMPLIANCE ACTION

ASSESSMENTS DURING THE YEAR									
PARTICULARS	2013-14			2012-13			2011-12		
	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total	UNDER SECTION 7A	UNDER SECTION 14B	Total
Workload	35200	88353	123553	35879	44770	80649	40914	39139	80053
Disposed	18062	38255	56317	18732	35402	54134	22661	32583	55244
Pending	17138	50098	67236	17147	9368	26515	18253	6556	24809



2. वसूली योग्य बकाया

(₹ करोड़ों में)

बकाया राशि का प्रकार (अछूट प्राप्त क्षेत्र)		2013-14			2012-13			2011-12		
		कार्यभार	वसूली गई राशि	अंतःशेष	कार्यभार	वसूली गई राशि	अंतःशेष	कार्यभार	वसूली गई राशि	अंतःशेष
क.	भविष्य निधि	3423.50	1101.41	2322.09	2,897.07	790.60	2,106.47	2,787.31	1,064.30	1,723.01
ख.	क.भ.नि. प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार	269.39	76.24	193.15	222.96	57.38	165.58	213.26	69.66	143.60
ग.	पेंशन निधि	1798.80	501.26	1297.54	1,557.73	382.42	1,175.31	1,444.78	415.46	1,029.32
घ.	बीमा निधि	154.82	42.41	112.41	137.38	30.11	107.27	111.81	35.01	76.80
ड.	क.नि.स.बी.यो. प्रशा. एवं निरीक्षण प्रभार	5.15	0.99	4.16	7.28	2.89	4.39	6.46	1.15	5.31
च.	कुल (क से ड.)	5651.66	1722.31	3929.35	4,822.42	1,263.40	3,559.02	4,563.62	1,585.58	2,978.04
छ.	शास्तिक नुकसानी एवं ब्याज	2111.68	460.32	1651.36	1,707.26	298.93	1,408.33	1,626.64	299.63	1,327.01
ज.	छूट प्राप्त क्षेत्र	617.60	67.19	550.41	712.49	178.03	534.46	737.62	132.57	605.05
कुल योग (च से ज)		6269.26	1789.50	4479.76	5,534.91	1,441.43	4,093.48	5,301.24	1,718.15	3,583.09

2. ARREARS TO BE RECOVERED								(₹ in cr.)		
TYPE OF DUES (Un-exempted Sector)		2013-14			2012-13			2011-12		
		Workload	Realised	Closing Balance	Workload	Realised	Closing Balance	Workload	Realised	Closing Balance
a.	Provident Fund	3423.50	1101.41	2322.09	2,897.07	790.60	2,106.47	2,787.31	1,064.30	1,723.01
b.	EPF Admn. & Inspection Charges	269.39	76.24	193.15	222.96	57.38	165.58	213.26	69.66	143.60
c.	Pension Fund	1798.80	501.26	1297.54	1,557.73	382.42	1,175.31	1,444.78	415.46	1,029.32
d.	Insurance Fund	154.82	42.41	112.41	137.38	30.11	107.27	111.81	35.01	76.80
e.	EDLI Admn. & Inspection Charges	5.15	0.99	4.16	7.28	2.89	4.39	6.46	1.15	5.31
f.	TOTAL (a to e)	5651.66	1722.31	3929.35	4,822.42	1,263.40	3,559.02	4,563.62	1,585.58	2,978.04
g.	Penal Damages and Interest	2111.68	460.32	1651.36	1,707.26	298.93	1,408.33	1,626.64	299.63	1,327.01
h.	Exempted Sector	617.60	67.19	550.41	712.49	178.03	534.46	737.62	132.57	605.05
GRAND TOTAL (f & h)		6269.26	1789.50	4479.76	5,534.91	1,441.43	4,093.48	5,301.24	1,718.15	3,583.09

घ. मानवशक्ति

		2013-14	2012-13	2011-12
ग्रुप ए	स्वीकृत	1132	1057	1042
	वर्तमान स्थिति	883	732	762
	कमी	249	325	280
ग्रुप बी	स्वीकृत	6361	9032	6368
	वर्तमान स्थिति	4670	7027	5086
	कमी	1691	2005	1282
ग्रुप सी (पूर्व के ग्रुप डी को सम्मिलित करते हुए)	स्वीकृत	17166	14649	17681
	वर्तमान स्थिति	13348	11209	13980
	कमी	3818	3440	3701
कुल	स्वीकृत	24659	24738	25091
	वर्तमान स्थिति	18901	18968	19828
	कमी	5758	5770	5263

इ. आधारभूत संरचना



कार्यालय

	2013-14	2012-13	2011-12
आंचलिक कार्यालय	10	10	10
क्षेत्रीय कार्यालय	40	40	40
उप क्षेत्रीय कार्यालय	82	83*	83*
सेवा केन्द्र	8	14	14
जिला कार्यालय	113	123**	122**
नाटर्स/ आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान /उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान	6	6	6

*अप्रचालन वाले कार्यालय हटा दिए गए हैं ।

**उ.क्षे.का. / क्षे.का. में सम्मिलित ।

D. MANPOWER

		2013-14	2012-13	2011-12
GROUP A	SANCTIONED	1132	1057	1042
	IN-POSITION	883	732	762
	SHORTFALL	249	325	280
GROUP B	SANCTIONED	6361	9032	6368
	IN-POSITION	4670	7027	5086
	SHORTFALL	1691	2005	1282
GROUP C (including erstwhile Group D)	SANCTIONED	17166	14649	17681
	IN-POSITION	13348	11209	13980
	SHORTFALL	3818	3440	3701
TOTAL	SANCTIONED	24659	24738	25091
	IN-POSITION	18901	18968	19828
	SHORTFALL	5758	5770	5263



E. INFRASTRUCTURE

OFFICES			
	2013-14	2012-13	2011-12
ZONAL OFFICES	10	10	10
REGIONAL OFFICES	40	40	40
SUB-REGIONAL OFFICES	82	83*	83*
SERVICE CENTRES	8	14	14
DISTRICT OFFICES	113	123**	122**
NATRSS/ZTI/SUB-ZTIs	6	6	6

* Non operational offices delete

** Merger with the SRO/RO

31.03.2014 को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्य			
अध्यक्ष			
1.	श्री ऑस्कर फर्नाण्डीज़, श्रम एवं रोजगार मंत्री भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001.	10.	प्रधान सचिव, गुजरात सरकार श्रम एवं रोजगार विभाग, नया सचिवालय, सरदार पटेल भवन, ब्लाक न. 5, छठी मंजिल गांधी नगर -382010.
उपाध्यक्ष		11.	प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग कमरा नं. 335, तीसरी मंजिल, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर -17 चंडीगढ़ -160017.
2.	श्री कोडीकुनिल सुरेश, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001.		
सदस्य केंद्र सरकार के प्रतिनिधि		12.	प्रधान सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग कमरा नं. 501, आर्म्सडेल बिल्डिंग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला (हि.प्र.) - 171001
3	सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001.		
4 .	अपर सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली- 110001.	13.	सचिव, कर्नाटक सरकार, श्रम विभाग, 414, चौथी मंजिल, विकास सौध, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर वीथि बंगलौर - 560 001.
5.	संयुक्त सचिव/निदेशक भारत सरकार, (सामाजिक सुरक्षा प्रभाग) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय नई दिल्ली- 110001.	14.	सचिव, केरल, सरकार, श्रम एवं पुर्नवास विभाग, कमरा नं. 660, तीसरी मंजिल, साउथ ब्लॉक, सरकारी सचिवालय, तिरुवनंतपुरम
6.	संयुक्त सचिव (बीमा एवं पेंशन) आर्थिक कार्यविभाग के प्रतिनिधि, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, भारत सरकार नई दिल्ली-110001.	15.	प्रधान सचिव, मध्य प्रदेश सरकार, श्रम विभाग, भोपाल ।
7.	वित्तीय सलाहकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001.	16.	प्रधान सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं उर्जा विभाग, कमरा नं. 620, एनेक्सी, छठी मंजिल, मंत्रालय, मुम्बई - 400032.
राज्य सरकार के प्रतिनिधि		17.	प्रधान सचिव पंजाब सरकार, श्रम एवं रोजगार कमरा नं.510, छठी मंजिल, लघु सचिवालय, सेक्टर -9, चंडीगढ़.
8.	सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, हैदराबाद- 500022		
9.	सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, रायपुर	18.	सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं रोजगार प्रशासनिक सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
19.	सचिव. तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चैन्नई -600009	30.	श्री बादीश जिंदल, 48, बसंत एवेन्यू, निकट डुगरी, लुधियाना (पंजाब)-141013.

APPENDIX A-2

MEMBERS OF CENTRAL BOARD OF TRUSTEES, (EPF) AS ON 31.03.2014			
Chairman			
1.	Shri Oscar Fernandes, Minister for Labour & Employment Govt. of India, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.110001.	10.	Principal Secretary to the Government of Gujarat, Labour and Employment Department, New Sachivalaya Sardar Patel Bhawan Block No.5, 6th Floor Gandhi Nagar-382010.
Vice-Chairman		11.	Principal Secretary to the Govt. of Haryana Department of Labour & Employment Room No. 335, 3 rd Floor, New Haryana Civil Secretariat, Sector-17, Chandigarh-160017.
2.	Shri Kodikunnil Suresh Minister of State for Labour & Employment, Govt. of India Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi.110001		
Members		12.	Principal Secretary to the Govt. of Himachal Pradesh, Labour & employment Department, Room No. 501, Armsdale Building, HP Secretariat, Shimla. (HP) 171 001.
Central Government Representatives			
3.	Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour, & Employment Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110001.		
4.	Additional Secretary to the Government of India, Ministry of Labour& Employment New Delhi - 110 001.	13.	Secretary to the Govt. of Karnataka, Department of Labour 414, 4 th Floor, Vikasa Soudha Dr. B. R. Ambedkar Veedhi Bangalore – 560 001.
5.	Joint Secretary /Director to the Government of India, Social Security Division Ministry of Labour& Employment New Delhi - 110 001.	14.	Secretary to the Govt. of Kerala, Labour & Rehabilitation Department, Room No. 660, 3 rd Floor, South Block, Govt. Secretariat, Thiruvananthapuram.
6.	Joint Secretary (Insurance & Pension) Representative from Department of Economics Affairs, Ministry of Finance, North Block, Government of India, New Delhi.110001.	15 .	Principal Secretary to the Govt. of Madhya Pradesh, Labour Department, Bhopal.
7.	Financial Advisor, Ministry of Labour& Employment Government of India, New Delhi - 110 001.	16.	Principal Secretary to the Govt. of Maharashtra, Industry, Labour & Energy Department, Room no. 620, Annexe, 6 th Floor, Mantralaya, Mumbai - 400032.
State Government Representatives		17.	Principal Secretary to the Govt. of Punjab, Labour& Employment, Room No.510, 6 th Floor, Mini Secretariat, Sector-9, Chandigarh.
8.	Secretary to the Govt. of Andhra Pradesh, Labour & Employment Department, Hyderabad – 500022		
9.	Secretary to the Government of Chhattisgarh, Department of Labour & Employment, Raipur.	18.	Secretary to the Government of Rajasthan, Labour and Employment Administrative Secretariat, Jaipur (Rajasthan).

20.	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम एवं रोजगार, "बापू भवन " लखनऊ -226001	31.	श्री रवि विग, पीएचडीसीसीआई, मकान न. 618, सेक्टर - 21ए, फरीदाबाद (हरियाणा)
21.	प्रधान सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग, राईटर्स बिल्डिंग , कोलकाता-700001	32.	डॉ. एस.एस. पाटिल, आंचलिक उपाध्यक्ष (ए.आई.एम.ओ.) जीवन सहकार, चौथी मंजिल, सर पी.एम. रोड़, फोर्ट मुंबई (महाराष्ट्र - 400 001).
22.	सचिव. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, श्रम विभाग, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली-110054.		
नियोक्ताओं के प्रतिनिधि		कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
23	श्री जे.पी. चौधरी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मैसर्स टीटागढ़ स्टील्स लि., 113, पार्क स्ट्रीट, कोलकाता-700016	33.	श्री ए.डी. नागपाल, सचिव, हिंद मजदूर सभा, 1181, सेक्टर 43-बी, चंडीगढ़- 160022
24	डॉ राम एस. तरनेजा, फ्लैट न. 2102, प्लैनेट गोदरेज, एक्वा टॉवर - II, के.के. मार्ग, जैकब सर्कल, महालक्ष्मी मुम्बई- 400011 (महाराष्ट्र)	34.	श्री ए.के. पदमनाभन, अध्यक्ष, सीटू , बी.टी. रणदिवे भवन, 13ए, राउज एवेन्यु , नई दिल्ली .110002.
25.	श्री शरद पाटिल, महासचिव, (सी.आई.ई.), कर्मचारी फेडरेशन ऑफ इंडिया, 204 ' जुआना, 10, मैनुअल गोनसालविस रोड, बांद्रा, मुम्बई - 400050.	35.	श्री एम.जगदीश्वर राव राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, बी.एम.एस.,डी.न.31.3.3/2, गौरी नगर, ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन के सामने, कुरमन्नापेलम, विशाखापट्टनम-530046 (आं.प्र)
26.	डॉ यू.डी.चौबे , महानिदेशक (स्कोप), कोर-2, स्कोप कॉम्प्लैक्स , 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003	36.	श्री विरिजेश उपाध्याय, राष्ट्रीय सचिव (बी.एम.एस.) मकान नं. 32ए/1, शिवपुरी, पार्ट-II, गौयला रोड़, दीनपुर, नई दिल्ली - 1100 02.
27.	श्री जी.पी. श्रीवास्तव, वरिष्ठ सलाहकार, एसोचैम, कॉर्पोरेट कार्यालय : 5 सरदार पटेल मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली 11 00 21.	37.	श्री प्रभाकर जे. बनावसूरे, (बी.एम.एस.), आकांक्षा, 21/1, समर्थ कालोनी, एम.जे. कालेज रोड, जलगांव (महाराष्ट्र), पिन. 425 002.
28.	श्री सुशान्त सेन, प्रधान सलाहकार, भारतीय उद्योग परिसंघ 249-एफ, सेक्टर 18, उद्योग विहार, फेस-IV, गुडगांव - 122015 (हरियाणा).	38.	श्री शंकर साहा, सचिव, अखिल भारतीय समिति,यूनाईटेड ट्रेड यूनियन सेंटर, लेनिन सरानी, 77/2/1, लेनिन सरानी (प्रथम मंजिल), कोलकाता-700013
29.	श्री बी.पी. पंत सचिव, अखिल भारतीय नियोक्ता संगठन, फेडरेशन हाउस, वो/10, एनसीईआरटी कैम्पस, अरविन्दो मार्ग, नई दिल्ली -110016.	39.	डॉ जी.संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 6/8, लेह बरकतपुरा, हैदराबाद -500027
40.	श्री अशोक सिंह, सचिव, इंटक,नं. 435, विश्वास खंड- III, गोमती नगर , लखनऊ	42.	श्री डी.एल. सचदेव, सचिव, ए.आई.टी.यू.सी. 35-36 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002

19.	Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Employment Department, Chennai. 600 009.	29.	Shri B. P. Pant, Secretary, All India Organization of Employers Federation House, V/10, NCERT Campus, Aurobindo Marg, New Delhi .110016.
20.	Secretary to the Govt. of Uttar Pradesh, Labour & Employment, "Bapu Bhawan" Lucknow-226 001.	30.	Shri Badish Jindal, (FASII), 48, Basant Avenue, Near Dugri, Ludhina (Punjab) - 141013.
21.	Principal Secretary to the Govt of West Bengal, Labour Department, Writers Building, Kolkata-700001.	31.	Shri Ravi Wig, PHDCCI, House No. 618, Sector – 21A, Faridabad (HARYANA).
22.	Secretary to the Govt. of NCT of Delhi, Labour Department, 5, Shamnath Marg, Delhi.110054.	32.	Dr. S. S. Patil, Zonal Vice-President (AIMO) Jeevan Sahakar, 4 th floor, Sir, P.M. Road, Fort, Mumbai (Majarasjitra- 400 001).
Employers' Representatives		Employees' Representatives	
23.	Shri J.P. Chowdhary, Chairman & Managing Director M/s. Titagarh Steels Limited 113, Park Street, Kolkata-700 016	33.	Shri A.D. Nagpal, Secretary, Hind Mazdoor Sabha, 1181, Sector 43-B, Chandigarh- 160 022
24.	Dr., Ram S. Tarneja, Flat No. 2102, Planet Godrej, Aqua Tower – II, K.K. Marg, Jacob Circle, Mahalaxmi Mumbai– 400011 (Maharashtra)	34.	Shri A.K. Padmanabhan, President, CITU, B.T. Ranadive Bhawan, 13A, Rouse Avenue, New Delhi – 1100 02.
25.	Shri Sharad Patil, Secretary General, (CIE) Employees' Federation of India, 204, Joanna, 10, Manual Gonsalves Road, Bandra West, Mumbai- 400 050.	35.	Shri M. Jagadishwara Rao, National Executive Member, BMS, D.No. 31-3-3/2, Gowri Nagar, Opp. All India Radio Station, Kurmannapalem, Visakhapatnam (A.P)-530046.
26.	Dr. U. D. Choubey, Director General (SCOPE), Core-2, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110 003.	36.	Shri Virjesh Upadhyay, National Secretary, (BMS) H. No.32A/1, Shiv Puri, Part-II, Goyala Road Deen Pur, New Delhi – 1100 02.
27.	Shri G. P. Srivastava, Senior Advisor, ASSOCHAM, Corporate Office: 5 Sardar patel Marg, Chanakyapuri, New Delhi 11 00 21.	37.	Shri Prabhakar j. Banasure, (BMS), Askankasha, 21/1, Samarth colony, M.J. College Road, Jalgaon (Maharashtra), Pin Code No. 425 002.
28.	Shri sushanta Sen, Principal Advisor, confereation of Indian Industry, 249-F, Sector-18 Udyog Vihar, Phase – IV, Gurgaon (Haryana) – 122 015.	38.	Shri Sankar Saha, Secretary, All India Committee United Trade Union Centre, Lenin Sarani, 77/2/1, Lenin Sarani (1 st Floor), Kolkata-700 013.

41.	श्री रमन पाण्डेय , संयोजक सचिव, इंटक, 132, लेनिन सरानी , डाकघर धर्मटोला, कोलकाता. 700013	43.	श्री के.के. जालान, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त , कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14 -भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.
-----	--	-----	--



39.	Dr. G. Sanjeeva Reddy, President, Indian National Trade Union Congress, 6/8, Leigh Barkatpura, Hyderabad-500 027.	42.	Shri D.L.Sachdev Secretary AITUC 35-36 Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi – 110002.
40.	Shri Ashok Singh, Secretary, INTUC, No. 435, Vishwas Khand III, Gomti Nagar, Lucknow.	43.	Shri K. K. Jalan, Central Provident Fund Commissioner, Employees' Provident Fund Orgn, Head Office, Bhavishya Nidhi Bhawan,14 - Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110 066.
41.	Shri Ramen Pandey, Organizing Secretary, INTUC, 132, Lenin Sarani, P.O. Dharmotolla, Kalkatta – 700 013.		



कार्यकारी समिति, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (क.भ.नि.) के सदस्यों की स्थिति - 31.03.2014 तक

अध्यक्ष		नियोक्ताओं के प्रतिनिधि	
1.	सचिव, भारत सरकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली- 110001.	7.	डॉ यू.डी.चौबे , महानिदेशक (स्कोप), कोर-2, स्कोप कॉम्प्लैक्स , 7, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003
केंद्र सरकार के प्रतिनिधि			
2.	अपर सचिव, भारत सरकार, सामाजिक सुरक्षा प्रभाग श्रम एवं रोजगार मंत्रालय रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001.	8.	श्री संतोष सराफ, 108, स्टैन्डर्ड हाउस, 83, महर्षि कर्वे रोड, मुम्बई -400002.
3.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली -110001.	9.	श्री रवि विग, पीएचडीसीसीआई, मकान न. 618, सेक्टर - 21ए, फरीदाबाद (हरियाणा)
राज्य सरकार के प्रतिनिधि		कर्मचारियों के प्रतिनिधि	
4.	सचिव, असम सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, डी-ब्लाक , तीसरी मंजिल, असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी -781005 (असम)	10.	डॉ जी.संजीवा रेड्डी, अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 6/8, लेह बरकतपुरा, हैदराबाद -500027
5.	सचिव, राजस्थान सरकार, श्रम एवं रोजगार प्रशासनिक सचिवालय, जयपुर राजस्थान	11.	श्री गिरीश अवस्थी, अखिल भारतीय अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ, मकान न. 196/ए(2) शक्ति विहार, कल्याणपुर, कानपुर - 208001 (उ.प्र.)
6.	सचिव, तमिलनाडु सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग, चैन्नई - 600009	12.	श्री डी.एल. सचदेव, सचिव, एआईटी यू सी, 35-36 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002
		13.	केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, मुख्यालय, भविष्य निधि भवन, 14 -भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066.

APPENDIX A-3

MEMBERS OF EXECUTIVE COMMITTEE, CBT (EPF) AS ON 31.03.2014			
Chairman		Employers' Representatives	
1.	Secretary to the Govt. of India, Ministry of Labour & Employment Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi - 110 001.	7.	Dr. U. D. Choubey, Director General (SCOPE), Core-2, Scope Complex, 7, Lodhi Road, New Delhi-110 003.
Central Government Representatives			
2.	Additional Secretary to the Government of India, (Social Security Division) Ministry of Labour & Employment, New Delhi - 110 001.	8.	Shri Santosh Saraf, 108, Standard House, 83, Maharshi Karve Road, Mumbai-400002.
3.	Addl. Secretary & Financial Advisor, Ministry of Labour & Employment, Government of India, New Delhi -110 001.	9.	Shri Ravi Wig, PHDCCI, House No. 618, Sector – 21A, Faridabad (Haryana).
State Government Representatives		Employees' Representatives	
4.	Secretary to the Govt. of Assam, Labour & Employment Department, D-Block, 3 rd Floor, Assam Sachivalaya, Dispur, Guwahati-781005 (Assam).	10.	Dr. G.Sanjeeva Reddy, President, Indian National Trade Union Congress, 6/8, Leigh Barkatpura, Hyderabad - 500 027.
5.	Secretary to the Government of Rajasthan, Labour and Employment Administrative Secretariat, Jaipur (Rajasthan).	11.	Shri Girish Awasthi, All India President, Bhartiya Mazdoor Sangh, H.No.196/A(2) Shakti Vihar Kalyanpur, Kanpur-08 001 (U.P.).
6.	Secretary to the Government of Tamil Nadu, Labour and Employment Department, Chennai- 600 009.	12.	Shri D.L.Sachdeva Secretary AITUC, 35-36 Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi
		13.	Central P. F. Commissioner, Employees' Provident Fund Organisation, Head Office, Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi - 110 066.

**कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत भविष्य निधि दावों का निपटान
(अछूट प्राप्त क्षेत्र)**

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	92685	15731	16.97%	76954	75951	98.70%	1003	1.30%
दिल्ली (उत्तर)	234150	29226	12.48%	204924	203056	99.09%	1868	0.91%
दिल्ली (दक्षिण)	250487	41569	16.60%	208918	205865	98.54%	3053	1.46%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	577322	86526	14.99%	490796	484872	98.79%	5924	1.21%
चंडीगढ़	127267	16788	13.19%	110479	109237	98.88%	1242	1.12%
लुधियाना	118957	11702	9.84%	107255	106962	99.73%	293	0.27%
शिमला	56673	9432	16.64%	47241	46583	98.61%	658	1.39%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	302897	37922	12.52%	264975	262782	99.17%	2193	0.83%
कानपुर	103344	15654	15.15%	87690	86937	99.14%	753	0.86%
मेरठ	194596	24548	12.61%	170048	169987	99.96%	61	0.04%
पटना	27893	4577	16.41%	23316	23265	99.78%	51	0.22%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	325833	44779	13.74%	281054	280189	99.69%	865	0.31%
फरीदाबाद	205596	28643	13.93%	176953	176662	99.84%	291	0.16%
गुड़गांव	302616	44935	14.85%	257681	252578	98.02%	5103	1.98%
जयपुर	152243	24525	16.11%	127718	127700	99.99%	18	0.01%
आं.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	660455	98103	14.85%	562352	556940	99.04%	5412	0.96%
अहमदाबाद	208009	24332	11.70%	183677	182883	99.57%	794	0.43%
बड़ौदा	81511	10810	13.26%	70701	70008	99.02%	693	0.98%
इंदौर	157705	17078	10.83%	140627	140290	99.76%	337	0.24%
सुरत	134719	11949	8.87%	122770	122762	99.99%	8	0.01%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	581944	64169	11.03%	517775	515943	99.65%	1832	0.35%
कांदिवली	292479	50698	17.33%	241781	236173	97.68%	5608	2.32%
मुंबई-1 बांद्रा	347078	56120	16.17%	290958	274884	94.48%	16074	5.52%
मुंबई-11 थाणे	235280	29024	12.34%	206256	203726	98.77%	2530	1.23%
नागपुर	122467	13651	11.15%	108816	108519	99.73%	297	0.27%
पुणे	373569	56019	15.00%	317550	315037	99.21%	2513	0.79%
रायपुर	46243	6596	14.26%	39647	39528	99.70%	119	0.30%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1417116	212108	14.97%	1205008	1177867	97.75%	27141	2.25%
बंगलौर	265188	41303	15.57%	223885	216459	96.68%	7426	3.32%
गुलबर्गा	56501	7234	12.80%	49267	49080	99.62%	187	0.38%
मंगलौर	119726	12452	10.40%	107274	106216	99.01%	1058	0.99%
पणजी	41550	4765	11.47%	36785	36369	98.87%	416	1.13%
पीप्या	411854	58227	14.14%	353627	347672	98.32%	5955	1.68%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	894819	123981	13.86%	770838	755796	98.05%	15042	1.95%
भुवनेश्वर	97964	15903	16.23%	82061	79778	97.22%	2283	2.78%
गुन्डूर	144753	22167	15.31%	122586	120412	98.23%	2174	1.77%
हैदराबाद	332813	51267	15.40%	281546	272036	96.62%	9510	3.38%
निजामाबाद	41225	5143	12.48%	36082	36077	99.99%	5	0.01%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	616755	94480	15.32%	522275	508303	97.32%	13972	2.68%
चेन्नै	367319	59431	16.18%	307888	297529	96.64%	10359	3.36%
कोयम्बटूर	227423	37995	16.71%	189428	187101	98.77%	2327	1.23%
मद्रास	149344	16419	10.99%	132925	128442	96.63%	4483	3.37%
तांवरम	140367	19000	13.54%	121367	120405	99.21%	962	0.79%
तिरुवनंतपुरम	155411	19782	12.73%	135629	131529	96.98%	4100	3.02%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	1039864	152627	14.68%	887237	865006	97.49%	22231	2.51%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	30198	5076	16.81%	25122	25085	99.85%	37	0.15%
जलपाईगुड़ी	156544	17879	11.42%	138665	136696	98.58%	1969	1.42%
कोलकाता	175334	17822	10.16%	157512	157268	99.85%	244	0.15%
रांची	72921	10037	13.76%	62884	62841	99.93%	43	0.07%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	434997	50814	11.68%	384183	381890	99.40%	2293	0.60%
अखिल भारतीय	6852002	965509	14.09%	5886493	5789588	98.35%	96905	1.65%

APPENDIX A-4(i)
**Settlement of Provident Fund Claims under Employees' Provident Funds Scheme, 1952
(Unexempted Sector)**

Region	Workload	Returned / Rejected	Returned / Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	92685	15731	16.97%	76954	75951	98.70%	1003	1.30%
Delhi (North)	234150	29226	12.48%	204924	203056	99.09%	1868	0.91%
Delhi (South)	250487	41569	16.60%	208918	205865	98.54%	3053	1.46%
ZO (DL & UK)	577322	86526	14.99%	490796	484872	98.79%	5924	1.21%
Chandigarh	127267	16788	13.19%	110479	109237	98.88%	1242	1.12%
Ludhiana	118957	11702	9.84%	107255	106962	99.73%	293	0.27%
Shimla	56673	9432	16.64%	47241	46583	98.61%	658	1.39%
ZO (PN & HP)	302897	37922	12.52%	264975	262782	99.17%	2193	0.83%
Kanpur	103344	15654	15.15%	87690	86937	99.14%	753	0.86%
Meerut	194596	24548	12.61%	170048	169987	99.96%	61	0.04%
Patna	27893	4577	16.41%	23316	23265	99.78%	51	0.22%
ZO (UP & BR)	325833	44779	13.74%	281054	280189	99.69%	865	0.31%
Faridabad	205596	28643	13.93%	176953	176662	99.84%	291	0.16%
Gurgaon	302616	44935	14.85%	257681	252578	98.02%	5103	1.98%
Jaipur	152243	24525	16.11%	127718	127700	99.99%	18	0.01%
ZO (HR & RJ)	660455	98103	14.85%	562352	556940	99.04%	5412	0.96%
Ahmedabad	208009	24332	11.70%	183677	182883	99.57%	794	0.43%
Baroda	81511	10810	13.26%	70701	70008	99.02%	693	0.98%
Indore	157705	17078	10.83%	140627	140290	99.76%	337	0.24%
Surat	134719	11949	8.87%	122770	122762	99.99%	8	0.01%
ZO (GJ & MP)	581944	64169	11.03%	517775	515943	99.65%	1832	0.35%
Kandivili	292479	50698	17.33%	241781	236173	97.68%	5608	2.32%
Mumbai-I Bandra	347078	56120	16.17%	290958	274884	94.48%	16074	5.52%
Mumbai-II Thane	235280	29024	12.34%	206256	203726	98.77%	2530	1.23%
Nagpur	122467	13651	11.15%	108816	108519	99.73%	297	0.27%
Pune	373569	56019	15.00%	317550	315037	99.21%	2513	0.79%
Raipur	46243	6596	14.26%	39647	39528	99.70%	119	0.30%
ZO (MH & CG)	1417116	212108	14.97%	1205008	1177867	97.75%	27141	2.25%
Bangalore	265188	41303	15.57%	223885	216459	96.68%	7426	3.32%
Gulbarga	56501	7234	12.80%	49267	49080	99.62%	187	0.38%
Mangalore	119726	12452	10.40%	107274	106216	99.01%	1058	0.99%
Panaji	41550	4765	11.47%	36785	36369	98.87%	416	1.13%
Peenya	411854	58227	14.14%	353627	347672	98.32%	5955	1.68%
ZO (KN & Goa)	894819	123981	13.86%	770838	755796	98.05%	15042	1.95%
Bhubaneswar	97964	15903	16.23%	82061	79778	97.22%	2283	2.78%
Guntur	144753	22167	15.31%	122586	120412	98.23%	2174	1.77%
Hyderabad	332813	51267	15.40%	281546	272036	96.62%	9510	3.38%
Nizamabad	41225	5143	12.48%	36082	36077	99.99%	5	0.01%
ZO (AP & OR)	616755	94480	15.32%	522275	508303	97.32%	13972	2.68%
Chennai	367319	59431	16.18%	307888	297529	96.64%	10359	3.36%
Coimbatore	227423	37995	16.71%	189428	187101	98.77%	2327	1.23%
Madurai	149344	16419	10.99%	132925	128442	96.63%	4483	3.37%
Tambaram	140367	19000	13.54%	121367	120405	99.21%	962	0.79%
Thiruvananthapuram	155411	19782	12.73%	135629	131529	96.98%	4100	3.02%
ZO (TN & KR)	1039864	152627	14.68%	887237	865006	97.49%	22231	2.51%
Guwahati (NER)	30198	5076	16.81%	25122	25085	99.85%	37	0.15%
Jalpaiguri	156544	17879	11.42%	138665	136696	98.58%	1969	1.42%
Kolkata	175334	17822	10.16%	157512	157268	99.85%	244	0.15%
Ranchi	72921	10037	13.76%	62884	62841	99.93%	43	0.07%
ZO (WB, NER & JH)	434997	50814	11.68%	384183	381890	99.40%	2293	0.60%
All INDIA	6852002	965509	14.09%	5886493	5789588	98.35%	96905	1.65%

योजना के अंतर्गत प्रदत्त आंशिक प्रत्याहरण (अछूट प्राप्त)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	6656	997	14.98%	5659	5578	98.57%	81	1.43%
दिल्ली (उत्तर)	9012	1649	18.30%	7363	7326	99.50%	37	0.50%
दिल्ली (दक्षिण)	5889	1666	28.29%	4223	4115	97.44%	108	2.56%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	21557	4312	20.00%	17245	17019	98.69%	226	1.31%
चंडीगढ़	10209	1203	11.78%	9006	8883	98.63%	123	1.37%
लुधियाना	8836	1138	12.88%	7698	7667	99.60%	31	0.40%
शिमला	3842	741	19.29%	3101	3031	97.74%	70	2.26%
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	22887	3082	13.47%	19805	19581	98.87%	224	1.13%
कानपुर	17021	1930	11.34%	15091	15050	99.73%	41	0.27%
मेरठ	26846	2230	8.31%	24616	24570	99.81%	46	0.19%
पटना	3464	448	12.93%	3016	3006	99.67%	10	0.33%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	47331	4608	9.74%	42723	42626	99.77%	97	0.23%
फरीदाबाद	9810	1356	13.82%	8454	8423	99.63%	31	0.37%
गुडगांव	10080	2064	20.48%	8016	7911	98.69%	105	1.31%
जयपुर	8985	1674	18.63%	7311	7306	99.93%	5	0.07%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	28875	5094	17.64%	23781	23640	99.41%	141	0.59%
अहमदाबाद	6903	1740	25.21%	5163	5128	99.32%	35	0.68%
बड़ौदा	3295	793	24.07%	2502	2473	98.84%	29	1.16%
इंदौर	19052	3036	15.94%	16016	16014	99.99%	2	0.01%
सुरत	9434	785	8.32%	8649	8635	99.84%	14	0.16%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	38684	6354	16.43%	32330	32250	99.75%	80	0.25%
कांदिवाली	11678	2859	24.48%	8819	8524	96.65%	295	3.35%
मुंबई-I बांद्रा	6445	2206	34.23%	4239	3772	88.98%	467	11.02%
मुंबई-II थाणे	5270	1396	26.49%	3874	3801	98.12%	73	1.88%
नागपुर	14609	2798	19.15%	11811	11811	100.00%	0	0.00%
पुणे	14301	4154	29.05%	10147	10085	99.39%	62	0.61%
रायपुर	3618	758	20.95%	2860	2846	99.51%	14	0.49%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	55921	14171	25.34%	41750	40839	97.82%	911	2.18%
बंगलौर	6654	2357	35.42%	4297	4045	94.14%	252	5.86%
गुलबर्गा	6268	915	14.60%	5353	5338	99.72%	15	0.28%
मंगलौर	6634	1485	22.38%	5149	5058	98.23%	91	1.77%
पणजी	1163	263	22.61%	900	878	97.56%	22	2.44%
पीण्या	10090	3541	35.09%	6549	6399	97.71%	150	2.29%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	30809	8561	27.79%	22248	21718	97.62%	530	2.38%
भुवनेश्वर	21299	3383	15.88%	17916	17457	97.44%	459	2.56%
गुन्टूर	27866	3801	13.64%	24065	23679	98.40%	386	1.60%
हैदराबाद	18794	5017	26.69%	13777	13270	96.32%	507	3.68%
निजामाबाद	6852	636	9.28%	6216	6214	99.97%	2	0.03%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	74811	12837	17.16%	61974	60620	97.82%	1354	2.18%
चेन्नै	13965	3377	24.18%	10588	10208	96.41%	380	3.59%
कोयंबटूर	30927	6751	21.83%	24176	23930	98.98%	246	1.02%
मद्रास	9577	1961	20.48%	7616	7471	98.10%	145	1.90%
तांभरम	15478	2536	16.38%	12942	12835	99.17%	107	0.83%
तिरुवनंतपुरम	45024	6652	14.77%	38372	37352	97.34%	1020	2.66%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	114971	21277	18.51%	93694	91796	97.97%	1898	2.03%
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	8499	1143	13.45%	7356	7338	99.76%	18	0.24%
जलपाईगुड़ी	9474	535	5.65%	8939	8931	99.91%	8	0.09%
कोलकाता	14564	1762	12.10%	12802	12780	99.83%	22	0.17%
रांची	5033	706	14.03%	4327	4314	99.70%	13	0.30%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	37570	4146	11.04%	33424	33363	99.82%	61	0.18%
अखिल भारतीय	473416	84442	17.84%	388974	383452	98.58%	5522	1.42%

APPENDIX A-4(ii)

Partial Withdrawals granted under Scheme (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	6656	997	14.98%	5659	5578	98.57%	81	1.43%
Delhi (North)	9012	1649	18.30%	7363	7326	99.50%	37	0.50%
Delhi (South)	5889	1666	28.29%	4223	4115	97.44%	108	2.56%
ZO (DL & UK)	21557	4312	20.00%	17245	17019	98.69%	226	1.31%
Chandigarh	10209	1203	11.78%	9006	8883	98.63%	123	1.37%
Ludhiana	8836	1138	12.88%	7698	7667	99.60%	31	0.40%
Shimla	3842	741	19.29%	3101	3031	97.74%	70	2.26%
ZO (PN & HP)	22887	3082	13.47%	19805	19581	98.87%	224	1.13%
Kanpur	17021	1930	11.34%	15091	15050	99.73%	41	0.27%
Meerut	26846	2230	8.31%	24616	24570	99.81%	46	0.19%
Patna	3464	448	12.93%	3016	3006	99.67%	10	0.33%
ZO (UP & BR)	47331	4608	9.74%	42723	42626	99.77%	97	0.23%
Faridabad	9810	1356	13.82%	8454	8423	99.63%	31	0.37%
Gurgaon	10080	2064	20.48%	8016	7911	98.69%	105	1.31%
Jaipur	8985	1674	18.63%	7311	7306	99.93%	5	0.07%
ZO (HR & RJ)	28875	5094	17.64%	23781	23640	99.41%	141	0.59%
Ahmedabad	6903	1740	25.21%	5163	5128	99.32%	35	0.68%
Baroda	3295	793	24.07%	2502	2473	98.84%	29	1.16%
Indore	19052	3036	15.94%	16016	16014	99.99%	2	0.01%
Surat	9434	785	8.32%	8649	8635	99.84%	14	0.16%
ZO (GJ & MP)	38684	6354	16.43%	32330	32250	99.75%	80	0.25%
Kandivili	11678	2859	24.48%	8819	8524	96.65%	295	3.35%
Mumbai-I Bandra	6445	2206	34.23%	4239	3772	88.98%	467	11.02%
Mumbai-II Thane	5270	1396	26.49%	3874	3801	98.12%	73	1.88%
Nagpur	14609	2798	19.15%	11811	11811	100.00%	0	0.00%
Pune	14301	4154	29.05%	10147	10085	99.39%	62	0.61%
Raipur	3618	758	20.95%	2860	2846	99.51%	14	0.49%
ZO (MH & CG)	55921	14171	25.34%	41750	40839	97.82%	911	2.18%
Bangalore	6654	2357	35.42%	4297	4045	94.14%	252	5.86%
Gulbarga	6268	915	14.60%	5353	5338	99.72%	15	0.28%
Mangalore	6634	1485	22.38%	5149	5058	98.23%	91	1.77%
Panaji	1163	263	22.61%	900	878	97.56%	22	2.44%
Peenya	10090	3541	35.09%	6549	6399	97.71%	150	2.29%
ZO (KN & Goa)	30809	8561	27.79%	22248	21718	97.62%	530	2.38%
Bhubaneswar	21299	3383	15.88%	17916	17457	97.44%	459	2.56%
Guntur	27866	3801	13.64%	24065	23679	98.40%	386	1.60%
Hyderabad	18794	5017	26.69%	13777	13270	96.32%	507	3.68%
Nizamabad	6852	636	9.28%	6216	6214	99.97%	2	0.03%
ZO (AP & OR)	74811	12837	17.16%	61974	60620	97.82%	1354	2.18%
Chennai	13965	3377	24.18%	10588	10208	96.41%	380	3.59%
Coimbatore	30927	6751	21.83%	24176	23930	98.98%	246	1.02%
Madurai	9577	1961	20.48%	7616	7471	98.10%	145	1.90%
Tambaram	15478	2536	16.38%	12942	12835	99.17%	107	0.83%
Thiruvananthapuram	45024	6652	14.77%	38372	37352	97.34%	1020	2.66%
ZO (TN & KR)	114971	21277	18.51%	93694	91796	97.97%	1898	2.03%
Guwahati (NER)	8499	1143	13.45%	7356	7338	99.76%	18	0.24%
Jalpaiguri	9474	535	5.65%	8939	8931	99.91%	8	0.09%
Kolkata	14564	1762	12.10%	12802	12780	99.83%	22	0.17%
Ranchi	5033	706	14.03%	4327	4314	99.70%	13	0.30%
ZO (WB, NER & JH)	37570	4146	11.04%	33424	33363	99.82%	61	0.18%
All INDIA	473416	84442	17.84%	388974	383452	98.58%	5522	1.42%

योजना के अंतर्गत अंतरण दावों का निपटान (अछूत प्राप्त क्षेत्र)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	7469	1892	25.33%	5577	5256	94.24%	321	5.76%
दिल्ली (उत्तर)	25902	5980	23.09%	19922	19828	99.53%	94	0.47%
दिल्ली (दक्षिण)	32985	9173	27.81%	23812	23207	97.46%	605	2.54%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	66356	17045	25.69%	49311	48291	97.93%	1020	2.07%
चंडीगढ़	15620	3098	19.83%	12522	12286	98.12%	236	1.88%
लुधियाना	8895	1398	15.72%	7497	7490	99.91%	7	0.09%
शिमला	5116	1297	25.35%	3819	3781	99.00%	38	1.00%
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	29631	5793	19.55%	23838	23557	98.82%	281	1.18%
कानपुर	17012	3594	21.13%	13418	13199	98.37%	219	1.63%
मेरठ	19199	4559	23.75%	14640	14528	99.23%	112	0.77%
पटना	4698	1353	28.80%	3345	3316	99.13%	29	0.87%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	40909	9506	23.24%	31403	31043	98.85%	360	1.15%
फरीदाबाद	17932	3027	16.88%	14905	14885	99.87%	20	0.13%
गुड़गांव	32385	9172	28.32%	23213	22744	97.98%	469	2.02%
जयपुर	21348	5164	24.19%	16184	16037	99.09%	147	0.91%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	71665	17363	24.23%	54302	53666	98.83%	636	1.17%
अहमदाबाद	25622	4379	17.09%	21243	21138	99.51%	105	0.49%
बड़ौदा	7391	1460	19.75%	5931	5854	98.70%	77	1.30%
इंदौर	15304	2822	18.44%	12482	12428	99.57%	54	0.43%
सुरत	12670	1730	13.65%	10940	10920	99.82%	20	0.18%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	60987	10391	17.04%	50596	50340	99.49%	256	0.51%
कांदिवाली	66535	22726	34.16%	43809	42579	97.19%	1230	2.81%
मुंबई-I बांद्रा	110404	37085	33.59%	73319	67513	92.08%	5806	7.92%
मुंबई-II थाणे	49254	11541	23.43%	37713	37409	99.19%	304	0.81%
नागपुर	10143	3420	33.72%	6723	6711	99.82%	12	0.18%
पुणे	50268	14606	29.06%	35662	35240	98.82%	422	1.18%
रायपुर	6190	1097	17.72%	5093	5086	99.86%	7	0.14%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	292794	90475	30.90%	202319	194538	96.15%	7781	3.85%
बंगलूर	42841	18011	42.04%	24830	23259	93.67%	1571	6.33%
गुलबर्गा	12841	3408	26.54%	9433	9231	97.86%	202	2.14%
मंगलूर	16358	3068	18.76%	13290	13207	99.38%	83	0.62%
पणजी	4530	859	18.96%	3671	3610	98.34%	61	1.66%
पीप्या	60178	20019	33.27%	40159	39282	97.82%	877	2.18%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	136748	45365	33.17%	91383	88589	96.94%	2794	3.06%
श्रुवनेश्वर	18036	6393	35.45%	11643	11399	97.90%	244	2.10%
गुन्डूर	25761	6647	25.80%	19114	18650	97.57%	464	2.43%
हैदराबाद	53337	18518	34.72%	34819	31848	91.47%	2971	8.53%
निजामाबाद	3804	1087	28.58%	2717	2668	98.20%	49	1.80%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	100938	32645	32.34%	68293	64565	94.54%	3728	5.46%
चेन्नै	67362	16212	24.07%	51150	49345	96.47%	1805	3.53%
कोयम्बतूर	37066	8986	24.24%	28080	27859	99.21%	221	0.79%
मद्रास	19937	3013	15.11%	16924	16387	96.83%	537	3.17%
तांबरम	18946	4707	24.84%	14239	14142	99.32%	97	0.68%
तिरुवनंतपुरम	27027	5855	21.66%	21172	20408	96.39%	764	3.61%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	170338	38773	22.76%	131565	128141	97.40%	3424	2.60%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1748	575	32.89%	1173	1146	97.70%	27	2.30%
जलपाईगुड़ी	3851	953	24.75%	2898	2856	98.55%	42	1.45%
कोलकाता	26560	8066	30.37%	18494	18377	99.37%	117	0.63%
रांची	4188	1377	32.88%	2811	2792	99.32%	19	0.68%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	36347	10971	30.18%	25376	25171	99.19%	205	0.81%
अखिल भारतीय	1006713	278327	27.65%	728386	707901	97.19%	20485	2.81%

APPENDIX A-4(iii)

Settlement of Transfer Cases under Scheme (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	7469	1892	25.33%	5577	5256	94.24%	321	5.76%
Delhi (North)	25902	5980	23.09%	19922	19828	99.53%	94	0.47%
Delhi (South)	32985	9173	27.81%	23812	23207	97.46%	605	2.54%
ZO (DL & UK)	66356	17045	25.69%	49311	48291	97.93%	1020	2.07%
Chandigarh	15620	3098	19.83%	12522	12286	98.12%	236	1.88%
Ludhiana	8895	1398	15.72%	7497	7490	99.91%	7	0.09%
Shimla	5116	1297	25.35%	3819	3781	99.00%	38	1.00%
ZO (PN & HP)	29631	5793	19.55%	23838	23557	98.82%	281	1.18%
Kanpur	17012	3594	21.13%	13418	13199	98.37%	219	1.63%
Meerut	19199	4559	23.75%	14640	14528	99.23%	112	0.77%
Patna	4698	1353	28.80%	3345	3316	99.13%	29	0.87%
ZO (UP & BR)	40909	9506	23.24%	31403	31043	98.85%	360	1.15%
Faridabad	17932	3027	16.88%	14905	14885	99.87%	20	0.13%
Gurgaon	32385	9172	28.32%	23213	22744	97.98%	469	2.02%
Jaipur	21348	5164	24.19%	16184	16037	99.09%	147	0.91%
ZO (HR & RJ)	71665	17363	24.23%	54302	53666	98.83%	636	1.17%
Ahmedabad	25622	4379	17.09%	21243	21138	99.51%	105	0.49%
Baroda	7391	1460	19.75%	5931	5854	98.70%	77	1.30%
Indore	15304	2822	18.44%	12482	12428	99.57%	54	0.43%
Surat	12670	1730	13.65%	10940	10920	99.82%	20	0.18%
ZO (GJ & MP)	60987	10391	17.04%	50596	50340	99.49%	256	0.51%
Kandivili	66535	22726	34.16%	43809	42579	97.19%	1230	2.81%
Mumbai-I Bandra	110404	37085	33.59%	73319	67513	92.08%	5806	7.92%
Mumbai-II Thane	49254	11541	23.43%	37713	37409	99.19%	304	0.81%
Nagpur	10143	3420	33.72%	6723	6711	99.82%	12	0.18%
Pune	50268	14606	29.06%	35662	35240	98.82%	422	1.18%
Raipur	6190	1097	17.72%	5093	5086	99.86%	7	0.14%
ZO (MH & CG)	292794	90475	30.90%	202319	194538	96.15%	7781	3.85%
Bangalore	42841	18011	42.04%	24830	23259	93.67%	1571	6.33%
Gulbarga	12841	3408	26.54%	9433	9231	97.86%	202	2.14%
Mangalore	16358	3068	18.76%	13290	13207	99.38%	83	0.62%
Panaji	4530	859	18.96%	3671	3610	98.34%	61	1.66%
Peenya	60178	20019	33.27%	40159	39282	97.82%	877	2.18%
ZO (KN & Goa)	136748	45365	33.17%	91383	88589	96.94%	2794	3.06%
Bhubaneshwar	18036	6393	35.45%	11643	11399	97.90%	244	2.10%
Guntur	25761	6647	25.80%	19114	18650	97.57%	464	2.43%
Hyderabad	53337	18518	34.72%	34819	31848	91.47%	2971	8.53%
Nizamabad	3804	1087	28.58%	2717	2668	98.20%	49	1.80%
ZO (AP & OR)	100938	32645	32.34%	68293	64565	94.54%	3728	5.46%
Chennai	67362	16212	24.07%	51150	49345	96.47%	1805	3.53%
Coimbatore	37066	8986	24.24%	28080	27859	99.21%	221	0.79%
Madurai	19937	3013	15.11%	16924	16387	96.83%	537	3.17%
Tambaram	18946	4707	24.84%	14239	14142	99.32%	97	0.68%
Thiruvananthapuram	27027	5855	21.66%	21172	20408	96.39%	764	3.61%
ZO (TN & KR)	170338	38773	22.76%	131565	128141	97.40%	3424	2.60%
Guwahati (NER)	1748	575	32.89%	1173	1146	97.70%	27	2.30%
Jalpaiguri	3851	953	24.75%	2898	2856	98.55%	42	1.45%
Kolkata	26560	8066	30.37%	18494	18377	99.37%	117	0.63%
Ranchi	4188	1377	32.88%	2811	2792	99.32%	19	0.68%
ZO (WB, NER & JH)	36347	10971	30.18%	25376	25171	99.19%	205	0.81%
All INDIA	1006713	278327	27.65%	728386	707901	97.19%	20485	2.81%

कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत मासिक पेंशन दावों का निपटान (अछूत प्राप्त क्षेत्र)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का	निवल कार्यभार	निपटारे गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	6385	1801	28.21%	4584	4385	95.66%	199	4.34%
दिल्ली (उत्तर)	16419	4836	29.45%	11583	11527	99.52%	56	0.48%
दिल्ली (दक्षिण)	6589	2734	41.49%	3855	3715	96.37%	140	3.63%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	29393	9371	31.88%	20022	19627	98.03%	395	1.97%
चंडीगढ़	7210	2099	29.11%	5111	5013	98.08%	98	1.92%
लुधियाना	6258	1793	28.65%	4465	4410	98.77%	55	1.23%
शिमला	2492	1162	46.63%	1330	1262	94.89%	68	5.11%
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	15960	5054	31.67%	10906	10685	97.97%	221	2.03%
कानपुर	26391	6704	25.40%	19687	19320	98.14%	367	1.86%
मेरठ	12418	4112	33.11%	8306	8086	97.35%	220	2.65%
पटना	6718	1458	21.70%	5260	5189	98.65%	71	1.35%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	45527	12274	26.96%	33253	32595	98.02%	658	1.98%
फरीदाबाद	8268	2067	25.00%	6201	6133	98.90%	68	1.10%
गुडगांव	4461	1722	38.60%	2739	2629	95.98%	110	4.02%
जयपुर	15770	7480	47.43%	8290	8240	99.40%	50	0.60%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	28499	11269	39.54%	17230	17002	98.68%	228	1.32%
अहमदाबाद	21406	5156	24.09%	16250	16013	98.54%	237	1.46%
बड़ौदा	5034	1503	29.86%	3531	3469	98.24%	62	1.76%
इंदौर	15833	5153	32.55%	10680	10680	100.00%	0	0.00%
सुरत	5468	1103	20.17%	4365	4357	99.82%	8	0.18%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	47741	12915	27.05%	34826	34519	99.12%	307	0.88%
कादिवली	24213	10716	44.26%	13497	12932	95.81%	565	4.19%
मुंबई-I बांद्रा	38404	12684	33.03%	25720	22134	86.06%	3586	13.94%
मुंबई-II थाणे	15582	6526	41.88%	9056	8906	98.34%	150	1.66%
नागपुर	17108	5509	32.20%	11599	11559	99.66%	40	0.34%
पुणे	28460	11639	40.90%	16821	16643	98.94%	178	1.06%
रायपुर	5622	1345	23.92%	4277	4268	99.79%	9	0.21%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	129389	48419	37.42%	80970	76442	94.41%	4528	5.59%
बंगलौर	14252	6624	46.48%	7628	6981	91.52%	647	8.48%
गुलबर्गा	10475	3864	36.89%	6611	6517	98.58%	94	1.42%
मंगलौर	16874	5295	31.38%	11579	11351	98.03%	228	1.97%
पणजी	2310	835	36.15%	1475	1374	93.15%	101	6.85%
पीप्या	8982	4406	49.05%	4576	4357	95.21%	219	4.79%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	52893	21024	39.75%	31869	30580	95.96%	1289	4.04%
भुवनेश्वर	16181	5880	36.34%	10301	9713	94.29%	588	5.71%
गुन्डूर	23888	7739	32.40%	16149	15356	95.09%	793	4.91%
हैदराबाद	27692	11205	40.46%	16487	15262	92.57%	1225	7.43%
निजामाबाद	19070	4062	21.30%	15008	14741	98.22%	267	1.78%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	86831	28886	33.27%	57945	55072	95.04%	2873	4.96%
चेन्नै	18877	7957	42.15%	10920	8748	80.11%	2172	19.89%
कोयम्बतूर	26909	12543	46.61%	14366	14081	98.02%	285	1.98%
मद्रास	17100	5460	31.93%	11640	11011	94.60%	629	5.40%
तांबरम	8696	3275	37.66%	5421	5260	97.03%	161	2.97%
तिरुवनंतपुरम	30199	10497	34.76%	19702	18467	93.73%	1235	6.27%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	101781	39732	39.04%	62049	57567	92.78%	4482	7.22%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	5072	1763	34.76%	3309	3288	99.37%	21	0.63%
जलपाईगुड़ी	14129	3297	23.33%	10832	10539	97.30%	293	2.70%
कोलकाता	41523	7903	19.03%	33620	33561	99.82%	59	0.18%
रांची	9822	2896	29.48%	6926	6816	98.41%	110	1.59%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	70546	15859	22.48%	54687	54204	99.12%	483	0.88%
अखिल भारतीय	608560	204803	33.65%	403757	388293	96.17%	15464	3.83%

APPENDIX A-4 (iv)

Settlement of Monthly Pension Claims under Pension Scheme (Unexempted Sector)

Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	6385	1801	28.21%	4584	4385	95.66%	199	4.34%
Delhi (North)	16419	4836	29.45%	11583	11527	99.52%	56	0.48%
Delhi (South)	6589	2734	41.49%	3855	3715	96.37%	140	3.63%
ZO (DL & UK)	29393	9371	31.88%	20022	19627	98.03%	395	1.97%
Chandigarh	7210	2099	29.11%	5111	5013	98.08%	98	1.92%
Ludhiana	6258	1793	28.65%	4465	4410	98.77%	55	1.23%
Shimla	2492	1162	46.63%	1330	1262	94.89%	68	5.11%
ZO (PN & HP)	15960	5054	31.67%	10906	10685	97.97%	221	2.03%
Kanpur	26391	6704	25.40%	19687	19320	98.14%	367	1.86%
Meerut	12418	4112	33.11%	8306	8086	97.35%	220	2.65%
Patna	6718	1458	21.70%	5260	5189	98.65%	71	1.35%
ZO (UP & BR)	45527	12274	26.96%	33253	32595	98.02%	658	1.98%
Faridabad	8268	2067	25.00%	6201	6133	98.90%	68	1.10%
Gurgaon	4461	1722	38.60%	2739	2629	95.98%	110	4.02%
Jaipur	15770	7480	47.43%	8290	8240	99.40%	50	0.60%
ZO (HR & RJ)	28499	11269	39.54%	17230	17002	98.68%	228	1.32%
Ahmedabad	21406	5156	24.09%	16250	16013	98.54%	237	1.46%
Baroda	5034	1503	29.86%	3531	3469	98.24%	62	1.76%
Indore	15833	5153	32.55%	10680	10680	100.00%	0	0.00%
Surat	5468	1103	20.17%	4365	4357	99.82%	8	0.18%
ZO (GJ & MP)	47741	12915	27.05%	34826	34519	99.12%	307	0.88%
Kandivili	24213	10716	44.26%	13497	12932	95.81%	565	4.19%
Mumbai-I Bandra	38404	12684	33.03%	25720	22134	86.06%	3586	13.94%
Mumbai-II Thane	15582	6526	41.88%	9056	8906	98.34%	150	1.66%
Nagpur	17108	5509	32.20%	11599	11559	99.66%	40	0.34%
Pune	28460	11639	40.90%	16821	16643	98.94%	178	1.06%
Raipur	5622	1345	23.92%	4277	4268	99.79%	9	0.21%
ZO (MH & CG)	129389	48419	37.42%	80970	76442	94.41%	4528	5.59%
Bangalore	14252	6624	46.48%	7628	6981	91.52%	647	8.48%
Gulbarga	10475	3864	36.89%	6611	6517	98.58%	94	1.42%
Mangalore	16874	5295	31.38%	11579	11351	98.03%	228	1.97%
Panaji	2310	835	36.15%	1475	1374	93.15%	101	6.85%
Peenya	8982	4406	49.05%	4576	4357	95.21%	219	4.79%
ZO (KN & Goa)	52893	21024	39.75%	31869	30580	95.96%	1289	4.04%
Bhubaneswar	16181	5880	36.34%	10301	9713	94.29%	588	5.71%
Guntur	23888	7739	32.40%	16149	15356	95.09%	793	4.91%
Hyderabad	27692	11205	40.46%	16487	15262	92.57%	1225	7.43%
Nizamabad	19070	4062	21.30%	15008	14741	98.22%	267	1.78%
ZO (AP & OR)	86831	28886	33.27%	57945	55072	95.04%	2873	4.96%
Chennai	18877	7957	42.15%	10920	8748	80.11%	2172	19.89%
Coimbatore	26909	12543	46.61%	14366	14081	98.02%	285	1.98%
Madurai	17100	5460	31.93%	11640	11011	94.60%	629	5.40%
Tambaram	8696	3275	37.66%	5421	5260	97.03%	161	2.97%
Thiruvananthapuram	30199	10497	34.76%	19702	18467	93.73%	1235	6.27%
ZO (TN & KR)	101781	39732	39.04%	62049	57567	92.78%	4482	7.22%
Guwahati (NER)	5072	1763	34.76%	3309	3288	99.37%	21	0.63%
Jalpaiguri	14129	3297	23.33%	10832	10539	97.30%	293	2.70%
Kolkata	41523	7903	19.03%	33620	33561	99.82%	59	0.18%
Ranchi	9822	2896	29.48%	6926	6816	98.41%	110	1.59%
ZO (WB, NER & JH)	70546	15859	22.48%	54687	54204	99.12%	483	0.88%
All INDIA	608560	204803	33.65%	403757	388293	96.17%	15464	3.83%

**कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत सभी दावे (मासिक पेंशन दावों को छोड़कर)
(अछूट प्राप्त)**

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	85893	21331	24.83%	64562	63524	98.39%	1038	1.61%
दिल्ली (उत्तर)	219606	40170	18.29%	179436	177784	99.08%	1652	0.92%
दिल्ली (दक्षिण)	251264	58349	23.22%	192915	190093	98.54%	2822	1.46%
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	556763	119850	21.53%	436913	431401	98.74%	5512	1.26%
चंडीगढ़	110487	19937	18.04%	90550	89424	98.76%	1126	1.24%
लुधियाना	107602	15046	13.98%	92556	92316	99.74%	240	0.26%
शिमला	57805	12996	22.48%	44809	44194	98.63%	615	1.37%
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	275894	47979	17.39%	227915	225934	99.13%	1981	0.87%
कानपुर	85566	17020	19.89%	68546	68231	99.54%	315	0.46%
मेरठ	170812	34141	19.99%	136671	136642	99.98%	29	0.02%
पटना	20431	4176	20.44%	16255	16229	99.84%	26	0.16%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	276809	55337	19.99%	221472	221102	99.83%	370	0.17%
फरीदाबाद	167260	38396	22.96%	128864	128639	99.83%	225	0.17%
गुड़गांव	275515	67938	24.66%	207577	202910	97.75%	4667	2.25%
जयपुर	139342	32760	23.51%	106582	106562	99.98%	20	0.02%
आं.का. (हरियाणा एवं)	582117	139094	23.89%	443023	438111	98.89%	4912	1.11%
अहमदाबाद	187456	32994	17.60%	154462	153753	99.54%	709	0.46%
बड़ौदा	72524	13585	18.73%	58939	58340	98.98%	599	1.02%
इंदौर	128833	20849	16.18%	107984	107983	100.00%	1	0.00%
सुरत	119650	15963	13.34%	103687	103681	99.99%	6	0.01%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	508463	83391	16.40%	425072	423757	99.69%	1315	0.31%
कांदिवली	274024	63757	23.27%	210267	205146	97.56%	5121	2.44%
मुंबई-I बांद्रा	389771	75630	19.40%	314141	296180	94.28%	17961	5.72%
मुंबई-II थाणे	221506	38933	17.58%	182573	180161	98.68%	2412	1.32%
नागपुर	100534	18211	18.11%	82323	82320	100.00%	3	0.00%
पुणे	339347	74036	21.82%	265311	263592	99.35%	1719	0.65%
रायपुर	42435	8347	19.67%	34088	34001	99.74%	87	0.26%
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1367617	278914	20.39%	1088703	1061400	97.49%	27303	2.51%
बंगलौर	295996	59357	20.05%	236639	229063	96.80%	7576	3.20%
मुलबर्गा	50797	9289	18.29%	41508	41278	99.45%	230	0.55%
मंगलौर	100693	16975	16.86%	83718	82830	98.94%	888	1.06%
पणजी	38337	6674	17.41%	31663	31258	98.72%	405	1.28%
पोण्या	445530	80709	18.12%	364821	358576	98.29%	6245	1.71%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	931353	173004	18.58%	758349	743005	97.98%	15344	2.02%
श्रुवनेश्वर	82381	16595	20.14%	65786	64054	97.37%	1732	2.63%
गुन्डूर	133869	26410	19.73%	107459	105443	98.12%	2016	1.88%
हैदराबाद	321067	64320	20.03%	256747	247309	96.32%	9438	3.68%
निजामाबाद	30854	5477	17.75%	25377	25315	99.76%	62	0.24%
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं)	568171	112802	19.85%	455369	442121	97.09%	13248	2.91%
चेन्नै	354907	75966	21.40%	278941	267805	96.01%	11136	3.99%
कोयम्बतूर	211275	47574	22.52%	163701	161556	98.69%	2145	1.31%
मद्रास	138939	21101	15.19%	117838	113714	96.50%	4124	3.50%
तांबरम	131236	25027	19.07%	106209	105346	99.19%	863	0.81%
तिरुवनंतपुरम	128563	26169	20.36%	102394	98977	96.66%	3417	3.34%
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	964920	195837	20.30%	769083	747398	97.18%	21685	2.82%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	25074	5410	21.58%	19664	19646	99.91%	18	0.09%
जलपाईगुड़ी	118628	18023	15.19%	100605	98817	98.22%	1788	1.78%
कोलकाता	153376	21122	13.77%	132254	132082	99.87%	172	0.13%
रांची	64758	11165	17.24%	53593	53590	99.99%	3	0.01%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं)	361836	55720	15.40%	306116	304135	99.35%	1981	0.65%
अखिल भारतीय	6393943	1261928	19.74%	5132015	5038364	98.18%	93651	1.82%

APPENDIX A-4 (v)

Settlement of All Claims (Other than Monthly Pension Claims) under E.P. Scheme, 1995 (Unexempted Sector)

Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	85893	21331	24.83%	64562	63524	98.39%	1038	1.61%
Delhi (North)	219606	40170	18.29%	179436	177784	99.08%	1652	0.92%
Delhi (South)	251264	58349	23.22%	192915	190093	98.54%	2822	1.46%
ZO (DL & UK)	556763	119850	21.53%	436913	431401	98.74%	5512	1.26%
Chandigarh	110487	19937	18.04%	90550	89424	98.76%	1126	1.24%
Ludhiana	107602	15046	13.98%	92556	92316	99.74%	240	0.26%
Shimla	57805	12996	22.48%	44809	44194	98.63%	615	1.37%
ZO (PN & HP)	275894	47979	17.39%	227915	225934	99.13%	1981	0.87%
Kanpur	85566	17020	19.89%	68546	68231	99.54%	315	0.46%
Meerut	170812	34141	19.99%	136671	136642	99.98%	29	0.02%
Patna	20431	4176	20.44%	16255	16229	99.84%	26	0.16%
ZO (UP & BR)	276809	55337	19.99%	221472	221102	99.83%	370	0.17%
Faridabad	167260	38396	22.96%	128864	128639	99.83%	225	0.17%
Gurgaon	275515	67938	24.66%	207577	202910	97.75%	4667	2.25%
Jaipur	139342	32760	23.51%	106582	106562	99.98%	20	0.02%
ZO (HR & RJ)	582117	139094	23.89%	443023	438111	98.89%	4912	1.11%
Ahmedabad	187456	32994	17.60%	154462	153753	99.54%	709	0.46%
Baroda	72524	13585	18.73%	58939	58340	98.98%	599	1.02%
Indore	128833	20849	16.18%	107984	107983	100.00%	1	0.00%
Surat	119650	15963	13.34%	103687	103681	99.99%	6	0.01%
ZO (GJ & MP)	508463	83391	16.40%	425072	423757	99.69%	1315	0.31%
Kandivili	274024	63757	23.27%	210267	205146	97.56%	5121	2.44%
Mumbai-I Bandra	389771	75630	19.40%	314141	296180	94.28%	17961	5.72%
Mumbai-II Thane	221506	38933	17.58%	182573	180161	98.68%	2412	1.32%
Nagpur	100534	18211	18.11%	82323	82320	100.00%	3	0.00%
Pune	339347	74036	21.82%	265311	263592	99.35%	1719	0.65%
Raipur	42435	8347	19.67%	34088	34001	99.74%	87	0.26%
ZO (MH & CG)	1367617	278914	20.39%	1088703	1061400	97.49%	27303	2.51%
Bangalore	295996	59357	20.05%	236639	229063	96.80%	7576	3.20%
Gulbarga	50797	9289	18.29%	41508	41278	99.45%	230	0.55%
Mangalore	100693	16975	16.86%	83718	82830	98.94%	888	1.06%
Panaji	38337	6674	17.41%	31663	31258	98.72%	405	1.28%
Peenya	445530	80709	18.12%	364821	358576	98.29%	6245	1.71%
ZO (KN & Goa)	931353	173004	18.58%	758349	743005	97.98%	15344	2.02%
Bhubaneswar	82381	16595	20.14%	65786	64054	97.37%	1732	2.63%
Guntur	133869	26410	19.73%	107459	105443	98.12%	2016	1.88%
Hyderabad	321067	64320	20.03%	256747	247309	96.32%	9438	3.68%
Nizamabad	30854	5477	17.75%	25377	25315	99.76%	62	0.24%
ZO (AP & OR)	568171	112802	19.85%	455369	442121	97.09%	13248	2.91%
Chennai	354907	75966	21.40%	278941	267805	96.01%	11136	3.99%
Coimbatore	211275	47574	22.52%	163701	161556	98.69%	2145	1.31%
Madurai	138939	21101	15.19%	117838	113714	96.50%	4124	3.50%
Tambaram	131236	25027	19.07%	106209	105346	99.19%	863	0.81%
Thiruvananthapuram	128563	26169	20.36%	102394	98977	96.66%	3417	3.34%
ZO (TN & KR)	964920	195837	20.30%	769083	747398	97.18%	21685	2.82%
Guwahati (NER)	25074	5410	21.58%	19664	19646	99.91%	18	0.09%
Jalpaiguri	118628	18023	15.19%	100605	98817	98.22%	1788	1.78%
Kolkata	153376	21122	13.77%	132254	132082	99.87%	172	0.13%
Ranchi	64758	11165	17.24%	53593	53590	99.99%	3	0.01%
ZO (WB, NER & JH)	361836	55720	15.40%	306116	304135	99.35%	1981	0.65%
All INDIA	6393943	1261928	19.74%	5132015	5038364	98.18%	93651	1.82%

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना के दावों का निपटान (अछूट प्राप्त)

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	लौटाए गए / निरस्त किए गए दावों का अनुपात	निवल कार्यभार	निपटाए गए दावे	निवल कार्यभार दावों के निपटान का अनुपात	लंबित दावे 31.03.2014 को	निवल कार्यभार पर लंबित दावों का अनुपात
देहरादून	905	525	58.01%	380	374	98.42%	6	1.58%
दिल्ली (उत्तर)	1422	573	40.30%	849	837	98.59%	12	1.41%
दिल्ली (दक्षिण)	1021	526	51.52%	495	474	95.76%	21	4.24%
आ.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	3348	1624	48.51%	1724	1685	97.74%	39	2.26%
चंडीगढ़	647	225	34.78%	422	416	98.58%	6	1.42%
लुधियाना	771	257	33.33%	514	511	99.42%	3	0.58%
शिमला	690	433	62.75%	257	239	93.00%	18	7.00%
आ.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	2108	915	43.41%	1193	1166	97.74%	27	2.26%
कानपुर	1768	705	39.88%	1063	1052	98.97%	11	1.03%
मेरठ	1218	591	48.52%	627	613	97.77%	14	2.23%
पटना	643	323	50.23%	320	317	99.06%	3	0.94%
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	3629	1619	44.61%	2010	1982	98.61%	28	1.39%
फरीदाबाद	840	401	47.74%	439	439	100.00%	0	0.00%
गुडगांव	701	318	45.36%	383	379	98.96%	4	1.04%
जयपुर	1150	632	54.96%	518	518	100.00%	0	0.00%
आ.का. (हरियाणा एवं राजस्थान)	2691	1351	50.20%	1340	1336	99.70%	4	0.30%
अहमदाबाद	1075	323	30.05%	752	747	99.34%	5	0.66%
बड़ौदा	409	107	26.16%	302	294	97.35%	8	2.65%
इंदौर	1084	349	32.20%	735	733	99.73%	2	0.27%
सुरत	535	113	21.12%	422	422	100.00%	0	0.00%
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3103	892	28.75%	2211	2196	99.32%	15	0.68%
कांदिवली	2032	1040	51.18%	992	945	95.26%	47	4.74%
मुंबई-I बांद्रा	2308	1067	46.23%	1241	1115	89.85%	126	10.15%
मुंबई-II थाणे	1711	710	41.50%	1001	970	96.90%	31	3.10%
नागपुर	1413	654	46.28%	759	759	100.00%	0	0.00%
पुणे	2748	1439	52.37%	1309	1290	98.55%	19	1.45%
रायपुर	606	313	51.65%	293	293	100.00%	0	0.00%
आ.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	10818	5223	48.28%	5595	5372	96.01%	223	3.99%
बंगलूर	1385	737	53.21%	648	609	93.98%	39	6.02%
गुलबर्गा	1101	502	45.59%	599	580	96.83%	19	3.17%
मंगलूर	1393	627	45.01%	766	759	99.09%	7	0.91%
पणजी	285	146	51.23%	139	136	97.84%	3	2.16%
पीण्या	1206	626	51.91%	580	568	97.93%	12	2.07%
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	5370	2638	49.12%	2732	2652	97.07%	80	2.93%
भुवनेश्वर	1634	993	60.77%	641	598	93.29%	43	6.71%
गुन्डूर	2463	1229	49.90%	1234	1199	97.16%	35	2.84%
हैदराबाद	2621	1597	60.93%	1024	933	91.11%	91	8.89%
निजामाबाद	1244	560	45.02%	684	682	99.71%	2	0.29%
आ.का. (आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा)	7962	4379	55.00%	3583	3412	95.23%	171	4.77%
चेन्नै	2249	1261	56.07%	988	880	89.07%	108	10.93%
कोयम्बतूर	3239	2108	65.08%	1131	1103	97.52%	28	2.48%
मद्रुरै	1615	793	49.10%	822	789	95.99%	33	4.01%
तांवरम	981	482	49.13%	499	494	99.00%	5	1.00%
तिरुवनंतपुरम	2543	1384	54.42%	1159	1091	94.13%	68	5.87%
आ.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	10627	6028	56.72%	4599	4357	94.74%	242	5.26%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	999	509	50.95%	490	486	99.18%	4	0.82%
जलपाईगुड़ी	2819	1315	46.65%	1504	1477	98.20%	27	1.80%
कोलकाता	3119	1089	34.92%	2030	2023	99.66%	7	0.34%
रांची	506	209	41.30%	297	297	100.00%	0	0.00%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	7443	3122	41.95%	4321	4283	99.12%	38	0.88%
अखिल भारतीय	57099	27791	48.67%	29308	28441	97.04%	867	2.96%

APPENDIX A-4(vi)

Settlement of Employees' Deposit Linked Insurance Claims (Unexempted Sector)								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Returned/ Rejected Ratio	Net Workload	Claims Settled	Settlement Ratio on Net Workload	Claims Pending as on 31.03.2014	Pendency Ratio on Net Workload
Dehradun	905	525	58.01%	380	374	98.42%	6	1.58%
Delhi (North)	1422	573	40.30%	849	837	98.59%	12	1.41%
Delhi (South)	1021	526	51.52%	495	474	95.76%	21	4.24%
ZO (DL & UK)	3348	1624	48.51%	1724	1685	97.74%	39	2.26%
Chandigarh	647	225	34.78%	422	416	98.58%	6	1.42%
Ludhiana	771	257	33.33%	514	511	99.42%	3	0.58%
Shimla	690	433	62.75%	257	239	93.00%	18	7.00%
ZO (PN & HP)	2108	915	43.41%	1193	1166	97.74%	27	2.26%
Kanpur	1768	705	39.88%	1063	1052	98.97%	11	1.03%
Meerut	1218	591	48.52%	627	613	97.77%	14	2.23%
Patna	643	323	50.23%	320	317	99.06%	3	0.94%
ZO (UP & BR)	3629	1619	44.61%	2010	1982	98.61%	28	1.39%
Faridabad	840	401	47.74%	439	439	100.00%	0	0.00%
Gurgaon	701	318	45.36%	383	379	98.96%	4	1.04%
Jaipur	1150	632	54.96%	518	518	100.00%	0	0.00%
ZO (HR & RJ)	2691	1351	50.20%	1340	1336	99.70%	4	0.30%
Ahmedabad	1075	323	30.05%	752	747	99.34%	5	0.66%
Baroda	409	107	26.16%	302	294	97.35%	8	2.65%
Indore	1084	349	32.20%	735	733	99.73%	2	0.27%
Surat	535	113	21.12%	422	422	100.00%	0	0.00%
ZO (GJ & MP)	3103	892	28.75%	2211	2196	99.32%	15	0.68%
Kandivili	2032	1040	51.18%	992	945	95.26%	47	4.74%
Mumbai-I Bandra	2308	1067	46.23%	1241	1115	89.85%	126	10.15%
Mumbai-II Thane	1711	710	41.50%	1001	970	96.90%	31	3.10%
Nagpur	1413	654	46.28%	759	759	100.00%	0	0.00%
Pune	2748	1439	52.37%	1309	1290	98.55%	19	1.45%
Raipur	606	313	51.65%	293	293	100.00%	0	0.00%
ZO (MH & CG)	10818	5223	48.28%	5595	5372	96.01%	223	3.99%
Bangalore	1385	737	53.21%	648	609	93.98%	39	6.02%
Gulbarga	1101	502	45.59%	599	580	96.83%	19	3.17%
Mangalore	1393	627	45.01%	766	759	99.09%	7	0.91%
Panaji	285	146	51.23%	139	136	97.84%	3	2.16%
Peenya	1206	626	51.91%	580	568	97.93%	12	2.07%
ZO (KN & Goa)	5370	2638	49.12%	2732	2652	97.07%	80	2.93%
Bhubaneswar	1634	993	60.77%	641	598	93.29%	43	6.71%
Guntur	2463	1229	49.90%	1234	1199	97.16%	35	2.84%
Hyderabad	2621	1597	60.93%	1024	933	91.11%	91	8.89%
Nizamabad	1244	560	45.02%	684	682	99.71%	2	0.29%
ZO (AP & OR)	7962	4379	55.00%	3583	3412	95.23%	171	4.77%
Chennai	2249	1261	56.07%	988	880	89.07%	108	10.93%
Coimbatore	3239	2108	65.08%	1131	1103	97.52%	28	2.48%
Madurai	1615	793	49.10%	822	789	95.99%	33	4.01%
Tambaram	981	482	49.13%	499	494	99.00%	5	1.00%
Thiruvananthapuram	2543	1384	54.42%	1159	1091	94.13%	68	5.87%
ZO (TN & KR)	10627	6028	56.72%	4599	4357	94.74%	242	5.26%
Guwahati (NER)	999	509	50.95%	490	486	99.18%	4	0.82%
Jalpaiguri	2819	1315	46.65%	1504	1477	98.20%	27	1.80%
Kolkata	3119	1089	34.92%	2030	2023	99.66%	7	0.34%
Ranchi	506	209	41.30%	297	297	100.00%	0	0.00%
ZO (WB, NER & JH)	7443	3122	41.95%	4321	4283	99.12%	38	0.88%
All INDIA	57099	27791	48.67%	29308	28441	97.04%	867	2.96%

31.03.2014 को सभी दावों के निपटान की स्थिति

क्षेत्र	कार्यभार	लौटाए गए / निरस्त	निवल कार्यभार	दावों का निपटान				31.03.2014 को अंत शेष
				30 दिनों के भीतर	कुल निपटाए गए दावों पर 30 दिन के भीतर निपटान का प्रतिशत	30 दिनों के बाद	कुल निपटाए गए दावे	
देहरादून	199993	42277	157716	155048	99.99%	20	155068	2648
दिल्ली (उत्तर)	506511	82434	424077	418658	99.60%	1700	420358	3719
दिल्ली (दक्षिण)	548235	114017	434218	425806	99.61%	1663	427469	6749
आं.का. (दिल्ली एवं उत्तराखंड)	1254739	238728	1016011	999512	99.66%	3383	1002895	13116
चंडीगढ़	271440	43350	228090	224363	99.60%	896	225259	2831
लुधियाना	251319	31334	219985	219347	100.00%	9	219356	629
शिमला	126618	26061	100557	98108	99.01%	982	99090	1467
आं.का. (पंजाब एवं हि. प्रदेश)	649377	100745	548632	541818	99.65%	1887	543705	4927
कानपुर	251102	45607	205495	202498	99.37%	1291	203789	1706
मेरठ	425089	70181	354908	354347	99.98%	79	354426	482
पटना	63847	12335	51512	49186	95.84%	2136	51322	190
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	740038	128123	611915	606031	99.42%	3506	609537	2378
फरीदाबाद	409706	73890	335816	334753	99.87%	428	335181	635
गुडगांव	625758	126149	499609	478969	97.92%	10182	489151	10458
जयपुर	338838	72235	266603	265923	99.83%	440	266363	240
आं.का. (हरियाणा एवं	1374302	272274	1102028	1079645	98.99%	11050	1090695	11333
अहमदाबाद	450471	68924	381547	379252	99.89%	410	379662	1885
बड़ौदा	170164	28258	141906	140438	100.00%	0	140438	1468
इंदौर	337811	49287	288524	288095	99.99%	33	288128	396
सुरत	282476	31643	250833	250717	99.98%	60	250777	56
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1240922	178112	1062810	1058502	99.95%	503	1059005	3805
काठिवली	670961	151796	519165	498545	98.47%	7754	506299	12866
मुंबई-I बांद्रा	894410	184792	709618	544448	81.80%	121150	665598	44020
मुंबई-II थाणे	528603	88130	440473	431394	99.18%	3579	434973	5500
नागपुर	266274	44243	222031	221665	99.99%	14	221679	352
पुणे	808693	161893	646800	637995	99.39%	3892	641887	4913
रायपुर	104714	18456	86258	86022	100.00%	0	86022	236
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	3273655	649310	2624345	2420069	94.66%	136389	2556458	67887
बंगलौर	626316	128389	497927	462814	96.34%	17602	480416	17511
गुलबर्गा	137983	25212	112771	109639	97.87%	2385	112024	747
मंगलौर	261678	39902	221776	218749	99.69%	672	219421	2355
पणजी	88175	13542	74633	73125	99.32%	500	73625	1008
पीण्या	937840	167528	770312	754806	99.73%	2048	756854	13458
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2051992	374573	1677419	1619133	98.59%	23207	1642340	37059
भुवनेश्वर	237495	49147	188348	177818	97.17%	5181	182999	5349
गुन्डूर	358600	67993	290607	279106	98.02%	5633	284739	5868
हैदराबाद	756324	151924	604400	565094	97.32%	15564	580658	23742
निजामाबाद	103049	16965	86084	85462	99.73%	235	85697	387
आं.का. (आंध्र प्रदेश एवं	1455468	286029	1169439	1107480	97.65%	26613	1134093	35346
चेन्नै	824679	164204	660475	609813	96.11%	24702	634515	25960
कोयम्बतूर	536839	115957	420882	414660	99.77%	970	415630	5252
मद्रास	336512	48747	287765	277642	99.94%	172	277814	9951
तांबरम	315704	55027	260677	258451	99.99%	31	258482	2195
तिरुवनंतपुरम	388767	70339	318428	305054	99.10%	2770	307824	10604
आं.का. (तमिलनाडु एवं केरल)	2402501	454274	1948227	1865620	98.49%	28645	1894265	53962
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	71590	14476	57114	55543	97.46%	1446	56989	125
जलपाईगुड़ी	305445	42002	263443	204431	78.83%	54885	259316	4127
कोलकाता	414476	57764	356712	342699	96.24%	13392	356091	621
रांची	157228	26390	130838	130197	99.65%	453	130650	188
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं	948739	140632	808107	732870	91.26%	70176	803046	5061
अखिल भारतीय	15391733	2822800	12568933	12030680	97.52%	305359	12336039	232894

APPENDIX A-4(vii)

Settlement of all Claims as on 31.03.2014								
Region	Workload	Returned/ Rejected	Net Workload	Claims Settlement				Closing Balance as on 31.03.2014
				Within 30 days	% within 30 days on Total claims settled	Beyond 30 days	Total Claims Settled	
Dehradun	199993	42277	157716	155048	99.99%	20	155068	2648
Delhi (North)	506511	82434	424077	418658	99.60%	1700	420358	3719
Delhi (South)	548235	114017	434218	425806	99.61%	1663	427469	6749
ZO (DL & UK)	1254739	238728	1016011	999512	99.66%	3383	1002895	13116
Chandigarh	271440	43350	228090	224363	99.60%	896	225259	2831
Ludhiana	251319	31334	219985	219347	100.00%	9	219356	629
Shimla	126618	26061	100557	98108	99.01%	982	99090	1467
ZO (PN & HP)	649377	100745	548632	541818	99.65%	1887	543705	4927
Kanpur	251102	45607	205495	202498	99.37%	1291	203789	1706
Meerut	425089	70181	354908	354347	99.98%	79	354426	482
Patna	63847	12335	51512	49186	95.84%	2136	51322	190
ZO (UP & BR)	740038	128123	611915	606031	99.42%	3506	609537	2378
Faridabad	409706	73890	335816	334753	99.87%	428	335181	635
Gurgaon	625758	126149	499609	478969	97.92%	10182	489151	10458
Jaipur	338838	72235	266603	265923	99.83%	440	266363	240
ZO (HR & RJ)	1374302	272274	1102028	1079645	98.99%	11050	1090695	11333
Ahmedabad	450471	68924	381547	379252	99.89%	410	379662	1885
Baroda	170164	28258	141906	140438	100.00%	0	140438	1468
Indore	337811	49287	288524	288095	99.99%	33	288128	396
Surat	282476	31643	250833	250717	99.98%	60	250777	56
ZO (GJ & MP)	1240922	178112	1062810	1058502	99.95%	503	1059005	3805
Kandivili	670961	151796	519165	498545	98.47%	7754	506299	12866
Mumbai-I Bandra	894410	184792	709618	544448	81.80%	121150	665598	44020
Mumbai-II Thane	528603	88130	440473	431394	99.18%	3579	434973	5500
Nagpur	266274	44243	222031	221665	99.99%	14	221679	352
Pune	808693	161893	646800	637995	99.39%	3892	641887	4913
Raipur	104714	18456	86258	86022	100.00%	0	86022	236
ZO (MH & CG)	3273655	649310	2624345	2420069	94.66%	136389	2556458	67887
Bangalore	626316	128389	497927	462814	96.34%	17602	480416	17511
Gulbarga	137983	25212	112771	109639	97.87%	2385	112024	747
Mangalore	261678	39902	221776	218749	99.69%	672	219421	2355
Panaji	88175	13542	74633	73125	99.32%	500	73625	1008
Peenya	937840	167528	770312	754806	99.73%	2048	756854	13458
ZO (KN & Goa)	2051992	374573	1677419	1619133	98.59%	23207	1642340	35079
Bhubaneshwar	237495	49147	188348	177818	97.17%	5181	182999	5349
Guntur	358600	67993	290607	279106	98.02%	5633	284739	5868
Hyderabad	756324	151924	604400	565094	97.32%	15564	580658	23742
Nizamabad	103049	16965	86084	85462	99.73%	235	85697	387
ZO (AP & OR)	1455468	286029	1169439	1107480	97.65%	26613	1134093	35346
Chennai	824679	164204	660475	609813	96.11%	24702	634515	25960
Coimbatore	536839	115957	420882	414660	99.77%	970	415630	5252
Madurai	336512	48747	287765	277642	99.94%	172	277814	9951
Tambaram	315704	55027	260677	258451	99.99%	31	258482	2195
Thiruvananthapuram	388767	70339	318428	305054	99.10%	2770	307824	10604
ZO (TN & KR)	2402501	454274	1948227	1865620	98.49%	28645	1894265	53962
Guwahati (NER)	71590	14476	57114	55543	97.46%	1446	56989	125
Jalpaiguri	305445	42002	263443	204431	78.83%	54885	259316	4127
Kolkata	414476	57764	356712	342699	96.24%	13392	356091	621
Ranchi	157228	26390	130838	130197	99.65%	453	130650	188
ZO (WB, NER & JH)	948739	140632	808107	732870	91.26%	70176	803046	5061
All INDIA	15391733	2822800	12568933	12030680	97.52%	305359	12336039	232894

क.पें.यो.,1995 के संबंध में किए गए मूल्यांकनों का सारांश				
मूल्यांकन	मूल्यांकन की अवधि	मूल्यांकक का नाम	रिपोर्ट देने की तिथि	अधिशेष/घाटा (करोड़ में)
1 ^{ला}	16.11.1995 से 15.11.1996	श्री भूदेव चटर्जी	30.04.1998	1689
2 ^{सरा}	16.11.1996 से 31.03.1998		30.03.1999	1239
3 ^{सरा}	01.04.1998 से 31.03.1999		04.01.2001	732
4 ^{था}	01.04.1999 से 31.03.2000		20.08.2001	70
5 ^{वां}	01.04.2000 से 31.03.2001	मै. के.ए. पंडित	नवंबर, 2003	-43
6 ^{वां}	01.04.2001 से 31.03.2002		नवंबर, 2003	-17136
7 ^{वां}	01.04.2002 से 31.03.2003		12.08.2004	-19291
8 ^{वां}	01.04.2003 से 31.03.2004		25.4.2005	-22021
9 ^{वां} और 10 ^{वां} (संयुक्त)	01.04.2004 से 31.03.2006	श्री पी.ए. बालसुबमण्यम	05.05.2009	-22659
11 ^{वां} मूल्यांकन	01.04.2006 से 31.03.2007		14.10.2011	-41119
12 ^{वां} मूल्यांकन	01.04.2007 से 31.03.2008		17.08.2012	-54203
13 ^{वां} मूल्यांकन	01.04.2008 से 31.03.2009		25.02.2013	-61,608

APPENDIX A-5 (i)

Gist of the valuation exercises, in respect of EPS,1995				
Valuation	Period of Valuation	Name of the Valuer	Date of Submission of report	Surplus/ deficit (in crores)
1 st	16.11.1995 to 15.11.1996	Sh.Bhudev Chatterjee	30.04.1998	1689
2 nd	16.11.1996 to 31.03.1998		30.03.1999	1239
3 rd	01.04.1998 to 31.03.1999		04.01.2001	732
4 th	01.04.1999 to 31.03.2000		20.08.2001	70
5 th	01.04.2000 to 31.03.2001	M/s. K.A.Pandit	November, 2003	-43
6 th	01.04.2001 to 31.03.2002		November, 2003	-17136
7 th	01.04.2002 to 31.03.2003		12.08.2004	-19291
8 th	01.04.2003 to 31.03.2004		25.4.2005	-22021
9 th & 10 th (combined)	01.04.2004 to 31.03.2006	Sh. P.A. Balasubramanian	05.05.2009	-22659
11 th Valuation	01.04.2006 to 31.03.2007		14.10.2011	-41119
12 th Valuation	01.04.2007 to 31.03.2008		17.08.2012	-54203
13 th Valuation	01.04.2008 to 31.03.2009		25.02.2013	-61,608

14 ^{वां} से 16 ^{वां} मूल्यांकन	01.04.2009 से 31.03.2012	मै. के.ए. पंडित, परामर्शदाता तथा बीमांकक	नियुक्त मूल्यांकक द्वारा 14 ^{वां} , 15 ^{वां} और 16 ^{वां} (संयुक्त) मूल्यांकन रिपोर्ट 31.03.2012 को सौंपी गई और इसे केन्द्र सरकार को भेज दिया गया ।
17 ^{वां} मूल्यांकन	01.04.2012 to 31.03.2013		31.03.2013 तक की कर्मचारी पेंशन निधि का 17 ^{वां} मूल्यांकन अभी चल रहा है ।
18 ^{वां} मूल्यांकन	31.03.2014 के लिए कर्मचारी पेंशन निधि का 18 ^{वां} मूल्यांकन करने हेतु मूल्यांकक नियुक्त करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है ।		



14 th to 16 th Valuation	01.04.2009 to 31.03.2012	M/s K.A. Pandit. Consultants & Actuaries	14 th , 15 th & 16 th (combined) Valuation Report as on 31.03.2012 has been submitted by the appointed Valuer and has been forwarded to the Central Government.
17 th Valuation	01.04.2012 to 31.03.2013		17 th Valuation of Employees' Pension Fund as on 31.03.2013 is currently under process.
18 th Valuation	Central Government has been requested to appoint Valuer for 18 th Valuation of Employees' Pension Fund as on 31.03.2014.		



मूल्यांकनों की सिफारिशें	
मूल्यांकन	सिफारिशें
1 ^{ला}	मूल्यांकक ने 4% पेंशन राहत की सिफारिश की ।
2 ^{सरा}	- मूल्यांकक ने 4% पेंशन राहत के साथ आधिक्य अवधि के लिए अनुपातिक वृद्धि सिफारिश की । 5.5% की दर से राहत घोषित की गई ।
3 ^{सरा}	4% पेंशन राहत की सिफारिश की । - न्यूनतम 450/- रु. प्रतिमाह की दर से विधवा पेंशन, 150/- रु. प्रतिमाह की दर से बाल पेंशन तथा 250/- रु. प्रतिमाह की दर से अनाथ पेंशन की सिफारिश की गई ।
4 ^{था}	4% पेंशन राहत की सिफारिश की । - ब्याज दर घटाने हेतु प्रत्याहरण लाभ के लिए संराशिकरण मूल्य, आर.ओ.सी. मूल्य घटाने पर नोट दिया गया ।
5 ^{वां}	- सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 58 से 60 वर्ष कर दी जाए । - तालिका बी और डी को संशोधित किया जाए । - समयपूर्व पेंशन के मामलों में कमी की दर को 3% से 5% तक बढ़ाया जाए । - रिटर्न बढ़ाने के लिए निवेश का उदार पैटर्न अपनाया जाए । स्कीम के अंतर्गत प्रत्याहरण को नियंत्रित किया जाए ।
6 ^{वां}	
7 ^{वां}	
8 ^{वां}	
9 ^{वां} और 10 ^{वां} (संयुक्त)	- वर्तमान अंशदान की दर 9.49% अपर्याप्त है और इसे 11.75% तक संशोधित किए जाने की आवश्यकता है । - अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 किया जाए ।

Recommendations of the Valuers	
Valuation	Recommendations
1 st	Valuer recommended 4% pension relief.
2 nd	- Valuer recommended pension relief of 4% plus proportionate increase for excess period. - Relief declared @ 5.5% .
3 rd	- Recommended pension relief of 4%. - Recommended minimum widow pension @ Rs. 450/-p.m. minimum children pension @ 150/- p.m. and minimum orphan pension @ Rs. 250/- p.m.
4 th	- Recommended pension relief of 4%. - Commuted value, ROC Value, Table for withdrawal benefits to be reduced taking note of reducing interest rates.
5 th	- The retirement age for member may be increased from 58 to 60 years. - To revise Table B and D. - Increase in reduction rate from 3% to 5% in early pension cases. - Liberal pattern of investment may be allowed to increase the return. - Withdrawal under the scheme need to be controlled.
6 th	
7 th	
8 th	
9 th &10 th (combined)	- The current contribution rate of 9.49% of salary is inadequate and will require revision upwards to 11.75%. - Raising the superannuation age to 60 years from 58 years.
11 th Valuation	- Make one time lump sum contribution of Rs. 41120 crores to the Pension Fund to make good the deficit; or - Revise the rate of contribution to 13% for the existing members so that the deficit is met by higher future contribution' or - Achieve higher return on investment of not less than 9% p.a. over the future combined with increase in contribution rate (for existing members) of not less than 1%. - Raising the superannuation age to 60 years from 58 years. - Increase in wage ceiling limit should be done after actuarial investigation of financial position of the scheme. - Review of Investment strategy of Employees' Pension Fund

11 ^{वां} मूल्यांकन	• घाटे को पूरा करने के लिए पेंशन निधि में एकमुश्त 41120 करोड़ रु. का अंशदान किया जाए ; अथवा • वर्तमान सदस्यों के लिए अंशदान की दर 13% रखी जाए ताकि घाटे को पूरा करने के लिए भविष्य में उच्च अंशदान प्राप्त हो । अथवा • निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए यह भविष्य में 9% प्रतिवर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही अंशदान दर में वृद्धि भी 1% से कम नहीं होनी चाहिए (वर्तमान सदस्यों के लिए) • अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 किया जाए । • योजना की वित्तीय स्थिति की बीमांकक समीक्षा के बाद वेतन सीमा में वृद्धि की जाए । • कर्मचारी पेंशन निधि की निवेश युक्ति की समीक्षा की जाए ।
12 ^{वां} मूल्यांकन	• घाटे को पूरा करने के लिए पेंशन निधि में एकमुश्त 54203 करोड़ रु. का अंशदान किया जाए ; अथवा • वर्तमान सदस्यों के लिए अंशदान की दर 14.5% रखी जाए ताकि घाटे को पूरा करने के लिए भविष्य में उच्च अंशदान प्राप्त हो । अथवा • निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए यह भविष्य में 9% प्रतिवर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही अंशदान दर में वृद्धि भी 2% से कम नहीं होनी चाहिए (वर्तमान सदस्यों के लिए) • अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 किया जाए । • योजना की वित्तीय स्थिति की बीमांकक समीक्षा के बाद वेतन सीमा में वृद्धि की जाए । • कर्मचारी पेंशन निधि की निवेश युक्ति की समीक्षा की जाए ।
13 ^{वां} मूल्यांकन	• घाटे को पूरा करने के लिए पेंशन निधि में एकमुश्त 61,608 करोड़ रु. का अंशदान किया जाए ; अथवा • वर्तमान सदस्यों के लिए अंशदान की दर 14.5% रखी जाए ताकि घाटे को पूरा करने के लिए भविष्य में उच्च अंशदान प्राप्त हो । अथवा • निवेश पर बेहतर रिटर्न प्राप्त करने के लिए यह भविष्य में 9% प्रतिवर्ष से कम नहीं होनी चाहिए साथ ही अंशदान दर में वृद्धि भी 3% से कम नहीं होनी चाहिए (वर्तमान सदस्यों के लिए) • अधिवर्षिता की आयु को 58 से बढ़ाकर 60 किया जाए । • योजना की वित्तीय स्थिति की बीमांकक समीक्षा के बाद वेतन सीमा में वृद्धि की जाए । • कर्मचारी पेंशन निधि की निवेश युक्ति की समीक्षा की जाए ।

12 th Valuation	• Make one time lump sum contribution of Rs. 54203 crores to the Pension Fund to make good the deficit; or • Revise the rate of contribution to 14.5% for the existing members so that the deficit is met by higher future contribution' or • Achieve higher return on investment of not less than 9% p.a. over the future combined with increase in contribution rate (for existing members) of not less than 2%. • Raising the superannuation age to 60 years from 58 years. • Increase in wage ceiling limit should be done after actuarial investigation of financial position of the scheme. • Review of Investment strategy of Employees' Pension Fund
13 th Valuation	• Make one time lump sum contribution of Rs. 61,608 crores to the Pension Fund to make good the deficit; or • Revise the rate of contribution upwards to 14.5% for the existing members so that the deficit is met by higher future contribution' or • Achieve higher return on investment of not less than 9% p.a. over the future combined with increase in contribution rate (for existing members) of not less than 3%. • Raising the superannuation age to 60 years from 58 years. • Increase in wage ceiling limit should be done after actuarial investigation of financial position of the scheme. • Review of Investment strategy of Employees' Pension Fund

दो समीक्षाओं की सिफारिशें तथा परिणाम			
पुनर्मूल्यांकन	मूल्यांकन की अवधि	पैनल के बीमांकक का नाम	रिपोर्ट देने की तिथि
1 ^{ला}	16.11.1995 से 15.11.1996	श्री देवब्रत बासु तथा श्री लियाकत खान	31.08.1998
2 ^{सरा}	01.04.1999 से 31.03.2000	श्री एन.आर. कपाडिया तथा श्री आर. रामाकृष्णन	08.10.2003

पुनर्मूल्यांकन	सिफारिशें
1 ^{ला}	• पेंशन राहत की अवधारणा से सहमत नहीं । • यद्यपि लाभों को 4% की दर से बढ़ाने पर सहमत लेकिन इसके बावजूद भविष्य की प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने के लिए कम वृद्धि पर सहमति । • अधिकतम लाभ सृजित करने के लिए लोक-लेखों में लाभ को बढ़ाने की सिफारिश की गई । • यह स्पष्ट सिफारिश की गई कि लाभों की वृद्धि आकस्मिक अधिशेष में से होनी चाहिए ।
2 ^{सरा}	• पेंशन राहत की आवश्यकता महसूस की गई । • ऐसी टिप्पणी की गई कि 4% की वृद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती । • सिफारिश की गई कि निधि के लिए वेतन सीमा में वृद्धि से जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। तब तक वेतन सीमा को स्थिर रखा जाए । • सिफारिश की गई कि पेंशन योग्य वेतन की गणना पिछले 60 महीनों के औसत वेतन अथवा सेवा के पिछले 36 महीनों के वेतन के आधार पर की जाए । • सिफारिश की गई कि कमी का घटक (घटी हुई पेंशन के लिए) 5% प्रतिवर्ष से कम नहीं होना चाहिए ।

APPENDIX A-5 (iii)

Result and the Recommendations of the two reviews			
Revaluation	Period of Valuation	Names of the Actuaries in the Panel	Date of submission of report
1st	16.11.1995 to 15.11.1996	Sh. Debabrata Basu & Sh. Liyaquat Khan	31.08.1998
2nd	01.04.1999 to 31.03.2000	Sh. N.R. Kapadia & Sh. R. Ramakrishnan	08.10.2003

Revaluation	Recommendations
1st	• Did not agree with the concept of pension relief. • Though agreed to enhancement of benefits @ 4% showed favour to slightly lesser increase so as to provide for margin for future adverse experience. • Recommended outgo of benefits from Public Account as to maximize yield. • Clearly recommended that any enhancement of benefit should be out of emergent surplus only.
2nd	• Reported need for bringing down the pension relief. • Commented that granting of increase of 4% cannot even be imagined. • Recommended putting in place a viable system of funding additional liability arising out of increase in wage ceiling. Till then future wage ceiling to be frozen. • Recommended Pensionable Salary to be defined as the average salary of the last 60 months of salary or last 36 months of salary of the service. • Recommended increase in reduction factor (for reduced pension) to not less than 5% per annum.

31.03.2014 को क्षेत्रीय समितियों (कर्मचारी भविष्य निधि) की स्थिति					
क्र.सं.	क्षेत्रीय समिति	गजट में पिछली अधिसूचना की तिथि	तीन वर्ष की सामान्य अवधि पूर्ण होने की तिथि	वर्तमान स्थिति / पुनर्गठन की स्थिति	वर्ष के दौरान हुई कुल बैठकों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	27.02.2012	26.02.2015	गठित है	02
2.	असम	16.03.2013	15.03.2016	गठित है	शून्य
3.	बिहार	04.02.2011	03.02.2014	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला बिहार सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	01
4.	छत्तीसगढ़	29.03.2014	28.03.2017	गठित है	01
5.	दिल्ली	11.11.2012	09.10.2015	गठित है	01
6.	गोवा	10.11.2010	09.11.2013	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला गोवा सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	शून्य
7.	गुजरात	04.02.2011	03.02.2014	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला गुजरात सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
8.	हरियाणा	23.01.2014	22.01.2017	गठित है	02
9.	हिमाचल प्रदेश	14.10.2011	13.10.2014	गठित है	01
10.	झारखंड	30.03.2011	29.03.2014	पुनर्गठन का मामला झारखंड सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	शून्य
11.	कर्नाटक	09.11.2012	08.11.2015	गठित है	02
12.	केरल	23.01.2014	22.01.2017	गठित है	01
13.	मध्य प्रदेश	04.09.2008	03.09.2011	वर्ष के दौरान पुनर्गठन का मामला मध्य प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02
14.	महाराष्ट्र	15.12.2010	14.12.2013	पुनर्गठन का मामला महाराष्ट्र सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	01
15.	ओड़ीशा	04.02.2011	03.02.2014	पुनर्गठन का मामला ओड़ीशा सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है।	02

APPENDIX A-6

Status of Regional Committees (Employees' Provident Fund) as on 31.03.2014					
Sl. No.	Regional Committee	Date of Last Notification in the Gazette	Date of Completion of the Normal tenure of three years	Present Status / Stage of Reconstitution	Total No. of Meetings held during the year
1.	Andhra Pradesh	27.02.2012	26.02.2015	In Existence.	02
2.	Assam	16.03.2013	15.03.2016	In Existence.	Nil
3.	Bihar	04.02.2011	03.02.2014	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Bihar and their response is awaited.	01
4.	Chhattisgarh	29.03.2014	28.03.2017	In Existence.	01
5.	Delhi	11.11.2012	09.10.2015	In Existence.	01
6.	Goa	10.11.2010	09.11.2013	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Goa and their response is awaited.	Nil
7.	Gujarat	04.02.2011	03.02.2014	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Gujarat and their response is awaited.	02
8.	Haryana	23.01.2014	22.01.2017	In Existence.	02
9.	Himachal Pradesh	14.10.2011	13.10.2014	In Existence.	01
10.	Jharkhand	30.03.2011	29.03.2014	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Jharkhand and their response is awaited.	Nil
11.	Karnataka	09.11.2012	08.11.2015	In Existence.	02
12.	Kerala	23.01.2014	22.01.2017	In Existence.	01
13.	Madhya Pradesh	04.09.2008	03.09.2011	During the year matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Madhya Pradesh and their response is awaited.	02
14.	Maharashtra	15.12.2010	14.12.2013	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Maharashtra and their response is awaited.	01
15.	Odisha	04.02.2011	03.02.2014	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Odisha and their response is awaited.	02

16.	पुदुचेरी (संघ राज्य)	31.03.2008	04.06.2011	वर्ष के दौरान मामले को संघ राज्य पुदुचेरी के साथ नए नामांकनों के लिए उठाया गया था तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन तथा अधिसूचित करने के लिए ये प्राप्त हो चुके हैं ।	02
17.	पंजाब	08.02.2012	07.02.2016	गठित है	02
18.	राजस्थान	27.02.2012	26.02.2015	गठित है	02
19.	तमिलनाडु	08.02.2013	07.02.2016	गठित है	02
20.	त्रिपुरा	27.02.2012	26.02.2015	गठित है	01
21.	उत्तराखंड	29.03.2014	28.03.2017	समिति का गठन वर्ष 2013-14 में अधिसूचित किया गया है ।	01
22.	उत्तर प्रदेश	04.02.2011	03.02.2014	पुनर्गठन का मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया है। उनका उत्तर प्रतीक्षित है ।	02
23.	पश्चिम बंगाल	01.04.2013	31.03.2016	गठित है	02



16.	Puducherry (UT)	31.03.2008	04.06.2011	During the year matter was taken up with Union Territory Puducherry for fresh nominations and same have been received for further approval of competent authority and its notification.	02
17.	Punjab	08.02.2012	07.02.2016	In Existence.	02
18.	Rajasthan	27.02.2012	26.02.2015	In Existence.	02
19.	Tamil Nadu	08.02.2013	07.02.2016	In Existence.	02
20.	Tripura	27.02.2012	26.02.2015	In Existence.	01
21.	Uttarakhand	29.03.2014	28.03.2017	Constitution of the Committee notified in year 2013-14.	01
22.	Uttar Pradesh	04.02.2011	03.02.2014	Matter for reconstitution has been taken up with the Govt. of Uttar Pradesh and their response is awaited.	02
23.	West Bengal	01.04.2013	31.03.2016	In Existence.	02



**31.03.2014 को क्षेत्रीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जिला कार्यालय तथा
सेवा केन्द्रों की सूची**

क्र.सं.	आंचलिक कार्यालय	राज्य / क्षेत्रीय कार्यालय	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केन्द्र
1.	दिल्ली एवं उत्तराखंड (दिल्ली)	देहरादून (उत्तराखंड)	1. हल्द्वानी		1. हरिद्वार
		दिल्ली (उत्तरी) वजीरपुर			
		दिल्ली (दक्षिणी) द्वारका	1. लक्ष्मी नगर		
2.	पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश (चंडीगढ़)	चंडीगढ़ (पं.)	1. भटिंडा	1. पटियाला 2. मंडी गोबिन्दगढ़ 3. मोगा 4. संगरूर	
		लुधियाना (पं.)	1. अमृतसर 2. जालंधर	1. बटाला 2. फगवाड़ा 3. होशियारपुर	
		शिमला (हि.प्र.)		1. परवानू 2. पोन्टा साहिब 3. पालमपुर 4. कुल्लु	
3.	उत्तर प्रदेश एवं बिहार (कानपुर)	कानपुर (उ.प्र.)	1. लखनऊ 2. वाराणसी 3. बरेली 4. गोरखपुर 5. इलाहाबाद	1. मुरादाबाद	1. गाजियाबाद
		मेरठ (उ.प्र.)	1. नोएडा 2. आगरा	1. मुजफ्फरनगर 2. सहारनपुर 3. अलीगढ़	
		पटना (बि.)	1. मुजफ्फरपुर 2. भागलपुर	1. गया 2. रोहतास 3. दरभंगा 4. कटिहार 5. मुन्गेर	
4.	हरियाणा एवं राजस्थान (फरीदाबाद)	फरीदाबाद (हरि.)	1. करनाल	1. यमुनानगर 2. अंबाला 3. सोनीपत 4. पानीपत	
		गुड़गांव (हरि.)	1. रोहतक	1. हिसार	
		जयपुर (राज.)	1. कोटा 2. उदयपुर 3. जोधपुर	1. अजमेर 2. अलवर 3. भरतपुर 4. झुंझुनु 5. भीलवाड़ा 6. बीकानेर 7. पाली 8. श्रीगंगानगर	

APPENDIX A-7

List of Regional Offices, Sub- Regional Offices, District Offices and Service Centres as on 31.03.2014					
S.No	ZOS	State/RO	SRO	District Office	Service Centre
1.	Delhi & Uttarakhand (DELHI)	Dehradun (Utt.)	1. Haldwani		1. Haridwar
		Delhi (North) Wazirpur			
		Delhi (South) Dwarka	1. Laxmi Nagar		
2.	Punjab & Himachal Pradesh (CHANDIGARH)	Chandigarh (PN)	1. Bathinda	1. Patiala 2. Mandi Gobindgarh 3. Moga 4. Sangrur	
		Ludhiana (PN)	1. Amritsar 2. Jalandhar	1. Batala 2. Phagwara 3. Hoshiarpur	
		Shimla (HP)		1. Parwanoo 2. Paonta Sahib 3. Palampur 4. Kullu	
3.	Uttar Pradesh & Bihar (KANPUR)	Kanpur (UP)	1. Lucknow 2. Varanasi 3. Bareilly 4. Gorakhpur 5. Allahabad	1. Moradabad	1. Ghaziabad
		Meerut(UP)	1. Noida 2. Agra	1. Muzaffar Nagar 2. Saharanpur 3. Aligarh	
		Patna (BR)	1. Muzaffarpur 2. Bhagalpur	1. Gaya 2. Rohtas 3. Darbhanga 4. Katihar 5. Munger	
4.	Haryana & Rajasthan (FARIDABAD)	Faridabad (HR)	1. Karnal	1. Yamunanagar 2. Ambala 3. Sonapat 4. Panipat	
		Gurgaon(HR)	1. Rohtak	1. Hissar	
		Jaipur (RJ)	1. Kota 2. Udaipur 3. Jodhpur	1. Ajmer 2. Alwar 3. Bhartpur 4. Jhunjhunu 5. Bhilwara 6. Bikaner 7. Pali 8. Sriganganagar	

5.	गुजरात एवं मध्य प्रदेश (अहमदाबाद)	अहमदाबाद (गुज.)	1. राजकोट 2. नरौड़ा 3. वटवा	1. महसाना 2. भावनगर 3. नडिआड 4. जामनगर 5. जूनागढ़ 6. गांधीधाम 7. सुरेन्द्रनगर 8. हिम्मतनगर	
		वड़ोदरा (गुज.)			
		इंदौर (म.प्र.)	1. जबलपुर 2. भोपाल 3. उज्जैन 4. ग्वालियर 5. सागर	1. खंडवा 2. धार 3. सतना 4. छिन्दवाड़ा 5. इटारसी 6. रतलाम	
		सूरत (गुज.)	1. वापी 2. भरूच		
6.	महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़	बान्द्रा (महा.)			
		मुंबई-II थाणे (महा.)	1. वाशी		
		कांदिवली (महा.)	1. नासिक	1. जलगांव 2. अहमदनगर	
		नागपुर (महा.)	1. अकोला 2. औरंगाबाद	1. चंद्रपुर 2. अमरावती	
		पुणे (महा.)	1. कोल्हापुर 2. शोलापुर		
		रायपुर (छत्ती.)		1. बिलासपुर	
7.	कर्नाटक एवं गोवा (बंगलौर)	बंगलौर (कर्ना.)	1. राजाराजेश्वरी नगर 2. येलाहान्का		
		मंगलौर (कर्ना.)	1. मैसूर 2. चिकमंगलूर 3. शिमोगा 4. उडुपी	1. मदीकेरी 2. हसन 3. दावणगेरे 4. मांडया	
		गुलबर्गा (कर्ना.)	1. हुबली 2. बेल्लारी 3. रायचूर	1. बीजापुर 2. बागलकोट 3. करवर	
		पणजी (गोवा)			1. मारगोआ
		पीन्या (कर्ना.)	1. बोम्मसान्द्रा 2. के.आर. पुरम (व्हाईटफील्ड) 3. तुमकुर	1. कोलार	
8.	आंध्र प्रदेश एवं ओड़ीशा (हैदराबाद)	भुवनेश्वर (ओड़ी.)	1. राउरकेला 2. ब्रह्मपुर 3. क्यॉंझर	1. कटक 2. बालासोर 3. सम्बलपुर 4. बरबिल 5. रायगढ़	

5.	Gujarat & Madhya Pradesh (AHMEDABAD)	Ahmedabad (GJ)	1. Rajkot 2. Narnoda 3. Vatwa	1. Mehsana 2. Bhavnagar 3. Nadiad 4. Jamnagar 5. Junagadh 6. Gandhidham 7. Surendranagar 8. Himmat Nagar	
		Vadodara (GJ)			
		Indore (MP)	1. Jabalpur 2. Bhopal 3. Ujjain 4. Gwalior 5. Sagar	1. Khandwa 2. Dhar 3. Satna 4. Chhindwara 5. Itarsi 6. Ratlam	
		Surat (GJ)	1. Vapi 2. Bharuch		
6.	Maharashtra & Chhattisgarh	Bandra (MH)			
		Mumbai-II Thane (MH)	1. Vashi		
		Kandivili (MH)	1. Nasik	1. Jalgaon 2. Ahmednagar	
		Nagpur (MH)	1. Akola 2. Aurangabad	1. Chandrapur 2. Amaravati	
		Pune (MH)	1. Kolhapur 2. Solapur		
		Raipur (CHH)		1. Bilaspur	
7.	Karnataka & Goa (BANGALORE)	Bangalore (KN)	1. Rajarajeswari Nagar 2. Yealahanka		
		Mangalore (KN)	1. Mysore 2. Chikmangalur 3. Shimoga 4. Udupi	1. Madikeri 2. Hassan 3. Davanagere 4. Mandya	
		Gulbarga (KN)	1. Hubli 2. Bellary 3. Raichur	1. Bijapur 2. Bagalkot* 3. Karwar	
		Panaji (Goa)			1. Margao
		Peenya (KN)	1. Bommasandra 2. K.R. Puram (Whitefield) 3. Tumkur	1. Kolar	
8.	Andhra Pradesh & Orissa (HYDERABAD)	Bhubaneswar (OR)	1. Rourkela 2. Berhampur 3. Keonjhar	1. Cuttack 2. Balasore 3. Sambalpur 4. Barbil 5. Rayagada	
		Hyderabad (AP)	1. Kukatpally 2. Patancheru 3. Siddipet		1. Nalgonda

		हैदराबाद (आ.प्र.)	1 कुकटपल्ली 2 पट्टनचेरु 3 सिद्दीपेट		1. नलगौंदा
		निजामाबाद (आ.प्र.)	1 करीमनगर 2 वारंगल	1. निर्मल (आदिलाबाद) 2 खम्माम	
		गुंटूर (आ.प्र.)	1. विशाखापट्टनम 2. राजामुंद्री 3. कडप्पा	1. विजयवाड़ा 2. आँगोले (प्रकाशम) 3. विजयनगरम 4. श्रीकाकुलम 5. काकीनाड़ा 6. भीमावरम 7. ऐलूरा 8. कुरनूल 9. नैल्लोर 10. तिरुपति 11. अनंतपुर	
9.	तमिलनाडु एवं केरल (चेन्नै)	चेन्नै (तमिलनाडु)	1. अंबातूर		
		कोयम्बतूर (तमिलनाडु)	1. त्रिची 2. सेलम	1. कन्नूर 2. ऊटी 3. त्रिपूर 4. पोलाची 5. थंजावूर 6. कुम्बाकोणम 7. कुड्डालोर 8. करूर 9. इरोड 10. कृष्णागिरी	
		मदुरै (तमिलनाडु)	1. तिरुनेलवेली 2. नागरकोईल	1. डिंडीगुल 2. शिवाकाशी 3. तूतीकोरिन	
		ताबरम (तमि.)	1. वेल्लूर 2. पुदुचेरी		
		तिरुवनंतपुरम (केरल)	1. कोट्टायम 2. एरणाकुलम 3. कोडुक्कोड 4. कन्नूर 5. कोल्लम	1. मून्नार 2. एलेप्पी 3. त्रिशूर 4. कलपेट्टा 5. पालक्काड	

		Nizamabad(AP)	1. Karimnagar 2. Warangal	1. Niramli (Adilabad) 2. Khammam	
		Guntur (AP)	1. Visakhapatnam 2. Rajahmundry 3. Kadapa	1. Vijaywada 2. Ongole 3. Vizianagaram 4. Srikakulam 5. Kakinada 6. Bhimavaram 7. Elluru 8. Kurnool 9. Nellore 10. Tirupathi 11. Ananthapur	
9.	Tamil Nadu & Kerala (CHENNAI)	Chennai(Tamil Nadu)	1. Ambattur		
		Coimbatore (Tamil Nadu)	1. Trichy 2. Salem	1. Coonoor 2. Ooty 3. Tirupur 4. Pollachi 5. Thanjavur 6. Kumbakonam 7. Cuddalore 8. Karur 9. Erode 10. Krishnagiri	
		Madurai (Tamil Nadu)	1. Tirunelveli 2. Nagercoil	1. Dindigul 2. Sivakasi 3. Tuticorin	
		Tambaram(TN)	1. Vellore 2. Puducherry		
		Thiruvanthapuram (KR)	1. Kottayam 2. Ernakulam 3. Kozhikode 4. Kannur 5. Kollam	1. Munnar 2. Alleppey 3. Trissur 4. Kalpetta 5. Palakkad	

10.	पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं झारखंड (कोलकाता)	गुवाहाटी (पूर्व. क्षे.)	1 तिनसुकिया 2 अगरतला (त्रिपुरा) 3 शिलांग	1 सिलचर 2 तेजपुर 3 बोंगईगांव 4 दीमापुर 5 जोरहाट असम 6 धर्मनगर	1. इम्फाल (मणिपुर) 2.ईटानगर 3.एजवाल (मिजोरम)
		जलपाईगुड़ी (प.बं.)	1 दार्जिलिंग 2 जांगीपुर 3 सिलीगुड़ी	1 अलीपुरद्वार 2 मालबाजार	1. गंगटोक
		कोलकाता (प.बं.)	1 पार्क स्ट्रीट 2 हावड़ा 3 बैरकपुर 4 दुर्गापुर 5 अंडमान (पोर्टब्लेयर)	1 मिदनापुर 2 श्रीरामपुर	
		रांची (झा.)	1. जमशेदपुर	1 कोडरमा 2 बोकारो 3 गिरिडीह 4 धनबाद 5 देवघर 6 साहेबगंज 7 पश्चिम सिंहभूम (चैलबासा)	

* स्वीकृत पर अभी खुलना शेष है ।

क्षेत्रीय कार्यालय	उप क्षेत्रीय कार्यालय	जिला कार्यालय	सेवा केन्द्र
40	82	113	8

10.	West Bengal, North East & Jharkhand (KOLKATA)	Guwahati (NER)	1. Tinsukia 2. Agartala (Tripura) 3. Shillong	1. Silchar 2. Tezpur 3. Bongaigaon 4. Dimapur 5. Jorhat Assam 6. Dharmanagar	1. Imphal (Manipur) 2. Itanagar 3. Aizwal (Mizoram)
		Jalpaiguri (WB)	1. Darjeeling 2. Jangipur 3. Silliguri	1. Alipurduar 2. Malbazar	1. Gangtok
		Kolkata (WB)	1. Park Street 2. Howrah 3. Barrackpore 4. Durgapur 5. Andaman (Port Blair)	1. Midnapur 2. Shrirampur	
		Ranchi (JHA)	1. Jamshedpur	1. Koderma 2. Bokaro 3. Giridih 4. Dhanbad 5. Deoghar 6. Sahebganj 7. West Singhbhum (Chaibasa)	

* sanctioned but yet to be opened.

RO	Sub-RO	Distt. Office	Service Centre
40	82	113	8

परिशिष्ट ए -8 (i)

क्र.सं.	नाटर्स द्वारा वर्ष 2013-2014 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	आयोजित कार्यक्रमों की संख्या
	क्रियात्मक एवं तकनीकी दक्षता	
1.	अनुपालन प्रबंधन	1
2.	स्थापना एवं प्रशासन	1
3.	आई.ओ./पी.ओ. सतर्कता अधिकारी	3
4.	श्रम कानून	1
5.	सामाजिक सुरक्षा तथा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995	3
6.	प्राकृतिक न्याय एवं अर्ध न्यायिक कार्यवाहियां	2
7.	क.भ.नि.सं. में वित्तीय प्रबंधन	2
8.	आरक्षण एवं रोस्टर	1
9.	क.भ.नि. अधिनियम के अंतर्गत छूट	2
10.	क.भ.नि. अधिनियम के अंतर्गत वसूली प्रबंधन	2
	कुल	18
	सामान्य प्रबंधन तथा आत्म विकास	
11.	सुरक्षित सेवानिवृत्ति	2
12.	क.भ.नि. नेपाल हेतु सामान्य प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन	2
13.	संवाद एवं प्रस्तुति दक्षता	1
14.	उन्नत प्रबंधन प्रभाविता	1
15.	नेतृत्व तथा टीम विकास (निर्गामी)	1
16.	जीवन शैली प्रबंधन	1
17.	प्रशिक्षक विकास	1
18.	राजभाषा कार्यान्वयन	1
	कुल	10
	प्रवेश / पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	
19.	नए पदोन्नत क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम	1
	कुल	1
	कर्मचारी भविष्य निधि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर हेतु प्रशिक्षण	
20.	कवरेज प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कार्यान्वयन	1
21.	कंप्यूटरीकरण	2
	कुल	3
	राष्ट्रीय कार्यशालाएं	
22.	छूट एवं अछूट प्राप्त स्थापनाओं हेतु कार्यशाला	2
23.	छूट प्राप्त स्थापनाओं के लिए एक दिन का सेमिनार	1
24.	सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला	2
25.	जेंडर सेंसटाइजेशन पर कार्यशाला	1
	कुल	6

APPENDIX A-8 (i)

Sl.No.	Detail of the Training programmes conducted by the National Academy during 2013-2014	No. of programmes conducted
Functional & Technical Skills		
1.	Compliance Management	1
2.	Establishment & Administration	1
3.	IO/PO/Vigilance Functionaries	3
4.	Labour Laws	1
5.	Social Security & Employees' Pension Scheme, 1995	3
6.	Natural Justice & Quasi Judicial Proceedings	2
7.	Financial Management in EPFO	2
8.	Reservation & Roster	1
9.	Exemption Under EPF Act	2
10.	Recovery Management under EPF Act	2
Total		18
General Management & Self Development		
11.	Coping with Retirement	2
12.	General Management & Customer Relationship Management for the EPF Nepal	2
13.	Communication & Presentation Skills	1
14.	Enhancing Managerial Effectiveness	1
15.	Leadership & Team Building (Outbound)	1
16.	Lifestyle Management	1
17.	Faculty Development	1
18.	Raj Bhasha Implementation	1
Total		10
Induction/Refresher Programmes		
19.	Induction programme for Newly Promoted RPFC –IIs	1
Total		1
TRAINING ON EPF APPLICATION SOFTWARE		
20.	Implementation of Application Software for Issuing Certificate of Coverage	1
21.	Computerization	2
Total		3
NATIONAL WORKSHOPS		
22.	<i>Exempted & Un-Exempted Workshop</i>	2
23.	<i>One day Seminar on Exempted Establishments</i>	1
24.	<i>Workshop on Right to Information Act</i>	2
25.	<i>Workshop on Gender Sensitization</i>	1
Total		6

	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रायोजित कार्यक्रम	
26.	प्रत्यक्ष प्रशिक्षक दक्षता (DTS)	1
27.	प्रशिक्षण का डिजाईन (DoT)	1
28.	प्रयोगात्मक प्रशिक्षु उपकरण (ELT)	1
29.	सुविधा दक्षता (SAT)	1
30.	प्रशिक्षण का प्रणालीबद्ध दृष्टिकोण (SAT)	1
31.	विश्लेषण आधारित प्रशिक्षण (TNA)	1
32.	हितकामी दक्षता	2
33.	प्रशिक्षण मूल्यांकन	1
	कुल	9
	कुल योग	47



	DoP&T SPONSORED PROGRAMMES	
26.	<i>Direct Trainer Skills (DTS)</i>	1
27.	<i>Design of Training (DoT)</i>	1
28.	<i>Experiential Learning Tools (ELT)</i>	1
29.	<i>Facilitation Skills</i>	1
30.	<i>Systematic Approach to Training(SAT)</i>	1
31.	<i>Training need Analysis (TNA)</i>	1
32.	<i>Mentoring Skills</i>	2
33.	<i>Evaluation of Training</i>	1
	Total	9
	GRAND TOTAL	47



परिशिष्ट ए -8 (ii)

भाग-क	वर्ष 2013-14 के दौरान आंचलिक तथा उप आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण		
	आं.प्र.सं. / उप आं.प्र.सं.	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अधिकारियों /कर्मचारियों की संख्या
	उत्तरी अंचल	67	1173
	पूर्वी अंचल	76	1120
	पश्चिमी अंचल	62	1353
	दक्षिणी अंचल	46	1113
	उप आं.प्र.सं., शिलांग	24	118
	कुल	275	4877

भाग-ख	पिछले तीन वर्षों में नाटर्स एवं आं.प्र.सं./ उप आं.प्र.सं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम		
		पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागी अधिकारियों /कर्मचारियों की संख्या
	2011-12	296	4843
	2012-13	302	5289
	2013-14	322	6088

APPENDIX A-8 (ii)

Part - A	Detail of the Training programmes conducted by the ZTIs and sub-ZTI during 2013-14		
	ZTIs/sub- ZTI	Number of Programmes	Number of officials/officer trained
	North Zone	67	1173
	East Zone	76	1120
	West Zone	62	1353
	South Zone	46	1113
	Sub-ZTI Shillong	24	118
	Total	275	4877

Part - B	Training programmes conducted by NATRSS & ZTIs / sub - ZTI during the last three years		
		Number of Courses	Number of officials/ officers trained
	2011-12	296	4843
	2012-13	302	5289
	2013-14	322	6088

विस्तार की तिथि	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
1 नवम्बर, 1952 (1 to 6ए)	1	सीमेंट	1970	50	2020	524563	80338	604901
	2	सिगरेट	130	5	135	25061	5919	30980
	3	ई.एम. एण्ड जी.	82050	429	82479	12712088	874813	13586901
	4	लोहा एवं इस्पात	10837	68	10905	1698492	256580	1955072
	5	कागज	1996	23	2019	401210	37947	439157
	6	वस्त्र	26646	148	26794	3991637	154035	4145672
	6A	जूट	113	58	171	90816	199774	290590
31 जुलाई, 1956 (7 से 19)	7	खाद्य तेल एवं वसा	3702	29	3731	220896	8889	229785
	8	चीनी	3128	42	3170	503271	103592	606863
	9	रबड़ तथा रबड़ उत्पाद	4156	18	4174	900650	20073	920723
	10	विद्युत	4665	141	4806	795988	375007	1170995
	11	चाय	1241	18	1259	592903	5400	598303
	12	मुद्रण	7005	15	7020	389616	13961	403577
	13	स्टोन वेयर पाइप्स	399	1	400	25481	63	25544
	14	सेनिटरी का सामान	529	0	529	80859	0	80859
	15	बिजली के पॉर्सिलेन विद्युत्तरोधक	1044	6	1050	151703	1834	153537
	16	उच्चताप	654	16	670	83883	38977	122860
	17	टाईलें	2910	1	2911	164000	991	164991
	18	दियासलाई	1651	4	1655	256723	3456	260179
	19	कांच	1501	22	1523	176810	13048	189858
30 सितम्बर, 1956 (20 से 23)	20	भारी परिष्कृत रसायन	14660	220	14880	2701726	174555	2876281
	21	नील	145	1	146	34544	0	34544
	22	लाख शलक सहित	56	1	57	3225	1243	4468
	23	अखाद्य वनस्पति तथा पशुओं की वसा एवं तेल	452	0	452	27497	361	27858
31 दिसम्बर, 1956	24	समाचार स्थापनाएं	1102	20	1122	150674	19088	169762
31 जनवरी, 1957	25	खनिज तेल	206	1	207	65552	1280	66832
30 अप्रैल, 1957 (26 से 30ए)	26	चाय बागान	814	9	823	313467	6319	319786
	27	कॉफी बागान	2864	1	2865	129435	1547	130982
	28	रबड़ बागान	442	2	444	60159	146	60305
	29	इलायची बागान	375	0	375	9608	0	9608
	30	काली मिर्च बागान	71	1	72	7088	43	7131
	30A	मिश्रित बागान	22	0	22	2433	0	2433
30 नवम्बर, 1957 (31 से 37)	31	लौह अयस्क की खानें	442	19	461	84846	26174	111020
	32	मैंगनीज़ की खानें	347	12	359	47288	1557	48845
	33	चूने की खानें	650	4	654	29726	459	30185
	34	सोने की खानें	30	3	33	7156	9274	16430
	35	औद्योगिक एवं पावर एल्कोहॉल	117	1	118	16141	58	16199
	36	एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें	152	5	157	21660	517	22177
	37	कॉफी संसाधन स्थापनाएं	156	0	156	23475	0	23475
30 अप्रैल, 1958	38	बिस्कुट उद्योग	1432	3	1435	162557	2227	164784
30 अप्रैल, 1959	39	मोटर परिवहन स्थापनाएं	8531	174	8705	703747	595755	1299502

APPENDIX A-9 (i)

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2014							
	Sl. No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
1st November, 1952 (1 to 6A)	1	Cement	1970	50	2020	524563	80338	604901
	2	Cigarettes	130	5	135	25061	5919	30980
	3	E M & G	82050	429	82479	12712088	874813	13586901
	4	Irons and Steel	10837	68	10905	1698492	256580	1955072
	5	Paper	1996	23	2019	401210	37947	439157
	6	Textiles	26646	148	26794	3991637	154035	4145672
	6A	Jute	113	58	171	90816	199774	290590
31st July, 1956 (7 to 19)	7	Edible Oils and Fats	3702	29	3731	220896	8889	229785
	8	Sugar	3128	42	3170	503271	103592	606863
	9	Rubber and rubber products	4156	18	4174	900650	20073	920723
	10	Electricity	4665	141	4806	795988	375007	1170995
	11	Tea	1241	18	1259	592903	5400	598303
	12	Printing	7005	15	7020	389616	13961	403577
	13	Stone-ware pipes	399	1	400	25481	63	25544
	14	Sanitary Wares	529	0	529	80859	0	80859
	15	Electrical porcelain Insulators	1044	6	1050	151703	1834	153537
	16	Refractories	654	16	670	83883	38977	122860
	17	Tiles	2910	1	2911	164000	991	164991
	18	Matches	1651	4	1655	256723	3456	260179
	19	Glass	1501	22	1523	176810	13048	189858
30th September, 1956 (20 to 23)	20	Heavy and Fine chemicals	14660	220	14880	2701726	174555	2876281
	21	Indigo	145	1	146	34544	0	34544
	22	Lac including shellac	56	1	57	3225	1243	4468
	23	Non-edible veg & animal oils & fats	452	0	452	27497	361	27858
31st Dec., 1956	24	Newspaper ESTTS.	1102	20	1122	150674	19088	169762
31st Jan., 1957	25	Mineral Oil	206	1	207	65552	1280	66832
30th April, 1957 (26 to 30A)	26	Tea plantations	814	9	823	313467	6319	319786
	27	Coffee plantations	2864	1	2865	129435	1547	130982
	28	Rubber plantations	442	2	444	60159	146	60305
	29	Cardamom plantations	375	0	375	9608	0	9608
	30	Pepper plantations	71	1	72	7088	43	7131
	30A	Mixed plantations	22	0	22	2433	0	2433
30th Nov., 1957 (31 to 37)	31	Iron Ore Mines	442	19	461	84846	26174	111020
	32	Manganese Mines	347	12	359	47288	1557	48845
	33	Limestone Mines	650	4	654	29726	459	30185
	34	Gold Mines	30	3	33	7156	9274	16430
	35	Industrial and Power Alcohol	117	1	118	16141	58	16199
	36	Asbestos Cement Sheets	152	5	157	21660	517	22177
	37	Coffee curing ESTTS	156	0	156	23475	0	23475
30th April, 1958	38	Biscuit making industry	1432	3	1435	162557	2227	164784
30th April, 1959	39	Road Motor Transport estt.	8531	174	8705	703747	595755	1299502

विस्तार की तिथि	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 मई, 1960 (40 से 41 तक)	40	अभ्रक उद्योग	386	0	386	14942	0	14942
	41	अभ्रक की खाने	176	1	177	7277	1260	8537
30 जून, 1960 (42 से 43 तक)	42	प्लाईवुड	1938	10	1948	147922	590	148512
	43	मोटर मरम्मत एवं सर्विसिंग	4144	22	4166	485801	25063	510864
31 दिसम्बर, 1960 (44 से 46 तक)	44	चावल मिलें	13020	1	13021	386537	1656	388193
	45	दाल मिलें	883	0	883	46954	0	46954
	46	आटा मिलें	1208	7	1215	84892	819	85711
31 मई, 1961	47	स्टार्च	132	2	134	21213	1580	22793
30 जून, 1961 (48 से 52 तक)	48	होटल	15743	20	15763	1917611	12418	1930029
	49	रेस्तरां	9280	3	9283	751659	594	752253
	50	वे स्थापनाएं जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के भंडारण या लाने ले जाने, वितरण का कार्य करती हैं।	1186	5	1191	67127	5604	72731
	51	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस	764	25	789	88739	53229	141968
	52	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस का शोधन	337	28	365	109649	37699	147348
31 जुलाई, 1961 (53 से 57 तक)	53	सिनेमा (पूर्वदर्शन थिएटर सहित)	7517	9	7526	125100	812	125912
	54	फिल्म निर्माण	306	5	311	32414	0	32414
	55	फिल्म स्टुडियो	312	0	312	33762	0	33762
	56	प्रदर्शित फिल्म संबंधी लेनदेन	186	1	187	12279	0	12279
	57	फिल्म प्रोसेसिंग प्रयोगशाला	393	0	393	65122	0	65122
31 अगस्त, 1961	58	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	5008	6	5014	542162	13334	555496
30 नवम्बर, 1961 (59 से 60 तक)	59	पत्थर के जार	216	0	216	12071	0	12071
	60	क्रॉकरी	665	4	669	37361	350	37711
30 नवम्बर 1960 एवं 31 दिसम्बर, 1961	61	केन फार्म	220	4	224	18577	1352	19929
30 अप्रैल, 1962	62	व्यापार एवं वाणिज्यिक स्थापनाएं	79797	215	80012	8704422	364077	9068499
30 जून, 1962	63	फल एवं सब्जियों का परिरक्षण	1476	7	1483	105884	2857	108741
30 सितम्बर, 1962	64	काजू	2401	0	2401	556723	0	556723
31 अक्टूबर, 1962 (65 से 69 तक)	65	लकड़ी उत्पाद के संसाधन या उपचार में लगी स्थापनाएं	539	1	540	38681	811	39492
	66	आरा मशीन	1079	1	1080	29863	1270	31133
	67	लकड़ी सुखाने वाले भट्टे	70	0	70	8716	0	8716
	68	लकड़ी परिरक्षण संयंत्र	178	0	178	46672	0	46672
	69	लकड़ी के कारखाने	1978	7	1985	182418	1527	183945
31 दिसम्बर, 1962	70	बॉक्साइट की खाने	124	7	131	6699	24296	30995
31 मार्च, 1963	71	कन्फैक्शनरी	1442	4	1446	153069	1443	154512
30 अप्रैल, 1963 (72 से 76 तक)	72	लॉट्री एवं लॉट्री सेवाएं	762	0	762	33136	0	33136
	73	बटन	290	0	290	49140	0	49140
	74	ब्रुश	172	0	172	29758	0	29758
	75	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक का सामान	8566	11	8577	754157	1851	756008
	76	लेखन सामग्री	774	1	775	62267	128	62395
31 मई, 1963 (77 से 79 तक)	77	थिएटर	2537	0	2537	47256	0	47256
	78	सोसायटी, क्लब या संघ	4235	49	4284	256559	8461	265020
	79	मनोरंजन कंपनियां	742	2	744	43155	409	43564

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2014							
	Sl.No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st May, 1960 (40 to 41)	40	Mica Industry	386	0	386	14942	0	14942
	41	Mica Mines	176	1	177	7277	1260	8537
30th June, 1960 (42 to 43)	42	Plywood	1938	10	1948	147922	590	148512
	43	Automobile repair. and servicing	4144	22	4166	485801	25063	510864
31st Dec., 1960 (44 to 46)	44	Rice Milling	13020	1	13021	386537	1656	388193
	45	Dal Milling	883	0	883	46954	0	46954
	46	Flour Milling	1208	7	1215	84892	819	85711
31st May, 1961	47	Starch	132	2	134	21213	1580	22793
30th June, 1961 (48 to 52)	48	Hotels	15743	20	15763	1917611	12418	1930029
	49	Restaurants	9280	3	9283	751659	594	752253
	50	Storage/transport or distribution of petroleum or Natural gas	1186	5	1191	67127	5604	72731
	51	Petroleum or natural gas	764	25	789	88739	53229	141968
	52	Petroleum or natural gas refining	337	28	365	109649	37699	147348
31st July, 1961 (53 to 57)	53	Cinemas (including Preview theaters)	7517	9	7526	125100	812	125912
	54	Film production	306	5	311	32414	0	32414
	55	Film studios	312	0	312	33762	0	33762
	56	Distribution concerns dealing with exposed films	186	1	187	12279	0	12279
	57	Film processing Laboratories	393	0	393	65122	0	65122
31st August, 1961	58	Leather and Leather products	5008	6	5014	542162	13334	555496
30th November, 1961 (59 to 60)	59	Stone-ware Jars	216	0	216	12071	0	12071
	60	Crockery	665	4	669	37361	350	37711
30th Nov. 1960 & 31st Dec., 1961	61	Cane Farm	220	4	224	18577	1352	19929
30th April, 1962	62	Trading and commercial estt.	79797	215	80012	8704422	364077	9068499
30th June, 1962	63	Fruit and vegetable preservation	1476	7	1483	105884	2857	108741
30th Sept., 1962	64	Cashewnuts	2401	0	2401	556723	0	556723
31st October, 1962 (65 to 69)	65	Processing or treatment of wood products	539	1	540	38681	811	39492
	66	Saw mills	1079	1	1080	29863	1270	31133
	67	Wood seasoning kilns	70	0	70	8716	0	8716
	68	Wood preservation plants	178	0	178	46672	0	46672
	69	Wood workshop	1978	7	1985	182418	1527	183945
31st December, 1962	70	Bauxite Mines	124	7	131	6699	24296	30995
31st March, 1963	71	Confectionery	1442	4	1446	153069	1443	154512
30th April, 1963 (72 to 76)	72	Laundry and Laundry services	762	0	762	33136	0	33136
	73	Buttons	290	0	290	49140	0	49140
	74	Brushes	172	0	172	29758	0	29758
	75	Plastic and plastic products	8566	11	8577	754157	1851	756008
	76	Stationery products	774	1	775	62267	128	62395
31st May, 1963 (77 to 79)	77	Theaters	2537	0	2537	47256	0	47256
	78	Societies, clubs or associations	4235	49	4284	256559	8461	265020
	79	Entertainment companies	742	2	744	43155	409	43564

विस्तार की तिथि	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 अगस्त, 1963 (80 से 81 तक)	80	कैन्टीन	2327	7	2334	174481	834	175315
	81	वायु मिश्रित पानी, सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटिड पानी	556	3	559	134349	48	134397
31 अक्टूबर, 1963	82	स्पिरिट का आसवन और परिशोधन	450	9	459	145133	3460	148593
31 जनवरी, 1964 (83 से 84 तक)	83	पेंट और वार्निश	726	17	743	126323	12298	138621
	84	अस्थिचूर्ण	108	0	108	4180	0	4180
30 जून, 1964 (85 से 86 तक)	85	अचार	67	0	67	6493	0	6493
	86	चीनी मिट्टी की खानें	120	0	120	12555	0	12555
31 अक्टूबर, 1964 (87 से 92 तक)	87	एडवॉकेट एक्ट 1965 में परिभाषित अधिवक्ता	61	2	63	2705	72	2777
	88	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट	401	10	411	39894	2654	42548
	89	लागत एवं कार्य एकाउन्टेन्ट्स, लागत की परिभाषा के अंतर्गत	43	0	43	2213	0	2213
	90	इंजीनियरिंग या इंजीनियरिंग का कार्य करने वाले ठेकेदार	54399	63	54462	5152866	214247	5367113
	91	वास्तुविद	575	2	577	44948	125	45073
	92	चिकित्सा विशेषज्ञ	984	0	984	257793	0	257793
31 दिसम्बर, 1964	93	दूध एवं दूध उत्पाद	2143	17	2160	386951	23927	410878
31 जन., 1965 (94 से 96 तक)	94	यात्रा एजेंसियां	2971	9	2980	257087	9928	267015
	95	अग्रोषण एजेंसियां	2910	5	2915	322328	506	322834
	96	सिलियों के आकार में अलौह एवं मिश्रित धातु	764	21	785	73294	18215	91509
31 मार्च, 1965	97	ब्रेड	552	3	555	49722	126	49848
30 जून, 1965	98	तम्बाकू के पत्तों को भाप देना पुनः सुखाना, संभालना, अलग-अलग छांटना तथा पैक करना	124	1	125	7056	1	7057
31 जुलाई, 1965	99	अगरबत्ती (धूप एवं धूपबत्ती सहित)	412	0	412	31741	0	31741
31 अगस्त, 1965	100	मैग्नेसाइट की खानें	91	1	92	32958	27	32985
30 सितम्बर, 1965	101	कॉयर (स्पिनिंग सेक्टर रहित)	654	0	654	57177	0	57177
31 दिसम्बर, 1965	102	छत, फर्श की स्लैब एवं मौज़ेक चिप्स का उत्पादन करने वाली पत्थर की खदान	1837	1	1838	76265	5887	82152
31 जनवरी, 1966	103	बैंक	3184	77	3261	414584	256311	670895
30 जून, 1966	104	तम्बाकू उद्योग	1561	4	1565	147339	6430	153769
31 जुलाई, 1966	105	कागज के उत्पाद	3355	16	3371	250403	25069	275472
30 सितम्बर, 1966	106	लाइसेंसी नमक	491	3	494	49215	15	49230
30 अप्रैल, 1967 (107 से 108 तक)	107	लिनोलियम	343	1	344	23356	2	23358
	108	इंडोलियम	2933	3	2936	143432	2539	145971
31 जुलाई, 1967	109	विस्फोटक	142	3	145	21466	7638	29104
31 अगस्त, 1967	110	पटसन की गांठें बनाना व दबाना	205	1	206	9721	1385	11106
31 अक्टूबर, 1967	111	आतिशबाजी और दगाऊ टोपी का कार्य	1004	0	1004	200759	0	200759
30 नवम्बर, 1967	112	टेंट बनाना	138	1	139	11509	1521	13030
31 अगस्त, 1968 (113 से 119 तक)	113	बेराइट्स की खानें	87	0	87	10095	0	10095
	114	डोलोमाइट की खानें	85	1	86	1596	0	1596
	115	फायरक्ले की खानें	33	1	34	493	0	493
	116	जिप्सम की खानें	7	0	7	130	0	130
	117	क्यानाइट की खानें	2	0	2	21	0	21
	118	सिल्मानाइट की खानें	2	0	2	30	0	30
	119	स्टैटाइट की खानें	39	0	39	7	0	7
31 दिसम्बर, 1968	120	सिन्कोना बागान	21	0	21	10671	0	10671

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2014							
	Sl.No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st August, 1963 (80 to 81)	80	Canteens	2327	7	2334	174481	834	175315
	81	Aerated water, soft drinks or carbonated water	556	3	559	134349	48	134397
31st October, 1963	82	Distilling and rectifying of spirits	450	9	459	145133	3460	148593
31st Jan., 1964 (83 to 84)	83	Paint and Varnish	726	17	743	126323	12298	138621
	84	Bone crushing	108	0	108	4180	0	4180
30th June, 1964 (85 to 86)	85	Pickers	67	0	67	6493	0	6493
	86	China Clay Mines	120	0	120	12555	0	12555
31st October, 1964 (87 to 92)	87	Attorneys as defined in the Advocates Act, 1965	61	2	63	2705	72	2777
	88	Chartered Accountants	401	10	411	39894	2654	42548
	89	Cost and Works Accountants within the meaning of the cost	43	0	43	2213	0	2213
	90	Engineers and Engineering Contractors	54399	63	54462	5152866	214247	5367113
	91	Architects	575	2	577	44948	125	45073
	92	Medical Specialists	984	0	984	257793	0	257793
31st December, 1964	93	Milk and milk products	2143	17	2160	386951	23927	410878
31st January, 1965 (94 to 96)	94	Travel agencies	2971	9	2980	257087	9928	267015
	95	forwarding agencies	2910	5	2915	322328	506	322834
	96	Non-ferrous metals and alloys in the form of ingots	764	21	785	73294	18215	91509
31st March, 1965	97	Bread	552	3	555	49722	126	49848
30th June, 1965	98	Steaming, redrying, handling, sorting, grading or packing of	124	1	125	7056	1	7057
31st July, 1965	99	Agarbatte (including dhoop and dhoopbatte)	412	0	412	31741	0	31741
31st August, 1965	100	Magnesite Mines	91	1	92	32958	27	32985
30th September, 1965	101	Coir (excluding the spinning sector)	654	0	654	57177	0	57177
31st December, 1965	102	Stone quarries producing roof & floor slabs, dimension stones and mosaic chips;	1837	1	1838	76265	5887	82152
31st January, 1966	103	Bank	3184	77	3261	414584	256311	670895
30th June, 1966	104	Tobacco industry that is to say any industry engaged in the	1561	4	1565	147339	6430	153769
31st July, 1966	105	Paper Products	3355	16	3371	250403	25069	275472
30th Sept., 1966	106	Licensed salt	491	3	494	49215	15	49230
30th April, 1967 (107 to 108)	107	Linoleum	343	1	344	23356	2	23358
	108	Indoleum	2933	3	2936	143432	2539	145971
31st July, 1967	109	Explosives	142	3	145	21466	7638	29104
31st August, 1967	110	Jute bailing or pressing	205	1	206	9721	1385	11106
31st October, 1967	111	Fireworks and percussion cap work	1004	0	1004	200759	0	200759
30th Nov., 1967	112	Tent making	138	1	139	11509	1521	13030
31st August, 1968 (113 to 119)	113	Barytes Mines	87	0	87	10095	0	10095
	114	Dolomite Mines	85	1	86	1596	0	1596
	115	Fireclay Mines	33	1	34	493	0	493
	116	Gypsum Mines	7	0	7	130	0	130
	117	Kyanite Mines	2	0	2	21	0	21
	118	Siliminite Mines	2	0	2	30	0	30
	119	Steatite Mines	39	0	39	7	0	7
31st December, 1968	120	Chinchona Plantations	21	0	21	10671	0	10671

विस्तार की तिथि	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
30 अप्रैल, 1969	121	फैरो मैग्नीज़	1130	4	1134	94105	1069	95174
30 जून, 1969 (122 से 123 तक)	122	बर्फ या आईस क्रीम	461	1	462	56270	2971	59241
	123	हीरे की खाने	51	0	51	2422	250	2672
31 जनवरी, 1970	124	सामान्य बीमा व्यापार	378	7	385	367483	40469	407952
31 मार्च, 1971	125	विशेषज्ञ सेवाएं देने वाली स्थापनाएं	131541	111	131652	26708877	460038	27168915
30 नवम्बर, 1971	126	धाग बटने और अटेरने का काम करने वाली फैक्ट्रियाँ	342	2	344	70524	7146	77670
31 मार्च, 1972	127	रेलवे बुकिंग एजेंसी	102	0	102	4434	0	4434
30 सितम्बर, 1972	128	रुई की छंटाई, गांठें बांधना और दबाना	5623	19	5642	360715	17751	378466
31 मार्च, 1973	129	सैनिक मैस को छोड़कर अन्य सभी भोजनालय	400	1	401	45423	104	45527
31 मई, 1973	130	कत्था बनाना	135	2	137	28388	53	28441
31 अगस्त, 1973	131	अस्पताल	10485	42	10527	1229788	24123	1253911
30 अप्रैल, 1974	132	बीयर बनाना	237	10	247	55621	7358	62979
30 सितम्बर, 1974	133	कच्चे सूत की छंटाई, सफाई और धुलाई	544	4	548	48799	1050	49849
30 नवम्बर, 1974 (134 से 135 तक)	134	सोसाइटी क्लब एवं संघ	3016	9	3025	197778	16936	214714
	135	गारमेंट फैक्ट्रियाँ	14457	4	14461	5869072	1612	5870684
31 दिसम्बर, 1974	136	कृषि फार्म	1530	6	1536	196333	7481	203814
30 जून, 1975	137	सेल खड़ी की खानें	590	3	593	48061	1108	49169
31 जुलाई, 1974 (138 से 150 तक)	138	एपेटाइट की खानें	28	0	28	1135	0	1135
	139	एसबेस्टस की खानें	58	0	58	5752	0	5752
	140	केलसाइट की खानें	65	0	65	9463	0	9463
	141	बालकले की खानें	79	0	79	4689	0	4689
	142	कुरुंड की खानें	20	0	20	4531	0	4531
	143	पन्ने की खानें	32	0	32	6272	0	6272
	144	फेल्सपार की खानें	155	8	163	13483	3063	16546
	145	सिलिका (रेत की खानें)	131	0	131	12497	0	12497
	146	क्वार्टज की खानें	142	0	142	13155	0	13155
	147	गेरू की खानें	79	1	80	4656	2	4658
	148	क्रोमाइट की खानें	45	1	46	24200	661	24861
	149	ग्रेफाइट की खानें	2143	0	2143	486198	0	486198
	150	फलोराइट की खानें	25	0	25	2352	0	2352
28 जनवरी, 1977 (151 से 153 तक)	151	ग्लू एवं जिलेटिन	41	1	42	7208	113	7321
	152	पत्थर की खाने (स्टोन चिप्स, स्टोन सेट्स एवं स्टोन बोल्टर स्टोन ब्लास्ट)	663	0	663	22709	0	22709
	153	मछली संसाधन	820	2	822	98512	19	98531
31 मई, 1977	154	बीड़ी बनाने में लगी स्थापनाएं	7730	0	7730	3768387	0	3768387
31 दिसम्बर, 1978	155	बैंकों को छोड़कर वित्तीय स्थापनाएं	5084	47	5131	891226	25642	916868
6 जनवरी 1979	156	लिग्नाइट की खाने	225	2	227	10091	18694	28785
31 जुलाई, 1979	157	फैरो क्रोम	191	1	192	69251	1265	70516
31 मई, 1980 (158 से 160 तक)	158	हीरे की कटाई	2109	2	2111	201959	162	202121
	159	क्वारसाइट की खाने	144	1	145	14563	188	14751
	160	आंतरिक जल परिवहन स्थापनाएं	538	2	540	38093	7756	45849

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2014							
	Sl.No.	Industries/Classes Of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
30th April, 1969	121	Ferro Manganese	1130	4	1134	94105	1069	95174
30th June, 1969 (122 to 123)	122	Ice or ice-cream.	461	1	462	56270	2971	59241
	123	Diamond Mines	51	0	51	2422	250	2672
31st January, 1970	124	General insurance business	378	7	385	367483	40469	407952
31st March, 1971	125	ESTTS rendering expert services	131541	111	131652	26708877	460038	27168915
30th November, 1971	126	Factories engaged in winding of thread and yard reeling	342	2	344	70524	7146	77670
31st March, 1972	127	Railway booking Agencies	102	0	102	4434	0	4434
30th September, 1972	128	Cotton ginning,bailing and pressing	5623	19	5642	360715	17751	378466
31st March, 1973	129	Every mess, not being a military mess	400	1	401	45423	104	45527
31st May, 1973	130	Katha making	135	2	137	28388	53	28441
31st August, 1973	131	hospitals	10485	42	10527	1229788	24123	1253911
30th April, 1974	132	Beer manufacturing	237	10	247	55621	7358	62979
30th September, 1974	133	Sorting, cleaning and testing of cotton waste.	544	4	548	48799	1050	49849
30th November, 1974 (134 to 135)	134	Societies, Clubs and associations	3016	9	3025	197778	16936	214714
	135	Garments making factories	14457	4	14461	5869072	1612	5870684
31st December, 1974	136	Agricultural farms	1530	6	1536	196333	7481	203814
30th June, 1975	137	Soap-stone mines	590	3	593	48061	1108	49169
31st July, 1974 (138 to 150)	138	Apatite Mines	28	0	28	1135	0	1135
	139	Asbestos Mines	58	0	58	5752	0	5752
	140	Calcite Mines	65	0	65	9463	0	9463
	141	Ball-clay Mines	79	0	79	4689	0	4689
	142	Corundum Mines	20	0	20	4531	0	4531
	143	Emerald Mines	32	0	32	6272	0	6272
	144	Feldspar Mines	155	8	163	13483	3063	16546
	145	Silica (sand mines)	131	0	131	12497	0	12497
	146	Quartz Mines	142	0	142	13155	0	13155
	147	Ochre Mines	79	1	80	4656	2	4658
	148	Chromite Mines	45	1	46	24200	661	24861
	149	Graphite Mines	2143	0	2143	486198	0	486198
	150	Flourite Mines	25	0	25	2352	0	2352
28th January, 1977 (151 to 153)	151	Glue and gelatine.	41	1	42	7208	113	7321
	152	Stone quarries producing stone chips, stone sets, stone boulders and ballasts;	663	0	663	22709	0	22709
	153	Fish processing	820	2	822	98512	19	98531
31st May, 1977	154	Manufacture of beedi.	7730	0	7730	3768387	0	3768387
31st December, 1978	155	Financing ESTTS other than banks	5084	47	5131	891226	25642	916868
6th January 1979	156	Lignite Mines	225	2	227	10091	18694	28785
31st July, 1979	157	Ferro Chrome	191	1	192	69251	1265	70516
31st May, 1980 (158 to 160)	158	Diamond cutting	2109	2	2111	201959	162	202121
	159	Quarsite Mines	144	1	145	14563	188	14751
	160	Inland water transport ESTTS	538	2	540	38093	7756	45849

विस्तार की तिथि	31.03.2014 तक उद्योगवार स्थापनाएं एवं सदस्य							
	क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं के वर्ग	स्थापनाएं		योग	सदस्य		योग
			अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	
31 अक्टूबर, 1980 (161 से 162 तक)	161	भवन और निर्माण	34447	26	34473	4754335	27138	4781473
	162	हरड मिश्रित चूर्ण बनाना	134	0	134	4609	0	4609
30 नवम्बर, 1980	163	ईंटें	15904	0	15904	477889	0	477889
23 नवम्बर, 1981	164	ऐसी स्थापनाएं जो जहाजों में माल चढ़ाने-उतारने के कार्य में लगी हुई हैं	365	2	367	62336	357	62693
7 दिसम्बर, 1981 (165 से 166 तक)	165	मुर्गी पालने में लगी स्थापनाएं	824	0	824	91977	0	91977
	166	पशु चारा उद्योग	386	1	387	50561	0	50561
6 मार्च, 1982 (167 से 172 तक)	167	कोई भी विश्वविद्यालय	15259	110	15369	1026141	14406	1040547
	168	कोई भी कॉलेज	17445	71	17516	1242197	38153	1280350
	169	कोई भी स्कूल	22867	315	23182	1084987	55931	1140918
	170	कोई भी वैज्ञानिक संस्थान	579	8	587	76129	2165	78294
	171	अनुसंधान संस्थान	361	7	368	30671	9637	40308
	172	ज्ञान एवं प्रशिक्षण संस्थान	3038	5	3043	193186	2095	195281
1 जनवरी, 1984	173	एसबैस्टस स्थापनाएं	104	1	105	15097	1112	16209
16 सितम्बर, 1989	174	लोह अयस्क छर्चे	452	1	453	90017	656	90673
25 मार्च, 1992	175	गौर गम फैक्टरी	116	0	116	3103	0	3103
1 अप्रैल, 1992	176	संगमरमर की खानें	476	0	476	17111	0	17111
	177	हीरा काटने वाली मिलें	165	0	165	8783	0	8783
1 अप्रैल, 2001 (178 से 180 तक)	178	कूरियर सेवाएं	635	1	636	70047	10161	80208
	179	एयरक्राफ्ट अथवा एयरक्राफ्ट संपर्क	53	1	54	16010	3237	19247
	180	साफ सफाई सेवाएं देने वाली संस्थाएं	1785	0	1785	387072	0	387072
10 नवम्बर, 2005	181	केन्द्र या राज्य सरकार या उनके द्वारा नियंत्रित रेल स्थापनाओं को छोड़कर रेलवे	1543	46	1589	80547	129828	210375
27 जुलाई, 2006	182	कम्प्यूटर	4891	26	4917	1367455	297618	1665073
8 दिसम्बर, 2007 (183 से 187 तक)	183	भारतीय जीवन बीमा के अतिरिक्त जीवन बीमा, वार्षिकी आदि प्रदान करने वाली अन्य कंपनियां	24	0	24	47577	0	47577
	184	निजी एयरपोर्ट तथा संयुक्त उपक्रम वाले एयरपोर्ट	17	0	17	894	0	894
	185	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपनियां	715	3	718	110054	3400	113454
	186	आवास गृह, सह-स्वामित्व तथा सेवा अपार्टमेंट	326	0	326	8777	0	8777
8 जनवरी, 2011	187	नगर परिषद तथा नगर निगम	1068	3	1071	80265	0	80265
		योग	763030	3231	766261	105692041	5435033	111127074
		अन्य	29176	390	29566	5905569	780811	6686380
		कुल योग	792206	3621	795827	111597610	6215844	117813454

Date of Extension	Industry wise Establishment & Members as on 31.03.2014							
	Sl.No.	Industries/Classes of Estt.	ESTABLISHMENTS		TOTAL	MEMBERS		TOTAL
			UNEX	EX		UNEX	EX	
31st October, 1980 (161 to 162)	161	Building and construction	34447	26	34473	4754335	27138	4781473
	162	Manufacture of Myrobalan	134	0	134	4609	0	4609
30th November, 1980	163	Brick	15904	0	15904	477889	0	477889
23rd November, 1981	164	Stevedoring loading and unloading of ships.	365	2	367	62336	357	62693
7th December, 1981 (165 to 166)	165	Engaged in poultry farming	824	0	824	91977	0	91977
	166	Cattle feed industry.	386	1	387	50561	0	50561
6th March, 1982 (167 to 172)	167	Any University	15259	110	15369	1026141	14406	1040547
	168	Any college	17445	71	17516	1242197	38153	1280350
	169	Any School	22867	315	23182	1084987	55931	1140918
	170	Any scientific institution	579	8	587	76129	2165	78294
	171	Research Institute	361	7	368	30671	9637	40308
	172	Knowledge or training institution	3038	5	3043	193186	2095	195281
1st January, 1984	173	Asbestos industries	104	1	105	15097	1112	16209
16th September, 1989	174	Iron ore pellets	452	1	453	90017	656	90673
25th March, 1992	175	Guar Gum factories	116	0	116	3103	0	3103
1st April, 1992	176	Marble mines	476	0	476	17111	0	17111
	177	Diamond saw mills	165	0	165	8783	0	8783
1st April, 2001 (178 to 180)	178	Couriers Service	635	1	636	70047	10161	80208
	179	Aircraft or Aircraft liasion	53	1	54	16010	3237	19247
	180	Cleaning & Sweeping	1785	0	1785	387072	0	387072
10th November, 2005	181	Railways other than owned and controlled by central & state govt.	1543	46	1589	80547	129828	210375
27th July, 2006	182	Computers	4891	26	4917	1367455	297618	1665073
8th December, 2007 (183 to 187)	183	Companies offering life insurance, Annuities etc. other than life insurance	24	0	24	47577	0	47577
	184	Private Airports & Joint Venture Airports	17	0	17	894	0	894
	185	Electronic Media Companies	715	3	718	110054	3400	113454
	186	Lodging Housing, Service Apartment & Condominiums	326	0	326	8777	0	8777
8th January, 2011	187	Municipal Councils/Corporations	1068	3	1071	80265	0	80265
		Total	763030	3231	766261	105692041	5435033	111127074
		Others	29176	390	29566	5905569	780811	6686380
		Grand Total	792206	3621	795827	111597610	6215844	117813454

अंचलवार (क्षेत्रवार) सदस्यों एवं स्थापनाओं का संकेन्द्रण - 31.03.2014 की स्थिति

क्षेत्र	स्थापनाएं			संपूर्ण भारत के योग का %	सदस्य			संपूर्ण भारत के योग का %
	अछूत प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल		अछूत प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल	
देहरादून	7039	26	7065	0.89%	1058625	58674	1117299	0.95%
दिल्ली (उत्तर)	25443	123	25566	3.21%	4800712	411763	5212475	4.42%
दिल्ली (दक्षिण)	22619	103	22722	2.86%	5728913	225687	5954600	5.05%
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	55101	252	55353	6.96%	11588250	696124	12284374	10.43%
चंडीगढ़	18751	62	18813	2.36%	2521850	16326	2538176	2.15%
लुधियाना	19816	45	19861	2.50%	2545370	52267	2597637	2.20%
शिमला	8173	88	8261	1.04%	984903	27255	1012158	0.86%
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	46740	195	46935	5.90%	6052123	95848	6147971	5.22%
कानपुर	24831	133	24964	3.14%	579275	119501	698776	0.59%
मेरठ	27579	105	27684	3.48%	1080833	137796	1218629	1.03%
पटना	8302	68	8370	1.05%	683255	32219	715474	0.61%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	60712	306	61018	7.67%	2343363	289516	2632879	2.23%
फरीदाबाद	21857	80	21937	2.76%	3765290	53257	3818547	3.24%
गुडगांव	16829	47	16876	2.12%	2247389	130029	2377418	2.02%
जयपुर	27416	232	27648	3.47%	1054355	124411	1178766	1.00%
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	66102	359	66461	8.35%	7067034	307697	7374731	6.26%
अहमदाबाद	40869	56	40925	5.14%	5446083	155263	5601346	4.75%
बड़ौदा	8767	32	8799	1.11%	1669393	57385	1726778	1.47%
इंदौर	25157	60	25217	3.17%	2875196	40678	2915874	2.47%
सुरत	22355	38	22393	2.81%	1136398	17307	1153705	0.98%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	97148	186	97334	12.23%	11127070	270633	11397703	9.67%
कांदिवली	27920	79	27999	3.52%	4701365	186187	4887552	4.15%
मुंबई-I बांद्रा	23139	632	23771	2.99%	7087583	1199803	8287386	7.03%
मुंबई-II थाणे	25913	132	26045	3.27%	4886505	281656	5168161	4.39%
नागपुर	19245	58	19303	2.43%	1434754	103029	1537783	1.31%
पुणे	27819	88	27907	3.51%	3047644	197373	3245017	2.75%
रायपुर	10215	50	10265	1.29%	1026532	63993	1090525	0.93%
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	134251	1039	135290	17.00%	22184383	2032041	24216424	20.55%
बंगलूर	13493	51	13544	1.70%	4409492	289347	4698839	3.99%
गुलबर्गा	13313	34	13347	1.68%	769311	79185	848496	0.72%
मंगलूर	13199	37	13236	1.66%	1921109	41341	1962450	1.67%
पणजी	4043	9	4052	0.51%	1154342	14259	1168601	0.99%
पीणया	15504	65	15569	1.96%	6805539	591687	7397226	6.28%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	59552	196	59748	7.51%	15059793	1015819	16075612	13.64%
भुवनेश्वर	18897	104	19001	2.39%	2126157	65657	2191814	1.86%
गुन्टूर	33594	55	33649	4.23%	2864255	82979	2947234	2.50%
हैदराबाद	28899	47	28946	3.64%	6224837	233750	6458587	5.48%
निजामाबाद	8068	11	8079	1.02%	1249340	2064	1251404	1.06%
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	89458	217	89675	11.27%	12464589	384450	12849039	10.91%
चेन्नै	26418	64	26482	3.33%	6780224	173264	6953488	5.90%
कोयम्बतूर	31617	38	31655	3.98%	4168255	64449	4232704	3.59%
मद्रास	19892	14	19906	2.50%	2683518	20565	2704083	2.30%
तांबरम	13919	20	13939	1.75%	2612804	21635	2634439	2.24%
तिरुवनंतपुरम	22779	71	22850	2.87%	2404866	49841	2454707	2.08%
आं.का. (त.माड्रु एवं केरल)	114625	207	114832	14.43%	18649667	329754	18979421	16.11%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	11130	42	11172	1.40%	403337	26271	429608	0.36%
जलपाईगुड़ी	8420	16	8436	1.06%	1581375	5995	1587370	1.35%
कोलकाता	36586	464	37050	4.66%	2370568	525205	2895773	2.46%
रांची	12381	142	12523	1.57%	706058	236491	942549	0.80%
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	68517	664	69181	8.69%	5061338	793962	5855300	4.97%
अखिल भारतीय	792206	3621	795827	100.00%	111597610	6215844	117813454	100.00%

APPENDIX A-9 (ii)

Zone-wise (Region-wise) position and concentration of Establishments & Members as on 31.03.2014

Region	ESTABLISHMENTS			% of all India total	MEMBERS			% of all India total
	Unexempted	Exempted	Total		Unexempted	Exempted	Total	
Dehradun	7039	26	7065	0.89%	1058625	58674	1117299	0.95%
Delhi (North)	25443	123	25566	3.21%	4800712	411763	5212475	4.42%
Delhi (South)	22619	103	22722	2.86%	5728913	225687	5954600	5.05%
ZO (DL & UK)	55101	252	55353	6.96%	11588250	696124	12284374	10.43%
Chandigarh	18751	62	18813	2.36%	2521850	16326	2538176	2.15%
Ludhiana	19816	45	19861	2.50%	2545370	52267	2597637	2.20%
Shimla	8173	88	8261	1.04%	984903	27255	1012158	0.86%
ZO (PN & HP)	46740	195	46935	5.90%	6052123	95848	6147971	5.22%
Kanpur	24831	133	24964	3.14%	579275	119501	698776	0.59%
Meerut	27579	105	27684	3.48%	1080833	137796	1218629	1.03%
Patna	8302	68	8370	1.05%	683255	32219	715474	0.61%
ZO (UP & BR)	60712	306	61018	7.67%	2343363	289516	2632879	2.23%
Faridabad	21857	80	21937	2.76%	3765290	53257	3818547	3.24%
Gurgaon	16829	47	16876	2.12%	2247389	130029	2377418	2.02%
Jaipur	27416	232	27648	3.47%	1054355	124411	1178766	1.00%
ZO (HR & RJ)	66102	359	66461	8.35%	7067034	307697	7374731	6.26%
Ahmedabad	40869	56	40925	5.14%	5446083	155263	5601346	4.75%
Baroda	8767	32	8799	1.11%	1669393	57385	1726778	1.47%
Indore	25157	60	25217	3.17%	2875196	40678	2915874	2.47%
Surat	22355	38	22393	2.81%	1136398	17307	1153705	0.98%
ZO (GJ & MP)	97148	186	97334	12.23%	11127070	270633	11397703	9.67%
Kandivili	27920	79	27999	3.52%	4701365	186187	4887552	4.15%
Mumbai-I Bandra	23139	632	23771	2.99%	7087583	1199803	8287386	7.03%
Mumbai-II Thane	25913	132	26045	3.27%	4886505	281656	5168161	4.39%
Nagpur	19245	58	19303	2.43%	1434754	103029	1537783	1.31%
Pune	27819	88	27907	3.51%	3047644	197373	3245017	2.75%
Raipur	10215	50	10265	1.29%	1026532	63993	1090525	0.93%
ZO (MH & CG)	134251	1039	135290	17.00%	22184383	2032041	24216424	20.55%
Bangalore	13493	51	13544	1.70%	4409492	289347	4698839	3.99%
Gulbarga	13313	34	13347	1.68%	769311	79185	848496	0.72%
Mangalore	13199	37	13236	1.66%	1921109	41341	1962450	1.67%
Panaji	4043	9	4052	0.51%	1154342	14259	1168601	0.99%
Peenya	15504	65	15569	1.96%	6805539	591687	7397226	6.28%
ZO (KN & Goa)	59552	196	59748	7.51%	15059793	1015819	16075612	13.64%
Bhubaneshwar	18897	104	19001	2.39%	2126157	65657	2191814	1.86%
Guntur	33594	55	33649	4.23%	2864255	82979	2947234	2.50%
Hyderabad	28899	47	28946	3.64%	6224837	233750	6458587	5.48%
Nizamabad	8068	11	8079	1.02%	1249340	2064	1251404	1.06%
ZO (AP & OR)	89458	217	89675	11.27%	12464589	384450	12849039	10.91%
Chennai	26418	64	26482	3.33%	6780224	173264	6953488	5.90%
Coimbatore	31617	38	31655	3.98%	4168255	64449	4232704	3.59%
Madurai	19892	14	19906	2.50%	2683518	20565	2704083	2.30%
Tambaram	13919	20	13939	1.75%	2612804	21635	2634439	2.24%
Thiruvananthapuram	22779	71	22850	2.87%	2404866	49841	2454707	2.08%
ZO (TN & KR)	114625	207	114832	14.43%	18649667	329754	18979421	16.11%
Guwahati (NER)	11130	42	11172	1.40%	403337	26271	429608	0.36%
Jalpaiguri	8420	16	8436	1.06%	1581375	5995	1587370	1.35%
Kolkata	36586	464	37050	4.66%	2370568	525205	2895773	2.46%
Ranchi	12381	142	12523	1.57%	706058	236491	942549	0.80%
ZO (WB, NER & JH)	68517	664	69181	8.69%	5061338	793962	5855300	4.97%
All India	792206	3621	795827	100.00%	111597610	6215844	117813454	100.00%

स्थापनाओं एवं सदस्यों का संकेन्द्रण (राज्यवार) - 31.03.2014 की स्थिति

राज्य	स्थापनाएं			संपूर्ण भारत के योग का %	सदस्य			संपूर्ण भारत के योग का %
	अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल		अछूट प्राप्त	छूट प्राप्त	कुल	
महाराष्ट्र	124036	989	125025	15.71%	21157851	1968048	23125899	19.63%
तमिलनाडु	91846	136	91982	11.56%	16244801	279913	16524714	14.03%
कर्नाटक	55509	187	55696	7.00%	13905451	1001560	14907011	12.65%
दिल्ली	48062	226	48288	6.07%	10529625	637450	11167075	9.48%
आंध्र प्रदेश	70561	113	70674	8.88%	10338432	318793	10657225	9.05%
गुजरात	71991	126	72117	9.06%	8251874	229955	8481829	7.20%
हरियाणा	38686	127	38813	4.88%	6012679	183286	6195965	5.26%
पंजाब	38567	107	38674	4.86%	5067220	68593	5135813	4.36%
पश्चिम बंगाल	45006	480	45486	5.72%	3951943	531200	4483143	3.81%
मध्य प्रदेश	25157	60	25217	3.17%	2875196	40678	2915874	2.47%
केरल	22779	71	22850	2.87%	2404866	49841	2454707	2.08%
ओड़ीशा	18897	104	19001	2.39%	2126157	65657	2191814	1.86%
उत्तर प्रदेश	52410	238	52648	6.62%	1660108	257297	1917405	1.63%
राजस्थान	27416	232	27648	3.47%	1054355	124411	1178766	1.00%
गोवा	4043	9	4052	0.51%	1154342	14259	1168601	0.99%
उत्तराखंड	7039	26	7065	0.89%	1058625	58674	1117299	0.95%
छत्तीसगढ़	10215	50	10265	1.29%	1026532	63993	1090525	0.93%
हिमाचल प्रदेश	8173	88	8261	1.04%	984903	27255	1012158	0.86%
झारखंड	12381	142	12523	1.57%	706058	236491	942549	0.80%
बिहार	8302	68	8370	1.05%	683255	32219	715474	0.61%
पूर्वांचल क्षेत्र	11130	42	11172	1.40%	403337	26271	429608	0.36%
कुल	792206	3621	795827	100.00%	111597610	6215844	117813454	100.00%

APPENDIX A -9(iii)

Concentration of Establishment & Members (State-wise) as on 31.03.2014								
State	ESTABLISHMENTS			% of all India total	MEMBERS			% of all India total
	Unexempted	Exempted	Total		Unexempted	Exempted	Total	
Maharashtra	124036	989	125025	15.71%	21157851	1968048	23125899	19.63%
Tamil Nadu	91846	136	91982	11.56%	16244801	279913	16524714	14.03%
Karnataka	55509	187	55696	7.00%	13905451	1001560	14907011	12.65%
Delhi	48062	226	48288	6.07%	10529625	637450	11167075	9.48%
Andhra Pradesh	70561	113	70674	8.88%	10338432	318793	10657225	9.05%
Gujarat	71991	126	72117	9.06%	8251874	229955	8481829	7.20%
Haryana	38686	127	38813	4.88%	6012679	183286	6195965	5.26%
Punjab	38567	107	38674	4.86%	5067220	68593	5135813	4.36%
West Bengal	45006	480	45486	5.72%	3951943	531200	4483143	3.81%
Madhya Pradesh	25157	60	25217	3.17%	2875196	40678	2915874	2.47%
Kerala	22779	71	22850	2.87%	2404866	49841	2454707	2.08%
Orissa	18897	104	19001	2.39%	2126157	65657	2191814	1.86%
Uttar Pradesh	52410	238	52648	6.62%	1660108	257297	1917405	1.63%
Rajasthan	27416	232	27648	3.47%	1054355	124411	1178766	1.00%
Goa	4043	9	4052	0.51%	1154342	14259	1168601	0.99%
Uttrakhand	7039	26	7065	0.89%	1058625	58674	1117299	0.95%
Chhattisgarh	10215	50	10265	1.29%	1026532	63993	1090525	0.93%
Himachal Pradesh	8173	88	8261	1.04%	984903	27255	1012158	0.86%
Jharkhand	12381	142	12523	1.57%	706058	236491	942549	0.80%
Bihar	8302	68	8370	1.05%	683255	32219	715474	0.61%
North East Region	11130	42	11172	1.40%	403337	26271	429608	0.36%
TOTAL	792206	3621	795827	100.00%	111597610	6215844	117813454	100.00%

सदस्यों का उद्योगवार संकेन्द्रण - 31.03.2014					
क्र.सं.	उद्योग / स्थापनाओं की श्रेणी	स्थापनाएं		सदस्य	
		कुल	%	कुल	%
1	विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाली स्थापनाएं	131652	16.54%	27168915	23.06%
2	इलैक्ट्रिकल, मेकेनिकल एवं सामान्य इंजीनियरिंग	82479	10.36%	13586901	11.53%
3	ट्रेडिंग एवं कमर्शियल स्थापनाएं	80012	10.05%	9068499	7.70%
4	वस्त्र निर्माण फैक्ट्रियां	14461	1.82%	5870684	4.98%
5	इंजीनियर एवं इंजीनियरिंग ठेकेदार	54462	6.84%	5367113	4.56%
6	भवन एवं निर्माण	34473	4.33%	4781473	4.06%
7	कपड़ा	26794	3.37%	4145672	3.52%
8	बीड़ी निर्माण	7730	0.97%	3768387	3.20%
9	भारी एवं परिष्कृत रसायन	14880	1.87%	2876281	2.44%
10	लोहा तथा इस्पात	10905	1.37%	1955072	1.66%
11	होटल	15763	1.98%	1930029	1.64%
12	कम्प्यूटर	4917	0.62%	1665073	1.41%
13	सड़क मोटर परिवहन स्थापनाएं	8705	1.09%	1299502	1.10%
14	कोई भी कॉलेज	17516	2.20%	1280350	1.09%
15	अस्पताल	10527	1.32%	1253911	1.06%
16	बिजली	4806	0.60%	1170995	0.99%
17	कोई भी स्कूल	23182	2.91%	1140918	0.97%
18	कोई भी विश्वविद्यालय	15369	1.93%	1040547	0.88%
19	रबड़ एवं रबड़ उत्पाद	4174	0.52%	920723	0.78%
20	बैंक के अतिरिक्त वित्तीय संस्थाएं	5131	0.64%	916868	0.78%
21	प्लास्टिक एवं प्लास्टिक उत्पाद	8577	1.08%	756008	0.64%
22	रेस्तरां	9283	1.17%	752253	0.64%
23	बैंक	3261	0.41%	670895	0.57%
24	चीनी	3170	0.40%	606863	0.52%
25	सीमेंट	2020	0.25%	604901	0.51%
शीर्ष 25 प्रकार के उद्योगों की कवरेज		594249	74.67%	94598833	80.30%
शेष उद्योग		201578	25.33%	23214621	19.70%
सभी उद्योगों की कवरेज		795827	100.00%	117813454	100.00%

APPENDIX A-9(iv)

Concentration of Members Industry-wise as on 31.03.2014					
SI No.	Industries/ Classes of Estt.	EXTABLISHMENTS		MEMBERS	
		TOTAL	%	TOTAL	%
1	ESTTS rendering expert services	131652	16.54%	27168915	23.06%
2	E M & G	82479	10.36%	13586901	11.53%
3	Trading and commercial estt.	80012	10.05%	9068499	7.70%
4	Garments making factories	14461	1.82%	5870684	4.98%
5	Engineers and Engineering Contractors	54462	6.84%	5367113	4.56%
6	Building and construction	34473	4.33%	4781473	4.06%
7	Textiles	26794	3.37%	4145672	3.52%
8	Manufacture of beedi.	7730	0.97%	3768387	3.20%
9	Heavy and Fine chemicals	14880	1.87%	2876281	2.44%
10	Irons and Steel	10905	1.37%	1955072	1.66%
11	Hotels	15763	1.98%	1930029	1.64%
12	Computers	4917	0.62%	1665073	1.41%
13	Road Motor Transport estt.	8705	1.09%	1299502	1.10%
14	Any college	17516	2.20%	1280350	1.09%
15	hospitals	10527	1.32%	1253911	1.06%
16	Electricity	4806	0.60%	1170995	0.99%
17	Any School	23182	2.91%	1140918	0.97%
18	Any University	15369	1.93%	1040547	0.88%
19	Rubber and rubber products	4174	0.52%	920723	0.78%
20	Financing ESTTS other than banks	5131	0.64%	916868	0.78%
21	Plastic and plastic products	8577	1.08%	756008	0.64%
22	Restaurants	9283	1.17%	752253	0.64%
23	Bank	3261	0.41%	670895	0.57%
24	Sugar	3170	0.40%	606863	0.52%
25	Cement	2020	0.25%	604901	0.51%
Coverage of Top 25 Industries		594249	74.67%	94598833	80.30%
Rest of Industries		201578	25.33%	23214621	19.70%
Total Coverage in all Industries		795827	100.00%	117813454	100.00%

31.03.2014 तक क.पं.यो. -1995 के अंतर्गत पेंशन संवितरण एजेंसियों की सूची

क्र.सं.	क्षे.का. का नाम	बैंक
1	दिल्ली (उत्तर)	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
2	दिल्ली (दक्षिण)	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
3	देहरादून	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक
4	गुड़गांव	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
5	फरीदाबाद	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
6	जयपुर	पंजाब नेशनल बैंक, ग्रामीण बैंक, एच.डी.एफ.सी., आई.सी.आई.सी.आई., एक्सिस
7	शिमला	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक्सिस
8	लुधियाना	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस
9	चंडीगढ़	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
10	बिहार	पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी.
11	मेरठ	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,
12	कानपुर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक,
13	हैदराबाद	भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
14	गुंटूर	भारतीय स्टेट बैंक, आंध्रा बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
15	निज़ामाबाद	भारतीय स्टेट बैंक, एस.वाई. बैंक, ग्रामीण बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आंध्रा बैंक, एक्सिस
16	भुवनेश्वर	ए.एन.बी., बैंक ऑफ इंडिया, यूको, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
17	बंगलौर	भारतीय स्टेट बैंक, केनरा, एस.वाई. बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई. ग्रामीण बैंक
18	गोवा	भारतीय स्टेट बैंक, विजया बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी.
19	गुलबर्गा	पंजाब नेशनल बैंक, केनरा, एस.वाई. बैंक, एच.डी.एफ.सी.
20	मंगलौर	पंजाब नेशनल बैंक, केनरा, एस.वाई. बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक, एक्सिस
21	पीण्वा	भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक, एस.वाई. बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
22	कोयंबतूर	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
23	केरल	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., केनरा, एस.वाई. बैंक, फेडरेशन बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
24	मद्रुरे	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
25	तांबरम	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
26	चेन्नै	भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, आई.ओ.बी., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
27	रंची	पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यू.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
28	जलपाईगुड़ी	भारतीय स्टेट बैंक, यू.बी.आई., यूको, सी.बी.आई.
29	कोलकाता	पंजाब नेशनल बैंक, यू.बी.आई., एच.डी.एफ.सी., एक्सिस
30	गुवाहाटी	भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
31	रायपुर	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
32	बान्द्रा	पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य

APPENDIX A-10 (i)**List of Pension Disbursing Agencies under EPS-1995 (as on 31.03.2014)**

S.No.	Name of the ROs	Banks
1	Delhi (N)	PNB, SBI, IB, UBI, HDFC, ICICI, AXIS
2	Delhi (S)	PNB, SBI, IB, UBI, HDFC, ICICI, AXIS
3	Dehradun	PNB, SBI
4	Gurgaon	PNB, SBI, HDFC, ICICI, AXIS
5	Faridabad	PNB, SBI, HDFC, ICICI, AXIS
6	Jaipur	PNB, GR. BANK, HDFC, ICICI, AXIS
7	Shimla	PNB, SBI, AXIS
8	Ludhiana	PNB, SBI, HDFC, AXIS
9	Chandigarh	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI
10	Bihar	PNB, BOI, HDFC
11	Meerut	PNB, SBI
12	Kanpur	PNB, SBI
13	Hyderabad	SBI, UBI, AB, HDFC, AXIS, ICICI
14	Guntur	SBI, AB, HDFC, AXIS, ICICI
15	Nizamabad	SBI, SY. BANK, GR. BANK, UBI, AB, AXIS
16	Bhuvneswer	ANB, BOI, UCO, HDFC, AXIS, ICICI
17	Bangalore	SBI, CANARA, SY. BANK, CORP. BANK, VIJAYA BANK, HDFC, AXIS, ICICI, GR. BANK
18	Goa	SBI, VIJAYA BANK, BOI, HDFC
19	Gulbarga	PNB, CANARA SY. BANK, HDFC
20	Manglore	PNB, CANARA, SY. BANK, CORP. BANK, VIJAYA BANK, AXIS
21	Peenya	SBI, CANARA BANK, SY. BANK, CORP. BANK, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS
22	Coimbatore	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
23	Kerala	PNB, SBI, IB, IOB, CANARA, SY. BANK, FED.BANK, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS
24	Madurai	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
25	Tambram	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
26	Chennai	SBI, IB, IOB, HDFC, AXIS, ICICI
27	Ranchi	PNB, BOI, UBI, HDFC, AXIS, ICICI
28	Jalpaiguri	SBI, UBI, UCO, CBI
29	Kolkata	PNB, UBI, HDFC, AXIS
30	Guwahati	SBI, HDFC, AXIS, ICICI
31	Raipur	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI, CBI, OTHERS
32	Bandra	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS

33	थाणे	पंजाब नेशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई., अन्य
34	कांदिवली	पंजाब नेशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस
35	पुणे	पंजाब नेशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
36	नागपुर	पंजाब नेशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक, बँक ऑफ इंडिया, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
37	अहमदाबाद	भारतीय स्टेट बँक, देना, एच.डी.एफ.सी.
38	सूरत	भारतीय स्टेट बँक, देना, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.
39	वडोदरा	भारतीय स्टेट बँक, देना, एच.डी.एफ.सी.
40	इंदौर	पंजाब नेशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक, एच.डी.एफ.सी., एक्सिस, आई.सी.आई.सी.आई.



S.No.	Name of the ROs	Banks
33	Thane	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI, OTHERS
34	Kandiwali	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS
35	Pune	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI
36	Nagpur	PNB, SBI, BOI, HDFC, AXIS, ICICI
37	Ahemdabad	SBI, DENA, HDFC
38	Surat	SBI, DENA HDFC, AXIS, ICICI
39	Vadodra	SBI, DENA, HDFC
40	Indore	PNB, SBI, HDFC, AXIS, ICICI



परिशिष्ट ए -10 (ii)

पेंशनभोक्ताओं का वर्गीकरण - 31.03.2014

क्र.सं.	क्षेत्र	पेंशन निधि के सदस्य	पेंशनभोक्ता सदस्य				पति/पत्नी पेंशनभोक्ता				कुल	अनाथ पेंशनभोक्ता	नामिती पेंशनभोक्ता	माता/पिता पेंशनभोक्ता	कुल		
			पूर्व पेंशन (50-57 वर्ष)	अधिवर्षिता पेंशन (58 वर्ष)	अशक्तता पेंशन	कुल	सेवा में मृत्यु		सेवा छोड़ने के बाद मृत्यु	कुल							
							क.म.नि.यों '71	क.पे.यो '95								क.म.नि.यों '71	क.पे.यो '95
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1- दिल्ली – उ.खंड	डी.एस.	5383697	19283	29359	8	48650	3243	6319	3675	13237	120	8688	8808	392	163	307	71557
2	डी.एस.	3091446	4974	9132	6	14112	62	2932	1588	4582	0	2269	2269	83	50	180	21276
3	यू.के.	1117299	8862	17644	13	26519	1916	6942	581	9439	78	9093	9171	270	100	228	45727
4 - महा. – छ.गढ़	एम.एच.	3560046	43688	21546	27	65261	7471	12269	0	19740	95	11712	11807	648	221	417	98094
5	पी.यू.	3260663	89594	80365	181	170140	7990	25906	4679	38575	25	31732	31757	2948	322	878	244620
6	टी.एच.	1070060	50555	42004	27	92586	6	9415	12140	21561	7	22872	22879	1042	359	730	139157
7	एन.जी.	1537783	60601	54765	99	115465	1398	15627	2374	19399	0	8070	8070	0	82	84	143100
8	के.डी.	4887552	54061	59508	59	113628	36	14053	10820	24909	0	9322	9322	347	146	601	148953
9	सी.जी.	929212	22726	21266	43	44035	2070	6000	1590	9660	0	5493	5493	158	41	58	59445
10 - कर्ना. – गोवा	के.एन.	1962450	77473	25739	73	103285	4104	11550	2214	17868	58	16214	16272	994	673	686	139778
11	पी.वाई.	7397226	22455	19110	7	41572	34	5499	2196	7729	0	4475	4475	129	93	567	54565
12	बी.जी.	4698839	25318	26654	24	51996	49	9428	444	9921	0	3322	3322	636	114	146	66135
13	जी.बी.	852917	34375	28183	47	62605	4126	13114	2929	20169	60	19680	19740	448	214	581	103757
14	जी.ए.	1168600	2068	7420	15	9503	519	2273	156	2948	0	2090	2090	65	97	65	14768
15 - आ.प्र. – उड़ीसा	जी.आर.	2947234	50052	65703	51	115806	8937	53500	25	62462	109	28798	28907	1072	714	1247	210208
16	एन.जेड.	1251404	91031	15667	28	106726	1579	13734	1155	16468	86	12168	12254	1248	224	762	137682
17	ए.पी.	6458587	50707	36328	31	87066	3903	12049	3349	19301	32	7973	8005	546	277	483	115678
18	ओ.आर.	2191814	40056	39874	42	79972	3824	9064	4424	17312	19	17641	17660	402	148	431	115925
19 - गुज. – म.प्र.	बी.डी.	1726778	17661	21386	7	39054	1481	6255	665	8401	0	4462	4462	76	134	79	52206
20	जी.जे.	5557333	65803	66625	20	132448	5650	24856	9625	40131	0	19578	19578	657	259	692	193765
21	एस.आर.	-5574	14661	14131	21	28813	1312	5883	1879	9074	0	4599	4599	137	125	302	43050
22	एम.पी.	2913492	78894	37889	58	116841	7507	16736	4540	28783	29	23025	23054	534	308	412	169932
23 - हरि. – राज.	एच.आर.	3818547	30213	19153	32	49398	1806	9998	1638	13442	6	14259	14265	240	57	282	77684
24	जी.एन.	3801508	5849	7837	11	13697	896	3031	677	4604	91	4970	5061	98	64	120	23644
25	आर.जे.	2564129	43289	31097	56	74442	5097	13674	4008	22779	39	16484	16523	433	157	380	114714
26 - च.ब. – पू.झारखंड	जे.एस.	1587370	14572	26895	11	41478	1522	18037	2607	22166	45	17727	17772	817	174	263	82670
27	इन्ड्यू.बी.	2895773	77897	127477	31	205405	6546	35986	3670	46202	8	19213	19221	504	345	564	272241
28	एन.ई.	430558	10452	14206	11	24669	1223	6777	614	8614	0	8707	8707	183	99	100	42372
29	जे.एच.	1002157	41085	47992	2	89079	3436	4299	4084	11819	22	17730	17752	169	22	15	118856
30 - त.नाडु. – केरल	टी.एन.	6953488	29531	32433	4	61968	6031	7549	2485	16065	35	9934	9969	289	259	555	89105
31	टी.बी.	2810331	37588	22967	10	60565	4695	11129	3496	19320	2	17305	17307	457	450	993	99092
32	एम.डी.	2704083	96654	32071	74	128799	5407	22238	4153	31798	58	16812	16870	961	714	845	179987
33	सी.बी.	4180473	98196	51177	48	149421	7160	20674	5095	32929	81	17346	17427	330	333	672	201112
34	के.आर.	2102992	115122	135500	644	251266	6399	30789	6558	43746	187	12174	12361	701	640	725	309439
35 - उ.प्र. – बिहार	यू.पी.	712701	114696	100136	34	214866	12755	22886	2836	38477	358	41986	42344	910	339	160	297096
36	एम.आर.	811731	28323	26955	9	55287	3440	12082	1335	16857	24	21313	21337	520	184	442	94627
37	बी.आर.	285659	53889	51011	15	104915	4455	19688	824	24967	1	26703	26704	311	136	98	157131
38 - पंजाब – हि.प्र.	एस.डी.	2597637	19053	23272	37	42362	3532	9514	765	13811	54	15775	15829	313	153	250	72718
39	पी.बी.	2538176	9633	22504	11	32148	1988	6951	1143	10082	99	8791	8890	190	118	191	51619
40	एच.पी.	1012158	4032	5499	11	9542	955	3166	181	4302	0	3110	3110	17	61	152	17184
कुल		106768329	1754972	1518480	1938	3275390	144560	541872	117217	803649	1828	563615	565443	20275	9169	16743	4690669

Classification of Pensioners as on 31.03.2014

Classification of Pensioners as on 31.03.2024																	
Sl. No.	Region	Members of Pension Fund	Member Pensioners				Spouse Pensioners				Children Pension		Total	Orphan Pensioners	Nominee Pensioners	Parent Pensioners	Total
			Early Pension (50-57 years)	Superannuation Pension (58 years)	Disabling pension	Total	Death in Service		Death away from Service	Total							
							EPF'71	EPS'95			EPF'71	EPS'95					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1 - DL-UK	DL	5383697	19283	29359	8	48650	3243	6319	3675	13237	120	8688	8808	392	163	307	71557
2	DS	3091446	4974	9132	6	14112	62	2932	1588	4582	0	2269	2269	83	50	180	21276
3	UK	1117299	8862	17644	13	26519	1916	6942	581	9439	78	9093	9171	270	100	228	45727
4 - MH-CH	MH	3560046	43688	21546	27	65261	7471	12269	0	19740	95	11712	11807	648	221	417	98094
5	PU	3260663	89594	80365	181	170140	7990	25906	4679	38575	25	31732	31757	2948	322	878	244620
6	TH	1070060	50555	42004	27	92586	6	9415	12140	21561	7	22872	22879	1042	359	730	139157
7	NG	1537783	60601	54765	99	115465	1398	15627	2374	19399	0	8070	8070	0	82	84	143100
8	KD	4887552	54061	59508	59	113628	36	14053	10820	24909	0	9322	9322	347	146	601	148953
9	CG	929212	22726	21266	43	44035	2070	6000	1590	9660	0	5493	5493	158	41	58	59445
10 - KN-GOA	KN	1962450	77473	25739	73	103285	4104	11550	2214	17868	58	16214	16272	994	673	686	139778
11	PY	7397226	22455	19110	7	41572	34	5499	2196	7729	0	4475	4475	129	93	567	54565
12	BG	4698839	25318	26654	24	51996	49	9428	444	9921	0	3322	3322	636	114	146	66135
13	GB	852917	34375	28183	47	62605	4126	13114	2929	20169	60	19680	19740	448	214	581	103757
14	GA	1168600	2068	7420	15	9503	519	2273	156	2948	0	2090	2090	65	97	65	14768
15 - AP-OR	GR	2947234	50052	65703	51	115806	8937	53500	25	62462	109	28798	28907	1072	714	1247	210208
16	NZ	1251404	91031	15667	28	106726	1579	13734	1155	16468	86	12168	12254	1248	224	762	137682
17	AP	6458587	50707	36328	31	87066	3903	12049	3349	19301	32	7973	8005	546	277	483	115678
18	OR	2191814	40056	39874	42	79972	3824	9064	4424	17312	19	17641	17660	402	148	431	115925
19 - GJ-MP	VD	1726778	17661	21386	7	39054	1481	6255	665	8401	0	4462	4462	76	134	79	52206
20	GJ	5557333	65803	66625	20	132448	5650	24856	9625	40131	0	19578	19578	657	259	692	193765
21	SR	-5574	14661	14131	21	28813	1312	5883	1879	9074	0	4599	4599	137	125	302	43050
22	MP	2913492	78894	37889	58	116841	7507	16736	4540	28783	29	23025	23054	534	308	412	169932
23 - HR-RJ	HR	3818547	30213	19153	32	49398	1806	9998	1638	13442	6	14259	14265	240	57	282	77684
24	GN	3801508	5849	7837	11	13697	896	3031	677	4604	91	4970	5061	98	64	120	23644
25	RJ	2564129	43289	31097	56	74442	5097	13674	4008	22779	39	16484	16523	433	157	380	114714
26 - WB-NER-JH	JL	1587370	14572	26895	11	41478	1522	18037	2607	22166	45	17727	17772	817	174	263	82670
27	WB	2895773	77897	127477	31	205405	6546	35986	3670	46202	8	19213	19221	504	345	564	272241
28	NE	430558	10452	14206	11	24669	1223	6777	614	8614	0	8707	8707	183	99	100	42372
29	JH	1002157	41085	47992	2	89079	3436	4299	4084	11819	22	17730	17752	169	22	15	118856
30 - TN-KR	TN	6953488	29531	32433	4	61968	6031	7549	2485	16065	35	9934	9969	289	259	555	89105
31	TB	2810331	37588	22967	10	60565	4695	11129	3496	19320	2	17305	17307	457	450	993	99092
32	MD	2704083	96654	32071	74	128799	5407	22238	4153	31798	58	16812	16870	961	714	845	179987
33	CB	4180473	98196	51177	48	149421	7160	20674	5095	32929	81	17346	17427	330	333	672	201112
34	KR	2102992	115122	135500	644	251266	6399	30789	6558	43746	187	12174	12361	701	640	725	309439
35 - UP-BR	UP	712701	114696	100136	34	214866	12755	22886	2836	38477	358	41986	42344	910	339	160	297096
36	MR	811731	28323	26955	9	55287	3440	12082	1335	16857	24	21313	21337	520	184	442	94627
37	BR	285659	53889	51011	15	104915	4455	19688	824	24967	1	26703	26704	311	136	98	157131
38 - PB-HP	LD	2597637	19053	23272	37	42362	3532	9514	765	13811	54	15775	15829	313	153	250	72718
39	PB	2538176	9633	22504	11	32148	1988	6951	1143	10082	99	8791	8890	190	118	191	51619
40	HP	1012158	4032	5499	11	9542	955	3166	181	4302	0	3110	3110	17	61	152	17184
Total		106768329	1754972	1518480	1938	3275390	144560	541872	117217	803649	1828	563615	565443	20275	9169	16743	4690669

अंचलवार (क्षेत्रवार) स्थिति एवं संकेन्द्रण – छूट प्राप्त स्थापनाएं				
क्षेत्र	स्थापनाएं		सदस्य	
	छूट प्राप्त	सम्पूर्ण भारत के योग का %	छूट प्राप्त	सम्पूर्ण भारत के योग का %
देहरादून	26	0.72%	58674	0.94%
दिल्ली (उत्तर)	123	3.40%	411763	6.62%
दिल्ली (दक्षिण)	103	2.84%	225687	3.63%
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	252	6.96%	696124	11.20%
चंडीगढ़	62	1.71%	16326	0.26%
लुधियाना	45	1.24%	52267	0.84%
शिमला	88	2.43%	27255	0.44%
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	195	5.39%	95848	1.54%
कानपुर	133	3.67%	119501	1.92%
मेरठ	105	2.90%	137796	2.22%
पटना	68	1.88%	32219	0.52%
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	306	8.45%	289516	4.66%
फरीदाबाद	80	2.21%	53257	0.86%
गुडगांव	47	1.30%	130029	2.09%
जयपुर	232	6.41%	124411	2.00%
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	359	9.91%	307697	4.95%
अहमदाबाद	56	1.55%	155263	2.50%
बड़ौदा	32	0.88%	57385	0.92%
इंदौर	60	1.66%	40678	0.65%
सुरत	38	1.05%	17307	0.28%
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	186	5.14%	270633	4.35%
कांदिवली	79	2.18%	186187	3.00%
मुंबई-I बांद्रा	632	17.45%	1199803	19.30%
मुंबई-II थाणे	132	3.65%	281656	4.53%
नागपुर	58	1.60%	103029	1.66%
पुणे	88	2.43%	197373	3.18%
रायपुर	50	1.38%	63993	1.03%
आं.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	1039	28.69%	2032041	32.69%
बंगलौर	51	1.41%	289347	4.65%
गुलबर्गा	34	0.94%	79185	1.27%
मंगलौर	37	1.02%	41341	0.67%
पणजी	9	0.25%	14259	0.23%
पीण्या	65	1.80%	591687	9.52%
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	196	5.41%	1015819	16.34%
भुवनेश्वर	104	2.87%	65657	1.06%
गुन्टूर	55	1.52%	82979	1.33%
हैदराबाद	47	1.30%	233750	3.76%
निजामाबाद	11	0.30%	2064	0.03%
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	217	5.99%	384450	6.19%
चेन्नै	64	1.77%	173264	2.79%
कोयम्बतूर	38	1.05%	64449	1.04%
मदुरै	14	0.39%	20565	0.33%
तांबरम	20	0.55%	21635	0.35%
तिरुवनंतपुरम	71	1.96%	49841	0.80%
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	207	5.72%	329754	5.31%
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	42	1.16%	26271	0.42%
जलपाईगुड़ी	16	0.44%	5995	0.10%
कोलकाता	464	12.81%	525205	8.45%
रांची	142	3.92%	236491	3.80%
आ.का. (प.बं., पू.क्षे. एवं झारखंड)	664	18.34%	793962	12.77%
अखिल भारतीय	3621	100.00%	6215844	100.00%

Zone wise (Region wise) position and concentration - Exempted Establishment				
Region	ESTABLISHMENTS		MEMBERS	
	Exempted	% of all India Total	Exempted	% of all India Total
Dehradun	26	0.72%	58674	0.94%
Delhi (North)	123	3.40%	411763	6.62%
Delhi (South)	103	2.84%	225687	3.63%
ZO (DL & UK)	252	6.96%	696124	11.20%
Chandigarh	62	1.71%	16326	0.26%
Ludhiana	45	1.24%	52267	0.84%
Shimla	88	2.43%	27255	0.44%
ZO (PN & HP)	195	5.39%	95848	1.54%
Kanpur	133	3.67%	119501	1.92%
Meerut	105	2.90%	137796	2.22%
Patna	68	1.88%	32219	0.52%
ZO (UP & BR)	306	8.45%	289516	4.66%
Faridabad	80	2.21%	53257	0.86%
Gurgaon	47	1.30%	130029	2.09%
Jaipur	232	6.41%	124411	2.00%
ZO (HR & RJ)	359	9.91%	307697	4.95%
Ahmedabad	56	1.55%	155263	2.50%
Baroda	32	0.88%	57385	0.92%
Indore	60	1.66%	40678	0.65%
Surat	38	1.05%	17307	0.28%
ZO(GJ & MP)	186	5.14%	270633	4.35%
Kandivili	79	2.18%	186187	3.00%
Mumbai-I Bandra	632	17.45%	1199803	19.30%
Mumbai-II Thane	132	3.65%	281656	4.53%
Nagpur	58	1.60%	103029	1.66%
Pune	88	2.43%	197373	3.18%
Raipur	50	1.38%	63993	1.03%
ZO (MH & CG)	1039	28.69%	2032041	32.69%
Bangalore	51	1.41%	289347	4.65%
Gulbarga	34	0.94%	79185	1.27%
Mangalore	37	1.02%	41341	0.67%
Panaji	9	0.25%	14259	0.23%
Peenya	65	1.80%	591687	9.52%
ZO(KN & Goa)	196	5.41%	1015819	16.34%
Bhubaneshwar	104	2.87%	65657	1.06%
Guntur	55	1.52%	82979	1.33%
Hyderabad	47	1.30%	233750	3.76%
Nizamabad	11	0.30%	2064	0.03%
ZO(AP & OR)	217	5.99%	384450	6.19%
Chennai	64	1.77%	173264	2.79%
Coimbatore	38	1.05%	64449	1.04%
Madurai	14	0.39%	20565	0.33%
Tambaram	20	0.55%	21635	0.35%
Thiruvananthapuram	71	1.96%	49841	0.80%
ZO (TN & KR)	207	5.72%	329754	5.31%
Guwahati (NER)	42	1.16%	26271	0.42%
Jalpaiguri	16	0.44%	5995	0.10%
Kolkata	464	12.81%	525205	8.45%
Ranchi	142	3.92%	236491	3.80%
ZO (WB, NER & JH)	664	18.34%	793962	12.77%
All INDIA	3621	100.00%	6215844	100.00%

स्थापनाओं एवं सदस्यों का छूट प्राप्त क्षेत्र में संकेन्द्रण - 31.03.2014					
क्र.सं.	राज्य	स्थापनाएं		सदस्य	
		छूट प्राप्त	कुल का %	छूट प्राप्त	कुल का %
1	महाराष्ट्र	989	27.31%	1968048	31.66%
2	कर्नाटक	187	5.16%	1001560	16.11%
3	दिल्ली	226	6.24%	637450	10.26%
4	पश्चिम बंगाल	480	13.26%	531200	8.55%
5	आंध्र प्रदेश	113	3.12%	318793	5.13%
उप - योग		1995	55.10%	4457051	71.70%
शेष राज्य		1626	44.90%	1758793	28.30%
21 राज्यों की कुल संख्या		3621	100.00%	6215844	100.00%



APPENDIX – 11 (ii)

Concentration of Establishment & Members in Exempted Sector as on 31.03.2014					
Sl. No.	State	ESTABLISHMENTS		MEMBERS	
		Exempted	% of Total	Exempted	% of Total
1	Maharashtra	989	27.31%	1968048	31.66%
2	Karnataka	187	5.16%	1001560	16.11%
3	Delhi	226	6.24%	637450	10.26%
4	West Bengal	480	13.26%	531200	8.55%
5	Andhra Pradesh	113	3.12%	318793	5.13%
Sub- Total		1995	55.10%	4457051	71.70%
Rest of the States		1626	44.90%	1758793	28.30%
Total Strength of 21 States		3621	100.00%	6215844	100.00%



सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2013-14)					(रु. करोड़ों में)			
क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पें.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	447.85	237.83	196.46	108.18	9.68	1.93	653.99	347.94
दिल्ली (उत्तर)	2282.30	1179.92	787.72	298.68	24.50	5.66	3094.52	1484.25
दिल्ली (दक्षिण)	2049.11	1096.90	514.06	230.30	21.96	2.35	2585.13	1329.55
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	4779.25	2514.65	1498.24	637.16	56.14	9.94	6333.64	3161.74
चंडीगढ़	735.46	593.82	216.50	146.13	12.03	2.51	963.99	742.45
लुधियाना	592.11	460.10	222.11	167.06	10.31	2.57	824.53	629.73
शिमला	308.54	203.85	113.07	72.62	5.34	1.13	426.95	277.60
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1636.11	1257.77	551.68	385.81	27.68	6.21	2215.47	1649.78
कानपुर	647.93	482.10	304.91	403.99	13.88	5.42	966.72	891.51
मेरठ	1165.06	753.31	391.94	232.47	17.55	2.96	1574.55	988.74
पटना	247.83	729.50	113.62	201.49	4.82	1.33	366.27	932.32
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	2060.82	1964.91	810.47	837.95	36.25	9.71	2907.54	2812.57
फरीदाबाद	662.63	620.32	250.51	186.19	12.93	2.41	926.08	808.92
गुडगांव	2474.10	1045.80	573.17	236.05	23.43	2.46	3070.70	1284.31
जयपुर	935.05	667.98	334.64	237.62	13.61	2.65	1283.30	908.25
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	4071.78	2334.10	1158.32	659.86	49.97	7.52	5280.08	3001.48
अहमदाबाद	1450.03	926.35	533.50	385.70	21.03	4.35	2004.55	1316.41
बड़ौदा	455.21	270.67	155.12	118.96	6.97	1.74	617.29	391.36
इंदौर	1011.58	693.86	357.91	259.13	18.26	3.66	1387.75	956.65
सूरत	798.64	519.75	290.98	156.05	14.34	2.44	1103.96	678.24
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3715.46	2410.63	1337.51	919.84	60.60	12.19	5113.55	3342.66
कांदिवाली	2136.80	1385.92	646.57	445.23	29.64	5.59	2813.01	1836.74
मुंबई-I बांद्रा	5073.50	2572.68	1301.71	491.27	37.41	7.03	6412.62	3070.98
मुंबई-II थाणे	2030.93	1235.24	585.07	384.94	27.58	5.69	2643.59	1625.87
नागपुर	753.56	587.31	274.11	292.95	13.98	5.01	1041.65	885.27
पुणे	2956.57	1940.84	793.64	600.56	36.46	8.89	3786.68	2550.28
रायपुर	344.14	176.65	150.63	118.22	6.26	1.52	501.03	296.39
आं.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	13295.50	7898.64	3751.73	2333.17	151.33	33.73	17198.58	10265.53
बंगलौर	2729.78	1315.12	681.11	328.29	22.27	3.39	3433.16	1646.80
गुलबर्गा	402.97	295.84	184.19	158.46	7.88	1.90	595.03	456.20
मंगलौर	508.14	372.54	224.11	206.14	9.69	3.19	741.94	581.86
पणजी	257.57	207.11	74.85	47.80	3.25	0.84	335.66	255.75
पीप्या	3898.30	1774.73	978.98	428.63	27.23	3.13	4904.51	2206.49
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	7796.76	3965.34	2143.24	1169.32	70.32	12.45	10010.30	5147.10
भुवनेश्वर	701.52	492.56	269.22	194.72	14.83	2.58	985.57	689.86
गुन्टूर	933.21	624.37	369.28	342.91	20.79	6.64	1323.28	973.92
हैदराबाद	2991.44	1504.05	848.30	409.56	33.25	5.28	3872.99	1918.90
निजामाबाद	262.88	207.34	109.91	128.23	6.55	2.40	379.33	337.97
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	4889.05	2828.32	1596.71	1075.42	75.42	16.90	6561.17	3920.65
चेन्नै	3251.70	1675.92	889.80	762.08	33.55	4.56	4175.05	2442.56
कोयम्बतूर	1159.55	885.82	474.55	357.57	21.72	5.13	1655.82	1248.51
मद्रै	549.11	431.94	248.65	232.11	13.07	3.44	810.83	667.48
तांबरम	1062.11	640.43	329.08	200.51	14.52	2.09	1405.71	843.03
तिरुवनंतपुरम	1320.89	912.52	475.27	424.00	24.26	5.71	1820.42	1342.23
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	7343.36	4546.63	2417.35	1976.27	107.12	20.93	9867.83	6543.81
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	311.04	175.97	122.26	78.65	7.21	3.52	440.52	258.14
जलपाईगुड़ी	310.68	327.97	158.57	125.63	9.77	4.96	479.03	458.56
कोलकाता	1661.33	1101.00	696.24	517.12	37.90	13.05	2395.48	1631.17
रांची	308.35	189.08	175.44	184.12	8.05	1.52	491.84	374.72
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	2591.40	1794.02	1152.51	905.52	62.93	23.05	3806.87	2722.59
अखिल भारतीय	52179.50	31515.01	16417.76	10900.32	697.76	152.63	69295.03	42567.91

APPENDIX A-12 (i)

Contribution and Payment of all three Schemes (2013-14)							(₹ in cr.)	
Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	447.85	237.83	196.46	108.18	9.68	1.93	653.99	347.94
Delhi (North)	2282.30	1179.92	787.72	298.68	24.50	5.66	3094.52	1484.25
Delhi (South)	2049.11	1096.90	514.06	230.30	21.96	2.35	2585.13	1329.55
ZO (DL & UK)	4779.26	2514.65	1498.24	637.16	56.14	9.94	6333.64	3161.74
Chandigarh	735.46	593.82	216.50	146.13	12.03	2.51	963.99	742.45
Ludhiana	592.11	460.10	222.11	167.06	10.31	2.57	824.53	629.73
Shimla	308.54	203.85	113.07	72.62	5.34	1.13	426.95	277.60
ZO (PN & HP)	1636.11	1257.77	551.68	385.81	27.68	6.21	2215.47	1649.78
Kanpur	647.93	482.10	304.91	403.99	13.88	5.42	966.72	891.51
Meerut	1165.06	753.31	391.94	232.47	17.55	2.96	1574.55	988.74
Patna	247.83	729.50	113.62	201.49	4.82	1.33	366.27	932.32
ZO (UP & BR)	2060.82	1964.91	810.47	837.95	36.25	9.71	2907.54	2812.57
Faridabad	662.63	620.32	250.51	186.19	12.93	2.41	926.08	808.92
Gurgaon	2474.10	1045.80	573.17	236.05	23.43	2.46	3070.70	1284.31
Jaipur	935.05	667.98	334.64	237.62	13.61	2.65	1283.30	908.25
ZO (HR & RJ)	4071.78	2334.10	1158.32	659.86	49.97	7.52	5280.08	3001.48
Ahmedabad	1450.03	926.35	533.50	385.70	21.03	4.35	2004.55	1316.41
Baroda	455.21	270.67	155.12	118.96	6.97	1.74	617.29	391.36
Indore	1011.58	693.86	357.91	259.13	18.26	3.66	1387.75	956.65
Surat	798.64	519.75	290.98	156.05	14.34	2.44	1103.96	678.24
ZO (GJ & MP)	3715.46	2410.63	1337.51	919.84	60.60	12.19	5113.55	3342.66
Kandivili	2136.80	1385.92	646.57	445.23	29.64	5.59	2813.01	1836.74
Mumbai-I Bandra	5073.50	2572.68	1301.71	491.27	37.41	7.03	6412.62	3070.98
Mumbai-II Thane	2030.93	1235.24	585.07	384.94	27.58	5.69	2643.59	1625.87
Nagpur	753.56	587.31	274.11	292.95	13.98	5.01	1041.65	885.27
Pune	2956.57	1940.84	793.64	600.56	36.46	8.89	3786.68	2550.28
Raipur	344.14	176.65	150.63	118.22	6.26	1.52	501.03	296.39
ZO (MH & CG)	13295.50	7898.64	3751.73	2333.17	151.33	33.73	17198.58	10265.53
Bangalore	2729.78	1315.12	681.11	328.29	22.27	3.39	3433.16	1646.80
Gulbarga	402.97	295.84	184.19	158.46	7.88	1.90	595.03	456.20
Mangalore	508.14	372.54	224.11	206.14	9.69	3.19	741.94	581.86
Panaji	257.57	207.11	74.85	47.80	3.25	0.84	335.66	255.75
Peenya	3898.30	1774.73	978.98	428.63	27.23	3.13	4904.51	2206.49
ZO (KN & Goa)	7796.76	3965.34	2143.24	1169.32	70.32	12.45	10010.30	5147.10
Bhubaneswar	701.52	492.56	269.22	194.72	14.83	2.58	985.57	689.86
Guntur	933.21	624.37	369.28	342.91	20.79	6.64	1323.28	973.92
Hyderabad	2991.44	1504.05	848.30	409.56	33.25	5.28	3872.99	1918.90
Nizamabad	262.88	207.34	109.91	128.23	6.55	2.40	379.33	337.97
ZO (AP & OR)	4889.05	2828.32	1596.71	1075.42	75.42	16.90	6561.17	3920.65
Chennai	3251.70	1675.92	889.80	762.08	33.55	4.56	4175.05	2442.56
Coimbatore	1159.55	885.82	474.55	357.57	21.72	5.13	1655.82	1248.51
Madurai	549.11	431.94	248.65	232.11	13.07	3.44	810.83	667.48
Tamaram	1062.11	640.43	329.08	200.51	14.52	2.09	1405.71	843.03
Thiruvananthapuram	1320.89	912.52	475.27	424.00	24.26	5.71	1820.42	1342.23
ZO (TN & KR)	7343.36	4546.63	2417.35	1976.27	107.12	20.93	9867.83	6543.81
Guwahati (NER)	311.04	175.97	122.26	78.65	7.21	3.52	440.52	258.14
Jalpaiguri	310.68	327.97	158.57	125.63	9.77	4.96	479.03	458.56
Kolkata	1661.33	1101.00	696.24	517.12	37.90	13.05	2395.48	1631.17
Ranchi	308.35	189.08	175.44	184.12	8.05	1.52	491.84	374.72
ZO (WB, NER & JH)	2591.40	1794.02	1152.51	905.52	62.93	23.05	3806.87	2722.59
ALL INDIA	52179.50	31515.01	16417.76	10900.32	697.76	152.63	69295.03	42567.91

परिशिष्ट ए -12(ii)

सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2012-13)

(रु. करोड़ों में)

क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पं.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	348.79	191.69	169.53	84.81	8.20	2.02	526.52	278.52
दिल्ली (उत्तर)	1915.56	1088.44	625.70	256.22	22.48	4.63	2563.74	1349.29
दिल्ली (दक्षिण)	1984.57	1073.78	504.54	219.72	20.87	2.44	2509.98	1295.94
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	4248.92	2353.91	1299.77	560.75	51.55	9.09	5600.24	2923.75
चंडीगढ़	643.61	536.24	189.45	109.66	10.30	1.70	843.36	647.60
लुधियाना	505.78	415.90	197.98	143.51	9.10	2.44	712.86	561.85
शिमला	269.47	161.48	101.45	56.97	4.59	0.83	375.51	219.28
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1418.86	1113.62	488.88	310.14	23.99	4.97	1931.73	1428.73
कानपुर	628.92	434.75	265.11	365.51	12.30	4.14	906.33	804.40
मेरठ	967.56	615.10	357.42	195.59	16.67	2.22	1341.65	812.91
पटना	189.81	164.27	81.42	162.08	3.68	1.22	274.91	327.57
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1786.29	1214.12	703.95	723.18	32.65	7.58	2522.89	1944.88
फरीदाबाद	602.98	490.32	235.90	157.75	11.70	1.84	850.58	649.91
गुडगांव	1900.73	877.64	507.80	200.46	20.24	1.80	2428.77	1079.90
जयपुर	815.15	547.78	301.39	201.95	12.22	1.70	1128.76	751.43
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	3318.86	1915.74	1045.09	560.16	44.16	5.34	4408.11	2481.24
अहमदाबाद	1297.13	791.84	478.73	326.74	18.76	3.06	1794.62	1121.64
बड़ौदा	386.15	222.50	144.08	101.45	6.09	1.23	536.32	325.18
इंदौर	949.96	591.14	314.55	222.75	15.19	2.77	1279.70	816.66
सूरत	696.18	409.02	259.56	122.20	12.51	2.02	968.25	533.24
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3329.42	2014.50	1196.92	773.14	52.55	9.08	4578.89	2796.72
कांदिवली	1913.64	1264.41	588.65	416.29	27.01	5.07	2529.30	1685.77
मुंबई-I बांद्रा	4725.05	2438.16	1197.57	458.48	34.77	7.09	5957.39	2903.73
मुंबई-II थाणे	1787.71	1038.13	537.48	334.79	26.44	6.07	2351.63	1378.99
नागपुर	662.34	426.69	248.18	261.63	12.57	4.42	923.09	692.74
पुणे	2538.69	1415.50	714.25	495.64	33.18	7.01	3286.12	1918.15
रायपुर	289.71	141.06	134.10	96.07	5.20	1.11	429.01	238.24
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	11917.14	6723.95	3420.23	2062.90	139.17	30.77	15476.54	8817.62
बंगलौर	2313.75	1250.83	601.95	270.34	19.14	2.61	2934.84	1523.78
गुलबर्गा	348.02	225.38	165.20	134.74	6.85	1.59	520.07	361.71
मंगलौर	438.01	314.83	194.91	172.80	8.43	2.40	641.35	490.03
पणजी	229.16	143.06	69.18	36.89	2.85	0.36	301.19	180.31
पीण्या	3437.11	1459.18	881.20	356.12	23.09	1.93	4341.40	1817.23
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	6766.05	3393.28	1912.44	970.89	60.36	8.89	8738.85	4373.06
भुवनेश्वर	576.59	298.67	240.44	147.93	12.22	2.84	829.25	449.44
गुन्टूर	838.24	495.55	337.23	295.75	18.92	5.67	1194.39	796.97
हैदराबाद	2641.50	1288.09	789.30	341.63	28.67	3.99	3459.47	1633.71
निजामाबाद	234.14	176.21	101.36	110.42	6.00	1.64	341.50	288.27
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	4290.47	2258.52	1468.33	895.73	65.81	14.14	5824.61	3168.39
चेन्नै	2852.88	1303.17	795.03	378.42	30.32	2.90	3678.23	1684.49
कोयम्बतूर	994.25	665.26	414.26	295.93	18.25	3.55	1426.76	964.74
मद्रास	471.57	365.37	214.50	198.15	11.00	2.63	697.07	566.15
तांबरम	896.09	470.80	281.06	160.26	12.36	1.50	1189.51	632.56
तिरुवनंतपुरम	1149.53	721.37	438.83	365.38	21.93	4.36	1610.29	1091.11
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	6364.32	3525.97	2143.68	1398.14	93.86	14.94	8601.86	4939.05
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	254.77	129.76	105.02	69.10	6.18	2.58	365.97	201.44
जलपाईगुड़ी	288.69	270.89	142.97	100.57	9.29	5.68	440.95	377.14
कोलकाता	1541.28	885.51	637.26	451.20	33.43	9.67	2211.97	1346.38
रांची	273.30	156.63	159.48	162.64	7.12	1.16	439.90	320.43
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	2358.04	1442.79	1044.73	783.51	56.02	19.09	3458.79	2245.39
अखिल भारतीय	45798.37	25956.40	14724.02	9038.54	620.12	123.89	61142.51	35118.83

APPENDIX A-12(ii)
Contribution and Payment of all three Schemes (2012-13)
(₹ in cr.)

Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	348.79	191.69	169.53	84.81	8.2	2.02	526.52	278.52
Delhi (North)	1915.56	1088.44	625.7	256.22	22.48	4.63	2563.74	1349.29
Delhi (South)	1984.57	1073.78	504.54	219.72	20.87	2.44	2509.98	1295.94
ZO (DL & UK)	4248.92	2353.91	1299.77	560.75	51.55	9.09	5600.24	2923.75
Chandigarh	643.61	536.24	189.45	109.66	10.3	1.7	843.36	647.6
Ludhiana	505.78	415.9	197.98	143.51	9.1	2.44	712.86	561.85
Shimla	269.47	161.48	101.45	56.97	4.59	0.83	375.51	219.28
ZO (PN & HP)	1418.86	1113.62	488.88	310.14	23.99	4.97	1931.73	1428.73
Kanpur	628.92	434.75	265.11	365.51	12.3	4.14	906.33	804.4
Meerut	967.56	615.1	357.42	195.59	16.67	2.22	1341.65	812.91
Patna	189.81	164.27	81.42	162.08	3.68	1.22	274.91	327.57
ZO (UP & BR)	1786.29	1214.12	703.95	723.18	32.65	7.58	2522.89	1944.88
Faridabad	602.98	490.32	235.9	157.75	11.7	1.84	850.58	649.91
Gurgaon	1900.73	877.64	507.8	200.46	20.24	1.8	2428.77	1079.9
Jaipur	815.15	547.78	301.39	201.95	12.22	1.7	1128.76	751.43
ZO (HR & RJ)	3318.86	1915.74	1045.09	560.16	44.16	5.34	4408.11	2481.24
Ahmedabad	1297.13	791.84	478.73	326.74	18.76	3.06	1794.62	1121.64
Baroda	386.15	222.5	144.08	101.45	6.09	1.23	536.32	325.18
Indore	949.96	591.14	314.55	222.75	15.19	2.77	1279.7	816.66
Surat	696.18	409.02	259.56	122.2	12.51	2.02	968.25	533.24
ZO (GJ & MP)	3329.42	2014.5	1196.92	773.14	52.55	9.08	4578.89	2796.72
Kandivili	1913.64	1264.41	588.65	416.29	27.01	5.07	2529.3	1685.77
Mumbai-I Bandra	4725.05	2438.16	1197.57	458.48	34.77	7.09	5957.39	2903.73
Mumbai-II Thane	1787.71	1038.13	537.48	334.79	26.44	6.07	2351.63	1378.99
Nagpur	662.34	426.69	248.18	261.63	12.57	4.42	923.09	692.74
Pune	2538.69	1415.5	714.25	495.64	33.18	7.01	3286.12	1918.15
Raipur	289.71	141.06	134.1	96.07	5.2	1.11	429.01	238.24
ZO (MH & CG)	11917.14	6723.95	3420.23	2062.9	139.17	30.77	15476.54	8817.62
Bangalore	2313.75	1250.83	601.95	270.34	19.14	2.61	2934.84	1523.78
Gulbarga	348.02	225.38	165.2	134.74	6.85	1.59	520.07	361.71
Mangalore	438.01	314.83	194.91	172.8	8.43	2.4	641.35	490.03
Panaji	229.16	143.06	69.18	36.89	2.85	0.36	301.19	180.31
Peenya	3437.11	1459.18	881.2	356.12	23.09	1.93	4341.4	1817.23
ZO (KN & Goa)	6766.05	3393.28	1912.44	970.89	60.36	8.89	8738.85	4373.06
Bhubaneshwar	576.59	298.67	240.44	147.93	12.22	2.84	829.25	449.44
Guntur	838.24	495.55	337.23	295.75	18.92	5.67	1194.39	796.97
Hyderabad	2641.5	1288.09	789.3	341.63	28.67	3.99	3459.47	1633.71
Nizamabad	234.14	176.21	101.36	110.42	6	1.64	341.5	288.27
ZO (AP & OR)	4290.47	2258.52	1468.33	895.73	65.81	14.14	5824.61	3168.39
Chennai	2852.88	1303.17	795.03	378.42	30.32	2.9	3678.23	1684.49
Coimbatore	994.25	665.26	414.26	295.93	18.25	3.55	1426.76	964.74
Madurai	471.57	365.37	214.5	198.15	11	2.63	697.07	566.15
Tambaram	896.09	470.8	281.06	160.26	12.36	1.5	1189.51	632.56
Thiruvananthapura	1149.53	721.37	438.83	365.38	21.93	4.36	1610.29	1091.11
ZO (TN & KR)	6364.32	3525.97	2143.68	1398.14	93.86	14.94	8601.86	4939.05
Guwahati (NER)	254.77	129.76	105.02	69.1	6.18	2.58	365.97	201.44
Jalpaiguri	288.69	270.89	142.97	100.57	9.29	5.68	440.95	377.14
Kolkata	1541.28	885.51	637.26	451.2	33.43	9.67	2211.97	1346.38
Ranchi	273.3	156.63	159.48	162.64	7.12	1.16	439.9	320.43
ZO (WB, NER & All INDIA)	2358.04	1442.79	1044.73	783.51	56.02	19.09	3458.79	2245.39
	45798.37	25956.4	14724.02	9038.54	620.12	123.89	61142.51	35118.83

परिशिष्ट ए -12 (iii)

सभी तीनों योजनाओं का अंशदान एवं भुगतान (2011-12)								
(रु. करोड़ों में)								
क्षेत्र	क.भ.नि.		क.पें.यो.		क.नि.स.बी.		कुल योग	
	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान	कुल अंशदान	कुल भुगतान
देहरादून	310.52	128.97	143.22	68.68	7.19	1.03	460.93	198.68
दिल्ली (उत्तर)	1,611.69	798.26	594.55	185.23	21.11	2.76	2,227.34	986.25
दिल्ली (दक्षिण)	1,793.91	925.95	556.10	234.93	20.33	0.97	2,370.34	1,161.86
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	3,716.12	1,853.18	1,293.87	488.84	48.63	4.76	5,058.61	2,346.79
चंडीगढ़	562.54	408.99	168.63	92.38	8.77	1.07	739.94	502.43
लुधियाना	449.91	332.36	190.77	137.27	7.89	1.33	648.57	470.96
शिमला	261.14	131.43	93.39	47.92	4.30	0.35	358.83	179.69
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1,273.59	872.78	452.79	277.57	20.96	2.75	1,747.34	1,153.08
कानपुर	507.67	442.69	249.31	327.50	11.41	3.38	768.39	773.56
मेरठ	843.49	549.07	320.02	168.71	13.77	1.63	1,177.29	719.41
पटना	151.38	80.17	73.01	102.99	3.73	0.91	228.12	184.07
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1,502.54	1,071.93	642.34	599.20	28.91	5.92	2,173.80	1,677.04
फरीदाबाद	533.94	439.81	216.14	130.18	10.51	1.10	760.59	571.09
गुडगांव	1,562.14	539.77	439.96	145.62	18.25	0.77	2,020.36	686.16
जयपुर	703.12	438.67	257.21	176.27	11.05	1.07	971.38	616.00
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	2,799.20	1,418.25	913.31	452.07	39.81	2.94	3,752.33	1,873.25
अहमदाबाद	1,145.74	659.34	450.19	285.37	17.11	2.45	1,613.04	947.17
बड़ौदा	334.17	186.17	126.12	90.19	5.68	0.95	465.97	277.31
इंदौर	754.84	478.86	270.27	200.06	13.49	2.22	1,038.60	681.15
सुरत	585.53	328.90	226.17	113.39	11.06	1.35	822.75	443.63
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2,820.28	1,653.27	1,072.75	689.01	47.34	6.97	3,940.36	2,349.26
कांदिवली	1,755.46	922.06	561.62	386.81	30.22	4.52	2,347.30	1,313.39
मुंबई-I बांद्रा	4,015.88	1,820.69	1,083.88	383.42	33.17	2.40	5,132.92	2,206.52
मुंबई-II थाणे	1,630.80	745.02	489.76	253.76	23.52	0.85	2,144.08	999.63
नागपुर	596.54	355.74	234.84	302.15	25.18	2.15	856.56	660.04
पुणे	2,196.99	1,017.87	656.05	203.57	12.39	3.18	2,865.42	1,224.62
रायपुर	233.84	118.75	120.01	90.37	4.55	0.55	358.40	209.67
आ.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	10,429.51	4,980.13	3,146.16	1,620.08	129.03	13.65	13,704.68	6,613.87
बंगलूर	1,921.83	943.46	523.48	252.70	17.46	1.47	2,462.77	1,197.62
गुलबर्गा	303.33	198.12	145.13	288.18	20.22	1.16	3,093.90	487.46
मंगलूर	367.13	259.34	175.40	118.36	6.68	1.55	485.41	379.25
पणजी	205.61	137.02	64.80	33.85	2.58	0.43	272.99	171.31
पीप्या	2,928.55	1,104.57	783.22	155.96	7.39	1.98	1,157.73	1,262.50
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	5,726.45	2,642.51	1,692.03	849.05	54.33	6.59	7,472.80	3,498.14
भुवनेश्वर	580.11	225.43	262.35	126.13	10.66	1.08	853.12	352.64
गुन्टूर	714.78	357.66	301.12	266.06	5.51	1.20	1,021.40	624.93
हैदराबाद	2,222.04	977.24	702.65	283.50	29.02	1.58	2,953.71	1,262.32
निजामाबाद	197.45	157.22	91.34	102.40	17.16	3.63	305.96	263.25
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	3,714.38	1,717.55	1,357.46	778.09	62.35	7.49	5,134.19	2,503.14
चेन्नै	2,452.32	922.51	695.91	255.33	27.22	1.34	3,175.45	1,179.18
कोयम्बतूर	902.99	539.00	379.40	178.86	10.21	1.89	1,292.60	719.75
मद्रास	425.97	325.87	197.37	149.23	10.74	1.09	634.08	476.20
तांबरम	771.53	410.19	250.67	257.67	16.48	2.16	1,038.67	670.03
तिरुवनंतपुरम	980.58	635.59	380.32	334.88	18.55	3.10	1,379.44	973.57
आ.का. (त.माड्रु एवं केरल)	5,533.39	2,833.16	1,903.67	1,175.97	83.20	9.58	7,520.24	4,018.73
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	210.09	99.81	89.77	63.36	5.53	1.48	305.38	164.64
जलपाईगुड़ी	246.65	204.85	128.25	74.88	8.09	4.86	382.99	284.59
कोलकाता	1,216.48	692.07	573.98	382.53	31.56	7.15	1,822.02	1,081.74
रांची	242.74	116.27	151.12	188.86	6.70	0.83	400.55	305.96
आ.का. (प.बं., पू.क्षे. एवं झारखंड)	1,915.96	1,113.00	943.12	709.63	51.88	14.32	2,910.94	1,836.93
अखिल भारतीय	39,431.42	20,155.76	13,417.50	7,639.51	566.44	75.97	53,415.29	27,870.23

APPENDIX A-12 (iii)

Contribution and Payment of all three Schemes (2011-12)							(₹ in cr.)	
Region	EPF		EPS		EDLI		Grand Total	
	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment	Total contribution	Total Payment
Dehradun	310.52	128.97	143.22	68.68	7.19	1.03	460.93	198.68
Delhi (North)	1611.69	798.26	594.55	185.23	21.11	2.76	2227.34	986.25
Delhi (South)	1793.91	925.95	556.10	234.93	20.33	0.97	2370.34	1161.86
ZO (DL & UK)	3716.12	1853.18	1293.87	488.84	48.63	4.76	5058.61	2346.79
Chandigarh	562.54	408.99	168.63	92.38	8.77	1.07	739.94	502.43
Ludhiana	449.91	332.36	190.77	137.27	7.89	1.33	648.57	470.96
Shimla	261.14	131.43	93.39	47.92	4.30	0.35	358.83	179.69
ZO (PN & HP)	1273.59	872.78	452.79	277.57	20.96	2.75	1747.34	1153.08
Kanpur	507.67	442.69	249.31	327.50	11.41	3.38	768.39	773.56
Meerut	843.49	549.07	320.02	168.71	13.77	1.63	1177.29	719.41
Patna	151.38	80.17	73.01	102.99	3.73	0.91	228.12	184.07
ZO (UP & BR)	1502.54	1071.93	642.34	599.20	28.91	5.92	2173.80	1677.04
Faridabad	533.94	439.81	216.14	130.18	10.51	1.10	760.59	571.09
Gurgaon	1562.14	539.77	439.96	145.62	18.25	0.77	2020.36	686.16
Jaipur	703.12	438.67	257.21	176.27	11.05	1.07	971.38	616.00
ZO (HR & RJ)	2799.20	1418.25	913.31	452.07	39.81	2.94	3752.33	1873.25
Ahmedabad	1145.74	659.34	450.19	285.37	17.11	2.45	1613.04	947.17
Baroda	334.17	186.17	126.12	90.19	5.68	0.95	465.97	277.31
Indore	754.84	478.86	270.27	200.06	13.49	2.22	1038.60	681.15
Surat	585.53	328.90	226.17	113.39	11.06	1.35	822.75	443.63
ZO (GJ & MP)	2820.28	1653.27	1072.75	689.01	47.34	6.97	3940.36	2349.26
Kandivili	1755.46	922.06	561.62	386.81	30.22	4.52	2347.30	1313.39
Mumbai-I Bandra	4015.88	1820.69	1083.88	383.42	33.17	2.40	5132.92	2206.52
Mumbai-II Thane	1630.80	745.02	489.76	253.76	23.52	0.85	2144.08	999.63
Nagpur	596.54	355.74	234.84	302.15	25.18	2.15	856.56	660.04
Pune	2196.99	1017.87	656.05	203.57	12.39	3.18	2865.42	1224.62
Raipur	233.84	118.75	120.01	90.37	4.55	0.55	358.40	209.67
ZO (MH & CG)	10429.51	4980.13	3146.16	1620.08	129.03	13.65	13704.68	6613.87
Bangalore	1921.83	943.46	523.48	252.70	17.46	1.47	2462.77	1197.62
Gulbarga	303.33	198.12	145.13	288.18	20.22	1.16	3093.90	487.46
Mangalore	367.13	259.34	175.40	118.36	6.68	1.55	485.41	379.25
Panaji	205.61	137.02	64.80	33.85	2.58	0.43	272.99	171.31
Peenya	2928.55	1104.57	783.22	155.96	7.39	1.98	1157.73	1262.50
ZO (KN & Goa)	5726.45	2642.51	1692.03	849.05	54.33	6.59	7472.80	3498.14
Bhubaneswar	580.11	225.43	262.35	126.13	10.66	1.08	853.12	352.64
Guntur	714.78	357.66	301.12	266.06	5.51	1.20	1021.40	624.93
Hyderabad	2222.04	977.24	702.65	283.50	29.02	1.58	2953.71	1262.32
Nizamabad	197.45	157.22	91.34	102.40	17.16	3.63	305.96	263.25
ZO (AP & OR)	3714.38	1717.55	1357.46	778.09	62.35	7.49	5134.19	2503.14
Chennai	2452.32	922.51	695.91	255.33	27.22	1.34	3175.45	1179.18
Coimbatore	902.99	539.00	379.40	178.86	10.21	1.89	1292.60	719.75
Madurai	425.97	325.87	197.37	149.23	10.74	1.09	634.08	476.20
Tambaram	771.53	410.19	250.67	257.67	16.48	2.16	1038.67	670.03
Thiruvananthapura	980.58	635.59	380.32	334.88	18.55	3.10	1379.44	973.57
ZO (TN & KR)	5533.39	2833.16	1903.67	1175.97	83.20	9.58	7520.24	4018.73
Guwahati (NER)	210.09	99.81	89.77	63.36	5.53	1.48	305.38	164.64
Jalpaiguri	246.65	204.85	128.25	74.88	8.09	4.86	382.99	284.59
Kolkata	1216.48	692.07	573.98	382.53	31.56	7.15	1822.02	1081.74
Ranchi	242.74	116.27	151.12	188.86	6.70	0.83	400.55	305.96
ZO (WB, NER & AII INDIA)	1915.96	1113.00	943.12	709.63	51.88	14.32	2910.94	1836.93
AII INDIA	39431.42	20155.76	13417.50	7639.51	566.44	74.97	53415.29	27870.23

वर्ष 1952 से क.भ.नि. शेष के मासिक चालू शेष पर ब्याज की दर

वर्ष	ब्याज की दर	वर्ष	ब्याज की दर
1952-53	3%	1983-84	9.15%
1953-54	3%	1984-85	9.90%
1954-55	3%	1985-86	10.15%
1955-56	3.50%	1986-87	11%
1956-57	3.50%	1987-88	11.50%
1957-58	3.75%	1988-89	11.80%
1958-59	3.75%	1989-90	12%
1959-60	3.75%	1990-91	12%
1960-61	3.75%	1991-92	12%
1961-62	3.75%	1992-93	12%
1962-63	3.75%	1993-94	12%*
1963-64	4%	1994-95	12%*
1964-65	4.25%	1995-96	12%*
1965-66	4.50%	1996-97	12%*
1966-67	4.75%	1997-98	12%*
1967-68	5%	1998-99	12%*
1968-69	5.25%	1999-00	12%*
1969-70	5.50%	2000-01	12 % 11% (*)
1970-71	5.70%	2001-02	9.50%
1971-72	5.80%	2002-03	9.50%
1972-73	6%	2003-04	9.50%
1973-74	6%	2004-05	9.5% @
1974-75	6.50%	2005-06	8.50%
1975-76	7%	2006-07	8.50%
1976-77	7.50%	2007-08	8.50%
1977-78	8%	2008-09	8.50%
1978-79	8.25%+0.5%bonus***	2009-10	8.50%
1979-80	8.25%	2010-11	9.50%
1980-81	8.25%	2011-12	8.25%
1981-82	8.50%	2012-13	8.50%
1982-83	8.75%	2013-14	8.75%
*** 1976-1977 व 1977-1978 के दौरान जिन्होंने अपनी भविष्य निधि से किसी राशि का प्रत्याहरण न किया हो ।			
(*)मासिक चालू शेष पर अप्रैल - जून 2001 पर 12% तथा जुलाई 2001 से 11% ,)			
(@ 9% ब्याज तथा 0.5% स्वर्ण जयन्ती बोनस ब्याज)			

Rate of Interest on EPF balances on monthly running balance since 1952 onwards				
Year	Rate of Interest		Year	Rate of Interest
1952-53	3%		1983-84	9.15%
1953-54	3%		1984-85	9.90%
1954-55	3%		1985-86	10.15%
1955-56	3.50%		1986-87	11%
1956-57	3.50%		1987-88	11.50%
1957-58	3.75%		1988-89	11.80%
1958-59	3.75%		1989-90	12%
1959-60	3.75%		1990-91	12%
1960-61	3.75%		1991-92	12%
1961-62	3.75%		1992-93	12%
1962-63	3.75%		1993-94	12%*
1963-64	4%		1994-95	12%*
1964-65	4.25%		1995-96	12%*
1965-66	4.50%		1996-97	12%*
1966-67	4.75%		1997-98	12%*
1967-68	5%		1998-99	12%*
1968-69	5.25%		1999-00	12%*
1969-70	5.50%		2000-01	12 % 11% (*)
1970-71	5.70%		2001-02	9.50%
1971-72	5.80%		2002-03	9.50%
1972-73	6%		2003-04	9.50%
1973-74	6%		2004-05	9.5% @
1974-75	6.50%		2005-06	8.50%
1975-76	7%		2006-07	8.50%
1976-77	7.50%		2007-08	8.50%
1977-78	8%		2008-09	8.50%
1978-79	8.25%+0.5%bonus***		2009-10	8.50%
1979-80	8.25%		2010-11	9.50%
1980-81	8.25%		2011-12	8.25%
1981-82	8.50%		2012-13	8.50%
1982-83	8.75%		2013-14	8.75%
***Who did not withdraw any amount from their PF during 1976-1977 & 1977-1978				
(*)12% (April-June,2001) and 11% July, 2001 onwards) on monthly running balance.				
(@ 9% Interest plus 0.5%) golden Jubilee bonus interest).				

अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.भ.नि. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.भ.नि देय	क.भ.नि. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
देहरादून	37.42	1.01	38.42	16.32	0.31	16.63	21.09	0.70	21.79
दिल्ली (उत्तर)	254.44	17.86	272.30	79.54	5.58	85.13	174.89	12.28	187.17
दिल्ली (दक्षिण)	470.68	34.69	505.37	31.03	2.30	33.33	439.65	32.39	472.04
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	762.53	53.56	816.09	126.90	8.19	135.09	635.63	45.37	681.00
चंडीगढ़	124.98	9.19	134.17	81.00	4.85	85.85	43.98	4.34	48.32
लुधियाना	23.94	1.50	25.44	6.68	0.70	7.38	17.27	0.80	18.07
शिमला	3.41	0.51	3.92	1.97	0.24	2.21	1.44	0.27	1.72
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	152.33	11.20	163.53	89.64	5.78	95.43	62.69	5.41	68.10
कानपुर	129.97	9.12	139.09	16.71	1.17	17.89	113.25	7.95	121.20
मेरठ	33.15	2.69	35.84	12.38	1.09	13.46	20.77	1.60	22.37
पटना	22.54	1.88	24.42	8.82	0.66	9.48	13.71	1.22	14.94
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	185.65	13.69	199.35	37.91	2.92	40.83	147.74	10.77	158.51
फरीदाबाद	32.25	3.12	35.37	11.46	0.81	12.27	20.79	2.31	23.10
गुड़गांव	34.10	2.39	36.49	23.21	1.63	24.84	10.88	0.76	11.65
जयपुर	25.15	2.34	27.49	7.79	0.64	8.43	17.36	1.70	19.05
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	91.49	7.85	99.35	42.47	3.08	45.55	49.02	4.77	53.80
अहमदाबाद	39.51	5.60	45.11	15.14	1.22	16.36	24.37	4.38	28.75
बड़ौदा	10.25	0.73	10.98	3.81	0.17	3.98	6.44	0.56	7.00
इंदौर	247.20	17.38	264.58	73.47	4.89	78.37	173.72	12.49	186.21
सुरत	39.32	2.69	42.01	11.47	1.04	12.51	27.85	1.65	29.50
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	336.27	26.40	362.68	103.89	7.33	111.21	232.39	19.08	251.46
कांदिवली	97.60	20.27	117.87	21.31	2.04	23.35	76.29	18.23	94.52
मुंबई-I बांद्रा	103.68	13.44	117.11	5.67	0.16	5.83	98.01	13.27	111.29
मुंबई-II थाणे	26.19	2.16	28.35	5.21	1.19	6.40	20.97	0.97	21.95
नागपुर	93.60	9.97	103.57	16.82	1.28	18.10	76.78	8.69	85.47
पुणे	68.60	3.94	72.54	13.98	1.09	15.08	54.62	2.84	57.47
रायपुर	31.16	1.59	32.75	9.85	0.83	10.68	21.31	0.76	22.07
आं.का. (मह. एवं छत्तीसगढ़)	420.83	51.36	472.19	72.84	6.60	79.44	347.99	44.76	392.76
बंगलौर	142.23	11.96	154.19	79.71	5.33	85.04	62.52	6.63	69.15
गुलबर्गा	31.48	2.48	33.96	11.08	0.69	11.76	20.40	1.79	22.19
मंगलौर	49.40	3.60	53.00	14.27	1.34	15.61	35.13	2.26	37.40
पणजी	7.55	0.59	8.15	4.17	0.32	4.49	3.38	0.27	3.65
पीण्या	84.39	5.92	90.31	56.32	3.97	60.29	28.07	1.95	30.02
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	315.05	24.55	339.61	165.54	11.65	177.19	149.51	12.91	162.42
भुवनेश्वर	92.54	7.60	100.15	24.28	1.70	25.98	68.27	5.90	74.17
गुन्टूर	76.71	5.66	82.37	35.18	2.56	37.74	41.53	3.10	44.63
हैदराबाद	127.03	5.55	132.58	52.28	2.18	54.46	74.75	3.37	78.11
निजामाबाद	28.13	2.17	30.31	18.16	1.31	19.46	9.98	0.87	10.84
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	324.42	20.99	345.40	129.89	7.75	137.65	194.53	13.23	207.76
चेन्नै	105.31	8.12	113.42	63.20	4.31	67.51	42.11	3.80	45.91
कोयम्बतूर	118.82	9.85	128.67	43.52	3.17	46.68	75.31	6.68	81.99
मद्रास	76.45	5.17	81.62	40.40	2.56	42.96	36.05	2.60	38.66
तांबरम	77.98	6.72	84.70	38.26	2.77	41.03	39.72	3.95	43.66
तिरुवनंतपुरम	193.44	12.10	205.54	45.34	3.05	48.39	148.09	9.05	157.14
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	572.00	41.95	613.95	230.72	15.86	246.59	341.28	26.09	367.36
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	39.09	3.14	42.23	18.54	1.44	19.99	20.55	1.70	22.25
जलपाईगुड़ी	90.17	7.72	97.89	51.11	2.58	53.70	39.05	5.14	44.19
कोलकाता	118.46	5.48	123.94	27.73	2.68	30.41	90.73	2.79	93.52
रांची	15.20	1.50	16.70	4.22	0.36	4.58	10.98	1.13	12.12
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	262.92	17.83	280.76	101.60	7.07	108.68	161.32	10.76	172.08
अखिल भारतीय	3423.50	269.39	3692.89	1101.41	76.24	1177.64	2322.06	193.15	2515.25

APPENDIX A-14 (i)

Assessed Arrears under EPF Scheme in Unexempted Sector as on 31.03.2014 (₹ in cr.)									
Region	Workload			Collection made			Closing balance		
	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total	EPF Dues	EPF Admn. & Insp Charges	Total
Dehradun	37.42	1.01	38.42	16.32	0.31	16.63	21.09	0.70	21.79
Delhi (North)	254.44	17.86	272.30	79.54	5.58	85.13	174.89	12.28	187.17
Delhi (South)	470.68	34.69	505.37	31.03	2.30	33.33	439.65	32.39	472.04
ZO (DL & UK)	762.53	53.56	816.09	126.90	8.19	135.09	635.63	45.37	681.00
Chandigarh	124.98	9.19	134.17	81.00	4.85	85.85	43.98	4.34	48.32
Ludhiana	23.94	1.50	25.44	6.68	0.70	7.38	17.27	0.80	18.07
Shimla	3.41	0.51	3.92	1.97	0.24	2.21	1.44	0.27	1.72
ZO (PN & HP)	152.33	11.20	163.53	89.64	5.78	95.43	62.69	5.41	68.10
Kanpur	129.97	9.12	139.09	16.71	1.17	17.89	113.25	7.95	121.20
Meerut	33.15	2.69	35.84	12.38	1.09	13.46	20.77	1.60	22.37
Patna	22.54	1.88	24.42	8.82	0.66	9.48	13.71	1.22	14.94
ZO (UP & BR)	185.65	13.69	199.35	37.91	2.92	40.83	147.74	10.77	158.51
Faridabad	32.25	3.12	35.37	11.46	0.81	12.27	20.79	2.31	23.10
Gurgaon	34.10	2.39	36.49	23.21	1.63	24.84	10.88	0.76	11.65
Jaipur	25.15	2.34	27.49	7.79	0.64	8.43	17.36	1.70	19.05
ZO (HR & RJ)	91.49	7.85	99.35	42.47	3.08	45.55	49.02	4.77	53.80
Ahmedabad	39.51	5.60	45.11	15.14	1.22	16.36	24.37	4.38	28.75
Baroda	10.25	0.73	10.98	3.81	0.17	3.98	6.44	0.56	7.00
Indore	247.20	17.38	264.58	73.47	4.89	78.37	173.72	12.49	186.21
Surat	39.32	2.69	42.01	11.47	1.04	12.51	27.85	1.65	29.50
ZO (GJ & MP)	336.27	26.40	362.68	103.89	7.33	111.21	232.39	19.08	251.46
Kandivili	97.60	20.27	117.87	21.31	2.04	23.35	76.29	18.23	94.52
Mumbai-I Bandra	103.68	13.44	117.11	5.67	0.16	5.83	98.01	13.27	111.29
Mumbai-II Thane	26.19	2.16	28.35	5.21	1.19	6.40	20.97	0.97	21.95
Nagpur	93.60	9.97	103.57	16.82	1.28	18.10	76.78	8.69	85.47
Pune	68.60	3.94	72.54	13.98	1.09	15.08	54.62	2.84	57.47
Raipur	31.16	1.59	32.75	9.85	0.83	10.68	21.31	0.76	22.07
ZO (MH & CG)	420.83	51.36	472.19	72.84	6.60	79.44	347.99	44.76	392.76
Bangalore	142.23	11.96	154.19	79.71	5.33	85.04	62.52	6.63	69.15
Gulbarga	31.48	2.48	33.96	11.08	0.69	11.76	20.40	1.79	22.19
Mangalore	49.40	3.60	53.00	14.27	1.34	15.61	35.13	2.26	37.40
Panaji	7.55	0.59	8.15	4.17	0.32	4.49	3.38	0.27	3.65
Peenya	84.39	5.92	90.31	56.32	3.97	60.29	28.07	1.95	30.02
ZO (KN & Goa)	315.05	24.55	339.61	165.54	11.65	177.19	149.51	12.91	162.42
Bhubaneswar	92.54	7.60	100.15	24.28	1.70	25.98	68.27	5.90	74.17
Guntur	76.71	5.66	82.37	35.18	2.56	37.74	41.53	3.10	44.63
Hyderabad	127.03	5.55	132.58	52.28	2.18	54.46	74.75	3.37	78.11
Nizamabad	28.13	2.17	30.31	18.16	1.31	19.46	9.98	0.87	10.84
ZO (AP & OR)	324.42	20.99	345.40	129.89	7.75	137.65	194.53	13.23	207.76
Chennai	105.31	8.12	113.42	63.20	4.31	67.51	42.11	3.80	45.91
Coimbatore	118.82	9.85	128.67	43.52	3.17	46.68	75.31	6.68	81.99
Madurai	76.45	5.17	81.62	40.40	2.56	42.96	36.05	2.60	38.66
Tambaram	77.98	6.72	84.70	38.26	2.77	41.03	39.72	3.95	43.66
Thiruvananthapuram	193.44	12.10	205.54	45.34	3.05	48.39	148.09	9.05	157.14
ZO (TN & KR)	572.00	41.95	613.95	230.72	15.86	246.59	341.28	26.09	367.36
Guwahati (NER)	39.09	3.14	42.23	18.54	1.44	19.99	20.55	1.70	22.25
Jalpaiguri	90.17	7.72	97.89	51.11	2.58	53.70	39.05	5.14	44.19
Kolkata	118.46	5.48	123.94	27.73	2.68	30.41	90.73	2.79	93.52
Ranchi	15.20	1.50	16.70	4.22	0.36	4.58	10.98	1.13	12.12
ZO (WB, NER & JH)	262.92	17.83	280.76	101.60	7.07	108.68	161.32	10.76	172.08
All INDIA	3423.50	269.39	3692.89	1101.41	76.24	1177.64	2322.06	193.15	2515.25

परिशिष्ट ए -14 (ii)

अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.पं.योजना'95 के अंतर्गत निर्धारित बकाया - 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में)			
क्षेत्र	कार्यभार	एकत्रित राशि	अंत शेष
देहरादून	15.89	3.68	12.22
दिल्ली (उत्तर)	135.26	42.28	92.97
दिल्ली (दक्षिण)	264.27	15.10	249.17
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	415.42	61.06	354.36
चंडीगढ़	43.41	23.63	19.78
लुधियाना	13.08	3.82	9.26
शिमला	3.03	0.86	2.18
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	59.53	28.31	31.22
कानपुर	69.01	8.89	60.13
मेरठ	17.18	5.47	11.70
पटना	15.53	5.03	10.50
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	101.72	19.39	82.33
फरीदाबाद	22.88	5.66	17.22
गुड़गांव	18.13	12.34	5.79
जयपुर	14.13	4.02	10.12
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	55.14	22.02	33.12
अहमदाबाद	32.94	8.39	24.55
बड़ोदा	6.13	3.22	2.91
इंदौर	141.51	33.13	108.38
सूरत	20.74	7.19	13.55
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	201.32	51.93	149.39
काठिवली	43.06	10.60	32.46
मुंबई-I बांद्रा	43.72	0.79	42.94
मुंबई-II थाणे	18.71	5.14	13.57
नागपुर	48.80	8.76	40.04
पुणे	34.25	6.57	27.68
रायपुर	15.47	4.56	10.91
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	204.02	36.42	167.60
बंगलौर	62.85	31.85	31.01
गुलबर्गा	17.17	5.14	12.03
मंगलौर	21.25	7.28	13.97
पणजी	3.73	1.83	1.90
पीण्या	47.58	28.84	18.75
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	152.59	74.94	77.65
भुवनेश्वर	55.33	12.90	42.43
गुन्टूर	46.02	18.96	27.06
हैदराबाद	45.93	13.40	32.54
निजामाबाद	14.40	9.41	5.00
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	161.68	54.66	107.02
चेन्नै	55.69	31.63	24.07
कोयम्बतूर	68.24	19.36	48.88
मद्रास	45.69	20.01	25.67
तांबरम	40.75	18.50	22.25
तिरुवनंतपुरम	95.11	21.74	73.37
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	305.48	111.24	194.24
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	19.59	10.59	9.00
जलपाईगुड़ी	62.78	16.94	45.85
कोलकाता	42.73	11.73	31.01
रांची	16.79	2.04	14.75
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	141.90	41.29	100.61
अखिल भारतीय	1798.79	501.26	1297.53

APPENDIX A-14 (ii)

Assessed arrears under EPS'95 in Unexempted sector as on 31.03.2014 (₹ in cr.)			
Region	Workload	Collection made	Closing balance
Dehradun	15.89	3.68	12.22
Delhi (North)	135.26	42.28	92.97
Delhi (South)	264.27	15.10	249.17
ZO (DL & UK)	415.42	61.06	354.36
Chandigarh	43.41	23.63	19.78
Ludhiana	13.08	3.82	9.26
Shimla	3.03	0.86	2.18
ZO (PN & HP)	59.53	28.31	31.22
Kanpur	69.01	8.89	60.13
Meerut	17.18	5.47	11.70
Patna	15.53	5.03	10.50
ZO (UP & BR)	101.72	19.39	82.33
Faridabad	22.88	5.66	17.22
Gurgaon	18.13	12.34	5.79
Jaipur	14.13	4.02	10.12
ZO (HR & RJ)	55.14	22.02	33.12
Ahmedabad*	32.94	8.39	24.55
Baroda	6.13	3.22	2.91
Indore	141.51	33.13	108.38
Surat	20.74	7.19	13.55
ZO (GJ & MP)	201.32	51.93	149.39
Kandivili	43.06	10.60	32.46
Mumbai-I Bandra	43.72	0.79	42.94
Mumbai-II Thane	18.71	5.14	13.57
Nagpur	48.80	8.76	40.04
Pune	34.25	6.57	27.68
Raipur	15.47	4.56	10.91
ZO (MH & CG)	204.02	36.42	167.60
Bangalore	62.85	31.85	31.01
Gulbarga	17.17	5.14	12.03
Mangalore	21.25	7.28	13.97
Panaji	3.73	1.83	1.90
Peenya	47.58	28.84	18.75
ZO (KN & Goa)	152.59	74.94	77.65
Bhubaneshwar	55.33	12.90	42.43
Guntur	46.02	18.96	27.06
Hyderabad	45.93	13.40	32.54
Nizamabad	14.40	9.41	5.00
ZO (AP & OR)	161.68	54.66	107.02
Chennai	55.69	31.63	24.07
Coimbatore	68.24	19.36	48.88
Madurai	45.69	20.01	25.67
Tambaram	40.75	18.50	22.25
Thiruvananthapuram	95.11	21.74	73.37
ZO (TN & KR)	305.48	111.24	194.24
Guwahati (NER)	19.59	10.59	9.00
Jalpaiguri	62.78	16.94	45.85
Kolkata	42.73	11.73	31.01
Ranchi	16.79	2.04	14.75
ZO (WB, NER & JH)	141.90	41.29	100.61
All INDIA	1798.79	501.26	1297.53

अछूट प्राप्त क्षेत्र में क.नि.स.बी. योजना के अंतर्गत निर्धारित बकाया 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	कार्यभार			एकत्रित राशि			अंत शेष		
	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल	क.नि.स.बी. देय	क.नि.स.बी. प्रशासकीय एवं निरीक्षण प्रभार	कुल
देहरादून	1.65	0.09	1.74	0.15	0.01	0.15	1.50	0.09	1.58
दिल्ली (उत्तर)	8.12	0.16	8.28	2.54	0.05	2.59	5.58	0.11	5.69
दिल्ली (दक्षिण)	12.86	0.30	13.16	0.92	0.02	0.94	11.94	0.28	12.22
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	22.62	0.55	23.18	3.61	0.08	3.68	19.01	0.48	19.49
चंडीगढ़	5.79	0.19	5.97	2.00	0.10	2.10	3.79	0.09	3.88
लुधियाना	1.77	0.06	1.83	0.29	0.01	0.30	1.48	0.05	1.53
शिमला	0.12	0.00	0.12	0.05	0.00	0.05	0.07	0.00	0.07
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	7.67	0.25	7.93	2.34	0.10	2.44	5.33	0.15	5.48
कानपुर	4.15	0.08	4.23	0.53	0.01	0.54	3.61	0.07	3.69
मेरठ	1.14	0.08	1.22	0.72	0.01	0.73	0.42	0.07	0.49
पटना	0.80	0.24	1.05	0.33	0.14	0.47	0.48	0.10	0.58
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	6.09	0.41	6.50	1.58	0.16	1.74	4.51	0.25	4.75
फरीदाबाद	2.48	0.06	2.55	0.40	0.01	0.41	2.09	0.05	2.14
गुडगांव	1.09	0.02	1.11	0.74	0.01	0.76	0.35	0.01	0.35
जयपुर	0.73	0.06	0.79	0.22	0.01	0.23	0.51	0.05	0.56
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	4.30	0.14	4.45	1.36	0.03	1.39	2.94	0.11	3.05
अहमदाबाद	2.49	0.13	2.62	0.62	0.01	0.63	1.87	0.12	1.99
बड़ौदा	0.31	0.06	0.36	0.08	0.05	0.13	0.22	0.01	0.23
इंदौर	8.90	0.30	9.20	1.93	0.07	2.00	6.97	0.23	7.20
सुरत	1.28	0.03	1.30	0.45	0.01	0.45	0.83	0.02	0.85
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	12.97	0.51	13.49	3.08	0.13	3.21	9.90	0.38	10.27
कांदिवाली	2.73	0.06	2.79	0.64	0.01	0.66	2.09	0.05	2.13
मुंबई-I बांद्रा	2.31	0.06	2.37	0.15	0.00	0.15	2.16	0.06	2.23
मुंबई-II थाणे	1.07	0.03	1.11	0.21	0.02	0.22	0.86	0.02	0.88
नागपुर	3.52	0.07	3.59	0.55	0.01	0.56	2.98	0.06	3.04
पुणे	7.38	0.00	7.38	1.09	0.00	1.10	6.28	0.00	6.28
रायपुर	1.57	0.03	1.60	0.36	0.01	0.37	1.21	0.02	1.23
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	18.57	0.26	18.84	2.99	0.05	3.04	15.58	0.21	15.79
बंगलौर	5.02	0.86	5.88	1.82	0.04	1.86	3.20	0.82	4.02
गुलबर्गा	1.20	0.04	1.24	0.49	0.02	0.51	0.71	0.02	0.73
मंगलौर	1.59	0.04	1.64	0.53	0.01	0.55	1.06	0.03	1.09
पणजी	0.24	0.02	0.26	0.12	0.00	0.12	0.13	0.02	0.14
पोण्य	2.23	0.17	2.40	1.39	0.03	1.42	0.84	0.14	0.98
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	10.28	1.13	11.41	4.35	0.10	4.45	5.93	1.03	6.96
शुवनेश्वर	4.25	0.07	4.32	0.77	0.02	0.79	3.47	0.06	3.53
गुन्डूर	2.64	0.07	2.71	1.17	0.02	1.20	1.47	0.04	1.51
हैदराबाद	34.26	0.22	34.48	9.83	0.04	9.86	24.43	0.18	24.61
निजामाबाद	0.91	0.03	0.94	0.59	0.01	0.60	0.32	0.02	0.34
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	42.06	0.39	42.45	12.36	0.09	12.45	29.70	0.30	29.99
चेन्नै	3.28	0.61	3.89	1.98	0.04	2.02	1.30	0.58	1.87
कोयम्बतूर	4.00	0.10	4.10	1.24	0.03	1.27	2.75	0.07	2.82
मद्रास	2.13	0.06	2.18	1.05	0.03	1.09	1.08	0.02	1.10
तांवरम	2.63	0.06	2.70	1.45	0.02	1.47	1.18	0.04	1.22
तिरुवनंतपुरम	6.65	0.23	6.88	1.30	0.03	1.33	5.35	0.21	5.55
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	18.68	1.07	19.75	7.02	0.15	7.18	11.66	0.92	12.57
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	2.31	0.06	2.37	0.69	0.02	0.71	1.62	0.04	1.67
जलपाईगुड़ी	4.63	0.06	4.70	2.15	0.02	2.18	2.48	0.04	2.52
कोलकाता	3.37	0.15	3.53	0.74	0.03	0.77	2.63	0.13	2.76
रांची	1.24	0.15	1.39	0.14	0.01	0.15	1.11	0.14	1.25
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	11.56	0.43	11.99	3.71	0.08	3.80	7.85	0.35	8.19
अखिल भारतीय	154.81	5.15	159.96	42.41	0.99	43.40	112.41	4.16	116.57

APPENDIX A-14 (iii)

Assessed arrears under EDLI scheme in Unexempted sector as on 31.03.2014 (₹ in cr.)									
Region	Workload			Collection made			Closing balance		
	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total	EDLI Dues	EDLI Admn. & Insp Charges	Total
Dehradun	1.65	0.09	1.74	0.15	0.01	0.15	1.50	0.09	1.58
Delhi (North)	8.12	0.16	8.28	2.54	0.05	2.59	5.58	0.11	5.69
Delhi (South)	12.86	0.30	13.16	0.92	0.02	0.94	11.94	0.28	12.22
ZO (DL & UK)	22.62	0.55	23.18	3.61	0.08	3.68	19.01	0.48	19.49
Chandigarh	5.79	0.19	5.97	2.00	0.10	2.10	3.79	0.09	3.88
Ludhiana	1.77	0.06	1.83	0.29	0.01	0.30	1.48	0.05	1.53
Shimla	0.12	0.00	0.12	0.05	0.00	0.05	0.07	0.00	0.07
ZO (PN & HP)	7.67	0.25	7.93	2.34	0.10	2.44	5.33	0.15	5.48
Kanpur	4.15	0.08	4.23	0.53	0.01	0.54	3.61	0.07	3.69
Meerut	1.14	0.08	1.22	0.72	0.01	0.73	0.42	0.07	0.49
Patna	0.80	0.24	1.05	0.33	0.14	0.47	0.48	0.10	0.58
ZO (UP & BR)	6.09	0.41	6.50	1.58	0.16	1.74	4.51	0.25	4.75
Faridabad	2.48	0.06	2.55	0.40	0.01	0.41	2.09	0.05	2.14
Gurgaon	1.09	0.02	1.11	0.74	0.01	0.76	0.35	0.01	0.35
Jaipur	0.73	0.06	0.79	0.22	0.01	0.23	0.51	0.05	0.56
ZO (HR & RJ)	4.30	0.14	4.45	1.36	0.03	1.39	2.94	0.11	3.05
Ahmedabad	2.49	0.13	2.62	0.62	0.01	0.63	1.87	0.12	1.99
Baroda	0.31	0.06	0.36	0.08	0.05	0.13	0.22	0.01	0.23
Indore	8.90	0.30	9.20	1.93	0.07	2.00	6.97	0.23	7.20
Surat	1.28	0.03	1.30	0.45	0.01	0.45	0.83	0.02	0.85
ZO(GJ & MP)	12.97	0.51	13.49	3.08	0.13	3.21	9.90	0.38	10.27
Kandivili	2.73	0.06	2.79	0.64	0.01	0.66	2.09	0.05	2.13
Mumbai-I Bandra	2.31	0.06	2.37	0.15	0.00	0.15	2.16	0.06	2.23
Mumbai-II Thane	1.07	0.03	1.11	0.21	0.02	0.22	0.86	0.02	0.88
Nagpur	3.52	0.07	3.59	0.55	0.01	0.56	2.98	0.06	3.04
Pune	7.38	0.00	7.38	1.09	0.00	1.10	6.28	0.00	6.28
Raipur	1.57	0.03	1.60	0.36	0.01	0.37	1.21	0.02	1.23
ZO (MH & CG)	18.57	0.26	18.84	2.99	0.05	3.04	15.58	0.21	15.79
Bangalore	5.02	0.86	5.88	1.82	0.04	1.86	3.20	0.82	4.02
Gulbarga	1.20	0.04	1.24	0.49	0.02	0.51	0.71	0.02	0.73
Mangalore	1.59	0.04	1.64	0.53	0.01	0.55	1.06	0.03	1.09
Panaji	0.24	0.02	0.26	0.12	0.00	0.12	0.13	0.02	0.14
Peenya	2.23	0.17	2.40	1.39	0.03	1.42	0.84	0.14	0.98
ZO(KN & Goa)	10.28	1.13	11.41	4.35	0.10	4.45	5.93	1.03	6.96
Bhubaneshwar	4.25	0.07	4.32	0.77	0.02	0.79	3.47	0.06	3.53
Guntur	2.64	0.07	2.71	1.17	0.02	1.20	1.47	0.04	1.51
Hyderabad	34.26	0.22	34.48	9.83	0.04	9.86	24.43	0.18	24.61
Nizamabad	0.91	0.03	0.94	0.59	0.01	0.60	0.32	0.02	0.34
ZO(AP & OR)	42.06	0.39	42.45	12.36	0.09	12.45	29.70	0.30	29.99
Chennai	3.28	0.61	3.89	1.98	0.04	2.02	1.30	0.58	1.87
Coimbatore	4.00	0.10	4.10	1.24	0.03	1.27	2.75	0.07	2.82
Madurai	2.13	0.06	2.18	1.05	0.03	1.09	1.08	0.02	1.10
Tambaram	2.63	0.06	2.70	1.45	0.02	1.47	1.18	0.04	1.22
Thiruvananthapuram	6.65	0.23	6.88	1.30	0.03	1.33	5.35	0.21	5.55
ZO (TN & KR)	18.68	1.07	19.75	7.02	0.15	7.18	11.66	0.92	12.57
Guwahati (NER)	2.31	0.06	2.37	0.69	0.02	0.71	1.62	0.04	1.67
Jalpaiguri	4.63	0.06	4.70	2.15	0.02	2.18	2.48	0.04	2.52
Kolkata	3.37	0.15	3.53	0.74	0.03	0.77	2.63	0.13	2.76
Ranchi	1.24	0.15	1.39	0.14	0.01	0.15	1.11	0.14	1.25
ZO (WB, NER & JH)	11.56	0.43	11.99	3.71	0.08	3.80	7.85	0.35	8.19
ALL INDIA	154.81	5.15	159.96	42.41	0.99	43.40	112.41	4.16	116.57

परिशिष्ट ए -14 (iv)

सार्वजनिक, निजी तथा सहकारी क्षेत्र में मांग का विभाजन(अछूट प्राप्त) (सभी योजनाएं) 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सहकारी क्षेत्र	कुल मांग
देहरादून	28.06	7.53	0.00	35.59
दिल्ली (उत्तर)	0.00	285.83	0.00	285.83
दिल्ली (दक्षिण)	0.00	733.43	0.00	733.43
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	28.06	1026.79	0.00	1054.85
चंडीगढ़	38.41	33.37	0.20	71.98
लुधियाना	2.39	26.46	0.00	28.86
शिमला	0.00	3.89	0.08	3.97
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	40.80	63.72	0.28	104.80
कानपुर	38.68	133.90	12.44	185.02
मेरठ	9.47	24.44	0.66	34.57
पटना	9.88	15.76	0.37	26.01
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	58.03	174.09	13.47	245.59
फरीदाबाद	0.00	40.30	2.15	42.46
गुड़गांव	0.00	17.79	0.00	17.79
जयपुर	0.89	28.42	0.43	29.73
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	0.89	86.51	2.58	89.98
अहमदाबाद	7.28	48.01	0.00	55.29
बड़ौदा	0.00	10.14	0.00	10.14
इंदौर	188.33	113.46	0.00	301.80
सुरत	0.00	43.90	0.00	43.90
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	195.61	215.51	0.00	411.12
कांठिवली	0.73	110.20	18.18	129.11
मुंबई-I बांद्रा	100.02	56.43	0.00	156.45
मुंबई-II थाणे	0.00	36.40	0.00	36.40
नागपुर	8.87	71.86	47.82	128.55
पुणे	0.00	80.91	10.52	91.43
रायपुर	15.06	18.62	0.53	34.21
आ.का. (मह.एवं छत्तीसगढ़)	124.68	374.43	77.04	576.15
बंगलौर	1.05	103.13	0.00	104.18
गुलबर्गा	1.56	33.06	0.32	34.94
मंगलौर	17.02	35.40	0.03	52.45
पणजी	0.10	5.60	0.00	5.70
पीण्या	0.15	49.39	0.20	49.74
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	19.88	226.59	0.55	247.02
भुवनेश्वर	79.64	39.65	0.84	120.12
गुन्टूर	10.71	61.24	1.25	73.20
हैदराबाद	9.09	126.18	0.00	135.26
निजामाबाद	2.52	13.54	0.11	16.18
आ.का. (आ.प्र. एवं उड़ीसा)	101.96	240.61	2.20	344.77
चेन्नै	0.79	71.06	0.00	71.85
कोयम्बतूर	26.25	94.23	13.21	133.69
मदुरै	5.76	54.88	4.79	65.43
तांबरम	15.62	44.10	7.43	67.14
तिरुवनंतपुरम	22.09	198.59	15.38	236.06
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	70.50	462.86	40.81	574.18
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	23.64	8.10	1.17	32.91
जलपाईगुड़ी	5.58	86.97	0.02	92.57
कोलकाता	24.62	102.31	0.36	127.29
रांची	0.00	27.66	0.46	28.12
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	53.84	225.03	2.02	280.88
अखिल भारतीय	694.25	3096.14	138.95	3929.34

Bifurcation of demand in Public, Private and Cooperative sector (Unexempted) as on 31.03.2014 (all schemes)				
(₹ in cr.)				
Region	Public Sector	Private Sector	Cooperative Sector	Total Demand
Dehradun	28.06	7.53	0.00	35.59
Delhi (North)	0.00	285.83	0.00	285.83
Delhi (South)	0.00	733.43	0.00	733.43
ZO (DL & UK)	28.06	1026.79	0.00	1054.85
Chandigarh	38.41	33.37	0.20	71.98
Ludhiana	2.39	26.46	0.00	28.86
Shimla	0.00	3.89	0.08	3.97
ZO (PN & HP)	40.80	63.72	0.28	104.80
Kanpur	38.68	133.90	12.44	185.02
Meerut	9.47	24.44	0.66	34.57
Patna	9.88	15.76	0.37	26.01
ZO (UP & BR)	58.03	174.09	13.47	245.59
Faridabad	0.00	40.30	2.15	42.46
Gurgaon	0.00	17.79	0.00	17.79
Jaipur	0.89	28.42	0.43	29.73
ZO (HR & RJ)	0.89	86.51	2.58	89.98
Ahmedabad	7.28	48.01	0.00	55.29
Baroda	0.00	10.14	0.00	10.14
Indore	188.33	113.46	0.00	301.80
Surat	0.00	43.90	0.00	43.90
ZO (GJ & MP)	195.61	215.51	0.00	411.12
Kandivili	0.73	110.20	18.18	129.11
Mumbai-I Bandra	100.02	56.43	0.00	156.45
Mumbai-II Thane	0.00	36.40	0.00	36.40
Nagpur	8.87	71.86	47.82	128.55
Pune	0.00	80.91	10.52	91.43
Raipur	15.06	18.62	0.53	34.21
ZO (MH & CG)	124.68	374.43	77.04	576.15
Bangalore	1.05	103.13	0.00	104.18
Gulbarga	1.56	33.06	0.32	34.94
Mangalore	17.02	35.40	0.03	52.45
Panaji	0.10	5.60	0.00	5.70
Peenya	0.15	49.39	0.20	49.74
ZO (KN & Goa)	19.88	226.59	0.55	247.02
Bhubaneswar	79.64	39.65	0.84	120.12
Guntur	10.71	61.24	1.25	73.20
Hyderabad	9.09	126.18	0.00	135.26
Nizamabad	2.52	13.54	0.11	16.18
ZO (AP & OR)	101.96	240.61	2.20	344.77
Chennai	0.79	71.06	0.00	71.85
Coimbatore	26.25	94.23	13.21	133.69
Madurai	5.76	54.88	4.79	65.43
Tambaram	15.62	44.10	7.43	67.14
Thiruvananthapuram	22.09	198.59	15.38	236.06
ZO (TN & KR)	70.50	462.86	40.81	574.18
Guwahati (NER)	23.64	8.10	1.17	32.91
Jalpaiguri	5.58	86.97	0.02	92.57
Kolkata	24.62	102.31	0.36	127.29
Ranchi	0.00	27.66	0.46	28.12
ZO (WB, NER & JH)	53.84	225.03	2.02	280.88
All INDIA	694.25	3096.14	138.95	3929.34

₹ 50 लाख या इससे अधिक वाली चूककर्ता स्थापनाओं का विवरण (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014		
क्षेत्र	चूककर्ता स्थापनाओं की संख्या	राशि (रु. करोड़ों में)
देहरादून	9	27.71
दिल्ली (उत्तर)	12	27.36
दिल्ली (दक्षिण)	13	725.14
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	34	780.22
चंडीगढ़	14	58.72
लुधियाना	7	14.54
शिमला	1	0.58
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	22	73.84
कानपुर	42	152.68
मेरठ	12	16.78
पटना	10	14.17
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	64	183.62
फरीदाबाद	15	28.07
गुडगांव	1	0.69
जयपुर	12	14.69
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	28	43.46
अहमदाबाद	21	30.56
बड़ौदा	4	3.36
इंदौर	41	217.41
सुरत	14	26.57
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	80	277.90
कांदिवली	18	76.54
मुंबई-I बांद्रा	35	182.58
मुंबई-II थाणे	14	20.59
नागपुर	41	88.85
पुणे	34	406.89
रायपुर	9	22.86
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	151	798.31
बंगलौर	19	85.63
गुलबर्गा	6	15.03
मंगलौर	7	35.82
पणजी	1	0.60
पीण्या	18	20.96
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	51	158.03
भुवनेश्वर	29	79.00
गुन्टूर	15	38.62
हैदराबाद	29	40.70
निजामाबाद	3	3.00
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	76	161.31
चेन्नै	27	42.94
कोयम्बतूर	54	88.98
मद्रास	23	37.71
तांवरम	27	45.09
तिरुवनंतपुरम	55	148.19
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	186	362.91
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	13	28.48
जलपाईगुड़ी	28	31.39
कोलकाता	31	110.56
रांची	9	15.65
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	81	186.08
अखिल भारतीय	773	3025.68

APPENDIX A-15 (i)

Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Unexempted) as on 31.03.2014		
Region	No. of Defaulting Establishments	Amount involved (₹ in cr.)
Dehradun	9	27.71
Delhi (North)	12	27.36
Delhi (South)	13	725.14
ZO (DL & UK)	34	780.22
Chandigarh	14	58.72
Ludhiana	7	14.54
Shimla	1	0.58
ZO (PN & HP)	22	73.84
Kanpur	42	152.68
Meerut	12	16.78
Patna	10	14.17
ZO (UP & BR)	64	183.62
Faridabad	15	28.07
Gurgaon	1	0.69
Jaipur	12	14.69
ZO (HR & RJ)	28	43.46
Ahmedabad	21	30.56
Baroda	4	3.36
Indore	41	217.41
Surat	14	26.57
ZO (GJ & MP)	80	277.90
Kandivili	18	76.54
Mumbai-I Bandra	35	182.58
Mumbai-II Thane	14	20.59
Nagpur	41	88.85
Pune	34	406.89
Raipur	9	22.86
ZO (MH & CG)	151	798.31
Bangalore	19	85.63
Gulbarga	6	15.03
Mangalore	7	35.82
Panaji	1	0.60
Peenya	18	20.96
ZO (KN & Goa)	51	158.03
Bhubaneshwar	29	79.00
Guntur	15	38.62
Hyderabad	29	40.70
Nizamabad	3	3.00
ZO (AP & OR)	76	161.31
Chennai	27	42.94
Coimbatore	54	88.98
Madurai	23	37.71
Tambaram	27	45.09
Thiruvananthapuram	55	148.19
ZO (TN & KR)	186	362.91
Guwahati (NER)	13	28.48
Jalpaiguri	28	31.39
Kolkata	31	110.56
Ranchi	9	15.65
ZO (WB, NER & JH)	81	186.08
All INDIA	773	3025.68

परिशिष्ट ए -15 (ii)

₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014

क्र.सं.	क्षेत्र कोड	कोड संख्या	चूककर्ता स्थापना का नाम	कूल चूक (₹ करोड़ों में)	कूल चूक (₹ करोड़ों में)
देहरादून					
1	यूए	14072	एच.एम.टी. वॉच	20.82	
2	यूए	1281	उत्तराखंड परिवहन निगम	1.67	
3	यूए	16927	क्रिस्टल क्रेडिट नैनीताल	1.01	
क्षेत्र का कुल					23.50
दिल्ली उत्तर					
1	डीएल	36478	मैसर्स एयरपोर्ट अथॉरिटी	192.06	
2	डीएल	7718	मैसर्स आहलुवालिया कॉन्ट्रेक्ट्स इंडिया लिमिटेड	54.57	
3	डीएल	26342	मैसर्स विशाल रिटेल्स लिमिटेड	7.98	
4	डीएल	38002	मैसर्स एल एंड बी लिमिटेड	6.20	
5	डीएल	35351	मैसर्स लक्ष्मी वाटिका	3.85	
6	डीएल	7112	मैसर्स नेन्सी क्राफ्ट	1.52	
7	डीएल	4831	मैसर्स सेवा इंटरनेशनल फैशन	1.51	
8	डीएल	744	मैसर्स विन्गस वियर लिमिटेड	1.40	
9	डीएल	10148	मैसर्स एल्बी सर्विसिज़ प्रा.लि.	1.29	
10	डीएल	1	मैसर्स अयोध्या टेक्सटाइल मिल्स	1.04	
क्षेत्र का कुल					271.42
दिल्ली दक्षिण					
1	डीएल	7227	बी.एल कश्यप एंड सन्स लि.	577.77	
2	डीएल	12438	ग्रुप 4 सिक्वोरिटी	133.76	
3	डीएल	8076	एल्टोस इंडिया प्रा.लि.	3.17	
4	डीएल	5262	मैसर्स हेम स्टिच इंडिया	1.61	
5	डीएल	8685	मैसर्स ए.सी.ई. लेबोरेटरीज लि.	1.61	
6	डीएल	937348	मैसर्स एस.एस. इंजी. वर्क्स	1.23	
7	डीएल	936768	मैसर्स क्रियटिव इंटरनेशनल	1.17	
8	डीएल	17946	डी.एस.एस. मोबाइल कम्यूनिकेशन लि.	1.01	
क्षेत्र का कुल					721.33

APPENDIX A-15 (ii)**List of Defaulting Establishments above ₹ one cr. (Unexempted sector) as on 31.03.2014**

Sl.No.	Region Code	Code No.	Name of the Defaulting Establishments	Amount Default (₹ in cr.)	Total Amount Default (₹ in cr.)
Dehradun					
1	UA	14072	HMT Wath	20.82	
2	UA	1281	Uttarakhand Transport Corporation	1.67	
3	UA	16927	Crystal Credit Nainital	1.01	
Total of the Region					23.50
Delhi North					
1	DL	36478	M/s Airport Authority	192.06	
2	DL	7718	M/s Aluwalia Contracts India Limited	54.57	
3	DL	26342	M/s Vishal Retials Ltd	7.98	
4	DL	38002	M/s L & B Management	6.20	
5	DL	35351	M/s Laxmi Vatika	3.85	
6	DL	7112	M/s Nancy Crafts	1.52	
7	DL	4831	M/s Sewa International Fashions	1.51	
8	DL	744	M/s Wings Wear Ltd	1.40	
9	DL	10148	M/s Elbee Services Private Limited	1.29	
10	DL	1	M/s Ayodhya Textile Mills	1.04	
Total of the Region					271.42
Delhi South					
1	DL	7227	M/s B L Kashyap & Sons Ltd.	577.77	
2	DL	12438	Group 4 Security	133.76	
3	DL	8076	ALTOS INDIA PVT. LTD	3.17	
4	DL	5262	M/s Hem Stitch India	1.61	
5	DL	8685	M/s ACE Laboratories Ltd.	1.61	
6	DL	937348	M/s S S ENGG. Works	1.23	
7	DL	936768	M/s Creative International	1.17	
8	DL	17946	DSS MOBILE COMUNICATIONS LTD	1.01	
Total of the Region					721.33
Chandigarh					
1	PN	29375	M/S Vodafone South ,Ltd, Mohali	15.07	
2	PN	37193	M/S BSNL, Chd	8.43	
3	PN	13796	Xen Anandpur Sahib Hydol, Ganguwal	6.53	

चंडीगढ़					
1	पीएन	29375	मैसर्स वोडाफोन साउथ ,लि., मोहाली	15.07	
2	पीएन	37193	मैसर्स बी.एस.एन.एल., चंडीगढ़	8.43	
3	पीएन	13796	एक्सईएन आनंदपुर साहिब हायडल, गंगुवाल	6.53	
4	पीएन	14072	मै. जी-4 सिक्योर सॉल्यूशन, मोहाली	6.37	
5	पीएन	21402	मैसर्स बी.एस.एन.एल., पटियाला	5.28	
6	पीएन	4715	पुनवायर लि., मोहाली	4.14	
7	पीएन	37194	मैसर्स बी.एस.एन.एल., पटियाला	3.36	
8	पीएन	12686	जे.सी.टी. इलैक्ट्रॉनिक्स लि.; फेस VIII, मोहाली	2.46	
9	पीएन	21272	मैसर्स बी.एस.एन.एल., चंडीगढ़	2.03	
10	पीएन	14906	मैसर्स एन.बी.सी.सी., चंडीगढ़	1.52	
11	पीएन	13467	मैसर्स मार्कफेड, बागापुराना	1.39	
क्षेत्र का कुल					56.58
लुधियाना					
1	पीएन	15106	बावा शूज, गोइंदवाल साहिब, अमृतसर	5.83	
2	पीएन	1748	आटो पिस्टन लि., अमृतसर	2.06	
3	पीएन	14307	ओसवाल पेपर एवं एलाइड इंडस्ट्रीज़, जालंधर	1.81	
4	पीएन	92	न्यू इगरटन धारीवाल, अमृतसर	1.75	
5	पीएन	9901	मुकेरिया पेपर मिल, जालंधर	1.41	
6	पीएन	34431	क्षेत्रीय गांधी आश्रम, अमृतसर	1.04	
क्षेत्र का कुल					13.91
शिमला					
कानपुर					
1	यूपी	4049	डंकन इंडिया लि.,कानपुर	28.57	
2	यूपी	12149	मउ ऐमा सहकारी कताई मिल्स, इलाहाबाद (यूपी /12149)	18.48	
3	यूपी	5115	यूपी स्टेट हैंडलूम कार्पो., कानपुर	18.35	
4	यूपी	1189	यूपीआईसीए,कानपुर (यूपी /1189)	6.90	
5	यूपी	6918	यूपीएसआरटीसी, झांसी (यूपी /6918)	6.79	
6	यूपी	15285	सहकारी कताई मिल्स लि., फतेहपुर (यूपी /15285)	6.78	
7	यूपी	14197	यूपी कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, बहरी, बरेली (यूपी /14197)	6.66	

4	PN	14072	M/S G-4 Secure Solutions, Mohali	6.37	
5	PN	21402	M/S BSNL, Patiala	5.28	
6	PN	4715	PUNWIRE Ltd; Mohali	4.14	
7	PN	37194	M/S BSNL Patiala	3.36	
8	PN	12686	JCT Electronics Ltd; Ph.VIII, Mohali	2.46	
9	PN	21272	M/S BSNL Chd	2.03	
10	PN	14906	M/S NBCC, Chandigarh	1.52	
11	PN	13467	mMarkfed, Baghapurana	1.39	
Total of the Region				56.58	
Ludhiana					
1	PN	15106	Bawa Shoes, Goindwal Sahib, ASR	5.83	
2	PN	1748	Auto Piston Ltd, ASR	2.06	
3	PN	14307	Oswal Paper & Allied Indus, JAL	1.81	
4	PN	92	New Egerton Dhariwal, ASR	1.75	
5	PN	9901	Mukerian Paper Mill, JAL	1.41	
6	PN	34431	Kshetriya Gandhi Ashram, ASR	1.04	
Total of the Region				13.91	
Shimla					
Kanpur					
1	UP	4049	Duncan India Ltd., Kanpur	28.57	
2	UP	12149	Mau Aima Sahakari Katai Mills, Allahabad (UP/12149)	18.48	
3	UP	5115	UP Sate Handloom Corp. Knp.	18.35	
4	UP	1189	UPICA, Kanpur (UP/1189)	6.90	
5	UP	6918	UPSRTC, Jhansi (UP/6918)	6.79	
6	UP	15285	Sahkari Katai Mills Ltd., Fatehpur (UP/15285)	6.78	
7	UP	14197	U.P. Coop Spining Mill Behri, Bareilly (UP/14197)	6.66	
8	UP	4572	Kashi sahkari chini mill	5.88	
9	UP	14436	U.P. Coop Spining Mill J.P. Nagar, (UP/14436)	5.23	
10	UP	338	ALLAHABAD PATRIKA	4.65	
11	UP	6156	Kishan sahkari chini mill, AZM.	3.19	
12	UP	332	I.T.R.BLY	2.78	
13	UP	13852	M/s Betwa River Board, Lalitpur, Jhansi (UP/13852)	2.74	
14	UP	417	U.P.S.R.T.C.Knp.	2.57	
15	UP	28043	Kamlapur Suger Industries (UP/28043)	2.54	

8	यूपी	4572	काशी सहकारी चीनी मिल	5.88	
9	यूपी	14436	यूपी कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, जे पी नगर, (यूपी /14436)	5.23	
10	यूपी	338	इलाहाबाद पत्रिका	4.65	
11	यूपी	6156	किशन सहकारी चीनी मिल , ए जेड एम	3.19	
12	यूपी	332	आई टी आर ,बरेली	2.78	
13	यूपी	13852	मैसर्स बेतवा रीवर बोर्ड, ललितपुर झांसी (यूपी /13852)	2.74	
14	यूपी	417	यूपीएसआरटीसी,कानपुर	2.57	
15	यूपी	28043	कमालपुर शुगर इंडस्ट्रीज (यूपी /28043)	2.54	
16	यूपी	784	यूपीएसआरटीसी, कानपुर	2.50	
17	यूपी	13833	मैसर्स एलएमएल, कानपुर	2.29	
18	यूपी	29087	मैसर्स डी. कंट्रोल इलैक्ट्रिक	2.21	
19	यूपी	39	लाल इमली मिल्स, कानपुर	1.91	
20	यूपी	14132	राजेन्द्रा स्टील्स लि., कानपुर देहात	1.77	
21	यूपी	2870	यूपी कोपरेटिव स्पीनिंग मिल्स, इटावा (यूपी /2870)	1.34	
22	यूपी	1151	एस. एंड कैमिकल Bly	1.33	
23	यूपी	25168	मोतीवाला इंडस्ट्रीज लि. वाराणसी (यूपी /25168)	1.24	
24	यूपी	204	वेव इंडस्ट्रीज	1.22	
25	यूपी	495	सीतापुर प्लाईवुड (यूपी /495)	1.16	
26	यूपी	938	नेशनल वार्डनडर	1.14	
27	यूपी	4805	यूपीएसआरटीसी, कानपुर	1.05	
28	यूपी	176	यूपी. स्टेट शुगर कॉपरेटिव, हरदोई (यूपी /176)	1.04	
29	यूपी	6946	यूपीएसआरटीसी,फरुखाबाद (यूपी /6946)	1.00	
क्षेत्र का कुल				143.30	
मेरठ					
1	यूपी	23373	क्रिएटिव होम फैशन	3.14	
2	यूपी	4797	स्वदेशी पोलीटेक्स लि.	2.09	
3	यूपी	3618	रीज टेलबोर्स लि.	1.98	
4	यूपी	13623	एटीवी प्रोजेक्ट , मथुरा	1.74	

16	UP	784	UPSRTC, Kanpur	2.50	
17	UP	13833	M/S LML Knp	2.29	
18	UP	29087	M/SD. Control Electric	2.21	
19	UP	39	LAL IMLI MILLS KANPUR	1.91	
20	UP	14132	Rajendra Steel Ltd., Kanpur Dehat	1.77	
21	UP	2870	U.P. Co-operative Spg. Mills, Etawah (UP/2870)	1.34	
22	UP	1151	S&Chemicals Bly	1.33	
23	UP	25168	Motiwalla Industries Ltd. Varanasi (UP/25168)	1.24	
24	UP	204	Wave industries	1.22	
25	UP	495	Sitapur Plywood (UP/495)	1.16	
26	UP	938	NATIONAL WINDER	1.14	
27	UP	4805	UPSRTC, kanpur	1.05	
28	UP	176	U.P. State Suger Cop. Hardoi (UP/176)	1.04	
29	UP	6946	UPSRTC, Farrukhabad (UP/6946)	1.00	
Total of the Region				143.30	
Meerut					
1	UP	23373	CREATIVE HOME FASHION	3.14	
2	UP	4797	SWADESHI POLYTEX LTD	2.09	
3	UP	3618	REINZ TALBORS LTD	1.98	
4	UP	13623	ATV PROJECT, MATHURA	1.74	
5	UP	6860	UP STATE BASTRA MILL	1.58	
6	UP	11399	NAGINA SAHKARI KATAI MILL	1.40	
Total of the Region				11.92	
Patna					
1	BR	1365	M/Snasruddin Biri Co.	3.36	
2	BR	3	M/s NJMC Katihar	2.51	
3	BR	7271	M/s NatrajEngg.	1.94	
4	BR	3256	AshokPaperMill	1.74	
5	BR	1557	M/s NTCBCW spg Mill Mokamah	1.31	
Total of the Region				10.86	
Faridabad					
1	HR	286	M/s. Jhallani tools,	8.42	
2	HR	3528	M/s Lakhani India Ltd. Plot No. 265, Sec-24, Faridabad.	4.16	
3	HR	10938	M/s Lakhani India Ltd, Sector-24, Faridabad.	2.35	

5	यूपी	6860	यूपी स्टेट बस्त्र मिल	1.58	
6	यूपी	11399	नगीना सहकारी कताई मिल	1.40	
क्षेत्र का कुल					11.92
पटना					
1	बीआर	1365	मैसर्स नसरुद्दीन बीरी कंपनी	3.36	
2	बीआर	3	मैसर्स एनजेएमसी, कटिहार	2.51	
3	बीआर	7271	मैसर्स नटराज इंजीनियरिंग	1.94	
4	बीआर	3256	अशोक पेपर मिल	1.74	
5	बीआर	1557	मैसर्स एनटीसीबीसीडब्ल्यू स्पीनिंग मिल, मोकामा	1.31	
क्षेत्र का कुल					10.86
फरीदाबाद					
1	एचआर	286	मैसर्स झालानी टूल्स,	8.42	
2	एचआर	3528	मैसर्स लकानी इंडिया लि. प्लॉट न. 265 सेक्टर 24, फरीदाबाद	4.16	
3	एचआर	10938	मैसर्स लकानी इंडिया लि., सेक्टर 24, फरीदाबाद	2.35	
4	एचआर	1137	मैसर्स कलच आटो लि., मथुरा रोड, फरीदाबाद	2.29	
5	एचआर	2058	मैसर्स हरियाणा शीट ग्लास, सोनीपत	1.91	
6	एचआर	1152	मैसर्स झालानी टूल्स, सोनीपत	1.84	
7	एचआर	19137	मैसर्स दि सोनीपत को-ऑपरेटिव बैंक लि.	1.48	
8	एचआर	1152	मैसर्स झालानी टूल्स, सोनीपत	1.06	
क्षेत्र का कुल					23.51
गुडगांव					
जयपुर					
1	आरजे	5	मैसर्स जयपुर मेटल्स, जयपुर	2.86	
2	आरजे	3675	नागौर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	2.47	
3	आरजे	3673	जोधपुर सेंट्रल कोपरेटिव बैंक	1.85	
4	आरजे	4235	मैसर्स पारसरामपुरिया सिंथेटिक्स, अलवर	1.35	
5	आरजे	1606	मैसर्स भरतपुर बी वी बैंक	1.22	
6	आरजे	8909	मैसर्स भावल सिंथेटिक्स (I) लि. उदयपुर	1.12	
क्षेत्र का कुल					10.87

4	HR	1137	M/s Clutch Auto Ltd, Mathura road Faridabad.	2.29	
5	HR	2058	M/s Haryana Sheet Glass, Sonapat.	1.91	
6	HR	1152	M/s. Jhallani tools, Sonapat	1.84	
7	HR	19137	M/s The Sonapat Co-operative Bank Ltd.	1.48	
8	HR	1152	M/s. Jhallani tools, Sonapat	1.06	
Total of the Region				23.51	
Gurgaon					
Jaipur					
1	RJ	5	M/s.Jaipur Metals,Jaipur	2.86	
2	RJ	3675	Nagour Central Co-op Bank	2.47	
3	RJ	3673	Jodhpur Central Co-op Bank	1.85	
4	RJ	4235	M/s Parasrampuria Synthitics, Alwar	1.35	
5	RJ	1606	M/s Bharatpur B.V. Bank	1.22	
6	RJ	8909	M/s.Bhawal Synthetic (I) Ltd.,Udaipur	1.12	
Total of the Region				10.87	
Ahmedabad					
1	GJ	51200	Gujarat State Land Development Cor.Ltd. GNR	10.94	
2	GJ	1003	M/s. PPW Ltd., Surendranagar	1.89	
3	GJ	353	Mahendra Mill, Gandhinagar	1.86	
4	GJ	19961	M/s. ONGC, Mehsana	1.66	
5	GJ	5227	M/s. Krishna Keshav	1.26	
6	GJ	4514	M/s. T. MANEKLAL	1.22	
Total of the Region				18.84	
Vadodara					
1	GJ	4578	APS Star (Liq.)	1.13	
2	GJ	14658	Newton Engg. (EPF AT)	1.03	
Total of the Region				2.16	
Indore					
1	MP	3992	JNAU Jabalpur	33.41	
2	MP	225	MPSRTC, Gwl	22.29	
3	MP	1267	M/s MPRTC	18.05	
4	MP	21484	M/s S.K.Jain	17.22	
5	MP	264	MPSRTC, Jabalpur	16.98	
6	MP	4646	M/s MP Oil Fed	14.94	

अहमदाबाद					
1	जीजे	51200	गुजरात स्टेट लैंड डवलपमेंट कॉर्पो.लि., गांधीनगर	10.94	
2	जीजे	1003	पीपीडब्ल्यू लि., सुरेन्दर नगर	1.89	
3	जीजे	353	महेन्द्रा मिल, गांधीनगर	1.86	
4	जीजे	19961	मैसर्स ओएनजीसी, महसाना	1.66	
5	जीजे	5227	मैसर्स कृष्ण केशव	1.26	
6	जीजे	4514	मैसर्स टी.मानेकलाल	1.22	
क्षेत्र का कुल					18.84
वडोदरा					
1	जीजे	4578	एपीएस स्टार (लिक्व्यू.)	1.13	
2	जीजे	14658	न्यूटन इंजीनियरिंग (ई.पी.एफ.ए.टी)	1.03	
क्षेत्र का कुल					2.16
इंदौर					
1	एमपी	3992	जेएनएयू, जबलपुर	33.41	
2	एमपी	225	एम.पी.एस.आर.टी.सी., ग्वालियर	22.29	
3	एमपी	1267	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी.	18.05	
4	एमपी	21484	मैसर्स एस.के. जैन	17.22	
5	एमपी	264	एम.पी.एस.आर.टी.सी., जबलपुर	16.98	
6	एमपी	4646	मैसर्स एम.पी. ऑयल फेड	14.94	
7	एमपी	4046	एम.पी.एस.आर.टी.सी., रीवा	13.44	
8	एमपी	4045	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी., सागर	7.04	
9	एमपी	5417	एम.पी.एस.आर.टी.सी., सिओनी	6.42	
10	एमपी	229	एम.पी.एस.आर.टी.सी., ग्वालियर	5.68	
11	एमपी	1378	मैसर्स एम.पी.एस.आर.टी.सी.	5.40	
12	एमपी	1143	एम.पी.एस.आर.टी.सी., इंदौर	2.68	
13	एमपी	4470	मैसर्स एमपी हाउसिंग बोर्ड, भोपाल	2.56	
14	एमपी	13284	मैसर्स जी 4 सिक्युरिटी लि.	2.17	
15	एमपी	3839	आई.डी.ए.,इंदौर	2.13	
16	एमपी	2049	जी.ई.आई. इंडस्ट्रियल	2.06	

7	MP	4046	MPSRTC, Rewa	13.44	
8	MP	4045	M/s M.P.S.R.T.C. Sagar	7.04	
9	MP	5417	MPSRTC, Seoni	6.42	
10	MP	229	MPSRTC, Gwl	5.68	
11	MP	1378	M/s MPRTC	5.40	
12	MP	1143	M.P.R.T.C. Indore	2.68	
13	MP	4470	M/s M.P.Housing Board, Bhopal	2.56	
14	MP	13284	M/s G4 Security Ltd	2.17	
15	MP	3839	I.D.A. Indore	2.13	
16	MP	2049	GEI Industrial	2.06	
17	MP	4246	Scindia School	1.95	
18	MP	16106	Drytech Pro. Chhindwara	1.90	
19	MP	4	Rajkumar Mills	1.75	
20	MP	15378	Kiddies Hr. Sch Gwl	1.55	
21	MP	18262	Checkmate Services Pvt. Ltd	1.54	
22	MP	82	Bhopal Sugar Ind.	1.45	
23	MP	15251	Harshit textile ltd Gwalior	1.35	
24	MP	1	Hukumchand Mills	1.24	
25	MP	3424	Gajra Bevel Dewas	1.18	
26	MP	2	Indore Malwa Mills	1.08	
27	MP	10815	Hot line C.P.T. Ltd Bhind	1.04	
Total of the Region				188.49	
Surat					
1	GJ	46739	KSL Reality	9.04	
2	GJ	46818	FAZE THREE LTD.	7.74	
3	GJ	46526	Amar Ramedies	4.58	
4	GJ	1383	The Baroda Rayon Corporation Ltd., Surat	1.79	
5	GJ	30351	PRECISION FASTNER LTD.	1.17	
6	GJ	19246	Krishna Life style	1.12	
7	GJ	4521	H.M.P. Engineering Ltd., Surat	1.03	
Total of the Region				26.47	

17	एमपी	4246	सिंधिया स्कूल	1.95	
18	एमपी	16106	ड्राईटेक प्रो छिन्दवाड़ा	1.90	
19	एमपी	4	राजकुमार मिल्स	1.75	
20	एमपी	15378	किड्डीज हायर सेकेण्ड्री स्कूल, ग्वालियर	1.55	
21	एमपी	18262	चेकमेट सर्विसज़ प्रा.लि.	1.54	
22	एमपी	82	भोपाल शूगर इंडस्ट्री	1.45	
23	एमपी	15251	हर्षितटेक्सटाइल लि., ग्वालियर	1.35	
24	एमपी	1	हुकमचंद मिल्स	1.24	
25	एमपी	3424	गजरा बावेल देवास	1.18	
26	एमपी	2	इंदौर मालवा मिल्स	1.08	
27	एमपी	10815	हॉटलाईन सीपीटी लि., भिंड	1.04	
क्षेत्र का कुल					188.49
सूरत					
1	जीजे	46739	के.एस.एल. रिएलिटी	9.04	
2	जीजे	46818	फेज़ थ्री लि.	7.74	
3	जीजे	46526	अमर रेमेडिज़	4.58	
4	जीजे	1383	बडौदा रेयान कॉर्पो. लि. सूरत	1.79	
5	जीजे	30351	प्रशीसन फास्टर्न लि.	1.17	
6	जीजे	19246	कृष्णा लाइफ स्टाइल	1.12	
7	जीजे	4521	एच.एम.पी. इंजीनियरिंग लि., सूरत	1.03	
क्षेत्र का कुल					26.47
कांदिवली					
1	एमएच	93233	जे. कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर	43.28	
2	एमएच	1492-A	नेवीनोन लि. (आई डीआई लि.)	6.68	
3	एमएच	802	मैसर्स डॉ. वी वी पाटिल एस एस के लि., 'ए' नगर	5.32	
4	एमएच	1880	मैसर्स बाबूराव तानपुरे एस एस के लि.	4.97	
5	एमएच	19247	मैसर्स बेलगांव एस एस के लि.	3.34	
6	एमएच	15480	सतपुडा एस एस के लि.	2.74	
7	एमएच	20375	मैसर्स नासिक एस एस के लि.	2.36	

Kandivili

1	MH	93233	J.Kumar Infrastructure	43.28	
2	MH	1492-A	Navinon Ltd (IDI Ltd)	6.68	
3	MH	802	M/s Dr. V. V. Patil SSK Ltd, A'Nagar	5.32	
4	MH	1880	M/s Baburao Tanpure SSK Ltd.	4.97	
5	MH	19247	M/s Belgaon SSK Ltd.	3.34	
6	MH	15480	Satpuda S.S.K.Ltd	2.74	
7	MH	20375	M/s Nasik SSK Ltd.	2.36	
8	MH	22479	Skypak Services Spec Ltd	1.78	
9	MH	7594	Niphad SSK Ltd	1.74	
10	MH	13350	M/s Shri Panzarakhan SSK Ltd	1.69	
11	MH	38218	A.G.Technology	1.65	
12	MH	51380	M/s Priyadarshani Sah. Soot Girni Ltd.	1.46	
13	MH	997	M/s Ravalgaon SSK Ltd.	1.40	
14	MH	1505	Usha Offset	1.19	

Total of the Region

79.59

Bandra

1	MH	45327	HBL GLOBAL	78.81	
2	MH	21385	M. H. A. D. A.	48.57	
3	MH	121	India United Mills No. 1	5.71	
4	MH	640	IUM 3	5.09	
5	MH	120	IUM 4	4.75	
6	MH	169	MUMBAI TEXTILE LTD	3.53	
7	MH	183	TATA MILLS	3.32	
8	MH	101	HINDUSTAN SPG & WVG MILLS	3.07	
9	MH	1204	The Press Trust of India Ltd.	2.94	
10	MH	41299	VAZIR SURFACE PROTECTION P. LTD.	2.71	
11	MH	119	IUM 2	2.58	
12	MH	401	Digvijay Spg. & Wvg. Mills Co. Ltd	2.57	
13	MH	113	Jupitor Mill	2.52	
14	MH	124	JAM MANUFACTURING MILLS LTD.	2.49	
15	MH	9264	CARONA LTD.	2.44	
16	MH	132	Kohinoor Mills No. 1 & 2	2.43	

8	एमएच	22479	स्काईपार्क सर्विसिज़ स्पैक लि.	1.78	
9	एमएच	7594	निफेड एस एस के लि.	1.74	
10	एमएच	13350	मैसर्स श्री पंजाराखान एस एस के लि.	1.69	
11	एमएच	38218	ए.जी. टेक्नोलॉजी	1.65	
12	एमएच	51380	मैसर्स प्रियदर्शनी सह सूत गिरनी लि.	1.46	
13	एमएच	997	मैसर्स रावलगांव एस एस के लि.	1.40	
14	एमएच	1505	उषा ओफसेट	1.19	
क्षेत्र का कुल				79.59	
बान्द्रा					
1	एमएच	45327	एच बी एल ग्लोबल	78.81	
2	एमएच	21385	एम.एच.ए.डी.ए.	48.57	
3	एमएच	121	इंडिया यूनाईटेड मिल्स नं. 1	5.71	
4	एमएच	640	आई यू एम 3	5.09	
5	एमएच	120	आई यू एम 4	4.75	
6	एमएच	169	मुम्बई टेक्सटाईल्स लि.	3.53	
7	एमएच	183	टाटा मिल्स	3.32	
8	एमएच	101	हिंदुस्तान स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स	3.07	
9	एमएच	1204	द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लि.	2.94	
10	एमएच	41299	वजीर सरफेस प्रोटेक्शन प्रा.लि.	2.71	
11	एमएच	119	आई यू एम 2	2.58	
12	एमएच	401	दिविजय स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स को लि.	2.57	
13	एमएच	113	जुपिटर मिल	2.52	
14	एमएच	124	जाम मैनुफैक्चरिंग मिल्स लि.	2.49	
15	एमएच	9264	करोना लि.	2.44	
16	एमएच	132	कोहीनूर मिल्स न. 1 एंड 2	2.43	
17	एमएच	8865	न्यू हिंद टेक्सटाईल्स मिल्स	2.19	
18	एमएच	118	आई यू एम 5	2.12	
19	एमएच	139	न्यूसिटी ऑफ बोम्बे मैनुफैक्चरिंग कं. लि.	1.92	

17	MH	8865	New Hind Textile Mills	2.19	
18	MH	118	IUM 5	2.12	
19	MH	139	NEW CITY OF BOMBAY MFG. CO. LTD	1.92	
20	MH	82	APOLLO MILLS LTD	1.71	
21	MH	106	BHARAT TEXTILE	1.38	
22	MH	158	PODAR MILLS	1.29	
23	MH	110	GOLD MOHUR MILLS	1.26	
24	MH	38968-A	FORTIIS (Relegary) SECURITY	1.25	
25	MH	415 & 4566	SITARAM MILL	1.25	
26	MH	122	IUM 6	1.25	
27	MH	420	MADHUSUDAN MILLS LTD	1.22	
28	MH	109	FINLAY MILLS	1.15	
29	MH	389	PIRAMAL SPG. & WVG. MILLS	1.13	

Total of the Region

192.65

Thane

1	MH	8743	M/S.PRECISION FASTNER	3.48	
2	MH	99311	M/S. E-NXT FINANCIAL PVT. LTD.,	3.31	
3	MH	686	POYSHA INDS	2.45	
4	MH	98188	ZUVENTUS HEALTHCARE LTD	1.98	
5	MH	23851	M/S. GODREJ HOUSEHOLD PRODUCT, SARALEE LTD.	1.93	
6	MH	1654	RALLI WOLF LTD	1.75	
7	MH	117273	M/S. THAKUR INFRAPROJECTS PVT. LTD.,	1.21	
8	MH	1492	INDIAN DYESTUFF	1.21	

Total of the Region

17.31

Nagpur

1	MH	16971	M/s. F.D.C.M. West Chanda	9.00	
2	MH	16972	M/s. F.D.C.M. Central Chanda	6.87	
3	MH	16974	M/s. F.D.C.M. Markanda, Chandrapur	6.46	
4	MH	16706-C	M/s. F.D.C.M. Bramhapuri	6.26	
5	MH	22565	M/s. Godavari Dudhna SSK Ltd. Parbhani	5.12	
6	MH	21949	Godavari Manar SSK Ltd. Nanded	4.54	
7	MH	80393	M/s. Marathwada Agricultural Univercity.	4.18	
8	MH	18274	M/s. Vinayak SSK Ltd.,	4.10	

20	एमएच	82	अपोलो मिल्स लि.	1.71	
21	एमएच	106	भारत टेक्सटाईल	1.38	
22	एमएच	158	पोद्दार मिल्स	1.29	
23	एमएच	110	गोल्ड मोहर मिल्स	1.26	
24	एमएच	38968-A	फोर्टिज (रेलीग्री) सिक्युरिटी	1.25	
25	एमएच	415 & 4566	सीताराम मिल्स	1.25	
26	एमएच	122	आई यू एम 6	1.25	
27	एमएच	420	मधुसूदन मिल्स लि.	1.22	
28	एमएच	109	फिनले मिल्स	1.15	
29	एमएच	389	पीरामल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स	1.13	
क्षेत्र का कुल				192.65	
थाणे					
1	एमएच	8743	मैसर्स प्रशीसन फास्टनर	3.48	
2	एमएच	99311	मैसर्स ई. एनएक्सटी फाईनॅशियल प्रा. लि.	3.31	
3	एमएच	686	पोयशा इंडस्ट्रीयल	2.45	
4	एमएच	98188	जुवेनटस हेल्थकेयर लि.	1.98	
5	एमएच	23851	मैसर्स गोदरेज हाउस होल्ड प्रोजेक्ट, सरली लि.	1.93	
6	एमएच	1654	रल्ली वॉल्फ लि.	1.75	
7	एमएच	117273	मैसर्स ठाकुर इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा.लि.	1.21	
8	एमएच	1492	इंडियन डाईस्टफ	1.21	
क्षेत्र का कुल				17.31	
नागपुर					
1	एमएच	16971	मैसर्स एफडीसीएम वेस्ट चंदा	9.00	
2	एमएच	16972	मैसर्स एफडीसीएम सेंट्रल चंदा	6.87	
3	एमएच	16974	मैसर्स एफडीसीएम मरकंडा, चंद्रपुर	6.46	
4	एमएच	16706-C	मैसर्स एफडीसीएम ब्रह्मापुरी	6.26	
5	एमएच	22565	मैसर्स गोदावरी दूधना एस एस के लि., परभनी	5.12	
6	एमएच	21949	गोदावरी मनार एस एस के लि. नांदेड	4.54	
7	एमएच	80393	मैसर्स मराठवाडा एग्रीकल्चरल यूनियर्सिटी	4.18	

9	MH	16549	M/s. Jhalani Tools Pvt. Ltd., A'Bad.	2.96	
10	MH	36194	M/s. Jalna SSK Ltd., Ramnagar, Jalna.	2.86	
11	MH	60200	M/s. Mahtma Sah. Sakhar Karkhana, Wardha.	2.76	
12	MH	22194	M/s. Sant Eknath SSK Ltd., Tah Paithan, Dist A'Bad.	2.53	
13	MH	81862	M/s. Jalna Vighag Sah Soot Girni.	1.90	
14	MH	16979	M/s. F.D.C.M. Ballarsha,	1.73	
15	MH	80394	M/s. Takhat Sachhand Sri Hazur Abchalnagar, Nanded	1.72	
16	MH	80683	M/s. Patil Construction, Jalana Road, A'bad.	1.66	
17	MH	80379	M/s. WALMI, Kanchanwadi, Aurangabad.	1.61	
18	MH	81431	M/s. Trimurti Stalkply Co-Op. Soc.,	1.58	
19	MH	13843	M/s. Veekay Cotsyn Pvt. Ltd.,	1.46	
20	MH	19443	Jhalani Tools (I) Ltd. Jalna	1.31	
21	MH	3516	M/s. R. B. Bansilal Spg. & Wvg. Mill, Wardha.	1.31	
22	MH	62521	M/s. Ashwamedh Engg.	1.29	
23	MH	3515	M/s. Akola Oil Industries, Akola	1.25	
24	MH	/62709	M/s. Group-4 Security Ind. Pvt. Ltd., Nagpur.	1.20	
25	MH	18860	M/s. Wardha Nagri Sahakari Adhikosh,	1.13	
26	MH	65058	M/s. Belleza (I) Pvt. Ltd, Nagpur	1.12	
27	MH	17362	M/s. Coventry Spring & Engg. Pvt. Ltd., MIDC, Nagpur	1.02	
28	MH	12689-A	M/s. Patheja Forgings & Auto Parts Manufacturing Ltd. Waluj, A'bad	1.00	
Total of the Region				79.94	
Pune					
1	MH	32660	Pimpri Edu. Inst.	310.51	
2	MH	3746 A	Vasntdada SSK Ltd.	24.33	
3	MH	11718	Kolhapur Zilha V.S.S. Girani Ltd.	17.33	
4	MH	29122	Manganga SSK Ltd.	10.50	
5	MH	1869	Shriam SSK Ltd	9.46	
6	MH	15379	The Cosmos Co-op. Bank	3.97	
7	MH	11557	Terna SSK Ltd.	2.75	
8	MH	5468	Garware Nylon	2.50	
9	MH	13506	Vasantdada Co-op. Spg. Mills	2.22	
10	MH	37877	Tuljabhavani SSK Ltd.	2.21	

8	एमएच	18274	मैसर्स विनायक एसएसके लि.	4.10	
9	एमएच	16549	मैसर्स झालानी टूल्स प्रा.लि., ए बी ए डी	2.96	
10	एमएच	36194	मैसर्स जालना एस एस के लि., रामनगर जालना	2.86	
11	एमएच	60200	मैसर्स महात्मा सह. शक्कर कारखाना वर्धा	2.76	
12	एमएच	22194	मैसर्स संत एकनाथ एस एस के लि. ताह पैथन, डिस्ट्रिक्ट ए बी ए डी	2.53	
13	एमएच	81862	मैसर्स जालना विघग सह.सूत गिरनी	1.90	
14	एमएच	16979	मैसर्स एफडीसीएम बल्हारशा	1.73	
15	एमएच	80394	मैसर्स तखत सचखण्ड श्री हजूर, अबचल नगर नांदेड़	1.72	
16	एमएच	80683	मैसर्स पाटिल कंस्ट्रक्शन जालना रोड़, ए बी ए डी	1.66	
17	एमएच	80379	मैसर्स वाल्मी कंचन वाडी औरंगाबाद	1.61	
18	एमएच	81431	मैसर्स त्रीमूर्ति टाक प्लाई को.ओ.सोसाइटी	1.58	
19	एमएच	13843	मैसर्स विके कोटसीन प्रा. लि.	1.46	
20	एमएच	19443	झालानी टूल्स प्रा.लि., जालना	1.31	
21	एमएच	3516	मैसर्स आर.बी.बंशीलाल स्पिनिंग एंड वीविंग मिल, वर्धा	1.31	
22	एमएच	62521	मैसर्स अश्वमेध इंजीनियरिंग	1.29	
23	एमएच	3515	मैसर्स अकोला ऑयल इंडस्ट्रीज अकोला	1.25	
24	एमएच	/62709	मैसर्स ग्रुप 4 सिक्युरिटी इंडिया प्रा.लि., नागपुर	1.20	
25	एमएच	18860	मैसर्स वर्धा नगरी सहकारी अधिकोश	1.13	
26	एमएच	65058	मैसर्स बेलीजा (I) प्रा. लि., नागपुर	1.12	
27	एमएच	17362	मैसर्स कोवेन्ट्री स्पिनिंग एंड इंजी. प्रा.लि., एम.आई.डी.सी., नागपुर	1.02	
28	एमएच	12689-A	मैसर्स पथेजा फोर्जिंग्स एंड आटो पार्ट्स मैनयुफैक्चरिंग लि., वेलुज, ए बी ए डी	1.00	
क्षेत्र का कुल				79.94	
पुणे					
1	एमएच	32660	पिंपरी एजु. इंडस्ट्रीज	310.51	
2	एमएच	3746 A	बसंत दादा एस एस के लि.	24.33	
3	एमएच	11718	कोल्हापुर जिला वी एस एस गिरनी लि.	17.33	
4	एमएच	29122	मानगंगा एस एस के लि.	10.50	
5	एमएच	1869	श्रीराम एस एस के लि.	9.46	

11	MH	100105	Ganesh Co-op. Spining Mills	1.64	
12	MH	5559	Deccan Co-op. Spg. Mills Ltd.	1.32	
13	MH	15574	Chetan Foundries Ltd, Hotgi Road, Solapur	1.13	
14	MH	100801	Abhishek Corpo Ltd.	1.05	
15	MH	30670	Aftek Ltd	1.00	
Total of the Region					391.93
Raipur					
1	CG	1249	CIDC RAIPUR	9.46	
2	CG	4047	CIDC, Bilaspur	6.71	
3	CG	6482	Kedia Distelliries	1.59	
4	CG	18128	Bhoramdev Sahkari Sakkar Samiti	1.21	
5	CG	11716	Laxmi Ventures (I) Ltd. Rajnandgaon	1.11	
Total of the Region					20.09
Bangalore					
1	KN	14766	M/s.G4S Secure Edcuation India Pvt Ltd	41.41	
2	KN	19633	M/s.Essential Services	1.29	
3	KN	23372	M/s.Ismart Global	2.17	
4	KN	25075	M/s.Msource India Pvt Ltd	31.03	
Total of the Region					75.90
Gulburga					
1	KN	27544	M/s.Ashok Iron Works Pvt Ltd., Belgaum	10.15	
2	KN	7901	M/s.B.T.Patil & Sons, Belgaum	1.61	
3	KN	7504	M/s Raibag Sahakari Sakkare Kharkhane Niyamit, Raibag	1.12	
4	KN	98	India Sugars, Hospet	1.04	
Total of the Region					13.92
Mangalore					
1	KN	2260	KN/2260- Ideal Jawa (P) Ltd.	10.69	
2	KN	37450	KN/37450 M/S.PWD Chikmagalur	10.14	
3	KN	37451	KN/37451 M/S. PWD Hassan	6.86	
4	KN	58025	KN/58025 M/S. SKE &C-KCT	4.15	
5	KN	20898	KN/20898- MESCOM	2.66	
Total of the Region					34.50

6	एमएच	15379	द कॉसमॉस कॉ.ओ.बैंक	3.97	
7	एमएच	11557	टेरना एस एस के लि.	2.75	
8	एमएच	5468	गरबारे नाईलोन	2.50	
9	एमएच	13506	बसंत दादा कॉ.ओ. स्पनिंग मिल्स	2.22	
10	एमएच	37877	तुल्जाभवानी एस एस के लि.	2.21	
11	एमएच	100105	गणेश कॉ.ओ. स्पनिंग मिल्स	1.64	
12	एमएच	5559	डेकन कॉ.ओ. स्पनिंग मिल्स लि.	1.32	
13	एमएच	15574	चेतन फाउंड्रीज लि.होतगी रोड, सोल्हापुर	1.13	
14	एमएच	100801	अभिषेक कार्पो. लि.	1.05	
15	एमएच	30670	आफटेक लि.	1.00	
क्षेत्र का कुल				391.93	
रायपुर					
1	सीजी	1249	सी आई डी सी रायपुर	9.46	
2	सीजी	4047	सी आई डी सी ,बिलासपुर	6.71	
3	सीजी	6482	केडिया डिस्टिलरीज़	1.59	
4	सीजी	18128	भोरामदेव सहकारी शक्कर समिति	1.21	
5	सीजी	11716	लक्ष्मी वेंचर्स (I) (लि.) राजनांदगांव	1.11	
क्षेत्र का कुल				20.09	
बंगलौर					
1	केएन	14766	मैसर्स जी 4 एस सिक्योर एजुकेशन इं.प्रा.	41.41	
2	केएन	19633	मैसर्स एसेंशियल सर्विसिज	1.29	
3	केएन	23372	मैसर्स आई स्मार्ट ग्लोबल	2.17	
4	केएन	25075	मैसर्स एमसोर्स इंडिया प्रा.लि.	31.03	
क्षेत्र का कुल				75.90	
गुलबर्गा					
1	केएन	27544	मैसर्स अशोक आयरन वर्क्स प्रा.लि, बेलगांव	10.15	
2	केएन	7901	मैसर्स बी.टी. पाटिल एंड सन्स, बेलगांव	1.61	
3	केएन	7504	मैसर्स रायबाग सहकारी शक्कर कारखाना नियमित, रायबाग	1.12	
4	केएन	98	इंडिया शूगर, होसपेट	1.04	
क्षेत्र का कुल				13.92	

Goa					
Peenya					
1	KN	29864	M/s Indus Fila Ltd.	5.06	
2	KN	13718	M/s.Electrex India Ltd.	1.65	
3	KN	34911	M/s.Acropetal Technologies Ltd.	1.61	
4	KN	24343	M/s.Konega International Pvt. Ltd	1.51	
5	KN	25809	M/s.Mass Marketing	1.38	
6	KN	29005	M/s. Sonal Garments India (P) Ltd.	1.07	
7	KN	29816	M/s.Lohith HR Services	1.05	
Total of the Region					13.34
Bhubaneshwar					
1	OR	1	Orissa Textile Mills	10.23	
2	OR	8636	BISWA	10.20	
3	OR	2734	Urban Coop.Bank	8.78	
4	OR	1690	BDA,BBSR	5.55	
5	OR	1833	Kalinga Weavers Coop Spinning Mills Ltd, Govindpur	4.86	
6	OR	655	B.T.M., Jharsuguda	4.66	
7	OR	87	OSRTC, Berhampur	4.05	
8	OR	917	O.W.C.S. Mill	3.90	
9	OR	439	Orissa Industries Ltd	3.19	
10	OR	261	KIW, Kjr	2.84	
11	OR	347	Hirakud Industrial Works	2.63	
12	OR	3789	Dayalal Meghaji & Co.	1.84	
13	OR	51	BSL	1.58	
14	OR	3464	G.C. Shah	1.47	
15	OR	3251	Jagannath WCS Ltd, Nuapatna, CTC	1.45	
16	OR	10449	Mun Corps, Bam	1.36	
17	OR	4316	Aska Spn. Mill	1.27	
18	OR	1949	Berhampur Univ	1.13	
19	OR	2743	Orissa Drugs & chemicals	1.10	
20	OR	3520	Shree Sarala Weavers Coop Spinning Mills Ltd	1.09	
Total of the Region					73.18

मंगलौर					
1	केएन	2260	केएन / 2260- आईडियल जावा (प्रा.लि.)	10.69	
2	केएन	37450	केएन /37450 मैसर्स पी.डब्ल्यू.डी. चिकमंगलूर	10.14	
3	केएन	37451	केएन /37451 मैसर्स पी.डब्ल्यू.डी. हासन	6.86	
4	केएन	58025	केएन /मैसर्स एस.के.ई.एंड सी-के.सी.टी.	4.15	
5	केएन	20898	केएन /20898- मेस्कॉम	2.66	
क्षेत्र का कुल					34.50
गोवा					
पीण्‍या					
1	केएन	29864	मैसर्स इंडस फीला लि.	5.06	
2	केएन	13718	मैसर्स इलेक्ट्रक्स इ.लि.	1.65	
3	केएन	34911	मैसर्स एक्रोपेटल टेक्नोलॉजी लि.	1.61	
4	केएन	24343	मैसर्स कोनेगा इन्टरनेशनल प्रा.लि.	1.51	
5	केएन	25809	मैसर्स मास मार्केटिंग	1.38	
6	केएन	29005	मैसर्स सोनल गारमेन्ट इ.प्रा. लि.	1.07	
7	केएन	29816	मैसर्स लोहित एच.आर. सर्विसिज़	1.05	
क्षेत्र का कुल					13.34
भुवनेश्वर					
1	ओआर	1	उड़ीसा टेक्सटाईल मिल्स	10.23	
2	ओआर	8636	बी.आई.एस.डब्ल्यू.ए.	10.20	
3	ओआर	2734	अरबन को.ऑप. बैंक	8.78	
4	ओआर	1690	बी.डी.ए., बी.बी.एस.आर.	5.55	
5	ओआर	1833	कलिंग वीवर्स कॉ.स्पिनिंग मिल्स लि. गोविन्दपुर	4.86	
6	ओआर	655	बी.टी.एम. झरसूगुडा	4.66	
7	ओआर	87	ओएसआरटीसी , ब्रह्मपुर	4.05	
8	ओआर	917	ओ.डब्ल्यू .सी एस मिल	3.90	
9	ओआर	439	उड़ीसा इंडस्ट्रीज लि.	3.19	
10	ओआर	261	के.आई.डब्ल्यू, के.जे.आर.	2.84	
11	ओआर	347	हीराकुंड इंडस्ट्रीयल वर्क्स	2.63	

Guntur					
1	AP	370	Sarvaraya Textiles	10.18	
2	AP	2	Nellimarla Jute Mills	9.30	
3	AP	2814	Sarvaraya Textiles	3.85	
4	AP	1184	M/s.Panyam Cements & Mineral Industries Ltd, Cement Nagar, Kurnool.	2.52	
5	AP	19888	M/s. Parkins Textiles Ltd, Nagari, Chittoor.	2.45	
6	AP	23	M/s. Rayalaseema Mills ,Adoni, Kurnool.	1.71	
7	AP	2813	M/s. Yemmiganur Spinning Mills Ltd, Yemmiganur	1.58	
8	AP	294	M/s. G.N.Products Ltd, Adoni, Kurnool.	1.21	
9	AP	46645	Godavari Milk Producers Ltd.	1.20	
Total of the Region					34.00
Hyderabad					
1	AP	42774	Indu projects ltd	14.01	
2	AP	25409	MKKPs. Group 4 Securities Guarding P Ltd	5.98	
3	AP	18829	KMC Construction LTd	4.73	
4	AP	61288	R V P R & Comp	3.04	
5	AP	26304	MPTCs Allwyn Watches	2.31	
6	AP	42754	Ocimum Bio Solutions (IND) Ltd	1.93	
7	AP	39593	Prithvi Information Solutions Ltd	1.45	
8	AP	42126	Jyothi Computers	1.29	
9	AP	50575	Aparna Constructions	1.26	
10	AP	47753	Beam Telecom	1.25	
11	AP	32872	The India Cements	1.25	
12	AP	39166	Country vations	1.23	
13	AP	1854	GHMC,health sec Abids	1.14	
14	AP	5238	Galada	1.09	
15	AP	34921	M/s. Rao's High School	1.07	
16	AP	63117	M/s. Integrated Broad Casting Co. P Ltd	1.06	
Total of the Region					44.08

12	ओआर	3789	दयालाल मेघाजी एंड कं.	1.84	
13	ओआर	51	बी.एस.एल.	1.58	
14	ओआर	3464	जी सी साह	1.47	
15	ओआर	3251	जगन्नाथ डब्ल्यू सी एस लि. नौपटना, कटक	1.45	
16	ओआर	10449	मुन कॉरपोरेशन ब्रह्मपुर	1.36	
17	ओआर	4316	आसका स्पिनिंग मिल्स	1.27	
18	ओआर	1949	ब्रह्मपुर यूनि.	1.13	
19	ओआर	2743	उडीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स	1.10	
20	ओआर	3520	श्री सरला वीवर्स कॉ.स्पिनिंग मिल्स लि.	1.09	
क्षेत्र का कुल				73.18	
गुंदूर					
1	एपी	370	सरवारया टेक्सटाईल्स	10.18	
2	एपी	2	नेलीमारला जूट मिल्स	9.30	
3	एपी	2814	सरवारया टेक्सटाईल्स	3.85	
4	एपी	1184	मैसर्स पनयाम सीमेंट एंड मिनरल इंडस्ट्रीज लि. सीमेंट नगर, कुर्नूल	2.52	
5	एपी	19888	मैसर्स पार्किंस टेक्सटाईल्स लि. नगरी, चित्तूर	2.45	
6	एपी	23	मैसर्स रायलासीमा मिल्स अडोनी, कुर्नूल	1.71	
7	एपी	2813	मैसर्स येमीगन्नूर स्पीनिंग लि. येमीगन्नूर	1.58	
8	एपी	294	मैसर्स जी.एन. प्रोडैक्ट लि., अडोनी, कुर्नूल	1.21	
9	एपी	46645	गोदावरी मिल्क प्रोडक्ट्स लि.	1.20	
क्षेत्र का कुल				34.00	
हैदराबाद					
1	एपी	42774	इन्दू प्रोजेक्ट्स लि.	14.01	
2	एपी	25409	एम के के पी ग्रुप 4 सिक्योरिटीज गार्डिंग प्रा.लि.	5.98	
3	एपी	18829	केएम सी कंस्ट्रक्शन लि.	4.73	
4	एपी	61288	आर.वी.पी.आर. एंड कंपनी	3.04	
5	एपी	26304	एम पी टी सी एलविन वॉचज	2.31	
6	एपी	42754	ओसिमम बायो सॉल्यूशन (इं.) लि.	1.93	
7	एपी	39593	पृथ्वी इन्फोरमेशन सॉल्यूशन लि.	1.45	

Nizamabad					
1	AP	11962	Kakatiya University, Warangal	1.66	
Total of the Region					1.66
Chennai					
1	TN	7868	M/s.Madras Petrochem Ltd.	7.17	
2	TN	54904	GVK Emergency	3.99	
3	TN	17277	Hofincons Infotech & Industrial Services Ltd	3.22	
4	TN	51445	Chola Business Services, Ch-1	3.12	
5	TN	49094	Zylog Systems (P) Ltd	2.97	
6	TN	54058	BNP Paribas Sundaram Global Securities Operations	2.81	
7	TN	52226	M/s.Pyramid Saimira Theatre Ltd. Chennai - 35	1.50	
8	TN	65986	M/s.Polycrest Innovations India (P) Ltd.	1.43	
9	TN	49158	Accel IT Resouces, Ch-29	1.41	
10	TN	53197	Neelmetal Fanalca, Ch-14	1.35	
11	TN	53112	Equitas Micro Finance, Ch-35	1.31	
12	TN	22600	Brilliant Tutorials Pvt Ltd.	1.20	
13	TN	48617	M/s.Aditya Birla Money Ltd., Chennai - 6	1.05	
14	TN	49016	M/s.Tops Detectives & Securities Services Ltd., Chennai 101	1.04	
Total of the Region					33.58
Coimbatore					
1	TN	96059	Electricity Distribution Circle, Dharmapuri	8.29	
2	TN	96060	Electricity Distribution Circle, Mettur Dam	7.78	
3	TN	16681	Uma Maheswari	7.55	
4	TN	153	Uma parameswari Mills	5.19	
5	TN	96061	Electricity Distribution Circle, salem	4.75	
6	TN	1160	Mettur Spinning Mills	3.89	
7	TN	21411	The Krishnagiri Dt. Coop Spg Mills	2.98	
8	TN	5562	Karur Dist. Coop. Spinning Mills	2.85	
9	TN	1038	Cbe Pioneer Mills	2.21	
10	TN	131	Jawahar Mills	2.17	
11	TN	4900	Salem Coop Spg Mills	1.96	
12	TN	5531	Nagapattinam Dist. Coop. Spinning Mills	1.87	
13	TN	21118	Sakthi Aiswarya Spinnig Mills P Ltd.,	1.74	

8	एपी	42126	ज्योति कंप्यूटर्स	1.29	
9	एपी	50575	अपर्णा कंसट्रक्शन	1.26	
10	एपी	47753	बीम टेलीकॉम	1.25	
11	एपी	32872	द इंडिया सीमेंट	1.25	
12	एपी	39166	कन्द्री वेशन्स	1.23	
13	एपी	1854	जी एच एम सी हैल्थ सेक. एबीडस	1.14	
14	एपी	5238	गलादा	1.09	
15	एपी	34921	मैसर्स राव हाई स्कूल	1.07	
16	एपी	63117	मैसर्स इंड्रीग्रेटेड बोर्ड कास्टिंग को. प्रा.लि.	1.06	
क्षेत्र का कुल					44.08
निजामाबाद					
1	एपी	11962	काकतिया यूनिवर्सिटी, वारंगल	1.66	
क्षेत्र का कुल					1.66
चेन्नै					
1	टीएन	7868	मैसर्स मद्रास पैट्रोकेम. लि.	7.17	
2	टीएन	54904	जी.वी.के. इमरजेन्सी	3.99	
3	टीएन	17277	हॉफिन्कॉन्स इन्फोटेक एंड इंड्रियल सर्विसज लि.	3.22	
4	टीएन	51445	कोला बिजनेस सर्विसिज, चेन्नै -1	3.12	
5	टीएन	49094	जाइलॉग सिस्टम (प्रा.) लि.	2.97	
6	टीएन	54058	बी.एन.पी. परिबास सुंदरम ग्लोबल सिक्योरिटीज़ ऑपरेशन	2.81	
7	टीएन	52226	मैसर्स पिरामिड साइमिरा थियेटर लि. चेन्नै - 35	1.50	
8	टीएन	65986	मैसर्स पोलीक्रेस्ट इनोवेशन्स इंडिया (प्रा.) लि.	1.43	
9	टीएन	49158	एक्सल आई टी रिसॉसिज चेन्नै -29	1.41	
10	टीएन	53197	नीलमेटल फनल्का, चेन्नै -14	1.35	
11	टीएन	53112	इक्विटास माईक्रो फाईनेन्स चेन्नै -35	1.31	
12	टीएन	22600	ब्रिलिएंट टूटोरियल प्रा.लि.	1.20	
13	टीएन	48617	मैसर्स आदित्य बिरला मनी लि. चेन्नै - 6	1.05	
14	टीएन	49016	मैसर्स टॉप्स डिटेक्टिव एंड सिक्युरिटीज सर्विसज लि. चेन्नै - 101	1.04	
क्षेत्र का कुल					33.58

14	TN	17496	Asian Bearings	1.59	
15	TN	5544	Erode Coop Spg Mills	1.51	
16	TN	55	Cbe Pioneer Mills	1.38	
17	TN	6517	Salem Textiles	1.38	
18	TN	21038	Lakhna Cotton Mills	1.33	
19	TN	25464	Sugarcane Breeding Institute	1.31	
80	TN	17503	Siva Spg. Mill	1.26	
21	TN	8400	Kongarar Spinners	1.25	
22	TN	691	NEPC Tea Garden Unit II	1.24	
23	TN	10661	Selvarani Spg. Mills	1.18	
24	TN	651	NEPC Tea Garden Unit I	1.07	
25	TN	6091	Arcot Textile Mills	1.01	
Total of the Region				68.73	
Madurai					
1	TN	6357	SWAMIJI MILLS LIMITED	5.55	
2	TN	1707	SRI SHEELA RANI TEXTILES, MADURAI	3.37	
3	TN	55649	M/s TNEB, Nagercoil	3.31	
4	TN	20905	VISWABHARATHI TEXTILES (P) LTD.,	2.33	
5	TN	2298	SITALAKSHMI MILLS LTD.,	2.31	
6	TN	55651	M/s TNEB, Tuticorin	2.29	
7	TN	2133	South India Cooperative Spinning Mills Limited	2.06	
8	TN	55650	M/s TNEB, Tirunelveli	1.93	
9	TN	7130	Seyadu Beedi Company	1.84	
10	TN	157	MADURA COATS PRIVATE LIMITED	1.64	
11	TN	935	Geethanjaly Mills Limited	1.52	
12	TN	11266	SRI VENKATESA PAPER & BOARDS LTD.	1.33	
Total of the Region				29.49	
Tamparam					
1	TN	20	M/S ANGLO FRENCH TEXTILES	9.90	
2	TN	286	PONDICHERRY CO-OP SUGAR MILLS	5.18	
3	TN	2121	JIPMER PUDUCHERRY	3.35	
4	TN	4981	SARASWATI MILLS	2.60	
5	TN	50125	TRIUMPH INTERNATIONAL INDIA PVT LTD	2.43	

कोयंबतूर					
1	टीएन	96059	इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, धर्मपुरी	8.29	
2	टीएन	96060	इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, मैतूर डेम	7.78	
3	टीएन	16681	उमा माहेश्वरी	7.55	
4	टीएन	153	उमा परमेश्वरी मिल्स	5.19	
5	टीएन	96061	इलैक्ट्रीसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सर्कल, सेलम	4.75	
6	टीएन	1160	मैतूर स्पिनिंग मिल्स	3.89	
7	टीएन	21411	द कृष्णगिरी डीटी. कॉ. स्पिनिंग मिल्स	2.98	
8	टीएन	5562	क्रूर डिस्ट्रीक कॉ. स्पिनिंग मिल्स	2.85	
9	टीएन	1038	सीबीई पाइनीयर मिल्स	2.21	
10	टीएन	131	जवाहर मिल्स	2.17	
11	टीएन	4900	सेलम कॉ. स्पिनिंग मिल्स	1.96	
12	टीएन	5531	नागापट्टीनम डिस्ट्रीक कॉ. स्पिनिंग मिल्स	1.87	
13	टीएन	21118	शक्ति ऐश्वर्य स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	1.74	
14	टीएन	17496	एशियन बीयरिंग	1.59	
15	टीएन	5544	इरोड कॉ. स्पिनिंग मिल्स	1.51	
16	टीएन	55	सीबीई पाइनीयर मिल्स	1.38	
17	टीएन	6517	सेलम टेक्सटाईल्स	1.38	
18	टीएन	21038	लेकना कॉटन मिल्स	1.33	
19	टीएन	25464	शुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट	1.31	
80	टीएन	17503	शिवा स्पिनिंग मिल्स	1.26	
21	टीएन	8400	कोन्ग्रार स्पिनर्स	1.25	
22	टीएन	691	एनइपी टी गार्डन यूनिट II	1.24	
23	टीएन	10661	सिल्वारानी स्पिनिंग मिल्स	1.18	
24	टीएन	651	एनइपीसी टी गार्डन यूनिट I	1.07	
25	टीएन	6091	एरकोट टेक्सटाईल मिल्स	1.01	
क्षेत्र का कुल				68.73	

6	TN	62010	FORWARD SHOES INDIA PVT LTD	1.92	
7	TN	582	SPI TECHNOLOGIES INDIA PVT LTD	1.76	
8	TN	10860A	FORWARD SHOES INDIA P LTD	1.64	
9	TN	19698	GMMCO LIMITED	1.53	
10	TN	10860	FORWARD LEATHER CO	1.29	
11	TN	30001	M/S. PENTAFOUR PRODUCTS LTD	1.14	
12	TN	19937	ABDUL AZEEZ SAHIB & SONS	1.10	
13	TN	60577	SHAMSHUDDIN EXPORTS	1.09	
14	TN	19706	M/S.POYSHA INDUSTRIAL CO LTD	1.08	
Total of the Region				36.00	
Kerala					
1	KR	1912	Ernakulam DCB ltd	30.98	
2	KR	1900	Alappuzha DCB ltd	29.09	
3	KR	16159	Muthoot consultancy, TVM	24.94	
4	KR	10416	Beverages corpn, TVM	3.67	
5	KR	16672	Lekshmi enterprises, KLM	2.66	
6	KR	16539	G 4 S securities, TVM	2.45	
7	KR	68	Manjumalai estate, KTM	2.27	
8	KR	396	Kuduakarnam estate, KTM	2.17	
9	KR	19743	G 4 S securities, EKM	2.07	
10	KR	270	Thungamallay estate, KTM	1.96	
11	KR	10813	Kerala Automobiles, Tvm	1.88	
12	KR	267	Pambaran estate, KTM	1.83	
13	KR	3237	Pushpagiri, TVM	1.82	
14	KR	12344	Keltron Equip complex.TVM	1.76	
15	KR	10160	Autocast, EKM	1.69	
16	KR	4409	Ker. Sta.Civil Supplies Corpn, EKM	1.50	
17	KR	24261	Muthoot Securites Ltd.	1.31	
18	KR	18103	Rubco, KNR	1.27	
19	KR	67	Kolikanam estate, KTM	1.27	
20	KR	266	Thengakkal estate, KTM	1.26	
21	KR	294	Pasumallay estate, KTM	1.17	
22	KR	19836	Lakeshore Hospital and reser. Cen.	1.16	

मदुरै					
1	टीएन	6357	स्वामीजी मिल्स लि.	5.55	
2	टीएन	1707	श्री शीला रानी टेक्सटाईल्स मदुरै	3.37	
3	टीएन	55649	मैसर्स टीएनईबी, नागरकोईल	3.31	
4	टीएन	20905	विश्वभारती टेक्सटाईल्स (प्रा.) लि.	2.33	
5	टीएन	2298	सीतालक्ष्मी मिल्स लि.	2.31	
6	टीएन	55651	मैसर्स टीएनईबी, टूटीकोरिन	2.29	
7	टीएन	2133	साउथ इंडिया कॉ. स्पिनिंग मिल्स लि.	2.06	
8	टीएन	55650	मैसर्स टीएनईबी, तिरुनेलवेली	1.93	
9	टीएन	7130	सेदू बीडी कम्पनी	1.84	
10	टीएन	157	मदुरा कोट्स प्रा.लि.	1.64	
11	टीएन	935	गीतांजलि मिल्स लि.	1.52	
12	टीएन	11266	श्री वेंकटेश पेपर एंड बोर्ड लि.	1.33	
क्षेत्र का कुल					29.49
तांबरम					
1	टीएन	20	मैसर्स एंग्लो फ्रेन्च टेक्सटाईल्स	9.90	
2	टीएन	286	पांडिचेरी को.ऑप. शूगर मिल्स	5.18	
3	टीएन	2121	जिम्पर पुहुचेरी	3.35	
4	टीएन	4981	सरस्वती मिल्स	2.60	
5	टीएन	50125	ट्रिम्फ इंटरनेशनल इंडिया प्रा.लि.	2.43	
6	टीएन	62010	फारवर्ड शूज इंडिया प्रा.लि.	1.92	
7	टीएन	582	एस.पी.आई. टेक्नोलॉजिस इंडिया प्रा.लि.	1.76	
8	टीएन	10860A	फारवर्ड शूज इंडिया प्रा.लि.	1.64	
9	टीएन	19698	जी.एम.एम.सी.ओ. लि.	1.53	
10	टीएन	10860	फारवर्ड लैदर कंपनी	1.29	
11	टीएन	30001	मैसर्स पेन्टाफोर प्रोडक्ट्स लि.	1.14	
12	टीएन	19937	अब्दुल अजीज साहिब एंड सन्स	1.10	
13	टीएन	60577	शमसुद्दीन एक्सपोर्ट	1.09	

23	KR	570	Kerala soaps, KKD	1.13	
24	KR	12648	Reliance securities, KLM	1.09	
25	KR	268	Granby estate, KTM	1.08	
26	KR	10010	Vysali Pharmaceutic, EKM	1.05	
27	KR	12387	Institute of Human resources devp	1.04	
28	KR	17561	KKD Med. Coll. Hosp dev. Authority, KKD	1.02	
29	KR	16436	Accential Techlonogies Ltd, TVM	1.01	
Total of the Region				127.60	
NER					
1	NER	1366	Assam State Minor Irrigation Dev.Corp. Ltd	6.69	
2	NER	314	Assam Spun Silk Mill	5.56	
3	NER	1268	St.Anthony.College	2.86	
4	NER	707	Nagaland Pulp & Papers Co. Ltd	2.71	
5	NER	861	Cachar Sugar Mills Co. Ltd	2.37	
6	NER	842	NS Mill	1.92	
7	NER	1026	MHHDC LTD	1.84	
8	NER	3996	M/S BSNL,Silchar	1.30	
Total of the Region				25.26	
Jalpaiguri					
1	WB	799	Bundapani T.E.	3.01	
2	WB	889	Madhu T.E.	2.61	
3	WB	1011	Kohinoor T.E	2.53	
4	WB	1492	Mugalkata T.E	1.82	
5	WB	698	Gungaram T.E.	1.81	
6	WB	852	Mujnai T. E.	1.71	
7	WB	1576	Panighata TE	1.38	
8	WB	952	Raipur T.E	1.28	
9	WB	30243	Goalgoach TE	1.27	
10	WB	1465	Karbala T.E	1.06	
11	WB	651	New Dooars T.E.	1.06	
12	WB	913	Dalshingpara TE	1.01	
13	WB	816	Bharnobari T.E	1.00	
Total of the Region				21.55	

14	टीएन	19706	मैसर्स पोयशा इंडस्ट्रीयल कं.लि.	1.08	
क्षेत्र का कुल					36.00
केरल					
1	केआर	1912	एर्णाकुलम डी.सी.बी. लि.	30.98	
2	केआर	1900	अलप्पुष्पा डी.सी.बी. लि.	29.09	
3	केआर	16159	मुथुट कंस्ट्रक्शंस, टी वी एम	24.94	
4	केआर	10416	बीर्वेजज कापेरिशन, टी वी एम	3.67	
5	केआर	16672	लक्ष्मी इन्टरप्राइजेस , केएलएम	2.66	
6	केआर	16539	जी 4 एस सिक्युरिटीज, टी वी एम	2.45	
7	केआर	68	मंजूमलै एस्टेट केटीएम	2.27	
8	केआर	396	कुडूकरनम एस्टेट, केटीएम	2.17	
9	केआर	19743	जी 4 एस सिक्युरिटीज , ई के एम	2.07	
10	केआर	270	थुंगामलै एस्टेट केटीएम	1.96	
11	केआर	10813	केरला ऑटोमोबाइल, टी वी एम	1.88	
12	केआर	267	पांबनार एस्टेट केटीएम	1.83	
13	केआर	3237	पुष्पागिरी, टी वी एम	1.82	
14	केआर	12344	केलट्रान इक्वूप कॉम्प्लेक्स, टीवीएम	1.76	
15	केआर	10160	ऑटोकास्ट, इकेएम	1.69	
16	केआर	4409	केरला स्टे.,सिविल सप्लाइ कापेरिशन, ई के एम	1.50	
17	केआर	24261	मुथुट सिक्युरिटीज लि.	1.31	
18	केआर	18103	रबको, के एन आर	1.27	
19	केआर	67	कोलीकनम एस्टेट, केटीएम	1.27	
20	केआर	266	थेंगाकल एस्टेट, केटीएम	1.26	
21	केआर	294	पसुमलै एस्टेट, केटीएम	1.17	
22	केआर	19836	लेकशोर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर	1.16	
23	केआर	570	केरला सोप्स , के के डी	1.13	
24	केआर	12648	रिलाइंस सिक्युरिटीज, के एल एम	1.09	
25	केआर	268	ग्रेनबी एस्टेट, केटीएम	1.08	

Kolkatta					
1	WB	36&47	M/s Nuddea Mill Co. Ltd.	32.92	
2	WB	1651	M/s HCL	18.45	
3	WB	16165	M/s. Favourite Small Investment Ltd.	7.92	
4	WB	2,27 & 40	M/s Baranagar Jute(PLC)	6.48	
5	WB	7 & 25	M/s Gouripore Co. Ltd.	5.48	
6	WB	542	M/s CENTRAL COTTON MILL,	4.56	
7	WB	113	M/s RAMPOORIA COTTON MILL,	4.07	
8	WB	9608	M/s. Simon Carves	3.55	
9	WB	26	M/s The EMPIRE JUTE Co.	2.68	
10	WB	44950	M/s Ex-serviceman Resettlement Socity	2.36	
11	WB	12781	M/s State Fisheries DVL Corporation	2.13	
12	WB	350	M/s BENGAL FINE SPNG.,	1.99	
13	WB	246	M/s BESCO	1.85	
14	WB	12201	M/s INDO JAPAN STEELS LTD,	1.70	
15	WB	12317	M/s EASTEND PAPER (P) LTD.	1.04	
Total of the Region				97.20	
Jharkhand					
1	JH	2316	M/s Sail Bokaro	6.68	
2	JH	5355	M/s Balal Bini Factory	1.66	
3	JH	11184	Director of Soil Conservation, Hazari Bag	1.46	
4	JH	152	SNL Ranchi	1.28	
5	JH	10521	M/s Mahila Kalyan	1.16	
6	JH	16	Lemos Cement	1.10	
7	JH	225	Saraikela Glass Works	1.09	
Total of the Region				14.42	
All India Grand Total				3049.10	

26	केआर	10010	वैशाली फार्माक्यूटिक, ईकेएम	1.05	
27	केआर	12387	इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेन्ट	1.04	
28	केआर	17561	कोषीक्कोड मेडिकल कालेज हास्पिटल डवलपमेंट ऑथो., केकेडी	1.02	
29	केआर	16436	एसेन्सियल टेक्नॉलॉजिस लि., टी वी एम	1.01	
क्षेत्र का कुल					127.60
पूर्वोत्तर					
1	एन.ई.आर	1366	असम स्टेट माइनर इरीगेशन डव. कॉप.लि.	6.69	
2	एन.ई.आर	314	असम स्पन सिल्क मिल	5.56	
3	एन.ई.आर	1268	सै. एन्थनी कॉलेज	2.86	
4	एन.ई.आर	707	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कं. लि.	2.71	
5	एन.ई.आर	861	कचार शूगर मिल्स कं. लि.	2.37	
6	एन.ई.आर	842	एन.एस. मिल	1.92	
7	एन.ई.आर	1026	एम.एच.एच.डी.सी. लि.	1.84	
8	एन.ई.आर	3996	मैसर्स बी.एस.एन.एल., सिल्चर	1.30	
क्षेत्र का कुल					25.26
जलपाईगुडी					
1	डब्ल्यू.बी.	799	बंदापानी टी.ई.	3.01	
2	डब्ल्यू.बी.	889	मधु टी.ई.	2.61	
3	डब्ल्यू.बी.	1011	कोहीनूर टी.ई.	2.53	
4	डब्ल्यू.बी.	1492	मुगलकता टी.ई.	1.82	
5	डब्ल्यू.बी.	698	गंगाराम टी.ई.	1.81	
6	डब्ल्यू.बी.	852	मुजनाई टी.ई.	1.71	
7	डब्ल्यू.बी.	1576	पानीघटा टी.ई.	1.38	
8	डब्ल्यू.बी.	952	रायपुर टी.ई.	1.28	
9	डब्ल्यू.बी.	30243	गोलगौच टी.ई.	1.27	
10	डब्ल्यू.बी.	1465	करबला टी.ई.	1.06	
11	डब्ल्यू.बी.	651	न्यू डोर्स टी.ई.	1.06	
12	डब्ल्यू.बी.	913	दलशिनपारा टी.ई.	1.01	
13	डब्ल्यू.बी.	816	भरनाबरी टी.ई.	1.00	
क्षेत्र का कुल					21.55

कोलकाता					
1	डब्ल्यू.बी.	36&47	मैसर्स नूडिया मिल को. लि.	32.92	
2	डब्ल्यू.बी.	1651	मैसर्स एच.सी.एल.	18.45	
3	डब्ल्यू.बी.	16165	मैसर्स फेवरेट स्मॉल इन्वेस्टमेंट लि.	7.92	
4	डब्ल्यू.बी.	2,27 & 40	मैसर्स बारानगर जूट (पी.एल.सी.)	6.48	
5	डब्ल्यू.बी.	7 & 25	मैसर्स गोरीपोर कॉ. लि.	5.48	
6	डब्ल्यू.बी.	542	मैसर्स सेन्ट्रल कॉटन मिल	4.56	
7	डब्ल्यू.बी.	113	मैसर्स रामपुरिया कॉटन मिल	4.07	
8	डब्ल्यू.बी.	9608	मैसर्स साईमोन कार्वस	3.55	
9	डब्ल्यू.बी.	26	मैसर्स द एम्पायर जूट कं.	2.68	
10	डब्ल्यू.बी.	44950	मैसर्स एक्स सर्विसमैन रिसेटलमेंट सोसाईटी	2.36	
11	डब्ल्यू.बी.	12781	मैसर्स स्टेट फिशरीज़ डी.वी.एल. कॉरपोरेशन	2.13	
12	डब्ल्यू.बी.	350	मैसर्स बंगाल फाईन स्पिनिंग	1.99	
13	डब्ल्यू.बी.	246	मैसर्स बी.ई.एस.सी.ओ.	1.85	
14	डब्ल्यू.बी.	12201	मैसर्स इंडो जापान स्टील्स लि.	1.70	
15	डब्ल्यू.बी.	12317	मैसर्स ईस्ट एंड पेपर (प्र.) लि.	1.04	
क्षेत्र का कुल				97.20	
झारखंड					
1	जे.एच.	2316	मैसर्स सैल बोकारो	6.68	
2	जे.एच.	5355	मैसर्स बलाल बीनी फैक्ट्री	1.66	
3	जे.एच.	11184	डायरेक्टर ऑफ साइल कन्ज़रवेशन हजारी बाग	1.46	
4	जे.एच.	152	एस.एन.एल. रांची	1.28	
5	जे.एच.	10521	मैसर्स महिला कल्याण	1.16	
6	जे.एच.	16	लिमोस सीमेंट	1.10	
7	जे.एच.	225	सराईकेला ग्लास वर्क्स	1.09	
क्षेत्र का कुल				14.42	
अखिल भारतीय कुल योग				3049.10	

वर्ष 2013-14 के दौरान अधिनियम की धारा 7ए के अंतर्गत निर्धारण मामलों का प्रारंभ एवं निपटान						
क्षेत्र	01.04.2013 को निपटान के लिए बकाया मामले	वर्ष के दौरान प्रारंभ किए गए मामले	कुल कार्यभार	अंतिम आदेश द्वारा निपटाए गए मामले	निपटान का %	31.03.2014 को लंबित मामले
देहरादून	221	39	260	29	11.15%	231
दिल्ली (उत्तर)	387	89	476	243	51.05%	233
दिल्ली (दक्षिण)	427	73	500	120	24.00%	380
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	1035	201	1236	392	31.72%	844
चंडीगढ़	712	315	1027	518	50.44%	509
लुधियाना	662	477	1139	616	54.08%	523
शिमला	229	74	303	125	41.25%	178
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1603	866	2469	1259	50.99%	1210
कानपुर	1089	205	1294	342	26.43%	952
मेरठ	552	370	922	447	48.48%	475
पटना	678	144	822	48	5.84%	774
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	2319	719	3038	837	27.55%	2201
फरीदाबाद	204	318	522	218	41.76%	304
गुडगांव	284	522	806	436	54.09%	370
जयपुर	128	498	626	181	28.91%	445
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	616	1338	1954	835	42.73%	1119
अहमदाबाद	535	396	931	201	21.59%	730
बड़ौदा	42	25	67	35	52.24%	32
इंदौर	729	613	1342	603	44.93%	739
सुरत	398	231	629	315	50.08%	314
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1704	1265	2969	1154	38.87%	1815
कांदिवाली	674	143	817	318	38.92%	499
मुंबई-I बांद्रा	330	28	358	95	26.54%	263
मुंबई-II थाणे	633	140	773	239	30.92%	534
नागपुर	658	438	1096	248	22.63%	848
पुणे	483	12	495	11	2.22%	484
रायपुर	153	157	310	158	50.97%	152
आ.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	2931	918	3849	1069	27.77%	2780
बंगलौर	386	162	548	392	71.53%	156
गुलबर्गा	443	474	917	666	72.63%	251
मंगलौर	233	494	727	494	67.95%	233
पणजी	93	84	177	65	36.72%	112
पीण्या	466	764	1230	698	56.75%	532
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1621	1978	3599	2315	64.32%	1284
भुवनेश्वर	486	171	657	196	29.83%	461
गुन्टूर	575	964	1539	854	55.49%	685
हैदराबाद	537	1176	1713	836	48.80%	877
निजामाबाद	194	481	675	443	65.63%	232
आ.का. (आ.प्र. एवं उड़ीसा)	1792	2792	4584	2329	50.81%	2255
चेन्नै	294	672	966	635	65.73%	331
कोयम्बटूर	361	1471	1832	1412	77.07%	420
मद्रास	405	2849	3254	2783	85.53%	471
तांवरम	349	841	1190	835	70.17%	355
तिरुवनंतपुरम	378	1164	1542	1187	76.98%	355
आ.का. (त.नाडू एवं केरल)	1787	6997	8784	6852	78.01%	1932
मुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	315	441	756	286	37.83%	470
जलपाईगुड़ी	207	350	557	283	50.81%	274
कोलकाता	868	233	1101	428	38.87%	673
रांची	278	26	304	23	7.57%	281
आ.का. (प.ब., पू.क्ष. एवं झारखंड)	1668	1050	2718	1020	37.53%	1698
अखिल भारतीय	17076	18124	35200	18062	51.31%	17138

APPENDIX A-16 (i)

Initiation and disposal of Assessment Cases under section 7A of the Act during 2013-14						
Region	Cases for disposal as on 01.04.2013	Cases initiated during the year	Total Workload	Cases disposed by issue of final orders	Disposal in terms of %	Cases pending as on 31.03.2014
Dehradun	221	39	260	29	11.15%	231
Delhi (North)	387	89	476	243	51.05%	233
Delhi (South)	427	73	500	120	24.00%	380
ZO (DL & UK)	1035	201	1236	392	31.72%	844
Chandigarh	712	315	1027	518	50.44%	509
Ludhiana	662	477	1139	616	54.08%	523
Shimla	229	74	303	125	41.25%	178
ZO (PN & HP)	1603	866	2469	1259	50.99%	1210
Kanpur	1089	205	1294	342	26.43%	952
Meerut	552	370	922	447	48.48%	475
Patna	678	144	822	48	5.84%	774
ZO (UP & BR)	2319	719	3038	837	27.55%	2201
Faridabad	204	318	522	218	41.76%	304
Gurgaon	284	522	806	436	54.09%	370
Jaipur	128	498	626	181	28.91%	445
ZO (HR & RJ)	616	1338	1954	835	42.73%	1119
Ahmedabad*	535	396	931	201	21.59%	730
Baroda	42	25	67	35	52.24%	32
Indore	729	613	1342	603	44.93%	739
Surat	398	231	629	315	50.08%	314
ZO (GJ & MP)	1704	1265	2969	1154	38.87%	1815
Kandivili	674	143	817	318	38.92%	499
Mumbai-I Bandra	330	28	358	95	26.54%	263
Mumbai-II Thane	633	140	773	239	30.92%	534
Nagpur	658	438	1096	248	22.63%	848
Pune	483	12	495	11	2.22%	484
Raipur	153	157	310	158	50.97%	152
ZO (MH & CG)	2931	918	3849	1069	27.77%	2780
Bangalore	386	162	548	392	71.53%	156
Gulbarga	443	474	917	666	72.63%	251
Mangalore	233	494	727	494	67.95%	233
Panaji	93	84	177	65	36.72%	112
Peenya	466	764	1230	698	56.75%	532
ZO (KN & Goa)	1621	1978	3599	2315	64.32%	1284
Bhubaneshwar	486	171	657	196	29.83%	461
Guntur	575	964	1539	854	55.49%	685
Hyderabad	537	1176	1713	836	48.80%	877
Nizamabad	194	481	675	443	65.63%	232
ZO (AP & OR)	1792	2792	4584	2329	50.81%	2255
Chennai	294	672	966	635	65.73%	331
Coimbatore	361	1471	1832	1412	77.07%	420
Madurai	405	2849	3254	2783	85.53%	471
Tambaram	349	841	1190	835	70.17%	355
Thiruvananthapuram	378	1164	1542	1187	76.98%	355
ZO (TN & KR)	1787	6997	8784	6852	78.01%	1932
Guwahati (NER)	315	441	756	286	37.83%	470
Jalpaiguri	207	350	557	283	50.81%	274
Kolkata	868	233	1101	428	38.87%	673
Ranchi	278	26	304	23	7.57%	281
ZO (WB, NER & JH)	1668	1050	2718	1020	37.53%	1698
All INDIA	17076	18124	35200	18062	51.31%	17138

लंबित 7ए मामलों की आवधिकता		
आवधिकता	2013-14	2012-13
छह महीने से कम	6,248	6,083
छह महीने से एक वर्ष	3,366	3,328
एक वर्ष से तीन वर्ष	4,860	4,893
तीन वर्ष से ज्यादा	2,664	2,843
कुल	17,138	17,147



Periodicity of the Pending 7A Cases		
Periodicity	2013-14	2012-13
Less than Six Months	6,248	6,083
Six Months to One Year	3,366	3,328
One Year to Three years	4,860	4,893
Over Three Years	2,664	2,843
Total	17,138	17,147



अधिनियम की धारा 7 क्यू के अंतर्गत देयों पर अर्जित ब्याज - 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का %	31.03.2014 को अंतशेष
देहरादून	5.03	1.04	20.70%	3.99
दिल्ली (उत्तर)	124.63	121.93	97.83%	2.70
दिल्ली (दक्षिण)	212.21	2.29	1.08%	209.92
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	341.88	125.27	36.64%	216.61
चंडीगढ़	4.99	2.61	52.29%	2.38
लुधियाना	8.10	1.30	16.04%	6.80
शिमला	0.64	0.46	72.07%	0.18
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	13.73	4.37	31.82%	9.36
कानपुर	43.76	7.63	17.44%	36.13
मेरठ	7.43	1.95	26.27%	5.48
पटना	9.21	4.20	45.57%	5.01
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	60.40	13.78	22.82%	46.62
फरीदाबाद	9.20	2.53	27.47%	6.67
गुड़गांव	4.59	2.82	61.33%	1.78
जयपुर	5.37	2.15	39.95%	3.22
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	19.16	7.49	39.09%	11.67
अहमदाबाद	18.90	6.70	35.46%	12.19
बड़ौदा	2.37	2.02	85.36%	0.35
इंदौर	61.39	8.65	14.09%	52.74
सुरत	11.01	3.85	34.98%	7.16
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	93.66	21.22	22.66%	72.44
कांदिवाली	18.59	4.15	22.30%	14.45
मुंबई-I बांद्रा	27.27	2.66	9.77%	24.60
मुंबई-II थाणे	7.09	2.37	33.44%	4.72
नागपुर	18.49	3.70	20.02%	14.78
पुणे	1.64	1.58	96.29%	0.06
रायपुर	7.61	2.68	35.23%	4.93
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	80.68	17.14	21.25%	63.54
बंगलौर	6.25	2.52	40.29%	3.73
गुलबर्गा	5.14	1.80	35.02%	3.34
मंगलौर	8.92	3.26	36.53%	5.66
पणजी	1.63	1.02	62.48%	0.61
पीप्या	12.92	5.21	40.31%	7.71
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	34.85	13.80	39.60%	21.05
भुवनेश्वर	48.96	12.91	26.37%	36.04
गुन्टूर	17.51	3.65	20.82%	13.87
हैदराबाद	10.24	2.62	25.54%	7.62
निजामाबाद	5.00	1.52	30.33%	3.48
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	81.71	20.69	25.32%	61.02
चेन्नै	10.44	3.01	28.86%	7.43
कोयम्बतूर	24.26	6.92	28.53%	17.34
मद्रास	7.70	3.48	45.16%	4.22
तांवरम	12.30	6.48	52.68%	5.82
तिरुवनंतपुरम	16.85	7.09	42.10%	9.76
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	71.55	26.98	37.71%	44.56
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	16.71	12.03	72.01%	4.68
जलपाईगुड़ी	31.56	4.23	13.39%	27.34
कोलकाता	13.07	4.07	31.18%	8.99
रांची	8.89	3.12	35.06%	5.77
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	70.23	23.45	33.39%	46.78
अखिल भारतीय	867.84	274.19	31.59%	593.65

APPENDIX A-17

Interest accrued on dues under section 7Q of the Act as on 31.03.2014				(₹ in cr.)
Region	Total Workload	Collection made during the year	% of Collection made	Closing Balance as on 31.03.2014
Dehradun	5.03	1.04	20.70%	3.99
Delhi (North)	124.63	121.93	97.83%	2.70
Delhi (South)	212.21	2.29	1.08%	209.92
ZO (DL & UK)	341.88	125.27	36.64%	216.61
Chandigarh	4.99	2.61	52.29%	2.38
Ludhiana	8.10	1.30	16.04%	6.80
Shimla	0.64	0.46	72.07%	0.18
ZO (PN & HP)	13.73	4.37	31.82%	9.36
Kanpur	43.76	7.63	17.44%	36.13
Meerut	7.43	1.95	26.27%	5.48
Patna	9.21	4.20	45.57%	5.01
ZO (UP & BR)	60.40	13.78	22.82%	46.62
Faridabad	9.20	2.53	27.47%	6.67
Gurgaon	4.59	2.82	61.33%	1.78
Jaipur	5.37	2.15	39.95%	3.22
ZO (HR & RJ)	19.16	7.49	39.09%	11.67
Ahmedabad*	18.90	6.70	35.46%	12.19
Baroda	2.37	2.02	85.36%	0.35
Indore	61.39	8.65	14.09%	52.74
Surat	11.01	3.85	34.98%	7.16
ZO (GJ & MP)	93.66	21.22	22.66%	72.44
Kandivili	18.59	4.15	22.30%	14.45
Mumbai-I Bandra	27.27	2.66	9.77%	24.60
Mumbai-II Thane	7.09	2.37	33.44%	4.72
Nagpur	18.49	3.70	20.02%	14.78
Pune	1.64	1.58	96.29%	0.06
Raipur	7.61	2.68	35.23%	4.93
ZO (MH & CG)	80.68	17.14	21.25%	63.54
Bangalore	6.25	2.52	40.29%	3.73
Gulbarga	5.14	1.80	35.02%	3.34
Mangalore	8.92	3.26	36.53%	5.66
Panaji	1.63	1.02	62.48%	0.61
Peenya	12.92	5.21	40.31%	7.71
ZO (KN & Goa)	34.85	13.80	39.60%	21.05
Bhubaneswar	48.96	12.91	26.37%	36.04
Guntur	17.51	3.65	20.82%	13.87
Hyderabad	10.24	2.62	25.54%	7.62
Nizamabad	5.00	1.52	30.33%	3.48
ZO (AP & OR)	81.71	20.69	25.32%	61.02
Chennai	10.44	3.01	28.86%	7.43
Coimbatore	24.26	6.92	28.53%	17.34
Madurai	7.70	3.48	45.16%	4.22
Tambaram	12.30	6.48	52.68%	5.82
Thiruvananthapuram	16.85	7.09	42.10%	9.76
ZO (TN & KR)	71.55	26.98	37.71%	44.56
Guwahati (NER)	16.71	12.03	72.01%	4.68
Jalpaiguri	31.56	4.23	13.39%	27.34
Kolkata	13.07	4.07	31.18%	8.99
Ranchi	8.89	3.12	35.06%	5.77
ZO (WB, NER & JH)	70.23	23.45	33.39%	46.78
All INDIA	867.84	274.19	31.59%	593.65

तीनों योजनाओं के अंतर्गत लगाई गई नुकसानी (अछूत प्राप्त क्षेत्र) 31.03.2014 की स्थिति				
(₹ करोड़ों में)				
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान किया गया संग्रहण	संग्रहण का %	31.03.2014 को अंतशेष
देहरादून	16.39	1.44	8.79%	14.95
दिल्ली (उत्तर)	200.45	3.24	1.62%	197.21
दिल्ली (दक्षिण)	6.60	3.39	51.29%	3.22
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	223.44	8.07	3.61%	215.37
घंटीगढ़	9.05	3.80	42.04%	5.25
लुधियाना	14.61	1.71	11.73%	12.90
शिमला	1.11	0.61	54.82%	0.50
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	24.77	6.13	24.74%	18.64
कानपुर	78.14	9.75	12.48%	68.39
मेरठ	14.91	4.19	28.07%	10.73
पटना	6.40	2.00	31.17%	4.41
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	99.46	15.93	16.02%	83.52
फरीदाबाद	22.04	3.22	14.60%	18.83
गुडगांव	7.80	4.44	56.89%	3.36
जयपुर	18.23	4.48	24.57%	13.75
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	48.07	12.14	25.24%	35.94
अहमदाबाद	28.00	4.00	14.27%	24.01
बड़ौदा	4.92	2.76	56.05%	2.16
इंदौर	153.55	10.02	6.52%	143.54
सूरत	5.34	1.40	26.17%	3.95
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	191.82	18.17	9.47%	173.65
कांदिवली	32.88	6.15	18.70%	26.73
मुंबई-I बांद्रा	62.43	1.85	2.96%	60.59
मुंबई-II थाणे	9.65	3.46	35.83%	6.19
नागपुर	41.77	6.91	16.53%	34.86
पुणे	4.36	0.72	16.54%	3.64
रायपुर	24.46	4.83	19.76%	19.62
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	175.54	23.91	13.62%	151.63
बंगलौर	13.90	5.65	40.66%	8.25
गुलबर्गा	11.95	3.07	25.69%	8.88
मंगलौर	18.44	5.36	29.04%	13.09
पणजी	3.35	1.82	54.45%	1.53
पीण्या	24.88	5.33	21.41%	19.56
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	72.53	21.23	29.27%	51.30
भुवनेश्वर	26.75	3.99	14.93%	22.75
गुन्टूर	44.22	6.61	14.95%	37.61
हैदराबाद	24.35	4.62	18.99%	19.73
निजामाबाद	7.23	2.12	29.35%	5.11
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	102.55	17.35	16.92%	85.20
चेन्नै	18.57	4.54	24.44%	14.03
कोयम्बतूर	63.94	10.99	17.19%	52.95
मद्रास	27.18	6.39	23.52%	20.79
तांबरम	25.26	6.71	26.57%	18.55
तिरुवनंतपुरम	68.70	14.90	21.69%	53.80
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	203.67	43.54	21.38%	160.13
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	32.39	12.20	37.68%	20.19
जलपाईगुड़ी	13.29	0.70	5.23%	12.59
कोलकाता	49.28	4.62	9.37%	44.67
रांची	7.02	2.15	30.57%	4.88
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	101.99	19.66	19.28%	82.32
अखिल भारतीय	1243.84	186.13	14.96%	1057.70

APPENDIX A-18

Levy of damages U/s 14 B in respect of all three Schemes (Unexempted Sector) as on 31.03.2014				
(₹ in cr.)				
Region	Total Workload	Collection made during the year	% of Collection made	Closing Balance as on 31.03.2014
Dehradun	16.39	1.44	8.79%	14.95
Delhi (North)	200.45	3.24	1.62%	197.21
Delhi (South)	6.60	3.39	51.29%	3.22
ZO (DL & UK)	223.44	8.07	3.61%	215.37
Chandigarh	9.05	3.80	42.04%	5.25
Ludhiana	14.61	1.71	11.73%	12.90
Shimla	1.11	0.61	54.82%	0.50
ZO (PN & HP)	24.77	6.13	24.74%	18.64
Kanpur	78.14	9.75	12.48%	68.39
Meerut	14.91	4.19	28.07%	10.73
Patna	6.40	2.00	31.17%	4.41
ZO (UP & BR)	99.46	15.93	16.02%	83.52
Faridabad	22.04	3.22	14.60%	18.83
Gurgaon	7.80	4.44	56.89%	3.36
Jaipur	18.23	4.48	24.57%	13.75
ZO (HR & RJ)	48.07	12.14	25.24%	35.94
Ahmedabad	28.00	4.00	14.27%	24.01
Baroda	4.92	2.76	56.05%	2.16
Indore	153.55	10.02	6.52%	143.54
Surat	5.34	1.40	26.17%	3.95
ZO (GJ & MP)	191.82	18.17	9.47%	173.65
Kandivili	32.88	6.15	18.70%	26.73
Mumbai-I Bandra	62.43	1.85	2.96%	60.59
Mumbai-II Thane	9.65	3.46	35.83%	6.19
Nagpur	41.77	6.91	16.53%	34.86
Pune	4.36	0.72	16.54%	3.64
Raipur	24.46	4.83	19.76%	19.62
ZO (MH & CG)	175.54	23.91	13.62%	151.63
Bangalore	13.90	5.65	40.66%	8.25
Gulbarga	11.95	3.07	25.69%	8.88
Mangalore	18.44	5.36	29.04%	13.09
Panaji	3.35	1.82	54.45%	1.53
Peenya	24.88	5.33	21.41%	19.56
ZO (KN & Goa)	72.53	21.23	29.27%	51.30
Bhubaneshwar	26.75	3.99	14.93%	22.75
Guntur	44.22	6.61	14.95%	37.61
Hyderabad	24.35	4.62	18.99%	19.73
Nizamabad	7.23	2.12	29.35%	5.11
ZO (AP & OR)	102.55	17.35	16.92%	85.20
Chennai	18.57	4.54	24.44%	14.03
Coimbatore	63.94	10.99	17.19%	52.95
Madurai	27.18	6.39	23.52%	20.79
Tambaram	25.26	6.71	26.57%	18.55
Thiruvananthapuram	68.70	14.90	21.69%	53.80
ZO (TN & KR)	203.67	43.54	21.38%	160.13
Guwahati (NER)	32.39	12.20	37.68%	20.19
Jalpaiguri	13.29	0.70	5.23%	12.59
Kolkata	49.28	4.62	9.37%	44.67
Ranchi	7.02	2.15	30.57%	4.88
ZO (WB, NER & JH)	101.99	19.66	19.28%	82.32
All INDIA	1243.84	186.13	14.96%	1057.70

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के अंतर्गत क.भ.नि.देयों हेतु (खाता संख्या 1) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूत प्राप्त)						
31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में.)						
क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतशेष	
	आर.आर.सी की	राशि	आर.आर.सी की	राशि	आर.आर.सी की	राशि
देहरादून	248	29.18	38	9.75	210	19.43
दिल्ली (उत्तर)	606	53.95	242	2.49	364	51.47
दिल्ली (दक्षिण)	311	459.34	41	0.73	270	458.62
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	1165	542.48	321	12.96	844	529.52
चंडीगढ़	4069	40.66	1026	0.44	3043	40.22
लुधियाना	1843	17.05	75	1.55	1768	15.50
शिमला	186	1.51	85	0.55	101	0.96
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	6098	59.21	1186	2.54	4912	56.67
कानपुर	2601	127.40	380	12.64	2221	114.77
मेरठ	2739	17.99	435	3.29	2304	14.70
पटना	1437	20.88	180	5.68	1257	15.21
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	6777	166.28	995	21.61	5782	144.67
फरीदाबाद	1280	23.99	229	5.13	1051	18.86
गुडगांव	801	9.80	353	3.21	448	6.59
जयपुर	1474	51.58	331	4.99	1143	46.59
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	3555	85.37	913	13.33	2642	72.04
अहमदाबाद	931	25.06	307	2.30	624	22.76
बड़ौदा	201	4.44	86	0.19	115	4.25
इंदौर	1826	158.85	507	13.78	1319	145.07
सुरत	1066	11.75	90	0.58	976	11.17
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	4024	200.09	990	16.85	3034	183.25
कांदिवली	781	65.30	411	4.67	370	60.63
मुंबई-I बांद्रा	800	99.00	51	3.56	749	95.44
मुंबई-II थाणे	206	19.16	37	1.60	169	17.56
नागपुर	1516	73.33	308	10.66	1208	62.66
पुणे	1223	52.94	112	3.78	1111	49.16
रायपुर	649	20.67	164	2.28	485	18.38
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	5175	330.39	1083	26.55	4092	303.84
बंगलौर	569	60.15	106	2.65	463	57.50
गुलबर्गा	738	16.55	203	0.91	535	15.64
मंगलौर	808	14.97	304	2.21	504	12.76
पणजी	197	3.09	52	0.72	145	2.37
पीण्या	699	70.18	98	18.82	601	51.35
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	3011	164.94	763	25.31	2248	139.62
भुवनेश्वर	2311	60.84	241	8.79	2070	52.05
गुन्टूर	5725	44.30	638	4.09	5087	40.21
हैदराबाद	3306	68.33	347	5.18	2959	63.16
निजामाबाद	2390	8.47	595	1.19	1795	7.28
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	13732	181.93	1821	19.24	11911	162.69
चेन्नै	5978	40.61	1158	3.16	4820	37.45
कोयम्बतूर	3648	69.35	941	7.56	2707	61.80
मदुरै	3131	45.01	925	14.29	2206	30.72
तांबरम	2316	28.72	1272	3.78	1044	24.94
तिरुवनंतपुरम	4847	158.82	1543	18.43	3304	140.39
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	19920	342.51	5839	47.21	14081	295.30
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	431	15.50	108	5.37	323	10.13
जलपाईगुड़ी	325	23.86	92	6.90	233	16.95
कोलकाता	1177	197.46	90	6.71	1087	190.75
रांची	621	126.59	140	1.96	481	124.63
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	2554	363.41	430	20.95	2124	342.46
अखिल भारतीय	66011	2436.62	14341	206.56	51670	2230.06

APPENDIX A-19 (i)

Recovery Certificates in respect of (A/c No.1) under Employees' Provident Fund Scheme, 1952 (Unexempted Sector) as on 31.03.2014 (₹ in cr.)

Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	248	29.18	38	9.75	210	19.43
Delhi (North)	606	53.95	242	2.49	364	51.47
Delhi (South)	311	459.34	41	0.73	270	458.62
ZO (DL & UK)	1165	542.48	321	12.96	844	529.52
Chandigarh	4069	40.66	1026	0.44	3043	40.22
Ludhiana	1843	17.05	75	1.55	1768	15.50
Shimla	186	1.51	85	0.55	101	0.96
ZO (PN & HP)	6098	59.21	1186	2.54	4912	56.67
Kanpur	2601	127.40	380	12.64	2221	114.77
Meerut	2739	17.99	435	3.29	2304	14.70
Patna	1437	20.88	180	5.68	1257	15.21
ZO (UP & BR)	6777	166.28	995	21.61	5782	144.67
Faridabad	1280	23.99	229	5.13	1051	18.86
Gurgaon	801	9.80	353	3.21	448	6.59
Jaipur	1474	51.58	331	4.99	1143	46.59
ZO (HR & RJ)	3555	85.37	913	13.33	2642	72.04
Ahmedabad	931	25.06	307	2.30	624	22.76
Baroda	201	4.44	86	0.19	115	4.25
Indore	1826	158.85	507	13.78	1319	145.07
Surat	1066	11.75	90	0.58	976	11.17
ZO (GJ & MP)	4024	200.09	990	16.85	3034	183.25
Kandivili	781	65.30	411	4.67	370	60.63
Mumbai-I Bandra	800	99.00	51	3.56	749	95.44
Mumbai-II Thane	206	19.16	37	1.60	169	17.56
Nagpur	1516	73.33	308	10.66	1208	62.66
Pune	1223	52.94	112	3.78	1111	49.16
Raipur	649	20.67	164	2.28	485	18.38
ZO (MH & CG)	5175	330.39	1083	26.55	4092	303.84
Bangalore	569	60.15	106	2.65	463	57.50
Gulbarga	738	16.55	203	0.91	535	15.64
Mangalore	808	14.97	304	2.21	504	12.76
Panaji	197	3.09	52	0.72	145	2.37
Peenya	699	70.18	98	18.82	601	51.35
ZO (KN & Goa)	3011	164.94	763	25.31	2248	139.62
Bhubaneswar	2311	60.84	241	8.79	2070	52.05
Guntur	5725	44.30	638	4.09	5087	40.21
Hyderabad	3306	68.33	347	5.18	2959	63.16
Nizamabad	2390	8.47	595	1.19	1795	7.28
ZO (AP & OR)	13732	181.93	1821	19.24	11911	162.69
Chennai	5978	40.61	1158	3.16	4820	37.45
Coimbatore	3648	69.35	941	7.56	2707	61.80
Madurai	3131	45.01	925	14.29	2206	30.72
Tambaram	2316	28.72	1272	3.78	1044	24.94
Thiruvananthapuram	4847	158.82	1543	18.43	3304	140.39
ZO (TN & KR)	19920	342.51	5839	47.21	14081	295.30
Guwahati (NER)	431	15.50	108	5.37	323	10.13
Jalpaiguri	325	23.86	92	6.90	233	16.95
Kolkata	1177	197.46	90	6.71	1087	190.75
Ranchi	621	126.59	140	1.96	481	124.63
ZO (WB, NER & JH)	2554	363.41	430	20.95	2124	342.46
All INDIA	66011	2436.61	14341	206.55	51670	2230.06

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 के अंतर्गत (खाता संख्या 10) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2014 की स्थिति (₹ करोड़ों में.)						
क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतशेष	
	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि
देहरादून	253	13.41	38	0.18	215	13.23
दिल्ली (उत्तर)	0	28.68	0	1.32	0	27.36
दिल्ली (दक्षिण)	311	259.77	41	0.18	270	259.59
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	564	301.86	79	1.68	485	300.18
चंडीगढ़	3948	18.42	931	0.24	3017	18.19
लुधियाना	1841	9.60	71	1.24	1770	8.37
शिमला	186	1.95	85	0.10	101	1.84
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	5975	29.97	1087	1.57	4888	28.40
कानपुर	2601	67.73	380	6.72	2221	61.01
मेरठ	2662	15.12	435	2.38	2227	12.74
पटना	0	14.83	0	3.11	0	11.73
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	5263	97.68	815	12.21	4448	85.47
फरीदाबाद	1280	16.98	229	1.78	1051	15.19
गुडगांव	801	5.21	353	1.71	448	3.51
जयपुर	1449	10.96	327	0.97	1122	9.99
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	3530	33.15	909	4.46	2621	28.69
अहमदाबाद	940	24.86	285	1.12	655	23.74
बड़ौदा	0	2.82	0	0.16	0	2.66
इंदौर	1871	85.59	504	6.54	1367	79.05
सुरत	0	1.00	0	0.63	0	0.37
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2811	114.27	789	8.45	2022	105.82
कांदिवली	0	26.79	0	2.45	0	24.34
मुंबई-I बांद्रा	0	42.32	0	0.26	0	42.07
मुंबई-II थाणे	210	15.54	37	2.86	173	12.68
नागपुर	0	38.55	0	6.14	0	32.40
पुणे	1223	30.67	112	2.20	1111	28.47
रायपुर	0	10.72	0	1.05	0	9.67
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	1433	164.59	149	14.96	1284	149.63
बंगलौर	569	31.21	106	2.66	463	28.56
गुलबर्गा	561	9.32	203	0.47	358	8.86
मंगलौर	808	5.97	304	1.24	504	4.72
पणजी	205	2.17	55	0.68	150	1.49
पीप्या	704	18.81	101	2.48	603	16.33
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2847	67.48	769	7.53	2078	59.96
भुवनेश्वर	2325	47.20	241	4.67	2084	42.53
गुन्टूर	5725	27.77	638	2.14	5087	25.63
हैदराबाद	3324	30.87	347	2.68	2977	28.19
निजामाबाद	2390	4.37	595	0.59	1795	3.78
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	13764	110.20	1821	10.08	11943	100.13
चेन्नै	5978	23.47	1158	0.58	4820	22.89
कोयम्बतूर	0	43.44	0	2.63	0	40.81
मदुरै	3197	29.65	921	8.86	2276	20.80
तांबरम	2272	12.67	1207	2.94	1065	9.73
तिरुवनंतपुरम	4843	81.20	1539	10.84	3304	70.36
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	16290	190.43	4825	25.85	11465	164.58
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	431	9.34	108	3.93	323	5.41
जलपाईगुड़ी	321	28.33	92	5.92	229	22.42
कोलकाता	800	49.39	77	2.25	723	47.14
रांची	614	17.84	142	1.03	472	16.82
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	2166	104.91	419	13.13	1747	91.78
अखिल भारतीय	54643	1214.54	11662	99.91	42981	1114.63

APPENDIX A-19 (ii)

**Recovery Certificates in respect of (A/c No.10) under Employees' Pension Scheme, 1995
(Unexempted Sector) as on 31.03.2014**

(₹ in cr.)

Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	253	13.41	38	0.18	215	13.23
Delhi (North)	0	28.68	0	1.32	0	27.36
Delhi (South)	311	259.77	41	0.18	270	259.59
ZO (DL & UK)	564	301.86	79	1.68	485	300.18
Chandigarh	3948	18.42	931	0.24	3017	18.19
Ludhiana	1841	9.60	71	1.24	1770	8.37
Shimla	186	1.95	85	0.10	101	1.84
ZO (PN & HP)	5975	29.97	1087	1.57	4888	28.40
Kanpur	2601	67.73	380	6.72	2221	61.01
Meerut	2662	15.12	435	2.38	2227	12.74
Patna	0	14.83	0	3.11	0	11.73
ZO (UP & BR)	5263	97.68	815	12.21	4448	85.47
Faridabad	1280	16.98	229	1.78	1051	15.19
Gurgaon	801	5.21	353	1.71	448	3.51
Jaipur	1449	10.96	327	0.97	1122	9.99
ZO (HR & RJ)	3530	33.15	909	4.46	2621	28.69
Ahmedabad	940	24.86	285	1.12	655	23.74
Baroda	0	2.82	0	0.16	0	2.66
Indore	1871	85.59	504	6.54	1367	79.05
Surat	0	1.00	0	0.63	0	0.37
ZO (GJ & MP)	2811	114.27	789	8.45	2022	105.82
Kandivili	0	26.79	0	2.45	0	24.34
Mumbai-I Bandra	0	42.32	0	0.26	0	42.07
Mumbai-II Thane	210	15.54	37	2.86	173	12.68
Nagpur	0	38.55	0	6.14	0	32.40
Pune	1223	30.67	112	2.20	1111	28.47
Raipur	0	10.72	0	1.05	0	9.67
ZO (MH & CG)	1433	164.59	149	14.96	1284	149.63
Bangalore	569	31.21	106	2.66	463	28.56
Gulbarga	561	9.32	203	0.47	358	8.86
Mangalore	808	5.97	304	1.24	504	4.72
Panaji	205	2.17	55	0.68	150	1.49
Peenya	704	18.81	101	2.48	603	16.33
ZO (KN & Goa)	2847	67.48	769	7.53	2078	59.96
Bhubaneswar	2325	47.20	241	4.67	2084	42.53
Guntur	5725	27.77	638	2.14	5087	25.63
Hyderabad	3324	30.87	347	2.68	2977	28.19
Nizamabad	2390	4.37	595	0.59	1795	3.78
ZO (AP & OR)	13764	110.20	1821	10.08	11943	100.13
Chennai	5978	23.47	1158	0.58	4820	22.89
Coimbatore	0	43.44	0	2.63	0	40.81
Madurai	3197	29.65	921	8.86	2276	20.80
Tambaram	2272	12.67	1207	2.94	1065	9.73
Thiruvananthapuram	4843	81.20	1539	10.84	3304	70.36
ZO (TN & KR)	16290	190.43	4825	25.85	11465	164.58
Guwahati (NER)	431	9.34	108	3.93	323	5.41
Jalpaiguri	321	28.33	92	5.92	229	22.42
Kolkata	800	49.39	77	2.25	723	47.14
Ranchi	614	17.84	142	1.03	472	16.82
ZO (WB, NER & JH)	2166	104.91	419	13.13	1747	91.78
ALL INDIA	54643	1214.54	11662	99.91	42981	1114.63

कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 के अंतर्गत (खाता संख्या 21) राजस्व वसूली प्रमाणपत्र (अछूट प्राप्त) 31.03.2014 की स्थिति
(₹ करोड़ों में.)

क्षेत्र	कार्यभार		वसूली		अंतर्शेष	
	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि	आर.आर.सी की संख्या	राशि
देहरादून	247	1.44	37	0.01	210	1.43
दिल्ली (उत्तर)	0	3.79	0	0.17	0	3.61
दिल्ली (दक्षिण)	311	12.55	41	0.02	270	12.53
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	558	17.77	78	0.20	480	17.57
चंडीगढ़	3012	3.69	779	0.03	2233	3.66
लुधियाना	1821	0.92	69	0.16	1752	0.76
शिमला	184	0.06	83	0.01	101	0.05
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	5017	4.66	931	0.19	4086	4.47
कानपुर	2601	4.07	380	0.40	2221	3.66
मेरठ	2300	1.17	435	0.16	1865	1.00
पटना	0	0.84	0	0.32	0	0.53
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	4901	6.08	815	0.88	4086	5.19
फरीदाबाद	1280	1.41	229	0.17	1051	1.24
गुड़गांव	801	0.31	353	0.10	448	0.21
जयपुर	1256	0.59	283	0.05	973	0.53
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	3337	2.30	865	0.32	2472	1.98
अहमदाबाद	910	1.60	274	0.16	636	1.44
बड़ौदा	0	0.15	0	0.07	0	0.09
इंदौर	1722	6.79	502	0.44	1220	6.35
सूरत	0	1.02	0	0.02	0	1.00
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2632	9.57	776	0.69	1856	8.87
कांदिवली	0	5.27	0	0.67	0	4.60
मुंबई-I बांद्रा	0	2.08	0	0.02	0	2.06
मुंबई-II थाणे	234	1.58	36	0.53	198	1.05
नागपुर	0	4.16	0	0.59	0	3.57
पुणे	1223	1.00	112	0.19	1111	0.81
रायपुर	0	1.42	0	0.17	0	1.25
आं.का. (महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़)	1457	15.51	148	2.16	1309	13.35
बंगलौर	569	2.69	106	0.15	463	2.54
गुलबर्गा	643	0.73	203	0.10	440	0.64
मंगलौर	808	0.48	304	0.14	504	0.34
पणजी	143	0.14	53	0.05	90	0.10
पीण्या	691	0.48	94	0.11	597	0.37
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2854	4.52	760	0.54	2094	3.98
शुवनेश्वर	2279	3.25	241	0.28	2038	2.97
गुन्डूर	5725	3.21	638	0.28	5087	2.93
हैदराबाद	3368	2.42	347	0.24	3021	2.18
निजामाबाद	2390	0.32	595	0.04	1795	0.28
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	13762	9.20	1821	0.85	11941	8.36
चेन्नई	5978	1.25	1158	0.03	4820	1.21
कोयम्बतूर	0	3.41	0	0.46	0	2.95
मद्रास	3142	1.42	904	0.50	2238	0.92
तांबरम	2280	1.05	1242	0.15	1038	0.90
तिरुवनंतपुरम	4711	4.95	1439	0.78	3272	4.18
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	16111	12.08	4743	1.93	11368	10.16
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	433	1.68	110	0.28	323	1.41
जलपाईगुड़ी	328	2.74	92	0.25	236	2.49
कोलकाता	679	3.86	72	0.29	607	3.56
रांची	614	1.20	142	0.07	472	1.13
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	2054	9.48	416	0.90	1638	8.59
अखिल भारतीय	52683	91.18	11353	8.66	41330	82.52

APPENDIX A-19 (iii)

Recovery Certificates in respect of (A/c No.21) under Employees Deposit Linked Insurance Scheme-1976 (Unexempted Sector) as on 31.03.2014 (₹ in cr.)

Region	Workload		Realised		Closing Balance	
	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount	No.of RRC	Amount
Dehradun	247	1.44	37	0.01	210	1.43
Delhi (North)	0	3.79	0	0.17	0	3.61
Delhi (South)	311	12.55	41	0.02	270	12.53
ZO (DL & UK)	558	17.77	78	0.20	480	17.57
Chandigarh	3012	3.69	779	0.03	2233	3.66
Ludhiana	1821	0.92	69	0.16	1752	0.76
Shimla	184	0.06	83	0.01	101	0.05
ZO (PN & HP)	5017	4.66	931	0.19	4086	4.47
Kanpur	2601	4.07	380	0.40	2221	3.66
Meerut	2300	1.17	435	0.16	1865	1.00
Patna	0	0.84	0	0.32	0	0.53
ZO (UP & BR)	4901	6.08	815	0.88	4086	5.19
Faridabad	1280	1.41	229	0.17	1051	1.24
Gurgaon	801	0.31	353	0.10	448	0.21
Jaipur	1256	0.59	283	0.05	973	0.53
ZO (HR & RJ)	3337	2.30	865	0.32	2472	1.98
Ahmedabad	910	1.60	274	0.16	636	1.44
Baroda	0	0.15	0	0.07	0	0.09
Indore	1722	6.79	502	0.44	1220	6.35
Surat	0	1.02	0	0.02	0	1.00
ZO (GJ & MP)	2632	9.57	776	0.69	1856	8.87
Kandivili	0	5.27	0	0.67	0	4.60
Mumbai-I Bandra	0	2.08	0	0.02	0	2.06
Mumbai-II Thane	234	1.58	36	0.53	198	1.05
Nagpur	0	4.16	0	0.59	0	3.57
Pune	1223	1.00	112	0.19	1111	0.81
Raipur	0	1.42	0	0.17	0	1.25
ZO (MH & CG)	1457	15.51	148	2.16	1309	13.35
Bangalore	569	2.69	106	0.15	463	2.54
Gulbarga	643	0.73	203	0.10	440	0.64
Mangalore	808	0.48	304	0.14	504	0.34
Panaji	143	0.14	53	0.05	90	0.10
Peenya	691	0.48	94	0.11	597	0.37
ZO (KN & Goa)	2854	4.52	760	0.54	2094	3.98
Bhubaneshwar	2279	3.25	241	0.28	2038	2.97
Guntur	5725	3.21	638	0.28	5087	2.93
Hyderabad	3368	2.42	347	0.24	3021	2.18
Nizamabad	2390	0.32	595	0.04	1795	0.28
ZO (AP & OR)	13762	9.20	1821	0.85	11941	8.36
Chennai	5978	1.25	1158	0.03	4820	1.21
Coimbatore	0	3.41	0	0.46	0	2.95
Madurai	3142	1.42	904	0.50	2238	0.92
Tambaram	2280	1.05	1242	0.15	1038	0.90
Thiruvananthapuram	4711	4.95	1439	0.78	3272	4.18
ZO (TN & KR)	16111	12.08	4743	1.93	11368	10.16
Guwahati (NER)	433	1.68	110	0.28	323	1.41
Jalpaiguri	328	2.74	92	0.25	236	2.49
Kolkata	679	3.86	72	0.29	607	3.56
Ranchi	614	1.20	142	0.07	472	1.13
ZO (WB, NER & JH)	2054	9.48	416	0.90	1638	8.59
All INDIA	52683	91.18	11353	8.66	41330	82.52

परिशिष्ट ए -20 (i)

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूत प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (क.भ.नि. योजना)								
क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	3	0	0	0	0	0	0	3
दिल्ली (उत्तर)	507	0	0	0	0	0	0	507
दिल्ली (दक्षिण)	390	0	1	0	0	0	1	389
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	900	0	1	0	0	0	1	899
चंडीगढ़	481	6	0	0	0	0	6	475
लुधियाना	459	1	0	0	0	0	1	458
शिमला	57	0	0	0	0	0	0	57
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	997	7	0	0	0	0	7	990
कानपुर	420	0	0	0	0	0	0	420
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	1227	0	0	0	0	0	0	1227
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1702	0	0	0	0	0	0	1702
फरीदाबाद	310	0	0	0	0	0	0	310
मुजगांव	272	0	0	0	0	0	0	272
जयपुर	305	2	0	0	0	10	12	293
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	887	2	0	0	0	10	12	875
अहमदाबाद	1394	13	0	0	0	0	13	1381
बड़ौदा	501	0	0	0	0	0	0	501
इंदौर	1504	47	0	0	0	0	47	1457
सूरत	465	0	0	0	0	0	0	465
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3864	60	0	0	0	0	60	3804
कांदिवाली	526	0	0	0	0	0	0	526
मुंबई-I बांद्रा	928	0	0	0	0	0	0	928
मुंबई-II थाणे	661	0	0	0	0	0	0	661
नागपुर	294	0	0	0	0	0	0	294
पुणे	3217	45	0	0	0	0	45	3172
रायपुर	516	0	0	0	0	0	0	516
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	6142	45	0	0	0	0	45	6097
बंगलौर	495	0	0	0	0	0	0	495
मुलबर्गा	562	0	0	0	0	0	0	562
मंगलौर	939	22	0	23	0	101	146	793
पणजी	99	0	0	0	0	0	0	99
पीपया	210	0	0	0	0	0	0	210
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2305	22	0	23	0	101	146	2159
भुवनेश्वर	1073	0	0	0	0	0	0	1073
गुन्डूर	561	0	0	0	0	0	0	561
हैदराबाद	2541	0	0	0	0	0	0	2541
निजामाबाद	280	0	0	0	0	0	0	280
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	4455	0	0	0	0	0	0	4455
चेन्नै	284	0	0	0	0	0	0	284
कोयम्बतूर	581	0	0	0	37	0	37	544
मदुरै	493	0	0	0	0	0	0	493
तांवरम	213	0	0	0	0	1	1	212
तिरुवनंतपुरम	1251	35	5	0	0	0	40	1211
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	2822	35	5	0	37	1	78	2744
मुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	701	0	0	0	0	0	0	701
जलपाईगुड़ी	1097	58	0	0	0	0	58	1039
कोलकाता	1979	0	0	0	0	0	0	1979
रांची	821	0	0	0	0	0	0	821
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	4598	58	0	0	0	0	58	4540
अखिल भारतीय	28672	229	6	23	37	112	407	28265

APPENDIX A-20 (i)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2014 (EPF Scheme)								
Region	Workload for disposal	Cases Decided						Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn	Total cases decided	
Dehradun	3	0	0	0	0	0	0	3
Delhi (North)	507	0	0	0	0	0	0	507
Delhi (South)	390	0	1	0	0	0	1	389
ZO (DL & UK)	900	0	1	0	0	0	1	899
Chandigarh	481	6	0	0	0	0	6	475
Ludhiana	459	1	0	0	0	0	1	458
Shimla	57	0	0	0	0	0	0	57
ZO (PN & HP)	997	7	0	0	0	0	7	990
Kanpur	420	0	0	0	0	0	0	420
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	1227	0	0	0	0	0	0	1227
ZO (UP & BR)	1702	0	0	0	0	0	0	1702
Faridabad	310	0	0	0	0	0	0	310
Gurgaon	272	0	0	0	0	0	0	272
Jaipur	305	2	0	0	0	10	12	293
ZO (HR & RJ)	887	2	0	0	0	10	12	875
Ahmedabad	1394	13	0	0	0	0	13	1381
Baroda	501	0	0	0	0	0	0	501
Indore	1504	47	0	0	0	0	47	1457
Surat	465	0	0	0	0	0	0	465
ZO (GJ & MP)	3864	60	0	0	0	0	60	3804
Kandivili	526	0	0	0	0	0	0	526
Mumbai-I Bandra	928	0	0	0	0	0	0	928
Mumbai-II Thane	661	0	0	0	0	0	0	661
Nagpur	294	0	0	0	0	0	0	294
Pune	3217	45	0	0	0	0	45	3172
Raipur	516	0	0	0	0	0	0	516
ZO (MH & CG)	6142	45	0	0	0	0	45	6097
Bangalore	495	0	0	0	0	0	0	495
Gulbarga	562	0	0	0	0	0	0	562
Mangalore	939	22	0	23	0	101	146	793
Panaji	99	0	0	0	0	0	0	99
Peenya	210	0	0	0	0	0	0	210
ZO (KN & Goa)	2305	22	0	23	0	101	146	2159
Bhubaneshwar	1073	0	0	0	0	0	0	1073
Guntur	561	0	0	0	0	0	0	561
Hyderabad	2541	0	0	0	0	0	0	2541
Nizamabad	280	0	0	0	0	0	0	280
ZO (AP & OR)	4455	0	0	0	0	0	0	4455
Chennai	284	0	0	0	0	0	0	284
Coimbatore	581	0	0	0	37	0	37	544
Madurai	493	0	0	0	0	0	0	493
Tambaram	213	0	0	0	0	1	1	212
Thiruvananthapuram	1251	35	5	0	0	0	40	1211
ZO (TN & KR)	2822	35	5	0	37	1	78	2744
Guwahati (NER)	701	0	0	0	0	0	0	701
Jaipalguri	1097	58	0	0	0	0	58	1039
Kolkata	1979	0	0	0	0	0	0	1979
Ranchi	821	0	0	0	0	0	0	821
ZO (WB, NER & JH)	4598	58	0	0	0	0	58	4540
All INDIA	28672	229	6	23	37	112	407	28265

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (पेंशन योजना)								
क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	3	0	0	0	0	0	0	3
दिल्ली (उत्तर)	360	0	0	0	0	0	0	360
दिल्ली (दक्षिण)	216	0	0	0	0	0	0	216
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	579	0	0	0	0	0	0	579
चंडीगढ़	291	0	0	0	0	0	0	291
लुधियाना	107	0	0	0	0	0	0	107
शिमला	56	0	0	0	0	0	0	56
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	454	0	0	0	0	0	0	454
कानपुर	48	0	0	0	0	0	0	48
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	985	0	0	0	0	0	0	985
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1088	0	0	0	0	0	0	1088
फरीदाबाद	275	0	0	0	0	0	0	275
गुड़गांव	211	0	0	0	0	0	0	211
जयपुर	70	0	0	0	0	10	10	60
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	556	0	0	0	0	10	10	546
अहमदाबाद	258	13	0	0	0	0	13	245
बड़ौदा	346	0	0	0	0	0	0	346
इंदौर	1110	37	0	0	0	0	37	1073
सुरत	161	0	0	0	0	0	0	161
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1875	50	0	0	0	0	50	1825
कांदिवाली	77	0	0	0	0	0	0	77
मुंबई-I बांद्रा	553	0	0	0	0	0	0	553
मुंबई-II थाणे	661	0	0	0	0	0	0	661
नागपुर	172	0	0	0	0	0	0	172
पुणे	3217	45	0	0	0	0	45	3172
रायपुर	283	0	0	0	0	0	0	283
आं.का. (महा. एवं छत्तीसगढ़)	4963	45	0	0	0	0	45	4918
बंगलौर	436	0	0	0	0	0	0	436
गुलबर्गा	375	0	0	0	0	0	0	375
मंगलौर	394	0	0	12	0	13	25	369
पणजी	141	0	0	0	0	0	0	141
पीपया	194	0	0	0	0	0	0	194
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1540	0	0	12	0	13	25	1515
भुवनेश्वर	519	0	0	0	0	0	0	519
गुन्डूर	471	0	0	0	0	0	0	471
हैदराबाद	2315	0	0	0	0	0	0	2315
निजामाबाद	257	0	0	0	0	0	0	257
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	3562	0	0	0	0	0	0	3562
चेन्नै	247	0	0	0	0	0	0	247
कोयम्बतूर	250	0	0	0	37	0	37	213
मद्रास	339	0	0	0	0	0	0	339
तांवरम	201	0	0	0	0	1	1	200
तिरुवनंतपुरम	839	35	5	0	0	0	40	799
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	1876	35	5	0	37	1	78	1798
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	527	0	0	0	0	0	0	527
जलपाईगुड़ी	1097	58	0	0	0	0	58	1039
कोलकाता	841	0	0	0	0	0	0	841
रांची	819	0	0	0	0	0	0	819
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	3284	58	0	0	0	0	58	3226
अखिल भारतीय	19777	188	5	12	37	24	266	19511

APPENDIX A-20 (ii)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2014 (Pension Scheme)								
Region	Workload for disposal	Cases Decided					Total cases decided	Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn		
Dehradun	3	0	0	0	0	0	0	3
Delhi (North)	360	0	0	0	0	0	0	360
Delhi (South)	216	0	0	0	0	0	0	216
ZO (DL & UK)	579	0	0	0	0	0	0	579
Chandigarh	291	0	0	0	0	0	0	291
Ludhiana	107	0	0	0	0	0	0	107
Shimla	56	0	0	0	0	0	0	56
ZO (PN & HP)	454	0	0	0	0	0	0	454
Kanpur	48	0	0	0	0	0	0	48
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	985	0	0	0	0	0	0	985
ZO (UP & BR)	1088	0	0	0	0	0	0	1088
Faridabad	275	0	0	0	0	0	0	275
Gurgaon	211	0	0	0	0	0	0	211
Jaipur	70	0	0	0	0	10	10	60
ZO (HR & RJ)	556	0	0	0	0	10	10	546
Ahmedabad	258	13	0	0	0	0	13	245
Baroda	346	0	0	0	0	0	0	346
Indore	1110	37	0	0	0	0	37	1073
Surat	161	0	0	0	0	0	0	161
ZO (GJ & MP)	1875	50	0	0	0	0	50	1825
Kandivili	77	0	0	0	0	0	0	77
Mumbai-I Bandra	553	0	0	0	0	0	0	553
Mumbai-II Thane	661	0	0	0	0	0	0	661
Nagpur	172	0	0	0	0	0	0	172
Pune	3217	45	0	0	0	0	45	3172
Raipur	283	0	0	0	0	0	0	283
ZO (MH & CG)	4963	45	0	0	0	0	45	4918
Bangalore	436	0	0	0	0	0	0	436
Gulbarga	375	0	0	0	0	0	0	375
Mangalore	394	0	0	12	0	13	25	369
Panaji	141	0	0	0	0	0	0	141
Peenya	194	0	0	0	0	0	0	194
ZO (KN & Goa)	1540	0	0	12	0	13	25	1515
Bhubaneswar	519	0	0	0	0	0	0	519
Guntur	471	0	0	0	0	0	0	471
Hyderabad	2315	0	0	0	0	0	0	2315
Nizamabad	257	0	0	0	0	0	0	257
ZO (AP & OR)	3562	0	0	0	0	0	0	3562
Chennai	247	0	0	0	0	0	0	247
Coimbatore	250	0	0	0	37	0	37	213
Madurai	339	0	0	0	0	0	0	339
Tambaram	201	0	0	0	0	1	1	200
Thiruvananthapuram	839	35	5	0	0	0	40	799
ZO (TN & KR)	1876	35	5	0	37	1	78	1798
Guwahati (NER)	527	0	0	0	0	0	0	527
Jalpaiguri	1097	58	0	0	0	0	58	1039
Kolkata	841	0	0	0	0	0	0	841
Ranchi	819	0	0	0	0	0	0	819
ZO (WB, NER & JH)	3284	58	0	0	0	0	58	3226
All INDIA	19777	188	5	12	37	24	266	19511

अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत अभियोजन मामले (अछूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति (क.नि.स.बी.यो.)

क्षेत्र	निपटान हेतु कार्यभार	निर्णीत मामले						वर्ष के अंत में लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	बर्खास्त	चेतावनी	वापिस लिए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	3	0	0	0	0	0	0	3
दिल्ली (उत्तर)	260	0	0	0	0	0	0	260
दिल्ली (दक्षिण)	267	0	0	0	0	0	0	267
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	530	0	0	0	0	0	0	530
चंडीगढ़	351	0	0	0	0	0	0	351
लुधियाना	157	0	0	0	0	0	0	157
शिमला	57	0	0	0	0	0	0	57
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	565	0	0	0	0	0	0	565
कानपुर	43	0	0	0	0	0	0	43
मेरठ	55	0	0	0	0	0	0	55
पटना	985	0	0	0	0	0	0	985
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1083	0	0	0	0	0	0	1083
फरीदाबाद	267	0	0	0	0	0	0	267
गुडगांव	200	0	0	0	0	0	0	200
जयपुर	75	0	0	0	0	10	10	65
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	542	0	0	0	0	10	10	532
अहमदाबाद	249	13	0	0	0	0	13	236
बड़ौदा	431	0	0	0	0	0	0	431
इंदौर	1516	75	0	0	0	0	75	1441
सुरत	167	0	0	0	0	0	0	167
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	2363	88	0	0	0	0	88	2275
कांदिवली	76	0	0	0	0	0	0	76
मुंबई-I बांद्रा	549	0	0	0	0	0	0	549
मुंबई-II थाणे	653	0	0	0	0	0	0	653
नागपुर	79	0	0	0	0	0	0	79
पुणे	3217	45	0	0	0	0	45	3172
रायपुर	356	0	0	0	0	0	0	356
आ.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	4930	45	0	0	0	0	45	4885
बंगलौर	400	0	0	0	0	0	0	400
गुलबर्गा	358	0	0	0	0	0	0	358
मंगलौर	400	0	0	12	0	20	32	368
पणजी	103	0	0	13	0	0	13	90
पीप्या	189	0	0	0	0	0	0	189
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1450	0	0	25	0	20	45	1405
भुवनेश्वर	659	0	0	0	0	0	0	659
गुन्डूर	457	0	0	0	0	0	0	457
हैदराबाद	1875	0	0	0	0	0	0	1875
निजामाबाद	247	0	0	0	0	0	0	247
आ.का. (आ.प्र. एवं उड़ीसा)	3238	0	0	0	0	0	0	3238
चेन्नै	264	0	0	0	0	0	0	264
कोयम्बतूर	258	0	0	0	37	0	37	221
मदुरै	228	0	0	0	0	0	0	228
तांबरम	200	0	0	0	0	1	1	199
तिरुवनंतपुरम	688	25	5	0	0	0	30	658
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	1638	25	5	0	37	1	68	1570
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	619	0	0	0	0	0	0	619
जलपाईगुड़ी	1097	58	0	0	0	0	58	1039
कोलकाता	841	0	0	0	0	0	0	841
रांची	726	0	0	0	0	0	0	726
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	3283	58	0	0	0	0	58	3225
अखिल भारतीय	19622	216	5	25	37	31	314	19308

APPENDIX A-20 (iii)

Prosecution Cases under section 14 of the Act (Unexempted Sector) as on 31.03.2014 (EDLI Scheme)

Region	Workload for disposal	Cases Decided						Total pendency
		Convicted	Acquitted	Discharged	Admonished	Withdrawn	Total cases decided	
Dehradun	3	0	0	0	0	0	0	3
Delhi (North)	260	0	0	0	0	0	0	260
Delhi (South)	267	0	0	0	0	0	0	267
ZO (DL & UK)	530	0	0	0	0	0	0	530
Chandigarh	351	0	0	0	0	0	0	351
Ludhiana	157	0	0	0	0	0	0	157
Shimla	57	0	0	0	0	0	0	57
ZO (PN & HP)	565	0	0	0	0	0	0	565
Kanpur	43	0	0	0	0	0	0	43
Meerut	55	0	0	0	0	0	0	55
Patna	985	0	0	0	0	0	0	985
ZO (UP & BR)	1083	0	0	0	0	0	0	1083
Faridabad	267	0	0	0	0	0	0	267
Gurgaon	200	0	0	0	0	0	0	200
Jaipur	75	0	0	0	0	10	10	65
ZO (HR & RJ)	542	0	0	0	0	10	10	532
Ahmedabad*	249	13	0	0	0	0	13	236
Baroda	431	0	0	0	0	0	0	431
Indore	1516	75	0	0	0	0	75	1441
Surat	167	0	0	0	0	0	0	167
ZO (GJ & MP)	2363	88	0	0	0	0	88	2275
Kandivili	76	0	0	0	0	0	0	76
Mumbai-I Bandra	549	0	0	0	0	0	0	549
Mumbai-II Thane	653	0	0	0	0	0	0	653
Nagpur	79	0	0	0	0	0	0	79
Pune	3217	45	0	0	0	0	45	3172
Raipur	356	0	0	0	0	0	0	356
ZO (MH & CG)	4930	45	0	0	0	0	45	4885
Bangalore	400	0	0	0	0	0	0	400
Gulbarga	358	0	0	0	0	0	0	358
Mangalore	400	0	0	12	0	20	32	368
Panaji	103	0	0	13	0	0	13	90
Peenya	189	0	0	0	0	0	0	189
ZO (KN & Goa)	1450	0	0	25	0	20	45	1405
Bhubaneswar	659	0	0	0	0	0	0	659
Guntur	457	0	0	0	0	0	0	457
Hyderabad	1875	0	0	0	0	0	0	1875
Nizamabad	247	0	0	0	0	0	0	247
ZO (AP & OR)	3238	0	0	0	0	0	0	3238
Chennai	264	0	0	0	0	0	0	264
Coimbatore	258	0	0	0	37	0	37	221
Madurai	228	0	0	0	0	0	0	228
Tambaram	200	0	0	0	0	1	1	199
Thiruvananthapuram	688	25	5	0	0	0	30	658
ZO (TN & KR)	1638	25	5	0	37	1	68	1570
Guwahati (NER)	619	0	0	0	0	0	0	619
Jalpaiguri	1097	58	0	0	0	0	58	1039
Kolkata	841	0	0	0	0	0	0	841
Ranchi	726	0	0	0	0	0	0	726
ZO (WB, NER & JH)	3283	58	0	0	0	0	58	3225
ALL INDIA	19622	216	5	25	37	31	314	19308

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त)
- 31.03.2014 की स्थिति

क्षेत्र	कार्यभार	पुलिस द्वारा समाप्त किए गए मामले	पुलिस द्वारा न्यायालय में फाईल किए गए चालान	वर्ष की समाप्ति पर पुलिस के समक्ष लंबित एफ.आई.आर.
देहरादून	4	0	0	4
दिल्ली (उत्तर)	36	0	0	36
दिल्ली (दक्षिण)	43	0	0	43
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	83	0	0	83
चंडीगढ़	46	0	0	46
लुधियाना	8	0	0	8
शिमला	17	0	0	17
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	71	0	0	71
कानपुर	17	0	13	4
मेरठ	10	0	0	10
पटना	31	0	0	31
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	58	0	13	45
फरीदाबाद	6	0	0	6
गुड़गांव	4	0	0	4
जयपुर	41	0	0	41
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	51	0	0	51
अहमदाबाद	170	0	0	170
बड़ौदा	131	0	0	131
इंदौर	91	0	3	88
सूरत	101	0	0	101
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	493	0	3	490
काठिवली	54	0	0	54
मुंबई-I बांद्रा	152	0	0	152
मुंबई-II थाणे	0	0	0	0
नागपुर	45	0	0	45
पुणे	184	0	0	184
रायपुर	5	0	0	5
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	440	0	0	440
बंगलौर	231	0	0	231
गुलबर्गा	143	0	0	143
मंगलौर	25	1	6	18
पणजी	95	0	0	95
पीप्या	484	0	0	484
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	978	1	6	971
भुवनेश्वर	107	0	0	107
गुन्टूर	96	0	0	96
हैदराबाद	151	0	0	151
निजामाबाद	1	0	0	1
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	355	0	0	355
चेन्नै	613	0	0	613
कोयम्बतूर	429	26	0	403
मद्रास	242	61	0	181
तांवरम	643	0	0	643
तिरुवनंतपुरम	1248	324	258	666
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	3175	411	258	2506
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	87	1	0	86
जलपाईगुड़ी	330	0	0	330
कोलकाता	1076	0	0	1076
रांची	8	0	0	8
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	1501	1	0	1500
अखिल भारतीय	7205	413	280	6512

APPENDIX A-21 (i)

Cases before the Police Authorities under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector) as on 31.03.2014				
Region	Workload	Cases dropped by police	Challanc Filed by police in Court	FIRs pending with police at the end of the year
Dehradun	4	0	0	4
Delhi (North)	36	0	0	36
Delhi (South)	43	0	0	43
ZO (DL & UK)	83	0	0	83
Chandigarh	46	0	0	46
Ludhiana	8	0	0	8
Shimla	17	0	0	17
ZO (PN & HP)	71	0	0	71
Kanpur	17	0	13	4
Meerut	10	0	0	10
Patna	31	0	0	31
ZO (UP & BR)	58	0	13	45
Faridabad	6	0	0	6
Gurgaon	4	0	0	4
Jaipur	41	0	0	41
ZO (HR & RJ)	51	0	0	51
Ahmedabad	170	0	0	170
Baroda	131	0	0	131
Indore	91	0	3	88
Surat	101	0	0	101
ZO (GJ & MP)	493	0	3	490
Kandivili	54	0	0	54
Mumbai-I Bandra	152	0	0	152
Mumbai-II Thane	0	0	0	0
Nagpur	45	0	0	45
Pune	184	0	0	184
Raipur	5	0	0	5
ZO (MH & CG)	440	0	0	440
Bangalore	231	0	0	231
Gulbarga	143	0	0	143
Mangalore	25	1	6	18
Panaji	95	0	0	95
Peenya	484	0	0	484
ZO (KN & Goa)	978	1	6	971
Bhubaneswar	107	0	0	107
Guntur	96	0	0	96
Hyderabad	151	0	0	151
Nizamabad	1	0	0	1
ZO (AP & OR)	355	0	0	355
Chennai	613	0	0	613
Coimbatore	429	26	0	403
Madurai	242	61	0	181
Tambaram	643	0	0	643
Thiruvananthapuram	1248	324	258	666
ZO (TN & KR)	3175	411	258	2506
Guwahati (NER)	87	1	0	86
Jalpaiguri	330	0	0	330
Kolkata	1076	0	0	1076
Ranchi	8	0	0	8
ZO (WB, NER & JH)	1501	1	0	1500
ALL INDIA	7205	413	280	6512

भारतीय दंड संहिता की धारा 406/409 के अंतर्गत विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मामले (अछूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति						
क्षेत्र	कार्यभार	वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले				न्यायालय में कुल लंबित मामले
		दोषसिद्ध	दोषमुक्त	खारिज / मुक्त किए गए	कुल निर्णीत मामले	
देहरादून	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (दक्षिण)	0	0	0	0	0	0
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	0	0	0	0	0	0
चंडीगढ़	11	0	0	0	0	11
लुधियाना	3	0	1	0	1	2
शिमला	0	0	0	0	0	0
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	14	0	1	0	1	13
कानपुर	0	0	0	0	0	0
मेरठ	0	0	0	0	0	0
पटना	6	0	0	0	0	6
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	6	0	0	0	0	6
फरीदाबाद	0	0	0	0	0	0
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	68	0	0	0	0	68
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	68	0	0	0	0	68
अहमदाबाद	664	0	0	0	0	664
बड़ौदा	0	0	0	0	0	0
इंदौर	5	0	0	0	0	5
सुरत	61	0	0	0	0	61
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	730	0	0	0	0	730
कांदिवाली	14	0	0	1	1	13
मुंबई-I बांद्रा	16	0	0	0	0	16
मुंबई-II थाणे	0	0	0	0	0	0
नागपुर	40	0	0	0	0	40
पुणे	19	0	0	0	0	19
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	89	0	0	1	1	88
बंगलौर	0	0	0	0	0	0
गुलबर्गा	5	0	0	0	0	5
मंगलौर	6	0	0	6	6	0
पणजी	85	0	0	0	0	85
पीण्या	0	0	0	0	0	0
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	96	0	0	6	6	90
भुवनेश्वर	49	0	0	0	0	49
गुन्टूर	67	0	0	0	0	67
हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
निजामाबाद	1	0	0	0	0	1
आं.का. (आं.प्र. एवं उड़ीसा)	117	0	0	0	0	117
चेन्नै	0	0	0	0	0	0
कोयम्बतूर	0	0	0	0	0	0
मद्रास	0	0	0	0	0	0
तांवरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	7	0	0	0	0	7
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	7	0	0	0	0	7
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	70	1	0	0	1	69
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	4	0	0	0	0	4
रांची	26	0	3	0	3	23
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	100	1	3	0	4	96
अखिल भारतीय	1227	1	4	7	12	1215

APPENDIX A-21 (ii)

Cases before various Courts under section 406/409 of IPC (Unexempted Sector) as on 31.03.2014						
Region	Workload for	Cases disposed during the year				Total pendency in Courts
		Convicted	Acquitted	Dismissed/ Discharged	Total Cases Decided	
Dehradun	0	0	0	0	0	0
Delhi (North)	0	0	0	0	0	0
Delhi (South)	0	0	0	0	0	0
ZO (DL & UK)	0	0	0	0	0	0
Chandigarh	11	0	0	0	0	11
Ludhiana	3	0	1	0	1	2
Shimla	0	0	0	0	0	0
ZO (PN & HP)	14	0	1	0	1	13
Kanpur	0	0	0	0	0	0
Meerut	0	0	0	0	0	0
Patna	6	0	0	0	0	6
ZO (UP & BR)	6	0	0	0	0	6
Faridabad	0	0	0	0	0	0
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	68	0	0	0	0	68
ZO (HR & RJ)	68	0	0	0	0	68
Ahmedabad	664	0	0	0	0	664
Baroda	0	0	0	0	0	0
Indore	5	0	0	0	0	5
Surat	61	0	0	0	0	61
ZO (GJ & MP)	730	0	0	0	0	730
Kandivili	14	0	0	1	1	13
Mumbai-I Bandra	16	0	0	0	0	16
Mumbai-II Thane	0	0	0	0	0	0
Nagpur	40	0	0	0	0	40
Pune	19	0	0	0	0	19
Raipur	0	0	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	89	0	0	1	1	88
Bangalore	0	0	0	0	0	0
Gulbarga	5	0	0	0	0	5
Mangalore	6	0	0	6	6	0
Panaji	85	0	0	0	0	85
Peenya	0	0	0	0	0	0
ZO (KN & Goa)	96	0	0	6	6	90
Bhubaneshwar	49	0	0	0	0	49
Guntur	67	0	0	0	0	67
Hyderabad	0	0	0	0	0	0
Nizamabad	1	0	0	0	0	1
ZO (AP & OR)	117	0	0	0	0	117
Chennai	0	0	0	0	0	0
Coimbatore	0	0	0	0	0	0
Madurai	0	0	0	0	0	0
Tambaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	7	0	0	0	0	7
ZO (TN & KR)	7	0	0	0	0	7
Guwahati (NER)	70	1	0	0	1	69
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	4	0	0	0	0	4
Ranchi	26	0	3	0	3	23
ZO (WB, NER & JH)	100	1	3	0	4	96
All INDIA	1227	1	4	7	12	1215

संपत्ति का अटैचमेंट / चूकदारों की गिरफ्तारी की स्थिति - अछूट प्राप्त क्षेत्र (₹ करोड़ों में)			
क्र.सं.	कार्रवाई का प्रकार	मामलों की संख्या	वसूल की गई राशि
1	बैंक खातों का अटैचमेंट	13151	198.00
2	चल संपत्ति का अटैचमेंट	394	5.46
3	अचल संपत्ति का अटैचमेंट	119	1.48
4	चूककर्ताओं की गिरफ्तारी	45	0.95
5	सार्वजनिक नीलामी :		
	(i) चल संपत्ति	3	0.21
	(ii) अचल संपत्ति	6	0.33
कुल		13718	206.43



APPENDIX A-22

Status of Attachment of Property/ Arrest of Defaulters-Unexempted Sector (₹ in cr.)			
Sl.No	Mode of Actions	No. of Cases	Amount Recovered
1	Bank Accounts Attached	13151	198.00
2	Movable Property Attached	394	5.46
3	Immovable Property Attached	119	1.48
4	Arrest of Defaulters	45	0.95
5	Public Auctions made of:		
	(i) Movable Property	3	0.21
	(ii) Immovable Property	6	0.33
TOTAL		13718	206.43

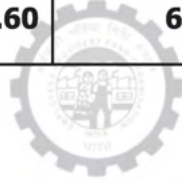


छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया - 31.03.2014 की स्थिति			(₹ करोड़ों में)
क्षेत्र	कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष
देहरादून	1.28	0.35	0.93
दिल्ली (उत्तर)	2.78	0.01	2.77
दिल्ली (दक्षिण)	0.51	0.00	0.51
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	4.57	0.36	4.21
चंडीगढ़	1.55	0.00	1.55
लुधियाना	0.76	0.00	0.76
शिमला	0.00	0.00	0.00
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	2.32	0.00	2.32
कानपुर	28.89	0.88	28.01
मेरठ	2.36	0.00	2.36
पटना	4.07	0.00	4.07
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	35.32	0.88	34.44
फरीदाबाद	10.03	4.78	5.26
गुडगांव	0.11	0.11	0.00
जयपुर	79.41	15.04	64.37
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	89.55	19.92	69.62
अहमदाबाद	2.89	0.00	2.89
बड़ोदा	0.10	0.00	0.10
इंदौर	11.65	6.52	5.13
सुरत	3.65	0.00	3.65
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	18.29	6.52	11.78
कांदिवाली	6.39	4.59	1.80
मुंबई-I बांद्रा	21.16	5.00	16.16
मुंबई-II थाणे	1.04	0.04	1.00
नागपुर	11.80	0.00	11.80
पुणे	3.29	0.04	3.25
रायपुर	0.37	0.00	0.37
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	44.04	9.67	34.37
बंगलौर	8.59	0.00	8.59
गुलबर्गा	0.43	0.15	0.28
मंगलौर	1.57	0.00	1.57
पणजी	0.00	0.00	0.00
पीणया	65.95	15.05	50.90
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	76.55	15.20	61.35
भुवनेश्वर	1.02	0.00	1.02
गुन्डूर	14.58	0.10	14.49
हैदराबाद	23.98	4.92	19.05
निजामाबाद	0.00	0.00	0.00
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	39.58	5.02	34.56
चेन्नै	14.46	0.01	14.45
कोयम्बतूर	1.32	0.22	1.10
मदुरै	0.97	0.17	0.81
तांबरम	4.27	2.02	2.24
तिरुवनंतपुरम	12.23	0.18	12.05
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	33.26	2.60	30.66
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0.64	0.64	0.00
जलपाईगुड़ी	7.06	1.12	5.94
कोलकाता	149.97	5.11	144.86
रांची	116.46	0.15	116.30
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	274.13	7.02	267.11
अखिल भारतीय	617.60	67.19	550.41

APPENDIX A-23 (i)

Total Arrears in Exempted Sector as on 31.03.2014			(₹ in cr.)
Region	Total Workload	Realised during the Year	Closing Balance
Dehradun	1.28	0.35	0.93
Delhi (North)	2.78	0.01	2.77
Delhi (South)	0.51	0.00	0.51
ZO (DL & UK)	4.57	0.36	4.21
Chandigarh	1.55	0.00	1.55
Ludhiana	0.76	0.00	0.76
Shimla	0.00	0.00	0.00
ZO (PN & HP)	2.32	0.00	2.32
Kanpur	28.89	0.88	28.01
Meerut	2.36	0.00	2.36
Patna	4.07	0.00	4.07
ZO (UP & BR)	35.32	0.88	34.44
Faridabad	10.03	4.78	5.26
Gurgaon	0.11	0.11	0.00
Jaipur	79.41	15.04	64.37
ZO (HR & RJ)	89.55	19.92	69.62
Ahmedabad	2.89	0.00	2.89
Baroda	0.10	0.00	0.10
Indore	11.65	6.52	5.13
Surat	3.65	0.00	3.65
ZO(GJ & MP)	18.29	6.52	11.78
Kandivili	6.39	4.59	1.80
Mumbai-I Bandra	21.16	5.00	16.16
Mumbai-II Thane	1.04	0.04	1.00
Nagpur	11.80	0.00	11.80
Pune	3.29	0.04	3.25
Raipur	0.37	0.00	0.37
ZO (MH & CG)	44.04	9.67	34.37
Bangalore	8.59	0.00	8.59
Gulbarga	0.43	0.15	0.28
Mangalore	1.57	0.00	1.57
Panaji	0.00	0.00	0.00
Peenya	65.95	15.05	50.90
ZO(KN & Goa)	76.55	15.20	61.35
Bhubaneshwar	1.02	0.00	1.02
Guntur	14.58	0.10	14.49
Hyderabad	23.98	4.92	19.05
Nizamabad	0.00	0.00	0.00
ZO(AP & OR)	39.58	5.02	34.56
Chennai	14.46	0.01	14.45
Coimbatore	1.32	0.22	1.10
Madurai	0.97	0.17	0.81
Tambaram	4.27	2.02	2.24
Thiruvananthapuram	12.23	0.18	12.05
ZO (TN & KR)	33.26	2.60	30.66
Guwahati (NER)	0.64	0.64	0.00
Jalpaiguri	7.06	1.12	5.94
Kolkata	149.97	5.11	144.86
Ranchi	116.46	0.15	116.30
ZO (WB, NER & JH)	274.13	7.02	267.11
ALL INDIA	617.60	67.19	550.41

छूट प्राप्त क्षेत्र में कुल बकाया - 31.03.2014 की स्थिति				(₹ करोड़ों में)
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान वसूली	अंतशेष	कुल का प्रतिशत
पश्चिम बंगाल	157.03	6.23	150.80	27.40%
झारखंड	116.45	0.15	116.30	21.13%
राजस्थान	79.41	15.04	64.37	11.69%
कर्नाटक	76.55	15.20	61.35	11.15%
महाराष्ट्र	43.67	9.67	34.00	6.18%
उप-योग	473.11	46.29	426.82	77.55%
शेष राज्य	144.49	20.90	123.59	22.45%
अखिल भारतीय (कुल बकाया)	617.60	67.19	550.41	100.00%



APPENDIX A-23 (ii)

Major portion of Arrears in Exempted Sector as on 31.03.2014 (₹ in cr.)				
Region	Total Workload	Realised during the Year	Closing Balance	Percentage of Total
West Bengal	157.03	6.23	150.80	27.40%
Jharkhand	116.45	0.15	116.30	21.13%
Rajasthan	79.41	15.04	64.37	11.69%
Karnataka	76.55	15.20	61.35	11.15%
Maharashtra	43.67	9.67	34.00	6.18%
Sub-Total	473.11	46.29	426.82	77.55%
Rest of the States	144.49	20.90	123.59	22.45%
All India (Total Arrears)	617.60	67.19	550.41	100.00%

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में बकाया का विभाजन - 31.03.2014 की स्थिति

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र		कुल	
	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रु. लाखों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रु. लाखों में)	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	राशि (रु. लाखों में)
देहरादून	2	0.88	3	0.05	5	0.93
दिल्ली (उत्तर)	0	0.00	17	2.77	17	2.77
दिल्ली (दक्षिण)	0	0.00	1	0.51	1	0.51
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	2	0.88	21	3.33	23	4.21
चंडीगढ़	1	1.19	1	0.36	2	1.55
लुधियाना	0	0.00	1	0.76	1	0.76
शिमला	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	1	1.19	2	1.12	3	2.32
कानपुर	9	19.34	20	8.67	29	28.01
मेरठ	0	0.00	8	2.36	8	2.36
पटना	6	2.97	15	1.10	21	4.07
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	15	22.31	43	12.12	58	34.44
फरीदाबाद	3	4.95	1	0.31	4	5.26
गुडगांव	0	0.00	0	0.00	0	0.00
जयपुर	5	64.36	1	0.01	6	64.37
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	8	69.31	2	0.31	10	69.62
अहमदाबाद	11	2.84	1	0.05	12	2.89
बड़ौदा	1	0.10	1	0.01	2	0.10
इंदौर	10	1.76	3	3.37	13	5.13
सुरत	0	0.00	3	3.65	3	3.65
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	22	4.70	8	7.07	30	11.78
कांदिवाली	0	0.00	3	1.80	3	1.80
मुंबई-I बांद्रा	2	11.96	12	4.20	14	16.16
मुंबई-II थाणे	0	0.00	5	1.00	5	1.00
नागपुर	0	0.00	6	11.80	6	11.80
पुणे	3	2.94	1	0.31	4	3.25
रायपुर	1	0.27	2	0.09	3	0.37
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	6	15.17	29	19.20	35	34.37
बंगलौर	1	3.68	2	4.91	3	8.59
गुलबर्गा	0	0.00	1	0.28	1	0.28
मंगलौर	0	0.00	3	1.57	3	1.57
पणजी	0	0.00	0	0.00	0	0.00
पीण्या	4	50.90	0	0.00	4	50.90
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	5	54.59	6	6.76	11	61.35
भुवनेश्वर	1	0.13	3	0.89	4	1.02
गुन्टूर	3	14.33	3	0.16	6	14.49
हैदराबाद	8	16.81	7	2.24	15	19.05
निजामाबाद	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	12	31.27	13	3.29	25	34.56
चेन्नै	2	12.76	17	1.69	19	14.45
कोयम्बतूर	2	0.55	6	0.55	8	1.10
मदुरै	0	0.00	2	0.81	2	0.81
तांबरम	1	0.02	1	2.22	2	2.24
तिरुवनंतपुरम	20	10.30	8	1.75	28	12.05
आ.का. (त.माड्र एवं केरल)	25	23.64	34	7.02	59	30.66
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	2	0.00	0	0.00	2	0.00
जलपाईगुड़ी	0	0.00	3	5.94	3	5.94
कोलकाता	22	26.49	143	118.37	165	144.86
रांची	5	114.16	2	2.14	7	116.30
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	29	140.65	148	126.46	177	267.11
अखिल भारतीय	125	363.72	306	186.69	431	550.41

APPENDIX A-24

Bifurcation of Arrears in Public and Private Sector (Exempted) as on 31.03.2014						
Region	Public Sector		Private Sector		Total	
	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)	No. of Defaulting Estt	Amount (₹ in cr.)
Dehradun	2	0.88	3	0.05	5	0.93
Delhi (North)	0	0.00	17	2.77	17	2.77
Delhi (South)	0	0.00	1	0.51	1	0.51
ZO(DL & UK)	2	0.88	21	3.33	23	4.21
Chandigarh	1	1.19	1	0.36	2	1.55
Ludhiana	0	0.00	1	0.76	1	0.76
Shimla	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ZO (PN & HP)	1	1.19	2	1.12	3	2.32
Kanpur	9	19.34	20	8.67	29	28.01
Meerut	0	0.00	8	2.36	8	2.36
Patna	6	2.97	15	1.10	21	4.07
ZO (UP & BR)	15	22.31	43	12.12	58	34.44
Faridabad	3	4.95	1	0.31	4	5.26
Gurgaon	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Jaipur	5	64.36	1	0.01	6	64.37
ZO(HR & RJ)	8	69.31	2	0.31	10	69.62
Ahmedabad	11	2.84	1	0.05	12	2.89
Baroda	1	0.10	1	0.01	2	0.10
Indore	10	1.76	3	3.37	13	5.13
Surat	0	0.00	3	3.65	3	3.65
ZO (GJ & MP)	22	4.70	8	7.07	30	11.78
Kandivili	0	0.00	3	1.80	3	1.80
Mumbai-I Bandra	2	11.96	12	4.20	14	16.16
Mumbai-II Thane	0	0.00	5	1.00	5	1.00
Nagpur	0	0.00	6	11.80	6	11.80
Pune	3	2.94	1	0.31	4	3.25
Raipur	1	0.27	2	0.09	3	0.37
ZO (MH & CG)	6	15.17	29	19.20	35	34.37
Bangalore	1	3.68	2	4.91	3	8.59
Gulbarga	0	0.00	1	0.28	1	0.28
Mangalore	0	0.00	3	1.57	3	1.57
Panaji	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Peenya	4	50.90	0	0.00	4	50.90
ZO(KN & Goa)	5	54.59	6	6.76	11	61.35
Bhubaneswar	1	0.13	3	0.89	4	1.02
Guntur	3	14.33	3	0.16	6	14.49
Hyderabad	8	16.81	7	2.24	15	19.05
Nizamabad	0	0.00	0	0.00	0	0.00
ZO(AP & OR)	12	31.27	13	3.29	25	34.56
Chennai	2	12.76	17	1.69	19	14.45
Coimbatore	2	0.55	6	0.55	8	1.10
Madurai	0	0.00	2	0.81	2	0.81
Tambaram	1	0.02	1	2.22	2	2.24
Thiruvananthapuram	20	10.30	8	1.75	28	12.05
ZO (TN & KR)	25	23.64	34	7.02	59	30.66
Guwahati (NER)	2	0.00	0	0.00	2	0.00
Jalpaiguri	0	0.00	3	5.94	3	5.94
Kolkata	22	26.49	143	118.37	165	144.86
Ranchi	5	114.16	2	2.14	7	116.30
ZO(WB, NER & JH)	29	140.65	148	126.46	177	267.11
ALL INDIA	125	363.72	306	186.69	431	550.41

चूकदार स्थापनाओं का विवरण - ₹ 50 लाख या उससे अधिक - 31.03.2014 की स्थिति		
क्षेत्र	चूकदार स्थापनाओं की संख्या	संलिप्त राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	1	1
दिल्ली (उत्तर)	0	0.00
दिल्ली (दक्षिण)	1	0.51
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	2	1.14
चंडीगढ़	1	1.19
लुधियाना	1	0.76
शिमला	0	0.00
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	2	1.96
कानपुर	4	4.45
मेरठ	1	1.68
पटना	2	3.18
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	7	9.31
फरीदाबाद	2	4.95
गुड़गांव	0	0.00
जयपुर	2	63.92
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	4	68.87
अहमदाबाद	1	0.53
बड़ौदा	0	0.00
इंदौर	3	4.72
सूरत	2	3.61
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	6	8.86
कांठिवली	1	0.95
मुंबई-I बांद्रा	5	27.57
मुंबई-II थाणे	1	0.79
नागपुर	2	11.57
पुणे	1	2.94
रायपुर	0	0.00
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	10	43.82
बंगलौर	2	8.55
गुलबर्गा	0	0.00
मंगलौर	1	1.54
पणजी	0	0.00
पीप्या	3	50.90
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	6	60.99
भुवनेश्वर	0	0.00
गुन्टूर	1	14.33
हैदराबाद	3	18.51
निजामाबाद	0	0.00
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	4	32.84
चेन्नै	3	13.79
कोयम्बतूर	1	0.51
मद्रुरै	0	0.00
तांवरम	1	2.22
तिरुवनंतपुरम	3	11.62
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	8	28.13
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0.00
जलपाईगुड़ी	3	5.94
कोलकाता	33	121.95
रांची	3	115.99
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	39	243.88
अखिल भारतीय	88	499.79

APPENDIX A-25 (i)

Summary of Defaulting Establishments - ₹ 50 lac and above (Exempted) as on 31.03.2014		
Region	No. of Defaulting Establishment	Amount involved (₹ in cr.)
Dehradun	1	1
Delhi (North)	0	0.00
Delhi (South)	1	0.51
ZO (DL & UK)	2	1.14
Chandigarh	1	1.19
Ludhiana	1	0.76
Shimla	0	0.00
ZO (PN & HP)	2	1.96
Kanpur	4	4.45
Meerut	1	1.68
Patna	2	3.18
ZO (UP & BR)	7	9.31
Faridabad	2	4.95
Gurgaon	0	0.00
Jaipur	2	63.92
ZO (HR & RJ)	4	68.87
Ahmedabad	1	0.53
Baroda	0	0.00
Indore	3	4.72
Surat	2	3.61
ZO (GJ & MP)	6	8.86
Kandivili	1	0.95
Mumbai-I Bandra	5	27.57
Mumbai-II Thane	1	0.79
Nagpur	2	11.57
Pune	1	2.94
Raipur	0	0.00
ZO (MH & CG)	10	43.82
Bangalore	2	8.55
Gulbarga	0	0.00
Mangalore	1	1.54
Panaji	0	0.00
Peenya	3	50.90
ZO (KN & Goa)	6	60.99
Bhubaneswar	0	0.00
Guntur	1	14.33
Hyderabad	3	18.51
Nizamabad	0	0.00
ZO (AP & OR)	4	32.84
Chennai	3	13.79
Coimbatore	1	0.51
Madurai	0	0.00
Tambaram	1	2.22
Thiruvananthapuram	3	11.62
ZO (TN & KR)	8	28.13
Guwahati (NER)	0	0.00
Jalpaiguri	3	5.94
Kolkata	33	121.95
Ranchi	3	115.99
ZO (WB, NER & JH)	39	243.88
ALL INDIA	88	499.79

₹ एक करोड़ तथा अधिक की चूककर्ता स्थापनाओं की सूची (छूट प्राप्त क्षेत्र) - 31.03.2014 की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र कोड	कोड संख्या	चूकदार स्थापनाओं का नाम	चूक की राशि (₹ करोड़ों में)	चूक की कुल राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून					
उत्तरी दिल्ली					
दक्षिणी दिल्ली					
चंडीगढ़					
1	पी.एन.	386	मैसर्स पी.आर.टी.सी. पटियाला	1.19	
				क्षेत्र का कुल	1.19
लुधियाना					
शिमला					
कानपुर					
1	यू.पी.	18958	मालविका स्टील्स सुल्तानपुर	1.55	
2	यू.पी.	7493	भेल झांसी	1.2	
3	यू.पी.	22	जे.के. जूट मिल कंपनी लि. कानपुर	1.07	
				क्षेत्र का कुल	3.82
मेरठ					
1	यू.पी.	196	मैसर्स मोदी शुगर	1.68	
				क्षेत्र का कुल	1.68
पटना					
1	बी.आर.	188	मोतीहारी चीनी मिल्स, मोतीहार	2.22	
				क्षेत्र का कुल	2.22
फरीदाबाद					
1	एच.आर.	1061	मैसर्स एच.एम.टी., पिन्जौर, पंचकुला	4.41	
				क्षेत्र का कुल	4.41
गुड़गांव					
				क्षेत्र का कुल	
जयपुर					
1	आर.जे.	1139	मैसर्स आई.एल.लि. कोटा	62.72	
2	आर.जे.	2993	मैसर्स राज. स्टेट रोड. डेवलपमेंट एंड कन्सट्रक्शन कॉर्पोरेशन जयपुर	1.20	
				क्षेत्र का कुल	63.92
अहमदाबाद					
वडोदरा					
इंदौर					
1	एम.पी.	40	ग्वालियर शुगर कंपनी, डावरा (उ.क्षे.का. ग्वालियर)	3.37	
				क्षेत्र का कुल	3.37

APPENDIX A-25 (ii)

List of Defaulting Establishment above ₹ one cr. (Exempted Sector) as on 31.03.2014					
Sl.No.	Region Code	Code No.	Name of the Defaulting Establishment	Amount Default (₹ in cr.)	Total Amount Default (₹ in cr.)
Dehradun					
Delhi North					
Delhi South					
Chandigarh					
1	PN	386	M/s PRTC, Patiala	1.19	
Total of the Region					1.19
Ludhiana					
Shimla					
Kanpur					
1	UP	18958	Malvika Steels Sultanpur	1.55	
2	UP	7493	Bhel Jhansi	1.2	
3	UP	22	J.K.Jute Mill CO.LTD.KNP.	1.07	
Total of the Region					3.82
Meerut					
1	UP	196	M/s Modi Sugar	1.68	
Total of the Region					1.68
Patna					
1	BR	188	Motihari Chini Mills,Motihar	2.22	
Total of the Region					2.22
Faridabad					
1	HR	1061	M/s- HMT, Pinjore, Panchkula	4.41	
Total of the Region					4.41
Gurgaon					
Total of the Region					
Jaipur					
1	RJ	1139	M/s IL. Ltd/Kota.	62.72	
2	RJ	2993	M/s Raj.St.Road Dev.&Cons.Corpn.Jaipur	1.20	
Total of the Region					63.92
Ahmedabad					
Vadodra					
Indore					
1	MP	40	Gwalior sugar co., dabra (sro,gwalior)	3.37	
Total of the Region					3.37
Surat					
1	GJ	324	Navsari cotton silk mills ltd., vijalpore road, surat	2.78	
Total of the Region					2.78
Bandra					
1	MH	1255	MSRTC	25.96	
Total of the Region					25.96
Thane					

सूरत					
1	जी.जे.	324	नवसारी कॉटन सिल्क मिल्स लि., विजालपोर रोड, सूरत	2.78	
				क्षेत्र का कुल	2.78
बान्द्रा					
1	एम.एच.	1255	एम.एस.आर.सी.टी.	25.96	
				क्षेत्र का कुल	25.96
थाणे					
कांदिवली					
पुणे					
1	एम.एच.	1459	मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक लि.	2.94	
				क्षेत्र का कुल	2.94
नागपुर					
1	एम.एच.	3502	मैसर्स मॉडल मिल्स, नागपुर	10.32	
2	एम.एच.	3515	मैसर्स अकोला ओयल इंडस्ट्रीज, अकोला	1.25	
				क्षेत्र का कुल	11.57
रायपुर					
बंगलौर					
1	के.एन.	25998	मेट्रो कैश एंड कैरी (आई.) प्र.लि.	4.87	
2	के.एन.	873	एच.एम.टी. कॉरपोरेट ऑफिस	3.68	
				क्षेत्र का कुल	8.55
गोवा					
गुलबर्गा					
मंगलौर					
1	के.एन.	99	मैसूर किलोस्कर	1.54	
				क्षेत्र का कुल	1.54
पीण्या					
1	के.एन.	873	एच.एम.टी. लि. (एम.टी.डी.)	25.82	
2	के.एन.	873	एच.एम.टी. लि. वॉच डिविजन	24.31	
				क्षेत्र का कुल	50.13
भुवनेश्वर					
गुन्दूर					
1	ए.पी.	582	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि., वी.एस.पी.	14.33	
				क्षेत्र का कुल	14.33
हैदराबाद					
1	ए.पी.	144	मैसर्स प्राग टूल्स लि.	14.23	
2	ए.पी.	3071	मैसर्स एच.एम.टी. लि., (एम.टी. डिविजन)	2.37	
3	ए.पी.	3209	मैसर्स एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़	1.91	
				क्षेत्र का कुल	18.51

Kandivali					
Pune					
1	MH	1459	M/S. Hindustan antibiotic Ltd.	2.94	
Total of the Region					2.94
Nagpur					
1	MH	3502	M/s. Model Mills, Nagpur.	10.32	
2	MH	3515	M/S. Akola Oil Industries, Akola.	1.25	
Total of the Region					11.57
Raipur					
Bangalore					
1	KN	25998	Metro Cash & Carry (I) Pvt Ltd	4.87	
2	KN	873	HMT Corporate Office	3.68	
Total of the Region					8.55
Goa					
Gulbarga					
Mangalore					
1	KN	99	Mysore Kirloskar	1.54	
Total of the Region					1.54
Peenya					
1	KN	873	HMT Ltd (MTD)	25.82	
2	KN	873	HMT Ltd Watch Division	24.31	
Total of the Region					50.13
Bhubneshwar					
Guntur					
1	AP	582	Hindustan Shipyard Ltd., VSP	14.33	
Total of the Region					14.33
Hyderabad					
1	AP	144	M/s.Praga Tools Ltd	14.23	
2	AP	3071	M/s HMT Ltd., (MT Divn.	2.37	
3	AP	3209	M/s. Alluminium Industries	1.91	
Total of the Region					18.51
Nizamabad					
Chennai					
1	TN	5887	Tamil Nadu Electricity Board	11.88	
2	TN	19769	M/s. Dunlop India Ltd.	1.03	
Total of the Region					12.91
Coimbatore					
Madurai					
Tambaram					
1	TN	1570	Alstom Ltd	2.22	
Total of the Region					2.22
Kerala					
1	KR	2357	H M T	5.96	
2	KR	16	Trava.Rayo	4.21	
3	KR	15	Aluminium Industries	1.45	
Total of the Region					11.62
Kolkata					
1	WB	1651	M/s Hindustan Cables Ltd.	18.45	
2	WB	49,51,5529	M/s. New central Jute Mills Co. Ltd.	11.73	
3	WB	62 & 71	Victoria jute co. Ltd.	11.08	

निजामाबाद				
चेन्नै				
1	टी.एन.	5887	तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड	11.88
2	टी.एन.	19769	मैसर्स डनलप इंडिया लि.	1.03
क्षेत्र का कुल				12.91
कोयम्बतूर				
मदुरै				
ताम्बरम				
1	टी.एन.	1570	अल्सटोम लि.	2.22
क्षेत्र का कुल				2.22
केरल				
1	के.आर.	2357	एच.एम.टी.	5.96
2	के.आर.	16	त्रावा. रायो	4.21
3	के.आर.	15	एलुमिनियम इंडस्ट्रीज	1.45
क्षेत्र का कुल				11.62
कोलकाता				
1	डब्ल्यू.बी.	1651	मैसर्स हिन्दुस्तान केबल्स लि.	18.45
2	डब्ल्यू.बी.	49,51,5529	मैसर्स न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कॉ. लि.	11.73
3	डब्ल्यू.बी.	62 & 71	विक्टोरिया जूट कं. लि.	11.08
4	डब्ल्यू.बी.	97	कनोरिया जूट इंडस्ट्रीज	10.98
5	डब्ल्यू.बी.	1267	मैसर्स अमृत बाजार पत्रिका लि.	9.27
6	डब्ल्यू.बी.	64	द श्यामनगर जूट फैक्ट्री	8.30
7	डब्ल्यू.बी.	338	टीटागढ़ जूट मिल नं. 2 (लूमटैक्स)	6.62
8	डब्ल्यू.बी.	707	मैसर्स बाटा इंडिया लि.	5.68
9	डब्ल्यू.बी.	48 & 55	मैसर्स एन.जे.एम.सी. लि. यूनिट केनिसन	4.25
10	डब्ल्यू.बी.	63	अन्गुस जूट वर्क्स	3.71
11	डब्ल्यू.बी.	11 & 43	मैसर्स एन.जे.एम.सी. लि. यूनिट खरडाह	2.99
12	डब्ल्यू.बी.	35	मेघना जूट मिल्स (यूनिट गजानंद कमर्शियल्स)	2.97
13	डब्ल्यू.बी.	23	मैसर्स केल्विन जूट इंडस्ट्रीज लि.	2.53
14	डब्ल्यू.बी.	79	मैसर्स डेल्टा इंटरनेशनल लि.	2.45
15	डब्ल्यू.बी.	716	मैसर्स डनलप (इ.) लि.	2.02
16	डब्ल्यू.बी.	30	हुगली मिल्स कं. लि. (यूनिट: वेवरली)	1.98
17	डब्ल्यू.बी.	17	मैसर्स कमाहट्टी कं. लि.	1.66
18	डब्ल्यू.बी.	28	मैसर्स केलेडोनियन जूट एवं इंडस्ट्रीज लि.	1.54
19	डब्ल्यू.बी.	89	ऑकलैंड इंटरनेशनल लि. (अम्बिका जूट मिल्स)	1.49
20	डब्ल्यू.बी.	72	नॉर्थ ब्रूक जू. कं. लि.	1.25
21	डब्ल्यू.बी.	664	बंगाल वॉटरप्रूफ	1.25
22	डब्ल्यू.बी.	375	मैसर्स हुगली मिल्स (यूनिट: गोन्डल पारा)	1.22
23	डब्ल्यू.बी.	4	मैसर्स हुगली मिल्स कं. लि.	1.14
क्षेत्र का कुल				114.56
जलपाईगुड़ी				
1	डब्ल्यू.बी.	1083	सुभाषिनी टी.ई.	4.52
क्षेत्र का कुल				4.52

4	WB	97	Kanoria Jute Industries	10.98	
5	WB	1267	M/s. Amrita Bazar Patrika Ltd.	9.27	
6	WB	64	The Shyamnagar Jute Factory	8.30	
7	WB	338	Titagarh Jute Mill No. 2 (Loomtex)	6.62	
8	WB	707	M/s. Bata India Ltd.	5.68	
9	WB	48 & 55	M/S. NJMC Ltd., Unit kennision	4.25	
10	WB	63	Angus Jute Works	3.71	
11	WB	11 & 43	M/s. Njmc Ltd., Unit Khardah	2.99	
12	WB	35	Meghna Jute Mills (Unit:Gajanand Commercials)	2.97	
13	WB	23	M/S Kelvin Jute Industries Ltd.,	2.53	
14	WB	79	M/s. Delta International Ltd.	2.45	
15	WB	716	M/s. Dunlop (I) Ltd.,	2.02	
16	WB	30	Hooghly Mills Co Ltd (Unit : Wevarly)	1.98	
17	WB	17	M/S. Kamarhatty co. Ltd.	1.66	
18	WB	28	M/s. Caledonian Jute & Industries Ltd.	1.54	
19	WB	89	Auckland International Ltd.(Ambika Jute Mills)	1.49	
20	WB	72	North Brooke Jute Co. Ltd.	1.25	
21	WB	664	Bengal Water Proof	1.25	
22	WB	375	M/s. Hooghly Mills (Unit: Gondal Para)	1.22	
23	WB	4	M/s. Hooghly Mills Co. Ltd.	1.14	
Total of the Region				114.56	
Jalpaiguri					
1	WB	1083	Subhashini TE	4.52	
Total of the Region				4.52	
North-East Region					
Ranchi					
1	JH	1465	JH/1465-HEC Ltd	95.22	
2	JH	2316	JH/2316	18.64	
3	JH	13022	JH/13022-M/s Tata Cummins Ltd.	2.13	
Total of the Region				115.99	
All India Grand Total				478.74	

पूर्वोत्तर क्षेत्र					
रांची					
1	जे.एच.	1465	जे.एच./1465- एच.ई.सी. लि.	95.22	
2	जे.एच.	2316	जे.एच./2316	18.64	
3	जे.एच.	13022	जे.एच./13022- मैसर्स टाटा क्यूमिन्स लि.	2.13	
				क्षेत्र का कुल	115.99
अखिल भारतीय कुल योग					478.74





अनिवेशित राशि (छूट प्राप्त) - 31.03.2014 की स्थिति		
क्षेत्र	स्थापनाओं की संख्या	राशि (₹ करोड़ों में)
देहरादून	14	12.16
दिल्ली (उत्तर)	188	282.67
दिल्ली (दक्षिण)	27	99.40
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	229	394.23
चंडीगढ़	5	1.94
लुधियाना	10	4.80
शिमला	5	1.09
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	20	7.84
कानपुर	15	144.77
मेरठ	10	1.94
पटना	0	0.00
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	25	146.72
फरीदाबाद	1	0.82
गुड़गांव	0	0.00
जयपुर	19	38.89
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	20	39.71
अहमदाबाद	22	35.47
बड़ौदा	32	2.61
इंदौर	5	71.01
सूरत	0	0.00
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	59	109.09
कांदिवली	40	66.66
मुंबई-I बांद्रा	271	127.40
मुंबई-II थाणे	78	91.81
नागपुर	0	0.00
पुणे	12	2.96
रायपुर	5	460.71
आ.का. (महा.एवं छत्तीसगढ़)	406	749.54
बंगलौर	22	108.70
गुलबर्गा	5	6.11
मंगलौर	24	7.82
पणजी	9	1.17
पीप्या	47	15.84
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	107	139.63
शुवनेश्वर	24	6.19
गुन्डूर	9	21.62
हैदराबाद	30	31.45
निजामाबाद	1	1.02
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	64	60.27
चेन्नै	41	55.87
कोयम्बतूर	28	11.41
मदुरै	14	12.94
तांबरम	16	4.75
तिरुवनंतपुरम	29	30.63
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	128	115.60
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	7	13.73
जलपाईगुड़ी	0	1.18
कोलकाता	66	1183.14
रांची	54	267.21
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	127	1465.26
अखिल भारतीय	1185	3227.90

APPENDIX A-26

Amount remaining un-invested (Exempted Establishment) as on 31.03.2014		
Region	No. of Establishments	Amount (₹ in cr.)
Dehradun	14	12.16
Delhi (North)	188	282.67
Delhi (South)	27	99.40
ZO (DL & UK)	229	394.23
Chandigarh	5	1.94
Ludhiana	10	4.80
Shimla	5	1.09
ZO (PN & HP)	20	7.84
Kanpur	15	144.77
Meerut	10	1.94
Patna	0	0.00
ZO (UP & BR)	25	146.72
Faridabad	1	0.82
Gurgaon	0	0.00
Jaipur	19	38.89
ZO (HR & RJ)	20	39.71
Ahmedabad	22	35.47
Baroda	32	2.61
Indore	5	71.01
Surat	0	0.00
ZO (GJ & MP)	59	109.09
Kandivili	40	66.66
Mumbai-I Bandra	271	127.40
Mumbai-II Thane	78	91.81
Nagpur	0	0.00
Pune	12	2.96
Raipur	5	460.71
ZO (MH & CG)	406	749.54
Bangalore	22	108.70
Gulbarga	5	6.11
Mangalore	24	7.82
Panaji	9	1.17
Peenya	47	15.84
ZO (KN & Goa)	107	139.63
Bhubaneshwar	24	6.19
Guntur	9	21.62
Hyderabad	30	31.45
Nizamabad	1	1.02
ZO (AP & OR)	64	60.27
Chennai	41	55.87
Coimbatore	28	11.41
Madurai	14	12.94
Tambaram	16	4.75
Thiruvananthapuram	29	30.63
ZO (TN & KR)	128	115.60
Guwahati (NER)	7	13.73
Jalpaiguri	0	1.18
Kolkata	66	1183.14
Ranchi	54	267.21
ZO (WB, NER & JH)	127	1465.26
ALL INDIA	1185	3227.90

उच्च न्यायालयों के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विस्द	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	93	0	8	1	9	84
दिल्ली (उत्तर)	517	8	166	48	222	295
दिल्ली (दक्षिण)	79	10	8	7	25	54
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	689	18	182	56	256	433
चंडीगढ़	188	4	11	2	17	171
लुधियाना	128	9	13	1	23	105
शिमला	38	1	9	0	10	28
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	354	14	33	3	50	304
कानपुर	728	3	124	8	135	593
मेरठ	170	0	32	9	41	129
पटना	459	0	139	0	139	320
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	1357	3	295	17	315	1042
फरीदाबाद	141	1	5	5	11	130
गुड़गांव	61	10	6	6	22	39
जयपुर	409	4	18	2	24	385
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	611	15	29	13	57	554
अहमदाबाद	277	4	20	0	24	253
बड़ौदा	45	0	0	0	0	45
इंदौर	898	6	235	6	247	651
सुरत	52	4	8	0	12	40
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	1272	14	263	6	283	989
कादिवली	143	5	36	4	45	98
मुंबई-I बांद्रा	93	1	20	7	28	65
मुंबई-II थाणे	37	4	0	1	5	32
नागपुर	341	11	38	30	79	262
पुणे	108	4	5	0	9	99
रायपुर	154	2	30	2	34	120
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	876	27	129	44	200	676
बंगलौर	319	5	9	23	37	282
गुलबर्गा	115	17	9	4	30	85
मंगलौर	105	57	10	9	76	29
पणजी	34	2	4	3	9	25
पीण्या	53	7	0	4	11	42
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	626	88	32	43	163	463
भुवनेश्वर	870	1	63	46	110	760
गुन्डूर	334	5	12	3	20	314
हैदराबाद	429	0	40	3	43	386
निजामाबाद	91	2	3	0	5	86
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	1724	8	118	52	178	1546
चेन्नै	216	0	44	1	45	171
कोयम्बतूर	195	10	30	0	40	155
मद्रास	374	20	19	4	43	331
तांवरम	103	3	3	4	10	93
तिरुवनंतपुरम	1234	57	197	125	379	855
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	2122	90	293	134	517	1605
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	117	1	26	1	28	89
जलपाईगुड़ी	154	3	25	44	72	82
कोलकाता	1180	3	80	2	85	1095
रांची	245	2	21	2	25	220
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	1696	9	152	49	210	1486
अखिल भारतीय	11327	286	1526	417	2229	9098

APPENDIX A-27(i)

STATUS OF HIGH COURT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	93	0	8	1	9	84
Delhi (North)	517	8	166	48	222	295
Delhi (South)	79	10	8	7	25	54
ZO (DL & UK)	689	18	182	56	256	433
Chandigarh	188	4	11	2	17	171
Ludhiana	128	9	13	1	23	105
Shimla	38	1	9	0	10	28
ZO (PN & HP)	354	14	33	3	50	304
Kanpur	728	3	124	8	135	593
Meerut	170	0	32	9	41	129
Patna	459	0	139	0	139	320
ZO (UP & BR)	1357	3	295	17	315	1042
Faridabad	141	1	5	5	11	130
Gurgaon	61	10	6	6	22	39
Jaipur	409	4	18	2	24	385
ZO (HR & RJ)	611	15	29	13	57	554
Ahmedabad	277	4	20	0	24	253
Baroda	45	0	0	0	0	45
Indore	898	6	235	6	247	651
Surat	52	4	8	0	12	40
ZO (GJ & MP)	1272	14	263	6	283	989
Kandivili	143	5	36	4	45	98
Mumbai-I Bandra	93	1	20	7	28	65
Mumbai-II Thane	37	4	0	1	5	32
Nagpur	341	11	38	30	79	262
Pune	108	4	5	0	9	99
Raipur	154	2	30	2	34	120
ZO (MH & CG)	876	27	129	44	200	676
Bangalore	319	5	9	23	37	282
Gulbarga	115	17	9	4	30	85
Mangalore	105	57	10	9	76	29
Panaji	34	2	4	3	9	25
Peenya	53	7	0	4	11	42
ZO (KN & Goa)	626	88	32	43	163	463
Bhubaneswar	870	1	63	46	110	760
Guntur	334	5	12	3	20	314
Hyderabad	429	0	40	3	43	386
Nizamabad	91	2	3	0	5	86
ZO (AP & OR)	1724	8	118	52	178	1546
Chennai	216	0	44	1	45	171
Coimbatore	195	10	30	0	40	155
Madurai	374	20	19	4	43	331
Tamaram	103	3	3	4	10	93
Thiruvananthapuram	1234	57	197	125	379	855
ZO (TN & KR)	2122	90	293	134	517	1605
Guwahati (NER)	117	1	26	1	28	89
Jalpaiguri	154	3	25	44	72	82
Kolkata	1180	3	80	2	85	1095
Ranchi	245	2	21	2	25	220
ZO (WB, NER & JH)	1696	9	152	49	210	1486
All INDIA	11327	286	1526	417	2229	9098

जिला न्यायालयों के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	13	0	3	0	3	10
दिल्ली (उत्तर)	800	54	3	0	57	743
दिल्ली (दक्षिण)	23	2	3	0	5	18
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	836	56	9	0	65	771
चंडीगढ़	111	1	17	0	18	93
लुधियाना	431	1	40	0	41	390
शिमला	8	0	3	0	3	5
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	550	2	60	0	62	488
कानपुर	86	0	0	0	0	86
मेरठ	31	2	7	0	9	22
पटना	250	0	0	0	0	250
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	367	2	7	0	9	358
फरीदाबाद	170	0	16	0	16	154
गुडगांव	102	5	16	0	21	81
जयपुर	150	0	12	0	12	138
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	422	5	44	0	49	373
अहमदाबाद	259	0	0	0	0	259
बड़ौदा	1278	0	0	0	0	1278
इंदौर	1490	155	21	0	176	1314
सूरत	469	0	0	0	0	469
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	3496	155	21	0	176	3320
कांदिवली	21	0	3	0	3	18
मुंबई-I बांद्रा	2287	0	1	0	1	2286
मुंबई-II थाणे	806	5	126	0	131	675
नागपुर	50	0	0	0	0	50
पुणे	21	0	1	0	1	20
रायपुर	3	0	2	0	2	1
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	3188	5	133	0	138	3050
बंगलौर	156	0	1	0	1	155
गुलबर्गा	1027	0	81	0	81	946
मंगलौर	1023	0	48	0	48	975
पणजी	21	2	0	1	3	18
पीण्या	24	0	0	0	0	24
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	2251	2	130	1	133	2118
भुवनेश्वर	1191	0	0	0	0	1191
गुन्टूर	113	0	36	0	36	77
हैदराबाद	37	0	2	0	2	35
निजामाबाद	140	2	29	7	38	102
आ.का. (आ.प्र. एवं उड़ीसा)	1481	2	67	7	76	1405
चेन्नई	42	0	27	0	27	15
कोयम्बतूर	68	0	1	0	1	67
मद्रास	82	10	12	0	22	60
तांभरम	41	0	1	0	1	40
तिरुवनंतपुरम	589	3	0	0	3	586
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	822	13	41	0	54	768
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	104	0	7	0	7	97
जलपाईगुड़ी	688	0	57	0	57	631
कोलकाता	4626	1	5	0	6	4620
रांची	217	0	0	0	0	217
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	5635	1	69	0	70	5565
अखिल भारतीय	19048	243	581	8	832	18216

STATUS OF DISTRICT COURT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	13	0	3	0	3	10
Delhi (North)	800	54	3	0	57	743
Delhi (South)	23	2	3	0	5	18
ZO (DL & UK)	836	56	9	0	65	771
Chandigarh	111	1	17	0	18	93
Ludhiana	431	1	40	0	41	390
Shimla	8	0	3	0	3	5
ZO (PN & HP)	550	2	60	0	62	488
Kanpur	86	0	0	0	0	86
Meerut	31	2	7	0	9	22
Patna	250	0	0	0	0	250
ZO (UP & BR)	367	2	7	0	9	358
Faridabad	170	0	16	0	16	154
Gurgaon	102	5	16	0	21	81
Jaipur	150	0	12	0	12	138
ZO (HR & RJ)	422	5	44	0	49	373
Ahmedabad	259	0	0	0	0	259
Baroda	1278	0	0	0	0	1278
Indore	1490	155	21	0	176	1314
Surat	469	0	0	0	0	469
ZO (GJ & MP)	3496	155	21	0	176	3320
Kandivili	21	0	3	0	3	18
Mumbai-I Bandra	2287	0	1	0	1	2286
Mumbai-II Thane	806	5	126	0	131	675
Nagpur	50	0	0	0	0	50
Pune	21	0	1	0	1	20
Raipur	3	0	2	0	2	1
ZO (MH & CG)	3188	5	133	0	138	3050
Bangalore	156	0	1	0	1	155
Gulbarga	1027	0	81	0	81	946
Mangalore	1023	0	48	0	48	975
Panaji	21	2	0	1	3	18
Peenya	24	0	0	0	0	24
ZO (KN & Goa)	2251	2	130	1	133	2118
Bhubaneshwar	1191	0	0	0	0	1191
Guntur	113	0	36	0	36	77
Hyderabad	37	0	2	0	2	35
Nizamabad	140	2	29	7	38	102
ZO (AP & OR)	1481	2	67	7	76	1405
Chennai	42	0	27	0	27	15
Coimbatore	68	0	1	0	1	67
Madurai	82	10	12	0	22	60
Tamaram	41	0	1	0	1	40
Thiruvananthapuram	589	3	0	0	3	586
ZO (TN & KR)	822	13	41	0	54	768
Guwahati (NER)	104	0	7	0	7	97
Jalpaiguri	688	0	57	0	57	631
Kolkata	4626	1	5	0	6	4620
Ranchi	217	0	0	0	0	217
ZO (WB, NER & JH)	5635	1	69	0	70	5565
All INDIA	19048	243	581	8	832	18216

राष्ट्रीय आयोग के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	1	0	0	0	0	1
दिल्ली (उत्तर)	329	57	47	32	136	193
दिल्ली (दक्षिण)	2	0	0	0	0	2
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	332	57	47	32	136	196
चंडीगढ़	3	0	0	0	0	3
लुधियाना	0	0	0	0	0	0
शिमला	0	0	0	0	0	0
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	3	0	0	0	0	3
कानपुर	1	0	0	0	0	1
मेरठ	4	3	1	0	4	0
पटना	4	0	0	0	0	4
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	9	3	1	0	4	5
फरीदाबाद	12	0	0	0	0	12
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	65	0	0	30	30	35
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	77	0	0	30	30	47
अहमदाबाद	4	0	0	0	0	4
बड़ौदा	1	0	0	0	0	1
इंदौर	10	1	2	0	3	7
सूरत	1	1	0	0	1	0
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	16	2	2	0	4	12
कांदिवली	1	0	0	0	0	1
मुंबई-I बांद्रा	0	0	0	0	0	0
मुंबई-II थाणे	0	0	0	0	0	0
नागपुर	2	0	1	0	1	1
पुणे	3	1	0	0	1	2
रायपुर	0	0	0	0	0	0
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	6	1	1	0	2	4
बंगलौर	75	16	1	0	17	58
गुलबर्गा	39	19	6	0	25	14
मंगलौर	9	1	0	0	1	8
पणजी	0	0	0	0	0	0
पीण्या	42	0	35	0	35	7
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	165	36	42	0	78	87
भुवनेश्वर	2	0	0	0	0	2
गुन्टूर	2	0	0	0	0	2
हैदराबाद	0	0	0	0	0	0
निजामाबाद	0	0	0	0	0	0
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	4	0	0	0	0	4
चेन्नई	0	0	0	0	0	0
कोयम्बतूर	0	0	0	0	0	0
मद्रास	1	0	0	0	0	1
तांवरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	26	0	0	3	3	23
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	27	0	0	3	3	24
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0	0	0	0	0	0
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	3	0	0	1	1	2
रांची	0	0	0	0	0	0
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	3	0	0	1	1	2
अखिल भारतीय	642	99	93	66	258	384

STATUS OF NATIONAL COMMISSION CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	1	0	0	0	0	1
Delhi (North)	329	57	47	32	136	193
Delhi (South)	2	0	0	0	0	2
ZO (DL & UK)	332	57	47	32	136	196
Chandigarh	3	0	0	0	0	3
Ludhiana	0	0	0	0	0	0
Shimla	0	0	0	0	0	0
ZO (PN & HP)	3	0	0	0	0	3
Kanpur	1	0	0	0	0	1
Meerut	4	3	1	0	4	0
Patna	4	0	0	0	0	4
ZO (UP & BR)	9	3	1	0	4	5
Faridabad	12	0	0	0	0	12
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	65	0	0	30	30	35
ZO (HR & RJ)	77	0	0	30	30	47
Ahmedabad	4	0	0	0	0	4
Baroda	1	0	0	0	0	1
Indore	10	1	2	0	3	7
Surat	1	1	0	0	1	0
ZO (GJ & MP)	16	2	2	0	4	12
Kandivili	1	0	0	0	0	1
Mumbai-I Bandra	0	0	0	0	0	0
Mumbai-II Thane	0	0	0	0	0	0
Nagpur	2	0	1	0	1	1
Pune	3	1	0	0	1	2
Raipur	0	0	0	0	0	0
ZO (MH & CG)	6	1	1	0	2	4
Bangalore	75	16	1	0	17	58
Gulbarga	39	19	6	0	25	14
Mangalore	9	1	0	0	1	8
Panaji	0	0	0	0	0	0
Peenya	42	0	35	0	35	7
ZO (KN & Goa)	165	36	42	0	78	87
Bhubaneswar	2	0	0	0	0	2
Guntur	2	0	0	0	0	2
Hyderabad	0	0	0	0	0	0
Nizamabad	0	0	0	0	0	0
ZO (AP & OR)	4	0	0	0	0	4
Chennai	0	0	0	0	0	0
Coimbatore	0	0	0	0	0	0
Madurai	1	0	0	0	0	1
Tambaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	26	0	0	3	3	23
ZO (TN & KR)	27	0	0	3	3	24
Guwahati (NER)	0	0	0	0	0	0
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	3	0	0	1	1	2
Ranchi	0	0	0	0	0	0
ZO (WB, NER & JH)	3	0	0	1	1	2
All INDIA	642	99	93	66	258	384

राज्य आयोग के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	8	1	1	0	2	6
दिल्ली (उत्तर)	37	14	6	0	20	17
दिल्ली (दक्षिण)	4	0	2	0	2	2
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	49	15	9	0	24	25
चंडीगढ़	17	7	1	0	8	9
लुधियाना	9	0	1	0	1	8
शिमला	9	1	6	0	7	2
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	35	8	8	0	16	19
कानपुर	129	1	1	3	5	124
मेरठ	32	6	3	0	9	23
पटना	43	0	0	0	0	43
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	204	7	4	3	14	190
फरीदाबाद	3	1	0	0	1	2
गुडगांव	1	0	0	0	0	1
जयपुर	80	32	3	1	36	44
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	84	33	3	1	37	47
अहमदाबाद	134	8	12	0	20	114
बडौदा	7	0	0	2	2	5
इंदौर	54	0	13	0	13	41
सूरत	8	7	0	0	7	1
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	203	15	25	2	42	161
कांदिवाली	12	0	0	0	0	12
मुंबई-I बांद्रा	4	0	1	0	1	3
मुंबई-II थाणे	1	0	0	0	0	1
नागपुर	39	1	10	0	11	28
पुणे	8	1	0	0	1	7
रायपुर	3	0	1	0	1	2
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	67	2	12	0	14	53
बंगलौर	57	0	0	2	2	55
गुलबर्गा	658	167	0	0	167	491
मंगलौर	441	304	1	1	306	135
पणजी	0	0	0	0	0	0
पीण्या	55	48	2	0	50	5
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1211	519	3	3	525	686
भुवनेश्वर	99	0	0	0	0	99
गुन्टूर	107	92	8	0	100	7
हैदराबाद	6	1	2	0	3	3
निजामाबाद	0	0	0	0	0	0
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	212	93	10	0	103	109
चेन्नै	7	0	0	0	0	7
कोयम्बतूर	5	0	2	0	2	3
मद्रास	5	0	1	0	1	4
तांबरम	0	0	0	0	0	0
तिरुवनंतपुरम	61	10	9	2	21	40
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	78	10	12	2	24	54
गुवाहाटी (पूर्वांचल क्षेत्र)	2	0	0	0	0	2
जलपाईगुड़ी	0	0	0	0	0	0
कोलकाता	8	0	1	0	1	7
रांची	10	0	4	0	4	6
आ.का. (प.ब., पू.क्ष. एवं झारखंड)	20	0	5	0	5	15
अखिल भारतीय	2163	702	91	11	804	1359

STATUS OF STATE COMMISSION CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	8	1	1	0	2	6
Delhi (North)	37	14	6	0	20	17
Delhi (South)	4	0	2	0	2	2
ZO (DL & UK)	49	15	9	0	24	25
Chandigarh	17	7	1	0	8	9
Ludhiana	9	0	1	0	1	8
Shimla	9	1	6	0	7	2
ZO (PN & HP)	35	8	8	0	16	19
Kanpur	129	1	1	3	5	124
Meerut	32	6	3	0	9	23
Patna	43	0	0	0	0	43
ZO (UP & BR)	204	7	4	3	14	190
Faridabad	3	1	0	0	1	2
Gurgaon	1	0	0	0	0	1
Jaipur	80	32	3	1	36	44
ZO (HR & RJ)	84	33	3	1	37	47
Ahmedabad	134	8	12	0	20	114
Baroda	7	0	0	2	2	5
Indore	54	0	13	0	13	41
Surat	8	7	0	0	7	1
ZO (GJ & MP)	203	15	25	2	42	161
Kandivili	12	0	0	0	0	12
Mumbai-I Bandra	4	0	1	0	1	3
Mumbai-II Thane	1	0	0	0	0	1
Nagpur	39	1	10	0	11	28
Pune	8	1	0	0	1	7
Raipur	3	0	1	0	1	2
ZO (MH & CG)	67	2	12	0	14	53
Bangalore	57	0	0	2	2	55
Gulbarga	658	167	0	0	167	491
Mangalore	441	304	1	1	306	135
Panaji	0	0	0	0	0	0
Peenya	55	48	2	0	50	5
ZO (KN & Goa)	1211	519	3	3	525	686
Bhubaneshwar	99	0	0	0	0	99
Guntur	107	92	8	0	100	7
Hyderabad	6	1	2	0	3	3
Nizamabad	0	0	0	0	0	0
ZO (AP & OR)	212	93	10	0	103	109
Chennai	7	0	0	0	0	7
Coimbatore	5	0	2	0	2	3
Madurai	5	0	1	0	1	4
Tamaram	0	0	0	0	0	0
Thiruvananthapuram	61	10	9	2	21	40
ZO (TN & KR)	78	10	12	2	24	54
Guwahati (NER)	2	0	0	0	0	2
Jalpaiguri	0	0	0	0	0	0
Kolkata	8	0	1	0	1	7
Ranchi	10	0	4	0	4	6
ZO (WB, NER & JH)	20	0	5	0	5	15
All INDIA	2163	702	91	11	804	1359

जिला उपभोक्ता फोरम के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	28	0	11	0	11	17
दिल्ली (उत्तर)	162	3	13	0	16	146
दिल्ली (दक्षिण)	129	4	15	0	19	110
आं.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	319	7	39	0	46	273
चंडीगढ़	121	16	32	1	49	72
लुधियाना	15	3	3	0	6	9
शिमला	33	3	12	0	15	18
आं.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	169	22	47	1	70	99
कानपुर	385	2	25	0	27	358
मेरठ	165	1	60	0	61	104
पटना	151	6	35	0	41	110
आं.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	701	9	120	0	129	572
फरीदाबाद	86	2	10	0	12	74
गुडगांव	80	3	16	0	19	61
जयपुर	262	25	45	0	70	192
आं.का. (हरि. एवं राजस्थान)	428	30	71	0	101	327
अहमदाबाद	289	13	70	0	83	206
बड़ौदा	25	0	0	0	0	25
इंदौर	181	2	52	1	55	126
सुरत	34	1	6	0	7	27
आं.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	529	16	128	1	145	384
कादिवली	236	16	56	1	73	163
मुंबई-I बांद्रा	67	7	11	0	18	49
मुंबई-II थाणे	18	3	6	0	9	9
नागपुर	68	0	20	1	21	47
पुणे	48	4	4	0	8	40
रायपुर	33	0	12	0	12	21
आं.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	470	30	109	2	141	329
बंगलौर	124	16	14	1	31	93
गुलबर्गा	338	190	22	0	212	126
मंगलौर	765	173	41	1	215	550
पणजी	5	0	3	0	3	2
पीण्या	67	53	2	0	55	12
आं.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	1299	432	82	2	516	783
भुवनेश्वर	308	6	11	2	19	289
गुन्टूर	110	51	34	0	85	25
हैदराबाद	144	58	36	0	94	50
निजामाबाद	28	1	3	0	4	24
आं.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	590	116	84	2	202	388
चेन्नै	47	1	15	0	16	31
कोयम्बतूर	39	0	1	0	1	38
मद्रास	19	1	3	0	4	15
तांबरम	13	0	0	0	0	13
तिरुवनंतपुरम	181	13	33	3	49	132
आं.का. (त.नाडु एवं केरल)	299	15	52	3	70	229
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	2	1	0	0	1	1
जलपाईगुड़ी	2	0	0	0	0	2
कोलकाता	80	3	13	0	16	64
रांची	35	0	2	0	2	33
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	119	4	15	0	19	100
अखिल भारतीय	4923	681	747	11	1439	3484

STATUS OF DISTRICT CONSUMER FORUM CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	28	0	11	0	11	17
Delhi (North)	162	3	13	0	16	146
Delhi (South)	129	4	15	0	19	110
ZO (DL & UK)	319	7	39	0	46	273
Chandigarh	121	16	32	1	49	72
Ludhiana	15	3	3	0	6	9
Shimla	33	3	12	0	15	18
ZO (PN & HP)	169	22	47	1	70	99
Kanpur	385	2	25	0	27	358
Meerut	165	1	60	0	61	104
Patna	151	6	35	0	41	110
ZO (UP & BR)	701	9	120	0	129	572
Faridabad	86	2	10	0	12	74
Gurgaon	80	3	16	0	19	61
Jaipur	262	25	45	0	70	192
ZO (HR & RJ)	428	30	71	0	101	327
Ahmedabad	289	13	70	0	83	206
Baroda	25	0	0	0	0	25
Indore	181	2	52	1	55	126
Surat	34	1	6	0	7	27
ZO (GJ & MP)	529	16	128	1	145	384
Kandivili	236	16	56	1	73	163
Mumbai-I Bandra	67	7	11	0	18	49
Mumbai-II Thane	18	3	6	0	9	9
Nagpur	68	0	20	1	21	47
Pune	48	4	4	0	8	40
Raipur	33	0	12	0	12	21
ZO (MH & CG)	470	30	109	2	141	329
Bangalore	124	16	14	1	31	93
Gulbarga	338	190	22	0	212	126
Mangalore	765	173	41	1	215	550
Panaji	5	0	3	0	3	2
Peenya	67	53	2	0	55	12
ZO (KN & Goa)	1299	432	82	2	516	783
Bhubaneswar	308	6	11	2	19	289
Guntur	110	51	34	0	85	25
Hyderabad	144	58	36	0	94	50
Nizamabad	28	1	3	0	4	24
ZO (AP & OR)	590	116	84	2	202	388
Chennai	47	1	15	0	16	31
Coimbatore	39	0	1	0	1	38
Madurai	19	1	3	0	4	15
Tamaram	13	0	0	0	0	13
Thiruvananthapuram	181	13	33	3	49	132
ZO (TN & KR)	299	15	52	3	70	229
Guwahati (NER)	2	1	0	0	1	1
Jalpaiguri	2	0	0	0	0	2
Kolkata	80	3	13	0	16	64
Ranchi	35	0	2	0	2	33
ZO (WB, NER & JH)	119	4	15	0	19	100
All INDIA	4923	681	747	11	1439	3484

कैट के मामलों की स्थिति						
क्षेत्र	कुल कार्यभार	वर्ष के दौरान निर्णीत			वर्ष के दौरान निर्णीत कुल मामले	31.03.2014 को अंत शेष
		विरुद्ध	पक्ष में	वापिस लिए		
देहरादून	0	0	0	0	0	0
दिल्ली (उत्तर)	4	0	1	0	1	3
दिल्ली (दक्षिण)	0	0	0	0	0	0
आ.का. (दिल्ली एवं उ.खंड)	4	0	1	0	1	3
चंडीगढ़	14	3	4	0	7	7
लुधियाना	0	0	0	0	0	0
शिमला	1	1	0	0	1	0
आ.का. (पंजाब एवं हि.प्रदेश)	15	4	4	0	8	7
कानपुर	15	1	2	2	5	10
मेरठ	0	0	0	0	0	0
पटना	14	0	4	1	5	9
आ.का. (उ.प्र. एवं बिहार)	29	1	6	3	10	19
फरीदाबाद	1	0	0	0	0	1
गुडगांव	0	0	0	0	0	0
जयपुर	17	3	3	0	6	11
आ.का. (हरि. एवं राजस्थान)	18	3	3	0	6	12
अहमदाबाद	14	0	4	0	4	10
बड़ौदा	1	0	0	0	0	1
इंदौर	18	2	2	2	6	12
सुरत	4	1	1	0	2	2
आ.का. (गुजरात एवं म.प्र.)	37	3	7	2	12	25
कांदिवाली	1	0	1	0	1	0
मुंबई-I बांद्रा	4	0	0	0	0	4
मुंबई-II थाणे	1	0	0	0	0	1
नागपुर	10	2	0	0	2	8
पुणे	0	0	0	0	0	0
रायपुर	1	0	0	0	0	1
आ.का. (महारा. एवं छत्तीसगढ़)	17	2	1	0	3	14
बंगलौर	0	0	0	0	0	0
गुलबर्गा	0	0	0	0	0	0
मंगलौर	2	1	0	0	1	1
पणजी	6	0	0	0	0	6
पीण्या	4	0	2	0	2	2
आ.का. (कर्नाटक एवं गोवा)	12	1	2	0	3	9
भुवनेश्वर	11	0	2	1	3	8
गुन्टूर	3	0	0	0	0	3
हैदराबाद	14	1	2	0	3	11
निजामाबाद	2	0	0	0	0	2
आ.का. (आंध्र. एवं उड़ीसा)	30	1	4	1	6	24
चेन्नै	18	1	5	0	6	12
कोयम्बतूर	1	0	1	0	1	0
मद्रास	0	0	0	0	0	0
तांवरम	5	0	4	0	4	1
तिरुवनंतपुरम	17	1	3	0	4	13
आ.का. (त.नाडु एवं केरल)	41	2	13	0	15	26
गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	1	0	1	0	1	0
जलपाईगुड़ी	2	0	1	0	1	1
कोलकाता	4	0	0	0	0	4
रांची	8	0	5	0	5	3
आ.का. (प.बं., पू.क्ष. एवं झारखंड)	15	0	7	0	7	8
अखिल भारतीय	218	17	48	6	71	147

STATUS OF CAT CASES						
Region	Total workload	Decided during the year			Total cases decided during the year	C.B as on 31.03.2014
		Against	In favour of	Remand back		
Dehradun	0	0	0	0	0	0
Delhi (North)	4	0	1	0	1	3
Delhi (South)	0	0	0	0	0	0
ZO (DL & UK)	4	0	1	0	1	3
Chandigarh	14	3	4	0	7	7
Ludhiana	0	0	0	0	0	0
Shimla	1	1	0	0	1	0
ZO (PN & HP)	15	4	4	0	8	7
Kanpur	15	1	2	2	5	10
Meerut	0	0	0	0	0	0
Patna	14	0	4	1	5	9
ZO (UP & BR)	29	1	6	3	10	19
Faridabad	1	0	0	0	0	1
Gurgaon	0	0	0	0	0	0
Jaipur	17	3	3	0	6	11
ZO (HR & RJ)	18	3	3	0	6	12
Ahmedabad	14	0	4	0	4	10
Baroda	1	0	0	0	0	1
Indore	18	2	2	2	6	12
Surat	4	1	1	0	2	2
ZO (GJ & MP)	37	3	7	2	12	25
Kandivili	1	0	1	0	1	0
Mumbai-I Bandra	4	0	0	0	0	4
Mumbai-II Thane	1	0	0	0	0	1
Nagpur	10	2	0	0	2	8
Pune	0	0	0	0	0	0
Raipur	1	0	0	0	0	1
ZO (MH & CG)	17	2	1	0	3	14
Bangalore	0	0	0	0	0	0
Gulbarga	0	0	0	0	0	0
Mangalore	2	1	0	0	1	1
Panaji	6	0	0	0	0	6
Peenya	4	0	2	0	2	2
ZO (KN & Goa)	12	1	2	0	3	9
Bhubaneswar	11	0	2	1	3	8
Guntur	3	0	0	0	0	3
Hyderabad	14	1	2	0	3	11
Nizamabad	2	0	0	0	0	2
ZO (AP & OR)	30	1	4	1	6	24
Chennai	18	1	5	0	6	12
Coimbatore	1	0	1	0	1	0
Madurai	0	0	0	0	0	0
Tamaram	5	0	4	0	4	1
Thiruvananthapuram	17	1	3	0	4	13
ZO (TN & KR)	41	2	13	0	15	26
Guwahati (NER)	1	0	1	0	1	0
Jalpaiguri	2	0	1	0	1	1
Kolkata	4	0	0	0	0	4
Ranchi	8	0	5	0	5	3
ZO (WB, NER & JH)	15	0	7	0	7	8
All INDIA	218	17	48	6	71	147

31.03.2014 को ग्रुप 'ए' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति
आंध्र प्रदेश	83	64
बिहार	12	11
झारखंड	18	16
दिल्ली	50	51
गुजरात	64	50
हरियाणा	56	44
हिमाचल प्रदेश	8	6
कर्नाटक	90	70
केरल	34	26
मध्य प्रदेश	37	30
छत्तीसगढ़	13	10
महाराष्ट्र	118	100
गोवा	13	7
पूर्वोत्तर	18	15
ओड़ीशा	17	18
पंजाब	58	46
राजस्थान	26	26
तमिलनाडु	134	84
उत्तर प्रदेश	48	39
उत्तराखंड	8	9
पश्चिम बंगाल	75	62
मुख्यालय	152	99
कुल	1132	883

APPENDIX A-28 (i)
Sanctioned and In position Strength of Group A Officers as on 31.03.2014

State	Sanctioned	In Position
Andhra Pradesh	83	64
Bihar	12	11
Jharkhand	18	16
Delhi	50	51
Gujarat	64	50
Haryana	56	44
Himachal Pradesh	8	6
Karnataka	90	70
Kerala	34	26
Madhya Pradesh	37	30
Chhattisgarh	13	10
Maharashtra	118	100
Goa	13	7
NER	18	15
Orissa	17	18
Punjab	58	46
Rajasthan	26	26
Tamil Nadu	134	84
Uttar Pradesh	48	39
Uttarakhand	8	9
West Bengal	75	62
Head Office	152	99
Total	1132	883

31.03.2014 को ग्रुप 'बी' अधिकारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा. विक.	भू.सै.	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा.विक.	भू.सै.
आंध्र प्रदेश	451	361	63	31	20	0	0	49	24	12	0	0
बिहार	81	51	7	1	2	0	0	5	1	8	0	0
झारखंड	126	88	13	5	5	0	0	12	16	13	2	0
दिल्ली	279	237	16	8	7	4	0	26	8	5	2	0
गुजरात	392	340	56	29	17	10	7	55	25	13	8	0
हरियाणा	192	159	29	14	31	3	0	22	12	9	5	0
हिमाचल प्रदेश	44	24	2	1	1	0	0	4	2	0	0	0
कर्नाटक	489	353	60	27	17	10	0	42	23	7	14	1
केरल	287	192	29	7	9	0	0	20	9	5	0	0
मध्य प्रदेश	206	178	21	9	7	0	0	27	40	9	7	0
छत्तीसगढ़	35	32	0	0	0	0	0	3	14	4	0	0
महाराष्ट्र	923	641	127	61	46	27	91	87	62	29	8	0
गोवा	32	25	4	2	8	0	0	1	1	3	0	1
पूर्वोत्तर	84	56	7	2	5	0	0	8	7	0	0	0
ओड़ीशा	160	133	5	2	2	0	0	4	1	0	0	0
पंजाब	306	248	36	14	8	2	0	28	2	2	3	0
राजस्थान	191	159	23	10	10	2	0	25	10	2	4	0
तमिलनाडु	787	542	282	141	507	56	188	332	29	64	55	52
उत्तर प्रदेश	358	223	45	20	13	6	0	46	2	31	3	0
उत्तराखंड	44	36	2	1	1	0	0	12	4	1	0	0
पश्चिम बंगाल	562	330	0	0	0	0	0	39	22	13	5	0
मुख्यालय	332	262	42	19	41	0	0	55	9	7	1	0
कुल	6361	4670	869	404	757	120	286	902	323	233	117	54

Sactioned and In Position Strength of Group B Officers as on 31.03.2014												
State	Sanctioned	In Position	Due share					In Position				
			SC	ST	OBC	PH	EXSR	SC	ST	OBC	PH	EXSR
Andhra Pradesh	451	361	63	31	20	0	0	49	24	12	0	0
Bihar	81	51	7	1	2	0	0	5	1	8	0	0
Jharkhand	126	88	13	5	5	0	0	12	16	13	2	0
Delhi	279	237	16	8	7	4	0	26	8	5	2	0
Gujarat	392	340	56	29	17	10	7	55	25	13	8	0
Haryana	192	159	29	14	31	3	0	22	12	9	5	0
Himachal Pradesh	44	24	2	1	1	0	0	4	2	0	0	0
Karnataka	489	353	60	27	17	10	0	42	23	7	14	1
Kerala	287	192	29	7	9	0	0	20	9	5	0	0
Madhya Pradesh	206	178	21	9	7	0	0	27	40	9	7	0
Chhattisgarh	35	32	0	0	0	0	0	3	14	4	0	0
Maharashtra	923	641	127	61	46	27	91	87	62	29	8	0
Goa	32	25	4	2	8	0	0	1	1	3	0	1
NE Region	84	56	7	2	5	0	0	8	7	0	0	0
Orissa	160	133	5	2	2	0	0	4	1	0	0	0
Punjab	306	248	36	14	8	2	0	28	2	2	3	0
Rajasthan	191	159	23	10	10	2	0	25	10	2	4	0
Tamil Nadu	787	542	282	141	507	56	188	332	29	64	55	52
Uttar Pradesh	358	223	45	20	13	6	0	46	2	31	3	0
Uttrakhand	44	36	2	1	1	0	0	12	4	1	0	0
West Bengal	562	330	0	0	0	0	0	39	22	13	5	0
Head Office	332	262	42	19	41	0	0	55	9	7	1	0
Total	6361	4670	869	404	757	120	286	902	323	233	117	54

31.03.2014 को ग्रुप 'सी' एवं 'डी' कर्मचारियों की स्वीकृत एवं वर्तमान संख्या

राज्य	स्वीकृत	वर्तमान स्थिति	पदों का विभाजन					वर्तमान स्थिति				
			एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा. विक.	श्र.सं.	एस.सी.	एस.टी.	ओ.बी.सी.	शा.विक.	श्र.सं.
आंध्र प्रदेश	1415	1143	208	103	147	11	38	205	86	59	5	13
बिहार	212	165	27	13	49	0	0	15	2	50	0	0
झारखंड	296	237	29	61	28	6	20	26	35	68	4	2
दिल्ली	823	731	135	74	100	30	32	143	60	78	25	18
गुजरात	1226	870	181	91	274	34	109	171	106	250	38	14
हरियाणा	555	441	77	37	37	15	31	116	15	64	14	19
हिमाचल प्रदेश	99	71	15	6	23	2	3	15	8	9	1	1
कर्नाटक	1349	1080	199	97	158	37	44	219	66	131	43	23
केरल	820	635	134	50	101	25	37	115	24	133	10	38
मध्य प्रदेश	620	461	88	60	133	15	2	94	83	70	17	1
छत्तीसगढ़	111	91	0	0	0	0	0	9	16	26	2	2
महाराष्ट्र	2652	1954	383	188	241	79	263	365	180	273	47	40
गोवा	80	66	10	4	17	0	1	7	8	6	2	1
पूर्वोत्तर	210	188	34	14	40	8	20	23	43	17	2	3
ओड़ीशा	436	410	53	58	25	12	2	41	44	17	9	2
पंजाब	780	850	243	3	88	30	27	116	1	26	19	8
राजस्थान	538	450	72	36	61	10	1	79	80	27	8	9
तमिलनाडु	2144	1546	178	89	321	35	118	241	15	223	21	63
उत्तर प्रदेश	931	656	152	57	37	20	0	166	1	89	3	2
उत्तराखंड	117	98	14	6	25	4	8	22	6	14	4	7
पश्चिम बंगाल	1574	1084	0	0	0	0	0	309	30	142	25	13
मुख्यालय	178	121	23	10	33	0	0	54	17	5	4	0
कुल	17166	13348	2255	1057	1938	373	756	2551	926	1777	303	279

APPENDIX A-28 (iii)

Sanctioned and In Position Strength of Group C & D Official as on 31.03.2014												
State	Sanctioned	In Position	Due share					In Position				
			SC	ST	OBC	PH	EXSR	SC	ST	OBC	PH	EXSR
Andhra Pradesh	1415	1143	208	103	147	11	38	205	86	59	5	13
Bihar	212	165	27	13	49	0	0	15	2	50	0	0
Jharkhand	296	237	29	61	28	6	20	26	35	68	4	2
Delhi	823	731	135	74	100	30	32	143	60	78	25	18
Gujarat	1226	870	181	91	274	34	109	171	106	250	38	14
Haryana	555	441	77	37	37	15	31	116	15	64	14	19
Himachal Pradesh	99	71	15	6	23	2	3	15	8	9	1	1
Karnataka	1349	1080	199	97	158	37	44	219	66	131	43	23
Kerala	820	635	134	50	101	25	37	115	24	133	10	38
Madhya Pradesh	620	461	88	60	133	15	2	94	83	70	17	1
Chhattisgarh	111	91	0	0	0	0	0	9	16	26	2	2
Maharashtra	2652	1954	383	188	241	79	263	365	180	273	47	40
Goa	80	66	10	4	17	0	1	7	8	6	2	1
NER Region	210	188	34	14	40	8	20	23	43	17	2	3
Orissa	436	410	53	58	25	12	2	41	44	17	9	2
Punjab	780	850	243	3	88	30	27	116	1	26	19	8
Rajasthan	538	450	72	36	61	10	1	79	80	27	8	9
Tamil Nadu	2144	1546	178	89	321	35	118	241	15	223	21	63
Uttar Pradesh	931	656	152	57	37	20	0	166	1	89	3	2
Uttarakhand	117	98	14	6	25	4	8	22	6	14	4	7
West Bengal	1574	1084	0	0	0	0	0	309	30	142	25	13
Head Office	178	121	23	10	33	0	0	54	17	5	4	0
Total	17166	13348	2255	1057	1938	373	756	2551	926	1777	303	279

31.03.2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ पेंशनभोक्ताओं तथा परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या		
क्षेत्र	पेंशनभोक्ताओं की संख्या	परिवार पेंशनभोक्ताओं की संख्या
हैदराबाद	385	145
गुंटूर	99	23
निजामाबाद	7	6
पटना	134	167
रायपुर	2	4
दिल्ली-(उ.)	139	58
दिल्ली-(द.)	69	13
अहमदाबाद	273	108
बड़ौदा	15	10
सूरत	39	10
गोवा	7	5
शिमला	10	9
फरीदाबाद	86	42
गुड़गांव	9	1
रांची	25	14
मंगलूर	50	32
बंगलूरु	239	108
गुलबर्गा	24	19
पीण्या	48	7
त्रिवेन्द्रम	572	146
बांद्रा	745	202
थाणे	103	14
मलाद	65	14
नागपुर	44	9
पूणे	129	41
इंदौर	208	78
गुवाहाटी	40	30
भुवनेश्वर	143	36
लुधियाना	37	6
चंडीगढ़	204	7
जयपुर	107	45
चेन्नै	499	178
कोयम्बतूर	191	47
मदुरै	100	36
तांबरम	124	47
कानपुर	390	165
मेरठ	77	35
देहरादून	7	7
कोलकाता	962	225
जलपाईगुड़ी	31	14
मुख्यालय	154	58
कुल	6592	2221

APPENDIX A-28 (iv)

Staff Pensioners and Family Pensioners of EPFO as on 31.03.2014		
Regions	No. of Pensioners	No. of Family Pensioners
Hyderabad	385	145
Guntur	99	23
Nizamabad	7	6
Patna	134	167
Raipur	2	4
Delhi-(N)	139	58
Delhi-(S)	69	13
Ahmedabad	273	108
Baroda	15	10
Surat	39	10
Goa	7	5
Shimla	10	9
Faridabad	86	42
Gurgaon	9	1
Ranchi	25	14
Mangalore	50	32
Bangalore	239	108
Gulbarga	24	19
Peenya	48	7
Trivendrum	572	146
Bandra	745	202
Thane	103	14
Malad	65	14
Nagpur	44	9
Pune	129	41
Indore	208	78
Guwahati	40	30
Bhubneshwar	143	36
Ludhiana	37	6
Chandigarh	204	7
Jaipur	107	45
Chennai	499	178
Coimbatore	191	47
Madurai	100	36
Tambaram	124	47
Kanpur	390	165
Meerut	77	35
Dehradun	7	7
Kolkata	962	225
Jalpaiguri	31	14
Head Office	154	58
Total	6592	2221

वर्ष 2012-2013 के लिए उत्पादकता सहबद्ध बोनस			
क्र.सं.	क्षेत्र	दिनों की संख्या	बोनस की कुल वितरित राशि
1	आ.प्र. - हैदराबाद	60	50,84,516
2	आ.प्र. - गुन्टूर	60	40,02,832
3	आ.प्र. - निजामाबाद	60	17,40,240
4	बिहार	60	15,44,965
5	छत्तीसगढ़	60	8,67,304
6	दिल्ली - उत्तरी	60	30,41,401
7	दिल्ली - दक्षिण	60	28,46,596
8	गोवा	60	6,24,486
9	गुज. - अहमदाबाद	60	52,05,204
10	गुज. - वडोदरा	60	11,40,971
11	गुज. - सूरत	60	22,16,040
12	हरि. - फरीदाबाद	60	24,85,820
13	हरि. - गुड़गांव	60	17,91,106
14	हिमाचल प्रदेश	60	6,88,497
15	झारखंड	60	22,66,316
16	कर्ना. - बंगलौर	60	30,99,759
17	कर्ना. - मंगलौर	60	27,13,932
18	कर्ना. - गुलबर्गा	60	13,98,151
19	कर्ना. - पीणया	60	31,04,451
20	केरल	60	60,63,917
21	मध्य प्रदेश	60	45,94,279
22	महा.-I (बान्द्रा)	60	57,44,956
23	महा.-II (थाणे)	60	32,36,368
24	महा.-कांदिवली	60	31,61,360
25	महा.-नागपुर	60	26,92,130
26	महा.-पुणे	60	38,00,643
27	पूर्वोत्तर क्षेत्र	60	16,59,890
28	ओड़ीशा	60	33,51,967
29	पंजाब- चंडीगढ़	60	30,03,975
30	पंजाब-लुधियाना	60	29,47,436
31	राजस्थान	60	42,53,239
32	तमि. चेन्नै	60	51,80,008
33	तमि.-कोयम्बतूर	60	38,46,304
34	तमि.- मदुरै	60	39,29,231
35	तमि.-तांबरम	60	26,28,278
36	उत्तराखंड	60	9,06,670
37	उ.प्र.-कानपुर	60	43,40,121
38	उ.प्र. - मेरठ	60	21,11,084
39	प.बं. -कोलकाता	60	75,44,380
40	प.बं.-जलपाईगुड़ी	60	26,81,145
41	मु.का. (नोशनल)	60	19,42,680
42	नाटर्स (नोशनल)	60	6,03,783
	कुल		12,60,86,431

Productivity Linked Bonus for the year 2012-2013			
Sl. No.	Region	No. of days	Total Bonus Disbursed
1	AP - Hyderabad	60	50,84,516
2	AP - Guntur	60	40,02,832
3	AP - Nizamabad	60	17,40,240
4	Bihar	60	15,44,965
5	Chhattisgarh	60	8,67,304
6	Delhi (North)	60	30,41,401
7	Delhi (South)	60	28,46,596
8	Goa	60	6,24,486
9	GJ - Ahmedabad	60	52,05,204
10	GJ - Vadodara	60	11,40,971
11	GJ - Surat	60	22,16,040
12	HR - Faridabad	60	24,85,820
13	HR - Gurgaon	60	17,91,106
14	Himachal Pradesh	60	6,88,497
15	Jharkhand	60	22,66,316
16	KN - Bangalore	60	30,99,759
17	KN - Mangalore	60	27,13,932
18	KN - Gulbarga	60	13,98,151
19	KN - Peenya	60	31,04,451
20	Kerala	60	60,63,917
21	Madhya Pradesh	60	45,94,279
22	MH - I (Bandra)	60	57,44,956
23	MH - II (Thane)	60	32,36,368
24	MH - Kandivali	60	31,61,360
25	MH - Nagpur	60	26,92,130
26	MH - Pune	60	38,00,643
27	N.E. Regions	60	16,59,890
28	Odisha	60	33,51,967
29	PN - Chandigarh	60	30,03,975
30	PN - Ludhiana	60	29,47,436
31	RJ - Jaipur	60	42,53,239
32	TN - Chennai	60	51,80,008
33	TN - Coimbatore	60	38,46,304
34	TN - Madurai	60	39,29,231
35	TN - Tambaram	60	26,28,278
36	Uttarakhand	60	9,06,670
37	UP - Kanpur	60	43,40,121
38	UP - Meerut	60	21,11,084
39	WB - Kolkata	60	75,44,380
40	WB - Jalpaiguri	60	26,81,145
41	Head Office (Notional)	60	19,42,680
42	NATRSS (Notional)	60	6,03,783
TOTAL			12,60,86,431

जन सूचना

2013 -14 में प्रगति

	01.04.2013 को आदिशेष	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों सहित)	अन्य जन प्राधिकारी को स्थानांतरित मामलों की संख्या	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील रद्द किए गए	निर्णय जिनमें अनुरोध / अपील स्वीकार किए गए
अनुरोध	5943	43189	1677	3133	36677
प्रथम अपील	355	2801	150	171	2580

अनुरोध रद्द करते हुए कितनी बार विभिन्न उपबंधों को उपयोग में लाया गया														इस अधिनियम का उपयोग करने के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामलों की संख्या	एकत्रित शुल्क की राशि (₹ में)		
धारा 8 (1)										अन्य धारा					पंजीकरण शुल्क	अतिरिक्त शुल्क एवं अन्य प्रभार	दंड राशि
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	अन्य	शून्य	250689	77971	--
	3	4	12	258	27	18	76	130	228		2		2062				

PUBLIC INFORMATION
Progress in 2013 -14

	Opening Balance as on 01.04.2013	Received during the year (including cases transferred to other Public Authority)	No. of cases transferred to other Public Authorities	Decision where requests/ appeals rejected	Decision where requests/ appeals accepted
Requests	5943	43189	1677	3133	36677
First Appeals	355	2801	150	171	2580

Number of times various provisions were invoked while rejecting requests														Number of cases where disciplinary action was taken against any officer in respect of administration of the Act	Amount of Charges Collected (in ₹)		
Section 8 (1)										other sections					Registration Fee	Additional Fee & Any Other Charges	Penalties Amount
a	b	c	d	e	f	g	h	i	J	9	11	24	Other				
	3	4	12	258	27	18	76	130	228		2		2062	Nil	250689	77971	--

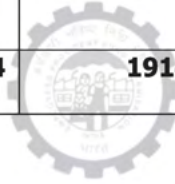
सांविधिक लेखा परीक्षकों (ए.जी.) के लेखापरीक्षा पैरा का विवरण - 31.03.2014 की स्थिति						
क्र.सं.	जोनल कार्यालय का नाम	1-4-2013 तक लंबित पैरा	वर्ष के दौरान शामिल पैरा	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए पैरा	31-03-2014 तक लंबित पैरा
01	उत्तराखंड एवं दिल्ली	52	09	61	10	51
02	हरि. एवं राज.	87	25	112	08	104
03	हि.प्र. एवं पंजाब	80	43	123	03	120
04	बिहार एवं उ.प्र.	133	15	148	03	145
05	ओडीशा एवं आंध्र प्रदेश	320	39	359	07	352
06	गोवा एवं कर्ना.	154	30	184	51	133
07	केरल एवं तमिलनाडु	202	47	249	57	192
08	झार. पूर्वोत्तर, पं. बंगाल	130	90	220	70	150
09	छत्ती. एवं महा.	91	64	155	17	138
10	म.प्र. एवं गुज.	100	95	195	09	186
11	मु., नाटर्स एवं क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण	139	47	186	34	152
	कुल	1488	504	1992	269	1723

APPENDIX A-31 (i)

Details of Audit observations made by the Statutory Audit (AG) as on 31.03.2014						
Sl.No.	Name of the Zonal offices	Paras out-standing as on 01.04.2013	Paras added during the year	Total	Paras settled during the year	Paras out-standing as on 31.03.2014
01	DL & UK	52	09	61	10	51
02	RJ & HR	87	25	112	08	104
03	PN & HP	80	43	123	03	120
04	UP & BR	133	15	148	03	145
05	AP & OR	320	39	359	07	352
06	KN & GOA	154	30	184	51	133
07	TN & KR	202	47	249	57	192
08	WB,NER,JH	130	90	220	70	150
09	MH & CHH	91	64	155	17	138
10	GJ & MP	100	95	195	09	186
11	NATRSS, HO & EPFAT	139	47	186	34	152
	TOTAL	1488	504	1992	269	1723

आंतरिक लेखापरीक्षा दलों के लंबित पैरा का विवरण -31.03.2014 की स्थिति

क्र. सं.	जोनल कार्यालय का नाम	1-4-2013 तक लंबित पैरा	वर्ष के दौरान शामिल पैरा	कुल	वर्ष के दौरान निपटाए गए पैरा	31-03-2014 तक लंबित पैरा
01	उत्तराखंड एवं दिल्ली	419	152	571	358	213
02	हरि. एवं राज.	488	145	633	409	224
03	हि.प्र. एवं पंजाब	210	227	437	218	219
04	बिहार एवं उ.प्र.	998	232	1230	286	944
05	ओडीशा एवं आंध्र प्रदेश	830	192	1022	421	601
06	गोवा एवं कर्ना.	1169	91	1260	583	677
07	केरल एवं तमिलनाडु	1080	364	1444	517	927
08	झार. पूर्वोत्तर, पं. बंगाल	1668	146	1814	605	1209
09	छत्ती. एवं महा.	1324	216	1540	181	1359
10	म.प्र. एवं गुज.	717	132	849	219	630
11	मु., नाटरस एवं क.भ.नि. अपीलीय अधिकरण	211	17	228	52	176
	कुल	9114	1914	11028	3849	7179



APPENDIX A-31 (ii)

Details of outstanding audit Paras of Internal Audit parties as on 31.03.2014						
S. No.	Name of the office	Paras Out-standing as on 01.04.2013	Paras added during the year	Total	Paras settled during the year	Paras Out-standing as on 31.03.2014
01	DL & UK	419	152	571	358	213
02	RJ & HR	488	145	633	409	224
03	PN & HP	210	227	437	218	219
04	UP & BR	998	232	1230	286	944
05	AP & OR	830	192	1022	421	601
06	KN & GOA	1169	91	1260	583	677
07	TN & KR	1080	364	1444	517	927
08	WB,NER,JH	1668	146	1814	605	1209
09	MH & CHH	1324	216	1540	181	1359
10	GJ & MP	717	132	849	219	630
11	HQ, NATRSS & EPFAT	211	17	228	52	176
	TOTAL	9114	1914	11028	3849	7179

31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.भ.नि. (कर्मचारी भविष्य निधि) लेखा संख्या - 5 [₹ करोड़ों में]

श्रेणी	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14% - 15%	T. Bill	Total Face Value
सी.टी.जी.	1172.68	1666.79	3672.58	6696.87	8420.57	49598.67	7276.14	3522.45	000495	3195.44	278.03	1042.09	0.00	0.00	0.00	86542.30
पी.सी.यू.	33.94	2.70	8.92	2087.13	3768.09	5469.49	34850.16	23902.15	16222.65	9368.40	60.07	0.00	1.26	0.00	0.00	95774.95
पी.वी.टी.	0.34	0.00	2.00	17.51	175.80	64.30	6736.30	7268.36	2982.65	1230.92	643.09	0.12	0.00	0.00	0.00	19121.39
एस.डी.एल.	2319.07	238.70	628.72	1848.73	4977.90	12434.22	19694.45	10009.20	5542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57692.99
एस.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	52811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52811.82
एस.टी.जी.	4.48	0.00	0.00	1.80	992.83	156.92	5001.44	3707.82	2347.24	535.76	3.09	3.05	6.77	0.00	0.00	12761.19
विभिन्न दरों एवं अवधि पर टी.डी.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	3530.50	1908.20	4312.22	10652.03	71147.00	67723.60	73558.49	48409.99	27094.55	14330.52	984.27	1045.26	8.03	0.00	0.00	324704.65

APPENDIX A-32 (i)

Category-wise Investment at Face Value and Interest Earning EPF (Employees Provident Fund) A/C No. – 5 as on 31.03.2014 [₹ in cr.]

Category	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14% - 15%	T. Bill	Total Face Value
CTG	1172.68	1666.79	3672.58	6696.87	8420.57	49598.67	7276.14	3522.45	000495	3195.44	278.03	1042.09	0.00	0.00	0.00	86542.30
PSU	33.94	2.70	8.92	2087.13	3768.09	5469.49	34850.16	23902.15	16222.65	9368.40	60.07	0.00	1.26	0.00	0.00	95774.95
PVT	0.34	0.00	2.00	17.51	175.80	64.30	6736.30	7268.36	2982.65	1230.92	643.09	0.12	0.00	0.00	0.00	19121.39
SDL	2319.07	238.70	628.72	1848.73	4977.90	12434.22	19694.45	10009.20	5542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57692.99
SDS	0.00	0.00	0.00	0.00	52811.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52811.82
STG	4.48	0.00	0.00	1.80	992.83	156.92	5001.44	3707.82	2347.24	535.76	3.09	3.05	6.77	0.00	0.00	12761.19
TDR's at different rates & period	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public A/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	3530.50	1908.20	4312.22	10652.03	71147.00	67723.60	73558.49	48409.99	27094.55	14330.52	984.27	1045.26	8.03	0.00	0.00	324704.65

31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.पें.यो (कर्मचारी पेंशन योजना) लेखा संख्या – 11																[र करोड़ों में]
श्रेणी	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14- 15%	T. Bill	Total Face Value
सी.टी.जी.	202.58	1,256.04	2,580.41	2,446.37	7,442.60	23,593.71	2,703.26	2,133.78	0.0005	4,769.76	567.28	1,416.81	0.00	0.00	0.00	49,112.59
पी.सी.यू.	186.74	0.29	0.00	2,177.30	3,442.60	3,353.49	14,018.50	10,135.91	5,971.94	3,729.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43,024.16
पी.वी.टी.	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	45.70	4,261.00	3,629.70	1,169.76	383.70	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.66
एस.डी.एस.	1,039.60	751.85	40.13	1,379.91	2,055.06	5,007.89	8,894.79	4,210.47	2,951.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.16
एस.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.52
एस.टी.जी.	0.00	0.00	0.00	15.00	1,030.80	958.00	1,788.80	1,517.40	666.90	188.00	0.00	12.00	5.00	0.00	0.00	6,181.90
विभिन्न दरों एवं अवधि पर टी.डी.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,319.61
कुल	1,428.92	2,008.18	2,620.54	6,038.58	15,371.58	1,04,278.40	31,666.34	21,627.27	10,760.06	9,070.65	1,381.27	1,428.81	5.00	0.00	0.00	2,07,685.60

APPENDIX A-32 (ii)

Category-wise Investment at Face Value and Interest Earning EPS (Employees Pension Scheme) A/C No. – 11 as on 31.03.2014																₹ in cr.]
Category	<=6%	>6% - 6.5%	>6.5% - 7%	>7% - 7.5%	>7.5% - 8%	>8% - 8.5%	>8.5% - 9%	>9% - 9.5%	>9.5% - 10%	>10% - 11%	>11% - 12%	>12% - 13%	>13% - 14%	>14- 15%	T. Bill	Total Face Value
CTG	202.58	1,256.04	2,580.41	2,446.37	7,442.60	23,593.71	2,703.26	2,133.78	0.0005	4,769.76	567.28	1,416.81	0.00	0.00	0.00	49,112.59
PSU	186.74	0.29	0.00	2,177.30	3,442.60	3,353.49	14,018.50	10,135.91	5,971.94	3,729.19	8.19	0.00	0.00	0.00	0.00	43,024.16
PVT	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	45.70	4,261.00	3,629.70	1,169.76	383.70	805.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,315.66
SDL	1,039.60	751.85	40.13	1,379.91	2,055.06	5,007.89	8,894.79	4,210.47	2,951.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,331.16
SDS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.52
STG	0.00	0.00	0.00	15.00	1,030.80	958.00	1,788.80	1,517.40	666.90	188.00	0.00	12.00	5.00	0.00	0.00	6,181.90
TDR's at different rates & period	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public A/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,319.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,319.61
Total	1,428.92	2,008.18	2,620.54	6,038.58	15,371.58	1,04,278.40	31,666.34	21,627.27	10,760.06	9,070.65	1,381.27	1,428.81	5.00	0.00	0.00	2,07,685.60

31.03.2014 को निवेश के लिए अंकित मूल्य पर श्रेणीवार निवेश एवं ब्याज अर्जन क.सह.नि.बी.यो लेखा संख्या – 25 [₹ करोड़ों में]																
श्रेणी	<=6%	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14%	14-15%	T-Bill	Total Face Value(in crs.)
सी.टी.जी.	5.12	56.75	158.30	47.40	283.02	1,222.69	175.82	71.14	0.00	163.86	26.21	27.88	0.00	0.00	0.00	2,238.18
पी.सी.यू.	0.00	0.00	0.00	113.30	121.60	174.20	724.44	567.82	336.66	221.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.99
पी.वी.टी.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.90	178.60	69.00	32.10	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	503.80
एस.डी.एल.	15.73	18.86	0.00	48.28	53.21	483.55	450.08	239.38	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.78
एस.डी.एस.	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
एस.टी.जी.	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	42.00	120.50	50.70	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80
विभिन्न दरों एवं अवधि पर टी.डी.आर.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सार्वजनिक लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.94
कुल	20.85	75.61	158.30	208.98	488.42	8,845.38	1,646.74	1,107.64	628.86	417.93	84.41	27.88	0.00	0.00	0.00	13,711.00

APPENDIX A-32 (iii)

Category-wise Investment at Face Value and Interest Earning EDLI A/C No. – 25 as on 31.03.2014 [₹ in cr.]																
Category	<=6%	>6-6.5%	>6.5-7%	7-7.5%	7.5-8%	8-8.5%	8.5-9%	9-9.5%	9.5-10%	10-11%	11-12%	12-13%	13-14%	14-15%	T-Bill	Total Face Value(in crs.)
CTG	5.12	56.75	158.30	47.40	283.02	1,222.69	175.82	71.14	0.00	163.86	26.21	27.88	0.00	0.00	0.00	2,238.18
PSU	0.00	0.00	0.00	113.30	121.60	174.20	724.44	567.82	336.66	221.97	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,269.99
PVT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.90	178.60	69.00	32.10	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	503.80
SDL	15.73	18.86	0.00	48.28	53.21	483.55	450.08	239.38	141.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.78
SDS	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
STG	0.00	0.00	0.00	0.00	28.10	42.00	120.50	50.70	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322.80
TDR's at different rates & period	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Public A/C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,922.94
Total	20.85	75.61	158.30	208.98	488.42	8,845.38	1,646.74	1,107.64	628.86	417.93	84.41	27.88	0.00	0.00	0.00	13,711.00



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees' Provident Fund Organisation

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)

मुख्य कार्यालय : भविष्य निधि भवन
Head Office : Bhavishya Nidhi Bhawan

14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066

14, Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

वेबसाइट /Website : www.epfindia.gov.in